बैंक ऑफ़ इंडिया
Bank of India BOI

संदर्भ क्र. **Ref. No.:** HO:IRC:SVM:2023-24:104 | दिनांक **Date:** 03.06.2023

Scrip Code: BANKINDIA	**Scrip Code : 532149**
The Vice President – Listing Department, National Stock Exchange of India Ltd., Exchange Plaza, Bandra Kurla Complex, Bandra East, Mumbai 400 051.	The Vice-President – Listing Department, BSE Ltd., 25, P.J. Towers, Dalal Street, Mumbai 400 001.

Dear Sir / Madam,

Sub: Annual Report of the Bank for the year 2022-23

Pursuant to Regulation 34 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find attached the Annual Report (including Notice of the 27th Annual General Meeting) of the Bank for the year 2022-23.

The Annual Report of the Bank for the year 2022-23 is also available on the Bank's website www.bankofindia.co.in.

We request you to take the same on record.

भवदीय Yours faithfully,

RAJESH VENKATA RAJ UPADHYA

Digitally signed by: RAJESH VENKATARAJ UPADHYA
DN: CN = RAJESH VENKATARAJ UPADHYA C = IN O = BANK OF INDIA OU = BANNKING
Date: 2023.06.03 19:16:45 +06'30'

बैंक ऑफ़ इंडिया BANK OF INDIA प्र.का. H.O. निवेशक संबंध विभाग Investor Relations Dept.

(Rajesh V Upadhya)
कंपनी सचिव Company Secretary

Encl: As above.

प्रधान कार्यालय: निवेशक संबंध विभाग, स्टार हाउस - I, आठवीं मंजिल, सी-5, जी-ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला संकुल, बांद्रा पूर्व, मुंबई - 400 051
Head Office: Investor Relations Cell, Star House - I, 8th Floor, C-5, G-Block, Bandra Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai - 400 051 Ph.: (022) 6668 4490 : Fax: (022) 6668 4491 Email: headoffice.share@bankofindia.co.in

बैंक ऑफ़ इंडिया
Bank of India

डिजिटल कनेक्ट के साथ नए कीर्तिमान स्थापित करना

SCALING NEW HEIGHTS WITH DIGITAL CONNECT

A Glorious 117 Years Of Unwavering Faith

वार्षिक रिपोर्ट
Annual Report
2022-23

निदेशक मंडल / Board of Directors

श्री वी वी शेनॉय, श्री मुनीश कुमार रल्हन, श्री सुब्रत दास, श्री स्वरूप दासगुप्ता (कार्यपालक निदेशक), सुश्री वेणी थापर, श्री रजनीश कर्नाटक (एमडी एवं सीईओ), डॉ भूषण कुमार सिन्हा, श्री एम कार्तिकेयन (कार्यपालक निदेशक), श्री पी आर राजगोपाल (कार्यपालक निदेशक), श्री सुब्रत कुमार (कार्यपालक निदेशक) (बाएं से दाएं)

Shri V V Shenoy, Shri Munish Kumar Ralhan, Shri Subrata Das, Shri Swarup Dasgupta (Executive Director), Smt. Veni Thapar, Shri Rajneesh Karnatak (MD & CEO), Dr. Bhushan Kumar Sinha, Shri M Karthikeyan (Executive Director), Shri P R Rajagopal (Executive Director), Shri Subrat Kumar (Executive Director) (From left to right)

बैंक ऑफ़ इंडिया / Bank of India

(भारत सरकार का उपक्रम),
(A Government of India undertaking),

प्रधान कार्यालय:
स्टार हाउस, सी-5, जी ब्लॉक,
बांद्रा-कुर्ला काम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व),
मुंबई - 400 051.
फोन : 022 - 6668 44 44
ई-मेल : HeadOffice.share@bankofindia.co.in
वेबसाइट: www.bankofindia.co.in

Head Office :
Star House, C-5, G Block,
Bandra-Kurla Complex, Bandra (East),
Mumbai - 400 051.
Phone : 022- 6668 44 44
E-mail : HeadOffice.share@bankofindia.co.in
Website : www.bankofindia.co.in

महत्वपूर्ण सूचनाएँ		Important Information	
लाभांश के भुगतान और ई वोटिंग तथा वीसी के माध्यम से एजीएम में सहभागिता करने के लिए रिकॉर्ड तिथि।	20.06.2023	Record Date for payment of dividend and E-voting and to participate in AGM through VC	20.06.2023
लेखाबंदी तिथि (दोनों दिन शामिल)	21.06.2023 से 27.06.2023	Book Closure dates (both days inclusive)	21.06.2023 to 27.06.2023
रिमोट ई-वोटिंग	शुरू - 22 जून 2023 (सुबह 9.00) समाप्त - 26 जून 2023 (शाम 5.00)	Remote E-voting	Start - 22nd June 2023 (9.00 AM) End – 26th June 2023 (5.00 PM)
27वीं वार्षिक आम बैठक	27 जून, 2023 सुबह 11.00 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंस (वीसी)/ अन्य ऑडियो विजुअल माध्यम (ओएवीएम) माध्यम से	27th Annual General Meeing	27th June, 2023 at 11.00 AM through Video Conferencing (VC) / Other Audio Visual Means (OAVM)

विषय सूची

Contents

अवलोकन Overview

2	सांविधिक लेखा परीक्षक	2	Statutory Auditors
2	महाप्रबंधक	2	General Managers
3	प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी का वक्तव्य	3	Managing Director & CEO's Statement

सांविधिक रिपोर्ट Statutory Reports

6	निदेशक रिपोर्ट	10	Directors' Report
13	प्रबंधन विचार - विमर्श एवं विश्लेषण	35	Management Discussion & Analysis
52	कार्पोरेट सामाजिक दायित्व रिपोर्ट	52	Corporate Social Responsibility Report
54	कॉर्पोरेट शासन रिपोर्ट	54	Corporate Governance Report
79	निदेशकों की गैर - अयोग्यता प्रमाणपत्र	79	Certificate of Non-disqualification of Directors
81	सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट (फार्म MR-3)	81	Secretarial Audit Report (Form - MR-3)
85	सीईओ/सीएफओ प्रमाणपत्र	85	CEO/CFO Certificate
85	मुख्य कार्यपालक अधिकारी की घोषणा	85	Declaration by CEO
86	सत्यनिष्ठा संधि	86	Integrity Pact
241	बासेल-III (स्तंभ 3) - प्रकटन	269	Basel-III (Pillar 3) - Disclosures
296	वार्षिक आम बैठक की सूचना	296	Notice of Annual General Meeting
317	हरित पहल	317	Green Initiative

वित्तीय विवरण Financial Statements

88	तुलनपत्र	88	Balance Sheet
89	लाभ एवं हानि खाता	89	Profit & Loss Account
90	नकदी प्रवाह विवरण	90	Cash Flow Statement
99	महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ	99	Significant Accounting Policies
113	लेखे पर टिप्पणियां	113	Notes Forming Part of Accounts
164	स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट	164	Independent Auditor's Report
177	समेकित वित्तीय विवरण	177	Consolidated Financial Statements

सांविधिक लेखा परीक्षक
Statutory Auditors

मेसर्स वी शंकर अय्यर एण्ड कं., सनदी लेखाकार	M/s. V Sankar Aiyar & Co, Chartered Accountants
मेसर्स लक्ष्मी तृप्ति एण्ड एसोसिएट्स, सनदी लेखाकार	M/s. Laxmi Tripti & Associates, Chartered Accountants
मेसर्स मुकुंद एम चितले एंड कंपनी, सनदी लेखाकार	M/s Mukund M Chitale & Co., Chartered Accountants

मुख्य सतर्कता अधिकारी
Chief Vigilance Officer

विष्णु कुमार गुप्ता	Vishnu Kumar Gupta

मुख्य महाप्रबंधक (यथा 31.03.2023)
Chief General Managers (As on 31.03.2023)

मनोज दास	MONOJ DAS
प्रकाश कुमार सिन्हा	PRAKASH KUMAR SINHA
अभिजीत बोस	ABHIJIT BOSE
अशोक कुमार पाठक	ASHOK KUMAR PATHAK
सुधीरंजन पाढ़ी	SUDHIRANJAN PADHI
शिव बजरंग सिंह	SHIV BAJRANG SINGH
प्रफुल्ल कुमार गिरी	PRAFULLA KUMAR GIRI

महाप्रबंधक (यथा 31.03.2023)
General Managers (As on 31.03.2023)

श्रीनिवास रवि कुमार जोस्युला	SRINIVASA RAVI KUMAR JOSYULA	बी कुमार, सी.आर.ओ.	B KUMAR, C.R.O.
राजेश कुमार राम	RAJESH KUMAR RAM	अश्विनी गुप्ता	ASHWANI GUPTA
सुनील शर्मा	SUNIL SHARMA	पुखराज पनगढिया	PUKH RAJ PANGRIYA
धर्मवीर सिंह शेखावत	DHARMVEER SINGH SHEKHAWAT	गीता नागराजन	GEETHA NAGARAJAN
पिनपाला हरि किशन	PINAPALA HARI KISHAN	शशिधरन मंगलमकत	SASIDHARAN MANGALAMKAT
लोकेश कृष्णा	LOKESH KRISHNA	विलास रामदासजी पराते	VILAS RAMDASJI PARATE
शारदा भूषण राय	SHARDA BHUSHAN RAI	विश्वजीत मिश्रा	BISWAJIT MISHRA
कुलदीप जिंदल	KULDEEP JINDAL	विवेकानंद दुबे	VIVEKANAND DUBEY
वेंकटाचलम आनंद	VENKATACHALAM ANAND	संजय राम श्रीवास्तव	SANJAY RAMA SRIVASTAVA
ज्ञानेश्वर जगन्नाथ प्रसाद	GYANESHWAR JAGANNATH PRASAD	मनोज कुमार सिंह	MANOJ KUMAR SINGH
नितिन गोविंदराव देशपांडे	NITIN GOVINDRAO DESHPANDE	वासु देव	VASU DEV
बिक्रम केशरी मिश्रा	BIKRAM KESHARI MISHRA	सुब्रत कुमार रॉय	SUBRATA KUMAR ROY
विश्वजीत सिंह	VISHWAJEET SINGH	शंकर सेन, सी.एफ.ओ.	SANKAR SEN, C.F.O.
सुरेंद्र मोहन बंसल	SURENDER MOHAN BANSAL	सत्येंद्र सिंह	SATYENDRA SINGH
राघवेंद्र कुमार	RAGHVENDRA KUMAR	संजीब सरकार	SANJIB SARKAR
प्रशांत थपलियाल	PRASHANT THAPLIYAL	पुष्पा चौधरी	PUSHPA CHAUDHARY
उद्दालक भट्टाचार्य	UDDALOK BHATTACHARYA	धनंजय कुमार	DHANANJAY KUMAR
प्रमोद कुमार द्विवेदी	PRAMOD KUMAR DWIBEDI	नकुल बेहरा	NAKULA BEHERA
अमिताभ बनर्जी	AMITABH BANERJEE	अनिल कुमार वर्मा	ANIL KUMAR VERMA
राजेश सदाशिव इंगळे	RAJESH SADASHIV INGLE	मनोज कुमार	MANOJ KUMAR
राधा कांता होता	RADHA KANTA HOTA		

प्रबंध निदेशक एवं सीईओ का वक्तव्य

Managing Director & CEO's Statement

प्रिय शेयरधारकों एवं हितधारकों,

1. सर्वप्रथम, मैं आपके बैंक की 27वीं वार्षिक आम बैठक में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए आपके बैंक की वार्षिक रिपोर्ट आपके समक्ष रखते हुए मुझे बहुत प्रसन्नता है।

2. वर्ष 2022-23 में वैश्विक अर्थव्यवस्था में कई उतार-चढ़ाव आए, जिसका प्रभाव हर जगह पाया गया। रूस-यूक्रेन युद्ध के लंबे समय तक जारी रहने के फलस्वरूप भू-राजनीतिक अनिश्चितता, आपूर्ति श्रृंखला व्यवधान और आर्थिक अस्थिरता ने वैश्विक विकास की संभावनाओं को नकारात्मक रूप से प्रभावित किया। आईएमएफ के अनुमानों के अनुसार, वैश्विक अर्थव्यवस्था की वृद्धि 2021 में 6.0% से घटकर 2022 में 3.4% हो गई और बाद के वर्षों में इसके कम रहने की उम्मीद है।

3. मौजूदा मैक्रोइकॉनॉमिक परिस्थितियों से महामारी के बाद उससे उभरने की प्रक्रिया को झटका पहुंचा है और विश्व भर में मुद्रास्फीति के दबाव को बढ़ा दिया। परिणामस्वरूप दुनिया भर के केंद्रीय बैंकों ने मुद्रास्फीति का मुकाबला करने के लिए मौद्रिक नीतियों को कड़ा कर दिया और ब्याज दरें बढ़ती ऊंचाइयों पर पहुंच गईं, जिससे मांग प्रभावित हुई और विकास दृष्टिकोण के लिए नकारात्मक जोखिम पैदा हुआ। मार्च 2023 के अंत में स्थिति और भी खराब हो गई और अमेरिका व यूरोप में बैंकिंग क्षेत्र में उथल-पुथल हुई, जिससे वित्तीय स्थिरता संबंधी मुद्दे सामने आए।

4. इन अनिश्चितताओं के मध्य, मजबूत आर्थिक बुनियादी सिद्धांतों और सुदृढ़ एवं उचित रूप से विनियमित बैंकिंग क्षेत्र के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था समुत्थानशील बनी रही। वर्ष 2022-23 के दौरान जीडीपी में 7% की वृद्धि हुई (एनएसओ के दूसरे उन्नत अनुमानों के अनुसार) और भारत दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाले राष्ट्र के रूप में उभर कर आया। तथापि, प्रतिकूल आपूर्ति संबंधी झटकों और उच्च इनपुट लागतों के कारण वर्ष के दौरान मुद्रास्फीति ऊंचे स्तर पर बनी रही।

5. बैंकों का वित्तीय कार्यनिष्पादन अच्छा रहा है, उनकी लाभप्रदता में वृद्धि हुई है और एनपीए का स्तर 5% से नीचे आने के साथ-साथ आस्ति गुणवत्ता में सुधार आया है। ब्याज दरों में उल्लेखनीय वृद्धि और वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच वित्त वर्ष 22-23 में बैंकिंग उद्योग ने 15% की उच्च ऋण वृद्धि और 9.6% की कम जमा वृद्धि देखी। अत: दो अंकों की क्रेडिट वृद्धि को बनाए रखने के लिए जमाराशि संग्रहण, समकक्ष बैंकों के बीच एक बड़ी चुनौती के रूप में उभरा है।

Dear Shareholders & Stakeholders,

1. At the very outset, I extend a very warm welcome to each one of you to the 27th Annual General Meeting of your Bank. I have great pleasure in placing before you the Annual Report of your Bank for the year ended March 31, 2023.

2. The year 2022-23 was characterised by twists and turns in the global economy spilling its effect all around. The prolonged continuation of Russia Ukraine war led to geopolitical uncertainty, supply chain disruptions and economic volatility negatively affecting prospects of global growth. As per the estimates of IMF, global economy growth declined from 6.0% in 2021 to 3.4% in 2022 and is expected to remain subdued subsequently in the following years.

3. The prevailing macroeconomic conditions jolted the ongoing recovery process post pandemic and led to elevated inflationary pressures across the globe. As a result, the central banks all over the world tightened monetary policies to fight inflation and interest rates touched to soaring heights affecting demand and posed downside risks to growth outlook. The situation worsened during end of March 23 in the form of banking sector turmoil in the US and Europe which have brought financial stability issues to the forefront.

4. Indian economy remained resilient amidst these uncertainties on account of strong economic fundamentals and robust & well regulated banking sector. The GDP grew by 7% during 2022-23(as per 2nd advanced estimates of NSO) and emerged fastest growing nation in the world. However, inflation (CPI) persisted at elevated level during the year due to adverse supply shocks and pass through of higher input costs.

5. The financial performance of Banks has been good with increasing profitability and improving asset quality with reduction of NPA below 5%.The banking industry witnessed a higher credit growth of 15% and lower deposit growth of 9.6% in FY 22-23 amid significant rise in interest rates and global uncertainties. So deposit mobilization has emerged as a big challenge among peer banks to sustain double digit credit growth.

6. आरबीआई ने मुद्रास्फीति को लक्ष्य के भीतर बनाए रखने के लिए उदार नीतिगत रुख को वापस ले लिया और विकास का समर्थन करते हुए मुद्रास्फीति को रोकने के लिए मई 2022 से नीतिगत रेपो दर में 250 आधार अंकों की वृद्धि की। इसके अलावा सरकार ने कई नीतिगत उपायों की घोषणा की जैसे एमएसएमई के लिए नवनिर्मित ऋण गारंटी योजना जिससे उन्हें रु. 2.00 लाख करोड़ का अतिरिक्त संपार्श्विक मुक्त गारंटीकृत ऋण उपलब्ध हो, कृषि-स्टार्ट अप को प्रोत्साहित करने के लिए एग्रि एक्सलरेटर फण्ड की स्थापना, एक सौ महत्वपूर्ण परिवहन बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए रु. 75,000 करोड़ का निवेश, पीएलआई योजना का विस्तार, पीएम आवास योजना के लिए परिव्यय में वृद्धि आदि ताकि सतत विकास के लिए अर्थव्यवस्था में गुणक प्रभाव लाया जा सके। इसके साथ-साथ केंद्रीय बजट 2023-24 में रु.10 लाख करोड़ के पूंजी निवेश सहित बुनियादी ढांचे के व्यय पर उच्च परिव्यय से निजी निवेश में वृद्धि होने और रोजगार सृजन के साथ विकास की गति में तेजी आने की उम्मीद है।

❖ उपरोक्त पृष्ठभूमि में, मैं आपके समक्ष वर्ष 2022-23 के दौरान बैंक के कार्यनिष्पादन की मुख्य विशेषताएं और आपके बैंक द्वारा की गई प्रमुख पहलों के ब्यौरे प्रस्तुत करता हूं।

❖ हमें यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि आपके बैंक ने वित्त वर्ष 2023 के दौरान रु. 4023 करोड़ का निवल लाभ दर्ज किया है, जिसमें पिछले वर्ष की तुलना में 18.16% की वृद्धि हुई है। इसके साथ ही, बैंक के निदेशक मंडल ने आगामी एजीएम में शेयरधारकों की मंजूरी के अध्यधीन इक्विटी शेयरों पर 20% के लाभांश की सिफारिश की है।

❖ बैंक का, आस्तियों पर प्रतिलाभ वित्त वर्ष 2022 में 0.43% से सुधरकर वित्त वर्ष 2023 में 0.49% हो गया और इक्विटि पर प्रतिलाभ (आरओई) 10.55% से थोड़ा घटकर 10.31% हो गया है।

❖ ईपीएस वित्त वर्ष 2022 में रु. 8.84 से सुधरकर वित्त वर्ष 2023 में रु. 9.80 हो गया।

❖ एनआईएम (ग्लोबल) वित्त वर्ष 2022 के दौरान 2.36% से सुधरकर वित्त वर्ष 2023 के दौरान 3.01% हो गया।

❖ पूंजी पर्याप्तता अनुपात मार्च 2023 में 16.28% पर रहा।

❖ घरेलू कासा में वर्ष-दर-वर्ष आधार पर 2.72% की वृद्धि हुई और कासा प्रतिशत मार्च 2022 में 45.02% से घटकर मार्च 2023 में 44.73% हो गया।

❖ वित्त वर्ष 2023 में वैश्विक अग्रिमों में वर्ष-दर-वर्ष आधार पर 12.87% की वृद्धि हुई, जबकि वित्त वर्ष 2022 में यह वृद्धि 11.35% थी।

❖ आरएएम अग्रिमों में वर्ष-दर-वर्ष आधार पर 12.29% की वृद्धि हुई और कुल अग्रिमों में इसकी हिस्सेदारी 53.77% से बढ़कर 55.11% हो गई है।

❖ वित्त वर्ष 2023 के लिए ऋण-लागत 0.75% से बढ़कर 0.79% हो गई।

❖ प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र अग्रिमों में वर्ष-दर-वर्ष आधार पर 8.48% की वृद्धि हुई और वर्ष के दौरान एएनबीसी में इसकी हिस्सेदारी 43.28% थी। इसमें कृषि ऋणों की हिस्सेदारी 19.00% थी जबकि अनिवार्य लक्ष्य 18.00% था।

❖ स्लिपेज अनुपात, वित्त वर्ष 22 में 2.15% से घटकर वित्त वर्ष 23 में 1.94% हो गया।

❖ सकल एनपीए, मार्च 2022 में रु 45,605 करोड़ से 17.36% घटकर मार्च 2023 में रु 37,686 करोड़ रुपये हो गया।

❖ सकल एनपीए अनुपात, मार्च 2022 में 9.98% से घटकर मार्च 2023 में 7.31% हो गया।

6. RBI withdrew accommodative policy stance to ensure that inflation remains within the target and raised policy repo rate since May 2022 by 250 basis points to curb inflation while supporting growth. Also, a number of policy measures were announced by the Government such as Revamped Credit Guarantee Scheme for MSMEs to enable additional collateral free guaranteed credit of Rs.2.00 lakh crore, setting up of Agriculture Accelerator Fund to encourage agri-startups, investment of Rs.75,000 crore for one hundred critical transport infrastructure projects, extension of PLI scheme, increased outlay for PM Awas Yojana etc. to bring multiplier effect in the economy for sustainable growth. Along with this, higher outlay on infrastructure expenditure including Rs.10 lakh crore capital investment in the Union Budget 2023-24 is expected to crowd-in private investment and accelerate the growth momentum along with job creation.

7. Against the above backdrop, let me present before you the highlights of the Bank's performance and major initiatives taken by your Bank during the year 2022-23.

❖ We are happy to announce that your Bank has posted a Net Profit of Rs. 4023 cr during FY23, with an increase of 18.16% over the previous year. With this, the Bank's Board of Directors have recommended dividend of 20% on equity shares subject to approval of shareholders in ensuing AGM.

❖ Return on Assets (RoA) of the Bank improved from 0.43% in FY22 to 0.49% in FY23 and Returns on Equity (RoE) marginally declined from 10.55% to 10.31%.

❖ EPS improved from Rs.8.84 in FY22 to Rs. 9.80 in FY23.

❖ The NIM (Global) improved from 2.36% during FY22 to 3.01% during FY23.

❖ Capital Adequacy Ratio stood at 16.28% in March 2023.

❖ Domestic CASA went up by 2.72% YoY and CASA percentage declined from 45.02% in March 2022 to 44.73% in March 2023.

❖ Global Advances increased by 12.87% YoY in FY23 against 11.35% during FY22.

❖ RAM advances increased by 12.29% YoY and its share in total advances went up from 53.77% to 55.11%.

❖ Credit Cost inched up from 0.75% to 0.79% for the year FY23.

❖ Priority Sector Advances rose by 8.48% YoY and it constituted 43.28% of ANBC during the year, with agriculture credit of 19.00% against mandatory target of 18%.

❖ Slippage ratio came down from 2.15% in FY22 to 1.94% in FY23.

❖ Gross NPAs brought down by 17.36% from Rs. 45,605 Cr in March 2022 to Rs. 37,686 Cr in March 2023.

❖ Gross NPA ratio lowered from 9.98% in March 2022 to 7.31% in March 2023.

❖ Net NPA ratio also came down from 2.34% in March 2022 to 1.66% in March 2023.

❖ Provision Coverage Ratio (PCR) stood high at 89.68% against 87.76% in March 2022.

- निवल एनपीए अनुपात भी मार्च 2022 में 2.34% से घटकर मार्च 2023 में 1.66% हो गया।
- प्रावधान कवरेज अनुपात (पीसीआर) मार्च 2022 में 87.76% के विरुद्ध 89.68% के उच्च स्तर पर रहा।
- वित्तीय समावेशन के क्षेत्र में, बैंक ने जेजेबीवाई और एपीवाई में लक्ष्यों को पार कर लिया है और आपके बैंक को पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा वार्षिक एपीवाई अनुकरणीय उत्कृष्टता पुरस्कार प्रदान किया गया है।

8. **पहल**

आपका बैंक हमेशा से परिचालन दक्षता में सुधार के लिए विभिन्न पहल करता रहा है ताकि ग्राहकों को अधिक सहूलियत हो सके और बैंक की प्रतिस्पर्धा करने की ताकत में वृद्धि हो सके। इनमें से कुछ पहल इस प्रकार हैं :

- हमारे बैंक द्वारा शुरू की गई विभिन्न तकनीकी पहलों में, सभी बैंकिंग उत्पादों को प्रोसेस करने के लिए ई-प्लेटफॉर्म को सीधी उत्पत्ति (स्ट्रेट थ्रू ओरिजिनेशन) के लिए लागू किया जा रहा है। बैंक ने ई-प्लेटफॉर्म पर बचत खाता खोलने और एमएसएमई सेगमेंट में पीएमएमवाई मुद्रा लोन उत्पाद के डिजिटल प्रसंस्करण; रिटेल खंड में व्यक्तिगत, वाहन और पेंशनभोगी ऋण; कृषि खंड में गोल्ड ऋण और केसीसी के लिए, शाखा के माध्यम से और वेब के माध्यम से कार्रवाई को सक्षम किया गया है।
- एमएसएमई क्षेत्र में चैनल वित्तपोषण के माध्यम से व्यापार बढ़ाने के लिए ''सप्लाई चेन फाइनेंस सॉल्यूशन कस्टमर पोर्टल'' आरंभ किया गया है। बैंक ''इनवॉइस वित्तपोषण के लिए जीएसटी सहाय ऐप'' और ''ऑर्डर आधारित वित्तपोषण के लिए जीईएम सहाय ऐप'' पर ऑनबोर्डिंग की प्रक्रिया में है।
- रिटेल खंड में विशेष रूप से वेतनभोगी वर्ग और हमारे बैंक के माध्यम से पेंशन प्राप्त कर रहे पेंशनभोगियों के लिए ''स्टार सुविधा एक्सप्रेस व्यक्तिगत ऋण योजना (एसएसईपीएल)'' शुरू की गई।
- लीड सृजन और ऋण वृद्धि में पर्याप्त बढ़ोतरी के साथ-साथ टीएटी में कमी लाने के लिए, बैंक द्वारा प्रसंस्करण केंद्रों की संख्या में वृद्धि की गई है। एसएमई सिटी केंद्रों की संख्या 94 से बढ़ाकर 98, रिटेल व्यापार केंद्रों की संख्या 97 से बढ़ाकर 125 और स्टार कृषि विकास केंद्रों की संख्या 87 से बढ़ाकर 138 कर दी गई है।
- बैंक ने मानव संसाधन द्वारा शुरू किए गए ईएसजी (पर्यावरण सामाजिक शासन) कार्यक्रम के अंतर्गत सौहार्दपूर्ण कार्य वातावरण में सुधार के लिए विभिन्न कर्मचारी कल्याण पहल किये हैं।

आपका बैंक वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान स्थायी कारोबार विकास और मूल्य सृजन के लिए प्रौद्योगिकी और परिचालन, इन दोनों मोर्चों पर ऐसी कई पहलों और कार्यनीतियों को जारी रखेगा।

9. मैं, आपके बैंक के बोर्ड के निदेशकों द्वारा दिए गए बहुमूल्य योगदान को रिकॉर्ड पर रखना चाहता हूं। बैंक भारत सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक, सेबी और अन्य नियामक प्राधिकरणों को भी धन्यवाद देता है, जिन्होंने उत्कृष्ट सहयोग और मूल्यवान मार्गदर्शन प्रदान किया है। बैंक की ओर से और अपनी व्यक्तिगत ओर से, मैं अपने कारोबारी सहयोगियों, ग्राहकों, शेयरधारकों और सभी हितधारकों, वित्तीय संस्थानों और प्रतिनिधि बैंकों को उनके विश्वास, भरोसे और सक्रिय सहयोग के लिए धन्यवाद देता हूं। अंत में मैं, बहुत ही चुनौतीपूर्ण वातावरण में भी हमारे स्टाफ सदस्यों के अथक प्रयासों और निरंतर प्रयत्नों की सराहना करता हूं। हम सभी बीओआई हितधारकों के निरंतर संरक्षण, मार्गदर्शन और सहयोग की कामना करते हैं।

हार्दिक शुभकामनाओं के साथ

रजनीश कर्नाटक
प्रबंध निदेशक एवं सीईओ

- In the field of Financial inclusion, the Bank has surpassed the targets in JJBY and APY and your Bank has been conferred the Annual APY Exemplary award of excellence by the Pension Fund Regulatory and Development Authority.

8. **Initiatives**

Your Bank has always been pursuing various initiatives for improving operational efficiency so as to improve customers' convenience and enhance competitive strength of the Bank. Let me recapitulate a few of them:

- Among various technological initiatives started by our Bank, E-Platform is being implemented for straight through origination to process all Banking products. Bank has enabled Branch Journey & Web Journey for Savings account opening on E-platform and Digital processing of PMMY MUDRA Loans product in MSME Segment; Personal, Vehicle and Pensioner Loan in Retail Segment; Gold Loan & KCC in Agriculture segment.
- In MSME field, "Supply Chain Finance solution customer portal" has been launched to increase business through Channel Financing. Bank is in the process of onboarding "GST Sahay App for invoice financing "and "GEM Sahay App Order Based financing".
- In retail segment "Star Suvidha Express Personal Loan scheme (SSEPL)" was launched exclusively for salaried class and pensioners drawing pension through our Bank.
- For quantum jump in lead generation and credit growth as well as for reduction of TAT, the number of Processing Centres by the Bank has been enhanced. The number of SME City Centres has been increased from 94 to 98, the Retail Business Centres from 97 to 125 and Star Krishi Vikash Kendras from 87 to 138.
- Bank has taken various staff welfare initiatives to improve cordial working atmosphere under ESG (Environmental Social Governance) programme launched by Human Resources.

Your Bank will continue with several such initiatives and strategies, both on technology and operational fronts, during FY2023-24 for sustainable business growth and value creation.

9. I wish to place on record the valuable contribution made by the directors on your Bank's Board. The Bank also thanks the Government of India, Reserve Bank of India, SEBI and other regulatory authorities, who have provided excellent support and valuable guidance. On behalf of the Bank and on my personal behalf, I would like to thank our Business Associates, Customers, Shareholders and all the Stakeholders, Financial Institutions and Correspondent Banks for their trust, faith and active association. Last but not the least, I commend the untiring efforts and perseverance of our staff, even in a very challenging environment. We look forward to continued patronage, guidance and support of all BOI stakeholders.

With warm regards

Rajneesh Karnatak
MD & CEO

निदेशक रिपोर्ट

निदेशक मंडल सहर्ष 31 मार्च 2023 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए, लेखा-परीक्षित लेखा विवरणी तथा नकद प्रवाह विवरणी के साथ, बैंक की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं -

कार्य-निष्पादन:

घरेलू कारोबार :

- बैंक के समग्र घरेलू कारोबार में 5.70% वृद्धि हुई और यह यथा 31.03.2022 को रु. 944,824 करोड़ से बढ़कर यथा 31 मार्च, 2023 को रु.998,700 करोड़ हो गया।
- कासा जमाराशियां, वर्ष-दर-वर्ष आधार पर 2.72% वृद्धि के साथ रु.252,149 करोड़ रहीं। घरेलू जमाराशियों में कम लागत की जमाराशियों (कासा) की हिस्सेदारी यथा 31.03.2023 को 44.73% रही।
- कुल जमा 2.95% की वृद्धि के साथ यथा 31.03.2022 को रु.550,833 करोड़ से बढ़कर यथा 31.03.2023 को रु.567,063 करोड़ हो गया।
- सकल घरेलू अग्रिम, वर्ष-दर-वर्ष 9.56% वृद्धि के साथ, 31.03.2022 को रु. 393,991 करोड़ से बढ़कर, 31.03.2023 को रु. 431,637 करोड़ हो गया।
- कुल अग्रिमों में आरएएम अग्रिम की भागीदारी यथा 31.03.2022 को 53.77% (अर्थात् रु.211,843 करोड़) की तुलना में यथा 31.03.2023 को 55.11% (अर्थात् रु.237,884 करोड़) रही।
- प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण, समायोजित निवल बैंक ऋण के 43.28% रहे और समायोजित निवल बैंक ऋण में कृषि ऋण की हिस्सेदारी 19.00% रही।
- रिटेल ऋण 17.4% की वृद्धि के साथ यथा 31.03.2022 को रु.80,675 करोड़ से बढ़कर यथा 31.03.2023 को रु. 94,716 करोड़ हो गए। कुल घरेलू ऋण में रिटेल क्रेडिट का हिस्सा, यथा 31.03.2023 में 21.94% रहा।
- एमएसएमई ऋण दिनांक 31.03.2022 के रु. 64,750 करोड़ से 9.31% बढ़कर, दिनांक 31.03.2023 को रु.70,777 करोड़ हो गया। दिनांक 31.03.2023 को कुल घरेलू ऋण में से एमएसएमई ऋण का हिस्सा 16.40% था।

विदेशी कारोबार :

- विदेशी कारोबार में 33.30% की वृद्धि दर्ज की गयी तथा यह 31.03.2023 को रु.186,738 करोड़ के स्तर पर पहुंचा है जो 31.03.2022 को रु.140,086 करोड़ के स्तर पर था।
- कुल विदेशी जमाराशियाँ 33.04% की वृद्धि के साथ यथा 31.03.2023 को रु.1,02,523 करोड़ के स्तर पर पहुंची हैं जो यथा 31.03.2022 को 77,063 करोड़ के स्तर पर थी।
- यथा 31.03.2023 को, विदेशी ऋण-जमा अनुपात 82.14% रहा।

वैश्विक कारोबार :

- बैंक के सकल कारोबार ने 9.27% की वृद्धि दर्ज की। यह यथा 31 मार्च, 2022 को रु. 10,84,910 करोड़ था, जो बढ़कर यथा 31 मार्च 2023 को रु. 11,85,438 करोड़ हो गया।
- कुल जमाराशियां 6.64% की वृद्धि के साथ, 31.03.2022 को रु. 627,896 करोड़ से बढ़कर 31.03.2023 को 669,586 करोड़ हो गई।
- सकल अग्रिम 12.87% की वृद्धि के साथ यथा 31.03.2023 को रु. 515,852 करोड़ हो गया।
- यथा 31.03.2023 को, वैश्विक ऋण-जमा अनुपात 77.04% रहा।

वित्तीय मानदण्ड :

- परिचालन लाभ 34.09% की वृद्धि के साथ, 31.03.2023 को रु.13,393 करोड़ रहा जो 31.03.2022 को रु.9,988 करोड़ था।
- गैर ब्याज आय यथा 31.03.2022 को रु.7,879 करोड़ के स्तर से घटकर यथा 31.03.2022 को रु.7,100 करोड़ हो गई।
- वित्तीय वर्ष 2022 में रु.3,405 करोड़ के शुद्ध लाभ की तुलना में वित्तीय वर्ष 2023 में बैंक को रु.4,023 करोड़ का शुद्ध लाभ हुआ है।
- यथा 31.03.2022 के 16.51% की तुलना में पूंजी पर्याप्तता अनुपात यथा 31.03.2023 को 16.28% रहा।
- निवल मालियत (नेट वर्थ), यथा 31.03.2022 को रु. 36,933 करोड़ से 11.35% की वृद्धि के साथ रु.41,127 करोड़ रहा।
- प्रतिशेयर बही मूल्य रु. 100.20 रहा।
- सकल एन.पी.ए राशि 17.36% (अर्थात् रु. 7,920 करोड़) कम होकर यथा 31.03.2023 को रु. 37,686 करोड़ के स्तर पर आ गई जो यथा 31.03.2022 को रु. 45,605 करोड़ थी।
- सकल एन.पी.ए का प्रतिशत जो 31.03.2022 को 9.98% था, वह कम होकर यथा 31.03.2023 को 7.31 प्रतिशत हो गया।
- निवल एन.पी.ए राशि 18.25% (अर्थात् रु. 1,798 करोड़) कम होकर यथा 31.03.2023 को रु.8,054 करोड़ के स्तर पर आ गई जो 31.03.2022 को रु.9,852 करोड़ थी।
- 31.03.2023 को निवल एन.पी.ए प्रतिशत, कम होकर 1.66% हो गया जो 31.03.2022 को 2.34% था।

वर्ष 2022-23 के लिए बैंक के वित्तीय कार्य-निष्पादन का सार इस प्रकार है -

(राशि करोड़ में)

विवरण	2021-22	2022-23	वृद्धि (%)
निवल ब्याज आय	14062	20,275	44.18
गैर-ब्याज आय	7879	7100	-9.89
परिचालन व्यय	11952	13982	16.98
परिचालन लाभ	9988	13393	34.08
प्रावधान/आकस्मिकताएं	6584	9370	42.32
निवल लाभ/हानि	3405	4023	18.16
प्रति शेयर आय (रु.)	8.84	9.80	
प्रति शेयर बही मूल्य (रु.)	89.99	100.20	
इक्विटी पर प्रतिफल (%)	10.55	10.31	
औसत आस्तियों पर प्रतिफल (%)	0.43	0.49	

प्रमुख वित्तीय अनुपात नीचे प्रस्तुत किए गए हैं

(प्रतिशत) (%)

विवरण	2021-22	2022-23
अग्रिमों पर प्रतिफल	6.76	7.37
निवेशों पर प्रतिफल	6.32	6.51
निधियों पर प्रतिफल	5.21	6.15
जमा राशियों की लागत	3.69	3.67
निधियों की लागत	3.29	3.53
निवल ब्याज मार्जिन	2.36	3.01
परिचालन व्ययों की तुलना में गैर ब्याज आय	65.92	50.78
औसत कार्यशील निधि की तुलना में अन्य आय	1.0	0.86
औसत कार्यशील निधि की तुलना में परिचालन व्यय	1.64	1.80
औसत कार्यशील निधि की तुलना में स्टाफ व्यय	0.97	1.08
औसत कार्यशील निधि की तुलना में अन्य परिचालन व्यय	0.67	0.72
आस्ति उपयोग अनुपात	1.37	1.73
कुल आय की तुलना में गैर-ब्याज आय	17.14	12.97
निवल आय की तुलना में गैर-ब्याज आय	35.91	25.94
लागत आय अनुपात	54.48	51.08

पूंजी

बैंक ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान 02.12.2022 को बेसल III अपरिवर्तनीय अतिरिक्त टियर I बॉण्ड जारी करके रु. 1500 करोड़ की पूंजी जुटाई।

पूँजी पर्याप्तता:

- बासेल III फ्रेमवर्क के अनुसार, बैंक की पूँजी पर्याप्तता अनुपात 16.28% था, जो कि विनियामक अपेक्षा अर्थात 11.5% से अधिक है।
- पूँजी पर्याप्तता (बासेल III) का विवरण निम्नानुसार है:

(रु. करोड़ में)

विवरण	बासेल - III			
	31.03.2022		31.03.2023	
सीईटी 1 सीआरएआर	42,695	13.49%	48,232	13.60%
एटी 1 सीआरएआर	1,352	0.44%	2852	0.80%
टियर 1 पूँजी	44,047	13.92%	51,084	14.41%
टियर 2 पूँजी	8,206	2.59%	6,643	1.87%
कुल पूँजी	52,253	16.51%	57,727	16.28%
जोखिम भारित आस्तियां	3,16,395		3,54,534	

कारोबार पहल:

- **''स्टार सुविधा एक्सप्रेस व्यक्तिगत ऋण योजना (एसएसईपीएल)''** विशेष रूप से सैलरी वर्ग एवं हमारे बैंक से पेंशन आहरित करने वाले पेंशनरों के लिए आरंभ की है।
- बैंक ने चैनल फ़ाइनेंसिंग के माध्यम से कारोबार को बढ़ाने हेतु **''सप्लाई चैन फाइनेंस सोल्यूशन कस्टमर पोर्टल''** आरंभ किया है।
- कॉ-लैंडिंग सोल्यूशंस **क्रेड अवेन्यू** के साथ अनुकूलनाधीन है जबकि **नाइट फिनटेक** पूल एवं कॉ-लेंडिंग सोल्यूशंस हेतु एकीकरण एवं अनुकूलनाधीन है।
- हमारी सप्लाइ चेन फ़ाइनेंस के साथ **टीआरईडीएस प्लेटफॉर्म का समेकन** किया गया है।
- तीव्र प्रोसेसिंग और बेहतर अनुपालन हेतु **फोरेक्स कारोबार संव्यवहारों को जीआईएफटी सिटी, गांधीनगर** पर कंद्रीकृत किया गया है।
- बैंक **''इनवॉइस फ़ाइनेंसिंग के लिए जीएसटी सहाय एप''** और **''ऑर्डर आधारित फ़ाइनेंसिंग के लिए जीईएम सहाय एप''** लाने हेतु प्रक्रियाधीन है।
- बैंक ने सीपीएसयूएस एवं केंद्र सरकार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए **''स्टार सीपीएसयू योजना''** शुरू की है।
- बैंक ने Housing.com, Cardekho.com, 4B नेटवर्क एवं सीआईबीआईएल ट्रिगर्स द्वारा स्त्रोत किया गया **''टेक्निकल इंटीग्रेशन फॉर लीड्स जेनेरेशन''** पूरा किया है।
- बैंक ने सभी विदेशी केन्द्रों पर समूहन उधार में एकरूपता प्राप्त करने एवं विनियमित करने के उद्देश्य से **''समूहित ऋण, बाह्य वाणिज्यिक उधार एवं विदेशी मुद्रा ऋण''** पर एक व्यापक नीति तैयार की है।
- बैंक ने मानव संसाधन द्वारा आरंभ किए गए **ईएसजी (पर्यावरण सामाजिक शासन) कार्यक्रम** के तहत सौहार्दपूर्ण कार्य के वातावरण में सुधार करने हेतु विभिन्न स्टाफ कल्याणकारी पहलें की हैं।
- बैंक ने ई-प्लेटफ़ार्म के माध्यम से एमएसएमई खंड में **पीएमएमवाई मुद्रा ऋणों**; रिटेल खंड में **व्यक्तिगत, वाहन एवं पेंशनर ऋण**; कृषि खंड में **स्वर्ण ऋण एवं केसीसी** का डिजिटल प्रसंस्करण शुरू किया है।
- **एथेनॉल उत्पादन क्षमता** में वृद्धि हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए कॉर्पोरेट ऋण के अंतर्गत विशेष योजनाएँ आरंभ की गईं।
- कृषि क्षेत्र में विशेष योजनाएँ जैसे **स्टार किसान घर, स्टार बायो एनर्जि योजना, स्टार किसान सहायता ऋण** आरंभ की गई है।
- बैंक ने **बीओआई बीआईज़ेड पे एप** शुरू किया है।
- **''MissCallPay''** एक डिजिटल भुगतान ऑफ़लाइन समाधान है जो मिस्ड कॉल का उपयोग करके एक फीचर फोन पर यूपीआई आधारित मोबाइल भुगतान की सभी कार्यक्षमता को प्रदान करता है। इंटरनेट कनेक्शन पर इसकी कोई निर्भरता नहीं है। इसलिए यह भारत की ग्रामीण और शहरी कम सेवा वाली आबादी के लिए उपयुक्त है।
- **डिजी लॉकर** आरंभ किया गया है। यह इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई), भारत सरकार द्वारा अपनी डिजिटल इंडिया पहल के तहत प्रदान की जाने वाली एक ऑनलाइन सेवा है।
- **चेक डिपॉज़िट कीऑस्क** - ग्राहकों को बैंक कर्मचारियों के हस्तक्षेप के बिना स्व-संचालित कीऑस्क में चेक जमा करने की सुविधा प्रदान करने के लिए बैंक ने चेक जमा कीऑस्क लगाए हैं।
- **आईसीसीडब्ल्यू (अंतरसंचालित कार्ड रहित नकदी आहरण)** बैंक के उन ग्राहकों जो यूपीआई पर लाइव हैं, को किसी भी प्रतिभागी बैंक के एटीएम से कार्ड का उपयोग किए बिना नकदी आहरित करने की सुविधा दी है।

- एटीएम पर **क्षेत्रीय भाषाओं** को कार्यान्वित किया है।
- बैंक ने डिजिटल बैंकिंग उत्पाद एवं सेवाएँ प्रदान करने के लिए **पूर्वी सिंहभूम एवं खुर्दा में दो डीबीयूएस** का उद्घाटन किया ।
- स्ट्रेट थ्रू ओरिजिनेशन और सभी बैंकिंग उत्पादों को प्रोसेस करने के लिए **ई-प्लैटफ़ार्म समाधान** को कार्यान्वित किया जा रहा है।
- बैंक ने **आरबीआई फ्लोटिंग रेट सेविंग बॉण्ड, 2020** (कर-योग्य) को शुरू करने के लिए शाखाओं को समर्थित किया है।
- बैंक ने सीमाशुल्क में **इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर (ईसीएल) के चरणबद्ध कार्यान्वयन** को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है।
- **''गहन वसूली दिवस''**, **''शाखा अदालत''** मासिक मेगा ई-नीलामी जैसी अनेक योजनाओं और संजीवनी, सक्षम 2 के माध्यम से बैंक के स्टाफ को शामिल करके सुदृढ़ वसूली तंत्र स्थापित किया गया।
- गैर-भेदभावपूर्ण और गैर-विवेकाधीन ओटीएस योजनाओं, यथा **''स्टार संजीवनी''** और **''बीओआई ओटीएस 2021''** को एनपीए के त्वरित समाधान के लिए और अधिक पहुंच के साथ अधिक ग्राहक अनुकूल बनाया गया।
- **दस्तावेज़ प्रबंधन प्रणाली (डीएमएस)** को लागू कर दिया गया है और दस्तावेजों की पुनर्प्राप्ति और अधिक लचीले और परेशानी मुक्त माध्यम से हमारे डेटा को संग्रहीत करने, ट्रैक करने, प्रबंधित करने और एक्सेस करने के लिए इसका प्रभावी ढंग से उपयोग किया जा रहा है।
- सुरक्षा सल्यूशन- बैंक ने **''बैंकों में साइबर सुरक्षा फ्रेमवर्क''** पर दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक के ईकोसिस्टम तंत्र को मजबूत करने के लिए सुरक्षा सल्यूशनों की खरीद की है और उसे कार्यान्वित किया है।
- एसएमए और सास्कल प्रबंधन हेतु **''प्रारंभिक चेतावनी संकेतों''** की ट्रैकिंग के लिए **''तकनीक-संचालित ऋण निगरानी प्रणाली''** का प्रभावी रूप से उपयोग किया गया।
- धोखाधड़ी की निगरानी और प्रबंधन के लिए **''एंटरप्राइज़ वाइड फ्रॉड रिस्क मैनेजमेंट''** फ्रेमवर्क का वास्तविक समय में धोखाधड़ी की निगरानी के लिए प्रभावी ढंग से उपयोग किया जा रहा है।
- **स्टार हंट योजना-** इच्छुक अधिकारियों के पास अपने चुने हुए वर्टिकल में काम करने का अवसर होता है और उनका चयन लिखित परीक्षा और साक्षात्कार पर आधारित होता है। चयन के बाद, ऐसे अधिकारियों को उस वर्टिकल में प्रशिक्षित किया जाता है जिसके लिए उनका चयन किया जाता है और चिन्हित क्षेत्रों में तैनात किया जाता है।
- ग्राहकों को अच्छी सेवा और अधिक कारोबार वृद्धि देने के लिए **अतिरिक्त राष्ट्रीय बैंकिंग समूह और आंचलिक कार्यालय** बनाए गए हैं।

पुरस्कार:

- 31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए आईसीएआई द्वारा बैंक ऑफ इंडिया को **''वित्तीय रिपोर्टिंग में उत्कृष्टता के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की श्रेणी-1 में द्वितीय स्थान''** प्रदान किया गया है।
- बैंक ऑफ इंडिया को सीआईएमएसएमई-नई दिल्ली द्वारा **''एमएसएमई बैंकिंग उत्कृष्टता पुरस्कार-2022''** में **''सर्वश्रेष्ठ प्रगतिशील बैंक-विजेता''** और **''सामाजिक योजना को बढ़ावा देने में सर्वश्रेष्ठ बैंक-रनर अप''** से सम्मानित किया गया है।
- बैंक ऑफ इंडिया को आईएफसीआई वेंचर कैपिटल लिमिटेड द्वारा एससी उद्यमियों को ऋण देने के लिए **''डॉ अम्बेडकर बिजनेस एक्सीलेंस अवार्ड''** से सम्मानित किया गया है।
- बैंक को भारत सरकार के एक प्रमुख कार्यक्रम 'आत्मनिर्भर योजना' के अंतर्गत **''कृषि अवसंरचना निधि योजना में तीसरा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले बैंक''** के रूप में मान्यता दी गई है।
- बैंक ऑफ इंडिया ने पीएफआरडीए द्वारा प्रदत्त **''एनपीएस दिवस मान्यता कार्यक्रम के अंतर्गत सभी बैंकों (सार्वजनिक और निजी) में दूसरा स्थान''** प्राप्त किया है।
- डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए एमईआईटीवाई (इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय) द्वारा स्थापित **''डिजिधन मिशन के तहत बैंक ऑफ इंडिया ने तीसरा स्थान''** प्राप्त किया है।
- बैंक ऑफ इंडिया को आईबीए के 18 वें वार्षिक बैंकिंग प्रौद्योगिकी सम्मेलन में **''बेस्ट फिनटेक कोलैबरेशन(रनर अप)''** तथा **''बेस्ट आईटी रिस्क एंड मैनेजमेंट (रनर अप)''** पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।
- बैंक को शाइन एंड सक्सीड 2022 में पीएफआरडीए एपीवाई अभियान में सर्वोत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए पीएफआरडीए द्वारा उत्कृष्टता के **''न्यूमेरो उनो एग्जेंप्लरी अवार्ड ऑफ पार एक्सिलेन्स''** से सम्मानित किया गया है।
- बैंक ने पीएफआरडीए एपीवाई कैम्पेन मकेर्स ऑफ एक्सेलेंस 5.0 में सर्वोत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए पीएफआरडीए द्वारा **''उत्कृष्टता पुरस्कार''** प्राप्त किया है।
- बैंक ऑफ इंडिया को **''सूचना सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली के लिए आईएसओ 27001: 2013''** और **''व्यवसाय निरंतरता प्रबंधन प्रणाली के लिए आईएसओ 22301: 2019''** से प्रमाणित किया गया है।
- बैंक को **''कोविड प्रतिक्रिया नवाचार''** श्रेणी के लिए बड़े बैंक सेगमेंट में मेसर्स इंफोसिस द्वारा फिनैकल इनोवेशन अवाड्र्स 2021 में **''रनर-अप अवार्ड''** से सम्मानित किया गया।

लक्ष्य, दृष्टिकोण, कार्यनीति एवं भविष्य की योजना:

- अपने मौजूदा ग्राहक आधार का लाभ उठाकर बैंक के खुदरा, कृषि और एमएसएमई (रैम) ऋण प्रोफाइल का विस्तार करें।
- कासा जैसे कम लागत वाली जमाराशियाँ जुटाकर वित्त पोषण लागत को नियंत्रित करना जारी रखें।
- आस्ति गुणवत्ता में सुधार और एनपीए स्तर को नियंत्रित करने पर ध्यान केंद्रित करें।
- क्रॉस सेलिंग के अवसरों को बढ़ाने, लागत को कम करने और ग्राहक अनुभव को बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाएं।
- हमारे व्यवसाय की दीर्घकालिक स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए जोखिम प्रबंधन प्रणालियों में सुधार करना।

निदेशक के उत्तरदायित्व कथन :

निदेशक पुष्टि करते हैं कि मार्च 31, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए वार्षिक खातों को तैयार करने में:

क) लागू लेखा मानकों का पालन किया गया और महत्वपूर्ण परिवर्तन, यदि कोई हो तो उसके लिए उचित स्पष्टीकरण दिया गया है।

ख) भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार बनाई गई लेखांकन नीति का सदैव पालन किया गया है। उचित एवं विवेकपूर्ण निर्णय एवं आकलन किए गए ताकि वित्तीय वर्ष के अंत में बैंक की स्थिति के संबंध में तथा 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष हेतु बैंक के लाभ हानि खाते के विषय में सही एवं उचित दृष्टिकोण प्रस्तुत किया जा सके।

ग) बैंक की आस्तियों की सुरक्षा के लिए एवं धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं का पता लगाने एवं उन्हें रोकने के लिए भारत में कार्यरत बैंकों पर लागू कानूनों के अनुरूप पर्याप्त लेखा रिकार्डों के रखरखाव के लिए उचित एवं उपयुक्त सावधानी रखी जाती है।

घ) वार्षिक लेखा, संस्था की निरन्तरता के आधार पर तैयार किए गए हैं।

ङ) बैंक द्वारा अनुसरण की जाने वाली आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली को स्थापित किया गया है और यह सुनिश्चित किया गया है कि ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर्याप्त हैं और प्रभावी रूप से परिचालन में हैं।

च) समस्त लागू कानूनों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उचित व्यवस्था बनायी गयी है और यह सुनिश्चित किया गया है कि ऐसी व्यवस्था पर्याप्त है और प्रभावी रूप से परिचालन में है।

DIRECTORS' REPORT

The Board of Directors have pleasure in presenting the Bank's Annual Report along with the audited statement of accounts and the cash flow statement for the year ended 31st March 2023.

PERFORMANCE:

Domestic Business:

- Overall Domestic Business of the Bank increased by 5.70% and reached at Rs. 998,700 crore as on 31.03.2023 from Rs. 944,824 crore as on 31.03.2022.
- CASA deposits increased by 2.72% on YOY and stood at Rs. 252,149 crore. Share of low cost deposits (CASA), in domestic deposits stood at 44.73% as on 31.03.2023.
- Total deposits increased by 2.95% and reached at Rs. 567,063 crore as on 31.03.2023 from Rs. 550,833 crore as on 31.03.2022.
- Gross Domestic Advances registered growth of 9.56% YoY, reached at Rs. 431,637 crore as on 31.03.2023 from Rs. 393,991 crore as on 31.03.2022.
- Share of RAM Advances to Total advances is 55.11% (i.e. Rs. 237,884 crore) as on 31.03.2023 as compared to 53.77% (i.e. Rs. 211,843 crore) as on 31.03.2022.
- Priority Sector lending constituted 43.28% of Adjusted Net Bank Credit and the share of Agricultural Credit to Adjusted Net Bank Credit was 19.00%.
- Retail Credit grew by 17.4% from Rs 80,675 crore as on 31.03.2022 to Rs 94,716 crore as on 31.03.2023. The share of Retail Credit to Total Domestic Credit was 21.94% as on 31.03.2023.
- MSME Credit grew by 9.31% from Rs 64,750 crore as on 31.03.2022 to Rs 70,777 crore as on 31.03.2023. The share of MSME Credit to Total Domestic Credit was 16.40% as on 31.03.2023.

Overseas Business:

- Overseas business has increased by 33.30 % and reached at Rs. 186,738 crore as on 31.03.2023 as compared to Rs. 140,086 crore as on 31.03.2022.
- Total Foreign Deposit registered a growth of 33.04 %, reached at Rs. 1,02,523 crore as on 31.03.2023 from Rs. 77,063 crore as on 31.03.2022.
- The Overseas CD Ratio stood at 82.14% as on 31.03.2023.

Global Business:

- Gross Business of the Bank registered a growth of 9.27 %, reached at Rs. 11,85,438 crore as on 31.03.2023 from Rs. 10,84,910 crore as on 31.03.2022.
- Total deposits increased by 6.64% and reached to Rs.669,586 crore as on 31.03.2023 from Rs. 627,896 crore as on 31.03.2022.
- Gross Advances increased by 12.87% and reached at Rs. 515,852 crore as on 31.03.2023.
- The Global CD Ratio stood at 77.04% as on 31.03.2023.

Financial Parameters:

- Operating Profit increased by 34.09% and reached at Rs. 13,393 crore as on 31.03.2023 against Rs.9,988 crore as on 31.03.2022.
- Non-Interest Income decreased to Rs.7,100 cr in FY'23 from Rs. 7,879 crore as on 31.03.2022.
- The Bank registered Net profit of Rs.4,023 cr. In FY'23 as against Net Profit of Rs. 3,405 crore for FY 22.
- Capital Adequacy Ratio stood at 16.28% as on 31.03.2023 as against 16.51% as on 31.03.2022.
- Net Worth increased by 11.35% to Rs. 41,127 crore from Rs. 36,933 crore as on 31.03.2022.
- Book value per share is Rs. 100.20.
- Gross NPA amount reduced by 17.36% (i.e. Rs. 7,920 crore) reached at Rs 37,686 crore as on 31.03.2023 from 45,605 crore as on 31.03.2022.
- Gross NPA percentage reduced to 7.31% as on 31.03.2023 from 9.98% as on 31.03.2022.
- Net NPA amount reduced by 18.25% (i.e. Rs. 1,798 crore) reached at Rs. 8,054 crore as on 31.03.2023 from Rs. 9,852 crore as on 31.03.2022.
- Net NPA percentage reduced to 1.66% as on 31.03.2023 from 2.34% as on 31.03.2022.

The Financial performance of the Bank for the year 2022-23 is summarized below:

(Amount in crore)

Particulars	2021-22	2022-23	Growth (%)
Net Interest Income	14062	20,275	44.18
Non-Interest Income	7879	7100	-9.89
Operating Expenses	11952	13982	16.98
Operating Profit	9988	13393	34.08
Provisions / Contingencies	6584	9370	42.32
Net Profit/ Loss	3405	4023	18.16
Earnings per share (Rs.)	8.84	9.80	
Book Value per share (Rs.)	89.99	100.20	
Return on Equity (%)	10.55	10.31	
Return on Average Assets (%)	0.43	0.49	

Key Financial Ratios are presented below:

(Percentage) (%)

Particulars	2021-22	2022-23
Yield on Advances	6.76	7.37
Yield on Investments	6.32	6.51
Yield on Funds	5.21	6.15
Cost of Deposits	3.69	3.67
Cost of Funds	3.29	3.53
Net Interest Margin	2.36	3.01
Non Interest Income to Operating Expenses	65.92	50.78
Other Income to Average Working Fund	1.0	0.86
Operating Expenses to Average Working Fund	1.64	1.80
Staff Expenses to Average Working Fund	0.97	1.08
Other Operating Expenses to Average Working Fund	0.67	0.72
Asset Utilisation Ratio	1.37	1.73
Non Interest Income to Total Income	17.14	12.97
Non Interest Income to Net Income	35.91	25.94
Cost to Income Ratio	54.48	51.08

CAPITAL:

During the financial year 2022-23, Bank has raised Rs.1,500 Crore by issue of Basel III compliant Additional Tier I bonds on 02.12.2022.

CAPITAL ADEQUACY:

- As per Basel III framework, the Bank's Capital Adequacy Ratio was 16.28% which is higher than the regulatory requirement of 11.5 %.
- Details of Capital Adequacy (BASEL III) are :

(Rs. in crore)

Particulars	BASEL-III			
	31.03.2022		31.03.2023	
CET1 CRAR	42,695	13.49%	48,232	13.60%
AT1 CRAR	1,352	0.44%	2852	0.80%
Tier I Capital	44,047	13.92%	51,084	14.41%
Tier II Capital	8,206	2.59%	6,643	1.87%
Total Capital	52,253	16.51%	57,727	16.28%
Risk Weighted Assets	3,16,395		3,54,534	

BUSINESS INITIATIVES:

- **"Star Suvidha Express Personal Loan scheme (SSEPL)"** launched exclusively for salaried class and pensioners drawing pension through our Bank.
- Bank has launched **"Supply Chain Finance solution customer portal"** to increase business through Channel Financing.
- The Co-Lending solutions is under customization with **Cred Avenue** whereas **Knight Fintech** is under integration & customization for Pool & Co-Lending solutions.
- **Integration of TReDS platform** has been implemented with our Supply Chain finance.
- **Forex business transactions are centralised at GIFT City, Gandhinagar** for faster processing and better compliance.
- Bank is under process of on boarding **"GST Sahay App for invoice financing"** and **"GEM Sahay App Order Based financing"**.
- Bank has launched **"Star CPSU Scheme"** for catering to the requirements of CPSUs & Central Government
- Bank has completed **"Technical Integration for leads generation"** sourced by – housing.com, cardekho.com, 4B Network and CIBIL triggers.
- Bank has formulated a Comprehensive Policy on **"Syndicated Loans, External Commercial Borrowings and Foreign Currency Loans"** with an objective to regulate and achieve uniformity in syndication lending at all foreign centres.
- Bank has taken various staff welfare initiatives to improve cordial working atmosphere under **ESG (Environmental Social Governance) progarmme** launched by Human Resources.
- Bank has started Digital processing of **PMMY MUDRA Loans** product in MSME segment; **Personal, Vehicle and Pensioner loan** in Retail Segment; **Gold Loan and KCC** in Agriculture segment through e-platform.
- Special schemes to lend for augmentation of **Ethanol Production Capacity** launched under Corporate Credit.
- Schemes like **Star Kisan Ghar, Star Bio Energy Scheme, Star Kisan Sahayata Loan** has been launched in Agriculture segment.
- Bank has launched **BOI BIZ Pay app.**
- **"MissCallPay"** is digital payment offline solution that provides all the functionality of UPI based mobile payments over a feature phone using Missed Call. It does not have any dependency on internet connection. Hence it is suitable for rural and urban under-served population of India.
- **Digi Locker** has been launched. It is an online service provided by Ministry of Electronics and IT (MeitY), Government of India, under its Digital India initiative.
- **Cheque Deposit Kiosks** has been deployed for providing facility to the customers to deposit cheques in the self-operated Kiosks without intervention of bank staff.
- **ICCW (Interoperable Cardless Cash Withdrawal),** To Facilitate bank's customers who are live on UPI, to withdraw cash from any participating banks' ATMs without using their card.
- **Regional Language** implementation at ATM.
- Bank has inaugurated **two DBUs in East Singhbhum and Khurda** to deliver the Digital Banking products & services.
- **E-PLATFORM solution** is being implemented for Straight Through Origination and process up all Banking products.

- Bank has enabled branches for opening of **RBI Floating Rate Saving Bond, 2020** (Taxable).
- Bank has successfully completed **phased implementation of Electronic Cash Ledger (ECL)** in Customs.
- Robust Recovery mechanism through initiatives like **"Intensive Recovery Day", "Branch Adalat"** monthly mega E-auction and involving in-house staff such as "**Sanjeevani", "Saksham-2"** put in place.
- Non-discriminatory and Non-discretionary OTS Schemes, namely "**Star Sanjeevani**" and "**BOI OTS 2021**" were made more customer friendly with greater reach for quick resolution of NPAs.
- **Document Management System (DMS)** has been implemented for digital retrieval of documents and also digitally storing, tracking, managing and accessing data in a more flexible and hassle freeway.
- Security Solutions- Bank has procured and implemented security solutions for strengthening ecosystem of the bank as per guidelines on "**Cyber Security Framework in Banks**".
- "**Tech-driven Credit Monitoring System**" for tracking of "Early Warning Signals" effectively used for SMA and SASCL management.
- **"Enterprise wide Fraud Risk Management**" framework for real-time fraud monitoring is being effectively used for fraud monitoring and management
- **Star Hunt scheme-** Interested Officers have an opportunity to work in their chosen vertical and their selection is based on written examination and interview. After selection, such officers are trained in the vertical they are selected for and are posted in identified fields.
- **Additional National Banking Group and Zonal Offices** created to give good service to customers and more business Growth.

AWARDS:

- Bank of India has been adjudged as the "**Second Best in Category-I Public Sector Banks for Excellence in Financial Reporting**" by ICAI for the year ended 31.03.2022
- Bank of India has been awarded with "**Best Innovative Bank- Winner** " and "**Best Bank For Promoting Social Scheme- -Runner Up**" in "**MSME Banking Excellence Award-2022"** by CIMSME-New Delhi.
- Bank of India has been awarded "**Dr. Ambedkar Business Excellence Award"** for lending to SC Entrepreneurs awarded by IFCI Venture Capital Ltd.
- Bank has been recognized as **"3rd best performing bank in Agriculture Infrastructure Fund Scheme"** under Atmanirbhar Scheme, a flagship programme of GOI.
- Bank of India has secured **"2nd position among all banks(Public and Private) under NPS Diwas Recognition Programme**" conferred by PFRDA.
- Bank of India has secured **3rd rank under Digidhan Mission** setup by Meity (Ministry of Electronics and Information Technology) for promotion of Digital Payments.
- Bank of India has awarded with **"Best Fintech collaboration (Runner-up)"** and **"Best IT risk and management (Runner-up)**" at IBA's 18th Annual Banking Technology Conference.
- Bank has been awarded with "**NUMERO UNO EXEMPLARY AWARD OF PAR EXCELLENCE**" from PFRDA for best performance in PFRDA APY CAMPAIGN in SHINE & SUCCEED 2022.
- Bank has won "**AWARD OF EXCELLENCE**" from PFRDA for best performance in PFRDA APY CAMPAIGN MAKERS OF EXCELLENCE 5.0.
- Bank of India has been certified with "**ISO 27001:2013 for Information Security Management System"** and "**ISO 22301:2019 for Business continuity Management System**".
- Bank was awarded with **"Runners-Up Award"** in Finacle Innovation Awards 2021 from M/s Infosys in Large Bank Segment for Category "COVID Response Innovation"

VISION, STRATEGY AND FUTURE OUTLOOK:

- Expand the Bank's Retail, Agriculture and MSME (RAM) lending profile by leveraging its existing customer base.
- Continue to contain funding cost by sourcing low cost deposits such as CASA.
- Focus on improving asset quality and containing NPA levels.
- Leverage technology to increase cross selling opportunities, reduce cost and enhance customer experience.
- Improving Risk Management Systems to ensure long-term sustainability of our business.

DIRECTORS' RESPONSIBILITY STATEMENT:

The Directors confirm that in the preparation of the annual accounts for the year ended March 31, 2023:

a) The applicable accounting standards have been followed along with proper explanation relating to material departures, if any,

b) The accounting policies framed in accordance with the guidelines of the Reserve Bank of India were consistently applied. Reasonable and prudent judgements and estimates were made so as to give a true and fair view of the state of affairs of the Bank at the end of the financial year and of the profit and loss of the Bank for the year ended March 31, 2023.

c) Proper and sufficient care for the maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of applicable laws governing banks in India for safeguarding the assets of the Bank and for preventing and detecting fraud and other irregularities,

d) Annual accounts have been prepared on a going concern basis,

e) Internal financial controls system to be followed by the Bank were laid down and that such internal financial controls are adequate and were operating effectively,

f) Proper systems have been devised to ensure compliance with the provisions of all applicable laws and that such systems were adequate and operating effectively.

प्रबंधन विचार - विमर्श एवं विश्लेषण

1. वैश्विक परिदृश्य

वर्ष 2022-23 कई मामलों में अद्वितीय था। इस अवधि के दौरान कई झटके लगे और चुनौतियां आईं, जिससे आर्थिक अनिश्चितता, भू-राजनीतिक शत्रुता, रूस-यूक्रेन युद्ध द्वारा उत्पन्न वित्तीय अस्थिरता ने आपूर्ति श्रृंखलाओं की बहाली को बाधित किया और वैश्विक आर्थिक सुधार प्रक्रिया में बाधा डाली। इसका परिणाम यह रहा कि खाद्य, ईंधन और उर्वरक की बढ़ती कीमतों से दुनिया भर में मुद्रास्फीति का दबाव लगातार बना रहा। इस स्थिति का मुकाबला करने के लिए, दुनिया भर के केंद्रीय बैंकों ने मौद्रिक नीति को कड़ा किया और नीतिगत दरों में तेजी से वृद्धि की। इससे खपत और उत्पादन में संकुचन के कारण वैश्विक आर्थिक विकास की संभावनाओं के लिए एक नकारात्मक जोखिम उत्पन्न हुआ। आईएमएफ के अनुमान के अनुसार, 2021 के दौरान 6.4% की वृद्धि के मुकाबले, 2022 के दौरान वैश्विक उत्पादन संकुचित हो कर 3.4% हो गया। उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में 2.7% की वृद्धि हुई और उभरते बाजार और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में 4.0% की वृद्धि हुई। इस प्रकार आपूर्ति श्रृंखला व्यवधानों के साथ वैश्विक विकास की धीमी गति ने भी वैश्विक व्यापार को नियंत्रित किया। वैश्विक व्यापार वृद्धि 2021 में 10.4% से घटकर 2022 में 5.1% हो गई। वैश्विक मुद्रास्फीति 2021 में 4.7% से बढ़कर 2022 में 8.7% के उच्च स्तर पर पहुंच गई। उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं में बड़े पैमाने पर मुद्रा मूल्यह्रास, पूंजी पलायन हुआ, निवेशक जोखिम से बचने का प्रयास करने लगे और ऋण-संकट की स्थित उत्पन्न हुई।

यूएस और यूरोप में बैंकिंग क्षेत्र की उथल-पुथल के रूप में वित्तीय वर्ष 23 के अंत में वैश्विक अर्थव्यवस्था में अशांति का नया चरण सामने आया। इससे बैंकिंग क्षेत्र की कमजोरियां सामने आईं और व्यापक वित्तीय क्षेत्र में इसके फैलने का डर बढ़ गया।

2. घरेलू आर्थिक परिदृश्य :

वैश्विक स्पिलओवर्स की चुनौतियों के बावजूद, भारतीय अर्थव्यवस्था घरेलू आपूर्ति श्रृंखलाओं के सामान्यीकरण, उपभोक्ता विश्वास की बहाली और संपर्क गहन क्षेत्रों में गतिविधि के पुन: उत्थान के कारण पुनर्प्राप्ति के पथ पर बनी रही। अर्थव्यवस्था ने, मजबूत मैक्रोइकॉनॉमिक फंडामेंटल, अच्छी तरह से विनियमित और पूंजीकृत बैंकिंग क्षेत्र और कॉर्पोरेट क्षेत्र की मजबूत बैलेंस शीट के कारण लचीलापन और स्थिरता का प्रदर्शन किया। इससे क्रेडिट-मांग में फिर से वृद्धि आई और सरकार द्वारा पूंजी व्यय में बड़ी वृद्धि से इसे सहायता मिली।

राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) के नवीनतम अनुमान के अनुसार, वैश्विक स्तर पर विपरीत परिस्थितियों के बीच भी 2022-23 में सकल घरेलू उत्पाद में 7% की वृद्धि हुई है। इसके साथ ही, भारतीय अर्थव्यवस्था 2022-23 के दौरान दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक बन गई। 2022-23 में कृषि और संबद्ध क्षेत्र में तेजी रही। इस क्षेत्र में खाद्यान्न, गन्ना, रेपसीड और सरसों के रिकॉर्ड उत्पादन के परिणामस्वरूप सकल मूल्य संवर्धन ने 3.3% की वृद्धि दर्ज की।

औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) द्वारा मापे गए औद्योगिक उत्पादन में वि.वर्ष 23 के दौरान 5.1% की वृद्धि दर दर्ज की गई जो पिछले वर्ष 11.4% थी। तीन उप-क्षेत्रों में, विनिर्माण क्षेत्र ने बड़े पैमाने पर औद्योगिक क्षेत्र की रिकवरी को आकार दिया लेकिन वैश्विक मांग में मंदी ने वित्त वर्ष 23 की दूसरी छमाही में विनिर्माण गतिविधि को प्रभावित किया और विकास दर कम होकर 4.5% के स्तर पर आ गई। वहीं दूसरी ओर खनन ने 5.8% की वृद्धि दर्ज की और बिजली उत्पादन ने 2022-23 में 8.9% की अच्छी वृद्धि दर्ज की। उपयोग-आधारित वर्गीकरण के अनुसार, प्राथमिक वस्तुओं और बुनियादी ढाँचे/निर्माण वस्तुओं ने वर्ष-दर-वर्ष आधार पर मजबूत वृद्धि दर्ज की, जबकि पूंजीगत वस्तुओं के उत्पादन को, बुनियादी ढाँचे में सरकार द्वारा किये गए निवेश से प्रोत्साहन मिला। इसके अतिरिक्त, टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन, 2019-20 के महामारी पूर्व उत्पादन स्तर से नीचे रहने तथा 2022-23 में गैर-टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन लगभग सपाट होने के कारण उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन शिथिल रहा।

सेवा क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियों में फिर से तेजी देखी गई और यह 2022-23 में निर्माण, घरेलू व्यापार और परिवहन के नेतृत्व में मजबूती से पुनरुज्जीवत हुआ तथा अपने महामारी पूर्व स्तर को पार कर गया। वहीं दूसरी ओर विमानन, पर्यटन और हॉस्पिटैलिटी जैसे कोविड-19 महामारी से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्रों में काफी सुधार हुआ है।

विशेष रूप से वर्ष की पहली छमाही के दौरान, आपूर्ति पक्ष की समस्या, कच्चे तेल, खाद्य, उर्वरक और धातुओं की वैश्विक कीमतों में तेज वृद्धि जैसे विभिन्न कारकों के कारण खुदरा मुद्रास्फीति (सीपीआई) और डब्ल्यूपीआई, दोनों ऊंचे स्तर पर रहे। अत: युद्ध के बाद की परिस्थितियों में आपूर्ति में नए प्रकार की रुकावटों के साथ-साथ उच्च इनपुट लागतों को उपभोक्ताओं को अंतरित करने के कारण स्थिति और भी गंभीर हो गई। हालांकि वैश्विक कमोडिटी कीमतों में नरमी, सरकार द्वारा उठाए गए उपायों की तत्परता, वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं के सामान्य होने और आरबीआई द्वारा नीतिगत रेपो दर में लगातार बढ़ोतरी के कारण, वर्ष 2022-23 की दूसरी छमाही में मुद्रास्फीति में कमी आई। समग्र हेडलाइन सीपीआई मुद्रास्फीति, 2021-22 में 5.5% से बढ़कर 2022-23 में 6.7% हो गई, जो पूरे वर्ष के दौरान कोर मुद्रास्फीति में अवरुद्धता को प्रदर्शित करती है तथा यह महामारी पूर्व स्तर से ऊपर रही है।

वैश्विक मंदी और लगातार भू-राजनीतिक तनाव के बावजूद, भारत का व्यापारिक निर्यात 6.7% बढ़ा और पिछले वर्ष में 44.6% की तुलना में 2022-23 में 450.4 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया। निर्यात वृद्धि का प्रमुख भाग पेट्रोलियम उत्पाद थे जिनकी निर्यातों में हिस्सेदारी वित्त वर्ष 22 में 16% से बढ़कर वित्त वर्ष 23 में 21.6% हो गई। इसके अलावा सॉफ्टवेयर सेवाओं के नेतृत्व में 27.9% की रिकॉर्ड वृद्धि के साथ सेवा निर्यात में मजबूत वृद्धि देखी गई। हालांकि, 2022-23 के दौरान मजबूत घरेलू मांग में सुधार के कारण निर्यात की तुलना में व्यापारिक आयात में 16.5% की तेजी से वृद्धि हुई और इसी अवधि के दौरान 714.0 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया। इसके साथ, व्यापार घाटा पिछले वर्ष 192.24 बिलियन डॉलर से लगभग 38% बढ़कर वित्त वर्ष 23 में 263.6 बिलियन डॉलर हो गया। 2022-23 के दौरान, एफडीआई के तहत शुद्ध प्रवाह 28 बिलियन डॉलर था, जो 2021-22 (यानी 38.6 बिलियन डॉलर) की तुलना में थोड़ा कम है। हालांकि, शुद्ध पोर्टफोलियो बहिर्वाह, वर्ष के दौरान 5.9 बिलियन डॉलर था। वित्त वर्ष 2023

के दौरान नौ महीनों की अवधि के लिए, हालांकि चालू खाता घाटा (सीएडी) जीडीपी का 2.7% था, जबकि वित्त वर्ष 2022 की इसी अवधि के दौरान यह 1.1% था, लेकिन यह टिकाऊ स्तर के भीतर रहा। इन कारकों के परिणामस्वरूप मार्च 22 के अंत से मार्च 23 के अंत तक विदेशी मुद्रा भंडार में 28.9 बिलियन डॉलर की गिरावट आई और यह 578.4 बिलियन डॉलर रहा और 2022-23 के लिए इसने लगभग 9 महीनों के अनुमानित आयात को कवर प्रदान किया। फिर भी, भारतीय अर्थव्यवस्था बाहरी मोर्चे पर भी लचीली दिखाई दी, जिसमें बाहरी ऋण (जीडीपी के अनुपात के रूप में) और अन्य जैसे भेद्यता संकेतक, अधिकांश समकक्ष उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में बेहतर प्रदर्शन कर रहे थे।

राजकोषीय मोर्चे पर, अर्थव्यवस्था की वापसी के साथ, जीएसटी संग्रह, आयकर और निगम कर में उल्लेखनीय वृद्धि के कारण कर राजस्व मजबूत बना रहा और राजस्व व्यय को युक्तिसंगत बनाया गया। सकल राजकोषीय घाटा वित्त वर्ष 2022 में जीडीपी के 6.75% से बढ़कर वित्त वर्ष 2023 (संशोधित अनुमानों के अनुसार) में जीडीपी का 6.45% हो गया। वर्ष के दौरान केंद्र सरकार द्वारा पहली बार सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड (एसजीआरबी) जारी करना राजकोषीय क्षेत्र में एक ऐतिहासिक घटनाक्रम था। बॉन्ड की आय का उपयोग उन सार्वजनिक क्षेत्र की परियोजनाओं में किया जाएगा जो अर्थव्यवस्था की उत्सर्जन तीव्रता को कम करते हैं।

3. बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र के विकास :

वित्त वर्ष 2023 के दौरान, बैंकिंग उद्योग ने उच्च अग्रिम वृद्धि और कम जमा वृद्धि देखी। वित्त वर्ष 2022 में 9.6% की तुलना में अग्रिमों में 15% की दोहरे अंक की वृद्धि दर्ज की गई और वित्त वर्ष 2022 के दौरान जमा में 8.9% की तुलना में 9.6% की वृद्धि हुई। वर्ष के दौरान उपभोक्ता आशावाद की वापसी और कारोबार दृष्टिकोण में सुधार से ऋण वृद्धि में निरंतरता बनी रही। सभी उप-क्षेत्रों अर्थात कृषि, औद्योगिक और सेवा क्षेत्र के लिए ऋण प्रवाह में क्रमशः 15.4%, 5.7% और 19.8% की वृद्धि हुई, जो औद्योगिक क्षेत्र को छोड़कर पिछले वर्ष के दौरान की तुलना में बहुत अधिक थी।

बढ़ते ब्याज दर चक्र में एनआईआई में वृद्धि के संदर्भ में बैंकों का वित्तीय प्रदर्शन उत्साहजनक रहा, जिससे परिचालन लाभ, शुद्ध लाभ में प्रबल वृद्धि हुई, और आरओए तथा आरओई अनुपात में सुधार हुआ। आस्ति गुणवत्ता में भी काफी सुधार हुआ है, जीएनपीए अनुपात 5% से नीचे आ गया है और एनएनपीए 2% से कम हो गया है और ताज़ा स्लिपेज पर नियंत्रण हुआ। डिजिटलीकरण और समावेशी विकास पर जोर देने के साथ, देश में बैंकिंग लेनदेन करने के डिजिटल तरीकों को अपनाने के लिए देश के 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंकिंग इकाइयां (डीबीयू) स्थापित की गईं। 31 मार्च, 2023 तक डीबीयू की संख्या बढ़कर 84 हो गई। इसके अलावा, आरबीआई ने वर्ष के दौरान क्रमशः 1 नवंबर, 2022 और 1 दिसंबर, 2022 को थोक और खुदरा क्षेत्रों में चरणबद्ध तरीके से सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (सीबीडीसी) की शुरुआत की।

हालांकि आरबीआई द्वारा मौद्रिक नीति में उदार रुख को वापस लेने से सिस्टम में अधिशेष चलनिधि के स्तर में धीरे-धीरे कमी आई, अर्थव्यवस्था के उत्पादक क्षेत्रों की ऋण जरूरतों को पूरा करने हेतु चलनिधि की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए एक नपे तुले दृष्टिकोण का पालन किया गया। अप्रैल 2022 में, स्थायी जमा सुविधा (एसडीएफ) की शुरुआत की गई, जिसने बैंकों को सरकारी प्रतिभूतियों के रूप में संपार्श्विक की आवश्यकता के बिना आरबीआई के पास अतिरिक्त धनराशि को जमा करने में सक्षम बनाया। इसका उद्देश्य संपार्श्विक मुक्त तरीके से प्रभावी चलनिधि का प्रबंधन करना था। 2022-23 के दौरान एसडीएफ के तहत औसत दैनिक अवशोषण 1.5 लाख करोड़ था जबकि वीआरआरआर नीलामियों के माध्यम से औसत अवशोषित राशि 1.4 लाख करोड़ थी। सीआरआर में 50 आधार अंकों की वृद्धि के साथ 4.5% हो गया, जिसके परिणामस्वरूप बैंकिंग प्रणाली से 87,000 करोड़ रुपये की प्राथमिक चलनिधि की निकासी हुई। दैनिक निवल चलनिधि अवशोषण मार्च 2022 में 6.6 लाख करोड़ रु. के दैनिक औसत से नीचे गिरकर मार्च 2023 में 0.14 लाख करोड़ हो गया। जीएसटी भुगतान, अग्रिम कर बहिर्गमन और सामान्यतः वर्षांत की तंगी के कारण प्रतिरोधी चलनिधि दबाव का मुकाबला करने के लिए, समय-समय पर वीआरआरआर नीलामी आयोजित की गई।

दुनिया भर में उच्च मुद्रास्फीति और नीतिगत दरों में बढ़ोतरी की चिंताजनक स्थिति के कारण सरकारी-प्रतिभूति प्रतिफल वित्त 2023 की पहली तिमाही के दौरान उन्नयन पथ की ओर चला गया तथा इसमें वृद्धि हुई। तथापि वृहद् आर्थिक परिस्थितियों में बदलाव जैसे- कच्चे तेल की कीमतें कम होने, मुद्रास्फीति के स्तर में गिरावट, दर बढ़ोतरी की धीमी गति और अमेरिका में सरकारी बॉन्ड प्रतिफल में सामान्य कमी के कारण प्रतिफल कभी-कभी कम हुआ लेकिन फिर बढ़ गया। 10 साल की बेंचमार्क यील्ड 31 मार्च, 2022 को 6.79% से बढ़कर यथा 30 जून 2023 को 7.50% की ऊंचाई तक गई और 31 मार्च, 2023 को 7.31% पर आ कर रुकी।

रुपये-यूएसडी विनिमय दर में वर्ष के दौरान वैश्विक घटनाओं के अनुसार व्यवस्थित उतार-चढ़ाव रहा, ज़्यादातर यह नॉमिनल आधार पर मूल्यह्रास के साथ रहा। अप्रैल 2022 से दिसंबर 2022 तक अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपये में 8.3% की गिरावट आई है। यूएसडी के मुकाबले रुपए के मूल्यह्रास को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक विदेशी पोर्टफोलियो निवेश में बहिर्गमन, अन्य सभी मुद्राओं के मुकाबले यूएसडी का अधिमूल्यन, कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि, मौद्रिक नीति के सामान्यीकरण तथा भू-राजनीतिक तनाव थे।

रुपया-यूएसडी विनिमय दर दिनांक 31 मार्च, 2022 को रु.75.79 से बढ़कर 31 मार्च, 2023 को रु.82.18 हो गई। हालांकि, अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपये का मूल्यह्रास उभरते बाजारों की मुद्राओं की तुलना में कम है।

वर्ष 2022-23, सरकार और आरबीआई द्वारा किए गए कई नीतिगत उपायों के संदर्भ में महत्वपूर्ण था, जो वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच लचीलापन बनाए रखने के लिए स्थिरता, सतत विकास को बढ़ावा देने और प्रणाली को मजबूत करने हेतु पुराने प्रचलन को जारी रखा है। आरबीआई ने उदारता का रवैया वापस ले लिया और विकास को बढ़ावा देते हुए मुद्रास्फीति की संभावनाओं को कम करने हेतु नीतिगत रेपो दर में 250 आधार अंकों की वृद्धि की। विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) 2023 की घोषणा 31 मार्च, 2023 को की गई थी ताकि आसानी से व्यापार करने और भारतीय रुपये में अधिक व्यापार की खोज करके निर्यात अनुकूल वातावरण को बढ़ावा दिया जा सके। राजकोषीय

मोर्चे पर, वित्त वर्ष 2023 के पहले आठ महीनों में सरकार के पूंजीगत व्यय में 63.4% की वृद्धि हुई, जिससे निजी निवेश बढ़ा और अर्थव्यवस्था में एनिमल स्पिरिट्स (आंतरिक मूल्य के बजाय मानव भावनाओं के आधार पर उतार-चढ़ाव) बढ़ने से पूंजी निवेश चक्र में तेजी आई। इसके अलावा आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया कार्यक्रम पर ध्यान केंद्रित करते हुए, पीएलआई योजनाओं को विनिर्माण क्षमताओं को बढ़ाने हेतु अन्य क्षेत्रों में भी विस्तारित किया गया है। इसके अतिरिक्त, केंद्रीय बजट 2022-23 में विकास की गति को बढ़ावा देने और वैश्विक चुनौतियों के खिलाफ राहत प्रदान करने हेतु सरकार ने विभिन्न विकास-उन्मुख उपायों की घोषणा की है जैसे कि रु.10 लाख करोड़ तक पूंजी निवेश में 33% की वृद्धि, 'गति शक्ति' के साथ बुनियादी ढांचे पर जोर देना, नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी (एनएलपी) के तहत अंतिम मील कनेक्टिविटी के लिए लॉजिस्टिक्स बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देना, डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे के माध्यम से कृषि विस्तार सेवाओं को मजबूत करना आदि।

कारोबार समीक्षा:

1. संसाधन संग्रहण:

वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान 2.72% की वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि को दर्शाते हुए कुल रु. 6,684 करोड़ की कासा वृद्धि हुई है। इस अवधि के दौरान पिछले वर्ष की तुलना में 2.64% की दर से बचत बैंक जमाराशियों में रु. 5,711 करोड़ की उच्चतर वृद्धि दर्ज की गई है। बैंक ने पिछले वर्ष की तुलना में 3.26% की वृद्धि के साथ आधार आकड़ों में रु. 974 करोड़ की वृद्धि करते हुए चालू जमाराशियों में भी वृद्धि दर्ज की है। मीयादी जमा राशियों ने भी पिछले वर्ष की तुलना में 3.91% की वृद्धि के साथ रु. 11,732 करोड़ की वृद्धि दर्ज की है।

167418 नये ग्राहकों को एसबी डायमंड ग्राहक आधार में जोड़ा गया है जो वर्ष-दर-वर्ष आधार पर 4.75% की वृद्धि है। एसबी डायमंड ग्राहकों की जमाराशि आधार में रु.7,647 करोड़ की वृद्धि हुई है। इसी प्रकार, सीडी डायमंड आधार में 2600 नए ग्राहक जोड़े गए जो कि पिछले वर्ष की तुलना में 1.96% की वृद्धि है।

वित्तीय वर्ष 2022-23 के अंत में कासा अनुपात 44.73% रहा। बैंक ने रिटेल जमाराशियों तथा कासा पर ध्यान केन्द्रित करना जारी रखा है।

2. अग्रिम :

बैंक का वैश्विक सकल अग्रिम, यथा 31.03.2022 के रु.457,014 करोड़ से बढ़कर यथा 31.03.2023 को रु.515,852 करोड़ हो गया। यह वर्ष-दर-वर्ष 12.87% की वृद्धि को दर्शाता है। सकल घरेलू ऋण में 9.55% की संतुलित वृद्धि दर्ज की गयी। यह 31.03.2022 को रु.393,991 करोड़ था जो 31.03.2023 को रु.431,637 करोड़ हो गया। बैंक, ए.जी.एम./सी.एम. की अध्यक्षता में 10 लार्ज कॉर्पोरेट शाखाओं तथा अन्य बड़ी शाखाओं के माध्यम से कॉर्पोरेट/मिड कॉर्पोरेट की विशेषीकृत आवश्यकताओं को पूरा करता है। इसके अतिरिक्त निर्धारित केंद्रों पर 18 शाखाओं को मध्य कॉर्पोरेट कारोबार के लिए चिह्नित किया गया है।

3. रिटेल:

वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान रिटेल ऋण खंड में 17.41% और योजनाबद्ध रिटेल में 18.01% की वृद्धि हुई। वर्ष के दौरान हमने आवास ऋणों और वाहन ऋणों पर विशेष ध्यान दिया है। वर्ष के दौरान आवास ऋण सेगमेंट रु.44,895 करोड़ से बढ़कर रु.51,897 करोड़ हो गया तथा उसमें 15.60% की वृद्धि दर्ज़ की गई। वर्ष के दौरान वाहन ऋण सेगमेंट रु. 10,353 करोड़ से बढ़कर रु.13,584 करोड़ हो गया तथा इसमें 31.21% की वृद्धि दर्ज की गई।

हमने वेतनभोगी ग्राहकों, आवास ऋण, संपत्ति पर ऋण (एलएपी) और शिक्षा ऋण का लाभ उठाने वाले मौजूदा ग्राहकों और पेंशनभोगियों के लिए वर्ष के दौरान स्टार सुविधा एक्सप्रेस पर्सनल लोन की शुरुआत की है। वैयक्तिक ऋण सेगमेंट में 26.12% की वृद्धि दर्ज की गई, जो 5,483 करोड़ रुपये से बढ़कर 6,915 करोड़ रुपये हो गई।

बैंक ने वाहन ऋणों के लिए मारुति सुज़ुकि, टाटा मोटर्स, महिंद्रा एण्ड महिंद्रा तथा किआ मोटर्स के साथ टाई-अप व्यवस्था की है। इसी प्रकार, आवास ऋणों के लिए Housing.com, Nobroker.com एवं Prop Tiger के साथ टाई-अप व्यवस्था है।

पीएसयू/पीएसई/प्रतिष्ठित कॉरपोरेट्स/संस्थाओं के कर्मचारियों को, नियोक्ता के साथ टाई-अप व्यवस्था के तहत बैंक वैयक्तिक ऋण भी उपलब्ध कराता है।

आवास ऋण, वाहन ऋण और वैयक्तिक ऋणों के अलावा हम संपत्ति पर ऋण और शिक्षा ऋण भी उपलब्ध कराते हैं।

4. एमएसएमई (सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम):

एमएसएमई क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था का आधार है तथा निम्न प्रति व्यक्ति निवेश से अर्थव्यवस्था की विकेंद्रीकृत वृद्धि द्वारा आय और रोजगार के सृजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। राष्ट्र की 30.74% कुल जीडीपी और 49.35% कुल निर्यात में एमएसएमई क्षेत्र का योगदान है। घरेलू तथा वैश्विक स्तर पर कोविड संबंधी प्रतिबंधों में क्रमिक ढील के कारण आर्थिक गतिविधियों में तेजी आने से मांग वसूली के सहारे वर्तमान वित्तीय वर्ष 2022-23 में एमएसएमई क्षेत्र में 15-17 प्रतिशत की वृद्धि के साथ पुन: तीव्र सुधार की संभावना है।

मेक इन इंडिया, स्टार्ट अप इंडिया, डिजिटल इंडिया, आत्मनिर्भर भारत और ईज़ रिफॉर्म जैसे कार्यक्रमों पर ध्यान देने के कारण बैंक स्तर पर एमएसएमई ऋणों में महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं।

एमएसएमई खंड के अंतर्गत बैंक का कार्यनिष्पादन निम्नानुसार है:-

सकल एमएसएमई अग्रिम (पीडबल्यूओ व यूआरआई को छोडकर)					
विवरण	मार्च-22	दिस-22	मार्च-23	वर्ष दर वर्ष वृद्धि	वर्ष दर वर्ष वृद्धि (%)
सकल एमएसएमई	64750	69250	70777	6027	9.31%

वित्तीय वर्ष 2022-23 की विशेषताएँ :

- वित्त वर्ष 22-23 के दौरान रु. 21,424 करोड़ की ऋण राशि के लिए 4,00,272 नए एमएसएमई ऋण खाते जोड़े गए हैं।

- बैंक ने रु. 10 लाख तक के एमएसएमई ऋणों के डिजिटल प्रसंस्करण के लिए ई-प्लेटफॉर्म शुरू किया है।
- बैंक ने वर्ष के दौरान मुद्रा ऋण के तहत रु. 8273.58 करोड़ मंजूर किए हैं।
- ईसीएलजीएस कारोबार मार्च 2023 तक रु. 9002.64 करोड़ के स्तर पर पहुंच गया।
- बैंक ने रु. 2000.00 करोड़ के टीआरईडीएस कारोबार को पार कर लिया है और मार्च 2023 के अंत में रु. 2,134.38 करोड़ था।
- एमएसएमई पोर्टफोलियो को बढ़ाने और एमएसएमई ऋणों के बाजार में प्रवेश करने के लिए, वित्त वर्ष 22-23 के दौरान कारोबार सोर्सिंग एसोसिएट्स (बीएसए) पर नीति को मंजूरी दी गई है। बीएसए संभावित एमएसएमई उधारकर्ताओं के साथ जुड़ने के लिए बैंक की विस्तारित शाखा के रूप में काम करेगा।
- बैंक ने अपने स्वयं के पोर्टल के शुभारंभ के साथ चैनल फाइनेंस कारोबार को डिजिटल बनाया है।
- एमएसएमई ऋणों के लिए बैंक के केंद्रीकृत प्रोसेसिंग केंद्रों (एसएमईसीसी/एसएमईयूसी) को देश भर में बढ़ाकर 98 कर दिया गया है।
- चैंबर ऑफ इंडियन माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज (एफ्सएई), नई दिल्ली द्वारा बैंक ऑफ इंडिया को **''इनोवेटिव बैंक''** श्रेणी में विजेता और **''सामाजिक योजना को बढ़ावा देने के लिए सर्वश्रेष्ठ बैंक''** में उपविजेता के रूप में **एमएसएमई बैंकिंग एक्सीलेंस अवार्ड -2022** से सम्मानित किया गया.

5. कृषि वित्त:

प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिम :

बैंक ग्रामीण और अर्ध-शहरी शाखाओं के अपने नेटवर्क के माध्यम से प्राथमिकता और कृषि क्षेत्रों को सेवा प्रदान कर रहा है। बैंक ने प्राथमिक प्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत रु. 164411 करोड़ (वि.वर्ष 22-23 के एएनबीसी औसत का 43.28%) की बकाया राशि के शानदार स्तर को प्राप्त किया है। इसमें कृषि क्षेत्र के अंतर्गत रु. 72366 करोड़ (वि.वर्ष 22-23 के एएनबीसी औसत का 19.00%) है। जिसमें से कृषि के अंतर्गत लघु एवं सीमांत किसानों को रु. 43244 करोड़ (वि.वर्ष 22-23 के एएनबीसी औसत का 11.23%) का ऋण शामिल है। एस.एम.ई के अंतर्गत रु. 68678 करोड़ का ऋण दिया गया है जिसमें एम.एस.एम.ई सूक्ष्म क्षेत्र में रु.43136 करोड़ (वि.वर्ष 22-23 के एएनबीसी औसत का 11.29%), शिक्षा में रु. 2206 करोड़, आवास में रु. 21050 करोड़ तथा अन्य प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को ऋण की श्रेणी में रु. 112 करोड़ शामिल है। बैंक ने वित्तीय वर्ष 2022-23 में प्राथमिकता क्षेत्र, एस.एफ तथा एम.एफ, एम.एस.एम.ई - सूक्ष्म तथा कमजोर वर्गों को ऋण के अंतर्गत, विनियामक अनुपातों को प्राप्त किया है।

राशि करोड़ में

मद	बकाया राशि		वर्षानुवर्ष वृद्धि (मार्च 22/मार्च 23)		ए.एन.बी.सी मार्च 23 तिमाहियों का %
	मार्च -22	मार्च -23	राशि	%	
*कुल कृषि	66418	72366	5948	8.96	19.00
लघु एवं संपार्श्विक किसान	38927	43244	4317	11.09	11.23
सूक्ष्म उद्यम	39637	43136	3499	8.83	11.29
***प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र अग्रिम**	**151600**	**164411**	**12811**	**8.45**	**43.28**

* आरआईडीएफ एवं पीएसएलसी के बकाया सहित कुल कृषि एवं प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र।

कृषि के अंतर्गत बैंक की शाखाओं ने वर्ष के दौरान रु. 34632 करोड़ संवितरित किए जबकि वित्त वर्ष के दौरान 2022-23 के दौरान लघु एवं सीमांत किसानों को कुल रु. 26,443 करोड़ संवितरित किए गए। वर्ष के दौरान, बैंक ने लचीले रूप से ऋण उपयोग के लिए रु. 4219 करोड़ की ऋण सीमा के साथ 2.83 लाख केसीसी जारी किए हैं। विभेदक ब्याज दर योजना के अंतर्गत बैंक, कम आय वर्गों को 4% की छूट प्राप्त ब्याज दर पर वित्तीय सहायता भी प्रदान करता है। बैंक ने वर्ष के दौरान डी.आर.आई योजना के अंतर्गत 191 मामले स्वीकृत किए हैं जिसमें 4.95 करोड़ की राशि शामिल है। यथा मार्च 2023, अल्पसंख्यक समूहों को बैंक का ऋण एक्सपोज़र रु.18,626 करोड़ है (प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को ऋण के 15.00 प्रतिशत के लक्ष्य के मुक़ाबले 13.59 प्रतिशत)। दिनांक 31.03.2023 को कमजोर वर्गों के अंतर्गत बकाया राशि रु. 56558 करोड़ (विव 22-23 हेतु 14.75% है)। यथा 31.03.2023, खाद्य एवं कृषि उद्योग को बैंक का वित्तपोषण रु. 7348 करोड़ है।

स्वर्ण ऋण: स्वर्ण ऋण में प्रगतिशील वृद्धि आधार पर वित्तीय वर्ष 2022-23 में, रु. 6187 करोड़ (38.72% की वर्ष दर वर्ष वृद्धि) की वृद्धि दर्ज की गई और यह 31.03.2023 को रु 22166 करोड़ हो गया।

स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) : यथा 31.03.2023 को बैंक के पास 6.52 लाख स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) का ग्राहक आधार है जिसमें से यथा 31.03.2023 को 2.76 लाख एस.एच.जी को ऋण सुविधा से जोड़ा गया है तथा इसमें से 2.34 लाख महिला एस.एच.जी हैं।

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) : ग्रामीण क्षेत्र के गरीबों के जीवन से गरीबी उन्मूलन के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) एक महत्वपूर्ण योजना है। वर्ष के दौरान बैंक ने इस योजना के अंतर्गत 1.76 लाख उधारकर्ताओं को रु. 4755 करोड़ ऋण संवितरित किये गये हैं।

स्टार कृषि विकास केंद्र (एसकेवीके): वर्तमान में 13 एनबीजीयों के 61 अंचलों में 138 एसकेवीके कार्यरत हैं। एसकेवीके ने विगत विव 2022-23 में रु. 7866 करोड़ संवितरित किए हैं। इसके अलावा, कृषि पोर्टफोलियो में केंद्रित और गुणवत्तापूर्ण विकास के लिए एसएमई सिटी केंद्रों में 97 कृषि डेस्क संचालित हैं।

अग्रणी बैंक योजना : बैंक के पास 51 जिलों में अग्रणी बैंक की जिम्मेदारी है जो पाँच राज्यों यथा झारखण्ड (15), महाराष्ट्र (14), मध्य प्रदेश (13), उत्तर प्रदेश (07) तथा ओडिशा (2) - में फैले हुए हैं। बैंक झारखण्ड राज्य में राज्य स्तरीय बैंकर समिति (एसएलबीसी) का संयोजक भी है।

केसीसी सैचुरेशन :- वर्ष 2022-23 के दौरान हमारे द्वारा केसीसी सैचुरेशन अभियान के तहत 2.83 लाख नए केसीसी ग्राहक जोड़े हैं।

6. वित्तीय समावेशन:

बैंक यह मानता है कि वित्तीय समावेशन के माध्यम से व्यवसाय करना व्यावहारिक है तथा इस दिशा में बैंक ने अपने दृष्टिकोण को "सीएसआर" से "आर्थिक व्यवहार्यता" की ओर मोड़ दिया है। वित्तीय क्षेत्र की अपेक्षानुसार अत्यंत कम लागत के संव्यवहारों को समर्थित करने एवं संरक्षित करने हेतु आईसीटी आधारित समाधान आवश्यक है। प्रधानमंत्री जन-धन योजना (पीएमजेडीवाई) से वित्तीय समावेशन अभियान को गति प्राप्त हुई है। व्यापार संपर्की मॉडल के नेतृत्व में आई.सी.टी. के माध्यम से उन ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक ने ये सेवाएं दी हैं जहाँ बैंकिंग सेवाएं नहीं हैं।

पीएमजेडीवाई एवं सामाजिक सुरक्षा योजनाएँ:

वित्त वर्ष (2022-23) के दौरान 16.98 लाख पीएमजेडीवाई खाते खोले गए हैं। भारत सरकार द्वारा चलाई गई सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में बैंक सक्रिय भागीदारी रही है। वर्ष (2022-23) के दौरान बैंक ने पीएमएसबीवाई (प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना) के अंतर्गत 31.97 लाख खाते एवं पीएमजेजेबीवाई (प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना) के तहत 37.82 लाख खाते इस अवधि में कवर किए गए हैं। वित्त वर्ष 2022-23 में बैंक द्वारा ए. पी. वाई. (अटल पेंशन योजना) के 6.54 लाख नए अभिदाता जोड़े गए हैं।

स्टार हॉकर आत्मनिर्भर लोन (एसएचएएल):

स्टार हॉकर आत्मनिर्भर लोन (एसएचएएल)- पीएमस्व:निधि की शुरुआत जून 2020 में किया गया था ताकि किस्त -I के तहत स्ट्रीट वेंडर्स को 12 ईएमआई में चुकाने योग्य 10,000/- तक की परेशानी मुक्त कार्यशील पूंजी मांग ऋण प्रदान किया जा सके। पीएमस्वनिधि के तहत दूसरी किस्त उन स्ट्रीट वेंडर्स के लिए जिन्होंने अपना पहला पीएमस्व:निधि ऋण चुकाया है। किस्त -II के तहत, डब्ल्यूसीडीएल रु. 20000/-(न्यूनतम रु.15000/-) तक स्ट्रीट वेंडरों को प्रदान करता है और यह 18 महीने की किस्तों में चुकाने योग्य है। किस्त -III के तहत, डब्ल्यूसीडीएल रु. 50000/-(न्यूनतम रु. 30000/-) तक स्ट्रीट वेंडरों को प्रदान करता है और यह 18 महीने की किस्तों में चुकाने योग्य है।

दिनांक 31/03/2023 तक, हमने कुल प्राप्त 3.57 लाख आवेदनों में से 3.56 लाख आवेदन (99.72%) मंज़ूर किए हैं एवं कुल 3.40 लाख (95.24%) संवितरण किया है।

स्टार स्वरोज़गार प्रशिक्षण संस्थान (आरसेटी):

बैंक झारखंड, ओडिशा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एवं पश्चिम बंगाल राज्य में ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण देने हेतु 43 आरएसईटीआई को प्रायोजित कर रहा है। वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान आरसेटी ने 1158 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए एवं 32,341 अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण दिया और 76.57% (24,764) का नियोजन सुनिश्चित करते हुए 58.23% (14175) अभ्यर्थियों ऋण प्रदान किया गया ताकि लाभकारी रोजगार प्राप्त करने में उनकी मदद की जा सके। एमओआरडी द्वारा हमारी 43 आरसेटी को "एए" श्रेणी दी गई हैं।

वित्तीय साक्षरता एवं ऋण परामर्श केंद्र (एफएलसीसी):

एफएलसीसी/ एफएलसी की स्थापना भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुरूप ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के जिला केंद्रों में की गई है, जहाँ बैंक के पास अग्रणी बैंक की ज़िम्मेदारी है। बैंक की 51 एफ़एलसी सभी 51 अग्रणी जिलों में कार्यरत हैं। प्रशिक्षण प्रदान करने के अलावा एफएलसी मामला-दर-मामला आधार पर दबावग्रस्त उधारकर्ताओं के लिए उपचारात्मक परामर्श तथा संचार माध्यमों, कार्यशालाओं और संगोष्ठियों के माध्यम से निवारक परामर्श भी देते हैं। 31 मार्च 2023 तक, कुल 17.21 लाख जरूरतमंद संकटग्रस्त लोगों को परामर्श दिया गया।

वित्तीय साक्षरता केंद्र (सीएफएल): पायलट परियोजना

आरबीआई से 10 दिसंबर 2020 के पत्र के संदर्भ में, हमें सूचित किया गया कि आरबीआई ने देश के प्रत्येक ब्लॉक में मार्च 2024 तक सीएफएल की पहुँच को चरणबद्ध तरीके से विस्तार करने की घोषणा की थी। हम सीएफ़एल पायलट प्रोजेक्ट चरण-I के प्रारंभिक कार्यान्वयन के बाद से एक प्रयोजक बैंक के रूप में जुड़े हुये है, जो अब 01.12.2021 तक बढ़ गया है। हमें प्रायोजक बैंक द्वारा आंशिक वित्तपोषित करते हुए जमाकर्ता शिक्षा एवं जागरूकता (डीईए)/ वित्तीय समावेशन निधि (एफईएफ) द्वारा पहले चरण में 106 सीएफएल एवं दूसरे चरण में 45 सीएफएल (दिसंबर 2022) को प्रायोजित करने की जिम्मेदारी दी गई है। तदनुसार, हमने 1 दिसंबर 2021 से आरबीआई द्वारा पहचाने गए पाँच एन. जी. ओ. के सहयोग से पाँच राज्यों (झारखंड, महाराष्ट्र, ओडिशा, मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश) में 151 सीएफएल खोले/बढ़ाए हैं। समग्र रूप से, 31.03.2023 तक कुल 151 सीएफएल ने 54,553 शिविर आयोजित किए एवं कुल 14,26,944 संकटग्रस्त लोगों को परामर्श दिया गया।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक:

विलय के पश्चात, हम 3 आरआरबी को प्रायोजित कर रहे हैं, यथा उत्तर प्रदेश में **आर्यावर्त बैंक (एबी)**, मध्य प्रदेश में **मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक (एमपीजीबी)** एवं महाराष्ट्र राज्य में **विदर्भ एवं कोंकण ग्रामीण बैंक (वीकेजीबी)**, जिनमें यथा 31.03.2023 को 82 जिलों में 2554 शाखाओं का नेटवर्क हैं। इन सभी प्रायोजित आरआरबी का प्रबंधन बैंक ऑफ़ इंडिया द्वारा नियुक्त अध्यक्ष द्वारा प्रबंधित किया जाता है और इनके कार्यनिष्पादन की प्रधान कार्यालय के महाप्रबंधक एफआई एवं आरआरबी (प्रभाग) द्वारा निगरानी की जाती है। सिस्टम जनरेट रिपोर्ट सुविधा के साथ तीनों आरआरबी की शाखाएँ एवं प्रशासनिक कार्यालय सीबीएस प्लेटफार्म पर है। इन आरआरबी में आरटीजीएस, एनईएफटी एवं एटीएम प्लेटफार्म की सुविधा है। हमारी सभी आरआरबी का कुल मिश्रित कारोबार यथा दिनांक 31.03.2023 को रु. 96612.25 करोड़ हैं।

7. अंतरराष्ट्रीय

बैंक की कुल 21 विदेशी शाखाएँ हैं, जकार्ता (इन्डोनेशिया) में 1 प्रतिनिधि कार्यालय, 4 अनुषंगी एवं 1 सहयोगी/संयुक्त उद्यम, जो कि विश्व के सभी टाइम ज़ोन में स्थित 5 महाद्वीपों के 15 देशों में फैले हुये हैं। यथा दिनांक 31.03.2023 में बैंक के वैश्विक कारोबार मिश्र में विदेशी परिचालनों का हिस्सा 15.75% है।

विदेशी अनुषंगी एवं सहयोगी :

i) पीटी बैंक ऑफ इंडिया इन्डोनेशिया टीबीके

ii) बैंक ऑफ इंडिया (तंज़ानिया) लिमिटेड

iii) बैंक ऑफ इंडिया (न्यूजीलैंड) लिमिटेड

iv) बैंक ऑफ इंडिया (युगांडा) लिमिटेड

v) इंडो- ज़ाम्बिया बैंक लिमिटेड (आईज़ेडबी) - संयुक्त उद्यम

8. ऋण निगरानी:

बैंक के ऋणों की आस्ति गुणवत्ता को बनाए रखने तथा उसमें सुधार लाने तथा ऋण जोखिम को कम करने के लिए ऋणों की निगरानी अनिवार्य है। स्वीकृत शर्तों के अनुपालन तथा निधियों के सही इस्तेमाल को सुनिश्चित करना ऋण निगरानी का मुख्य उद्देश्य है। इसके अतिरिक्त यह सुनिश्चित करना कि ऋण आस्तियाँ, मानक श्रेणी में ही रहें, चिह्नित दबावग्रस्त खातों/निगरानी के अधीन खातों को अपग्रेड करने का प्रयास किया जाय तथा सुधारात्मक कार्रवाई की जाय ताकि खातों को मानक श्रेणी से अवमानक श्रेणी में जाने से रोका जा सके। कमजोरी के संकेत/चूक की संभावना / डिलिक्वेंसी वाले दबावग्रस्त खातों को पहचानने तथा उनकी निगरानी करने के लिए, विभाग, विभिन्न उपकरण तथा पद्धतियों का प्रयोग कर रहा है ताकि संभावित स्लिपेज को प्रभावी तरीके से रोका जा सके तथा आस्ति की अच्छी गुणवत्ता को सुनिश्चित किया जा सके।

प्रभावी निगरानी तथा नियंत्रण के लिए उपकरण:-

पूर्व चेतावनी संकेत :

हमारे बैंक में अगस्त, 2020 से पूर्ण रूप से तकनीकी आधारित ईडब्ल्यूएस समाधान की शुरूआत की गई है। अच्छी प्रकार से परिभाषित अंतर्निहित कार्य-प्रवाह के साथ, हमारा ईडब्ल्यूएस पूर्णत: स्वचालित समाधान है। आंतरिक (सीबीएस एवं रेटिंग डाटा) तथा बाह्य डाटा (एमसीए, सीआईसी इत्यादि) दोनों के आधार पर चेतावनी जनरेट होती है। जनरेट की गई चेतावनी आरंभिक कमजोरी को पहचानने तथा समय से सक्रिय सुधारात्मक उपाय करने में बैंक की सहायता करती है। यह उपाय खातों में धोखाधड़ी की शीघ्र पहचान करने में सहायता करता है (यदि कोई हो)। यह समाधान उपयुक्त प्रणाली / कार्रवाई के साथ खातों की सघन निगरानी हेतु शाखाओं को समर्थ भी करता है।

ऋण आरएफए/धोखाधड़ी परीक्षण :

डीएफएस दिशानिर्देशों के अनुसार रु.50 करोड़ और इससे ऊपर के सभी एनपीए खातों का परीक्षण धोखाधड़ी के दृष्टिकोण से किया जाना है। अत: विभाग अनिवार्य रूप से रु.50 करोड़ तथा इसके ऊपर के खातों का परीक्षण धोखाधड़ी के दृष्टिकोण कर रहा है। इसके अतिरिक्त जहाँ भी ईडब्ल्यूएस खाते में कुछ भी संदेहास्पद दिखता है तो उसे तत्काल रेड फ्लैग के लिए परीक्षित किया जाता है तथा इसके बाद विनियामकीय समय-सीमा के अंदर निर्णय के लिए धोखाधड़ी परीक्षण की प्रक्रिया आरंभ की जाती है।

क्रिलिक रिपोर्टिंग :

एसएमए श्रेणी में खाते के वर्गीकरण के बाद अनुवर्ती कार्रवाई, पुन:संरचनात्मक कदम उठाने हैं। आरबीआई के संशोधित दिशा-निर्देशों को अनुसार 5 करोड़ तथा इससे अधिक की ऋण सीमा वाले दबावग्रस्त खातों को साप्ताहिक आधार पर क्रिलिक प्लेटफॉर्म पर आरबीआई को रिपोर्ट किया जाता है।

सिस्टम से आस्ति का वर्गीकरण (सास्कल) :

सास्कल एक संभावना बताने वाला प्रोग्राम हैं जो वसूली के रिकॉर्ड के आधार पर दो माह से अधिक की अवधि की अतिदेयता को प्रदर्शित करते हुए संभावित स्लिपेज को पहचानता है। इसके अतिरिक्त इसमें 90 दिनों से स्टॉक/बही ऋण स्टेटमेंट न जमा करना, समीक्षा न होना, सीसी खातों में अपर्याप्त/कोई जमा न होना आदि जैसी तकनीकी वित्तीय अनियमितता प्रदर्शित करने वाले खातों की भी पहचान करता है। इस संबंध में यदि समय पर सुधारात्मक कार्रवाई न की जाए तो इससे खाता डाउनग्रेड हो सकता है। मानक आस्तियों की डाउनग्रेडिंग को रोकने के लिए विभिन्न विभागों द्वारा विशेष तौर पर एक नवीन सास्कल प्रारूप बनाया गया है जो कि अधिक प्रयोगकर्ता-अनुकूल होने के साथ-साथ फील्ड के लिए अधिक सही तरीके से सूचनाएं प्रदान करेगा।

एसएमए निगरानी :

सास्कल के अतिरिक्त, इस वर्ष एसएमए निगरानी पर ध्यान दिया जाएगा। शाखाएँ एसएमए 0 खातों की निगरानी शुरू करने के लिए अनुशासित की जाएंगी ताकि आरंभ में ही उपचारात्मक कार्रवाई की जा सके और संबंधित खाते एसएमए 1 या सास्कल में न जा सके। एसएमए डाटा एनबीजी के स्थान पर (वर्तमान परिपाटी) सीधे शाखाओं को भेजे जाएं।

वसूली प्रबंधन प्रणाली (सीएमएस) :

हम वसूली प्रबंधन प्रणाली कार्यान्वित करने की प्रक्रिया में हैं जो शाखा के अधिकारियों को डिजिटल प्लैटफार्म उपलब्ध करा कर एसएमए/डीएनपीए पोर्टफोलियो को प्रबंधित करने में हमारी मदद करेगा। प्रस्तावित समाधान के काम का दायरा निम्नलिखित है :-

- एसएमए जोखिम ग्रेडेशन
- सभी प्रासंगिक जानकारी जैसे अतिदेय राशि/पता/संपर्क विवरण इत्यादि के साथ एसएमए/डीएनपीए सूची
- वसूली कार्रवाई तथा भुगतान करने के वादे सहित (पीटीपी) ग्राहक की प्रतिक्रिया को अपडेट करना

- पूर्व के पत्राचार की विजिबिलिटी
- उधारकर्ता को एसएमएस/आईवीआर/ईमेल से अनुस्मारक भेजना
- सुधारात्मक सुझाव कार्रवाई
- आउटबाउंड कॉलिंग के माध्यम से ग्राहक की प्रतिक्रिया को दर्ज करने के लिए कॉल सेंटर के साथ समेकन
- फील्ड अधिकारी के लोकेशन के आधार पर जियो टैगिंग तथा अगले दौरे का सुझाव
- शाखा/आंचलिक कार्यालय/एनबीजी/एचओ के लिए एमआईएस

हम प्रस्तावित समाधान को मौजूदा वित्तीय वर्ष में लॉच करने की आशा करते है।

ऋण प्रक्रिया लेखापरीक्षा :

ऋण प्रक्रिया की लेखा परीक्षा (सीपीए) यह सुनिश्चित करने के लिए की जाती है कि स्वीकृति की संवितरण पूर्व और संवितरण पश्चात् शर्तों/अनुबंधों का अनुपालन किया जा रहा है। सीपीए का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना भी है कि संवितरण करने वाला अधिकारी द्वारा बैंक निधियों का संवितरण करने से पूर्व, प्रतिभूति के सृजन / प्रतिभूति की पूर्णता हेतु सभी आवश्यक कदम उठाए गए हैं ताकि उक्त प्रतिभूतियों की प्रवर्तनीयता सुनिश्चित की जा सके। अब, सीपीए रियल टाइम में निगरानी के लिए फिनेकल के साथ एकीकृत किया गया है।।

स्टॉक लेखापरीक्षा :

हम पात्र खातों में स्टॉक एवं प्राप्य राशियों के संबंध में समयपूर्वक लेखापरीक्षा किया जाना सुनिश्चित करते हैं ताकि जब भी आवश्यक हो, सक्रिय/ सुधारात्मक कदम उठाए जा सकें। वर्तमान में स्टॉक की लेखापरीक्षा उन मानक अग्रिम खातों के संबंध में लागू हैं, जिनका कार्यशील पूंजी एक्सपोजर रु.5 करोड़ तथा उससे अधिक है। इसे सालाना आयोजित करना आवश्यक है। कमजोरी के अंतर्निहित संकेत दिखाने वाली आस्तियों, जैसे कि खराब स्थिति, साख पत्र के तहत अतिदेय बिल, गारंटी का लागूकरण, समीक्षा हेतु लंबित आदि, जो बैंक की गुणवत्ता के लिए खतरा पैदा करते हैं, विभिन्न प्लेटफार्मों और स्तरों पर टेलीविडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अनुवर्ती कार्रवाई की जाती है।

स्टॉक ऑडिट एमआईएस के लिए फिनैकल में एक नया स्टॉक ऑडिट मेन्यू (STKADT) विकसित किया गया है जो किसी लागू खाते में स्टॉक ऑडिट की स्थिति के विषय में समय पर जानकारी प्राप्त करने में हमें सक्षम करेगा।

एनपीए का दैनिक अंकन :

दिनांक 15.04.2021 से बैंक एनपीए की पहचान और नियामक दिशानिर्देशो के अनुपालन में अधिक पारदर्शिता लाने के लिए एनपीए के दैनिक अंकन में आरंभ कर गया है।

पुनर्गठित खातों की निगरानी (आरएफ़सीआरएस पोर्टफोलियो) :

आरएफसीआरएस के तहत पुनर्संरचित खातों की आस्ति की गुणवत्ता की रक्षा के लिए, प्रधान कार्यालय स्तर पर एक समर्पित टीम का गठन किया जाता है जो उधारकर्ताओं को व्यक्तिगत कॉल के माध्यम से समय पर अनुस्मारक देना सुनिश्चित करता है। इसके अलावा, डीएनपीए उधारकर्ताओं सहित सभी आरएफसीआरएस उधारकर्ताओं को प्रधान कार्यालय स्तर से एसएमएस भेजे जा रहे हैं।

कॉल सेंटर से रिमाइंडर कॉल:

हमारे कॉल सेंटर में कार्यरत 50 लोगों की एक समर्पित टीम अग्रिमों की निगरानी के लिए काम कर रही है। वे एसएएससीएल और एसएमए उधारकर्ताओं को कॉलिग करते हैं।

विशिष्ट निगरानी के लिए एजेंसियां (एएसएम):

आईबीए के दिशानिर्देशों के अनुसार 250 करोड़ रुपये से अधिक के कुल बैंकिंग एक्सपोजर वाले खातों और नवरत्न खातों और पीएसयू/सरकारी गारंटी खातों जैसे कुछ छूट वाले श्रेणी के खातों को छोड़कर, विशेष प्रकृति के एक्सपोजर वाले खातों में एएसएम (विशेषीकृत निगरानी के लिए एजेंसियां) को नियुक्त किया जाता है। जहां भी आवश्यक हो, हम दबावग्रस्त खातों में एएसएम की सेवाएं भी ले रहे हैं।

अन्य निगरानी उपकरण:

- अनुपालन स्तर को मजबूत करने के लिए लागू किए गए पूर्व वितरण और वितरण के बाद के अनुबंधों की केंद्रीकृत निगरानी।
- ईडब्ल्यूएस के पालन पर खातों की रेड फ्लैगिंग और नियामक दिशानिर्देशों के संदर्भ में एक निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर धोखाधडी के दृष्टिकोण की जांच के लिए नीतियां है। एक बार खाते को धोखाधड़ी घोषित कर देने के बाद, आरबीआई के सीआरआईएलसी प्लेटफॉर्म में तत्काल रिपोर्टिंग सुनिश्चित की जाती है।
- सभी एसएमए उधारकर्ताओं/ एसएमए गारंटरों/ आरएफसीआरएस डीएनपीए उधारकर्ताओं/आरएफसीआरएस उधारकर्ताओं/सभी सीसी/ ओडी और टीएल उधारकर्ताओं को चुकौती सूचना के लिए एसएमएस भेजे जा रहे हैं। इसके अलावा स्थानीय भाषाओं में भी एसएमएस भेजे जा रहे हैं।
- खातों की अलग सूची जहां समीक्षा 90 दिनों के लिए अतिदेय है और जहां स्टॉक विवरण एक महीने से अधिक के लिए देय है, तकनीकी स्लिपेजेस से बचने के लिए मासिक अंतराल पर शाखाओं को प्रदान किया जा रहा है।

9. एनपीए प्रबंधन :

बैंक ने एनपीए और बट्टे खाते डाले गये खातों में वसूली के लिए बोर्ड द्वारा अनुमोदित कार्यनीतियों को आत्मसात करते हुए और आस्ति वसूली शाखाओं की शुरूआत करके तथा जमीनी स्तर पर स्टाफ के साथ मिलकर काम करके लगातार अथक प्रयास किये हैं।

दिनांक 31.03.2022 एवं 31.03.2023 को एनपीए की स्थिति निम्नानुसार है :

(राशि करोड़ में)

विवरण	यथा 31.03.2022 को स्थिति	यथा 31.03.2023 को स्थिति
सकल एनपीए	45605	37686
निवल एनपीए	9852	8054
सकल एनपीए (%)	9.98	7.31
निवल एनपीए (%)	2.34	1.66
प्रावधान कवरेज अनुपात (%)	87.76%	89.68%

एनपीए का एबीसी विश्लेषण

- वर्ष के दौरान, **जीएनपीए** में **267 बीपीएस (9.98% से 7.31%)** का सुधार हुआ, जबकि **एनएनपीए** में भी **68 बीपीएस (2.34% से 1.66%)** का सुधार हुआ है, जबकि **पीसीआर** भी **87.76%** से बढ़कर **89.68%** हो गया है।

- साप्ताहिक वसूली कैंप एनबीजी/अंचल स्तर पर आयोजित किए जा रहे हैं तथा ''स्टार इंटेन्सिव रिकवरी कैंपेन'' मासिक आधार पर आयोजित किए जा रहे हैं। हमने ''शाखा अदालत अभियान'' का विस्तार किया है, जिसमें छोटे आकार के एनपीए खातों में अधिक से अधिक वसूली के लिए रू. 5.00 करोड़ तक की राशि को शामिल किया है।

- बट्टे खाते में डाले गए खातों में वसूली पर जोर देना। यह हमारे लागत आय अनुपात (सीआईआर) में सुधार करने में भी मदद करता है। पीडब्ल्यूओ खातों में वसूली के लिए विभिन्न कार्यनीतियों का पालन किया जाता है जैसे कि :

  सरफेसी कार्रवाई, एनसीएलटी के माध्यम से समाधान, सरफेसी/डीआरटी के माध्यम से गारंटरों की प्रतिभूतियों का प्रवर्तन, समझौता निपटान, एआरसी/एनएआरसीएल के माध्यम से बिक्री, जहां भी संभव हो, ओटीएस योजनाओं स्टार संजीवनी 2023, बीओआई-ओटीएस 2023 एवं एनपीए प्रबंधन नीति आदि के माध्यम से समाधान जारी रखना ।

- एनपीए खातों के समाधान के लिए विभिन्न कैंपेन शुरू किए जाएंगे।

- हम मार्च 2024 तक अपने सकल एनपीए को 5% से नीचे तथा निवल एनपीए अनुपात को 1.30% से नीचे होने की उम्मीद कर रहे हैं।

- हमने वन टाइम सेटलमेंट (ओटीएस) के लिए अपनी तैयार की गई योजना को संशोधित किया है जो गैर-विवेकाधीन और भेदभावरहित थी और योजना 01.04.2023 से फिर से शुरू की गई है।

- खातों में वसूली में सुधार के लिए अखिल भारतीय आधार पर हर महीने मेगा ई-नीलामी आयोजित करना।

- गोल्ड लोन एनपीए खातों में एनपीए के तेजी से समाधान के लिए मासिक सोने की नीलामी आयोजित करना ।

- स्टार इंटेंसिव रिकवरी डे, साप्ताहिक रिकवरी कैंप में सहभागिता करके, वर्चुअल रिकवरी कैंप के आयोजन तथा ग्राहकों के साथ सीधे बातचीत के माध्यम से प्रत्येक स्तर पर ओटीएस प्रस्तावों के निर्माण पर जोर देना ।

- एनसीएलटी के माध्यम से एआरसी को बेचकर दबावग्रस्त आस्ति खातों के समाधान पर ध्यान केंद्रित करना।

- विभिन्न स्तरों पर राष्ट्रीय लोक अदालत में भाग लेना ।

10. कोषागार:

फॉरेक्स कारोबार : ट्रेजरी, बैंक का विदेशी विनिमय कारोबार संभालता है तथा फॉरवर्ड, ऑप्शन तथा स्वैप के माध्यम से ग्राहकों को हेजिंग सुविधा उपलब्ध कराता है। मुंबई में केंद्रीकृत ट्रेजरी के अतिरिक्त, बैंक के नई दिल्ली, अहमदाबाद, चेन्नई तथा कोलकाता में 4 सैटेलाइट डीलिंग रूम तथा गिफ्ट सिटी (अहमदाबाद) में एक केंद्रीयकृत बैंक ऑफिस है ताकि ग्राहकों को बेहतर ग्राहक सेवाएं उपलब्ध कराया जा सके। वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान, मर्चेंट तथा इंटरबैंक टर्नओवर क्रमश: रु. 1.45 लाख करोड़ तथा रु. 45.94 लाख करोड़ रहे। इस वित्त वर्ष के दौरान बैंक का फॉरेक्स कारोबार टर्नओवर रु. 47.39 लाख करोड़ रहा। मुद्रा फ्यूचर की ट्रेडिंग में ट्रेजरी सक्रियतापूर्वक सहभागिता करता है तथा यह सभी एक्सचेंजों में एक अग्रणी बैंक है। वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान करेंसी फ्यूचर में बैंक का टर्नओवर यूएसडी 108.64 बिलियन रहा। बैंक को करेंसी फ्यूचर (बैंक) में सर्वोत्तम कार्यनिष्पादन हेतु बीएसई द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए पुरस्कृत किया गया था।

ट्रेज़री परिचालन एवं निवेश : बैंक ने 2022-23 के दौरान के सभी क्षेत्रों में अर्थात-मुद्रा बाजार,फॉरेक्स, बॉण्ड तथा डेरिवेटिव में सक्रिय भूमिका अदा करना जारी रखा। रेपो/टीआरईपीएस विण्डोज़ से उधार लेने हेतु अतिरिक्त एसएलआर का उपयोग करने के लिए बैंक ने समय-समय पर एसएलआर निवेशों को विनियामक आवश्यकता, जो कि एन.डी.टी.एल का 18.00% है, उससे अधिक पर बनाये रखा। यथा दिनांक 31.03.2023 को सकल एसएलआर निवेश रु.155,027 करोड़ (कुल निवेश का 77.68%) था और गैर-एसएलआर निवेश रु.44,544 करोड़ (कुल निवेश का 22.32%) रहा। गैर एसएलआर निवेश में रु. 24,699 करोड़ के 'पुन:-पूंजीकरण' के बॉण्ड भी शामिल हैं। एस.एल.आर ए.एफ़.एस. पोर्टफोलियो का एम-ड्यूरेशन, 31.03.2022 को 0.47% था जो कि 31.03.2023 को 1.20% रहा। यथा 31.03.2023 तक एएफएस पोर्टफोलियो के तहत एसएलआर का एम-ड्यूरेशन और गैर एसएलआर निवेश 1.55% है। भारत सरकार द्वारा की गई हरित पहलों के साथ सहमति में, आरबीआई ने सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड की बिक्री के लिए अधिसूचना जारी की थी, ट्रेजरी शाखा ने सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड में रु.680 करोड़ रुपये का निवेश किया था। ये निवेश, बोर्ड द्वारा अनुमोदित व्यापक नीति के अनुसार किये जाते हैं और बाज़ार में होने वाले बदलावों/विनियामक आवश्यकताओं से तालमेल बनाए रखने हेतु समय-समय पर इनकी समीक्षा की जाती है।

11. सूचना प्रौद्योगिकी:

वेबसाइट:

- बैंक ऑफ इंडिया ने बेहतर और समृद्ध ग्राहक अनुभव के आधार पर बाजार में उपलब्ध नवीनतम तकनीक के साथ अपनी कॉर्पोरेट और वैश्विक वेबसाइट (12 विदेशी केंद्रों) को नया रूप दिया है।
- लाइफरे डिजिटल एक्सपीरियंस प्लेटफॉर्म (डीएक्सपी) पर निर्मित, यह वेबसाइट कारोबार की जरूरतों और ग्राहकों की सुविधा हेतु अनुकूलन की किसी भी जटिलता को पूरा करने के लिए कोड इंडिपेंडेंट कंटेन्ट मैनेजमेंट सिस्टम को और अधिक लचीला एवं सक्षम बनाती है।
- पब्लिक क्लाउड पर बनाई गई यह वेबसाइट अत्यधिक स्केलेबल है, जिससे बदलते व्यवसाय की मांगों को निर्बाध रूप से समायोजित करने की अनुमति मिलती है। यह बढ़ी हुई सुरक्षा के साथ वेबसाइट की उच्च उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए बेहतर विश्वसनीयता, बेहतर अतिरेक और फ़ेलओवर विकल्प भी प्रदान करता है।
- इसे प्रतिकृया देने योग्य डिजाइन किया गया है तथा वर्तमान उपयोगकर्ताओं के रुझानों को ध्यान में रखते हुए आसान नेविगेशन प्रदान करने के लिए उचित संरचित मेनू के साथ विकसित किया गया है।
- यह ग्राहक के व्यवहार को समझने और ग्राहक को बेहतर सेवाएं प्रदान करने के लिए गूगल एनालिटिक्स (Google Analytics) से समृद्ध है.
- कॉर्पोरेट वेबसाइट वर्तमान में 3 भाषाओं (हिंदी, अंग्रेजी और मराठी) में उपलब्ध है और इसके अतिरिक्त, 9 अन्य क्षेत्रीय भाषाओं (बंगाली, तमिल, तेलुगु, उड़िया, गुजराती, मलयालम, उर्दू, कन्नड़ और पंजाबी) को बहुत जल्द शामिल किया जाएगा।
- नए यूआई/यूएक्स डिजाइन के साथ बैंक की वेबसाइट को 26.11.2022 को जनता के लिए उपलब्ध करा दिया गया है।

दस्तावेज़ प्रबंधन प्रणाली :

- दस्तावेज़ प्रबंधन प्रणाली ने विभिन्न विभागों को बिना किसी बाधा के प्रभावी तरीके से अपना काम जारी रखने में मदद की है। प्रधान कार्यालय के विभिन्न विभाग, शाखाएं और अंचल वर्तमान में डीएमएस का लाइव प्रयोग कर रहे हैं।
- सांविधिक शाखा लेखा परीक्षा (एसबीए) और सांविधिक नियंत्रण लेखा परीक्षा (एससीए) डीएमएस की सहायता से प्रभावी ढंग से आयोजित की गई है। सभी दस्तावेज़ वास्तविक समय के आधार पर लेखा परीक्षकों को उपलब्ध कराए गए हैं।
- 69 जेडसीओडी (आंचलिक केंद्रीकृत परिचालन विभाग) से संबद्ध सभी शाखाओं में डीएमएस के माध्यम से बचत खाता खोलने की प्रक्रिया को लाइव किया गया है।
- विभिन्न विभागों (अंतर्राष्ट्रीय, एचआरएमएस, एलएंडडी, डीबीडी, सीपीडी इंश्योरेंस क्लेम, यूपीआई इंश्योरेंस क्लेम आदि) से प्राप्त अनुरोधों के आधार पर आवश्यक दस्तावेजों के भंडारण और पुनर्प्राप्ति के लिए टेम्पलेट तैयार किए गए हैं।

अकाउंट एग्रेगेटर फ्रेमवर्क

- अकाउंट एग्रीगेटर (एए) इकोसिस्टम सहमति आधारित डेटा साझाकरण तंत्र है जो एए नेटवर्क में किसी व्यक्ति को एक वित्तीय संस्थान जिसमें उसका खाता है, से किसी अन्य विनियमित वित्तीय संस्थान में जानकारी को सुरक्षित एवं डिजिटल रूप से प्राप्त करने और साझा करने में मदद करता है।
- यह उधारदाताओं / सेवा प्रदाताओं को ग्राहकों से सहमति (सहमति) प्राप्ति के पश्चात डिजिटल डेटा का लाभ उठाने में मदद करता है, जिससे भौतिक प्रलेखीकरण की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। व्यक्ति की सहमति के बिना डेटा साझा नहीं किया जा सकता है।
- एए फ्रेमवर्क को दिनांक 27.07.2022 को एक एग्रीगेटर मेसर्स अनुमती के साथ लाइव किया गया था। इसके बाद 4 अन्य एए अर्थात एनएडीएल, एफ़आईएनवीयू, सीएएमएस और वनमनी के साथ 27.09.2022 को आरंभ किया गया है।

चेक जमा कियोस्क:

- चेक समाशोधन प्रक्रिया को स्वचालित करने की दृष्टि से बैंक ऑफ इंडिया में 2021 से चेक जमा कियोस्क (सीडीके) लागू किया गया है।
- ग्राहक न्यूनतम आवश्यक जानकारी के साथ कियोस्क में चेक जमा करते हैं और सफलतापूर्वक जमा करने पर ग्राहक को पावती पर्ची उपलब्ध करायी जाती है।
- पदनामित शाखा अधिकारियों द्वारा सीडीके का दिन का अंत (ईओडी) किया जाता है। ईओडी के बाद, कियोस्क में जमा किए गए चेक को सीटीएस आवेदन के माध्यम से संसाधित और एनपीसीआई को जमा किया जाता है।
- इस प्रक्रिया से कर्मचारियों पर कार्य का बोझ कम होता है और ग्राहक किसी भी ई-गैलरी/शाखा लॉबी में चेक जमा कर सकते हैं।

मिसकॉलपे:

- मिसकॉलपे डिजिटल भुगतान आफ़लाइन समाधान है जो मिस्ड कॉल का उपयोग करके फीचर फोन पर यूपीआई आधारित मोबाईल भुगतान की सभी सेवाएं प्रदान करता है। यह इंटरनेट कनेक्शन पर किसी भी प्रकार निर्भर नहीं है, इसलिए यह भारत की अल्प सेवा प्राप्त ग्रामीण और शहरी आबादी के लिए उपयुक्त है।
- उपयोगकर्ता अपनी स्थानीय भाषा में भी लेनदेन कर सकते हैं। वर्तमान में 12 स्थानीय भाषाएं उपलब्ध हैं।.
- मिसकॉलपे पी2पी समाधान यूपीआई 123 पे का एक विशिष्ट विकल्प है।

- उपयोगकर्ता मिसकॉलपे का उपयोग करके पैसे भेज सकते हैं, बैलेंस चेक कर सकते हैं, यूपीआई पिन सेट कर सकते हैं।

12 प्रबंधन सूचना प्रणाली:

ई-प्लेटफार्म परियोजना:

बैंक ने थर्ड पार्टी उत्पादों सहित सभी बैंकिंग उत्पादों (आस्ति एवं देयता उत्पादों) के स्ट्रेट थ्रू ओरिजिनेशन एंड प्रोसेसिंग हेतु एकीकृत ई-प्लेटफॉर्म परियोजना अप्रैल 2021 में शुरू की थी।

उत्पाद कार्यान्वित करने की फेज वार स्थिति निम्नानुसार है:

- ई-प्लेटफॉर्म फेज-1 क्रियान्विति में 20+ उत्पाद शामिल हैं। एमएसएमई, रिटेल, कृषि केसीसी, क्रेडिट कार्ड और सेल्फ-ऑनबोर्डिंग बचत खाता डिजिटल प्रवास को लॉंच किया जा चुका है।
- फिनटेक सहकार्यता - विडियो केवाईसी, बैंक विवरणी विश्लेषण, नाम जांच और फिनटेक सेवाओं को एंड टू एंड डिजिटल जर्नीज् हेतु ई-प्लेटफॉर्म के साथ एकीकृत किया गया है।
- एंड टू एंड लीड सॉर्सिंग एवं मैनेजमेंट, सहकार्यता, सेवा प्रबंधन / शिकायत प्रबंधन के साथ एकीकृत सीआरएम नैक्स्ट सोल्यूशन को लॉंच किया गया है। इस प्लेटफॉर्म के साथ बिज़नस कॉर्रेसपोंडेंट को भी इंटीग्रेट किया गया है। अन्य मोड्यूल कस्टमर 360, इंटीग्रेटेड कैम्पेन मैनेजमेंट क्रियान्वित किए जाने के फेज में है।
- बीओआई के सभी शाखाओं / कार्यालयों के लिए कस्टमर फेसिंग सौर्सेज् यथा बीओआई वैबसाइट, बीओआई ई-प्लेटफॉर्म, बीओआई कस्टमर केयर, एसएमएस, एनालिटिक्स, मारुति पोर्टल (टाई-अप व्यवस्था), नेशनल पोर्टल के साथ लीड मैनेजमेंट पोर्टल को लाइव किया गया है।
- शिकायत मोड्यूल, कस्टमर ग्रीवन्स पोर्टल को शिकायतों के रियल टाइम अपडेट (जब और जहां स्टेटस अपडेट हो) के साथ लाइव किया गया है।

नेक्सट जेनरेशन एंटरप्राइज रिपोर्टिंग और एनालिटिकल सोल्यूशन परियोजना:

बैंक ने नेक्सट जेनरेशन रिपोर्टिंग प्लेटफॉर्म और एनालिटिकल प्लेटफॉर्म के निर्माण हेतु आरएफपी प्रक्रिया शुरू की है।

एनालिटिक्स
मॉडल नाम
आवास ऋण टेकओवर
आवास ऋण टॉप-अप मॉडल
एमएसएमई पूर्व-अनुमोदित पत्र
थर्ड पार्टी गैर जीवन बीमा
वैतनिक ग्राहकों को पूर्व-अनुमोदित व्यक्तिगत ऋण
वैतनिक और गैर- वैतनिक ग्राहकों को पूर्व-अनुमोदित व्यक्तिगत ऋण
थर्ड पार्टी म्युचुअल फंड
कस्टमर रिटेन्शन मॉडल
सीएलटीवी- चर्न ग्राहकों हेतु

एनालिटिक्स
व्यक्ति के अनुकूल व्यक्तिगत ऋण
पूर्व-बंद टीडी मॉडल
ग्राहक चर्न प्रेडिक्शन मॉडल
आवास ऋण
वाहन ऋण
एमएसएमई लिमिट संवर्धन
अगली सर्वोत्कृष्ट कार्रवाई/ उत्पाद
सीएलटीवी- ग्राहक सेगमेंटेशन
एमएसएमई सीसीओडी नवीकरण
एमएसएमई टर्म लोन नवीकरण
ऋण जोखिम ग्रेडेशन मॉडल

कार्यपालक डैशबोर्ड

बीओआई पल्स एक कार्यपालक डैशबोर्ड है जिसे आंतरिक टीम ने संवर्धित सुविधाओं के साथ विकसित किया है जो अग्रिम, वसूली, वित्त, एसएमए, जमाराशियों तथा ई-प्लेटफॉर्म से संबन्धित आंकड़ें एक स्थान पर दर्शाता है। यह एमएमएस आईडी के माध्यम से उपयोगकर्ताओं को एक्सेस उपलब्ध करवाता है। यह विभिन्न, लेकिन संबंधित जानकारी को सारणीबद्ध और ग्राफिकल प्रारूप में दर्शाने में सहायक है। इसमें एनबीजी, अंचल और शाखावार आंकड़े उपलब्ध करवाने की क्षमता है। इसमें विभिन्न क्षेत्रों के केपीआई शामिल हैं।

इन-हाउस टीम द्वारा विकसित अन्य एप्लिकेशन

एमएसएमई विभाग के लिए एमआईएस विभाग की आंतरिक बैंक टीम द्वारा निम्नलिखित एप्लिकेशन विकसित किए गए हैं।

- एमएसएमई समीक्षा प्रस्ताव
- एसएमईसीसी नेतृत्व प्रबंधन
- इरादतन चूककर्ता

13. डिजिटल बैंकिंग विभाग

वित्त वर्ष 2023-24 के अनंतिम बजट के साथ वित्त वर्ष 2022-23 के लिए विभिन्न डिजिटल उत्पादों हेतु बजट और प्रदर्शन निम्नानुसार है:

उत्पाद	31.03.2023 की स्थिति के अनुसार
कुल क्रेडिट कार्ड	77,668
मर्चेंट अधिग्रहण (पीओएस + भारत क्यूआर + भीम आधार)	42,700
यूपीआई आधारित क्यूआर	6,63,556
मोबाइल बैंकिंग	80,32,438
इंटरनेट बैंकिंग	84,63,850
यूपीआई	1,55,79,280

वित्तीय वर्ष 2023-24 में उत्पादों का योजनाबद्ध लॉन्च

- आईसीसीडब्ल्यू (इंटरऑपरेबल कार्डलेस कैश विदड्रॉल): बैंक के ग्राहक जो यूपीआई पर लाइव हैं, उन्हें अपने कार्ड का उपयोग किए बिना किसी भी भाग लेने वाले बैंकों के एटीएम से नकदी निकालने की सुविधा प्रदान करना
- रुपे प्रीपेड कार्ड और गिफ्ट कार्ड: बैंक रुपे योजना में प्रीपेड कार्ड और गिफ्ट कार्ड लॉन्च करने की प्रक्रिया में है। कार्ड धारकों को लचीलापन प्रदान करने के लिए रुपे प्रीपेड कार्ड प्रस्तावित हैं। कार्ड प्रकृति में संपर्क रहित होगा, जो विभिन्न इन-बिल्ट सुविधाओं और ऑफर के साथ खुदरा सेगमेंट पर ध्यान केंद्रित करेगा।
- एटीएम में क्षेत्रीय भाषा कार्यान्वयन: बैंक अंग्रेजी और हिंदी के साथ एटीएम स्क्रीन में क्षेत्रीय भाषा विकल्प लागू कर रहा है।
- एमएसएमई क्रेडिट कार्ड: बैंक रुपे योजना में एमएसएमई क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने की प्रक्रिया में है।
- ई-प्लेटफॉर्म (क्रेडिट कार्ड का एसटीपी) के माध्यम से क्रेडिट कार्ड ऑनबोर्डिंग: बैंक बैंक के विभिन्न उत्पादों के ऑनलाइन ऑनबोर्डिंग के लिए ई-प्लेटफॉर्म को लागू करने की प्रक्रिया में है। क्रेडिट कार्ड ऑनबोर्डिंग भी उन उत्पादों में से एक है जिसे शाखा और वेब चैनल के माध्यम से ऑनबोर्ड किया जाएगा।
- सीआरएम में इंटरऑपरेबल कार्ड-आधारित नकद निकासी: हमारे सीआरएम में अन्य बैंक के ग्राहकों के लिए नकद निकासी की सुविधा। निकासी सीमा नियमित एटीएम नकद निकासी के अनुरूप होगी।
- यूपीआई में क्रेडिट कार्ड लिंकिंग
- बीएसई के साथ स्टॉक एक्सचेंज की एएसबीए आईपीओ अपलोडिंग प्रक्रिया का एपीआई एकीकरण
- ग्राहक को ई-बीजी सुविधा प्रदान करना।
- हमारे ऋण खाता धारक को हमारी ईएमआई के संग्रह के लिए अपने अन्य बैंक खाते में एनएसीएच / ईसीएस अधिदेश बनाने के लिए प्लेटफॉर्म प्रदान करना

लागू की गई पहल- वित्त वर्ष 2022-23

- **डिजिटल बैंकिंग इकाइयां:** बैंक ने डिजिटल बैंकिंग उत्पादों और सेवाओं को वितरित करने के साथ-साथ डिजिटल बैंकिंग के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए पूर्वी सिंहभूम और खुर्दा में दो डीबीयू खोले हैं। डीबीयू का उद्देश्य छोटे कारोबार के लिए वित्त तक पहुंच में सुधार, डिजिटल वित्तीय साक्षरता में सुधार और डिजिटल पैठ बढ़ाने के अलावा वित्तीय उत्पादों की डिलीवरी में तेजी लाना है।
- **व्यापार वित्त:** शाखाओं और विभाग सहित ग्राहकों को एक उपयुक्त प्रणाली / समाधान के साथ सक्षम बनाने के लिए जो पर्याप्त नियंत्रण के साथ व्यापार वित्त की एंड-टू-एंड प्रक्रिया को स्वचालित करता है और ग्राहक संबंधों को मजबूत करता है, बैंक ने व्यापार वित्त कारोबार को पूरा करने के लिए अंतर्निहित वर्कफ़्लो प्रबंधन के साथ एक समाधान (फ्यूजन ट्रेड इनोवेशन) लागू किया है।
- **बीओआई बीआईजेड पे:** बैंक ने बीओआई बीआईजेड पे ऐप लॉन्च किया है, यह ऐप व्यापारी को भुगतान स्वीकृति के लिए यूपीआई क्यूआर कोड (स्टेटिक / डायनामिक) उत्पन्न करने में मदद करेगा और वीपीए और क्यूआर कोड का उपयोग करके तेज, सरल और सुरक्षित ऑनलाइन भुगतान सक्षम करेगा। यह व्यापारियों को रियल-टाइम क्रेडिट, शिकायत प्रबंधन प्रणाली (पी 2 पीएम व्यापारियों) और गतिशील एमआईएस उत्पादन प्रणाली प्रदान करेगा।
- **गो ग्रीन पहल: बैंक ने एटीएम पर दिन-** प्रतिदिन के काम/लेनदेन के लिए कागज के कम उपयोग के उद्देश्य से गो ग्रीन पहल शुरू की है। तदनुसार, पोस्टर को बीओआई एटीएम स्क्रीन पर प्रदर्शित करने के लिए डिज़ाइन किया गया था ताकि लोगों को एटीएम लेनदेन के लिए रसीद प्रिंट न करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। वर्तमान में इसे तैनात किया गया है और सभी बीओआई एटीएम की स्क्रीन पर प्रदर्शित किया जा रहा है।
- **डीसीएमएस माइग्रेशन-** मौजूदा बुनियादी ढांचे में सुधार करने, कार्ड डेटा को एक स्थान पर बनाए रखने और ग्राहक अनुभव को बढ़ाने के लिए हम डेबिट कार्ड प्रबंधन प्रणाली को नए विक्रेता को माइग्रेट करने की प्रक्रिया में हैं। यह पीसीआई डीएसएस अनुपालन के अलावा वास्तविक समय डेबिट कार्ड सेवाएं जैसे कार्ड जारी करना, प्रतिस्थापन, हॉट लिस्टिंग, पिन जनरेशन आदि प्रदान करेगा
- **मोबाइल बैंकिंग में लॉयल्टी रिवाड्र्स का एकीकरण-** बीओआई मोबाइल का उपयोग करके लेनदेन के लिए, हमने डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने और बैंक के डिजिटल लेनदेन की मात्रा बढ़ाने के लिए अपने ग्राहकों के लिए रिवॉर्ड्ज़ पॉइंट पेश किया है।
- **सीआरएम नेक्स्ट -** हमने एटीएम/पीओएस/यूपीआई/आईएमपीएस जैसे विभिन्न चैनलों के असफल / अनधिकृत लेनदेन के संबंध में शिकायतें दर्ज करने हेतु नया केंद्रीकृत पोर्टल लागू किया है। शाखाएं पोर्टल का उपयोग करके शिकायतों की स्थिती को ट्रैक कर सकती हैं और ग्राहक की संतुष्टि न होने की स्थिती में शिकायतों को फिर से खोल सकती है।
- **पीओएस पर डायनेमिक यूपीआई क्यूआर:** हमने मौजूदा पीओएस टर्मिनलों पर डायनेमिक क्यूआर का सृजन शुरू किया है, जिसे ग्राहकों द्वारा किसी भी यूपीआई एप के माध्यम से स्कैन किया जा सकता है।
- **वीजा बिंगो डेबिट कार्ड:** बैंक ने वीजा योजना में बिंगो कार्ड पेश किए हैं। बिंगो कार्ड विशेष रूप से 15 से 25 वर्ष की आयु के छात्रों के लिए हैं

14. जोखिम प्रबंधन :

जोखिम तथा नियंत्रण :

बैंक ने जोखिमों तथा प्रतिलाभों के बीच तालमेल को बनाये रखने के लिए, उधारकर्ता स्तर और पोर्टफोलियो स्तर पर प्रासंगिक जोखिमों का अनवरत मूल्यांकन सुनिश्चित करने हेतु उपयुक्त व्यवस्थाएं स्थापित की हैं। बैंक का निदेशक मण्डल विशिष्ट जोखिमों पर ध्यान देने के लिए गठित बोर्ड की विशिष्ट समिति के माध्यम से बैंक में सभी जोखिमों की समग्र निगरानी करता है। जोखिम प्रबंधन समिति (आर. कॉम.) बोर्ड की एक उपसमिति है जो जोखिम प्रबंधन की सर्वोच्च इकाई है, जिसे विभिन्न जोखिमों का प्रबंधन करने के लिए उच्च कार्यपालकों की परिचालनात्मक स्तर की समितियों जैसे आस्ति देयता प्रबंध समिति (एएलसीओ), सीआरएमसी (ऋण जोखिम प्रबंधन समिति), एमआरएमसी (बाज़ार जोखिम प्रबंधन समिति) और सीओआरएम (परिचालनात्मक जोखिम प्रबंधन के लिए समिति) से सहयोग प्राप्त होता है।

जोखिम प्रबंधन में बैंक में सभी गतिविधियों तथा उत्पादों से संबंधित जोखिम की पहचान, माप, निगरानी, शमन और सभी संभावित जोखिमों की रिपोर्टिंग की प्रक्रिया शामिल है। इन प्रक्रियाओं से संबंधित नीतियों अर्थात एंटरप्राइज वाइड रिस्क मैनेजमेंट, ऋण जोखिम प्रबंधन, परिचालनात्मक जोखिम प्रबंधन बाज़ार जोखिम प्रबंधन, एक्सपोजर (बैंक एक्सपोजर एवं लार्ज एक्सपोजर फ्रेमवर्क), आस्ति देयता प्रबंधन, फॉरेन एक्सचेंज और डीलिंग रूम परिचालन आदि में विस्तृत रूप से बताया गया है।

बैंक का जोखिम प्रबंधन ढाँचा, अपने परिचालनों और संस्कृति में, जोखिम प्रबंधन के पूर्ण एकीकरण पर केंद्रित है। एकीकृत जोखिम प्रबंधन ढाँचा जोखिम प्रबंधन चक्र से आरंभ होता है, जिसमें कई चरण होते हैं: जोखिम वहन-क्षमता का निर्धारण करना, दबावग्रस्तता की जाँच, परिदृश्य का विश्लेषण, सभी खण्डों में जोखिम मूल्यांकन का संपूर्ण क्षेत्र तैयार करना। जोखिमों की पर्याप्त रूप से पहचान, विश्लेषण, मापन, रिपोर्ट व शमन किया जाता है। जोखिम प्रबंधन बैंक के उन महत्वपूर्ण क्षेत्रों में से एक है जिन पर अत्यधिक ध्यान दिया जाता है। बैंक यह सुनिश्चित करने के लिए प्रयासरत है कि सभी जोखिम क्षेत्रों में प्रयोग की जाने वाली श्रेष्ठतम वैश्विक पद्धतियों को अपनाया जाए। इस जिम्मेदारी को लोगों और सिस्टम में निवेश करके तथा जोखिम वहन करने की संस्कृति को तैयार करके पूरा किया जा रहा है। बैंक ने जोखिम प्रबंधन के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए विभिन्न साधनों तथा तकनीकों जैसे विवेकपूर्ण व आंतरिक सीमाओं की निगरानी, बासेल के अनुरूप क्रेडिट रेटिंग मॉडल, सक्रिय लिक्विडिटी प्रबंधन, ईआरएम स्कोरकार्ड आदि का उपयोग किया है।

क्रेडिट रेटिंग की सीमाएं विशिष्ट उद्योग/क्षेत्र के कार्य-निष्पादन पर आधारित थीं। उधारकर्ताओं की साख योग्यता का आकलन करने के लिए बैंक विभिन्न आंतरिक ऋण जोखिम मूल्यांकन मॉडल और स्कोरकार्ड का उपयोग करता है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में बैंक ने बदलते आर्थिक परिवेश और परिवर्तित होते व्यवसाय मॉडल को ध्यान में रखते हुए, जोखिम चालकों को बेहतर ढंग से द. र्ज करने और अंडरराइटिंग मानकों को और मजबूत करने के लिए रेटिंग मॉ डल का पुन: कैलिब्रेशन किया है।

व्यापार के सामान्य क्रम में बैंकों को मुख्य रूप से विभिन्न जोखिमों जैसे -क्रेडिट जोखिम, बाजार जोखिम, परिचालनात्मक जोखिम, लिक्विडिटी जोखिम और ब्याज दर जोखिम का सामना करना पड़ता है।

क्रेडिट जोखिम ऋण चुकाने या संविदात्मक दायित्वों को पूरा करने में उधारकर्ता की विफलता के परिणामस्वरूप होने वाली हानि की संभावना है। क्रेडिट जोखिम गणना के लिए बैंक ने मानकीकृत दृष्टिकोण (एसए) को अपनाया है।

बाजार के कारकों में उतार-चढ़ाव के कारण, बैंक को नुकसान की संभावना बाजार जोखिम है जैसे कि ब्याज दर, विदेशी मुद्रा दर, इक्विटी मूल्य आदि। बैंक ने बाजार जोखिम गणना के लिए मानकीकृत अवधि पद्धति (एसडीएम) को अपनाया है।

परिचालन जोखिम को अपर्याप्त या विफल आंतरिक प्रक्रिया, लोगों और प्रणालियों या बाहरी घटनाओं से होने वाले नुकसान के जोखिम के रूप में परिभाषित किया गया है। परिचालन जोखिम में कानूनी जोखिम शामिल है, लेकिन इसमें रणनीतिक और प्रतिष्ठा जोखिम शामिल नहीं है। बैंक बुनियादी संकेतक दृष्टिकोण (बीआईए) के माध्यम से परिचालन जोखिम भारित आस्तियों की गणना करता है। बैंक 1 अप्रैल, 2023 से लागू आरबीआई दिशानिर्देशों के मसौदे में उल्लिखित परिचालन जोखिम भारित परिसंपत्तियों की गणना के लिए मानकीकृत दृष्टिकोण अपनाने के लिए तैयार है।

परिचालन जोखिमों से होने वाले नुकसान की संभावना और संभावित प्रभाव को कम करने के लिए बैंक प्रक्रियाओं के एक व्यापक सेट, आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों और नीतियों के साथ परिचालन जोखिमों की निगरानी और प्रबंधन करता है।

लिक्विडिटी जोखिम को समयबद्ध तरीके से भुगतान की बाध्यताओं को पूरा न कर पाने के कारण होने वाली हानियों के जोखिम के रूप में परिभाषित किया गया है। ऐसा लिक्विडिटी जोखिम निधीयन लिक्विडिटी जोखिम के रूप में जाना जाता है। बाजार मूल्य पर आस्तियों के लिए खरीददार न ढूंढ पाने के कारण उत्पन्न लिक्विडिटी जोखिम को बाजार लिक्विडिटी जोखिम कहा जाता है। बैंक विभिन्न सांविधिक लिक्विडिटी अनुपातों जैसे एलसीआर, एनएसएफ़आर, स्टॉक लिक्विडिटी आदि के माध्यम से लिक्विडिटी जोखिम की निगरानी करता है। बैंक लिक्विडिटी जोखिम हेतु दबावग्रस्तता की जांच भी करता है और दबावग्रस्त अवधि, यदि कोई है, से बाहर आने के लिए आकस्मिकता निधीयन योजना तैयार करता है।

ब्याज दर जोखिम को बाजार के सामान्य ब्याज दरों में प्रतिकूल उतार-चढ़ाव के कारण पोर्टफोलियो में होने वाली हानियों के जोखिम के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। बैंक, ब्याज दर जोखिम में प्रतिकूल उतार-चढ़ाव के प्रभाव का पता लगाने के लिए बैंकिंग बुक और ट्रेडिंग बुक पर दबाव की जांच करता है और जोखिम वहन-क्षमता में बोर्ड द्वारा परिभाषित सीमाओं के अंतर्गत परिचालन करता है।

बैंक वार्षिक आधार पर आंतरिक पूंजी पर्याप्तता मूल्यांकन प्रक्रिया (आईसीएएपी) करता है जिसमें स्तंभ-I जोखिम, बैंक की जोखिम वहन-क्षमता और बैंकों के जोखिम प्रोफाइल के संबंध में बैंक द्वारा अपेक्षित आंतरिक पूंजी के उचित स्तर के साथ-साथ विभिन्न जोखिमों (स्तंभ छ जोखिम) का आंकलन/माप शामिल है। अत्यधिक प्रतिकूल परिस्थितियों में भी बैंक को

संभावित प्रभाव की बेहतर समझ प्रदान करके जोखिम मूल्यांकन को बढ़ाने के लिए स्ट्रेस परीक्षण प्रक्रिया मौजूद है। आईसीएएपी वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बैंक यह सुनिश्चित करता है कि वह उचित स्तर की पूंजी के साथ काम करे। इसमें एक पूर्ण उद्यम जोखिम प्रबंधन (ईआरएम) ढांचे के रूप में माने जा सकने वाले एक बड़े हिस्से को शामिल किया गया है। आईसीएएपी जोखिम और पूंजी प्रबंधन गतिविधियों को एक ऐसे रूप में एक साथ लाता है जिसका उपयोग व्यावसायिक निर्णयों का समर्थन करने के लिए किया जा सकता है। बैंक, स्तम्भ-छ्ह के प्रासंगिक जोखिमों की भी पहचान, आंकलन और माप करता है और जोखिम समिति को रिपोर्ट करते समय उनके प्रशमन की योजना बताता है।

पिछले डेढ़ वर्ष में जलवायु जोखिम, धारणीय वित्त और ईएसजी से संबंधित विनियम तेजी से विकसित हो रहे हैं। बैंक नें आईसीएएपी में जलवायु जोखिम की स्तम्भ-छ्ह जोखिम के रूप में पहचान कर ली है। इसके अलावा, चूंकि जलवायु जोखिम संबंधी विनियम और शासन विकसित हुए हैं अत: बैंक के बोर्ड ने बैंक के लिए ईएसजी नीति (पर्यावरण, सामाजिक और शासन) को अपनाया है। इस दिशा में आगे बढने के लिए ईएसजी नीति में शासनिक ढांचे को शामिल किया गया है और बैंक के विभिन्न विभागों हेतु डेलीवरेबल्स भी निर्धारित किए गए हैं। ईएसजी नीति में, देश की प्रतिबद्धता के अनुसार नेट ज़ीरो की दिशा में आगे बढ़ने के बैंक इरादे और ईएसजी व तत्संबंधी प्रकटनों से संबंधित सभी विनियामकीय अपेक्षाओं का अनुपालन करने में सक्षम बनाने की रूपरेखा बनाई गई है।

इसके अतिरिक्त, बैंक के पास फील्ड स्तर पर भी जोखिम संस्कृति को समझाने के लिए सभी भौगोलिक केंद्रों (अंचलों और राष्ट्रीय बैंकिंग समूह, विदेशों में स्थित शाखाओं) में फील्ड स्तर के जोखिम प्रबंधक हैं।

बैंक की सूचना जोखिम प्रबंधन प्रणाली का स्पष्ट उद्देश्य, बैंक को साइबर हमलों और साइबर सुरक्षा खतरों में तेजी के कारण सूचना सुरक्षा जोखिमों से बचाना है, विशेष रूप से वित्तीय संस्थानों के लिए। सूचना सुरक्षा विभाग बैंक के ब्रांड, प्रतिष्ठा और आस्ति की सुरक्षा के लिए नियंत्रण को मजबूत करता है। बैंक अपने ग्राहकों और खाताधारकों से संबंधित डेटा की सुरक्षा और गोपनीयता के प्रति सतर्क है और इसे साइबर हमलों से बचाने के लिए अत्यधिक सावधानी बरतता है। बैंक ने कैप्टिव सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर (एसओसी) स्थापित किया है। बैंक ने 24x7 आधार पर सूचना सुरक्षा उल्लंघन के प्रयासों/घटनाओं/स्थितियों की रीयल-टाइम निगरानी के लिए सूचना सुरक्षा उपकरण लगाए हैं ताकि समय पर इन्हें रोका जा सके, पता लगाया जा सके और प्रतिउत्तर दिया जा सके। उन्नत सुरक्षा उपकरण जैसे एसआईईएम (सुरक्षा सूचना और घटना प्रबंधन), पीआईएम (विशेषाधिकार पहचान प्रबंधन), डीएएम (डेटाबेस गतिविधि निगरानी), डब्ल्यूएएफ (वेब एप्लिकेशन फ़ायरवॉल), एनबीएडी (नेटवर्क व्यवहार विसंगति का पता लगाना), एंटी-एपीटी (एडवांस पर्सिस्टेंस थ्रेट) वेब और ईमेल चैनलों और एंटी-डीडीओएस के लिए, डेटा डीएलपी (डेटा लीकेज रोकथाम) प्रयोग किए जा रहे कई सुरक्षा समाधानों में से हैं। थ्रेट हंटिंग, रोकथाम, पता लगाने और प्रतिउत्तर देने पर ध्यान केंद्रित करने वाले विभिन्न नए सुरक्षा समाधान भी लागू किए गए हैं। बैंक आईएसओ 27001:2013 (आईएसएमएस) और आईएसओ 22301:2012 (बीसीएमएस) प्रमाणित है। नकली साइटों के माध्यम से बैंक के ग्राहकों को फ़िशिंग हमलों से बचाने के लिए प्रभावी ब्रांड सुरक्षा सेवाएँ उपलब्ध हैं। सभी सिस्टमों के लिए समय पर उपचारात्मक गतिविधियों के साथ जोखिम और अतिसंवेदांशीलता का मूल्यांकन कार्य नियमित रूप से किया जाता है। सुरक्षा जागरूकता अभियान, विशेष रूप से सोशल इंजीनियरिंग के संबंध में, पूरे बैंक में आयोजित किये जाते हैं, जिनमें स्टाफ सदस्यों के साथ-साथ ग्राहकों को भी शामिल किया जाता है तथा सीखने और संचार के विभिन्न चैनलों का प्रयोग किया जाता है।

15. थर्ड पार्टी उत्पाद :

बैंक ऑफ इंडिया 2 जीवन बीमा कंपनियों, 3 सामान्य बीमा कंपनियों और 3 स्टैंडअलोन स्वास्थ बीमा कंपनियों के लिए कॉर्पोरेट एजेंट के रूप में कार्य कर रहा है।

बैंक ने म्यूचुअल फंड उत्पादों के वितरण के लिए निष्पादन मॉडल अपनाया है। म्युचुअल फंड कारोबार, जो कि एक खुली संरचना है, में बैंक एक से अधिक टाई-अप समझौते कर सकता है। हमारे बैंक ने म्युचुअल फंड उत्पाद वितरण के लिए कई आस्ति प्रबंधन कंपनियों के साथ टाई-अप समझौते भी किये है।

बैंक बीमा और म्युचुअल फंड एएमसी के उत्पाद और सेवाएं प्रदान करते समय, बैंक आरबीआई/आईआरडीएआई/एएमएफआई / एसईबीआई या किसी अन्य विनियामक जो उस पर बाध्यकारी है, के संगत दिशानिर्देशों का पालन करता है।

प्रत्येक श्रेणी के अंतर्गत विभिन्न बीमा कंपनियों और म्युचुअल फंड एएमसी के साथ बैंक के मौजूदा टाई-अप निम्नलिखित है:

मौजूदा टाई-अप :-

क्र.सं.	क्र.सं.	टाई अप पार्टनर
1	जीवन बीमा	(1) स्टार यूनियन दाई-इची लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि. 2) भारतीय जीवन बीमा निगम
2	सामान्य बीमा	1) रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि. 2) बजाज अलायन्स जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि. 3) फ्यूचर जनरली इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लि.
3	स्वास्थ्य बीमा	1) स्टार हेल्थ एंड अलाइड इंश्योरेंस कंपनी लि. (2) केयर हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लि. 3) निवा बूपा इंश्योरेंस कंपनी लि.
4	म्युचुअल फंड	एएमसी का नाम 1. बीओआई इन्वेस्टमेंट मैनजर्स प्रा. लि. 2. यूटीआई एसेट मैनेजमेंट कंपनी प्रा.लि. 3. एचडीएफसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी प्रा.लि. 4. कोटक महिंद्रा एसेट मैनेजमेंट कंपनी प्रा. लि. 5. फ्रैंकलिन टेम्पलेटन एसेट मैनेजमेंट प्रा.लि. 6.बंधन म्युचुअल फ़ंड (पूर्व में आईडीएफ़सी एसेट मैनेजमेंट कंपनी प्रा.लि.) 7. डीएसपी म्युचुअल फंड (पूर्व में डीएसपी ब्लैक रॉक इन्वेस्टमेंट मैनजर्स लि.) 8. आदित्य बिरला सन लाइफ म्युचुअल फंड (पूर्व में बिरला सन लाइफ एसेट मैनेजमेंट कंपनी लि.) 9. निप्पॉन इंडिया म्युचुअल फंड (पूर्व में रिलायंस म्युचुअल फं) 10. एसबीआई फंड्ज मैनेजमेंट प्रा. लि.

बैंक ने वित्त वर्ष 2022-23 हेतु प्रत्येक अनुभाग द्वारा कमीशन अर्जित किया है जो कि इस प्रकार है:

(राशि रु करोड़ में)

टीपीपी अनुभाग	कमीशन आय
जीवन बीमा	140.36
सामान्य बीमा	21.75
स्वास्थ्य बीमा	11.99
म्यूचुअल फ़ंड	4.14
कुल	178.24

16. विपणन एवं प्रचार-प्रसार :

बैंक ऑफ इंडिया ने, प्रचारप्रसार एवं जन संपर्क संबंधी विभिन्न कार्यनीतियां लागू की हैं, जिनसे बैंक की विज़िबिलिटी में सुधार होगा तथा आम जनता, ग्राहकों एवं सभी स्टेक होल्डरों में ब्रांड के प्रति जागरूकता बढ़ेगी। इसके संधारणीय ब्रांड रीकॉल के लिए इन समग्र विपणन कार्यविधियों, प्रचार एवं जनसंपर्क गतिविधियों का उद्देश्य आम जन तथा ग्राहकों पर प्रभाव डालना है ताकि उसका प्रयोग कारोबार वृद्धि में किया जा सके। बैंक ने अधिकाधिक जनसंख्या तक पहुँच बनाने के लिए सोशल मीडिया एवं डिजिटल मार्केटिंग कार्यविधियाँ अपनाई हैं। होर्डिंग, इलैक्ट्रानिक, डिजिटल, प्रिंट आदि जैसे उपलब्ध विभिन्न मीडिया के जरिये विभिन्न विज्ञापनों एवं संचार व्यवस्थाओं का प्रयोग कर समाज के सभी वर्गों की आवश्यकताओं का ध्यान रखने के लिए सभी स्थानों प्रचार एवं जन-संपर्क को कार्यान्वित किया गया है। बैंक अपनी प्रचार एवं जनसंपर्क कार्यविधियों में निरंतर कारोबार वृद्धि के लिए अपने विशिष्ट बिक्री गुण (यूएसपी) को विशिष्ट रूप से दर्शाना चाहता है। विपणन, प्रचार-प्रसार, विज्ञापन एवं जन-संपर्क जनता के बीच धारणीय ब्रांड रिकॉल में सहायक है तथा इसे ब्रांड की छवि बनाने में निवेश के तौर पर देखा जाता है।

कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व - प्रचार-प्रसार विभाग

एक जिम्मेदार कॉरपोरेट नागरिक होने के नाते, बैंक ऑफ इंडिया पूर्ण रुप से प्रतिबद्ध है तथा समाज को गुणवत्ता पूर्ण जीवन जीने तथा समाज की बेहतरी हेतु अर्थव्यवस्था को समृद्ध बनाने में योगदान देने के महत्व को समझता है। हम विश्वास करते हैं कि बैंक द्वारा किया गया योगदान समाज की सामान्य भलाई के उद्देश्य को पूरा करने के लिए समाज के उत्थान हेतु है।

बैंक एक जिम्मेदार कॉरपोरेट नागरिक होने के नाते स्वेच्छा से कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व का निर्वहन करता है। कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) गतिविधियों के तहत, बैंक द्वारा समाज के जरुरतमंद, तथा वंचित वर्ग के जीवन स्तर में सुधार करने के लिए विभिन्न कल्याणकारी तथा सामाजिक गतिविधियाँ/परियोजनाएँ/कार्यक्रम किए जा रहे हैं। बैंक निरंतर ऐसी सीएसआर गतिविधियां करने में प्रयासरत रहता है, जिनकी संकल्पना बड़े पैमाने पर समाज के सामुदायिक विकास तथा लाभ के लिए की गई है। बैंक जरुरतमंदों तथा वंचित लोगों के लिए सीएसआर गतिविधियों द्वारा समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है।

बैंक शोषित एवं वंचित समुदायों को सशक्त बनाने वाली सीएसआर गतिविधियों द्वारा समाज की बेहतरी हेतु योगदान करने के उद्देश्य से सीएसआर गतिविधियाँ करता है तथा साथ ही सीएसआर को बैंक के कॉरपोरेट संबंधी सिद्धांत, व्युत्पन्न मूल्य तथा छवि निर्माण का एक अभिन्न अंग बना दिया गया है। इन सीएसआर गतिविधियों को बडे पैमाने पर सामाजिक कल्याण के लिए तथा अधिकतर स्वच्छ भारत अभियान, ग्रामीण विकास, पर्यावरणीय संधारणीयता, शैक्षणिक कार्यक्रम जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, गरीबों/वंचितों को स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने, सामाजिक आथिक विकास, स्वच्छता, पेय जल उपलब्ध कराने, जीवन स्तर सुधारने, कौशल विकास, महिलाओं बच्चों तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों का कल्याण आदि के क्षेत्र में सीएसआर गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित कर स्थायी प्रभाव डालने के लिए कार्यान्वित किया गया है।

बैंक ऑफ इंडिया ने वर्ष 2022-23 के दौरान विभिन्न सीएसआर परियोजनाओं को अनुमोदित किया है। अपनी सीएसआर गतिविधियों की अवधारणा के अंतर्गत बैंक ने विभिन्न गतिविधियों में सहायता प्रदान की है, जो कि इस प्रकार है:-

1. स्वच्छ भार अभियान
2. बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान
3. पर्यावरणीय संधारणीयता एवं इकोलॉजिकल संतुलन
4. सामाजिक कल्याण सहित स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण
5. आधारभूत शिक्षा, कौशल विकास प्रशिक्षण
6. स्थानीय सामुदायिक सेवाएँ/सामाजिक गतिविधियां
7. अन्य रूप से सक्षम व्यक्तियों की सहायता करना
8. कोविड 19 - निवारणात्मक स्वास्थ्य सेवा तथा स्वच्छता सहित स्वास्थ्य देखभाल को प्रोत्साहन तथा आपदा प्रबंधन

बैंक, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को प्रोत्साहित करने के लिए 'स्टार एंजेल स्कीम' नामक ब्रांड के अंतर्गत अपनी फ्लैगशिप सीएसआर गतिविधियों को भी जारी रख रहा है। इस कार्यक्रम में, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की छात्राओं की पहली कक्षा में ही पहचान की जाती है तथा उन्हें स्नातक तक उनके शिक्षा संबंधी व्ययों को पूरा करने के लिए प्रतिवर्ष रु.1200/- की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

बैंक ऑफ इंडिया ने गरीब एवं वंचित नागरिकों हेतु स्वास्थ्य कैम्प प्रायोजित कर स्वास्थ्य क्षेत्र में सहायता की है। हमारे बैंक ने गरीब मरीजों को चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराने वाले अस्पतालों को मेडिकल संबंधी उपकरण भी उपलब्ध कराए हैं। एक जिम्मेदार कॉरपोरेट नागरिक होने के नाते, हमारा बैंक शिक्षा को प्रायोजित कर, शिक्षा संबंधी सामग्री दान कर, दिव्यांगजनों तथा अनाथों को सहायता प्रदान कर तथा गरीबों एवं वंचितों को जीवन जीने के बेहतर

अवसरों के लिए कौशल प्रशिक्षण उपलब्ध करा कर आधारभूत शिक्षा को सहायकता प्रदान कर रहा है।

17. कारोबार प्रक्रिया पुनर्विन्यास(बीपीआर)

संगठनात्मक ढांचे में किसी भी प्रकार के बदलाव का प्रभारी तथा अंचलों और एनबीजी का गठन करने के लिए प्रमुख रूप से जिम्मेदार बैंक का बीपीआर विभाग है। विभाग नए उत्पादों, प्रक्रियाओं और मौजूदा प्रणालियों में प्रस्तावित परिवर्तनों पर कार्यकारी स्तर की निगरानी के लिए बैठक भी आयोजित करता है। बीपीआर विभिन्न कार्यात्मक विभागों के बीच परिवर्तन प्रबंधन के लिए मुख्य समन्वयक है। वर्ष 2022-23 के दौरान की गई प्रमुख पहलें निम्नलिखित हैं:

वित्तीय वर्ष (2022-23) के दौरान परियोजना कार्य/पहलें:

- **एक एनबीजी और एक नए अंचल का गठन:** संभाव्य कारोबार अवसरों पर किए गए अध्ययन के अनुसार एक नया एनबीजी, एनबीजी-ओडिशा और एक अंचल सूरत बनाया गया है। ये निगरानी को सहज बनाने में शीर्ष प्रबंधन की सहायता करेंगे और बेहतर ग्राहक सेवा में सहायक होंगे।

- **क्षेत्र प्रबंधक कार्यालय (एएमओ) संरचना की समीक्षा:** अंचलों के पुनर्गठन के साथ-साथ, बीपीआर ने वर्तमान 21 एएमओ कार्यालयों को युक्तिसंगत बनाकर कम करते हुए 20 कर दिया है। इसके कारण एएमओ ने ग्राहक अधिग्रहण पर बेहतर ध्यान केंद्रित किया है और तीव्र सेवा प्रदान की है।

- **बैंक के उत्पाद और प्रक्रिया पुनर्विन्यास के लिए नीतिगत दस्तावेज:** बैंक के उत्पादों को सिस्टम उपयोगी होने के लिए व्यवस्थित किया गया है और बाजार के बड़े हिस्से पर काबिज होने के लिए कई नए पैरामीटर बढ़ती संपर्क रहित इंटरनेट आधारित, डिजिटलीकरण और स्वचालन आवश्यकताओं के अनुरूप पेश किए गए हैं। यह बैंकिंग दुनिया में रूपान्तरण की हालिया प्रवृत्ति के साथ बैंक को कदम मिलाने में सहायक होगी और हमारे बैंक की सेवाओं को चुनने वाले व्यक्ति को सरल और तीव्र संपर्क रहित बैंकिंग मिलने से ग्राहक के जुड़ाव और आमोद में वृद्धि होगी।

- **सेवा शुल्कों का रेशनलाइजेशन:** इसे ग्राहकों के अनुकूल, एक समान, स्वचालित बनाने और उद्योग की प्रवृत्ति के अनुसार प्रतिस्पर्धी बने रहने के लिए सेवा प्रभारों को युक्तिसंगत बनाया गया है।

- **स्टार परामर्श - फील्ड स्तर के पदाधिकारियों से स्टाफ परामर्श योजना:** हमने योजना को उत्पाद समूह चर्चा में शामिल किया है ताकि शीर्ष प्रबंधन को कर्मचारियों के व्यावहारिक और परिवर्तनशील विचारों और सुझावों के बारे में प्रत्यक्ष ज्ञान हो जो परिचालन दक्षता और सेवा प्रभावशीलता में सुधार करने में सहायक होगा। वर्ष के दौरान प्राप्त 707 सुझावों में से 46 को कार्यान्वयन के लिए चुना गया है और 3 स्टाफ सदस्यों को पुरस्कार प्रदान किए गए हैं।

- कारोबार वर्टिकल, जोखिम प्रबंधन, ऋण निगरानी, वसूली, अनुपालन और मानव संसाधन विभाग से क्रॉस कार्यात्मक (फंक्शनल) टीम के साथ निकट समन्वय में कार्य करके पीएसबी क्षेत्र में शीर्ष 5 बैंकों में अपना स्थान बनाना तथा 75% से अधिक के सम्मिश्र स्कोर को लक्ष्य करके हमारी ईज़ रैंकिंग में सुधार करना।

18. विधि एवं सूचना का अधिकार अधिनियम:

बैंक का विधि विभाग प्रधान कार्यालय के विभिन्न कार्यात्मक विभागों में सामने आने वाले मामलों पर सलाह, प्रलेखीकरण, मुकदमों इत्यादि के संबंध में सेवा प्रदान करता है।

विभिन्न एनबीजी/अंचलों, घरेलू शाखाओं/विदेशी शाखाओं तथा बैंक की अनुषंगियों द्वारा संदर्भित मामलों पर कार्रवाई करने के अतिरिक्त यह विभाग विभिन्न संविदाओं/सेवा स्तरीय करारों (एसएलए), सॉफ्टवेयर/हार्डवेयर खरीद, विभिन्न प्रकार की टाई-अप व्यवस्था/नये उत्पाद इत्यादि के प्रलेखों की ड्राफ्टिंग/वेटिंग के द्वारा विशेषज्ञ विभागों जैसे सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, अंतरराष्ट्रीय विभाग, कोषागार विभाग, डिजिटल बैंकिंग विभाग, कार्ड उत्पाद विभाग, संव्यवहार बैंकिंग विभाग इत्यादि विशेषज्ञ विभागों की आवश्यकताओं को पूरा करता है।

सूचना के अधिकार ने समाज में महत्वपूर्ण स्थान अर्जित किया है तथा विभिन्न स्तरों पर बैंक के द्वारा विभिन्न आवेदन प्राप्त किये जाते हैं। बैंक ने विभिन्न अंचलों/एनबीजी में केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी तथा अपीलीय अधिकारी निर्धारित किये हैं। विधि विभाग के उप महाप्रबंधक (विधि), प्रधान कार्यालय को बैंक का सीपीआईओ नामित किया गया है तथा महाप्रबंधक, विधि विभाग को अपीलीय प्राधिकारी नियुक्त किया गया है। आवेदन या अपील को निपटाने की प्रक्रिया यह है कि विभिन्न विभागों से वांछित जानकारी एकत्र की जाती है तथा 30 दिनों की निर्धारित अवधि के दौरान उसे आवेदकों को प्रस्तुत किया जाता है। इसके अतिरिक्त अन्य अंचलों/एनबीजी का भी मार्गदर्शन दिया जाता है।

इसके अतिरिक्त स्टाफ सदस्यों के बीच जागरूकता उत्पन्न करने के लिए विधि विभाग, विधियों में संशोधन तथा नये विधानों पर एनबीजी/अंचलों को परिपत्र जारी करता है।

उपर्युक्त के अतिरिक्त विधि विभाग निम्नलिखित से संबंधित कार्य भी करता है-

- बैंक द्वारा दायर वादों के संबंध में वाद पत्र का अनुमोदन तथा वैसे वादों की निगरानी करना।

- बैंक के विरुद्ध दायर रिट, वादों, अपीलों, दावों इत्यादि पर परामर्श देना, आवेदनों/शपथ पत्रों इत्यादि, जहाँ भी लागू हों, उनकी जाँच करना।

- विभिन्न अधिनियमों पर विचाराधीन संशोधनों/नये विधानों सहित विभिन्न मामलों पर मंत्रालय, भारतीय रिज़र्व बैंक तथा आईबीए के विभिन्न प्रश्नों का उत्तर देना।

- शेयर विभाग के शेयर अंतरण मामले पर राय देना।

- बैंक के विरुद्ध वाद/बैंक के विरुद्ध ऐसे दावे जिन्हें ऋण के रूप में नहीं स्वीकार किया गया है/प्रावधान आवश्यकताएं/अंचलों के साथ अनुवर्ती कार्रवाई इत्यादि।

- एनबीजी/अंचलों से प्राप्त लोक अदालत के डेटा का समेकन।
- वाद दाखिल/डिक्री किए गए मामलों से संबंधित डाटा/सांख्यिकी एकत्रित तथा संकलित करना तथा विभिन्न प्राधिकारियों जैसे भारतीय रिज़र्व बैंक, वित्त मंत्रालय इत्यादि को प्रस्तुत करना। इसके अतिरिक्त विधि विभाग आरबीएस डाटा से संबंधित कार्रवाई भी करता है।

19. अनुपालन:

बैंक में एक स्वतंत्र अनुपालन विभाग है जिसकी अध्यक्षता मुख्य महाप्रबंधक स्तर के अधिकारी द्वारा की जाती है। इन्हें नियामक उद्देश्यों के लिए मुख्य अनुपालन अधिकारी के रूप में भी जाना जाता है। विभाग का मुख्य कार्य घरेलू और विदेशी, इन दोनों परिचालनों के लिए सांविधिक, विनियामक और बैंक के आंतरिक दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करना है। विभाग, भारतीय रिजर्व बैंक के लिए संपर्क का एकल बिंदु है और प्रचलित एसपीएआरसी ढांचे के अनुसार जोखिम आधारित पर्यवेक्षण (आरबीएस) का सुचारू संचालन सुनिश्चित करता है।

बैंक के पास बोर्ड द्वारा अनुमोदित अनुपालन कार्य नीति है जिसे भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार तैयार किया जाता है और इसकी वार्षिक समीक्षा एवं इसके अद्यतन का कार्य किया जाता है। यह नीति निम्नलिखित घटकों से संबंधित है: ग) प्रशासन ग) अनुपालन जोखिम मूल्यांकन गग) नीतियां, प्रक्रिया और संबंधित नियंत्रण ग) अनुपालन निगरानी और परीक्षण v) रिपोर्टिंग और संप्रेषण vi) अनुपालन में सुधार के लिए प्रौद्योगिकी का प्रशिक्षण और उपयोग और vii) विनियामक संपर्क और समन्वय।

अनिश्चितता से निपटने और जोखिमों का प्रबंधन करने के लिए, सही उपकरण के होने से, हम ज्ञात और अज्ञात के संबंध में, रणनीति को तेज कर सकते हैं, प्रदर्शन में सुधार कर सकते हैं, निर्णय लेने के लिए अधिक अंतर्दृष्टि प्रदान कर सकते हैं, और समय के साथ, प्रभावशीलता सुनिश्चित कर सकते हैं। इसलिए, अनुपालन विभाग ने पारदर्शिता, प्रभावकारिता, निगरानी और प्रभावशीलता में सुधार के लिए अनुपालन कार्य में प्रौद्योगिकी को अपनाया है। अनुपालन विभाग, भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों/अनुदेशों के अनुपालन और संधारणीय जांच के अनुरूप समय-समय पर परीक्षण का कार्य भी कर रहा है।

अनुपालन विभाग, उन विदेशी प्रतिष्ठानों के अनुपालन कार्य की भी निगरानी कर रहा है जो अपने संबंधित देश आधारित अनुपालन नीतियों के साथ-साथ केवाईसी-एएमएल-सीएफटी नीतियों का पालन करते हैं। प्रत्येक विदेशी केंद्र/शाखा/अनुषंगी के पास संबंधित अनुपालन कार्य की देखभाल करने के लिए एक अनुपालन अधिकारी होता है। विदेशी शाखाएं, लागू नियामक आवश्यकताओं (स्वदेश / मेजबान देश के नियामक दिशानिर्देश, जो भी कठोर हो) का पालन करती हैं और पुष्टिकरण / अनुपालन निरंतरता रिपोर्ट प्रस्तुत करती हैं। प्रत्येक विदेशी शाखा का अनुपालन अधिकारी, त्रैमासिक, अनुपालन परीक्षण करता है और प्रधान कार्यालय को रिपोर्ट प्रस्तुत करता है।

20. राजभाषा:

बैंक में एक सुस्थापित राजभाषा विभाग है जो भारत सरकार की राजभाषा नीति से संबंधित प्रावधानों के कार्यान्वयन तथा हिन्दी के प्रगामी प्रयोग को सुनिश्चित करता है। समीक्षाधीन अवधि के दौरान हमारे बैंक को राजभाषा नीति के उत्कृष्ट कार्यान्वयन के लिए भारत सरकार द्वारा राजभाषा कीर्ति पुरस्कार (तृतीय) प्रदान किया गया है। सरकार की राजभाषा नीति के योजनाबद्ध कार्यान्वयन हेतु भारत सरकार के वार्षिक कार्यक्रम के अनुरूप हमारे बैंक द्वारा वार्षिक कार्य-योजना जारी की गई। हमारे देश द्वारा जी-20 की अध्यक्षता प्राप्त करने की ऐतिहासिक उपलब्धि को ध्यान में रखते हुए विश्व हिन्दी दिवस के अवसर पर अखिल भारतीय निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसी अवसर पर हमारी न्यूयॉर्क शाखा द्वारा सुलेख प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। आजादी के अमृत महोत्सव को ध्यान में रखते हुए 75 स्वतंत्रता सेनानियों की जीवनी पर एक पुस्तिका तैयार की गई। राजभाषा संबंधी जानकारियों के प्रचार-प्रसार के लिए बैंक की वेबसाइट पर राजभाषा वेबपेज का विमोचन हमारे कार्यपालक निदेशक महोदय द्वारा किया गया। राजभाषा के प्रयोग को प्रोत्साहित करने के लिए अंचलों द्वारा भी अनेक संदर्भ साहित्य तैयार किये गए हैं। विभिन्न विषयों पर अंचलों तथा प्रधान कार्यालय द्वारा संगोष्ठियों एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। हमारे अंचलों/नराकास को भारत सरकार से क्षेत्रीय स्तर के 15 पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। साथ ही, वर्ष के दौरान 30 अंचलों तथा शाखाओं को नराकास से पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। वर्ष के दौरान बैंक ने कुल 210 राजभाषा कार्यशालाओं का आयोजन किया है जिसमें 6866 स्टाफ सदस्यों को प्रशिक्षित किया गया है। प्रधान कार्यालय के विभागों हेतु हिन्दी ई-मेल प्रतियोगिता तिमाही आधार पर पूरे वर्ष चलाई गई है। बैंक में 14 सितंबर से 14 अक्टूबर, 2022 तक हिन्दी माह मनाया गया है। प्रधान कार्यालय के विभागों एवं अंचलों हेतु ''राजभाषा शील्ड प्रतियोगिता'' आयोजित की गयी। विभाग द्वारा प्रत्येक सप्ताह किसी सुप्रसिद्ध व्यक्तित्व पर लेख, समस्त कार्यालयों/शाखाओं को राजभाषा हिन्दी में भेजे जाते हैं। बैंक, सरकार द्वारा निर्धारित 12 नराकास के संयोजन का दायित्व सफलतापूर्वक निभा रहा है। संसदीय राजभाषा समिति द्वारा वर्ष के दौरान हमारे 04 कार्यालयों/शाखाओं का निरीक्षण किया गया जो सुचारु रूप से संपन्न हुआ। राजभाषा में अधिक कामकाज को प्रोत्साहित करने के लिए बैंक द्वारा हिन्दी पत्रिका ''बीओआई वार्ता'' का प्रकाशन किया जा रहा है।

21. मानव संसाधन, अध्ययन एवं विकास :

मानव संसाधन:

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान बैंक ने विभिन्न वेतनमान में 774 सामान्य बैंकिंग और विशेषज्ञ अधिकारी तथा 2,017 लिपिक वर्ग में तैनाती की है। वित्तीय वर्ष-23-24 के दौरान 540 स्टाफ अधिकारी और 557 लिपिक स्टाफ भर्ती करने की योजना है।

- महामारी के बाद के परिदृश्य में, नवाचार की आवश्यकता संगठनात्मक उद्देश्यों को प्राप्त करने की कुंजी प्रतीत होती है। कोविड के शुरु होने और बाद में, हमने अपने ग्राहकों को वित्तीय उत्पाद वितरित करने और विविध एचआर पहल के माध्यम से लगातार कारोबार निरंतरता जारी रखने के लिए आवश्यकताओं को स्वीकार करने और प्रतिक्रिया देने के हमारे प्रयासों को बनाए रखा है।
- एचआर में निर्णय लेने का उद्देश्य विफलता और पूर्वाग्रह की संभावना को कम करने के लिए अधिक डेटा संचालित करना है। बैंक का

उद्देश्य निर्माण क्षमता और लगातार अध्ययन और विकास के माध्यम से निरंतरता प्राप्त करना है।

- बैंक द्वारा की गई विविध एचआर पहलों में शामिल है:
  - ➢ पॉश नीति
  - ➢ महत्वपूर्ण भूमिका में उत्तरवर्ती आयोजना
  - ➢ कार्यनिष्पादन प्रबंधन प्रणाली
  - ➢ प्रतिभा प्रबंधन
  - ➢ नेतृत्व विकास
  - ➢ कर्मचारी नियुक्ति सर्वेक्षण (स्टार अनवेंषण) और
  - ➢ समान अवसर नीति
- बैंक ने पाठ्यकम सुधार फीड बैंक और इसके बाद कार्रवाई को सक्षम करने के लिए कर्मचारी कार्यनिष्पादन के वस्तुनिष्ट मूल्यांकन को प्राप्त करने के लिए प्रणाली संचालित तंत्र स्थापित किया है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में, हमारे बैंक में कार्यनिष्पादन प्रबंधन प्रणाली (पीएमएस) कारोबार विस्तार हेतु आबंटित 70% अंक से अधिक के साथ बजट मूल्यांकन पर आधारित थी जिसमें मापने के केआरए हेतु 50% वेटेज वाले ऑटो पॉप्लैटेड एवं गैर बजट मूल्यांकन शामिल है। बचत मूल्यांकन में, लक्षित/बजट आँकडे फिनेकल से लिये जा रहे है और वित्तीय वर्ष 2019-20 से वास्तविक कार्य निष्पादन के विषय में बजट लक्ष्य से तुलना की जा रही है। बैंक का वर्तमान प्रयास मूल्यांकन के गैर बजट मापदण्ड को मापने की डिग्री में वृद्धि करना भी है।
- उत्तराधिकार नियोजन के क्षेत्र में हमारा प्रयास महत्वपूर्ण क्षेत्रों (कॉरपोरेट ऋण, ऋण निगरानी, वसूली कोषागार, जोखिम प्रबंधन, अंतरराष्ट्रीय प्रभाग सूचना प्रौद्योगिकी, आईटीईएस एवं एचआरडी) और साथ ही आनेवाले नए क्षेत्रों जैसे चिन्हित किए गए महत्वपूर्ण भूमिका की तुलना में पात्रता की मैपिंग माध्यम से अवसंरचना वित्तीय सहायकता और वित्तीय समावेश में कौशल कमी के अंतर को व्यवस्थित ढंग से कम करना है।
- प्रतिभा प्रबंधन क्षेत्र में, एकाग्र प्रतिभा समीक्षा एवं विकास प्रक्रिया, यह सुनिश्चित करने के लिए की जा रही है कि इन भूमिकाओ में वर्तमान पदाधिकारी एवं सामर्थ्यवान कर्मचारियों को समय पर इन भूमिकाओं को ग्रहण करने के लिए उपयुक्त रूप से प्रशिक्षित एवं तैयार किया जाए।
- बैंक में नई भर्तीयों का अधिक एकीकरण में सक्षम बनाने के लिए हमारे पास एकीकृत ऑन बॉर्डिंग प्रक्रिया है। प्रशिक्षण प्रणाली को परिचालन उन्मुख बनाने, बैंकिंग क्षेत्र के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में प्रतिभा पूर बनाने, योग्यता के अंतर को कम करने प्रशिक्षण प्रणाली को प्रशिक्षण में भाग लेने वाले प्रत्येक प्रशिक्षण के लिए ऋण निर्धारित करने के संदर्भ में प्रशिक्षण को अधिक सार्थक बनाने के लिए कार्यपालकों हेतु भूमिका संबंधी प्रशिक्षण एवं फिर से तैयार किया जा रहा है।
- पेपरलेस एचआर की दिशा में और स्टाफ सदस्यों को परेशानी मुक्त सेवाएं प्रदान करने के लिए, निम्नलिखित डिजिटलीकरण पहलों को लागू किया है -
  - ➢ ग्रेच्युटी नामांकन को ऑनलाइन स्वीकार करना
  - ➢ वीआरएस/त्यागपत्र पर पीएफ/ग्रेज्युटी/आरईएमएस हेतु आवेदन
  - ➢ जीवित प्रमाणपत्र अपडेशन को सरल बनाना।
  - ➢ सिस्टम/ई मेल के माध्यम से फॉर्म-16 प्रेषित करना
  - ➢ डीसीपीएस अपडेशन को सरल बनाना।
  - ➢ प्रबंधन हेतु निवेश डैशबोर्ड
  - ➢ शिकायत प्रबंधन
  - ➢ डीएमएस का कार्यान्वयन
  - ➢ कागजी प्रक्रिया को कम करना
  - ➢ कर्मचारी शिकायत (यौन उत्पीड़न अधिनियम निवारण के तहत शिकायतों सहित) सुधार प्रणाली
  - ➢ व्हिसल ब्लोअर नीति
  - ➢ एचआर लेखा परीक्षा (स्टार प्रतिबिंभ)
  - ➢ एचआरएमएस के माध्यम से मोबाइल हैंडसेट की प्रतिपूर्ति
  - ➢ बीओआई-शी बॉक्स पर पॉश शिकायतें
  - ➢ सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए ऑनलाइन जीएमआईएस
- वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान, पॉश अधिनियम (कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम) के तहत 11 मामलों की सूचना मिली थी, जिनका अंचल/प्रधान कार्यालय की संबंधित आंतरिक समितियों (आईसी) द्वारा सक्रिय रूप से समाधान किया गया था। बैंक ने महिला कर्मचारियों की बेहतरी की दिशा में सक्रिय रूप से काम करने के लिए पॉश (कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम नीति) पर बोर्ड अनुमोदित नीति भी तैयार की है। चरणबद्ध तरीके से बैंक के सभी कर्मचारियों के लिए नियमित कार्यशालाएं/जागरूकता सत्र आयोजित किए जा रहे हैं।
- जॉब फैमिली धारणा को जॉब विशिष्टीकरण बनाने और बैंकिंग परिचालन एवं क्षमता विकसित करने के विभिन्न क्षेत्रो में एक्सपोजर सरल बनाने के लिए लागू किया गया है।
- चूँकि अंतिम दो वर्ष से, जो अधिकारी इच्छुक है और विशिष्ट क्षेत्रों जैसे ऋण जोखिम प्रबंधन कोषागार इत्यादि में कार्य करने का ज्ञान है उनकी स्टार हंट, योजना के माध्यम से पहचान की जा रही है। स्टार हंट के तहत, इच्छुक अधिकारी ने उपर्युक्त वर्टिकल हेतु आवेदन किया है, और उनका चयन लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार पर आधारित है। चयन के बाद, ऐसे अधिकारियों को वर्टिकल में

प्रशिक्षित किया है, उनके चयन पर उन्हें पहचान किए गए क्षेत्रों में नियुक्त किया गया है।

- पहचान की गए क्षमताओं का मूल्यांकन करने के लिए वेतनमान IV, V और VI में अधिकारियों हेतु विकास केन्द्र चलाया जा रहा है। मूल्यांकन हेतु कुल लगभग 1900 अधिकारियों की पहचान की गई है और क्षमताओं का मूल्यांकन लगभग 1600 अधिकारियों हेतु पूरा कर लिया गया है। चयनित व्यक्तिगत मूल्यांकन स्तर को कर्मचारियों के व्यक्तिगत डेटा में दर्ज किया गया है, और उत्तरवर्ती आयोजना हेतु इनपुट में से एक के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। प्रशिक्षण के माध्यम से क्षमताओं, विकास के मूल्यांकन पर व्यक्तिगत रूप से अधिकारियों के पहचान की गई क्षमताओं में सुधार शुरू करना होगा। नेतृत्व विकास कार्यक्रमों को एएससीआईआरई (एडमिनिस्ट्रल स्टॉक कॉलेज ऑफ इंडिया) हैदराबाद और आईएमआई (इंटरनेशनल मैनेजमेंट संस्था) नई दिल्ली में वेतनमान ꣹ और उससे अधिक से संबंधित अधिकारियों हेतु शुरू किया गया।

- ऋण, विदेशी मुद्रा, जोखिम प्रबंधन, अनुपालन आदि जैसे विशिष्ट क्षेत्रों में काम करने वाले अधिकारियों के लिए, क्रिसिल, आईआईबीएफ, सीएबी मनीपाल संस्था आदि जैसे बाहरी प्रशिक्षण संस्थानों के सहयोग से अनुकूलित प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार किए गए हैं। महिला अधिकारियों के लिए अनुकूलित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। प्रतिभा का एक पूल बनाने के लिए, मणिपाल ग्लोबल एकेडमी में विदेशी मुद्रा संचालन के क्षेत्र में कुल 60 लिपिक कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया गया है।

- स्व-शिक्षण को बढ़ावा देने के लिए पहचान किए गए संस्थानों के साथ-साथ एमओओसीएस के तहत कई पाठ्यक्रमों को बैंक की क्षमता निर्माण और शुल्क योजनाओं की प्रतिपूर्ति में शामिल किया गया था, जहां पाठ्यक्रम को पूरा करने के लिए कुछ नकद प्रोत्साहन के साथ अधिकारियों को शुल्क की प्रतिपूर्ति की जाएगी।

- बैंक का उद्देश्य बैंक द्वारा शुरू की गई विभिन्न मानव संसाधन पहलों का निर्बाध कार्यान्वयन सुनिश्चित करना है जैसे कर्मचारी जुड़ाव सर्वेक्षण, 360 डिग्री प्रतिक्रिया, नौकरी परिवार, उत्तराधिकार योजना और प्रतिभा प्रबंधन प्रक्रिया और किसी भी अन्य सरकारी निर्देश की परिकल्पना पीएसबी सुधार एजेंडा में बढ़ी हुई पहुंच और सेवा उत्कृष्टता के लिए (ईएएसई)। वर्तमान में हमारा बैंक दूसरी तिमाही में 10 वें स्थान से तीसरी तिमाही के लिए ईएएसई रैंकिंग में 7 वें स्थान पर है।

- बैंक ने नैतिकता और नैतिक मूल्यों पर आधारित संगठन और किसी भी तरह के पक्षपात/भेदभाव से मुक्त कार्य वातावरण सुनिश्चित करने के लिए ''बैंक ऑफ इंडिया आचार संहिता और हितों के टकराव की नीति'' लागू की है, जिसमें किसी भी तरह के यौन उत्पीड़न के लिए शून्य सहिष्णुता शामिल है।

- बैंक ने 'कर्मचारी विकास और कल्याण' विषय पर कर्मचारी जुड़ाव सर्वेक्षण संपन्न किया है और जल्द ही संबंधित में बताए गए फोकस क्षेत्रों को लागू करेगा। सभी स्तरों पर आवश्यक दक्षताओं और कौशल सेटों के साथ जनशक्ति रखने के लिए व्यापक प्रशिक्षण और विकास पहल के माध्यम से मौजूदा कौशल का आवश्यक उन्नयन जारी रहेगा।

- प्रतिभा को आकर्षित करने के लिए बैंक का टैलेंट इंडक्शन मॉडल और साथ ही व्यवसाय की वृद्धि और प्रतिभा के निरंतर प्रतिस्थापन/पुन:पूर्ति के अनुरूप गुणात्मक हेड काउंट में निरंतर वृद्धि सुनिश्चित करना।

- ई-लर्निंग ने कोविड महामारी की स्थिति के बीच शिक्षित और अद्यतन करने में सहायता की है। इसे तदनुसार विकसित और उपयुक्त मॉड्यूल के माध्यम से अद्यतन किया जा रहा है। पहचान किए गए ई-लर्निंग मॉड्यूल के पूरा होने पर प्रदर्शन मूल्यांकन में वेटेज दिया जाता है। हमारा उद्देश्य ई-लर्निंग सिस्टम की प्रगति को बढ़ावा देना और उसकी निगरानी करना है और इसे प्रदर्शन मूल्यांकन और संवर्धन प्रक्रिया से जोड़ना है।

- हम सभी प्रकार के भेदभाव को समाप्त करने की दिशा में अपने बैंक में समान अवसर नीति के सख्त अनुपालन और कार्यान्वयन के लिए प्रतिबद्ध हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि विकलांग व्यक्ति समानता, गरिमा प्राप्त करें और दूसरों के समान प्रदर्शन करने के लिए सशक्त और बेहतर सुसज्जित हों।

- पैन इंडिया में मानव संसाधन विभाग के प्रदर्शन के मूल्यांकन हेतु जनवरी-2023 में स्टार प्रतिबिंभ (एचआर मूल्यांकन) शुरू किया गया था। स्टार प्रतिबिम्ब मानव संसाधन परिदृश्य में बेहतर कार्य वातावरण एवं रूपान्तरण हेतु आत्मविश्लेषण और आत्म-सुधार के लिए एक सकारात्मक कदम है।

- बैंक की ईएसजी नीति के तहत हरित पहल के एक भाग के रूप में, बैंक ने गणमान्य व्यक्तियों/अधिकारियों को फूलों के गुलदस्ते के स्थान पर ऑक्सीजन पौधे भेंट करने का निर्णय लिया है।

एससी/एसटी/ओबीसी/ईडब्ल्यूएस/पीडब्ल्यूडी/भूतपूर्व-सैनिक के प्रतिनिधित्व के लिए आरक्षण नीति का अनुपालन:

बैंक भारत सरकार की आरक्षण नीति का कड़ाई से पालन कर रहा है। प्रधान कार्यालय के साथ-साथ सभी आंचलिक कार्यालयों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए अलग कक्ष स्थापित किया गया है जो आरक्षण नीति को लागू करने और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के कर्मचारियों से संबंधित शिकायतों के निवारण में विशेष ध्यान रखता है। महाप्रबंधक के रैंक में अलग-अलग कार्यकारी अधिकारियों को क्रमश: एससी/पीडब्ल्यूडी/भूतपूर्व-सैनिक, एसटी और ओबीसी के लिए मुख्य संपर्क अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाता है। इसी प्रकार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के अधिकारियों को आंचलिक कार्यालय में कक्ष/संपर्क अधिकारी के रूप में नामित किया गया है।

बैंक में आर्थिक रूप से कमजोर (ईडब्ल्यूएस) वर्गों के लिए सीधी भर्ती में आरक्षण 01 फरवरी 2019 से लागू किया गया था।

तिमाही बैठकें

बैंक प्रधान कार्यालय में अखिल भारतीय अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग कर्मचारी कल्याण संघ के प्रतिनिधियों के साथ नियमित रूप से तिमाही बैठकें आयोजित करता है। साथ ही इस तरह की बैठकें हमारे सभी आंचलिक कार्यालयों में तिमाही रूप से आयोजित की जाती हैं।

प्रशिक्षण

बैंक ने एससी/एसटी/ओबीसी कर्मचारियों के लिए पदोन्नति पूर्व प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए हैं। बैंक एससी/एसटी/ओबीसी कर्मचारियों को बाहरी प्रशिक्षण संस्थाओं में भी प्रशिक्षण के लिए नामित करता है।

रोस्टर

पदों के सभी समूहों अर्थात ग्रुप ए से ग्रुप डी के लिए सीधी भर्ती के माध्यम से की गई नियुक्तियों के रखरखाव के लिए पोस्ट आधारित रोस्टर रजिस्टर वार्षिक आधार पर तैयार किए जाते हैं। पदोन्नति के मामले में, स्केल- छ्छ तक अलग रोस्टर रजिस्टर बनाए जाते हैं। वित्तीय सेवा विभाग द्वारा निर्धारित प्रारूप के अनुसार रोस्टर रजिस्टर तैयार किए जाते हैं।

यथा 31.03.2023 तक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/ईडब्ल्यूएस कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व:

संवर्ग	एससी	कुल स्टाफ का %	एसटी	कुल स्टाफ का %	ओबी	कुल स्टाफ का %	ईडब्ल्यूएस	कुल स्टाफ का %	कुल
अधिकारी	4764	17.97%	2440	9.20%	7782	29.35%	254	0.96%	26510
लिपिक	2950	14.93%	2308	11.68%	5419	27.42%	546	2.76%	19764
अधीनस्थ	2007	33.82%	701	11.81%	1638	27.60%	-	-	5935
कुल	**9721**	**18.62%**	**5449**	**10.44%**	**14839**	**28.42%**	**800**	**1.53%**	**52209**

अध्ययन एवं विकास:

अध्ययन एवं विकास विभाग द्वारा आंतरिक प्रतिभा विकास एवं कक्षा के माध्यम से प्रशिक्षण प्रदान करने का कार्य किया जा रहा है। बैंक ने अपने कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए हाइब्रिड मोड अपनाया है। बैंक के 7 प्रशिक्षण महाविद्यालयों ने हाइब्रिड मोड का उपयोग करते हुए वित्तीय वर्ष के दौरान 38600 से अधिक कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदान किया है। बैंक कर्मचारियों की क्षमताओं को बढ़ाने तथा विभिन्न खण्डों में लगातार बदलती कारोबार परिस्थितियों को पूरा करने के लिए और उन्हें सही कौशल एवं ज्ञान प्रदान करने के लिए ई-लर्निंग मॉड्यूल का उपयोग कर रहा है। 18000 से अधिक अधिकारियों ने विभिन्न ई-लर्निंग मॉड्यूल उत्तीर्ण किए हैं। स्टाफ सदस्यों की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए बैंक ने प्रशिक्षण संस्थाओं जैसे मणिपाल ग्लोबल, आईएमआई नई दिल्ली, एएससीआई हैदराबाद, सीएबी पुणे, आईआईबीएफ़, एनआईबीएम पुणे इत्यादि के साथ अनेक समझौते किए हैं। सीवीसी दिशा-निर्देशों के अनुसार, हाल में भर्ती हुए अधिकारियों के एक समान आरंभिक प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा नए अधिकारियों एवं मध्यम कैरियर अधिकारियों हेतु उपचारात्मक सतर्कता संबंधी कार्यक्रम भी बैंक द्वारा अपनाया गया है। प्रशिक्षण महाविद्यालयों द्वारा हाल में भर्ती किए गए सभी 625 अधिकारियों के लिए आरंभिक प्रशिक्षण प्रारंभ किया गया और पूरा कर लिया गया है। स्केल IV और उससे ऊपर के 1900+ अधिकारियों के लिए विकास केन्द्रों द्वारा कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं और व्यक्तिगत विकास योजनाएं तैयार की गई हैं। प्रत्येक शुक्रवार की शाम को प्रशिक्षण महाविद्यालयों द्वारा विभिन्न बैंकिंग विषयों पर साप्ताहिक वेबिनार आयोजित किए जाते हैं। सभी प्रशिक्षण महाविद्यालय संयुक्त रूप से 'दर्पण' नामक मासिक पत्रिका का प्रकाशन करते हैं। प्रशिक्षण महाविद्यालयों द्वारा प्रकाशित अन्य पुस्तकें जैसे कि संदीपनी एवं विजेता कर्मचारियों के कौशल विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

22. ग्राहक श्रेष्ठता शाखा बैंकिंग

बैंक ने बोर्ड की ग्राहक सेवा समिति को सशक्त बनाया है, जो एक शीर्ष स्तरीय बोर्ड समिति है, जो हमारे बैंक में ग्राहक सेवा का मूल्यांकन करने के लिए अधिकृत है।

बैंक की ग्राहक सेवा पर एक स्थायी समिति है, जो बैंक के विभिन्न विभागों और बोर्ड की ग्राहक सेवा समिति के बीच सेतु का काम करती है।

प्रभावी निगरानी और समय पर समीक्षा के लिए बैंक ने एक सामान्य डिजिटल प्लेटफॉर्म पर शिकायत पंजीकरण के कई चैनलों के एकीकरण के लिए नियामक आवश्यकता के अनुसार सीआरएम नेक्स्ट मॉड्यूल को अपनाया है।

बैंक की विभिन्न नीतियां जैसे ग्राहक अधिकार नीति और ग्राहक शिकायत निवारण नीति विनियामक आवश्यकताओं के अनुसार मौजूद हैं और नियामक प्राधिकरणों के निर्देशों / दिशानिर्देशों के अनुसार परिवर्तनों को शामिल करने के लिए समय-समय पर उनकी समीक्षा की जाती है। ये सभी नीतियां सार्वजनिक डोमेन पर रखी गई हैं। हमने पूर्णत:/आंशिक रूप से अस्वीकृत शिकायतों की समीक्षा करने और निर्णय देने के लिए आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार आंतरिक लोकपाल नियुक्त किया है।

बैंक के पास दो केंद्रों पर स्थित एक पूर्ण विकसित कॉल सेंटर है। ऐरोली (नवी मुंबई) और बेगमपेट (हैदराबाद) ग्राहकों/गैर-ग्राहकों को 24x7 सहायता प्रदान करते हैं।

बैंक पारदर्शी तरीके से उच्च स्तर की ग्राहक सेवा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। बैंक ग्राहकों की प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए नियमित आधार पर ग्राहकों की बैठकें करता है ताकि बैंक द्वारा पेश किए जाने वाले विभिन्न बैंकिंग उत्पादों पर उचित निर्णय लेने में बैंक सक्षम हो सके।

23. शाखा नेटवर्क एवं विस्तार - शाखा विस्तार विभाग

भौगोलिक रूप से भारत एवं विदेश में बैंक का शाखा नेटवर्क काफी विस्तृत है। 31.03.2023 की स्थिति के अनुसार, बैंक की भारत में 5129 शाखाएं थी। विदेशों में बैंक की 21 शाखाएं, 4 अनुषंगियाँ, 1 संयुक्त उद्यम एवं 1 प्रतिनिधि कार्यालय हैं तथा सभी टाइम जोन एवं वैश्विक स्तर पर सभी महत्वपूर्ण वित्तीय केन्द्रों पर बैंक की उपस्थिति है। वर्ष 2022-23 के दौरान, बैंक ने 29 नई शाखाएं खोली हैं। बैंक के शाखा नेटवर्क की संरचना निम्न प्रकार है:-

वर्ग	31.03.2022		31.03.2023	
	शाखाओं की संख्या	कुल का %	शाखाओं की संख्या	कुल का %
महानगरीय	991	19.41	991	19.32
शहरी	815	15.97	829	16.16
अर्ध-शहरी	1462	28.64	1456	28.39
ग्रामीण	1837	35.98	1853	36.13
कुल घरेलु शाखाएं	5105	100	5129	100
विदेशी शाखाएं	22		21	
कुल शाखाएं	5127		5150	

24. **घरेलू अनुषंगी प्रबंधन प्रभाग:**

बीओआई शेयरहोल्डिंग लिमिटेड (बीओआईएसएल)

बीओआईएसएल में बैंक का निवेश रु.6.65 करोड़ है, जो बैंक की 100% अनुषंगी है। बीओआईएसएल राष्ट्रीय प्रतिभूति निक्षेपागार लि.(एनएसडीएल) और केंद्रीय निक्षेपागार सेवा (भारत) लि. (सीडीएसएल) दोनों निक्षेपागारों हेतु निक्षेपागार सहभागी (डीपी) के रूप में कार्य करता है।

बैंक ऑफ इंडिया इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स प्रा.लि.(बीओआईआईएम) तथा बैंक ऑफ इंडिया ट्रस्टी सर्विसिस प्रा.लि. (बीओआईटीएस) (पूर्व में बीओआई स्टार इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स प्रा. लि. तथा बीओआई स्टार ट्रस्टी सर्विसिस प्रा.लि.)

ये अनुषंगी, सेबी इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र विनियमन के तहत म्यूचुअल फंड और पोर्टफोलियो प्रबंधन के कारोबार में हैं। बैंक ऑफ़ इंडिया रु.78.90 करोड़ के सम्मलित निवेश के साथ बीओआईआईएम और बीओआईटीएस में 100ड्ड शेयरधारक है।

बीओआई मर्चेंट बैंकर्स लि.(बीओआईएमबीएल) :

बीओआई मर्चेंट बैंकर्स का 31.10.2014 को सामूहिक ऋण, बॉन्ड तथा डिबेंचर की व्यवस्था करने सहित मर्चेंट बैंकिंग कारोबार करने हेतु संस्थापित किया गया था। यह बैंक की रु.10 करोड़ की प्रदत्त पूंजी के साथ पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी है।

एसटीसीआई फाइनांस लिमिटेड

1994 में स्थापित एसटीसीआई फाइनान्स लि. जमाराशि स्वीकार नहीं करने वाली एक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी है। बैंक ऑफ़ इंडिया एसटीसीआई में रु.380 करोड़ की प्रदत्त पूंजी के साथ 29.96% (रु.130.10 करोड़ का निवेश) धारिता वाला सबसे बड़ा हितधारक है। एसटीसीआई प्राइमरी डीलर लि. (एसटीसीआईपीडी), एसटीसीआई फाइनांस लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व की अनुषंगी है। एसटीसीआईपीडी ने 25 जून 2007 से परिचालन शुरू किया तथा यह देश के अग्रणी डीलरों में से एक है।

स्टार यूनियन दाई-इची लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.(सुड लाइफ)

अपने ग्राहकों को जीवन बीमा सेवाएं प्रदान करने के लिए बैंक ऑफ़ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ़ इंडिया तथा दाई-इची लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, जापान ने ''स्टान यूनियन दाई-इची लाइफ इंश्योरेंस कंपनी'' का गठन किया है। कंपनी ने फरवरी, 2009 से बीमा कारोबार आरंभ किया। कंपनी में बीओआई की धारिता 28.96% (रु.132.92 करोड़ का निवेश) है, यूबीआई की धारिता 25.10% तथा दाई-इची लाइफ इन्टरनेशनल होल्डिंग्स की अंतरराष्ट्रीय धारिता 45.94% है।

एएसआरईसी (इंडिया)लि. को जांच तथा आस्ति पुनर्गठन गतिविधियां करने के लिए यूनिट ट्रस्ट ऑफ़ इंडिया (एसयूयूटीआई) के विनिर्दिष्ट उपक्रम द्वारा शुरू किया गया था। कंपनी की रु.98 करोड़ की इक्विटी पूंजी में बैंक की हिस्सेदारी 26.02ड्ड (रु.27.60 करोड़ का निवेश) है।

निवेश/गठबंधन:

नेशनल एसेट रिकन्स्ट्रकशन कंपनी लि. (एनएआरसीएल) - आईबीए ने बैंकिंग क्षेत्र में एनपीए समस्या के समाधान करने के लिए बैड बैंक स्थापित किया है। बैंक ने 9ड्ड धारिता के साथ कंपनी में रु.126.81 करोड़ क निवेश किया है।

इंडिया डेब्ट रेज़लूशन कंपनी लि. (आईडीआरसीएल) - आईबीए ने क्षेत्रीय विशेषज्ञ और टर्न अराउंड विशेषज्ञ सहित एनएआरसीएल को डेब्ट मैनेजमेंट सर्विस प्रदान करने के लिए आईडीआरसीएल की भी स्थापना की गई है। बैंक ने 4ड्ड शेयर धारिता सहित कंपनी में रु.0.80 करोड़ का निवेश किया है।

डिजिटल कॉमर्स के लिए खुला नेटवर्क (ओएनडीसी):

ओएनडीसी को दिसंबर 2021 में सेक्शन 8 कंपनी के रूप में शामिल किया गया था, जो भारत में डिजिटल कॉमर्स को फिर से कल्पना करने और डिजिटल कॉमर्स के लिए विश्व स्तर पर प्रतिकृति मॉडल स्थापित करने का मार्ग प्रशस्त करने के लिए विश्व स्तर पर अपनी तरह की पहली पहल थी। बैंक ने 5.56% होल्डिंग के साथ कंपनी में रु.10.00 करोड़ का निवेश किया है।

नेशनल कमोडटीज़ मैनेजमेंट सर्विसेस लि.(एनसीएमएल) को नेशनल कमोडिटी एण्ड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज लि. (एनसीडीईक्स) द्वारा प्रवर्तित है। यह प्रतिभूतियों तथा वस्तुओं के सुरक्षित प्रबंधन तथा नियंत्रण रखने के लिए संपार्श्विक प्रबंधन सेवाओं को बढ़ावा देने तथा उपलब्ध कराने हेतु 28.09.2004 को निगमित हुआ। रु.3 करोड़ के निवेश के साथ कंपनी की इक्विटी पूंजी में बैंक की धारिता 2.34% है।

स्विफ्ट इंडिया डोमेस्टिक सर्विस प्रा.लि. एक संयुक्त उद्यम कंपनी है जिसे स्विफ्ट और बैंक ऑफ़ इंडिया सहित 9 प्रमुख बैंकों द्वारा प्रोन्नत किया गया है। स्विफ्ट के पास इक्विटी की 55% धारिता है और शेष 45% धारिता 9 प्रमुख बैंकों के पास है। कंपनी में रु.7.71 करोड़ के निवेश के साथ बैंक ऑफ इंडिया का इक्विटी स्टेक 3.26% है।

एक्यूट रेटिंग एंड रिसर्च लिमिडेट एक प्रमुख ऋण रेटिंग एजेंसी डन एण्ड ब्रैडस्ट्रीट के सहयोग से सिडबी द्वारा वित्तीय वर्ष 2005-06 के दौरान एसएमईआरए की स्थापना की गई। कंपनी का प्रमुख उद्देश्य एक व्यापक, पारदर्शी और विश्वसनीय रेटिंग प्रदान करना है जिससे एसएमई क्षेत्र को बड़ी मात्रा में और आसानी से ऋण की उपलब्धता होगी। रु.0.28 करोड़ के निवेश के साथ इसकी इक्विटी पूंजी में बैंक की धारिता 1.88% है।

अन्य महत्वपूर्ण निवेश :

बैंक का, सिडबी (रु.45.30करोड़), मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज लि. (रु.27.50 करोड़) , एनपीसीआई (रु.10 करोड़), इन्वेंट एसेट सिक्यूरिटाजेशन एण्ड रिकन्स्ट्रक्शन प्रा. लि. (रु.10 करोड़), एसबीआईडीए. फएचआई (रु.5.54 करोड़), सीईआरएसएआई (रु.2.16 करोड़), एग्रीकल्चरल फाइनांस कॉरपोरेशन लि. (रु.1.26 करोड़), सेन्ट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन लि. (रु.1.11 करोड़), पीएसबी एलायंस (रु.2.14 करोड़), सीएससी ई-गवर्नेंस सर्विसेस इंडिया लि. (रु.1 करोड़), क्लियरिंग कॉरपोरेशन ऑफ़ इंडिया (रु.0.50 करोड़), यू.वी.एसेट रिकन्स्ट्रक्शन कं. लि. (रु.0.15 करोड़) में भी महत्वपूर्ण निवेश है।

25. धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन

उत्तम कारपोरेट शासन,धोखाधड़ीपूर्ण गतिविधियों को नियंत्रित करने में एक महत्वपूर्ण कारक के रूप में कार्य करता है। यह सच है कि धोखाधड़ी को समाप्त नहीं किया जा सकता,लेकिन एक सक्रिय फ्रेमवर्क और दृष्टिकोण के साथ, अन्य कारोबारी जोखिमों की तरह धोखाधड़ी जोखिमों का प्रबंधन किया जा सकता है और कम किया जा सकता है, जैसे कि -

- परिचालन मैनुअल एवं एसओपी द्वारा समर्थित बोर्ड - अनुमोदित नीति के अनुसार धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन ढ़ाचा तैयार करना और उसका प्रबंधन करना,
- विनियामकों एवं बोर्ड को धोखाधडियों की रिपोर्टिंग करना,
- प्रधान कार्यालय के स्टेकधारक विभागों की मदद से धोखाधड़ी मामलों के मूल कारणों का विश्लेषण और निदान तथा उपचारी उपायों का कार्यान्वयन, उत्पाद की कमियों के संबंध में जोखिम कम करना,
- परिपत्रों/अनुदेशों के जरिए समान प्रवृत्ति की धोखाधड़ी की कार्यप्रणाली और धोखाधड़ी के कारणों की जानकारी देना ताकि शाखाओं में उक्त प्रकार की धोखाधड़ी की पुनरावृत्ति को रोका जा सके,
- अध्ययन एवं विकास विभाग के समन्वय में, स्टाफ को धोखाधड़ी निवारण पर शॉर्ट अलर्ट संदेशों टिकरों/एमएमएस एवं प्रशिक्षण के माध्यम से आवधिक संदेशों/वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जागरूक करना,
- कार्ड को छोड़कर सभी नॉन-क्रेडिट वितरण चैनलों को शामिल करने वाले उद्यम व्यापक धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन समाधान (ईएफआरएम) को घरेलू शाखाओं एवं विशेष विदेशी केंद्र को कवर करते हुए लागू किया गया है,
- डिजिटल बैंकिंग विभाग के साथ समन्वय में, आवश्यक डेटा प्रदान करने के लिए एलईए द्वारा प्रबंधित भारतीय साइबर अपराध समन्वय केन्द्र (I4C) पोर्टल पर काम करते हुए, ग्राहकों को और नुकसान से रोकने के लिए खातों को फ्रीज़ करना,
- शाखाओं/ नियंत्रक कार्यालयों द्वारा कानून प्रवर्तन एजेंसियों (एलईएएस) के पास शिकायतें दर्ज कराना।
- एम.एच.ए. (गृह मंत्रालय) के निदेशों के आधार पर आईबीए (भारतीय बैंक संघ) के मौजूदा दिशा-निर्देशानुसार एल.ओ.सी. जारी करना।

वर्ष के दौरान विशेषताएँ:

- वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान रिपोर्ट की गई धोखाधड़ी की घटनाओं की राशि **रु.582.59 करोड़** है, जो वित्त वर्ष 2021-22 में रिपोर्ट की गई धोखाधड़ी की राशि **रु.5793.22 करोड़** की तुलना में काफी कम है।
- वित्तीय वर्ष 2022-23 में कर्मचारियों की भागीदारी वाली आंतरिक धोखाधड़ी रु.2.81 करोड़ रुपये थी, जो रु.582.59 करोड़ रुपये की रिपोर्ट की गई कुल धोखाधड़ी का केवल 0.48% है तथा पिछले साल रिपोर्ट की गई धोखाधड़ी से 21.72% की महत्वपूर्ण कमी भी दर्शाता है। यह आंतरिक नियंत्रण में सुधार को दर्शाता है।

26. सर्तकता प्रबंधन :

केन्द्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) की सामान्य निगरानी में, बैंक में सतर्कता प्रशासन के लिए, सर्तकता विभाग है जिसका नेतृत्व मुख्य सतर्कता अधिकारी करते हैं। घरेलू परिचालनों, विदेशी परिचालनों तथा अनुषंगियों में, बैंक के अधिकारियों के सभी सतर्कता संबंधी मामलों को सर्तकता विभाग कवर करता है।

बैंक ऑफ़ इंडिया द्वारा प्रायोजित तीन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों यथा विदर्भ-कोकण ग्रामीण बैंक, आर्यावर्त बैंक तथा मध्यप्रदेश ग्रामीण बैंक के सतर्कता प्रशासन की देखरेख भी सतर्कता विभाग करता है।

सतर्कता विभाग, मुख्य सतर्कता अधिकारी के अंतर्गत कार्य करता है जिनकी सहायता एक उप महाप्रबंधक तथा अन्य अधिकारी करते हैं जिन्हें अन्वेषण तथा अनुशासनात्मक मामलों के क्षेत्र में अनुभव है। परिचालनात्मक सहायता के लिए, सतर्कता विभाग, प्रधान कार्यालय के सीधे नियंत्रण में 13 सतर्कता इकाइयाँ कार्य कर रहीं हैं जो सभी राष्ट्रीय बैंकिंग समूहों (एन.बी.जी.) को कवर करती हैं। विदेशी केन्द्रों में कार्यरत समवर्ती लेखा परीक्षक विदेशी शाखाओं हेतु सतर्कता अधिकारी की भूमिका निभाते है।

सतर्कता प्रशासन के सभी 3 कार्यप्रणाली जैसे निवारक, खोजबीन संबंधी तथा दण्डात्मक सतर्कता के मूलभूत आधार पर सतर्कता विभाग कार्य करता है तथा इसका लक्ष्य यह है कि संस्था की प्रबंधकीय दक्षता के स्तर को बढ़ाया जाए। डीएफएस,डीओपीटी, सीवीसी द्वारा जारी परिपत्रों,दिशानिर्देशों तथा अनुदेशों इत्यादि के सार को शामिल करते हुये संसूचनाएं निवारक सतर्कता के अन्य संबंधित विषय के साथ-साथ समय समय पर फील्ड पदाधिकारियों/ कार्यालयों को परिचालित किया जाता है।

27. लाभांश वितरण नीति

सेबी (सूचीकरण दायित्व और प्रकटन आवश्यकता) विनियमन, 2015 के विनियम 43ए के अनुसार बैंक ने लाभांश वितरण नीति बनाई है और यह हमारी वेबसाइट- https://bankofindia.co.in/documents/20121/0/DDP.pdf/ba6223a7-2777-012c-3ca7-f27b7f718d9a?t=1663666944772 पर उपलब्ध है।

28. कारोबार दायित्व और धारणीयता रिपोर्टिंग 2022-23

सेबी (सूचीकरण दायित्व और प्रकटन आवश्यकता) विनियमन,2015 के विनियम 34 (2) (एफ़) के अनुसार कारोबार दायित्व एवं धाराणीयता रिपोर्ट हमारी वेबसाइट- www.bankofindia.co.in पर उपलब्ध है।

29. बेसल-III (स्तंभ 3) प्रकटीकरण (समेकित) मार्च 2023

पूंजी पर्याप्तता और चलनिधि मानक पर विवेकपूर्ण दिशानिर्देश - संशोधन, इस विषय पर आरबीआई परिपत्र डीबीआर.सं.बीपी.बीसी.80/21.06.201/2014-15 दिनांक 31 मार्च 2015 के साथ पठित बासल घ्घ्घ पूंजी विनियमों पर आरबीआई परिपत्र आरबीआई/2022-23/12 डीओआर.सीएपी.आरईसी.3/21.06.201/2022-23 दिनांक 1 अप्रैल 2022 के अनुसार बैंकों के लिए यह आवश्यक है कि वे बासेल III ढांचे के तहत लीवरेज अनुपात और चलनिधि कवरेज अनुपात सहित लागू पिलर 3 प्रकटीकरण करें। ये प्रकटन बैंक की वेबसाइट पर इस लिंक पर उपलब्ध हैं - https://bankofindia.co.in/regulatory-disclosure-section.

30. भारतीय लेखांकन मानक (Ind-AS) के कार्यान्वयन हेतु कार्यनीति एवं उसकी प्रगति :

आरबीआई ने अपने परिपत्र डीबीआर.बीपी.बीसी.संख्या 29/21.07.001/2018-19 दिनांक 22 मार्च, 2019 के माध्यम से इंड एएस के कार्यान्वयन को अगली सूचना तक स्थगित कर दिया क्योंकि आरबीआई द्वारा अनुशंसित बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 में विधायी संशोधन भारत सरकार के विचाराधीन हैं। हालांकि, आरबीआई यह आवश्यक करता है कि सभी बैंक हर छमाही में प्रोफार्मा इंड एएस वित्तीय विवरण प्रस्तुत करें। तदनुसार, हमारे बैंक में इंड एएस के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए गठित संचालन समिति के अनुमोदन से बैंक, सितंबर-2021 से अर्ध-वार्षिक रूप से आरबीआई प्रोफार्मा इंड एएस वित्तीय विवरण (पीएफएस) तैयार कर रहा है और प्रस्तुत कर रहा है। पीएफएस को, सूचना और रिपोर्टिंग के लिए, बोर्ड और बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति के समक्ष भी प्रस्तुत किया जाता है।

आभार:

बैंक का निदेशक मंडल (बोर्ड), भारत सरकार, भारतीय रिज़र्व बैंक, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड तथा अन्य विनियामकीय प्राधिकरणों के प्रति उनके यथोचित मार्गदर्शन तथा सहायता के लिए अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता है। बोर्ड वित्तीय संस्थाओं एवं प्रतिनिधि बैंकों के सहयोग एवं सहायता के लिए उनके प्रति भी आभार व्यक्त करता है। बोर्ड ग्राहकों, कारोबार सहयोगियों एवं शेयरधारकों की असीमित सहायता हेतु आभार व्यक्त करता है। साथ ही बोर्ड बैंक के समग्र कार्यनिष्पादन के लिए स्टाफ की समर्पित सेवाओं और सहयोग के लिए उनकी प्रशंसा करता है।

बोर्ड के निदेशकों हेतु एवं उनकी ओर से

ह/-

रजनीश कर्नाटक

प्रबंध निदेशक एवं सीईओ

स्थान : मुंबई

दिनांक : 06 मई, 2023

MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS

I. GLOBAL SCENARIO

The year 2022-23 was unique in terms of multiple shocks and challenges leading to economic uncertainty, geopolitical hostilities, financial volatility triggered by Russia Ukraine war disrupting the restoration of the supply chains and hindering the global economic recovery process. The result was persistent build up of inflationary pressures across the globe in terms of soaring prices of food, fuel and fertilizer. To combat this situation, Central Banks throughout the world responded with monetary policy tightening and fast rise in policy rates. This posed a downside risk to global economic growth prospects due to contraction in consumption and output. As per the estimates by the IMF, as against growth of 6.4% during 2021, the global output contracted to 3.4% during 2022.The advanced economies grew by 2.7% and the emerging market and developing economies grew by 4.0%. Thus the slowing of global growth accompanied by supply chain disruptions also moderated global trade. Global trade growth slowed from 10.4% in 2021 to 5.1% in 2022. Global inflation increased from 4.7% in 2021 to a high of 8.7% in 2022. There were large currency depreciations in Emerging market economies, capital flight, investor risk aversion and debt distress.

The renewed phase of turbulence surfaced in global economy towards the end of FY 23 in the form of banking sector turmoil in US and Europe. This brought into picture vulnerabilities in the banking sector and fears of contagion have risen across the broad financial sector.

2. DOMESTIC ECONOMIC SCENARIO:

Notwithstanding the challenges from global spillovers, the Indian economy remained on the path of recovery on account of normalization of domestic supply chains, restoration of consumer confidence and rebounding of activity in contact intensive sectors. The economy exhibited resilience & stability due to strong macroeconomic fundamentals, well regulated & capitalized banking sector and robust balance sheets of corporate sector. This spurred a rebound in credit demand facilitated by a large increase in capex by the government.

As per the latest estimate of the National Statistical Office (NSO), the GDP grew by 7% in 2022-23 amidst global headwinds. With this, Indian economy became one of the fastest growing major economies of the world during 2022-23. Agriculture and allied sector remained buoyant in 2022-23 with gross value added registering a growth of 3.3% as a result of record production of food grains, sugarcane, rapeseed and mustard.

Industrial output measured by the index of industrial production (IIP) registered a growth rate of 5.1% during FY23 as compared to 11.4% last year. Among the three subsectors, manufacturing sector largely shaped the industrial sector recovery but slowdown in global demand affected manufacturing activity in second half of FY 23 and growth moderated to 4.5 %. On the other hand mining recorded growth of 5.8% and electricity generation depicted good growth of 8.9% in 2022-23. As per the use-based classification, primary goods and infrastructure/construction goods recorded robust growth on a y-o-y basis while capital goods production got fillip from government led investment in infrastructure. On the other hand, production of consumer goods remained muted with production of consumer durables remaining below the pre-pandemic output levels of 2019-20 and production of consumer non-durables remained almost flat in 2022-23.

Services sector exhibited rebound in economic activities and revived strongly in 2022-23 led by construction, domestic trade and transport which surpassed their pre-pandemic levels. On the other hand the sectors which faced the major brunt of covid-19 pandemic like aviation, tourism and hospitality have recovered considerably.

Both Retail inflation (CPI) and WPI remained at elevated level especially during first half of the year due to various factors such as supply side bottleneck, sharp increase in global prices of crude oil, food, fertilizers, and metals. Thus passing through of higher input costs along with renewed supply disruptions in the aftermath of the war accentuated the situation. However with softening of global commodity prices, the promptness of measures taken by the government, normalization of global supply chains and successive hikes in the policy repo rate by the RBI, inflation moderated in second half of the year 2022-23. The overall headline CPI inflation moved up from 5.5 % in 2021-22 to 6.7% in 2022-23 exhibiting stickiness in core inflation throughout the year above the pre pandemic levels.

Despite global slowdown and persisting geopolitical tensions, India's merchandise exports grew by 6.7% and reached $ 450.4 billion in 2022-23 as compared to 44.6% growth in the previous year. The major driver of export growth were petroleum products whose share in export basket rose from 16% in FY 22 to 21.6 % in FY 23. Moreover strong growth was witnessed in services exports with record growth of 27.9% led by software services. However merchandise imports grew at a faster rate than exports by 16.5 % owing to strong domestic demand recovery during 2022-23 and touched $714.0 billion during the same period. With this, trade deficit rose by about 38% from the previous year of $192.24billion to $263.6 billion in FY 23. During 2022-23, net inflows under FDI stood at $28 billion, a tad lower than that during 2021-22 (i.e. $38.6 billion). However net portfolio outflows were to the tune of $5.9 billion during the year. For the nine months period during FY23, though the current account deficit (CAD) stood at 2.7% of GDP as against 1.1% during the corresponding period of FY22 but it remained within sustainable level. These factors culminated in decline in foreign Exchange reserves by $28.9 billion from end of March 22 to end of March 23 and stood at $578.4 billion and provided cover of almost 9 months of import projected for 2022-23. Nevertheless, Indian economy appeared resilient on external front also with its vulnerability indicators like external debt (as a ratio to GDP) and others faring better than most peer emerging market economies.

On fiscal front, with the bouncing back of economy, tax revenues remained robust due to significant increase in GST collections, income tax and corporation tax and there was rationalization of revenue expenditure. The Gross fiscal deficit improved from 6.75% of GDP in FY22 to 6.45% of GDP in FY23. (as per revised estimates). Maiden issuance of Sovereign Green Bonds (SGrBs) by the central government during the year was a landmark development in the fiscal

arena. The proceeds of the bond will be used in those public sector projects that reduce the emission intensity of the economy.

3. BANKING AND FINANCIAL SECTOR DEVELOPMENTS:

During FY23, the banking industry witnessed a higher advances growth and lower deposits growth. The advances registered a double digit growth of 15% against 9.6% in FY22 and deposits grew by 9.6% against 8.9% during FY22. Return of consumer optimism and improvement in business outlook during the year sustained credit growth. Credit flow to all the sub-sectors i.e. agriculture, industrial and services sector increased by 15.4%, 5.7% and 19.8% respectively, which was much higher than that during the previous year except industrial sector. The financial performance of the Banks was encouraging in terms of rise in NII, in the rising interest rate cycle, leading to strong growth in Operating profit, Net profit and improvement in ROA and ROE ratios. The asset quality also considerably improved with GNPA ratio coming below 5% and NNPA to less than 2% and there was containment of fresh slippages.

With a thrust on digitalization and inclusive growth, 75 Digital Banking units (DBUs) were set up in 75 districts in the country for adopting digital modes of doing banking transactions in the country. The no. of DBUs increased to 84 as on March 31, 2023. Moreover RBI introduced Central Bank Digital Currency (CBDC) in phases during the year in the wholesale and retail segments on Nov.1, 2022 and Dec.1, 2022 respectively.

Though RBI's withdrawal of accommodative stance in the monetary policy led to gradual reduction in the level of surplus liquidity in the system, a calibrated approach was followed to ensure availability of liquidity to meet the credit needs of productive sectors of the economy. In April 2022, Standing deposit facility (SDF) was introduced which enabled banks to deposit excess funds to RBI without necessity of collateral in the form of Govt. securities. The aim was effective liquidity management in a collateral free manner. The daily absorption under the SDF during 2022-23 averaged 1.5 lakh Cr while through VRRR auctions the amount absorbed averaged 1.4 lakh Cr. There was 50 basis points increase in CRR to 4.5% which resulted in withdrawal of primary liquidity to the tune of Rs.87,000 Cr from the banking system. The daily net liquidity absorption came down from a daily average of Rs. 6.6 lakh Cr in March 2022 to Rs. 0.14 lakh Cr in March 2023. Moreover to counter frictional liquidity pressures on account of GST payments, advance tax outflows and usual year end tightness, VRRR auctions were conducted from time to time.

The G-sec yield followed an upward trajectory and hardened initially during the first quarter of FY 2023 on concerns of high inflation worldwide and policy rate hikes across the globe. However change in macroeconomic conditions like lowering of crude oil prices, fall in inflation level, a slower rate of hikes and general moderation in government bond yield in the US brought down the yield in between but again moved up. The 10 year benchmark yield rose from 6.79% as on March 31, 2022 to high of 7.50% as on June 30, 2023 and ended up at 7.31% as on March 31, 2023.

The Rupee-USD exchange rate exhibited orderly movement during the year in tandem with global developments mostly with depreciating bias in nominal terms. The Indian rupee has depreciated against USD by 8.3% from April 2022 to Dec.2022. The main causal factors affecting rupee to depreciate against USD were the outflow in foreign portfolio investment, appreciation of USD against all other currencies, rise in crude oil prices, monetary policy normalization and geopolitical tensions. The Rupee-USD exchange rate moved from Rs.75.79 as on March, 31, 2022 to Rs.82.18 as on March 31, 2023. However, the depreciation of rupee against the USD is lower than that of the currencies of emerging market peers.

The year 2022-23 was significant in terms of numerous policy measures taken by the Govt. and RBI in continuation with past trend for promoting stability, sustainable growth and strengthening the system to remain resilient amidst global uncertainties. RBI withdrew the accommodative stance and cumulatively increased the policy repo rate by 250 basis points to anchor inflationary expectations while fostering growth. The Foreign Trade policy (FTP) 2023 was announced on March 31, 2023 to promote an export friendly environment by enhancing ease of doing business and exploring more trade in Indian rupee. On the fiscal front, capital expenditure of the Government increased by 63.4% in the first eight months of FY 23 leading to crowding in of private investment and increasing animal spirits in the economy spurring capital investment cycle. Moreover with focus on Aatmanirbhar Bharat and Make in India programme, PLI schemes has been extended to other sectors also to enhance manufacturing capabilities. Further, in the Union Budget 2022-23, the Government has announced various growth-oriented measures such as 33% increase in capital investment to the tune of Rs.10 lakh Cr, emphasis on infrastructure expenditure with 'Gati Shakti', boosting logistics infrastructure for last mile connectivity under National Logistics Policy(NLP), strengthening agricultural extension services through digital public infrastructure etc. to provide a fillip to the growth momentum and cushion against global headwinds.

BUSINESS REVIEW:

1. RESOURCE MOBILISATION:

There has been an overall CASA growth of Rs 6,684 crore during the FY 2022-23 depicting a YoY growth of 2.72%. During the period the Saving Bank deposits have shown a higher growth of Rs.5,711 crore with 2.64% growth over last year. Bank has also registered growth in current deposits with base figures increasing by Rs 974 crore with 3.26% growth over last year. The TDR has also shown growth of Rs 11,732 crore with 3.91% growth over last year.

167418 new customer were added to the SB Diamond customer base, an increase of 4.75% YOY with a growth of Rs.7,647 crore in the deposit base of SB Diamond customers. Similarly the 2600 new customer were added to the CD diamond base, an increase of 1.96% growth over last year.

The CASA ratio stood at 44.73% at the end of FY 2022-23, The bank continues to focus on retails deposits & CASA.

2. ADVANCES:

Bank's Global Gross Advances improved from Rs. 4,57,014 crore as on 31.03.2022 to Rs. 5,15,852 crore as on 31.03.2023 showing an improvement of 12.87% on Y-o-Y basis. Gross Domestic Credit registered a moderate growth of 9.55% from Rs. 3,93,991 crore as on 31.03.2022 to Rs. 4,31,637

crore as on 31.03.2023. Bank caters to specialised needs of Corporates/Mid Corporates through 10 Large Corporate Branches and other Large Branches headed by AGMs/CMs. Further 18 branches at identified centres have been marked for Mid Corporate Business.

3. RETAIL:

The Retail loan segment grew at 17.41% and schematic retail growth of 18.01% during FY 2022-23. We kept our special focus on Home Loans and vehicle loans during the year.

The Home loan segment during the year recorded a growth of 15.60% from Rs. 44,895 crore to Rs. 51,897 crore. The Vehicle Loan segment recorded growth of 31.21% from Rs. 10,353 crore to Rs.13,584 crore during the year.

Bank has introduced Star Suvidha Express Personal Loan during the year for salaried customers, existing customers who have availed Home Loan, LAP & education loan and for pensioners. The Personal Loan segment recorded a growth of 26.12% from Rs. 5,483 crore to Rs.6,915 crore.

Bank has tie-up arrangement with Maruti Suzuki, Tata Motors, Mahindra & Mahindra and Kia for vehicle loans. Similarly, tie-ups with Housing.com, Nobroker.com and Prop Tiger for home loans.

Bank also extends Personal Loans to employees of PSUs/PSEs/Reputed Corporates/ Institutions under tie up arrangement with employer.

Apart from Home Loans, Vehicle loans & Personal Loans, we also extend Loan against Property and Education Loans.

4. MSME (MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES):

The MSME sector is the backbone of the Indian economy and plays an important role in the employment and income generation adding to the decentralize growth of the economy with low per capita investment. MSME Sector contributes 30.74% of GDP of Nation and 49.35% of total exports. The MSME sector is expected to rebound sharply with 15-17% growth for the current financial year 2022-23 on the back of demand recovery following the pick-up in economic activity with the gradual easing of Covid restrictions domestically and globally.

Focus on programmes, such as Make in India, Start Up India, Digital India, Aatmnirbhar Bharat and Ease Reforms have also brought major changes in MSME Credit at Bank's Level.

The performance under MSME segment of the Bank is as under:

GROSS MSME ADVANCES (EXCLUDING PWO & URI)					
Particulars	Mar-22	Dec-22	Mar-23	Growth YoY	Growth YOY (%)
GROSS MSME	64,750	69,250	70,777	6,027	9.31%

Highlights of FY 2022-23:

- During FY 22-23, 4,00,272 new MSME loan accounts have been added for loan amount of Rs.21,424Cr.
- Bank has launched E-Platform for digitized processing of MSME loans upto Rs.10 lakhs.
- Bank has sanctioned Rs.8273.58 Cr under the Mudra Loan during the year.
- ECLGS business reached to the level of Rs. 9002.64 Cr till March '2023.
- Bank has crossed TReDS business of Rs.2000.00 Cr and stood at Rs. 2,134.38 Cr at the end of March'23
- In order to amplify MSME portfolio and to penetrate the market of MSME loans, Policy on Business Sourcing Associates (BSA) has been approved during FY 22-23. The BSA shall work as extended arm of the bank to connect with prospective MSME borrowers.
- Bank has digitized the Channel Finance business with launch of its own portal.
- Bank's centralized processing centres (SMECC/SMEUC) for MSME loans have been increased to 98 across the country .
- Bank of India was conferred the MSME BANKING EXCELLENCE AWARD-2022 as Winner in "INNOVATIVE BANK" category and Runners up in "BEST BANK FOR PROMOTING SOCIAL SCHEME" by Chamber of Indian Micro, Small & Medium Enterprises(CIMSME),New Delhi.

5. AGRICULTURE FINANCE:

Priority Sector Advances:

The bank is serving to the priority and agriculture sectors, through its network of rural and semi-urban branches. The Bank has registered an outstanding level of Rs 1,64,411 crore (43.28 % of Average FY 22-23 ANBC) under Priority Sector Advances consisting of Agriculture Rs. 72,366 crore (19.00% of Average FY 22-23 ANBC). Out of which SF & MF Rs.43,244 crore (11.23% of Average FY 22-23 ANBC), SME Rs 68,678 crore out of which MSME Micro Rs. 43,136 crore (11.29% of Average FY 22-23 ANBC), Education Rs 2,206 crore, Housing Rs. 21,050 crore and other priority sector advances is Rs 112 crore. The Bank has achieved the regulatory ratios under Priority sector, SF & MF, MSME Micro and credit to weaker sections of FY 2022-23.

Amt in crore

Particulars	Amt. O/S		Y-O-Y Growth (Mar 22 / Mar 23)		% of Marc 23 Qtrs. ANBC
	Mar 22	Mar 23	Amt	%	
Total Agriculture	66418	72366	5948	8.96	19.00
Small & Marginal Farmers	38927	43244	4317	11.09	11.23
Micro Enterprises	39637	43136	3499	8.83	11.29
Priority Sector*	**151600**	**164411**	**12811**	**8.45**	**43.28**

*Total Agriculture and Priority Sector includes outstanding of RIDF & PSLC

Under Agriculture, Bank branches disbursed Rs 34,632 crore, whereas under Small and Marginal Farmers total disbursement during FY 2022-23 was Rs. 26,443 crore. Bank has issued 2.83 lakhs Kisan Credit Cards during the year with credit limits of Rs 4,219 crore for flexible credit

utilization. The Bank also extends financial assistance under Differential Rate of Interest at concessional rate of interest of 4% to low income groups. The Bank has sanctioned 191 cases under DRI scheme during the year involving Rs 4.95 crore. Bank's credit exposure to the Minority Communities is Rs 18,626 crores as on March 23 (13.59% of Priority Sector Lending against target of 15.00%). Amount O/s as on 31.03.2023 under weaker section is Rs. 56,558 crores (14.75 % for FY 22-23). Bank's finance to Food & Agro Industries as on 31.03.2023 is Rs. 7,348 crore.

Gold Loan: Gold loans registered incremental growth of Rs.6,187 Cr (YOY growth of 38.72%) during FY 22-23 and stood at Rs. 22,166 crore as on 31.03.2023.

Self Help Groups (SHGs): Bank has customer base of 6.52 lakhs Self Help Groups (SHGs) as on 31.03.2023 of which 2.76 lakhs SHGs are credit linked including 2.34 lakhs women SHGs as on 31.03.2023.

National Rural Livelihood Mission (NRLM): It is an important poverty eradication programme for rural poor. During the year Bank has disbursed Rs 4,755 crore to 1.76 lakhs borrowers.

Star Krishi Vikas Kendra (SKVK) : Presently, 138 SKVKs are functional in 61 Zones across all 13 NBGs. SKVK disbursed Rs.7,866 crore in last FY 22-23. In addition to this, 97 Agri Desks are operationalized in SME City centres for focused & quality growth in agriculture portfolio.

Lead Bank Scheme: The Bank has Lead Bank responsibility in 51 districts spread across five states of Jharkhand (15), Maharashtra (14), Madhya Pradesh (13), Uttar Pradesh (7) and Odisha (2). The Bank is convener of the State Level Bankers' Committee (SLBC) in the state of Jharkhand.

KCC Saturation: During year 2022-23 we have added 2.83 lakhs new KCC customer under KCC Saturation Campaign.

6. FINANCIAL INCLUSION:

Bank considers Financial Inclusion as a viable business proposition and has shifted outlook from "CSR" to "economic viability". ICT based solution to support and secure sufficiently low cost transactions required by the financial sector. Financial inclusion drive gained momentum with Pradhan Mantri Jan Dhan Yojna (PMJDY) programme. Bank has provided banking services in unbanked rural areas through ICT led Business Correspondents model.

PMJDY and Social Security Schemes:

During the FY 22-23, 16.98 Lakh PMJDY account has been opened. Bank has also actively participated in Social security schemes launched by Govt of India. During the FY 22-23, Bank has covered 31.97 Lakh account under PMSBY (Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana) and 37.82 Lakh account has been covered under PMJJBY (Pradhan Mantri Jivan Jyoti Bima Yojana) in this period. 6.54 Lakh number of APY (Atal Pension Yojana) new subscribers have been canvassed by the Bank in FY 22-23.

Star Hawker Atamnirbhar Loan (SHAL):

Star Hawker Atamnirbhar Loan (SHAL)-PMSVANidhi has been launched in June 2020 to provide hassle free Working Capital Demand Loan up to 10,000/- repayable in 12 EMI to Street Vendors under Tranche I. Second Tranche under PMSVANidhi for those street vendors who have repaid/repaid their 1st PMSVANidhi Loan. Under Tranche II, WCDL up to Rs 20,000/- (Minimum Rs 15,000/-) provides to street vendors and it is repayable in 18 months installments. Under Tranche III, WCDL up to Rs 50,000/- (Minimum Rs 30,000/-) provides to street vendors and it is repayable in 36 months installments.

Till 31.03.2023, we have sanctioned 3.56 lakh cases (99.72%) and total disbursed 3.40 lakhs (95.24%) out of 3.57 Lakhs applications received.

Star Swarojgar Prashikshan Sansthan (RSETIs):

Bank is sponsoring 43 RSETIs in the States of Jharkhand, Odisha, Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Maharashtra and West Bengal to impart training to Rural Youth. During the FY 22-23 the RSETIs have conducted 1158 training programs and imparted training to 32,341 candidates ensuring settlement of 76.57% (24764) and providing credit linkage to 58.23% (14175) candidates to enable them for gainful employment. All of our 43 RSETIs are graded in "AA" category by MoRD.

Financial Literacy and credit Counseling Centres (FLCC)

FLCC/FLCs are established as per Reserve Bank of India guidelines at Rural and Urban Centers at district locations where Bank is having Lead Bank responsibility. Bank's 51 FLCs are functional in all 51 Lead districts. The FLCs in addition to imparting training also undertake remedial counselling on case to case basis for the distressed borrowers, preventive counselling through media, workshops and seminars. Till 31.03.2023, total 17.21 Lakh needy distressed people were given counseling.

Centre For Financial Literacy (CFL): Pilot Project

RBI has advised Banks for expanding the reach of CFL to every block in the Country in phased manner by March 2024. We have been associated as one of the sponsor bank since initial implementation of CFL Pilot Project which stands scaled up w.e.f. 01.12.2021. We were entrusted responsibilities for sponsoring of 106 CFL in first phase and 45 CFLs in Second Phase (w.e.f. December,2022), funded from Depositor Education and Awareness (DEA) / Financial Inclusion Fund (FIF) with some portion to be funded by sponsor bank. Accordingly, we have opened / scaled up 151 CFLs in five States (Jharkhand, Maharashtra, Odisha, Madhya Pradesh & Uttar Pradesh) in collaboration with RBI Identified Five NGOs from 1st December, 2021. Put together, all 151 CFL have conducted 54,553 camps and total 14,26,944 distressed people have been counseled upto 31.03.2023.

Regional Rural Banks:

Post amalgamation, we are sponsoring 3 RRBs, Aryavart Bank (AB),- in Uttar Pradesh, Madhya Pradesh Gramin Bank (MPGB) in Madhya Pradesh and Vidharbha Konkan Gramin Bank (VKGB) in Maharashtra state, covering 82 districts with a network of 2554 branches as on 31.03.2023. All these sponsored RRBs are managed by the Chairmen deputed from Bank of India and the performances are being monitored by General Manager FI & RRB (Div.) from Head Office. All three RRBs Branches and Administrative offices are on CBS platform with system generated report facility. These RRBs are enabled on RTGS, NEFT and ATM platform. All our RRB have a combined business mix of Rs.9,6612 crore as on 31.03.2023.

7. INTERNATIONAL:

The Bank has 21 Overseas Branches, 1 Representative Office at Jakarta (Indonesia), 4 Subsidiaries, 1 Associate/ Joint Venture, all spread across 15 countries in 5 Continents of all time zones. The contribution of foreign operations in Bank's global business mix has been 15.75% as on 31.03.2023.

Overseas Subsidiaries and Associates:

i) PT Bank of India Indonesia Tbk

ii) Bank of India (Tanzania) Ltd

iii) Bank of India (New Zealand) Ltd

iv) Bank of India (Uganda) Ltd

v) Indo-Zambia Bank Ltd. (IZB) - Joint Venture

8. CREDIT MONITORING:

Monitoring of the credit portfolio is essential in order to maintain and improve the asset quality of the bank and minimize credit risks. The main objective of Credit Monitoring is to ensure Compliance of sanction terms and end use of funds. It has to further ensure that the credit assets remain in standard category, endeavor made for up-gradation of identified stressed accounts/watch list accounts and take corrective action to prevent slippage of the accounts from performing to non-performing. The Department has been using various tools and methods for identifying and monitoring stressed accounts with signs of weakness /potential default/delinquencies to ensure good asset quality coupled with containment of probable slippages effectively.

Tools for efficient monitoring & control process:-

Early Warning Signal:

A fully tech based EWS solution is implemented in our Bank since August 2020. Our EWS is fully automated solution with in built well defined work flow. Alerts are generated based on both internal (CBS and Rating Data) and External Data (MCA, CIC etc). The alerts generated helps the Bank for identifying incipient weakness and initiate proactive timely remedial measures. The solution helps the Bank in early identification of Fraud in accounts (if any). This solution also enables the branches for close monitoring of accounts.

Credit RFA/Fraud examination:

As per DFS directive, all NPA accounts of Rs.50 Crs & above should be simultaneously be examined for fraud angle. And hence, department is mandatorily examining all the NPA accounts of Rs.50 Crs and above for fraud angle. Further, the accounts wherever EWS indicates something suspicious, is immediately examined to Red Flag and thereafter, the process of fraud examination is initiated for decision within the regulatory timeframe.

CRILC Reporting:

Identification of the accounts in SMA category triggers mitigating steps such as follow-up for regularization, restructuring etc. In terms of RBI's revised guidelines, stressed accounts with credit limit of Rs.5 crore and above are reported to RBI on CRILC platform on weekly basis.

System Asset Classification (SASCL):

A predictive program in identifying the probable slippages showing overdue of more than two months period based on record of recovery as well as for accounts showing technical irregularities such as non-submission of Stock/Book debt statement, non-review, insufficient/ no credit in CC accounts etc. for last 90 days. This may cause downgrading of accounts if timely corrective action is not taken. These accounts are monitored specifically by various verticals for containment of downgrading of standard assets. A new SASCL format has been devised which is more user friendly and will provide more focused information to the field.

SMA Monitoring:

Apart from SASCL, Focus will shift to SMA monitoring this year. Branches will be disciplined to start monitoring SMA 0 accounts so that the remedial actions can be taken at initial steps and the concerned account do not move further to SMA 1 or SASCL. We push SMA data to branches directly instead of NBGs (present practice).

Collection Management System (CMS):

We are in process of implementing Collection Management System, which will help us in managing SMA/DNPA portfolio by providing Digital Platform to Branch officials. Following are the scope of work for the proposed solution:

- SMA Risk Gradation
- SMA/DNPA account list with all relevant information like Overdue amount/address/Contact Detail etc.
- Tracking of SMA movement (Roll Forward/Backward)
- Updating of Collection actions & Customer response, including Promise to Pay

  (PTP)
- Visibility of past communication
- Pushing of reminder SMS/IVR/email to the borrower
- Suggestive corrective action
- Integrated with Call centre to capture customer response through outbound calling
- Geo tagging & Suggested next visits based on field officer location
- MIS for Branch/ZO/NBG/HO for better monitoring

We expect to launch the proposed Solution during the current FY:

Credit Process Audit:

Credit Process Audit is to ensure compliance of Pre and Post disbursement terms of sanction terms/ covenants, where in the disbursing officer, before parting with the Banks funds, has taken all necessary measures for creation/perfection of security with a view to ensure enforceability of the said securities. Now, CPA is Finacle integrated to monitor in real-time.

Stock Audit:

We ensure timely conduct of Stock & Receivables audit in eligible accounts and take active/preventive steps wherever warranted. The stock audit is presently applicable to standard advance accounts having working capital exposure of Rs.5 crore and above. It is required to be conducted

annually. Assets showing inherent signs of weakness, such as out of order position, overdue Bills under Letters of Credit, invocation of guarantees, review overdue etc., which pose a threat to the bank's asset quality, are followed up at various platforms & levels through Tele/ Video conferencing.

A new menu for stock audit (STKADT) has been developed in Finacle for stock audit MIS, which will enable us to get timely information about the status of Stock Audit in any applicable account.

Daily marking of NPA:

The Banks has migrated to daily marking of NPA w.e.f. 15.04.2021 to have more transparency in identification of NPA & for compliance of regulatory guidelines.

Monitoring of Restructured Accounts (RFCRS portfolio):

To guard the asset quality of accounts restructured under RFCRS, a dedicated team is formed at Head Office, NBG and Zonal Office level, which ensures close monitoring of RFCRS accounts. Apart from the same, SMS are being sent from HO level to all RFCRS borrowers including the DNPA borrowers.

Reminder calls from Call Centre:

A dedicated team of 50 people employed at our call Centre is working for Monitoring of advances. They are engaged in outbound calling for SASCL & SMA borrowers.

Agencies for Specialised Monitoring (ASM):

As per IBA guide lines ASM (Agencies for Specialised Monitoring) is appointed in accounts having total Banking exposure of above Rs.250 crore and accounts with exposure of a specialised nature except in some exempted category accounts like Navaratna Accounts and PSU/Government Guaranteed accounts. We are also engaging services of ASM in stressed accounts wherever required.

Other monitoring tools:

- Centralized monitoring of Pre-disbursement & post disbursement covenants implemented for strengthening Compliance level.
- Policies are in place for Red Flagging of accounts on observance of EWS & examination of Fraud angle within a specified timeline in terms of regulatory guidelines. Prompt reporting is ensured once account is declared fraud, in RBI's CRILC platform.
- SMS & IVR are being sent to SMA borrowers and CC/OD & TL borrowers for repayment intimation. In addition to this, SMS are being sent in vernacular languages as well.
- Separate list of account where review is overdue for 90 days and where stock statement is due for more than 90 days is being provided to branches on a monthly frequency for aversion of technical slippages.

9. NPA MANAGEMENT:

The Bank made sustained relentless efforts for NPA and Written Off recovery by adopting Board approved strategies with activation of Asset Recovery Branches, staff at grass root levels.

The NPA Position of as on 31.03.2022 & 31.03.2023 are as under:

(Amount in Crore)

Particular	Position as on	
	31.03.2022	31.03.2023
Gross NPA	45605	37686
Net NPA	9852	8054
Gross NPA (%)	9.98	7.31
Net NPA (%)	2.34	1.66
Provision Coverage Ratio (%)	87.76%	89.68%

ABC analysis of NPA

- During the year, GNPA improved by 267 bps (from 9.98% to 7.31%) whereas NNPA has also improved by 68 bps (from 2.34% to 1.66%) while PCR also increased to 89.68% from 87.76%.
- Weekly Recovery Camps are being organised at NBG/Zone level whereas "STAR Intensive Recovery campaign" is organised on monthly basis. We have extended "Branch Adalat campaign" to include amount upto Rs. 5.00 crore to maximize recovery in small ticket size NPA accounts.
- Thrust on recovery in written off accounts. This also helps to improve our Cost to Income Ratio (CIR). For recovery in PWO accounts various strategies are followed such as :

  Pursuing SARFAESI Action, Resolution through NCLT, enforcement of securities of guarantors through SARFAESI/DRT, compromise settlement, Sale through ARC/NARCL, wherever feasible, Resolution through OTS schemes - Star Sanjeevani 2023, BOI-OTS 2023 and NPA management policy etc.
- For resolution of NPA accounts various campaign will be launched.
- We are expecting our Gross NPA below 5% and Net NPA ratio below 1.30% by March 2024.
- We have modified our tailor made scheme for One Time Settlement (OTS) which are non-discretionary & non-discriminatory and scheme re-launched w.e.f 01.04.2023.
- Conducting Mega E-auctions every month on Pan-India basis to improve recovery in the accounts.
- Holding monthly Gold auction for faster resolution for NPA in Gold Loan NPA accounts.
- Thrust on generation of OTS proposals at each level through participation under Star Intensive recovery Day, Weekly recovery camp, Virtual Recovery Camp and interaction with customers directly.
- Focus on resolution of stressed asset accounts by selling to ARCs/ through NCLT route.
- Participation in the National Lok Adalat at various levels.

10. TREASURY:

Forex Business:

The Treasury manages the foreign exchange business of the bank, providing hedging solutions to the customers through forwards and swaps. Apart from having Centralized Treasury at Mumbai, the Bank has 4 satellite dealing rooms situated at New Delhi, Ahmedabad, Chennai and Kolkata and one centralized back office in Gift city (Ahmedabad) so as to provide better services to the customers. During the FY 22-23, Merchant and Interbank turnover was Rs.1.45 lakh crore and Rs.45.94 lakh crore respectively. The aggregate turnover of Bank's forex business during the year was Rs.47.39 lakh crore. The Treasury actively participates in trading in Currency Futures and is one of the leading banks in all the exchanges. During the FY 22-23, Bank's Turnover in Currency Futures was USD 108.64 Bn. The Bank was awarded as the Top performer in Currency Future (Banks) segment by BSE for FY 21-22.

Treasury Operations & Investments:

Bank continued to play an active role in all segments of the market – Money market, Forex, Bonds and Derivatives 2022-23. Bank has maintained a higher level of investments by holding SLR investments in excess of the regulatory requirement of 18.00% of NDTL from time to time to ensure that sufficient liquidity is available by the way of borrowing against excess SLR from Repo/TREPS windows. As on 31.03.2023 the gross SLR investments were Rs.155,027 crore (77.68% of total Investments) and Non-SLR investments stood at Rs.44,544 crore (22.32% of total investments). The Non- SLR investments also includes Recapitalisation bonds of Rs.24,699 crore. M-Duration of SLR AFS portfolio stood at 1.20% as on 31.03.2023 against 0.47% as on 31.03.2022. M-duration of SLR and Non-SLR investment under AFS portfolio as on 31.03.2023 stands at 1.55%. In concurrence with the Green initiatives taken by Government of India, RBI had issued notification for sale of Sovereign Green Bonds, Treasury branch invested Rs 680 Cr in Sovereign Green Bonds. The investments are made in accordance with the Board approved investment policy which is reviewed periodically to respond to market developments/regulatory requirements.

11. INFORMATION TECHNOLOGY:

Website:

- Bank of India has revamped its Corporate and Global Website (12 Foreign Centers) with the latest Technology in the market with respect to look and feel, user experience with improved and enriched customer journey
- Built on Liferay Digital Experience Platform (DXP), it enables Code Independent Content Management System and greater flexibility to cater to any complexity of customizations for the needs of business and ease of the customers
- Hosted on Public Cloud, the website is highly scalable, allowing to seamlessly adjust to changing traffic demands. It also offers improved reliability, better redundancy and failover options to ensure high availability of the website, with increased security.
- Designed to be responsive and developed keeping in mind the current users trends with proper structured menus to provide easy navigation.
- Enriched with Google Analytics to capture the behavior of customer and to provide the better services to the customer.
- Corporate Website is currently available in 3 languages (Hindi, English and Marathi) and apart from this, 9 more Regional Languages(Bengali, Tamil, Telugu, Odiya, Gujarati, Malayalam, Urdu, Kannada and Punjabi) shall be included very soon.
- Bank's website with new UI/UX design has been made live on 26.11.2022.

Document Management System:

- Document Management System has helped various departments to continue their work in an effective way .Various HO departments, branches and zones are accessing DMS in live environment.
- Statutory Branch Audit (SBA) and Statutory Control Audit (SCA) has been conducted effectively with the help of DMS. All the documents have been made available to the auditors on real-time basis.
- The Saving Bank (SB) account opening Process through DMS is made live in all the branches linked to 69 ZCODs (Zonal Centralized Operations Department).
- Templates have been generated for storage and retrieval of necessary documents based on the requests received from different departments (International, HRMS, L&D, DBD,CPD Insurance Claim, UPI Insurance Claim etc.)

Account Aggregator Framework:

- The Account Aggregator (AA) Ecosystem is consent based data sharing mechanism that helps an individual securely and digitally access and share information from one financial institution they have an account with to any other regulated financial institution in the AA network.
- It helps the Lenders\Service Providers to leverage on digital data acquired with the consent (Sahamati) from the customers eliminating the need of physical documentation. Data cannot be shared without the consent of the individual.
- AA framework was made live on 27.07.2022 with one Aggregator M/s Anumati. Subsequently, 4 other AAs Viz. NADL, FINVU, CAMS and OneMoney have been onboarded on 27.09.2022.

Cheque Deposit Kiosk:

- Cheque Deposit Kiosk (CDK) has been implemented in the Bank since 2021 with the view to automate the cheque clearing process.
- The customers submit the cheque in the Kiosk with minimum required information and upon successful submission acknowledgement slip is generated for the customer.
- End of Day (EOD) of the CDK is performed by the designated branch officials. After EOD, the cheques submitted in the Kiosk is processed through CTS application and submitted to NPCI.

- The process reduces the load on the employees and customer can deposit cheque at any e-gallery/Branch lobby.

MISSCALLPAY:

- MissCallPay is digital payment offline solution that provides all the functionality of UPI based mobile payments over a feature phone using Missed Call. It does not have any dependency on Internet connection, hence it is suitable for rural and urban under-served population of India.
- Users can also transact in their local language. Currently 12 local languages are available.
- MissCallPay P2P solution is one of the distinct option of UPI123Pay
- User can send money, check balance, set UPI PIN using MissCallPay

12. MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM:

E-Platform Project:

Bank has launched Project E-Platform in April 2021 for Straight through Origination and Processing of all Banking Products (Assets & Liability products) including third party products.

Phase-wise status of product implementation is under:

- E-platform phase 1 implementation consists of 20+ products. MSME, Retail, Agriculture KCC, Credit Card and self-Onboarding Saving account Digital journeys are launched.
- Fintech Collaboration – Video KYC, Bank statement analysis, Name Check and Fintech services are integrated with the E-Platform for end to end Digital journeys.
- Integrated CRM Next Solution is launched with end to end Lead Sourcing & management, Collaboration, Service Management/ Complaint management. Business Correspondents are also integrated with this platform. Other Modules Customer 360, Integrated Campaign management is in implementation phase.
- Lead Management Portal is made live for all the branches/offices of BOI with customer facing sources , BOI web Site, BOI E-Platform, BOI Customer Care, SMS,Analytics, Maruti Portal (tie-up arrangement), National portal.
- Complaint Module ,Customer Grievance Portal made Live with real time update of complaints (as and when status updated).

Next Generation Enterprise Reporting and Analytical Solution Project.

Bank has initiated RFP process for Building of Analytical Platform and Next Generation reporting Platform.

Analytics

The following Analytical models are developed and is in use for different business function :-

Model Name
Home Loan TakeOver
Home Loan Top-Up Model
MSME Pre - approved Letters
Third Party Non Life Insurance
Pre - approved PL to Salaried Customers
Pre - approved PL to Salaried and Non - salaried Customers
Third Party Mutual Fund
Customer Retention Model
CLTV - For Churn Customers
Personalized Personal Loan
Pre - closed TD model
Customer Churn Prediction Model
Home Loan
Vehicle Loan
MSME Limit Enhancement
Next Best Action/Product
CLTV - Customer Segmentation
MSME CCOD Renewal
MSME Term Loan Renewal
Credit Risk Gradation Model

Executive Dashboard

BOI pulse is an executive dashboard portal developed in house with enhanced features which shows figures related to Advance, Recovery, Finance, SMA, Deposits and E-platform in one place. It provides access to users through MMS id. It helps to visualise the different, but related information in a tabular and graphical format. It has capability to provide NBG, Zone and Branch wise figures. It includes KPIs of various sectors.

Other applications developed by In-house team

Following applications are developed by in-house bank team of MIS department for MSME Department.

- MSME Review Proposal
- SMECC lead Management
- Willful Defaulters

13. DIGITAL BANKING:

The Budget & Performance for various digital products or FY 2022-23 as under:

Product	As on 31.03.2023
Total Credit Card	77,668
Merchant Acquiring (POS +Bharat QR+ BHIM Aadhaar)	42,700
UPI based QR	6,63,556
Mobile Banking	80,32,438
Internet Banking	84,63,850
UPI	1,55,79,280

Planned launch of products in FY 2023-24

- ICCW (Interoperable Cardless Cash Withdrawal) : Facilitate bank's customers who are live on UPI, to withdraw cash from any participating banks' ATMs without using their card
- Rupay Prepaid Card & Gift Card: Bank is in the process to launch Prepaid card & Gift Card in RuPay Scheme. RuPay Prepaid cards are proposed to provide flexibility to the card holders. The card will be contactless in nature, focusing on retail segment with various in-built features and offers.
- Regional Language implementation at ATM: Bank is implementing Regional Language option in ATM screen along with English & Hindi.
- MSME Credit Card: Bank is in process to launch MSME Credit Card in Rupay Scheme.
- Credit Card Onboarding through E-platform (STP of credit card): Bank is in the process of implementing Eplatform for online onboarding of various products of the bank. Credit card onboarding is also one of the products which will be onboarded through Branch and Web channel.
- Interoperable Card-based Cash Withdrawal at CRM: Facilitating cash withdrawal for customers of other bank at our CRM. Withdrawal Limits will be in line with regular ATM Cash Withdrawals.
- Credit Card linking in UPI.
- API Integration of ASBA IPO uploading process of stock Exchange with BSE
- Providing e-BG facility to customer.
- Providing platform to our loan accounts holder to create NACH/ECS mandate in his/her other bank account for collection of our EMI

Initiatives Implemented- FY 2022-23

- **Digital Banking Units:** Bank has opened two DBUs in East Singhbhum and Khurda to deliver the Digital Banking products & services as well as to spread awareness regarding Digital Banking. The purpose of DBU is to accelerate the delivery of financial products, besides improving access to finance for small businesses, Improve Digital Financial Literacy and increase Digital penetration.
- **Trade Finance:** To enable the Customers including Branches and department with an appropriate system/ solution which automates the end-to-end process of Trade Finance with adequate controls and to strengthen customer relationship, Bank has implemented a solution (Fusion Trade Innovation) with full front to back with inbuilt workflow management for carrying out Trade Finance business.
- **BOI BIZ Pay:** Bank has launched BOI BIZ Pay app, this app will help merchant to generate UPI QR code (Static / Dynamic) for payment acceptance and enables fast, simple & secure online payments using VPA and QR Code. This will provide Real-time credit to merchants, Complaint Management system (P2PM Merchants) and Dynamic MIS generation system.
- **Go green Initiative:** Bank has introduced Go green initiative aiming at less use of paper for day to day work/transactions on ATMs. Accordingly, poster was designed to be displayed on BOI ATM screens to encourage people not to print receipt for ATM transaction. Presently it has been deployed and being displayed on screens of all BOI ATMs.
- **DCMS Migration-** In order to improve the existing infrastructure, retaining card data at one place and to enhance customer experience we are in process of migrating Debit Card Management system to new vendor. This will provide real time Debit card services such as card issuance, replacement, hot listing, pin generation etc apart from PCI DSS compliance
- **Integration of Loyalty Rewards in Mobile Banking-** For transaction using BOI mobile, we have introduced reward points for our Customers to promote digitization and increase digital transaction volume of Bank.
- **CRM Nxt -** We have implemented new centralized portal for registering the complaints regarding failed/ unauthorised transations of various channels eg. ATM/PoS/UPI/IMPS. Branches can track the status of complaints using the portal and can reopen the complaints in case of non-satisfaction of customer.
- **Dynamic UPI QR on POS :** We have introduced generation of Dynamic QR on existing POS terminals, which can be scanned by the customers through any UPI App.
- **VISA Bingo Debit Card:** Bank has introduced Bingo Cards in VISA Scheme. Bingo Cards are exclusively for Students of the age between 15 and 25.

14. RISK MANAGEMENT:

Risk and Control:

Bank has appropriate mechanism in place to ensure ongoing assessment of relevant risks on a Borrower Level as well as on a Portfolio level to maintain the trade-off between risks and returns. The Board of Directors of the Bank has an overall oversight of all risks in the Bank with specific Committees of the Board constituted to facilitate focused approach to specific risks. The Risk Management Committee of the Board (R.Com), is the subcommittee of the Board which is the apex body for Risk Management, supported by operational level committees of Top Executives for managing various risks, such as Asset Liability Management Committee (ALCO), CRMC (Credit Risk Management Committee), MRMC (Market Risk Management Committee) and CORM (Committee for Operational Risk Management).

Risk Management includes process of risk identification, measurement, monitoring, mitigation and reporting of all potential risks, in all activities and products in the Bank. These processes are well elaborated under respective policies viz. on Enterprise Wide Risk Management, Credit Risk Management, Operational Risk Management, Market Risk Management, Exposure (Bank Exposure & Large Exposure Framework), Asset Liability Management, Foreign Exchange and Dealing Room operations etc.

Bank's Risk Management Framework is focused on full integration of risk management into its operations and culture. The integrated risk management framework starts with a risk

management cycle, consisting of several steps: determining the risk appetite, stress testing, scenario analysis, preparing full scope risk assessment of all segments. Risks are adequately identified, assessed, measured, reported and mitigated. Risk Management is one of the core focus areas of the Bank. The Bank is working to ensure that it adopts global best practices in all the risk areas. This commitment is being achieved by investing both in people and systems and building an enduring risk culture. Bank deploys various tools and techniques for achieving Risk Management objectives viz. Prudential and internal limits Monitoring, Basel Compliant Credit Rating Models, Active liquidity management, ERM Scorecards etc.

Credit Rating thresholds were based on the performance of the specific industry/sector. Bank uses different internal Credit Risk Assessment Models and scorecards for assessing borrowers credit worthiness. In current FY bank has done the rating model recalibration in view of the changing economic environment and evolving business models, to better capture the risk drivers and further strengthen the onboarding & underwriting standards.

In the normal course of business Banks experience various risks viz. Credit Risk, Market Risk, Operational Risk, Liquidity Risk and Interest Rate Risk.

Credit Risk is the possibility of loss resulting from a borrower's failure to repay a loan or meet contractual obligations. Bank has adopted Standardized Approach (SA) for Credit Risk Computation.

Market risk is possibility of loss to the bank due to movement in market factors viz. Interest Rate, Foreign Exchange Rate, Equity Prices etc. Bank has adopted Standardized Duration Method (SDM) for Market Risk computation.

Operational Risk is defined as the risk of loss resulting from inadequate or failed internal process, people and systems or external events. Operational Risk includes legal risk, but excludes strategic and reputation risk. Bank calculates Operational Risk Weighted Assets through Basic Indicator Approach (BIA). Bank is in the readiness to adopt New standardized approach for computing Operational Risk Weighted Assets, as mentioned in the draft RBI Guidelines, effective 01st April, 2023.

The Bank monitors and manages operational risks vis-à-vis a comprehensive set of processes, systems of internal controls, and policies are also in place, to reduce the probability and potential impact of losses from Operational Risks.

Liquidity Risk is defined as the risk of incurring losses resulting from the inability to meet payment obligations in a timely manner. Such liquidity risk is known as funding liquidity risk. The liquidity risk arising due to inability to find buyer for assets at the market price is known as market liquidity risk. Bank monitors liquidity risk through various statutory liquidity ratios viz LCR , NSFR, Stock liquidity etc. Bank also conducts stress testing for liquidity risk and prepares the contingency funding plan to overcome the stress period, if any.

Interest Rate Risk can be defined as the risk of losses arising in the portfolio on account of adverse movement in general market interest rates. Bank performs stress testing on banking book as well trading book to ascertain the impact of adverse movement in the interest rate risk and operate within the Board defined limits in Risk Appetite.

The Bank undertakes Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP) on a yearly basis which contains assessment / measurement of various risks (Pillar II Risk) along with the pillar I risk, the Risk Appetite of the Bank and appropriate level of internal capital required by the bank in relation to the Banks risk profile. Stress Testing Process is in place for enhancing risk assessment by providing the Bank a better understanding of the likely impact even in extreme unfavorable circumstances. The ICAAP is the process by which the bank ensures that it operates with an appropriate level of capital. It encompasses a large part of what could be considered a complete Enterprise Risk Management (ERM) framework. The ICAAP brings together risk and capital management activities in a form that can be used to support business decisions. Bank also identify the Pillar II risks relevant for the Bank, assess and measure them and suggest the mitigation plan while reporting to risk committee.

In last one and half year the regulation around Climate Risk, Sustainable Finance and ESG has been evolving rapidly. Bank has already identified climate risk as an pillar II risk in ICAAP. Further, as the regulation and governance around climate risk has evolved, Bank's Board has adopted ESG Policy (Environment, Social and Governance) for the Bank. ESG policy include the governance structure for taking the cause ahead and also set deliverables for the various departments in the Bank. The ESG policy outlines the Banks intent to move in the direction of net zero as per the country's commitment and also enable to comply with all the regulatory requirement on ESG & related disclosures.

In addition, Bank has field level Risk Managers at all geographical centers (Zones, National Banking Group, Overseas Branches) to inculcate the risk culture at the field functionary level also.

Bank's Information Risk Management System has clear objective to protect the bank from Information Security risks in the face of acceleration in cyber-attacks and cyber security threat, specifically to financial institutions. Information security department strengthens controls to protect the brand, reputation and assets of the Bank. Bank is vigilant of the security and privacy of the data related to its patrons and account holders and takes utmost care to protect it from cyber-attacks. Bank has put in place Captive Security Operation Centre (SOC). Bank has implemented information security tools for Real-Time monitoring of Information Security breach attempts / incidents / events on 24x7 basis in order to timely prevent, detect and respond. Advanced security tools like SIEM (Security Information and Event Management), PIM (Privilege Identity Management), DAM (Database Activity Monitoring), WAF (Web Application Firewall), NBAD (Network Behaviour Anomaly Detection), Anti-APT (Advance Persistence Threat) for Web & Email Channels and Anti-DDoS, Data DLP (Data Leakage Prevention) are some of the many security solutions are deployed. Various new security solutions focusing on threat hunting, prevention, detection and response are also put in place. The Bank is ISO 27001:2013 (ISMS) and ISO 22301:2012 (BCMS) certified. Effective brand protection services are put in place to protect Bank's customers from Phishing attacks by way of fake sites. Risk and vulnerability assessment exercises are regularly carried out for all systems with timely remedial activities. Security awareness campaigns, especially with respect to social engineering, are conducted across the Bank encompassing staff as well as customers through various channels of learning and communication.

15. THIRD PARTY PRODUCTS DIVISION:

Bank of India acts as Corporate Agents for Two Life Insurance companies, Three General Insurance Companies and Three Standalone Health Insurance companies.

Bank has adopted Execution model for distribution of Mutual Fund products. In the Mutual Funds business, which is an open architecture the Bank can enter into multiple tie-up arrangements. Our Bank had also entered tie-up agreement with various Asset Management Companies to distribute Mutual Fund products.

While offering the products and services of Bancassurance & Mutual Fund AMCs, the Bank adheres to the relevant guidelines of RBI / IRDAI / AMFI /SEBI or any other regulator which is binding upon it.

The Existing Tie up of the Bank with various Insurance companies under each category as well as with Mutual Fund AMC are as follows:

Existing Tie-ups:-

Sr. No	Products	Tie-up Partner
1	Life Insurance	1) Star Union Dai-ichi Life Insurance Company Ltd.
		2) LIC of India
2	General Insurance	1) Reliance General Insurance Co. Ltd.
		2) Bajaj Allianz General Insurance Co.Ltd.
		3) Future Generali India Insurance Co.Ltd.
2	Health Insurance	1) Star Health & Allied Insurance Co. Ltd.
		2) Care Health Insurance Co. Ltd.
		3) Niva Bupa Insurance Co. Ltd.
4	Mutual Funds	**Name of AMCs** 1) Bank of India Investment Managers Pvt Ltd. 2) UTI Asset Management Co. Pvt. Ltd. 3) HDFC Asset Management Co. Ltd. 4) Kotak Mahindra Asset Management Co. Ltd. 5) Franklin Templeton Asset Mgmt. Pvt. Ltd. 6) Bandhan Mutual Fund (Formerly IDFC Asset Management Co. Pvt. Ltd.) 7) DSP Mutual Fund (Formerly DSP BlackRock Investment Managers Ltd.) 8) Aditya Birla Sun Life Mutual Fund (Formerly Birla Sun Life Asset Management Co. Ltd.) 9) Nippon India Mutual Fund (Formerly Reliance Mutual Fund). 10) SBI Funds Management Private Limited

Bank has earned Commission for the FY 22-23 from each of the segment as follows:

(Amt. in Crs).

TPP Segment	Commission Income
Life Insurance	140.36
General Insurance	21.75
Health Insurance	11.99
Mutual Fund	4.14
TOTAL	**178.24**

16. MARKETING & PUBLICITY:

Bank of India, implements various Publicity & Public Relations strategies for the Bank which helps to improve its visibility, spread brand awareness amongst general public, customers & all its stake holders. These overall marketing strategies, advertising & publicity activities are intended to create impact on general public and customers for sustained brand recall to translate the same into business growth. Bank has also adopted social media & digital marketing strategies to reach out larger population. Publicity & PR activities are implemented across all geographies with an objective to cater all sections of the society by bringing out various advertisements and communications through various media available viz. hoarding, electronic, digital, print etc. Bank in its Publicity & PR Strategies intend to highlight its Unique Selling Proposition (USP) for continued business growth. Marketing, publicity, advertising & public relations help the bank for sustained brand recall amongst population and the same is considered as an investment in the brand building.

17. BUSINESS PROCESS RE-ENGINEERING (BPR)

Bank's BPR Department is in-charge of bringing about any changes in the organizational structure and has the prime responsibility of creation of zones and NBGs. This also convenes meeting for Executive level oversight on new products, processes and changes proposed in existing systems. BPR is the chief coordinator for change management between the various functional departments. The major initiatives taken during 2022-23 are given below:

Project works/initiatives during FY 22-23:

- **Creation of One NBGs and One New Zone:** A new NBG, NBG-Odisha and a zone Surat have been created according to study conducted on potential business opportunities. These will also assist top management with ease of monitoring and will help better customer service.
- **Review of Area Manager Office (AMO) Structure:** Along with the reorganization of zones, BPR has rationalized the present 21 AMOs offices to 20. This has made the AMOs better focused on customer acquisition and render faster service.
- **Product and Process Re-engineering in the Bank:** The products of the Bank have been organized to be system friendly and many new digital products introduced to capture large market with contactless internet based banking. This will help the Bank keep

up with the recent trend of banking transformation and will increase customer engagement and delight in contactless banking at the ease of the individual opting for our Bank's services.

- **Rationalization of Service Charges:** Service charges have been rationalized in order to make it customer friendly, uniform, automated and remain competitive as per industry trend.
- **Star Paramarsh - Staff Suggestion Scheme from the field functionaries:** We have included the scheme in product group discussion so that top management will have firsthand knowledge regarding feasible and revolutionary ideas & suggestions of staff which will improve operational efficiency & service effectiveness. Out of 707 suggestions received during the year, 46 have been selected for implementation and Prizes have been awarded to 3 staff members.
- Improve our Ease Ranking by targeting composite score of over 75% and be amongst the top five banks in the PSB space, by working in close co ordination with cross functional teams from Business Verticals, Risk Management, Credit Monitoring, Recovery, Compliance and HR Departments.

18. LEGAL & RIGHT TO INFORMATION ACT:

Bank's Legal department attends to various matters of Opinion, Documentation, Litigation etc. emanating from various other functional departments at Head Office.

Besides attending to referral matters of various NBGs/ Zones, Domestic Branches/Foreign Branches and Bank's subsidiaries, the Department also caters to the specific needs of specialized Departments of the Bank by Drafting / Vetting of documents of various contracts/ Service Level Agreements (SLAs), Software/Hardware procurement, various types of tie-up arrangements /new products etc.

The Right to Information Act has taken a pivotal role in the Society and lot many applications are received by the Bank at various levels. Bank has identified Central Public Information Officer and Appellate Authority at various Zones / NBGs. Deputy General Manager (Law) of Legal Department, Head Office is designated as the CPIO of the Bank, and the General Manager, Legal Department is the Appellate Authority. The procedure for disposing of application or appeals involves collecting the desired information from various Departments and supplying the same to the applicant within the fixed time duration of 30 days and also to guide the other Zones / NBG on specific points.

Moreover, with a view to create awareness among the staff, Legal Department issues circulars and guidance to NBGs/ Zones on the amendments on Statutes and New Legislations.

In addition to the above, the Legal Department also attends to:

- Approval of Plaints in respect of suits filed by Bank and Monitoring of said cases.
- Advising on writs, cases, appeals, claims etc. filed against the Bank, vetting of the applications/affidavits etc. wherever required.
- Attending to the various queries of Ministry, Reserve Bank of India and IBA on different matters including new Legislation/amendments under consideration on various Acts.
- Opinion on Share transmission matters of Share Dept.
- Cases against Bank/ Claim against Bank not acknowledged as debt/provision requirement/ follow up with Zones etc.
- Consolidation of Lok Adalat data received from NBGs/ Zones
- Collection and compilation of data/statistics pertaining to suit filed/ decreed cases/Lok Adalat and submission to various authorities like Reserve Bank of India, MOF etc. RBS data.

19. COMPLIANCE:

Bank has an independent Compliance Department which is headed by an officer of the rank of Chief General Manager who is for regulatory purposes also referred to as Chief Compliance Officer. The core function of the department is to ensure compliance of statutory, regulatory and Bank's internal guidelines for both domestic as well as overseas operations. The department is the single point of contact for RBI and ensures smooth conduct of Risk Based Supervision (RBS) as per prevalent SPARC framework.

Bank has a Board approved Compliance Function Policy which is framed as per Reserve Bank of India guidelines and is reviewed & updated annually. The policy gives credence to the following components: i) Governance ii) Compliance Risk Assessment iii) Policies, Procedure and related controls iv) Compliance Monitoring and Testing v) Reporting and Communication vi) Training and use of technology to improve compliance and vii) Regulatory interaction and Co-ordination.

Having the right tools, to deal with uncertainty and manage risks, both known and unknown, can help improve strategy, improve performance, offer greater insights for decision making, and assure effectiveness over time. Therefore, Compliance Department has adopted technology in compliance function to improve transparency, efficacy, oversight and effectiveness. The Department is also conducting periodic testing exercise to conform adherence and sustenance of RBI guidelines/instructions.

The Compliance Department is also overseeing compliance function of overseas establishments who follow their respective territory based compliance policies as well as KYC-AML-CFT Policies. Each overseas centre/ branch/ subsidiary has a compliance officer to look after the respective compliance function. Overseas branches comply with the applicable regulatory requirements (home country /host country regulatory guidelines whichever is stringent) and submit confirmations / compliance sustainability reports. The compliance officer of each overseas branch undertakes quarterly compliance testing and submits report to Head Office.

20. OFFICIAL LANGUAGE:

The Bank has a well established Official Language Department which ensures the implementation of the provisions relating to the Official Language Policy of the Government of India and the progressive use of Hindi. Our Bank has been awarded Rajbhasha Kirti Puraskar (Third) by

the Government of India for excellent implementation of the Official Language Policy during the period under review. For the planned implementation of the official language policy of the government, our bank has issued an annual action plan as per the annual programme of the Government of India. Keeping in view the historic achievement of our country on getting the presidency of G-20, an All India Essay Competition was organized on the occasion of World Hindi Day. On this occasion, a Sulekh Pratiyogita was organized by our New York branch. Keeping in view the Azadi ka Amrit Mahotsav, a booklet was prepared on the biography of 75 freedom fighters. For the dissemination of information related to official language, Rajbhasha webpage on the bank's website was inaugurated by our Executive Director. In order to encourage the use of official language, several reference literature have also been prepared by the zones. Seminars and training programmes have been organized by the Zones and the Head Office on various subjects. Our Zones/TOLIC have received 15 regional level awards from the Government of India. In addition to it, 30 zones and branches have received awards from TOLIC during the year. This year, the Bank has organized a total of 210 Official Language Workshops in which 6866 staff members have been trained. Hindi e-mail competition for the departments of Head Office has been conducted on quarterly basis throughout the year. Hindi Month has been celebrated in the Bank from 14th September to 14th October, 2022. “Rajbhasha Shield Pratiyogita” was organized for the departments of the head office and zones. Every week, articles in hindi language pertaining to well-known personalities are sent by the department to all the offices/branches. The Bank is successfully performing the responsibility of convenorship of 12 TOLIC as entrusted by the Government. Our 04 offices/branches were inspected by the Committee of Parliament on Official Language during the year which was conducted smoothly. Hindi magazine “BOI Varta” is being published by the bank to encourage more work in official language.

21. HUMAN RESOURCES, LEARNING AND DEVELOPMENT:

HUMAN RESOURCES:

During FY 2022-23, our Bank recruited 774 Staff Officers in General Banking and Specialist cadre in various scales and 2,017 in Clerical cadre. During FY23-24, the Bank has a plan to recruit 540 Staff Officers and 557 clerical staff.

- In the post pandemic scenario, necessity for innovation seems to be the key to achieve organisational objectives. Through and post- covid, we have maintained our efforts to adapt and respond to the requirements for delivering financial products to our customers and maintaining business continuity through various HR initiatives.
- Decision making in HR is aimed to be more data-driven to reduce the likelihood of failure and bias. Bank aims to achieve consistency through building capability and continuous learning and development.
- The various HR initiatives undertaken by the Bank include:
  - ➢ Posh Policy
  - ➢ Succession Planning in critical roles;
  - ➢ Performance Management System;
  - ➢ Talent Management;
  - ➢ Leadership Development;
  - ➢ Employee Engagement Survey (Star Anveshan) and
  - ➢ Equal Opportunity Policy
- Bank has put in place a system driven mechanism for achieving an objective assessment of employee performance to enable course correction feedback and action thereof. In the FY 2022-23, the Performance Management System (PMS) in our Bank was based on Budgetary Appraisal with more than 70% marks allotted for Business dimensions which are auto-populated and Non-Budgetary Appraisal carrying 50% weightage for measurable KRAs. In the Budgetary Appraisal, target / budget figures are being captured from the FINACLE and compared with budgetary targets vis-à-vis the actual performance since FY 2019-20, Bank’s current endeavour is to increase the degree of measurability of the Non-budgetary parameters of Appraisal as well.
- In the area of Succession Planning, endeavour is being made to bridge systematically the gaps of skill shortage in the critical areas (Corporate Credit, Credit Monitoring, Recovery, Treasury, Risk Management, International Division, Information Technology, ITES and HRD) and also in the emerging new areas such as Infrastructure Financing and Financial Inclusion, through mapping of competencies vis-à-vis the critical roles identified.
- In Talent Management sphere, a focussed Talent Review & Development Process is being undertaken to ensure that the current incumbents and potential employees in these roles will be suitably trained and groomed to assume these roles in time.
- We have an integrated on-boarding process to enable greater integration of new recruits in the Bank. The training system is being redesigned to make it operation- oriented, creating a talent pool in critical areas of banking, to bridge competency gaps, role related training for executives and making training more meaningful in terms of prescribing credits for each of the training attended.
- Towards paperless HR and to provide hassle free services to the staff members, the following digitisation initiatives have been implemented:
  - ➢ Online acceptance of Gratuity nominations,
  - ➢ Application for PF/Gratuity/REMAS on VRS/Resignation
  - ➢ Streamlining the Life certificate updation
  - ➢ Online Pension application and processing the same
  - ➢ Sending Form-16 through the system/email
  - ➢ Streamlining of DCPS updations
  - ➢ Investment Dashboard for the Management
  - ➢ Complaint handling
  - ➢ Implementation of DMS

- Minimising the paper movements
- Employee Grievance (including complaints under Prevention of Sexual Harassment Act) Redressal System
- Whistle Blower Policy
- HR Audit (Star Pratibimbh)
- Reimbursement of Mobile Handsets through HRMS
- POSH Complaints on BOI-She Box
- Online GMIS for Retiree Staff

- During FY 2022-23, 11 cases under POSH Act (Prevention of Sexual Harassment of Women at Work Place) were reported, which were actively resolved by the respective Internal Committees (ICs) of the Zones/ Head Office. The Bank has also formulated Board Approved Policy on POSH (Bank of India Prevention of Sexual Harassment of Women at Work Place Policy) to proactively work towards betterment of Women employees. Regular Workshops/ Awareness sessions are being conducted for all employees of the Bank in a phased manner.
- Job Family concept has been implemented to create job specialization and to facilitate exposure in different areas of banking operations and develop competencies.
- Since the last two years, Officers who are interested and are having flair of working in specialized areas like Credit, Risk Management, Treasury etc., are being identified through 'Star Hunt' scheme. Under the Star Hunt, interested Officers have to apply for the above verticals and their selection is based on written examination and interview. After selection, such officers are trained in the vertical they are selected for and are posted in identified fields.
- Development Centre is being carried out for Officers in Scale IV, V and VI to assess the identified competencies. Total approx. 1900 Officers are being identified for assessment and assessment of competencies has been completed for about 1600 officers. The level of individual competencies identified are entered in the Personal Data of the employees and may be used as one of the inputs for succession planning. Upon assessment of competencies, development through training shall be undertaken to improve identified competencies of the individual officers. Leadership Development programmes have been undertaken for Officers belonging to Scale V and above at ASCAI (Administrative Staff College of India), Hyderabad and IMI (International Management Institute), New Delhi.
- For the officers working in specialized areas like Credit, Foreign Exchange, Risk Management, Compliance etc., customized training programmes have been formulated in collaboration with external training institutes like CRISIL, IIBF, CAB Manipal Institute etc.
- To promote self-learning many courses from identified institutes as well as under MOOCS were included in the Bank's Capacity Building and Reimbursement of fee schemes where the fee for the completion of the course will be reimbursed to the officers along with some cash incentive.
- Bank aims to ensure seamless implementation of various HR initiatives launched by the Bank like Employee Engagement Survey, Job Family, Succession Planning & Talent Management Process and any other Government directive envisaged in PSB Reforms Agenda for Enhanced Access & Service Excellence (EASE). Presently our Bank stands at 7th Position in the EASE ranking for Q3 from 10th position in Q2.
- Bank has implemented 'Bank of India Code of Ethics & Conflict of Interest Policy' towards ensuring an organization based on ethics and moral values and a work environment free of any kind of bias/ discrimination, including zero tolerance to any kind of sexual harassment across the organization.
- Our Bank has concluded employee engagement survey on the theme `Employee Development and Wellness' and shall shortly implement the focus areas brought out in the same. Necessary upgradation of existing skills through extensive training & development initiatives shall continue in order to have manpower with necessary competencies and skill sets at all levels.
- Talent induction model of the Bank to attract talent as well as to ensure sustained growth in qualitative head count in line with business growth and consistent replacement / replenishment of talent.
- E- learning has aided in educating and updating amidst the covid pandemic situation. It is being accordingly developed and updated through appropriate modules. Weightage is given in Performance Appraisal on completion of identified E-learning modules. We aim to promote and monitor progress of E-learning systems and link the same to Performance Appraisal and Promotion process.
- We are committed to strict compliance and implementation of Equal Opportunity Policy in our bank towards eliminating all forms of discrimination and ensure that the persons with disabilities enjoy equality, dignity and are empowered and better equipped to perform at par with others.
- Star Pratibimbh (HR Evaluation) was introduced in Jan.2023 for evaluation of HR Department's performance PAN India. Star Pratibimb is a positive step for introspection and self-correction for creating better work ambience and modifications in the HR landscape
- As a part of the green initiative under ESG Policy of the Bank, Bank has decided to present dignitaries/ executives with oxygen plants in place of flower bouquets.

Compliance with Reservation Policy for representation of SC/ST/OBC/EWS/PwD/Ex-SM:

The Bank is strictly complying with the reservation policy of Government of India. Separate cell for SC/ST and OBC has

been set up at Head Office as well as in all Zonal Offices which takes exclusive care in implementing the reservation policy and redressal of grievances related to SC/ST/OBC Employees.

Separate Executives in the rank of General Manager are appointed as Chief Liaison officers for SC/PwD/ExSM, ST and OBC respectively. Similarly Officers from SC/ST/OBC categories are designated as Cell/Liaison officers at Zonal office.

EWS reservation in Direct Recruitment was implemented in the Bank since 01st February 2019.

Quarterly meetings

Bank conducts Quarterly meetings regularly with the representatives of All India Bank of India SC/ST/OBC Employees' Welfare Association at Head office. Also such meetings are conducted quarterly at all our zonal offices.

Trainings

Bank has conducted pre-promotion training programmes for SC/ST/OBC employees. Bank also nominates SC/ST/OBC employees for outside trainings.

Rosters

Post based Roster registers are prepared on yearly basis for maintenance of the appointments made through Direct Recruitment for all groups of posts i.e. Group A to Group D. In case of promotion, separate roster Registers are maintained up to SCALE-III. Roster registers are prepared as per the format prescribed by Department of Financial Services.

Representation of SC/ST/OBC/EWS staff as on 31.03.2023:

Cadre	SC	% to total staff	ST	% to total staff	OBC	% to total staff	EWS	% to total staff	Total
OFFICER	4764	17.97%	2440	9.20%	7782	29.35%	254	0.96%	26510
CLERK	2950	14.93%	2308	11.68%	5419	27.42%	546	2.76%	19764
SUBSTAFF	2007	33.82%	701	11.81%	1638	27.60%	-	-	5935
TOTAL	**9721**	**18.62%**	**5449**	**10.44%**	**14839**	**28.42%**	**800**	**1.53%**	**52209**

Learning and Development:

All training related activities including capacity building, in house talent development and imparting of class room trainings are being taken care of by the Learning and Development Department. Bank has adopted Hybrid mode of training to train its employees. Bank's 7 training colleges have imparted training to 38,600+ employees during the financial year using Hybrid mode. Bank has been using E-Learning modules for enhancing the competencies of employees and to equip the staff with right skills and knowledge for meeting ever changing business dynamics across different segments. 18,000+ officers have done various e learning modules. To enhance the capabilities of employees, bank has made several collaborations with Training Institutes viz. Manipal Global, IMI New Delhi, ASCI Hyderabad, CAB Pune, IIBF, NIBM Pune etc. As per CVC guidelines, uniform Induction Training Programme of Newly Recruited Officers and also programme on preventive vigilance for newly joined officers and mid-career officers have been adopted by the Bank. Induction training for all the 625 newly recruited officers has been undertaken and completed by training colleges. Development Centre has been conducted for 1900+ officers of scale IV and above and individual Development Plans have been prepared. Weekly webinars are conducted on various banking topics by training colleges in the evening hours of every Friday. All training colleges are collectively bringing out monthly magazine, Darpan. Other publications like Sandipani and Vijeta by training colleges are instrumental in the skill upgradation of employees

22. CUSTOMER EXCELLENCE BRANCH BANKING:

The Bank has empowered the Customer Service Committee of the Board, which is an apex level Board Committee, empowered to evaluate the Customer Service in our Bank.

The Bank has a Standing Committee on Customer Service, which acts as the bridge between the various department of the Bank and the Customer Service Committee of the Board.

The Bank has adopted CRM Next module as per the regulatory requirement for integration of multiple channels of complaints registration on a single common digital platform, for effective monitoring and timely review.

Bank's various Policies such as Customer Rights Policy and Customer Grievance Redressal Policy are in place as per the regulatory requirements and same are reviewed from time to time to incorporate the changes as per the directions/ guidelines of the regulatory authorities. All these policies are placed on public domain. We have appointed Internal Ombudsman as per the RBI guidelines to review the wholly/ partly rejected complaints and give decision.

The Bank has a full-fledged Call Centre located at two centre viz. Airoli (Navi Mumbai) and Begumpet (Hyderabad) providing 24X7 assistance to the customer/ non-customers.

Bank is committed to provide Customer Service of a high order in a transparent manner. Bank undertakes customer meetings on a regular basis to get the feedback of customers so as to enable the Bank to take appropriate decision on different banking products offered by the Bank.

23. BRANCH NETWORK & EXPANSION:

Bank has a geographically well spread branch network in India and aboard. Bank had 5129 branches in India as on 31.03.2023. In the foreign countries 21 branches, 4 Subsidiaries, 1 Joint Venture and 1 representative offices keep Bank's presence felt in all times Zones and important financial centers of the globe. During the year 2022-23, Bank has opened 29 new branch. Composition of Bank's Branch Network is as under:

Category	31.03.2022		31.03.2023	
	No of Branches	% to total	No of Branches	% to total
Metropolitan	991	19.41	991	19.32
Urban	815	15.97	829	16.16
Semi-Urban	1462	28.64	1456	28.39
Rural	1837	35.98	1853	36.13
Total Domestic Branches	5105	100	5129	100
Overseas	22	–	21	–
Total Branches	5127	–	5150	–

24. DOMESTIC SUBSIDIARY MANAGEMENT DIVISION:

BANK'S DOMESTIC SUBSIDIARY/ASSOCIATES/JOINT VENTURES:

BOI SHAREHOLDING LIMITED (BOISL):

Bank has investment of Rs.6.65 crore in BOISL, a wholly owned subsidiary of the Bank. BOISL acts as Depository Participant (DP) of both the Depositories, National Securities Depository Ltd. (NSDL) and the Central Depository Services (India) Ltd. (CDSL).

BANK OF INDIA INVESTMENT MANAGERS PVT. LTD. (BOIIMPL) & BANK OF INDIA TRUSTEE SERVICES PVT. LTD. (BOITSPL):

(Erstwhile BOI Star Investment Managers Pvt. Ltd. & BOI Star Trustee Services Pvt. Ltd).

These wholly owned subsidiaries are in the business of Mutual Fund and Investment Advisory Services under SEBI Investment Advisor Regulations. Bank of India is holding 100% Stake in BOIIMPL and BOITSPL with combined investments of Rs.78.90 crore.

BOI MERCHANT BANKERS LIMITED (BOIMBL):

BOI Merchant Bankers Limited was promoted on 31.10.2014 to undertake merchant banking business including arranging of Syndicated Loans, Bonds and Debentures. It is a wholly owned subsidiary of the Bank with paid up capital of Rs.10 crore.

STCI FINANCE LIMITED:

Established in 1994, STCI Finance Ltd., acts as a non-deposit taking NBFC. Bank of India with 29.96% holding (Investment of Rs. 130.10 Cr.) is the largest stakeholder in STCI with Equity Share capital of Rs 380 Crore. STCI Primary Dealer Ltd. (STCIPD) is a wholly owned subsidiary of STCI Finance Limited. STCIPD commenced its operations from 25.06.2007 and is one of the leading primary dealers in the country.

STAR UNION DAI-ICHI LIFE INSURANCE COMPANY LTD. (SUDLIFE):

Bank of India, Union Bank of India and Dai-Ichi Life International Holdings, Japan have formed a Joint Venture "Star Union Dai-Ichi Life Insurance Company" to provide life insurance services to its clients. The company commenced insurance business in February 2009. BOI holds 28.96% (Investment of Rs.132.92 crore), UBI holds 25.10%, and Dai-Ichi Life International Holdings holds 45.94% stake of the Company.

ASREC (INDIA) LTD. was floated by the Specified Undertaking of the Unit Trust of India (SUUTI) to undertake securitization and asset reconstruction activities. Bank holds 26.02% stake (Investment of Rs.27.60 Cr.), in the equity capital of the company of Rs. 98 crore.

INVESTMENT / ALLIANCES:

NATIONAL ASSET RECONSTRUCTION COMPANY LIMITED (NARCL):

IBA has set up of Bad Bank to resolve the NPA issue in Banking Sector. Bank has invested Rs 126.81 Crore in the company with 9% holding.

INDIA DEBT RESOLUTION COMPANY LIMITED (IDRCL):

IBA has also set up of IDRCL to provide debt management service to NARCL comprising of sectorial experts and turnaround specialists. Bank has invested Rs 0.80 Crore in the company with 4% holding.

OPEN NETWORK FOR DIGITAL COMMERCE (ONDC):

ONDC was incorporated as a Section 8 company in December 2021, with first-of-its-kind initiative globally to pave the way for reimagining digital commerce in India and establishing a globally replicable model for digital commerce. Bank has invested Rs 10.00 Crore in the company with 5.56% holding.

NATIONAL COMMODITIES MANAGEMENT SERVICES LIMITED (NCML) is promoted by the National Commodity and Derivatives Exchange Ltd. (NCDEX). It was incorporated on 28.09.2004 to promote and provide collateral management services for securing, managing and controlling securities and commodities. Bank holds stake of 2.34% in the equity capital of the company with investment of Rs.3 crore.

SWIFT INDIA DOMESTIC SERVICES PRIVATE LIMITED is a joint venture company promoted by SWIFT and 9 major Banks including Bank of India. SWIFT is holding 55 % equity and remaining 45% is held by 9 major Banks. Bank of India has an equity stake of 3.26% in the company with Rs.7.71 crore Investment.

ACUITE RATINGS & RESEARCH LIMITED was set up during FY 2005-06 by SIDBI in association with Dun & Bradstreet, one of the leading providers of commercial data and analytics. The Company's objective is to provide comprehensive, transparent and reliable ratings which would facilitate greater and easy flow of credit to SME sector. Bank holds a stake of 1.88% in the equity capital with investment of Rs.0.28 crore.

OTHER STRATEGIC INVESTMENTS:

Bank also has strategic investments in SIDBI (Rs.45.30 crore), Metropolitan Stock Exchange of India Ltd. (Rs.27.50 crore), NPCI (Rs.10 crore), Invent Assets Securitization and Reconstruction Pvt. Ltd. (Rs.10 crore), SBIDFHI (Rs.5.54 crore), CERSAI (Rs.2.16 crore), Agricultural Finance Corporation Ltd. (Rs.1.26 crore), Central Ware Housing Corporation Ltd. (Rs.1.11 crore), PSB Alliance Pvt. Ltd. (Rs. 2.14 crore), CSC e-Governance Services India Ltd. (Rs.1.00 crore), Clearing Corporation of India (Rs.0.50 crore), U.V. Asset Reconstruction Co. Ltd. (Rs.0.15 crore).

25. FRAUD RISK MANAGEMENT

Good corporate governance serves as an important factor in control of fraudulent activities. It may be true that Fraud itself cannot be eliminated but fraud risks can be managed and mitigated like other business risks with a proactive framework such as -

- Devising and managing Fraud Risk Management Framework with board approved Policy supported by Operational Manual & SOPs,
- Reporting Frauds to Regulators and Board,
- Diagnosis and root cause analysis of fraud cases and implementation of remedial measures and steps to mitigate risks thereof in respect of product deficiencies with support from stake-holders departments at HO,
- Dissemination of modus operandi & reasons for occurrence of fraud by way of Circulars / instructions to avoid the risk of recurrence of frauds of similar nature, at branches,

- Sensitizing staff through short alert messages through tickers / periodical messages through MMS and training / Video Conferencing on Fraud prevention in coordination with Learning & Development Dept,
- Enterprise wide Fraud Risk Management Solution (EFRMS) encompassing all non-credit delivery channels except cards has been implemented covering domestic branches and specific overseas centre.
- Working on 'Indian Cyber Crime Coordination Centre (I4C) portal managed by LEAs to provide required data in coordination with Digital Banking Department and Freezing of the accounts for blocking further damage to customers,
- Filing of Complaints with Law Enforcement Agencies (LEAs) by branches/ controlling offices.
- Issuance of LOCs as per extent guidelines of IBA (Indian Banks' Association) basing on direction from MHA (Ministry of Home Affairs).

Highlight during the year:

- Perpetration of frauds reported during the FY 2022-23 is Rs.582.59 Cr which shows significant reduction on comparing with frauds reported in FY 2021-22 amounting to Rs.5793.22 Cr.
- Internal frauds due to staff involvement was amounting to Rs.2.81 Cr in FY 2022-23 which is only 0.48% of total frauds reported Rs.582.59 Cr and also shows considerable reduction by 21.72% from the frauds reported last year. This reflects improvement in internal control.

26. VIGILANCE MANAGEMENT:

Vigilance department is headed by Chief Vigilance Officer for vigilance administration in the Bank under the general superintendence of Central Vigilance Commission (CVC). The vigilance department covers all vigilance related matters of bank's officials in domestic operation, overseas operations, and subsidiaries.

The vigilance administration of three Regional Rural banks sponsored by Bank of India, viz. Vidharbha-Konkan Gramin Bank, Aryavart Bank and Madhya Pradesh Gramin Bank are also supervised by Vigilance Department.

The Vigilance Department works under Chief vigilance Officer assisted by one Deputy General Manager and other officials having background/experience in the field of investigation and disciplinary matters. For operational convenience, Vigilance Department has operationalized 13 Vigilance Units under the direct control of Vigilance Department, Head Office, which covers all the National Banking Groups. Concurrent Auditors, working at overseas centres, perform the role of Vigilance Officer for overseas branches.

The Vigilance department deals with all 3 functions of vigilance administration such as, Preventive, Detective and Punitive vigilance with the objective of enhancing the level of managerial efficiency and effectiveness in the organisation. Communications covering gist of circulars, guidelines, and instructions etc., issued by the DFS, DoPT, CVC are circulated to field functionaries/offices from time to time along with other related subjects of preventive vigilance".

27. DIVIDEND DISTRIBUTION POLICY

In terms of Regulation 43A of SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, Bank has formed a Dividend Distribution Policy and the same is available on our website - https://bankofindia.co.in/documents/20121/0/DDP.pdf/ba6223a7-2777-012c-3ca7-f27b7f718d9a?t=1663666944772

28. BUSINESS RESPONSIBILITY AND SUSTAINABILITY REPORTING-2022-23

In terms of Regulation 34 (2)(f) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Business Responsibility and Sustainability Report is available on our website - www. bankofindia.co.in.

29. BASEL-III (PILLAR 3) DISCLOSURE (CONSOLIDATED) MARCH 2023

In terms of RBI Circular RBI/2022-23/12 DOR.CAP.REC.3/21.06.201/2022-23 dated April 1, 2022 on Basel III Capital Regulations read together with RBI Circular DBR.No.BP. BC.80/21.06.201/2014-15 dated March 31, 2015 on Prudential Guidelines on Capital adequacy and Liquidity Standard – Amendments, requires Banks to make applicable Pillar 3 disclosures including Leverage Ratio and Liquidity Coverage Ratio under the Basel III framework. These disclosures are available on Bank's website at the link - https://bankofindia.co.in/regulatory-disclosure-section.

30. STRATEGY FOR IND-AS IMPLEMENTATION AND ITS PROGRESS:

RBI vide its circular DBR.BP.BC.No.29/21.07.001/2018-19 dated March 22, 2019 deferred implementation of Ind AS till further notice as the legislative amendments in Banking Regulation Act, 1949 as recommended by RBI are under consideration of the Government of India. However, RBI requires all banks to submit Proforma Ind AS financial statements every half year. Accordingly, the Bank has been preparing and submitting to RBI Proforma Ind AS Financial Statements (PFS) half yearly with effect from September-2021, after approval of Steering Committee formed for monitoring of implementation of Ind AS in the Bank. The PFS are also presented to Audit Committee of Board and Board for information and reporting.

ACKNOWLEDGEMENT:

The Board expresses its gratitude to the Government of India, Reserve Bank of India and Securities and Exchange Board of India and other regulatory authorities for their valuable guidance and support. The Board also thanks the financial Institutions and correspondent banks for their co-operation and support. The Board acknowledges the unstinted support of its customers, business associates and shareholders. The Board also wishes to place on record its appreciation of staff members for their dedicated service and contribution for the overall performance of the Bank.

For and on behalf of the Board of Directors

Sd/-

Rajneesh Karnatak
MD & CEO

Place : Mumbai
Date : 06.05.2023

कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व

एक जिम्मेदार कॉरपोरेट नागरिक होने के नाते, बैंक ऑफ इंडिया पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध है तथा समाज को गुणवत्तापूर्ण जीवन जीने तथा समाज की बेहतरी हेतु अर्थव्यवस्था को समृद्ध बनाने में योगदान देने के महत्व को समझता है। हम विश्वास करते हैं कि बैंक द्वारा किया गया योगदान समाज की सामान्य भलाई के उद्देश्य को पूरा करने के लिए समाज के उत्थान हेतु है।

बैंक एक जिम्मेदार कॉरपोरेट नागरिक होने के नाते स्वेच्छा से कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व का निर्वहन करता है। कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) गतिविधियों के तहत, बैंक द्वारा समाज के जरूरतमंद तथा वंचित वर्ग के जीवन स्तर मे सुधार करने के लिए विभिन्न कल्याणकारी तथा सामाजिक गतिविधियाँ/परियोजनाएँ/कार्यक्रम किए जा रहे हैं। बैंक निरंतर ऐसी सीएसआर गतिविधियां करने में प्रयासरत रहता है, जिनकी संकल्पना बड़े पैमाने पर समाज के सामुदायिक विकास तथा लाभ के लिए की गई है। बैंक जरुरतमंदों तथा वंचित लोगों के लिए सीएसआर गतिविधियों द्वारा समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है।

बैंक शोषित एवं वंचित समुदायों को सशक्त बनाने वाली सीएसआर गतिविधियो द्वारा समाज की बेहतरी हेतु योगदान करने के उद्देश्य से सीएसआर गतिविधियाँ करता है तथा साथ ही सीएसआर को बैंक के कॉरपोरेट संबंधी सिद्धात, व्युत्पन्न मूल्य तथा छवि निर्माण का एक अभिन्न अंग बना दिया गया है। इन सीएसआर गतिविधियों को बड़े पैमाने पर सामाजिक कल्याण के लिए तथा अधिकतर स्वच्छ भारत अभियान, ग्रामीण विकास, पर्यावरणीय संधारणीयता, शैक्षणिक कार्यक्रम जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, गरीबी/वंचितों को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने, सामाजिक आर्थिक विकास, स्वच्छता, पेय जल उपलब्ध कराने, जीवन स्तर सुधारने, कौशल विकास, महिलाओं बच्चों तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों का कल्याण आदि के क्षेत्र में सीएसआर गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित कर स्थायी प्रभाव डालने के लिए कार्यान्वित किया गया है।

बैंक ऑफ इंडिया ने वर्ष 2022-23 के दौरान विभिन्न सीएसआर परियोजनाओं को अनुमादित किया है। अपनी सीएसआर गतिविधियों को अवधारणा के अंतर्गत बैंक ने विभिन्न गतिविधियों में सहायता प्रदान की है, जिसका ब्यौरा निम्नानुसार है

1. स्वच्छ भारत अभियान
2. बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान
3. पर्यावरणीय संधारणीयता एवं इकोलॉजिकल संतुलन
4. सामाजिक कल्याण सहित स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण
5. आधारभूत शिक्षा, कौशल विकास प्रशिक्षण
6. स्थानीय सामुदायिक सेवाएँ/सामाजिक गतिविधियां
7. दिव्यांगजनों की सहायता करना
8. कोविड 19 - निवारक स्वास्थ्य सेवा तथा स्वच्छता सहित हेल्थ केयर को प्रोत्साहन तथा आपदा प्रबंधन

बैंक, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को प्रोत्साहित करने के लिए ''स्टार एजेल स्कीम'' नामक ब्रांड के अंतर्गत अपनी फ्लैगशिप सीएसआर गतिविधियों को भी जारी रख रहा है। इस कार्यक्रम में, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की छात्राओं की पहली कक्षा में ही पहचान की जाती है तथा उन्हें स्नातक तक उनके शिक्षा संबंधी व्ययों को पूरा करने के लिए प्रतिवर्ष रु.1200/- की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

As a responsible corporate citizen, Bank of India is deeply committed and recognizes the importance of contributing towards betterment of society to enable them to lead a quality life and the economy to prosper. We believe that contribution made by the Bank is largely for upliftment of the society to serve the purpose of common social good.

The Corporate Social Responsibility activities are undertaken by the Bank as a voluntary and responsible corporate citizen. Under the Corporate Social Responsibility (CSR) activities, various welfare and social activities/ projects/ programmes are undertaken by the Bank to raise the quality of life of the needy, deprived & under privileged sections of the society. Bank constantly endeavor to undertake those CSR activities which are conceptualized for community development and benefiting to the society at large. Bank is committed to the philosophy of giving back to the society by way of undertaking CSR activities for the needy & deprived.

The Bank undertakes CSR activities with an objective to contribute for the betterment of the society by undertaking CSR activities aimed at empowering the underprivileged & deprived communities and has also made CSR an integral part of the Bank's corporate philosophy, deriving value and image building for the Bank. These CSR activities are implemented for addressing the larger social cause and sustainable impacts by focusing on CSR activities mostly in the area of Swachhta Bharat Abhiyan, Rural Development, Environment sustainability, Educational program such as Beti Bachao Beti Padhao Abhiyan, extending health care to poor/under privileged, socioeconomic development, sanitation, providing drinking water, improving standard of living, skill development, welfare of women, children and economically weaker sections etc.

Bank of India has approved various CSR projects during the year 2022-23. Under its concept of CSR activities, Bank has assisted in various projects bifurcated as under:

- Swachh Bharat Abhiyan
- Beti Bachao Beti Padhao Abhiyan
- Environmental Sustainability and Ecological balance
- Health and Family Welfare including Social welfare
- Basic Education, Skill development training
- Local community service/ social activity
- Supporting differently abled
- COVID19 - towards promotion of health care, including preventive health care and sanitation, and disaster management

Bank is also continuing its flagship CSR activities under brand name "Star Angel Scheme" for promoting Beti Bachao Beti Padhao Abhiyan. In this program, girl students from economically weaker sections are identified in their standard I and selected for extending financial support to of Rs.1200/- per annum for meeting their educational expenses upto graduation.

बैंक ऑफ इंडिया ने गरीब एवं वंचित नागरिकों हेतु स्वास्थ्य कैम्प प्रायोजित कर स्वास्थ्य क्षेत्र में सहायता की है। हमारे बैंक ने गरीब मरीजों को चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराने वाले अस्पतालों को मेडिकल संबंधी उपकरण भी उपलब्ध कराए हैं। एक जिम्मेदार कॉरपोरेट नागरिक होने के नाते, हमारा बैंक शिक्षा को प्रायोजित कर, शिक्षा संबंधी सामग्री दान कर, दिव्यांगजनों तथा अनाथों को सहायता प्रदान कर तथा गरीबों एवं वंचितों को जीवन जीने के बेहतर अवसरों के लिए कौशल प्रशिक्षण उपलब्ध करा कर आधारभूत शिक्षा को सहायता प्रदान कर रहा है।

Bank of India has assisted in health sector by sponsoring health camps for poor and underprivileged citizen. Our Bank also provided medical equipment to hospitals catering medical services to poor patients. As a responsible corporate citizen, our Bank has been continuing to supports basic education by sponsoring education, donating education materials, extending assistance to differently abled and orphans, and also providing skill training for better life opportunities to poor and underprivileged.

कार्पोरेट शासन प्रणाली

प्रशासन प्रणाली संहिता पर बैंक का दर्शन:

बैंक का कॉरपोरेट गवर्नेंस दर्शन इस विश्वास पर आधारित है कि कॉरपोरेट गवर्नेंस, दक्षता में सुधार और विकास के साथ-साथ निवेशकों के विश्वास को बढ़ाने में एक प्रमुख तत्व है। बैंक, कॉर्पोरेट प्रशासन के उच्च मानक प्राप्त करने के लिए नैतिक मूल्यों और आत्म-अनुशासन में दृढ़तापूर्वक विश्वास करता है और पारदर्शिता, हितधारकों, सरकार और बैंक के साथ काम करने वाले अन्य लोगों के प्रति जवाबदेही के माध्यम से कारोबार संचालन में उत्कृष्ट प्रयास करना जारी रखे हुए है। तदनुसार,कॉरपोरेट गवर्नेंस दर्शन को निम्नानुसार प्रतिपादित किया गया है:

''नैतिक व्यवसाय प्रथाओं के माध्यम से हितधारकों के मूल्य में वृद्धि करना''।

कॉर्पोरेट गवर्नेंस के कार्यान्वयन के मूल में बोर्ड है, जो इस बात की देखरेख करता है कि प्रबंधन कैसे बैंक के सभी हितधारकों के दीर्घकालिक हितों को पूरा तथा इसकी रक्षा कर रहा है। बैंक का मानना है कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस के उच्चतम मानकों को सुनिश्चित करने के लिए एक सक्रिय, अच्छी तरह से सूचित और स्वतंत्र बोर्ड आवश्यक है। बैंक की कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रथाओं का उद्देश्य भारत सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई), भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड (सेबी) और सेबी (सूचीकरण बाध्यताएं और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015, बीआईएस-कॉर्पोरेट गवर्नेंस दिशानिर्देशों के अनुसार कॉर्पोरेट गवर्नेंस आवश्यकताओं को पूरा करना है। इसके अलावा पेशेवर निकायों द्वारा अनुशंसित अच्छी प्रथाओं या भारत में अग्रणी बैंकों / कंपनियों द्वारा प्रथाओं के पालन पर भी ध्यान दिया जाता है।

बोर्ड, कार्यपालकों और अन्य पदाधिकारियों के बीच अंतर-संबंध इस प्रकार से रखा गया है कि इनकी भूमिकाओं का स्पष्ट रूप से सीमांकन किया जाए और कॉर्पोरेट प्रदर्शन में सुधार हो। बैंक उच्च प्रकटीकरण मानकों और पारदर्शिता का पालन करने के लिए भी प्रतिबद्ध है। सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप, बैंक ने व्यवसाय के हर पहलू की निगरानी के लिए बोर्ड की विभिन्न समितियों का गठन किया है।

बोर्ड के निदेशक :

समय-समय पर यथा संशोधित बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 **(राष्ट्रीयकरण अधिनियम)** के अन्तर्गत बैंक का गठन किया गया है। निदेशक मंडल की संरचना राष्ट्रीयकरण अधिनियम के उपबंधों, यथासंशोधित और राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और प्रकीर्ण उपबंध) योजना, 1970, यथासंशोधित द्वारा शासित होती है।

बोर्ड की जिम्मेदारियों में बैंक के समग्र कार्यसंचालन की निगरानी करना शामिल है, जिसमें व्यवसाय के संचालन के लिए नीतियों के अनुमोदन, व्यवसाय समीक्षा, लेखा परीक्षा और जोखिम कार्य की स्वतंत्रता का आकलन करना, त्रैमासिक और वार्षिक वित्तीय परिणामों की विस्तृत जांच, एनपीए प्रबंधन और प्रावधान में सत्यनिष्ठा, नियामक और वैधानिक दिशानिर्देशों का अनुपालन, ग्राहक संरक्षण, वित्तीय समावेशन, मानव संसाधनों का समग्र पर्यवेक्षण आदि शामिल हैं परन्तु यह इतने तक सीमित नहीं है।

बोर्ड ने विभिन्न उप-समितियों का गठन किया है और इसने बोर्ड की समितियों को विभिन्न कार्यात्मक क्षेत्रों के लिए अपनी शक्तियां प्रत्यायोजित की हैं। बोर्ड तथा इसकी समितियां समय-समय पर बैठक करती हैं।

31 मार्च 2023 तक, बोर्ड में चार पूर्णकालिक निदेशक अर्थात् भारत सरकार द्वारा नियुक्त 4 कार्यपालक निदेशक और पांच गैर-कार्यकारी निदेशक (दो नामिती निदेशक और तीन स्वतंत्र निदेशक) शामिल थे, जो जीवन के विभिन्न क्षेत्रों से प्रतिष्ठित व्यक्तित्व

CORPORATE GOVERNANCE

Bank's Philosophy on Code of Governance:

The Bank's Corporate Governance philosophy stems from the belief that Corporate Governance is a key element in improving efficiency and growth as well as enhancing investor confidence. The Bank strongly believes in ethical values and self-discipline to achieve higher standard of Corporate Governance and continues to strive for excellence in business operations through transparency, accountability to stakeholders, Government and others who deal with the Bank. Accordingly, the Corporate Governance philosophy has been scripted as under:

"Enhancing stakeholders' value through ethical business practices".

At the core of its Corporate Governance practice is the Board, which oversees how the management serves and protects the long-term interests of all the stakeholders of the Bank. The Bank believes that an active, well informed and independent Board is necessary to ensure the highest standards of Corporate Governance. The Bank's Corporate Governance practices are aimed at meeting the Corporate Governance requirements as per the Government of India, Reserve Bank of India (RBI), Securities Exchange Board of India (SEBI) and the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, BIS-Corporate Governance Guidelines, besides good practices either recommended by professional bodies or practices by leading Banks / Companies in India.

The interrelation between the Board, the Executives and other functionaries is so configured as to have distinctly demarcated roles and improved corporate performance. The Bank is also committed to following high disclosure standards and transparency. In line with the best practices, the Bank has formed various committees of the Board to monitor every aspect of business.

Board of Directors:

The Bank is constituted under the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, **(the Nationalisation Act)** as amended from time to time. The composition of the Board of Directors is governed by the provisions of the Nationalisation Act, as amended and Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, as amended.

The responsibilities of the Board include monitoring overall functioning of Bank including but not limiting to approval of policies for conduct of business, business reviews, assessing the independence of the audit and risk function, detailed scrutiny of quarterly and annual financial results, NPA Management and provisioning integrity, compliance of regulatory and statutory guidelines, customer protection, financial inclusion, overall supervision of human resources etc.

The Board has constituted various sub-committees and delegated its powers for different functional areas to the committees of the Board. The Board as well as its Committees meet at periodic intervals.

As on 31st March 2023, the Board comprised of four whole time Directors viz. 4 Executive Directors appointed by the Government of India and five Non-Executive Directors (two

हैं। उनका समृद्ध और विविध अनुभव बैंक को विभिन्न क्षेत्रों में अपनी प्रगति और उपलब्धियों में मार्गदर्शन करता है। प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी (एमडी और सीईओ) ने अपना कार्यकाल पूरा होने के बाद 19.01.2023 को पद छोड़ दिया है।

भारत सरकार द्वारा नियुक्त नए प्रबंध निदेशक और सीईओ ने 29.04.2023 को पदभार ग्रहण किया है।

वर्ष के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा नामित किए जाने वाले वर्कमेन कर्मचारी निदेशक और अधिकारी कर्मचारी निदेशक के पद रिक्त थे। केंद्र सरकार द्वारा नामित किए जाने वाले सीए श्रेणी के निदेशक और तीन अंशकालिक गैर-आधिकारिक निदेशकों के पद 31.03.2023 तक रिक्त थे।

बैंक के मामलों और व्यवसाय का सामान्य अधीक्षण, निर्देशन और प्रबंधन, अध्यक्ष की अध्यक्षता वाले निदेशक मंडल में निहित है। 14 अगस्त, 2020 को, अध्यक्ष ने अपना कार्यकाल पूरा होने पर पद छोड़ दिया है। वर्तमान में अध्यक्ष का पद रिक्त है।

Nominee Directors and three Independent Directors) who are eminent personalities from various walks of life. Their rich and varied experience guides the bank in its progress and achievements in various spheres. The Managing Director & Chief Executive Officer (MD & CEO) has demitted office on 19.01.2023 after completion of his tenure.

New Managing Director & CEO appointed by the Government of India has assumed office on 29.04.2023.

The positions of Workmen Employee Director and Officer Employee Director to be nominated by the Central Government were vacant during the year. The Positions of CA category Director and three Part-Time Non official Directors to be nominated by the Central Government were vacant as on 31.03.2023.

The general superintendence, direction and management of the affairs and business of the Bank is vested in the Board of Directors presided over by the Chairman. On 14th August, 2020, the Chairman has vacated the office on completion of his term. Presently Chairman's post is vacant.

31.03.2023 तक, बोर्ड की संरचना निम्नानुसार थी:
As on 31.03.2023, the Composition of the Board was as under:

क्र सं. Sr. No	निदेशक का पूरा नाम, पदनाम और श्रेणी Full Name of the Director, Designation & Category	नियुक्ति दिनांक Appointment Date	बैंक की समितियों में सदस्यता $ Membership in Committees of the Bank $	बैंक के शेयरों की होल्डिंग Holding of Bank's shares	बैंक सहित पब्लिक लिमिटेड कंपनियों में एसीबी और एसआरसीबी की सदस्यता की संख्या Number of memberships of ACB & SRCB in Public Ltd. Companies including the Bank	बैंक सहित पब्लिक लिमिटेड कंपनियों में एसीबी और एसआरसीबी के अध्यक्षों की संख्या Number of chairmanships of ACB & SRCB in Public Ltd.Companies including the Bank	टिप्पणियां (बैंक/अन्य सूचीबद्ध कंपनियों में नियुक्ति की प्रकृति और विशेषज्ञता का क्षेत्र) Remarks (Nature of appointment in the Bank/Other Listed Companies and Area of Expertise)
1.	श्री पी.आर. राजगोपाल कार्यपालक निदेशक (कार्यपालक) Shri P.R. Rajagopal Executive Director (Executive)	18.03.2020	एसआरसी आरएमसी सीएसआरसी एमसीओएम एसटीसी # एलवीएफसी आईटी और डीपीडीसी सीएसी आईएसी एचवीएनपीए सीएसआरसी जीजीयूसी एससीएचआर SRC RMC CSRC MCOM STC# LVFC IT& DPDC CAC IAC HVNPA CSRC GGUC SCHR	-	1	0	बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 9(3)(ए) के तहत पूर्णकालिक निदेशक के रूप में नियुक्त, 18.03.2020 से पद का कार्यभार संभालने की तारीख से तीन साल की अवधि अर्थात 28.02.2022 तक के लिए पद पर बने रहेंगे। केंद्र सरकार ने कार्यकाल को 28.02.2022 से आगे 28.02.2024 तक या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, तक कार्यकाल बढ़ा दिया है। विशेषज्ञता का क्षेत्र: बैंकिंग. Appointed as a whole Time Director u/s 9(3)(a) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act 1970 to hold office from 18.03.2020 till 28.02.2022. The Central Govt has extended the term beyond 28.02.2022 till 28.02.2024 or until further orders, whichever is earlier. Area of Expertise : Banking .

क्र सं. Sr. No	निदेशक का पूरा नाम, पदनाम और श्रेणी Full Name of the Director, Designation & Category	नियुक्ति दिनांक Appointment Date	बैंक की समितियों में सदस्यता $ Membership in Committees of the Bank $	बैंक के शेयरों की होल्डिंग Holding of Bank's shares	बैंक सहित पब्लिक लिमिटेड कंपनियों में एसीबी और एसआरसीबी की सदस्यता की संख्या Number of memberships of ACB & SRCB in Public Ltd. Companies including the Bank	बैंक सहित पब्लिक लिमिटेड कंपनियों में एसीबी और एसआरसीबी के अध्यक्षों की संख्या Number of chairmanships of ACB & SRCB in Public Ltd.Companies including the Bank	टिप्पणियां (बैंक/अन्य सूचीबद्ध कंपनियों में नियुक्ति की प्रकृति और विशेषज्ञता का क्षेत्र) Remarks (Nature of appointment in the Bank/Other Listed Companies and Area of Expertise)
2.	श्री स्वरूप दासगुप्ता कार्यपालक निदेशक (कार्यपालक) Shri Swarup Dasgupta Executive Director (Executive)	10.03.2021	एसआरसी आरएमसी सीएसआरसी एमसीओएम एसटीसी # एलवीएफसी आईटी और डीपीडीसी सीएसी आईएसी एचवीएनपीए सीएसआरसी जीजीयूसी एससीएचआर SRC RMC CSRC MCOM STC# LVFC IT& DPDC CAC IAC HVNPA CSRC GGUC SCHR	3000	2	0	बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 9 (3) (ए) के तहत पूर्णकालिक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है, जो 10.03.2021 को पदभार ग्रहण करने की तारीख से तीन साल की अवधि के लिए या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, तक है। विशेषज्ञता का क्षेत्र: बैंकिंग. Appointed as a whole Time Director u/s 9(3)(a) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act 1970 to hold office for a period of three years from the date of his taking over the charge of the post on 10.03.2021 or until further orders, whichever is earlier. Area of Expertise : Banking.
3.	श्री एम. कार्तिकेयन कार्यपालक निदेशक (कार्यपालक) Shri M.Karthikeyan Executive Director (Executive)	10.03.2021	एसआरसी आरएमसी सीएसआरसी एमसीओएम एसटीसी # एलवीएफसी आईटी और डीपीडीसी सीएसी आईएसी एचवीएनपीए सीएसआरसी जीजीयूसी एससीएचआर SRC RMC CSRC MCOM STC# LVFC IT& DPDC CAC IAC HVNPA CSRC GGUC SCHR	-	1	0	बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 9 (3) (ए) के तहत पूर्णकालिक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है, जो 10.03.2021 को पदभार ग्रहण करने की तारीख से तीन साल की अवधि के लिए या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो। विशेषज्ञता का क्षेत्र: बैंकिंग Appointed as a whole Time Director u/s 9(3)(a) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act 1970 to hold office for a period of three years from the date of his taking over the charge of the post on 10.03.2021 or until further orders, whichever is earlier. Area of Expertise : Banking .

क्र सं. Sr. No	निदेशक का पूरा नाम, पदनाम और श्रेणी Full Name of the Director, Designation & Category	नियुक्ति दिनांक Appointment Date	बैंक की समितियों में सदस्यता $ Membership in Committees of the Bank $	बैंक के शेयरों की होल्डिंग Holding of Bank's shares	बैंक सहित पब्लिक लिमिटेड कंपनियों में एसीबी और एसआरसीबी की सदस्यता की संख्या Number of memberships of ACB & SRCB in Public Ltd. Companies including the Bank	बैंक सहित पब्लिक लिमिटेड कंपनियों में एसीबी और एसआरसीबी के अध्यक्षों की संख्या Number of chairmanships of ACB & SRCB in Public Ltd.Companies including the Bank	टिप्पणियां (बैंक/अन्य सूचीबद्ध कंपनियों में नियुक्ति की प्रकृति और विशेषज्ञता का क्षेत्र) Remarks (Nature of appointment in the Bank/Other Listed Companies and Area of Expertise)
4.	श्री सुब्रत कुमार कार्यपालक निदेशक (कार्यपालक) Shri Subrat Kumar Executive Director (Executive)	21-11-2022	एसआरसी आरएमसी सीएसआरसी एमसीओएम एसटीसी # एलवीएफसी आईटी और डीपीडीसी सीएसी आईएसी एचवीएनपीए सीएसआरसी जीजीयूसी एससीएचआर SRC RMC CSRC MCOM STC# LVFC IT& DPDC CAC IAC HVNPA CSRC GGUC SCHR	-	1	0	बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 9 (3) (ए) के तहत पूर्णकालिक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है, जो 21.11.2022 को पदभार ग्रहण करने की तारीख से तीन साल की अवधि के लिए या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो। विशेषज्ञता का क्षेत्र: बैंकिंग Appointed as a whole Time Director u/s 9(3)(a) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act 1970 to hold office for a period of three years from the date of his taking over the charge of the post on 21.11.2022 or until further orders, whichever is earlier. Area of Expertise : Banking .
5.	श्री सुब्रत दास गैर कार्यपालक नामिती निदेशक Shri Subrata Das Non Executive Nominee Director	13.09.2019	एसीबी एमसीओएम डीपीसी डीपीसीबी ACB MCOM DPC DPCB	-	1	0	बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 9 (3) (सी) के तहत केंद्र सरकार द्वारा निदेशक नामित किया गया, अगले आदेश तक पद धारण करेंगे। विशेषज्ञता का क्षेत्र: बैंकिंग Nominated as a Director by Central Government u/s 9(3) (c) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act 1970, to hold the post until further orders. Area of Expertise : Banking
6.	श्री भूषण कुमार सिन्हा गैर कार्यपालक नामिती निदेशक Shri Bhushan Kumar Sinha Non Executive Nominee Director	11.04.2022	एसीबी सीएससी एनआरसी डीपीसी डीपीसीबी एलवीएफसी आईटीएस और डीपीडीसी एचवीएनपीए पी.ई एससीएचआर ACB CSC NRC DPC DPCB LVFC ITS& DPDC HVNPA PE SCHR	-	1	0	बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 9 (3) (बी) के तहत केंद्र सरकार द्वारा निदेशक नामित किया गया, अगले आदेश तक पद धारण करेंगे। विशेषज्ञता का क्षेत्र: वित्त Nominated as a Director by Central Government u/s 9(3) (b) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act 1970, to hold the post until further orders. Area of Expertise : Finance

क्र सं. Sr. No	निदेशक का पूरा नाम, पदनाम और श्रेणी Full Name of the Director, Designation & Category	नियुक्ति दिनांक Appointment Date	बैंक की समितियों में सदस्यता $ Membership in Committees of the Bank $	बैंक के शेयरों की होल्डिंग Holding of Bank's shares	बैंक सहित पब्लिक लिमिटेड कंपनियों में एसीबी और एसआरसीबी की सदस्यता की संख्या Number of memberships of ACB & SRCB in Public Ltd. Companies including the Bank	बैंक सहित पब्लिक लिमिटेड कंपनियों में एसीबी और एसआरसीबी के अध्यक्षों की संख्या Number of chairmanships of ACB & SRCB in Public Ltd.Companies including the Bank	टिप्पणियां (बैंक/अन्य सूचीबद्ध कंपनियों में नियुक्ति की प्रकृति और विशेषज्ञता का क्षेत्र) Remarks (Nature of appointment in the Bank/Other Listed Companies and Area of Expertise)
7.	सुश्री वेणी थापर शेयरधारक निदेशक (स्वतंत्र निदेशक) Ms.Veni Thapar Shareholder Director (Independent Director)	04.12.2021	एसीबी एनआरसी एसआरसी आरएमसी सीएसआरसी एसटीसी एलवीएफसी आईटीएस और डीपीडीसी आरसीडब्ल्यूडी आईडीसी सीएसआरसी पीई जीजीयूसी डीएनसीबीसी ACB NRC SRC RMC CSRC STC LVFC ITS& DPDC RCWD IDC CSRC PE GGUC DNCBC	300	3	1	बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 9 (3) (i) के तहत 04.12.2021 से 03.12.2024 तक की अवधि के लिए तीन साल की अवधि के लिए शेयरधारक निदेशक के रूप में चुने गए। विशेषज्ञता का क्षेत्र: लेखा परीक्षा Elected as Shareholder Director u/s 9(3) (i) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act 1970 for a period of three years from 04.12.2021 to 03.12.2024. Area of Expertise : Audit
8.	श्री मुनीश कुमार रल्हन अंशकालिक गैर-आधिकारिक निदेशक (स्वतंत्र निदेशक) Shri Munish Kumar Ralhan Part-time non-official Director (Independent Director)	21.03.2022	एनआरसी आरएमसी सीएसआरसी एमकॉम एलवीएफसी आईटीएस और डीपीडीसी आर सी डब्ल्यू डी एचवीएनपीए आईडीसी सीएससी पीई जीजीयूसी डीएनसीबीसी एससीएचआर NRC RMC CSRC MCOM LVFC ITS & DPDC RCWD HVNPA IDC CSC PE GGUC DNCBC SCHR	-	0	0	बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 9 (3) (ज) के तहत केंद्र सरकार द्वारा अंशकालिक गैर-आधिकारिक निदेशक के रूप में अधिसूचना की तारीख से तीन साल की अवधि के लिए यानी 21.03.2022 तक या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, के लिए नामित किया गया है। विशेषज्ञता का क्षेत्र: विधि Nominated as a Part Time Non-Official Director by Central Government u/s 9(3) (h) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act 1970 for a period of three years from the date of notification i.e.21.03.2022 or until further orders, whichever is earlier. Area of Expertise : Legal

क्र सं. Sr. No	निदेशक का पूरा नाम, पदनाम और श्रेणी Full Name of the Director, Designation & Category	नियुक्ति दिनांक Appointment Date	बैंक की समितियों में सदस्यता $ Membership in Committees of the Bank $	बैंक के शेयरों की होल्डिंग Holding of Bank's shares	बैंक सहित पब्लिक लिमिटेड कंपनियों में एसीबी और एसआरसीबी की सदस्यता की संख्या Number of memberships of ACB & SRCB in Public Ltd. Companies including the Bank	बैंक सहित पब्लिक लिमिटेड कंपनियों में एसीबी और एसआरसीबी के अध्यक्षों की संख्या Number of chairmanships of ACB & SRCB in Public Ltd.Companies including the Bank	टिप्पणियां (बैंक/अन्य सूचीबद्ध कंपनियों में नियुक्ति की प्रकृति और विशेषज्ञता का क्षेत्र) Remarks (Nature of appointment in the Bank/Other Listed Companies and Area of Expertise)
9.	श्री विश्वनाथ वी शेनॉय शेयरधारक निदेशक (स्वतंत्र निदेशक) Shri Vishwanath V.Shenoy Shareholder Director (Independent Director)	29.11.2022	डीपीसीबी एसआरसी आरएमसी सीएसआरसी एमकॉम डीपीसी एसटीसी एलवीएफसी आईटीएस और डीपीडीसी आर सी डब्ल्यू डी आईडीसी पी.ई जीजीयूसी डीएनसीबीसी सीएससी एससीएचआर एनआरसी DPCB SRC RMC CSRC MCOM DPC STC LVFC ITS & DPDC RCWD IDC PE GGUC DNCBC CSC SCHR NRC	600	1	0	बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 9 (3) (ग) के तहत 29.11.2022 से 28.11.2025 तक तीन साल की अवधि के लिए शेयरधारक निदेशक के रूप में निर्वाचित। विशेषज्ञता का क्षेत्र: बैंकिंग Elected as Shareholder Director u/s 9(3) (i) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act 1970 for a period of three years from 29.11.2022 to 28.11.2025. Area of Expertise : Banking

एमडी और सीईओ की अनुपस्थिति में, कार्यपालक निदेशकों में से कोई एक

$ समिति के नामों का संक्षिप्त रूप

एसीबी - बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति

एमसीओएम - बोर्ड की प्रबंधन समिति

डीपीसी - निदेशक पदोन्नति समिति

डीपीसीबी - बोर्ड की अनुशासनात्मक कार्यवाही समिति

एसआरसी - हितधारक संबंध समिति

एसटीसी - शेयर ट्रांसफर कमेटी

एलवीएफसी - बड़े मूल्य की धोखाधड़ी की निगरानी के लिए निदेशकों की समिति

आरएमसी - जोखिम प्रबंधन के लिए निदेशकों की समिति

सीएससी - ग्राहक सेवा के लिए निदेशकों की समिति

आईटीएस और डीपीडीसी - आईटी कार्यनीति और डिजिटल भुगतान प्रोत्साहन समिति

एनआरसी - निदेशकों की नामांकन और पारिश्रमिक समिति

In absence of the MD&CEO, any one of the Executive Directors

$ Abbreviations of Committee Names

ACB – Audit Committee of the Board

MCOM – Management Committee of the Board

DPC – Director Promotion Committee

DPCB – Disciplinary Proceedings Committee of the Board

SRC – Stakeholders Relationship Committee

STC – Share Transfer Committee

LVFC – Committee of Directors for Monitoring of Large Value Frauds

RMC – Committee of Directors for Risk Management

CSC – Committee of Directors for Customer Service

ITS&DPDC – IT Strategy & Digital Payment Promotion Committee

NRC – Nomination & Remuneration Committee of Directors

सीएसी - बोर्ड की क्रेडिट स्वीकृति समिति
आईएसी - निवेश अनुमोदन समिति
एससीएचआर - एचआर पर बोर्ड की संचालन समिति
आरसीडब्ल्यूडी - इरादतन चूककर्ताओं के लिए समीक्षा समिति
एचवीएनपीए - उच्च मूल्य एनपीए और हानि संपत्ति की निगरानी के लिए समिति
आईडीसी - बोर्ड की स्वतंत्र निदेशक समिति
सीएसआरसी - कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति
पीई - प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारियों/कार्यपालक निदेशकों/महाप्रबंधकों के प्रदर्शन मूल्यांकन के लिए बोर्ड समिति
जीजीयूसी - ग्रुप गवर्नेंस यूनिट कमेटी
डीएनसीबीसी - गैर सहयोगी उधारकर्ता की घोषणा के लिए समीक्षा समिति

प्रबंध निदेशक और सीईओ और कार्यपालक निदेशकों के अलावा सभी निदेशक बोर्ड में गैर-कार्यपालक निदेशक हैं। केंद्र सरकार के अलावा बैंक के शेयरधारकों का प्रतिनिधित्व करने वाले निदेशक और एक अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक, सेबी (सूचीकरण बाध्यताएं और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 (सेबी-एलओडीआर) के विनियम 16 (बी) के अर्थ में स्वतंत्र निदेशक हैं।

स्वतंत्र निदेशकों को प्रदान किए जाने वाले परिचयात्मक कार्यक्रमों का विवरण हमारी वेबसाइट अर्थात www.bankofindia.co.in पर उपलब्ध है।

बोर्ड की राय में, स्वतंत्र निदेशक इन विनियमों में निर्दिष्ट शर्तों को पूरा करते हैं और वे प्रबंधन से स्वतंत्र होते हैं।

कोई भी निदेशक किसी अन्य निदेशक का संबंधी नहीं है।

CAC – Credit Approval Committee of Board
IAC – Investment Approval Committee
SCHR – Steering Committee of the Board on HR
RCWD – Review Committee for Wilful Defaulters
HVNPA – Committee for monitoring High Value NPAs & Loss Assets
IDC – Independent Directors Committee of the Board
CSRC – Corporate Social Responsibility Committee
PE – Board Committee for Performance evaluation of Managing Director & CEOs/Executive Directors/ General Managers
GGUC – Group Governance Unit Committee
DNCBC – Review Committee for Declaration of Non Co-operative Borrower

All Directors, other than the Managing Director & CEO and the Executive Directors, are non-Executive Directors on the Board. The Directors representing shareholders of the Bank other than the Central Government and one Part-time non-official Director are Independent directors within the meaning of Regulation 16 (b) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (SEBI-LODR).

Details of familiarization programmes imparted to Independent Directors are available on our website i.e. www.bankofindia.co.in.

In the opinion of the Board, independent directors fulfil the conditions specified in these Regulations and are independent of the management.

None of the Directors is a relative of other Director.

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान और अब तक नियुक्तियां/समाप्तियां: Appointments/Cessations during the Financial Year 2022-23 and till date:

क्र सं. Sr. No.	नाम Name	उम्र Age	नियुक्ति की तरीख Date of Appointment	वर्तमान अवधि की समाप्ति तिथि Expiry date of Current term	विशेषज्ञता की प्रकृति Nature of Expertise	संक्षिप्त प्रोफ़ाइल Brief Profile
1	श्री भूषण कुमार सिन्हा गैर कार्यपालक नामिती निदेशक Shri Bhushan Kumar Sinha Non Executive Nominee Director	58	11.04.2022	भारत सरकार के अगले आदेश तक Until further orders of Government of India	बैंकिंग/Banking	श्री भूषण कुमार सिन्हा, भारतीय आर्थिक सेवा के 1993 बैच के अधिकारी हैं। उन्होंने बिजनेस प्रशासन (एमबीए) में मास्टर डिग्री और वित्तीय अध्ययन विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय, भारत से पीएचडी की उपाधि प्राप्त की है। वर्तमान में वे वित्तीय सेवाएं विभाग (डीएफएस), वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली में अपर सचिव के रूप में तैनात हैं। 2018 में डीएफएस में आने से पहले, उन्होंने निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग (दीपम) में आर्थिक सलाहकार के रूप में तीन साल की अवधि तक रहे थे। Shri Bhushan Kumar Sinha belongs to the 1993 batch of Indian Economic Service. He holds a Master's degree in Business Administration (MBA) and a Ph. D from the Department of Financial Studies, University of Delhi, India. Presently he is posted as Additional Secretary in the Department of Financial Services (DFS), Ministry of Finance, Government of India, New Delhi. Before joining DFS in 2018, he had a three year stint as Economic Adviser in the Department of Investment and Public Asset Management (DIPAM).

क्र सं. Sr. No.	नाम Name	उम्र Age	नियुक्ति की तरीख Date of Appointment	वर्तमान अवधि की समाप्ति तिथि Expiry date of Current term	विशेषज्ञता की प्रकृति Nature of Expertise	संक्षिप्त प्रोफ़ाइल Brief Profile
2	श्री सुब्रत कुमार, कार्यपालक निदेशक Shri Subrat Kumar, Executive Director	53	21.11.2022	20.11.2025	बैंकिंग Banking	श्री सुब्रत कुमार बीएससी, एमबीए और सीएआईआईबी में स्नातक हैं और एक योग्य बैंकर हैं। उनके पास वाणिज्यिक बैंकों/परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनी में 27 से अधिक वर्षों का अनुभव है। ट्रेजरी और निवेश बैंकिंग, जोखिम प्रबंधन, क्रेडिट मॉनिटरिंग और कॉर्पोरेट बैंकिंग में विशेष विशेषज्ञता के साथ परिचालन और रणनीतिक बैंकिंग के सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों में उनके पास विभिन्न एक्सपोजर हैं। उन्होंने बैंक के मुख्य जोखिम अधिकारी (ईवीबी) और मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ) का पद भी संभाला। वे एफआईएमएमडीए और बीओबी कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड के निदेशक मंडल में भी थे। Shri Subrat Kumar is a graduate in B.Sc., MBA & CAIIB and is a qualified Banker. He has over 27 years of experience in Commercial Banks / Asset Management Co. He has varied exposures in all important spheres of operational and strategic Banking with special expertise in Treasury & Investment Banking, Risk Management, Credit Monitoring & Corporate Banking. He held the position of Chief Risk Officer (eVB) and Chief Financial Officer (CFO) of the Bank as well. He was also on the Boards of FIMMDA and BoB Capital Markets Ltd.
3	श्री विश्वनाथ वी शेनॉय, शेयरधारक निदेशक स्वतंत्र निदेशक Shri Vishwanath V.Shenoy, Shareholder Director Independent Director	61	29.11.2022	28.11.2025	बैंकिंग Banking	38 से अधिक वर्षों का बैंकिंग अनुभव। 01 दिसंबर, 2018 से 31 मार्च, 2022 तक इंडियन बैंक के कार्यपालक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। ईडी के रूप में, वह बड़े कॉर्पोरेट क्रेडिट, मिड कॉर्पोरेट क्रेडिट, अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग, ट्रेजरी, मानव संसाधन, मानव विकास, बोर्ड सचिवालय आदि की देखरेख कर रहे थे। यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, इंडबैंक मर्चेंट बैंकिंग सर्विसेज लिमिटेड, इंड बैंक हाउसिंग लिमिटेड, सेंट्रल रजिस्ट्री ऑफ सिक्योरिटाइजेशन एसेट रिकंस्ट्रक्शन एंड सिक्योरिटी इंटरेस्ट ऑफ इंडिया (सीईआरएसएआई) के बोर्ड में नामिती निदेशक के रूप में भी कार्य किया। Banking Experience of over 38 years. Appointed as Executive Director, Indian Bank w.e.f. 01st December,2018 till 31st March, 2022. As ED, he was overseeing Large Corporate Credit, Mid Corporate Credit, International Banking, Treasury, Human Resources, Human Development, Board Secretariat, etc. Also served as Nominee Director on the Board of Universal Sompo General Insurance Company Ltd., Indbank Merchant Banking Services Ltd., Ind Bank Housing Ltd., Central Registry of Securitisation Asset Reconstruction and Security Interest of India (CERSAI).

क्र सं. Sr. No.	नाम Name	उम्र Age	नियुक्ति की तरीख Date of Appointment	वर्तमान अवधि की समाप्ति तिथि Expiry date of Current term	विशेषज्ञता की प्रकृति Nature of Expertise	संक्षिप्त प्रोफ़ाइल Brief Profile
4	श्री रजनीश कर्नाटक एमडी और सीईओ Shri Rajneesh Karnatak MD & CEO	52	29.04.2023	28.04.2026	बैंकिंग Banking	श्री रजनीश कर्नाटक के पास 29 से अधिक वर्षों का समृद्ध बैंकिंग अनुभव है और उनके पास विभिन्न शाखा और प्रशासनिक कार्यालय का अनुभव है। वह 21.10.2021 से यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में कार्यपालक निदेशक थे। इससे पहले वह पंजाब नेशनल बैंक में मुख्य महाप्रबंधक थे। उन्होंने बड़ी कॉर्पोरेट क्रेडिट शाखाओं और क्रेडिट समीक्षा और निगरानी और कॉर्पोरेट क्रेडिट जैसे कार्यक्षेत्र का नेतृत्व किया है। वह यूबीआई सर्विसेज लिमिटेड, यूबीआई (यूके) लिमिटेड, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड और इंडिया एसएमई एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड के बोर्ड में भी थे। वह भारतीय बैंक प्रबंधन संस्थान (आईआईबीएम) गुवाहाटी के गवर्निंग बोर्ड के सदस्य थे। उन्होंने आईएएमसीएल (आईआईएफसीएल एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड) में बोर्ड ट्रस्टी के रूप में भी काम किया। Shri Rajneesh Karnatak has a rich banking experience of over 29 years and carries varied branch and Administrative office experience. He was Executive Director at Union Bank of India since 21.10.2021. Earlier he was Chief General Manager at Punjab National Bank. He has headed Large Corporate Credit Branches and verticals such as Credit Review & Monitoring, and Corporate Credit. He was also on the boards of UBI Services Ltd., UBI (UK) Limited, PNB Housing Finance Ltd., and India SME Asset Reconstruction Company Limited. He was a member of the Governing Board of Indian Institute of Bank Management (IIBM) Guwahati. He also served as Board Trustee on IAMCL (IIFCL Asset Management Co. Ltd).

समाप्ति: वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान निम्नलिखित सदस्यों का निदेशक के रूप में कार्यकाल समाप्त हुआ:

Cessation : The following members ceased to be the Directors during the financial year 2022-23 :

क्र सं. Sr. No.	निदेशक का नाम Name of Director	श्रेणी Category	समाप्ति की तारीख Date of Cessation	कारण Reason
1.	सुश्री वंदिता कौल Ms.Vandita Kaul	गैर-कार्यपालक नामिती निदेशक Non-Executive Nominee Director	11.04.2022	कार्यकाल पूरा होना Completion of tenure
2.	श्री पी.एन.प्रसाद Shri P.N.Prasad	गैर-कार्यपालक स्वतंत्र निदेशक Non-Executive Independent Director	12.10.2022	निजी कारणों से इस्तीफा Resignation due to personal reasons.
3.	सुश्री मोनिका कालिया Ms.Monika Kalia	कार्यपालक निदेशक Executive Director	15.11.2022	स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति Voluntary Retirement
4.	श्री ए के दास Shri A. K. Das	एमडी और सीईओ MD & CEO	19.01.2023	कार्यकाल पूरा होना Completion of tenure

बोर्ड की बैठकों का संचालन :
Conduct of Board Meetings:

वित्त-वर्ष 2023 के दौरान, निम्नलिखित तारीखों को बोर्ड की कुल 20 (बीस) बैठकें आयोजित की गईं:

During the FY 2023, 20 (Twenty) Board Meetings were held on the following dates:

25.04.2022	24.05.2022	04.06.2022	24.06.2022	14.07.2022	30.07.2022
02.08.2022	04.08.2022	20.08.2022	17.09.2022	01.10.2022	03.11.2022
04.11.2022	25.11.2022	04.01.2023	17.01.2023	03.02.2023	28.02.2023
23.03.2023	24.03.2023				

वित्त-वर्ष 2022-23 में बोर्ड बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति का विवरण निम्नानुसार है:

Details of attendance of the Directors at the Board Meetings in FY 2022-23 are as follows:

निदेशकों के नाम Name of Directors	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें Meetings held during their tenure	उपस्थिति अभिलेख Attendance Recorded	अवधि (से-तक) Attendance Recorded
ए. के. दास A.K. Das	15	15	01.04.2022 to 19.01.2023
पी.आर राजगोपाल P.R. Rajagopal	20	19	01.04.2022 to 31.03.2023
स्वरूप दासगुप्ता Swarup Dasgupta	20	18	01.04.2022 to 31.03.2023
एम कार्तिकेयन M. Karthikeyan	20	17	01.04.2022 to 31.03.2023
मोनिका कालिया Monika Kalia	12	11	01.04.2022 to 15.11.2022
सुब्रत कुमार Subrat Kumar	7	7	21.11.2022 to 31.03.2023
सुब्रत दास Subrata Das	20	18	01.04.2022 to 31.03.2023
भूषण कुमार सिंहा Bhushan Kumar Sinha	20	16	11.04.2022 to 31.03.2023
वेणी थापर Veni Thapar	20	20	01.04.2022 to 31.03.2023
एम के रल्हन M K Ralhan	20	19	01.04.2022 to 31.03.2023
पीएन प्रसाद P N Prasad	11	11	01.04.2022 to 12.10.2022
विश्वनाथ वी. शिनोय Vishwanath V.Shenoy	5	5	29.11.2022 to 31.03.2023

बोर्ड समितियां:

कॉर्पोरेट शासन और जोखिम प्रबंधन पर भारतीय रिज़र्व बैंक/सेबी/भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुरूप कार्यनीतिक महत्व वाले विभिन्न क्षेत्रों पर ध्यान देने हेतु बैंक के निदेशक मंडल ने निदेशकों की विभिन्न समितियों का गठन किया है। बोर्ड समितियां निम्नानुसार हैं :-

क्रम संख्या	समिति का नाम
1.	बोर्ड की प्रबंधन समिति
2.	बोर्ड की ऋण स्वीकृति समिति
3.	बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति
4.	हितधारकों की संबंध समिति
5.	शेयर ट्रांसफर समिति
6.	जोखिम प्रबंधन पर निदेशकों की समिति
7.	ग्राहक सेवा पर निदेशकों की समिति
8.	निदेशकों पर नामांकन और पारिश्रमिक समिति
9.	निवेश अनुमोदन समिति
10.	बड़े मूल्य की धोखाधड़ी पर निगरानी के लिए समिति
11.	आईटी रणनीति और डिजिटल भुगतान संवर्धन समिति

Board Committees

The Board of Directors of the Bank has constituted various Committees of Directors to look into different areas of strategic importance in terms of Reserve Bank of India / SEBI / Government of India Guidelines on Corporate Governance and Risk Management. The Board Committees are as under:

Serial No.	Name of the Committee
1.	Management Committee of the Board
2.	Credit Approval Committee of the Board
3.	Audit Committee of the Board
4.	Stakeholders' Relationship Committee
5.	Share Transfer Committee
6.	Committee of Directors for Risk Management
7.	Committee of Directors for Customer Services
8.	Nomination and Remuneration Committee of Directors
9.	Investment Approval Committee
10.	Committee for Monitoring of Large Value Frauds
11.	IT Strategy and Digital Payment Promotion Committee

क्रम संख्या	समिति का नाम
12.	निदेशकों की पदोन्नति समिति
13.	मानव संसाधन पर बोर्ड की संचालन समिति
14.	उच्च मूल्य एनपीए और हानि संपत्तियों की निगरानी के लिए समिति
15.	विलफुल डिफॉल्टरों के लिए समीक्षा समिति
16.	बोर्ड के स्वतंत्र निदेशकों की समिति
17.	अनुशासनात्मक कार्यवाही समिति
18.	कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति
19.	एमडी और सीईओ, कार्यपालक निदेशकों और महाप्रबंधकों के प्रदर्शन मूल्यांकन के लिए समिति
20.	असहयोगी ऋणी की घोषणा के लिए समिति
21.	समूह शासन यूनिट समिति

1. **बोर्ड की प्रबंधन समिति :**

बोर्ड की प्रबंधन समिति का गठन राष्ट्रीकृत बैंक (प्रबंधन व विविध प्रावधान) योजना, 1970 के प्रावधानों के अनुसार किया गया है। प्रबंधन समिति वित्तीय स्वीकृतियों, समझौतों/बट्टे खाते लिखने संबंधी प्रस्तावों, वाद/अपील दायर करने आदि के संबंध में बोर्ड को प्राप्त सभी अधिकारों का प्रयोग करती है। यथा दिनांक 31.03.2023 इस समिति में 4 कार्यपालक निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक के नामिती निदेशक, एक अंशकालिक गैर-शासकीय निदेशक और 1 शेयरधारक निदेशक सहित 7 सदस्य शामिल हैं ।

वित्तीय-वर्ष 2022-23 के दौरान बोर्ड की प्रबंधन समिति की 25 बैठकें हुई :

2. **बोर्ड की ऋण अनुमोदन समिति:**

भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग, नयी दिल्ली की संसूचना संदर्भ सं.13/1/2006-130.1 दिनांकित 31 जनवरी, 2012, द्वारा जारी निदेशों के अनुसार बैंक ने बोर्ड की ऋण अनुमोदन समिति का गठन किया है। यह ऋण अनुमोदन समिति हमारे बैंक के मामले में रु.600 करोड़ तक (अब से रु. 800 करोड़ तक) संशोधित के किसी एकल ऋण प्रस्ताव के बारे में बोर्ड के अधिकारों का इस्तेमाल करेगी और ऐसी सीमाओं से अधिक एक्सपोज़र के मामलों पर प्रबंधन समिति द्वारा विचार किया जाएगा।

प्रबंध निदेशक एवं सीईओ 19.01.2023 तक, कार्यपालक निदेशकगण, वित्त के प्रभारी महाप्रबंधक और जोखिम प्रबंधन के प्रभारी महाप्रबंधक और ऋण के प्रभारी सीजीएम/महाप्रबंधक इस समिति के सदस्य हैं। इस समिति की बैठकों की अध्यक्षता बैंक के प्रबंध निदेशक एवं सीईओ करते हैं। वित्तीय-वर्ष 2022-23 के दौरान बोर्ड की ऋण अनुमोदन समिति की 28 बैठकें हुई।

3. **बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति :**

बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति (एसीबी) का गठन भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसरण में निदेशक मंडल द्वारा किया गया है। यह एसीबी निर्देश देती है तथा बैंक के संपूर्ण लेखा-परीक्षा कार्य के परिचालन की देखरेख भी करती है।

यथा दिनांक 31.03.2023, लेखा परीक्षा समिति में 3 सदस्य हैं, अर्थात शेयरधारक निदेशक, सरकार नामिती निदेशक और भारतीय रिज़र्व बैंक के नामिती निदेशक। वित्तीय-वर्ष 2022-23 के दौरान लेखा परीक्षा समिति की 12 बैठकें हुई ।

Serial No.	Name of the Committee
12.	Directors Promotion Committee
13.	Steering Committee of the Board on HR
14.	Committee for Monitoring High Value NPAs and Loss Assets
15.	Review Committee for Wilful Defaulters
16.	Independent Directors' Committee of the Board
17.	Disciplinary Proceeding Committee
18.	Corporate Social Responsibility Committee
19.	Committee for Performance Evaluation of MD&CEO, Executive Directors and General Managers
20.	Committee for declaration of Non Co-operative Borrower
21.	Group Governance Unit Committee

1. **The Management Committee of the Board**

It is constituted as per the provisions of the Nationalised Banks (Management & Miscellaneous Provision) Scheme, 1970. The Management Committee exercises all the powers vested in the Board in respect of financial sanctions, compromises/write off proposals and filing of suits/appeals, etc. As on 31.03.2023, it comprised of 7 members consisting of 4 Executive Directors, RBI Nominee Director, One Part time non official Director and Shareholder Director.

The Management Committee of the Board met 25 times during the FY 2022-23.

2. **Credit Approval Committee of the Board:**

In terms of the directions of the Government of India, Ministry of Finance, Department of Financial Services, New Delhi, vide their communication reference No.13/1/2006-130.1 dated 31st January 2012, the Bank has constituted the Credit Approval Committee of the Board. The Credit Approval Committee shall exercise the powers of the Board in respect of any single credit proposal upto Rs. 600 Crore (since revised to Rs.800 crore) in case of our Bank and exposure exceeding such limits shall be considered by the Management Committee.

The members of the committee are the Managing Director & CEO till 19.01.2023, the Executive Directors, The General Manager in-charge of Finance , General Manager in-charge of Risk Management and CGM/General Manager in charge of credit. The committee meetings are being chaired by the Managing Director & CEO of the Bank. Credit Approval Committee of the Board met 28 times during the FY 2022-23.

3. **Audit Committee of the Board:**

The Audit Committee of the Board (ACB) has been constituted by the Board of Directors as per the guidelines of the Reserve Bank of India. The ACB provides direction and also oversees the operation of the total audit function of the Bank.

As on 31.03.2023, the Audit Committee comprises of 3 members viz. Shareholder Director, Government Nominee Director and Reserve Bank of India Nominee Director. During the FY 2022-23, the Audit Committee met 12 times.

निदेशक मंडल के समक्ष अनुमोदन के लिए रखने से पहले बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति द्वारा वर्ष के लिए बैंक के लेखापरीक्षित तिमाही परिणामों और लेखापरीक्षित परिणामों की समीक्षा की गई थी।

4. स्टेक होल्डर संबंध समिति:

सेबी (एलओडीआर) विनियमन 2015 के विनियम 20 के प्रावधान के अनुरूप कॉर्पोरेट शासन पर सेबी के दिशानिर्देशों के अनुपालन में शेयरों के अंतरण, तुलन पत्र प्राप्त न होने, लाभांश प्राप्त न होने इत्यादि के संबंध में शेयरधारकों/ निवेशकों की शिकायतों के निवारण हेतु स्टेकहोल्डर संबंध समिति का गठन किया गया है। वर्ष के दौरान निवेशकों से अब तक प्राप्त सभी शिकायतों/ सदंर्भों का उत्तर दिया गया/निपटाया गया। संबंधित जानकारी प्राप्त हो जाने के बाद प्राय:सात दिनों के अंदर निवेशकों की शिकायतें पर कार्रवाई की जाती हैं। इस समिति में 4 कार्यपालक निदेशकगण हैं और बैंक के शेयरधारक निदेशक श्री विश्वनाथ वी. शिनोय इस समिति के अध्यक्ष हैं ।

श्री राजेश वी उपाध्या, कंपनी सचिव, इस उद्देश्य के लिए बैंक के अनुपालन अधिकारी हैं।

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान बैंक को 140 शिकायतें प्राप्त हुई। इन सभी शिकायतों का निवारण किया गया है और यथा 31.03.2023 को एससीओआरईएस (SCORES) में कोई शिकायत लंबित नहीं है।

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान समिति की 4 बैठकें आयोजित की गईं।

5. शेयर अंतरण समिति:

इस समिति में प्रबंध निदेशक एवं सीईओ अथवा उनकी अनुपस्थिति में कोई कार्यपालक निदेशक और दो शेयरहोल्डर निदेशक हैं। वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान समिति की 4 बैठकें हुईं :

6. जोखिम प्रबंधन के लिए निदेशकों की समिति:

इस समिति का गठन बैंक द्वारा लिए गए समस्त जोखिमों की समीक्षा और मूल्यांकन करने के लिए किया गया था। इस समिति में चार कार्यपालक निदेशकगण (19.01.2023 तक पाँच), दो शेयरधारक निदेशक और एक अंशकालिक गैर-शासकीय निदेशक (स्वतंत्र निदेशक) हैं। वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान समिति की 7 बैठकें हुईं।

7. ग्राहक सेवा के लिए निदेशकों की समिति:

आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुरूप सितंबर 2004 में ग्राहक सेवा के लिए निदेशकों की समिति का गठन किया गया था। समिति का कार्य बैंक द्वारा प्रदत्त सेवाओं की गुणवत्ता में अनवरत रूप से सुधार लाने की है और ग्राहक सेवा हेतु गठित संचालन समिति (प्रधान कार्यालय में) के प्रदर्शन की समीक्षा करना है। इसमें पूर्णकालिक कार्यपालक निदेशकगण, भारत सरकार द्वारा नामिती निदेशक, एक शेयरधारक निदेशक और एक अंशकालिक गैर शासकीय निदेशक शामिल होते हैं। वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान समिति की 4 बैठकें हुईं।

8. नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति:

बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 9(3)(i) के प्रावधानों के तहत राष्ट्रीयकृत बैंकों के बोर्ड में निदेशकों के चयन के लिए व्यक्तियों को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा रखे गए 'फिट एंड प्रोपर' मानदंड को पूरा करना होगा। इस समिति को रिजर्व बैंक की अधिसूचना संख्या आरबीआई/डीबीआर/2019-20/71/मास्टर निदेश

Unaudited quarterly results of the Bank and audited results for the year were reviewed by the Audit Committee of the Board prior to placing before the Board of Directors for approval.

4. Stakeholders Relationship Committee:

In compliance of Regulation 20 of SEBI (LODR) Regulations, 2015, Stakeholders' Relationship Committee, has been constituted, for redressal of the grievances of the shareholders/ investors with regard to the transfer of shares, non-receipt of Balance Sheet, non-receipt of dividends, etc. All the references/ complaints received from the investors during the year have been replied / redressed till date. Investors' grievances are normally attended to within seven days on receipt of the relevant information. The Committee comprises of Four Executive Directors and is headed by Shri Vishwanath V. Shenoy, Shareholder's Director of the Bank.

Shri Rajesh V Upadhya, Company Secretary, is the Compliance Officer of the Bank for this purpose.

During the year 2022-23, Bank has received 140 Complaints. All of these have been resolved and there are no pending complaints at SCORES as on 31.03.2023.

The Committee met 4 times during the FY 2022-23.

5. Share Transfer Committee:

It comprises of Managing Director & CEO or in his absence any Executive Director and two Shareholder Directors. The Committee met 4 times during the FY 2022-23.

6. Committee of Directors for Risk Management:

This committee was formed to review and evaluate the overall risks assumed by the Bank. It comprises of four ExecutivesDirectors (five till 19.01.2023) , Two Shareholder Directors and One Part time non official director (Independent Directors). The committee met 7 times during the FY 2022-23.

7. Committee of Directors for Customer Service:

As per the RBI guidelines, the Customer Service Committee of the Board was formed in September 2004. The functions of the Committee are to bring about improvement in the quality of customer service provided by the Bank on an ongoing basis and to review the performance of the Standing Committee on Customer Service (at the Head Office). It comprises of Whole Time Directors, GOI Nominee Director, one Shareholder's Director and one Part time non official director. The committee met 4 times during the FY 2022- 23.

8. Nomination and Remuneration Committee:

Under the provisions of Section 9 (3) (i) of Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, the Reserve Bank of India has laid down 'Fit and Proper' criteria to be fulfilled by the persons to be elected as Directors on the Boards of the Nationalised Banks. The Committee was formed in terms of Reserve Bank of India Notification No: RBI/DBR/2019-20/71/ Master Direction DBR-Appl.No: 9/29.67.001/2019-20 dated August 2, 2019.

डीबीआर-आवेदन क्र. : 09/29.67.001/2019-20 दिनांक 02 अगस्त 2019 को बनाया गया। नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति में 3 स्वतन्त्र निदेशक और एक सरकार द्वारा नामिती निदेशक हैं। वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान समिति 3 बैठक आयोजित हुई ।

9. निवेश अनुमोदन समिति:

निवेश संबंधित निर्णय लेने के लिए निवेश अनुमोदन समिति का गठन किया गया। इस समिति में कार्यपालक निदेशकगण, महाप्रबंधक - जोखिम प्रबंधन, महाप्रबंधक - वित्त, महाप्रबंधक (ऋण) और महाप्रबंधक (ट्रेजरी) शामिल हैं। वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान समिति की 10 बैठकें हुईं।

10. बड़े मूल्य की धोखाधडियों की निगरानी हेतु समिति:

बड़े मूल्य की धोखाधडियों की निगरानी हेतु समिति का गठन किया गया था। इस समिति में कार्यपालक निदेशकगण सरकार नामिती निदेशक और तीन अन्य गैर कार्यपालक निदेशक हैं। वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान समिति की 4 बैठकें हुईं।

11. आई.टी. कार्यनीति समिति एवं डिजिटल भुगतान प्रोत्साहन समिति :

आई.टी. कार्यनीतियों पर निर्णय लेने के लिए तथा आई.टी. परियोजनाओं के क्षेत्र में हुए विकास की निगरानी के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देशों के अनुपालन में यह समिति गठित की गई। इस समिति में कार्यपालक निदेशकगण, सरकार नामिती निदेशक और तीन अन्य गैर-कार्यपालक निदेशक शामिल हैं। वित्तीय-वर्ष 2022-23 के दौरान समिति की 4 बैठकें हुईं।

12. निदेशकों की पदोन्नति समिति:

इस समिति का गठन वित्त मंत्रालय (वित्तीय सेवाएं विभाग) के दिशानिर्देशों के अनुसार किया गया है । इस समिति में एक कार्यपालक निदेशक, भारत सरकार द्वारा नामिती निदेशक और आरबीआई नामिती निदेशक शामिल होते हैं । वित्तीय वर्ष 2022-23, के दौरान समिति की 3 बैठकें हुईं।

13. एचआर पर बोर्ड की संचालन समिति:

समिति एचआर से संबंधित मामलों पर विचार करने के लिए गठित की गई। इस समिति के कार्यपालक निदेशकगण, सरकार द्वारा नामिती निदेशक, अंशकालिक निदेशक और एक शेयरधारक निदेशक शामिल हैं। वित्तीय-वर्ष 2022-23 के दौरान समिति की 7 बैठकें हुईं।

14. अत्यधिक मूल्य वाले एनपीए और हानि आस्तियां की निगरानी हेतु समिति :

समिति वसूली की निगरानी और उच्च 50 एनपीए की समीक्षा के लिए गठित की गई। इस समिति में कार्यपालक निदेशकगण, सरकार द्वारा नामिती निदेशक, अंशकालिक गैर शासकीय निदेशक और संयोजक के रूप में महाप्रबंधक-वसूली विभाग संयोजक है। वित्तीय-वर्ष 2022-23 के दौरान 5 बैठकें हुईं।

15. इरादतन चूककर्ताओं के लिए समीक्षा समिति :

इस समिति के सदस्य दो शेयरधारक निदेशक और एक अंशकालिक गैर शासकीय निदेशक हैं। वित्तीय-वर्ष 2022-23 के दौरान इसकी 4 बैठक हुईं।

16. स्वतंत्र निदेशकों की समिति:

दो शेयरधारक निदेशक और एक अंशकालिक गैर शासकीय निदेशक इस समिति के सदस्य हैं। स्वतंत्र निदेशक समिति की बैठक 16.01.2023 को हुई।

The NRC consists of Three Independent Director and one Govt. Nominee Director. The committee met 3 times during the FY 2022- 23.

9. Investment Approval Committee:

The Investment Approval Committee was formed to take investment decisions. It consists of the ExecutiveDirectors, General Manager – Risk Management ,General Manager – Finance, General Manager (Credit) and General Manager (Treasury) The committee met 10 times during the FY 2022-23.

10. Committee for Monitoring of Large Value Frauds:

The Committee was formed to monitor large value frauds. This committee consist of Executive Directors, Government Nominee Director and three other Non-Executive Directors. The committee met 4 times during the FY 2022-23.

11. IT Strategy and Digital Payment Promotion Committee:

The Committee was formed in compliance of guidelines issued by Reserve Bank of India to take decision on IT Strategies and to monitor the development in the area of IT Projects. IT Strategy Committee consists of Executive Directors, Government Nominee Director and three other Non-Executive Independent Directors. During the FY 2022-23, the Committee met 4 times.

12. Directors Promotion Committee:

The committee was formed on Ministry of Finance (DFS) Guidelines. The members of this committee are One Director, GOI Nominee Director and RBI Nominee Director. During the FY 2022-23, it met 3 times.

13. Steering Committee of the Board on HR:

The Committee was formed to consider the HR related matters. The Members of this committee are Executive Directors, Govt. Nominee Director, Part time non-official Director and one Shareholder Director. During the FY 2022-23 it met 7 times.

14. Committee for Monitoring High Value NPAs and Loss Assets:

The Committee was formed to monitor recovery & review of top 50 NPAs. This committee consist of Executive Directors, Govt. Nominee Director, Part Time Non official Director. General Manager – Recovery Department is the convener. During the FY 2022-23, it met 5 times.

15. Review Committee for Wilful Defaulters:

The Members of this committee are, Two Shareholder Directors and one Part time non official Director. During the FY 2022-23, it met 4 times.

16. Independent Directors' Committee:

The two Shareholder Directors and one part time non official Director are the members of this Committee. The Independent Directors' Committee of the Board met on 16.01.2023.

17. अनुशासनिक कार्यवाही समिति :

इस समिति के सदस्य सरकार द्वारा नामिती निदेशक, आरबीआई नामिती निदेशक और एक अन्य गैर कार्यपालक निदेशक है। वित्तीय-वर्ष 2022-23 के दौरान, इसकी 4 बैठकें हुईं।

18. कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति:

प्रबंध निदेशक एवं सीईओ इस समिति के अध्यक्ष हैं। चार कार्यपालक निदेशकगण और एक स्वतंत्र निदेशक इस समिति के सदस्य हैं। वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान, समिति की 4 बैठकें हुई।

19. प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी, कार्यपालक निदेशकों एवं महाप्रबंधकों के कार्य-निष्पादन के मूल्यांकन संबंधी समिति:

भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग के फाइल नं. 9/5/2009-आईआर दिनांक 30.08.2019 के निर्देशों के अनुसार इस समिति का गठन किया गया है। दो शेयर धारक निदेशक, सरकार द्वारा नामिती निदेशक एवं एक अंशकालिक गैर शासकीय निदेशक इस समिति के सदस्य होते हैं। समिति की बैठक 06.10.2022 को हुई।

20. सहयोग न करने वाले उधारकर्ताओं संबंधी घोषणा हेतु समिति:

यह समिति आरबीआई परिपत्र आरबीआई/20104-15/362/-डीबीआर सं सीआईडी.बीसी.54/20.16.064/2014-15 के अनुपालन में गठित की गई थी। इस समिति के सदस्य दो शेयर धारक निदेशक और अंशकालिक एक गैर-शासकीय कार्यपालक निदेशक हैं। वर्ष के दौरान इसकी 2 बैठकें की गईं।

21. समूह प्रशासन ईकाई समिति:

इस समिति में 4 कार्यपालक निदेशकगण और दो शेयरधारक निदेशक एवं एक अंशकालिक गैर-शासकीय निदेशक शामिल हैं। वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान इस समिति की 04 बैठकें आयोजित की गईं।

विगत वार्षिक आम बैठक में निदेशकों की उपस्थिति:

श्री ए.के. दास एमडी एवं सीईओ, श्री पी.आर राजगोपाल कार्यपालक निदेशक, श्री स्वरूप दासगुप्ता कार्यपालक निदेशक, श्री एम कार्तिकेयन कार्यपालक निदेशक, श्रीमती मोनिका कालिया कार्यपालक निदेशक और श्री पी.एन प्रसाद शेयरधारक निदेशक, सुश्री वेणी थापर, शेयरधारक निदेशक एवं श्री मुनीश कुमार रल्हन, गैर-कार्यपालक निदेशक दिनांक 15 जुलाई, 2022 को आयोजित बैंक की विगत अर्थात छब्बीसवीं वार्षिक आम बैठक में उपस्थित हुए।

शेयर अंतरण और शेयरधारकों/निवेशकों की शिकायतों का निवारण :

बैंक ने शेयरों के हस्तांतरण और अन्य संबंधित मामलों पर विचार करने के लिए बोर्ड की शेयर ट्रांसफर समिति का गठन किया है। सेबी के दिनांक 08.06.2018 के दिशानिर्देशों और 03.12.2018 की सेबी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, 31.03.2019 के बाद शेयरों के भौतिक हस्तांतरण की अनुमति नहीं है। इस प्रकार, शेयरधारकों से अनुरोध किया जाता है कि वे एक डीमैट खाता खोलें और अपनी भौतिक शेयरधारिता को डिमटेरियलाइज करें।

इसके अलावा, निवेशकों के हित में और निवेशकों द्वारा प्रतिभूति बाजारों में लेन-देन को आसान बनाने की दृष्टि से, सेबी ने अपने दिनांक 25.01.2022 के परिपत्र के माध्यम से यह निर्णय लिया कि सूचीबद्ध संस्थाएं अब से निम्नलिखित सेवा अनुरोधों को संसाधित करते समय ही अभौतिकीकृत मोड में शेयर जारी करेंगी:

- डुप्लिकेट प्रतिभूति प्रमाण पत्र जारी करना;
- अनक्लेम्ड सस्पेंस अकाउंट से दावा;

17. Disciplinary Proceedings Committee:

The Members of this committee are Govt. Nominee Director, RBI Nominee Director and one Shareholder Directors. During the FY 2022-23, it met on 4 times.

18. Corporate Social Responsibility Committee:

The Managing Director & CEO is the Chairman of the Committee. Four Executive Directors and one Independent Director are members of this committee. The Committee met 4 times during the FY 2022-23.

19. Committee for Performance Evaluation of Managing Director & Chief Executive Officer, Executive Directors and General Managers

This committee is constituted as per Government of India, Ministry of Finance, Department of Financial Services directives F. No. 9/5/2009-IR dated 30.08.2019. The Members of this committee are two Shareholder Director, Govt. Nominee Director and one non official part time Director. The Committee met on 06.10.2022

20. Committee for declaration of Non Co-operative Borrower

The committee was constituted as per RBI Circular RBI/2014-15/362- DBR No. CID.BC.54/20.16.064/2014-15. The committee consists of Two Shareholder Director and one Part time Non official Director. During the year, the committee met 2 times.

21. Group Governance Unit Committee

The Committee consists of four Executive Directors and Two Shareholder Directors and one Part Time Non Official Director. The committee met 4 times during the Financial Year 2022-23.

Attendance of the Directors at the last Annual General Meeting:

Shri A K Das, MD & CEO, Shri P R Rajagopal, Executive Director, Shri Swarup Dasgupta, Executive Director, Shri M Karthikeyan, V, Smt. Monika Kalia, Executive Director, Shri P N Prasad, Shareholder Director, Smt. Veni Thapar, Shareholder Director and Shri Munish Kumar Ralhan, Non-Executive Director attended the last Annual General Meeting i.e. Twenty Sixth Annual General Meeting of the Bank held on 15th July, 2022.

Share Transfers and Redressal of Shareholders`/Investors` Grievances:

The Bank has constituted the Share Transfer Committee of the Board to consider the transfer of shares and other related matters. In terms of SEBI guidelines dated 08.06.2018 and SEBI Press Release dated 03.12.2018, physical transfer of shares is not permitted after 31.03.2019. Thus, shareholders are requested to open a demat account and dematerialise their physical shareholding.

Further, in the interest of investors and with a view to enhance ease of dealing in securities markets by investors, SEBI, vide its circular dated 25.01.2022, decided that the listed entities shall henceforth issue the shares in dematerialised mode only while processing the following service requests:

- Issue of duplicate securities certificate;
- Claim from Unclaimed Suspense Account;

- प्रतिभूति प्रमाणपत्र का नवीनीकरण / विनिमय;
- पृष्ठांकन;
- प्रतिभूति प्रमाण पत्र का सब डिवीजन/विभाजन;
- प्रतिभूति प्रमाणपत्र/फोलियो का समेकन;
- ट्रांसमिशन;
- ट्रांसपोजीशन

शेयरधारक/दावेदार फॉर्म आईएसआर-4 विधिवत भरकर जमा करेगा और आरटीए/ सूचीबद्ध इकाई सेवा अनुरोधों को प्रोसेस करने के पश्चात् यदि कोई आपत्तियां होती हैं तो उनको हटाने के बाद ही ऐसे अनुरोधों की प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर शेयरधारक/दावेदार को भौतिक प्रमाण पत्र के बजाय ''पुष्टि पत्र'' जारी करेगी।

पुष्टि पत्र जारी होने की तारीख से 120 दिनों के लिए वैध होगा, इतने समय के भीतर शेयरधारक/ दावेदार उक्त प्रतिभूतियों को डिमटेरियलाइज करने के लिए डिपॉजिटरी भागीदार से अनुरोध करेगा।

आरटीए पुष्टि पत्र जारी होने की तारीख से 45 दिनों और 90 दिनों की समाप्ति के बाद एक अनुस्मारक जारी करेगा, जिसमें प्रतिभूति धारक/ दावेदार को डीमैट अनुरोध जमा करने हेतु सूचित किया जाएगा।

आरटीए मौजूदा प्रक्रिया के अनुसार भौतिक शेयर प्रमाणपत्र को बनाए रखेगा और सेवा अनुरोध को प्रोसैस करने के बाद प्रमाणपत्र के मुखपृष्ठ/ पिछले पृष्ठ पर ''पुष्टि पत्र जारी किया गया'' की मुहर के साथ प्रमाण पत्र को विरूपित करेगा।

डिपॉजिटरी प्रतिभागी पुष्टि पत्र के आधार पर डीमैट अनुरोध उत्पन्न करेगा और डीमैट अनुरोध को संसाधित करने के लिए सूचीबद्ध इकाई/ आरटीए को अग्रेषित करेगा।

यदि पुष्टि पत्र के 120 दिनों के भीतर डीमैट अनुरोध प्राप्त नहीं होता है, तो शेयरों को इकाई के एस्क्रो उचंत डीमैट खाते में जमा किया जाएगा।

सेबी (सूचीकरण बाध्यताएं और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के अनुपालन में, बैंक ने मेसर्स बिगशेयर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड को अपने रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट (आरटीए) के रूप में नियुक्त किया है, जो शेयरों के हस्तांतरण, ट्रांसमिशन, लाभांश, शेयरधारकों के अनुरोधों की रिकॉर्डिंग और शेयरों के मामलों से संबंधित अन्य गतिविधियों के बीच शेयरधारकों की शिकायतों के समाधान की प्रक्रिया के लिए अधिदेशित है। शेयरधारकों और निवेशकों से उक्त से किसी भी दस्तावेज को दर्ज करने के लिए और पूछताछ/ शिकायतों/ सुझावों के लिए संपर्क करने का अनुरोध किया जाता है:

इक्विटी शेयरों और डिबेंचर/बॉण्ड्स के लिए :

बिगशेयर सर्विसेस प्रा. लि.,

इकाई : बैंक ऑफ इंडिया,

कार्यालय सं एस6-2, छठवां तल, पिनाकल बिजनेस पार्क अहुरा सेंटर से आगे, महाकाली केव्स रोड, अंधेरी (पूर्व) मुंबई-400093,

उपर्युक्त के अलावा, निवेशक निम्नलिखित पते पर बैंक के शेयर विभाग से भी संपर्क कर सकते हैं:

स्टार हाउस, 8 वां तल, पूर्वी खण्ड, सी-5, जी ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला संकुल, बांद्रा (पूर्व) मुंबई- 400 051, फोन 022-66684491, फैक्स- 022-66684491,

ई-मेल:headoffice.share@india.co.in

- Renewal / Exchange of securities certificate;
- Endorsement;
- Sub-division / Splitting of securities certificate;
- Consolidate of securities certificate / folios;
- Transmission;
- Transposition

The shareholder / claimant shall submit duly filled up Form ISR-4 and the RTA / listed entity shall, after processing the service requests, issue a "Letter of Confirmation" instead of physical certificates to the shareholder / claimant within 30 days of such requests after removing objections, if any.

The Letter of confirmation shall be valid for 120 days from the date of its issuance within which the shareholder / claimant shall make a request to the depository participant for dematerialising the said securities.

The RTA shall issue a reminder after the end of 45 days and 90 days from the date of issuance of Letter of Confirmation, informing the securities holder / claimant to submit the demat request.

The RTA shall retain the physical share certificate as per the existing procedure and deface the certificate with a stamp "Letter of Confirmation issued" on the face / reverse of the certificate, subsequent to processing the service request.

Depository Participant shall generate the demat request on the basis of the Letter of Confirmation and forward the same to the Listed entity / RTA for processing the demat request.

If demat request is not received within 120 days of the Letter of Confirmation, shares shall be credited to the Suspense Escrow Demat Account of the entity.

In compliance with SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Bank has appointed M/s Bigshare Services Pvt. Ltd., as its Registrar and Transfer Agent (RTA) with a mandate to process transfer of Shares, transmission, dividend, recording of shareholders' requests, and solution of shareholders' grievances amongst other activities connected with the issue of shares. For lodgement of any of these documents and for queries/complaints/grievances, shareholders and investors are requested to contact:

For Equity Shares and Debentures/ Bonds:

Bigshare Services Pvt. Ltd.,

Unit: Bank of India,

Office No S6-2, 6th Floor, Pinnacle Business Park,

Next to Ahura Centre, Mahakali Caves Road,

Andheri (East) Mumbai – 400093

Apart from the above, investors may also contact the Bank at its Investor Relations Cell at:

Star House, 8th Floor, East Wing, C-5, G Block, Bandra-Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai - 400 051, Phone: 022 – 6668 4491, Fax: 022 - 6668 4491,

E-mail: headoffice.share@bankofindia.co.in.

आम सभा बैठकें :
General Body Meetings:

क्र. सं. Sr. No.	बैठक का स्वरूप Nature of Meeting	दिनांक एवं समय Dat & Time	स्थान Venue	विशेष संकल्प Special Resolution
1.	असाधारण आम बैठक Extraordinary General Meeting	बुधवार, 28 नवंबर, 2022 11.00 AM वीडियो कॉन्फ्रेंस(वीसी)/अन्य ऑडियो - विजुअल के माध्यम से (ओएवीएम) Wednesday, 28" November, 2022 at 11.00 A.M through Video Conference (VC)/Other Audio Visual Means (OAVC).	प्रधान कार्यालय बैंक ऑफ़ इंडिया स्टार हाउस, बांद्रा कुर्ला संकुल, बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400 051 Bank of India Head Office, Star House, Bandra Kuria Complex, Bandra (East), Mumbai - 400 051	केंद्र सरकार के अलावा बैंक के शेयरधारकों के बीच से एक निदेशक का चुनाव Election of One Director from amongst the Shareholders of the Bank other than the Central Government.
2.	छब्बीसवीं वार्षिक आम बैठक Twenty Sixth Annual General Meeting	मंगलवार , 15 जुलाई, 2022 12.00 AM वीडियो कॉन्फ्रेंस(वीसी)/अन्य ऑडियो - विजुअल के माध्यम से (ओएवीएम) Tuesday, 15th July 2022 at 12.00 noon through Video Conferencing (VC)/ Other Audio Visual Means (OAVM)	प्रधान कार्यालय बैंक ऑफ़ इंडिया स्टार हाउस, बांद्रा कुर्ला संकुल, बांद्रा (पूर्व) , मुंबई - 400 051 Bank of India Head Office, Star House, Bandra Kuria Complex, Bandra (East), Mumbai - 400 051	नई इक्विटी पूंजी जारी करने हेतु अनुमोदन Approval to issue Fresh Equity Capital
3.	असाधारण आम बैठक Extraordinary General meeting	बुधवार, 15 दिसंबर, 2021 11.00 AM वीडियो कॉन्फ्रेंस(वीसी)/अन्य ऑडियो - विजुअल के माध्यम से (ओएवीएम) Wednesday 15th December, 2021 at 11.00. a.m. through Video Conference (VC) / Other Audio-Visual Means (OAVM)	प्रधान कार्यालय बैंक ऑफ़ इंडिया स्टार हाउस, बांद्रा कुर्ला संकुल, बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400 051 Bank of India Head Office, Star House, Bandra Kuria Complex, Bandra (East), Mumbai - 400 051	केंद्र सरकार के अलावा बैंक के शेयरधारकों के बीच से एक निदेशक का चुनाव Election of One Director from amongst the Shareholders of the Bank other than the Central Government.
4.	पच्चीसवीं वार्षिक आम बैठक Twenty Fifth Annual General Meeting	मंगलवार, 20 जुलाई, 2021 11.00 AM वीडियो कॉन्फ्रेंस(वीसी)/अन्य ऑडियो - विजुअल के माध्यम से (ओएवीएम) Tuesday 20th July, 2021 at 11.00 A.M through Video Conference (VC) / Other Audio-Visual Means (OAVM)	प्रधान कार्यालय बैंक ऑफ़ इंडिया स्टार हाउस, बांद्रा कुर्ला संकुल, बांद्रा (पूर्व) , मुंबई - 400 051 Bank of India Head Office, Star House, Bandra Kuria Complex, Bandra (East), Mumbai - 400 051	नई इक्विटी पूंजी और टियर-I/टियर-II बांड्स/जारी करने हेतु अनुमोदन Approval to issue fresh Equity Capital and Tier-I/Tier-II Bonds
5.	असाधारण आम बैठक Extraordinary General meeting	शनिवार, 19 सितंबर, 2020 11.00 AM वीडियो कॉन्फ्रेंस(वीसी)/अन्य ऑडियो - विजुअल के माध्यम से (ओएवीएम) Saturday 19th September, 2020 at 11.00. A.M. through Video Conference (VC) / Other Audio-Visual Means (OAVM)	प्रधान कार्यालय बैंक ऑफ़ इंडिया स्टार हाउस, बांद्रा कुर्ला संकुल, बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400 051 Bank of India Head Office, Star House, Bandra Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai - 400 051	1. बैंक के शेयर प्रीमियम खाते से बैंक की संचित हानियों का विनियोजन । 2. नई पूंजी और टियर-I/ टियर-II बॉण्ड्स/जारी करने हेतु अनुमोदन। 1. Appropriation of accumulated losses of the Bank from Share Premium Account of the Bank. 2. Approval to issue Fresh Capital and Tier-I / Tier-II Bonds.
6.	चौबीसवीं वार्षिक आम बैठक Twenty Fourth Annual General Meeting	11 अगस्त , 2020 11.00 AM वीडियो कॉन्फ्रेंस(वीसी)/अन्य ऑडियो - विजुअल के माध्यम से (ओएवीएम) August 11, 2020 at 11.00 A.M through Video Conference (VC) / Other Audio-Visual Means (OAVM)	प्रधान कार्यालय बैंक ऑफ़ इंडिया स्टार हाउस, बांद्रा कुर्ला संकुल, बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400 051 Bank of India Head Office, Star House, Bandra Kuria Complex, Bandra (East), Mumbai - 400 051	कोई नहीं Nil

6. प्रकटन:

बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949, बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम 1970 और राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना 1970 के अंतर्गत बैंक शासित और भारतीय रि. जर्व बैंक द्वारा विनियमित है। बैंक ने सेबी (एलओडीआर) विनियम 2015 के जिन प्रावधानों की राष्ट्रीयकरण अधिनियम और आरबीआई तथा भारत सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों के साथ समरूपता नहीं है उनको छोड़कर सभी प्रावधानों का अनुपालन किया है।

i) निदेशकों का पारिश्रमिक:

प्रबंध निदेशक एवं सीईओ तथा कार्यपालक निदेशक का पारिश्रमिक केंद्रीय सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है। बैंक, अन्य निदेशकों को बैठक शुल्क, जो कि निम्नलिखित है, के अलावा अन्य किसी पारिश्रमिक का भुगतान नहीं करता:

क्रं सं	विवरण	बैठक के अनुसार राशि *
1.	बोर्ड बैठक में शामिल होने के लिए	रु. 70,000/-
2.	बोर्ड समिति की बैठक में शामिल होने के लिए	रु. 35,000/-
3.	बोर्ड बैठक की अध्यक्षता करने के लिए	रु. 20,000/- [उपर्युक्त (1) के अतिरिक्त]
4.	बोर्ड समिति की बैठक की अध्यक्षता करने के लिए	रु. 10000/- [उपर्युक्त (2) के अतिरिक्त]

*प्रति निदेशक प्रतिवर्ष रु. 25 लाख की सम्पूर्ण सीमा के अधीन

बैठक में रहने के शुल्क के अलावा, बैंक के कार्य के संबंध में यात्रा करने वाले ऐसे प्रत्येक निदेशक को राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और प्रकीर्ण उपबंध) योजना, 1970 के खंड 17 के प्रावधानों के अनुसार यात्रा और विराम व्यय, यदि कोई हो, की प्रतिपूर्ति केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित आधार पर की जाएगी।

ii) महत्वपूर्ण संव्यवहारों और आर्थिक संबंधों का प्रकटन:

बैंक कारोबार की सामान्य प्रकृति के अलावा बैंक ने कोई महत्वपूर्ण भौतिक संव्यवहार इसके प्रवर्तकों, निदेशकों अथवा प्रबंधन, उनकी सहायक कंपनियों अथवा संबंधियों आदि से नहीं किया है जिसका बैंक के हितों से कोई महत्वपूर्ण विरोधाभास हो सकता हो। बैंक और इसके गैर- कार्यपालक निदेशक के बीच वर्ष के दौरान कोई आर्थिक संबंध अथवा संव्यवहार नहीं हुए हैं।

बैंकिंग में यह सुस्थापित प्रथा है कि निदेशक, बोर्ड और बोर्ड की उप समितियों की उपसमतियों की उन चर्चाओं में भाग नहीं लेते जिनसे उनसे संबंधित या उनके रिश्तेदारों से संबंधित कोई मामला बोर्ड में चर्चाधीन होता हो ।

iii) सार्वजनिक निर्गमों, अधिकार निर्गमों, अधिमानी निर्गमों, टियर बांड्स आदि की आगम राशियाँ

ए) इक्विटी शेयर जारी करके : शून्य

बी) बेसल III अनुपालिक बांड्स जारी करके:

आवंटन की तिथि	विवरण (निवेशक)	शेयर/बांड्स की संख्या	निर्गम आकर
02.12.2022	बेसल III अनुपालित 8.57% अतिरिक्त टियर I बांड्स	1500	रु. 1500 करोड़

Disclosures:

The Bank is governed under the Banking Regulations Act, 1949, Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act 1970 and Nationalised Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme 1970 and is regulated by Reserve Bank of India. Bank has complied with the provisions of SEBI (LODR) Regulations, 2015 except where the provisions of these regulations are not in conformity with the Nationalisation Act and the guidelines issued by RBI and Government of India.

i) Remuneration of Directors :

The remuneration of the Managing Director & CEO and Executive Directors is fixed by the Central Government. The Bank does not pay any remuneration to the other Directors except sitting fees which is as under:

Sr	Particulars	Sitting Fees *
1.	For attending Board Meeting.	Rs.70, 000/-
2.	For attending meeting of Board Committee	Rs.35, 000/-
3.	For Chairing Board Meeting	Rs.20,000/- [in addition to (1) above]
4.	For Chairing meeting of Board Committee	Rs.10,000/- [in addition to (2) above]

*Subject to an overall ceiling of Rs.25.00 lakhs per annum per Director.

In addition to sitting fees, every such director travelling in connection with the work of the Bank shall be reimbursed Travelling & Halting expenses, if any, in terms of the provisions of clauses 17 of the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, on such basis as may be fixed by Central Government from time to time.

ii) Disclosure of Material Transactions and Pecuniary Relationship

Other than those in the normal course of banking business, the Bank has not entered into any materially significant transaction with its promoters, directors or the management, their subsidiaries or relatives etc., which may have potential conflict with the interests of the Bank at large. There was no pecuniary relationship or transactions of the Non-Executive Director vis-a-vis the bank during the year.

It is an established practice in the Bank that Directors do not take part in the deliberations of the Board and other Sub-Committees of the Board, when matters relating to them or to their relatives are discussed.

iii) Proceeds from Public issues, Right issues, Preferential issues, Basel III compliant bonds, etc.

a) By issue of Equity Shares: NIL

b) By Issue of Basel III compliant Bonds:

Date of Allotment	Particulars (Investors)	Number of Shares/ Bonds	Issue Size
02.12.2022	Basel III compliant 8.57 % Additional Tier I Bonds	1500	Rs.1500 crore

iv) पूंजी पर्याप्तता अनुपात को सशक्त करने के लिए तथा बैंक की लंबी अवधि के स्रोतों को विकसित करने के लिए टियर-I पूंजी संवर्धित करने के प्राथमिक उद्देश्य से निधि बढ़ाई गई तथा इस उद्देश्य हेतु उसका उपयोग किया गया।

v) किसी भी स्टॉक एक्सचेंज, सेबी या अन्य वैधानिक प्राधिकारी द्वारा समीक्षाधीन वर्ष के दौरान बैंक पर पूंजी बाजार से संबंधित किसी मामले पर कोई दंड या प्रतिबंध नहीं लगाया गया।

vi) सेबी एलओडीआर विनियमन-2015 के विनियम 40 (9) के अनुसार अंतरण करने, प्रेषण, उप विभाजन, समेकन, नवीनीकरण एवं प्रस्तुतीकरण के एक माह के भीतर इक्विटी शेयर्स के विनिमय के संबंध में जानकारी के साथ-साथ व्यावसायिक कंपनी सचिव से प्रत्येक वर्ष में एक प्रमाण पत्र भी प्राप्त किया जाता है। ये प्रमाण पत्र जारी किए जाने के 30 दिनों के भीतर बीएसई और एनएसई के वेब-पोर्टल, जहां शेयर सूचीबद्ध हैं, पर अपलोड किए जाते हैं।

vii) सेबी के परिपत्र सं. डी एवं सीसी/एफआईटीटीसी/सीआइआर-16 दिनांक 31 दिसंबर, 2002 की शर्तों के अनुसार अन्य बातों के साथ-साथ कुल प्रविष्ट इक्विटी शेयर पूंजी के समाधान एवं बैंक ऑफ़ इंडिया की कुल जारी/प्रदत्त इक्विटी पूंजी सहित प्रत्यक्ष रूप में प्रस्तुत किए जाने के प्रयोजन के साथ-साथ अभ्यासी कंपनी सचिव की फर्म के द्वारा तिमाही आधार पर एक कैपिटल रिपोर्ट का समाधान (reconciliation) किया जाता है। इस संबंध में जारी प्रमाणपत्र निदेशक मंडल के समक्ष प्रस्तुत किए जाते हैं एवं बीएसई एवं एनएसई को प्रेषित किए जाते हैं जहां बैंक ऑफ़ इंडिया के इक्विटी शेयर सूचीबद्ध किए गए हैं।

viii) वर्तमान में बैंक का कोई महत्वपूर्ण अनुषंगी नहीं है।

ix) **स्वतंत्र निदेशकों की बैठक** - स्वतंत्र निदेशकों की अलग बैठक 16.01.2023 को आयोजित की गयी।

x) **गैर-कार्यपालक निदेशकों का प्रशिक्षण:**

बैंक के सभी पाँच गैर- कार्यपालक निदेशकों को निदेशक उन्नयन कार्यक्रम में प्रशिक्षित किया गया है। तीन स्वतंत्र निदेशकों को केवाईसी और एएमएल के बारे में प्रशिक्षण दिया गया है।

xi) निदेशकों और वरिष्ठ प्रबंधन के लिए आचार संहिता बैंक की वेबसाइट- https://bankofindia.co.in/documents/20121/442930/BOI_Code_of_Conduct_Dir_19042021.pdf/c54b5953-f8df-6d80-0b31-19b3bc4d3cdc?t=1663586179347 पर पोस्ट किया गया है।

xii) व्हिसल ब्लोअर नीति बैंक की वेबसाइट - https://bankofindia.co.in/documents/20121/442930/POLICY.pdf/944036f2-d687-0f16-3169-7cec618d3028?t=1663586343555 पर पोस्ट किया गया है।

xiii) **संबंधित नीति संव्यवहार** - संबंधित पार्टी संव्यवहार की सूचना लेखापरीक्षा समिति को दी जाती है। संबंधित पार्टी संव्यवहार पर बैंक की नीति बैंक की वेबसाइट https://bankofindia.co.in/documents/20121/0/Policy_on_Related_Party_Transactions.pdf पर पोस्ट की जाती है - संबंधित पार्टी के संव्यवहार का विस्तृत वर्णन एएस-18 के अंतर्गत है।

xiv) **पारिश्रमिक नीति** - प्रबंध निदेशक और सीईओ, कार्यपालक निदेशकों का पारिश्रमिक भारत सरकार द्वारा तय किया जाता है। अन्य स्टाफ सदस्यों के वेतन का निर्धारण आईबीए के त्रिपक्षीय समझौते के अनुसार होता है।

xv) **अधिग्रहण कोड:** बैंक द्वारा समय-समय पर यथा संशोधित सेबी (शेयरों का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण) विनियम 2011 का अनुपालन किया गया है।

iv) The funds were raised with the primary objective of augmenting Tier-I Capital for Strengthening Capital Adequacy Ratio and for improving the long- term resources of the Bank and the same were utilised for the said purpose.

v) No penalties or strictures were imposed on the Bank by any of the Stock Exchanges, SEBI or any Statutory Authority on any matter relating to Capital Markets during the year under review.

vi) As required under regulation 40(9) of the SEBI LODR Regulations-2015, a certificate is obtained every Year from a practising Company Secretary, with regard to, inter alia, effecting transfer, transmission, sub-division, consolidation, renewal and exchange of equity shares within one month of the lodgement. The certificates are uploaded on the web portals of BSE and NSE, where the equity shares are listed, within 30 days of issuance.

vii) In terms of SEBI's circular No.D&CC/FITTC/CIR-16 dated December 31, 2002 a Reconciliation of Share Capital Audit is conducted on a quarterly basis by a firm of practising Company Secretaries, for the purpose of, inter alia, reconciliation of the total admitted equity share capital with the depositories and in the physical form with the total issued/paid up equity capital of Bank of India. Certificate issued in this regard is placed before the Board of Directors and forwarded to BSE and NSE, where the equity shares of Bank of India are listed.

viii) At present, the Bank does not have any material subsidiary.

ix) **Independent Directors Meeting**: The separate meeting of Independent Directors was held on 16.01.2023.

x) **Training of Non-Executive Directors:**

All the five Non-Executive Directors have been imparted with training on Directors Development Program. Three independent Directors have been imparted with training on KYC and AML.

xi) Code of Conduct for Directors and Senior Management is posted on Bank's website – https://bankofindia.co.in/documents/20121/442930/BOI_Code_of_Conduct_Dir_19042021.pdf/c54b5953-f8df-6d80-0b31-19b3bc4d3cdc?t=1663586179347

xii) Whistle Blower Policy is posted at Bank's website – https://bankofindia.co.in/documents/20121/442930/POLICY.pdf/944036f2-d687-0f16-3169-7cec618d3028?t=1663586343555

xiii) **Related Party Transaction** – The Related party transactions are reported to Audit Committee. The Bank's policy on Related Party transaction is posted on Bank's website – https://bankofindia.co.in/documents/20121/0/Policy_on_Related_Party_Transactions.pdf Details of related party transactions are as detailed under AS-18.

xiv) **Remuneration Policy** - The Remuneration of the Managing Director & CEO, Executive Directors is fixed by the Government of India. Salary of other staff members is as per the Tripartite Agreement of the IBA.

xv) **Takeover Code:** The Bank has also complied, from time to time, with the provisions of SEBI (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011 as amended.

xvi) **सेबी (भेदिया व्यापार का प्रतिषेध) विनियम 2015 का अनुपालन:** विनियमों के आलोक में बैंक ने भेदिया व्यापार को रोकने के लिए पदनामित कर्मचारियों और निदेशकों हेतु बैंक के शेयरों में व्यापार करने के लिए आचार संहिता तैयार की है।

xvii) **सांविधिक लेखा परीक्षकों को भुगतान की गई फीस का विवरण:**

क्र. सं.	विवरण	राशि (करोड़ रुपये में)
1	वर्ष 2022-23 हेतु बैंक के लेखापरीक्षकों को प्रदत्त राशि	119.50
2	वर्ष 2022-23 हेतु बैंक एवं उसके अनुषंगियों के लेखापरीक्षकों को प्रदत्त राशि	121.41

संचार के माध्यम:

तिमाही और अर्ध-वार्षिक वित्तीय परिणाम (अलेखापरीक्षित लेकिन सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा सीमित समीक्षा के अध्यधीन) और लेखा परीक्षित वार्षिक परिणाम अंग्रेजी में बिजनेस स्टैंडर्ड में, हिंदी में बिजनेस स्टैंडर्ड में तथा मराठी (क्षेत्रीय भाषा) में लोकसत्ता में प्रकाशित हुए। परिणाम बैंक की वेबसाइट **www.bankofindia.co.in** पर भी प्रदर्शित किया गया है। संस्थागत निवेशकों को की गई प्रस्तुतियां भी बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।

सेबी एलओडीआर विनियमों द्वारा यथा अपेक्षानुसार, बैंक ऑफ इंडिया, स्टॉक एक्सचेज के वेब पोर्टलों पर ऑनलाइन वित्तीय तथा अन्य सूचनाएं फाइल करता है।

वित्तीय कैलेंडर: 1 अप्रैल, 2023 से :

बैंक ऑफ इंडिया के वार्षिक लेखा परीक्षित खातों तथा लाभांश की अनुशंसा, पर चर्चा हेतु बोर्ड की बैठक, यदि कोई हो	06.05.2023
वार्षिक रिपोर्ट का प्रेषण	ईमेल / स्पीड पोस्ट / कूरियर द्वारा
बही बंद करने की तिथि (दोनों दिन सम्मिलित)	21.06.2023 से 27.06.2023
प्राधिकृत आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि	21.06.2023
लाभांश के भुगतान के लिए रिकॉर्ड तिथि	20.06.2023
27वीं एजीएम की तिथि, समय, स्थल	27 जून, 2023 11.00 A.M. वीसी/ओएवीएम के माध्यम से बैंक ऑफ इंडिया, स्टार हाउस, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, मुंबई 400 051
प्रथम तीन तिमाहियों के अलेखापरीक्षित परिणाम पर विचार करने हेतु बोर्ड की बैठक	संबंधित तिमाही के 45 दिनों के भीतर।

xvi) **Compliance with SEBI (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015:**

In pursuance of the Regulations, the Bank has formulated Code of conduct for Prevention of Insider Trading for Designated Employees and Directors for dealing in shares of the Bank.

xvii) **Details of fees paid to Auditors:**

Sl. No.	Particulars	Amount (Rs. In Crore)
1	Amount paid to Auditors of the Bank for the year 2022-23	119.50
2	Amount paid to Auditors of the Bank and its subsidiaries for the year 2022-23	121.41

Means of Communication:

The quarterly and half-yearly financial results (unaudited but subject to limited review by the Statutory Auditors) and audited Annual results were published in the Business Standard in English, Business Standard in Hindi and Loksatta in Marathi (Regional language). The results were also displayed on the Bank's website at **www.bankofindia.co.in.** The presentations made to Institutional Investors are also available on Bank's website.

As required by SEBI LODR Regulations, Bank of India files its financial and other information online on the web portals of the Stock Exchange.

Financial Calendar: From 1st April, 2023:

Board Meeting for considering Annual Audited Accounts of Bank of India and recommendation of dividend, if any	06.05.2023
Posting of Annual Report	By Email /Speed Post/ Courier.
Book Closure dates (both days inclusive)	21.06.2023 to 27.06.2023
Last date for receipt of Authorised Representation	21.06.2023
Record Date for payment of dividend	20.06.2023
Date, Time, Venue of 27th AGM	27th June, 2023 at 11.00 AM through VC / OAVM Bank of India, Star House, Bandra Kurla Complex, Mumbai 400 051.
Board Meeting for considering Un-audited result for first 3 quarters	Within 45 days of the relevant quarter.

स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीकरण

बैंक के शेयरों का बीएसई लि., नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड में सूचीकरण किया गया है। स्टॉक स्क्रिप कोड निम्नानुसार हैं:

बीएसई लि. (बीएसई)	532149
नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लि. (एनएसई)	BANKINDIA
आईएसआईएन क्रमांक	INE084A01016

उक्त दोनों स्टॉक एक्सचेंजों को वर्ष 2022-23 के लिए वार्षिक सूचीकरण शुल्क का भुगतान कर दिया गया है।

बैंक ने समय-समय पर डिबेंचर के रूप में अपरिवर्तनीय बॉड (टियर I पूंजी) जारी किये हैं। तत्संबंधित ब्यौरा निम्नानुसार हैं:

विवरण	राशि	जारी करने की तिथि
श्रृंखला VIII 8.57% - टियर II (INE084A08169)	1500 करोड़	02-12-2022

बैंक ऑफ इंडिया बॉन्ड - टियर I और टियर II बॉन्ड की स्थिति यथा 31.03.2023

निर्गम का विवरण		कुल मूल्य (रु. करोड़ में)	आईएसआईएन संख्या
अतिरिक्त टियर I	कूपन दर		
श्रृंखला - VI	9.04%	750	INE084A08136
श्रृंखला VII	9.30%	602	INE084A08144
श्रृंखला VIII	8.57%	1500	INE084A08169
टियर II बॉन्ड			
श्रृंखला - X	9.80%	1,000	INE084A08037
श्रृंखला - XI	9.80%	500	INE084A08045
श्रृंखला XII	8.52%	3,000	INE084A08060
श्रृंखला XV	7.14%	1,800	INE084A08151
कुल		9,152	

इन सभी बॉन्डों का नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लि. में सूचीकरण किया गया हैं तथा बैंक ने स्टॉक एक्सचेंज को वर्ष 2022-23 का वार्षिक शुल्क अदा किया है।

Listing on Stock Exchanges

The shares of the Bank are listed on The BSE Ltd., and The National Stock Exchange of India Limited. The stock scrip codes are as follows:

The BSE Ltd. (BSE)	532149
National Stock Exchange of India Limited (NSE)	BANKINDIA
ISIN Number	INE084A01016

Annual listing fee for 2022-23 has been paid to both the Stock Exchanges.

The Bank has issued Non Convertible Bonds in the nature of Debentures (Tier I capital) from time to time. The relevant details thereof are as under:

Particulars	Amounts	Date of Issue
Series VIII 8.57%- Tier II (INE084A08169)	1500 Crore	02-12-2022

BANK OF INDIA BOND – TIER I and TIER II BONDS POSITION AS ON 31.03.2023

Particulars of the Issue		Total Value (Rs. in Crores)	ISIN No.
Additional Tier I	Coupon Rate		
Series - VI	9.04%	750	INE084A08136
Series VII	9.30%	602	INE084A08144
Series VIII	8.57%	1500	INE084A08169
Tier II Bonds			
Series-X	9.80%	1,000	INE084A08037
Series-XI	9.80%	500	INE084A08045
Series-XII	8.52%	3,000	INE084A08060
Series XV	7.14%	1,800	INE084A08151
TOTAL		9,152	

All these bonds are listed on National Stock Exchange of India Ltd. and the Bank has paid the Annual listing fee for 2022-23 to the Stock Exchange.

क्रेडिट रेटिंग (दृष्टिकोण): Credit Ratings (Outlook):

क्र. सं. Sr. No.	जारीकर्ता रेटिंग Issuer Rating	कॉर्पोरेट रेटिंग (दीर्घ/लघु) Corporate Rating (Long/ Short)	बैंक सावधि जमा Bank Fixed Deposit	अतिरिक्त टियर I बॉन्ड Additional Tier I Bonds	टियर II बॉन्ड Tier II Bonds	जमा प्रमाणपत्र Certificate of Deposit
1.	फिच रेटिंग्स Fitch Ratings	BBB- (स्थिर) (Stable)	-	-	-	-
2.	क्रिसिल लिमिटेड CRISIL Limited	-	-	AA (स्थिर) (Stable)	AA+ (स्थिर) (Stable)	A1+
3.	इंडिया रेटिंग्स India Ratings	AA+ (स्थिर) (Stable)	-	-	-	-
4.	ब्रिकवर्क रेटिंग Brickwork Ratings	-	-		AA (स्थिर) (Stable)	-
5.	इन्फोमेरिक वैल्यूएशन और रेटिंग InfomericValuation & Rating	AAA (स्थिर) (Stable)	-	-	AAA (स्थिर) (Stable)	-
6.	एक्यूट रेटिंग Acuite Ratings	-		AA (स्थिर) (Stable)	-	-
7.	आईसीआरए ICRA	-	AA+(स्थिर) (Stable)			

शेयरों का अमूर्तीकरण:

बैंक के शेयरों का लेन-देन अनिवार्य रूप से केवल अमूर्त (डीमैट) रूप में ही किया जाता है। बैंक ने शेयरों के अमूर्तीकरण के लिए दोनों निक्षेपागारों यथा राष्ट्रीय प्रतिभूति निक्षेपागार लि. (एनएसडीएल) एवं केन्द्रीय निक्षेपागार सेवाएं (भारत) लि. (सीडीएसएल) के साथ करार किया गया है।

यथा 31/03/2023 को शेयरधारकों द्वारा प्रत्यक्ष एवं अमूर्त रूप में धारित शेयरों का ब्यौरा निम्नानुसार है :

	फोलियो की संख्या	शेयरधारकों का %	शेयरों की संख्या	शेयरधारिता का %
एनएसडीएल	1,43,164	29.43	60,98,17,228	14.86
सीडीएसएल	2,53,585	52.14	3,48,04,04,988	84.81
मूर्त	89,662	18.43	13343854	0.33
कुल	**4,86,411**	**100.00**	**4,10,35,66,070**	**100.00**

इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से लाभांश/ब्याज भुगतान:

जहां कहीं भी निवेशकों द्वारा अधिदेश दिया जाता है, बैंक विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से निवेशकों को शेयरों पर लाभांश/बॉन्डों पर ब्याज का भुगतान कर रहा है। इस उद्देश्य के लिए, बैंक नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस (एनएसीएच), नेशनल इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विसेज (एनईसीएस), आर.टी.जी.एस, एन.ई.एफ.टी और डायरेक्ट क्रेडिट आदि की सेवाओं का उपयोग कर रहा है।

निवेशक इस रिपोर्ट में दिए गए पते पर अपना जनादेश बैंक के रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट, मेसर्स बिगशेयर सर्विसेज प्रा. लिमिटेड को दर्ज़ करा सकते हैं।

लाभांश का भुगतान/रिकॉर्ड दिनांक :

बैंक के निदेशक मंडल के अनुमोदन के अधीन एजीएम में वर्ष 2022-23 के लिए प्रत्येक शेयरधारक को रु.2.00 प्रति इक्विटी शेयर (अर्थात 20%) प्रत्येक 10 रुपये के अंकित मूल्य के लाभांश की सिफारित की है। उन शेयरधारकों को लाभांश का भुगतान करने का निर्णय लिया गया है, जिनके नाम एनएसडीएल/सीडीएसए द्वारा शुक्रवार दिनांक 20 जून, 2023 (बाद में रिकॉर्ड तिथि के रूप में संदर्भित) के अनुसार शेयरधारकों/लाभार्थी मालिकों के रजिस्टर में दर्ज़ हैं। वार्षिक आम बैठक (27 जून, 2023) में घोषणा की तारीख से 30 दिनों के भीतर शेयरधारकों को लाभांश का भुगतान किया जाएगा।

अदावाकृत लाभांश, यदि कोई हो:

जिन शेयरधारकों ने अपने लाभांश वारंट का नकदीकरण नहीं किया है / वर्ष 2021-22 का लाभांश प्राप्त नहीं किया है, उन्हें लाभांश प्राप्त करने हेतु बैंक के रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट (आरटीए), मेसर्स बिगशेयर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड से संपर्क करने का अनुरोध किया जाता है।

राष्ट्रीयकरण अधिनियम की धारा 10बी के अनुसार, सात साल की अवधि के लिए बकाया या अदावाकृत लाभांश की राशि को केंद्र सरकार द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 125 के तहत स्थापित निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष (आईईपीएफ) में स्थानांतरित करना अपेक्षित है। सात वर्षों की अवधि (वित्त वर्ष 2014-15 तक) के लिए सभी अदावाकृत लाभांश आईईपीएफ प्राधिकरण को स्थानांतरित कर दिए गए हैं। बैंक द्वारा वित्त वर्ष 2015-16 से वित्त वर्ष 2020-21 के लिए कोई भी लाभांश घोषित नहीं किया गया है।

Dematerialisation of Shares:

The Bank's shares are being traded compulsorily in Demat form only. The Bank has entered into agreements with both the Depositories viz. National Securities Depositories Ltd. (NSDL) and Central Depository Services (India) Ltd. (CDSL) for dematerialization of shares.

Particulars of shares in Demat and Physical form held by the shareholders as of 31/03/2023 are as under:

	No. of FOLIOs	Shareholders in %	No. of Shares	Shareholding %
NSDL	1,43,164	29.43	60,98,17,228	14.86
CDSL	2,53,585	52.14	3,48,04,04,988	84.81
Physical	89,662	18.43	13343854	0.33
Total	**4,86,411**	**100.00**	**4,10,35,66,070**	**100.00**

DIVIDEND / INTEREST PAYMENT THROUGH ELECTRONIC MODES

The Bank is paying Dividend on Shares / Interest on Bonds to the Investors through various electronic modes, wherever mandate is given by he Investors. For this purpose, Bank is using the services of National Automated Clearing House (NACH), National Electronic Clearing Services (NECS), RTGS, NEFT and Direct Credit, etc.

Investors may lodge their mandate with Bank's Registrar and Transfer Agent, M/s Bigshare Services Pvt. Ltd., at the address given in this report.

PAYMENT OF DIVIDEND / RECORD DATE:

The Board of Directors of the Bank has recommended a dividend of Rs.2.00 per equity share (i.e. 20%) of face value of Rs.10/- each to the Shareholders for the year 2022-23, subject to the approval of the Shareholders at the AGM. It has been decided to pay the dividend to the Shareholders whose names appear on the Register of Shareholders / Beneficial owners as furnished by NSDL / CDSL as on, 20th June 2023 (hereinafter referred to as Record Date). The dividend will be paid to the shareholders within 30 days from the date of declaration at the Annual General Meeting (27^{th} June, 2023).

UNCLAIMED DIVIDEND, IF ANY:

The shareholders who have not encashed their Dividend Warrants / received dividend for the year 2021-22, are requested to contact the Registrar and Transfer Agent (RTA) of the Bank, M/s Bigshare Services Pvt. Ltd., for receiving the dividend.

As per Section 10B of the Nationalisation Act, the amount of dividend remaining unpaid or unclaimed for a period of seven years is required to be transferred to the Investor Education and Protection Fund (IEPF) established by the Central Govt. under section 125 of the Companies Act, 2013. All the dividends unclaimed for a period of seven years (pertaining to FY upto 2014-15) have been transferred to the IEPF Authority. Bank has not declared any dividend during FY 2015-16 to FY 2020-21.

अदावाकृत शेयर: UNCLAIMED SHARES:

शून्य Nil.

शेयरधारिता का पैटर्न यथा 31.03.2023: Shareholding Pattern as on 31.03.2023:

शेयरधारकों की वर्ग	Category of Shareholders	शेयरधारकों की संख्या Number of Shareholders	शेयर की संख्या Number of Shares	शेयरधारिता का % % of Holding	लॉक-इन के तहत शेयर Shares under Lock- in	लॉक-इन के तहत शेयरों का % % of Shares under Lock-in
प्रवर्तक (भारत सरकार)	Promoter(Government of India)	1	3,34,08,61,720	81.41	42,11,70,854	12.61
म्यूचुअल फंड	Mutual Funds	35	684,31,518	1.67	0	0
वैकल्पिक निवेश निधि	Alternate Investment Funds	3	4,23,308	0.01	0	0
वित्तीय संस्थान/बैंक	Financial Institution/Bank	15	7,44,583	0.02	0	0
बीमा कंपनियां	Insurance Company	11	35,53,03,590	8.66	0	0
कॉर्पोरेट निकाय	Bodies Corporate	1,119	2,22,19,587	0.54	0	0
विदेशी वित्तीय संस्था निवेशक	Foreign Financial Institution Investor	3,051	11,42,36,335	2.79	0	0
भारतीय जनता	Indian public	4,65,361	19,16,06,240	4.67	0	0
अन्य	Others	7,972	97,39,189	0.24	0	0
कुल	**Total**	**4,77,568**	**4,10,35,66,070**	**100.00**	**42,11,70,854**	**12.61**

एकल व्यक्तियों (जन सामान्य) की शेयरधारिता जिनके पास कुल शेयरों की संख्या का 1% से अधिक हो:

Shareholding of persons (Public) holding more than 1% of the total number of shares:

शेयरधारक का नाम	Name of the Shareholder	शेयरों की संख्या Number of Shares	शेयरधारिता % % of Holding
भारतीय जीवन बीमा निगम	Life Insurance Corporation of India	28,92,87,324	7.05%

शेयरधारिता का संवितरण यथा 31 मार्च, 2023:

Distribution of Shareholdings as on 31st March, 2023:

धारित इक्विटी शेयरों की संख्या	No. of Equity Shares held	फोलियो Folio		शेयर Shares	
		संख्या Nos.	प्रतिशत % age	संख्या Nos.	प्रतिशत % age
500 तक	Upto 500	4,25,701	87.52	4,88,78,222	1.19
501 से 1000	501 to 1000	28,362	5.83	2,23,80,220	0.54
1001 से 5000	1001 to 5000	27,761	5.70	6,13,29,590	1.51
5001 से 10000	5001 to 10000	2,623	0.54	1,94,32,483	0.47
10001 एवं इससे अधिक	10001 & Above	1,964	0.41	3,95,15,45,555	96.29
कुल	**Total**	**4,86,411**	**100.00**	**4,10,35,66,070**	**100.00**

शेयर मूल्य / मात्रा:
Share Price/Volume:

महीना	Months	बीएसई BSE			एनएसई NSE		
		उच्च कीमत High Price	कम कीमत Low Price	वॉल्यूम (शेयरों की संख्या) Volume (No. of Shares)	उच्च कीमत High Price	कम कीमत Low Price	वॉल्यूम (शेयरों की संख्या) Volume (No. of Shares)
अप्रैल-22	Apr-22	53.70	45.85	88,09,973	53.70	45.80	7,05,57,810
मई-22	May-22	49.10	40.45	71,88,677	49.20	47.80	6,35,99,164
जून-22	Jun-22	48.95	40.40	40,18,199	48.90	47.60	3,88,78,190
जुलाई-22	Jul-22	49.80	43.90	39,40,744	49.90	43.90	4,52,67,121
अगस्त-22	Aug-22	53.15	47.55	60,44,836	53.20	47.50	7,50,75,529
सितंबर-22	Sep-22	54.40	45.90	83,23,527	54.45	45.85	9,04,34,989
अक्तूबर-22	Oct-22	60.75	46.05	1,38,86,422	60.75	46.15	13,52,99,687
नवंबर-22	Nov-22	85.50	59.30	4,65,29,734	85.50	59.25	50,37,33,791
दिसंबर-22	Dec-22	103.50	74.80	6,20,81,490	103.50	75.00	76,75,43,614
जनवरी-23	Jan-23	101.25	75.95	4,94,94,664	101.30	75.90	49,04,99,611
फरवरी-23	Feb-23	85.75	66.05	2,72,25,798	85.75	66.05	23,99,22,376
मार्च-23	Mar-23	85.68	67.00	3,01,39,237	85.90	67.60	35,11,14,721
अंतिम मूल्य यथा 31.03.2023	**Closing Price as on 31.03.2023**	**74.85**			**74.65**		
बाजार पूंजीकरण	**Market Cap**	रु. **Rs.30,715 करोड़ crore**			रु. **Rs.30,649 करोड़ crore**		

व्यापक आधारित सूचियों की तुलना में प्रदर्शन:
Performance in comparison to Broad Based Indices:

वैंक ऑफ इंडिया बनाम सेंसेक्स
Bank of India vs Sensex

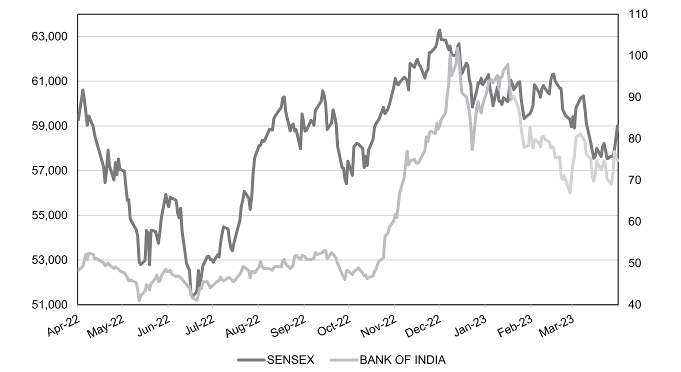

वैंक ऑफ इंडिया बनाम निफ्टी फिफ्टी
Bank of India vs Nifty Fifty

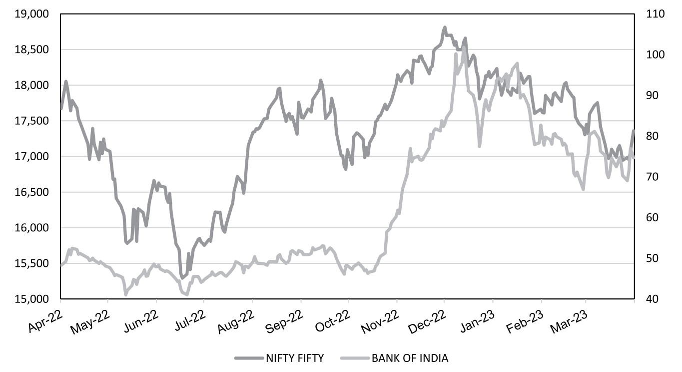

अन्य अनुपालन:

1. स्टॉक एक्सचेंज के साथ सूचीकरण करार की शर्तों के अनुसार कॉर्पोरेट शासन प्रणाली के अनिवार्य अनुबंध के अनुपालन में कारोबारी कंपनी सचिव द्वारा जारी प्रमाण पत्र संलग्न किया गया है।

Other Compliances:

1. The certificate issued by the practicing Company Secretary, regarding compliance of mandatory stipulations of Corporate Governance in terms of the listing agreement with the Stock Exchange is attached.

2. कंपनी सचिव से प्राय: इस आशय का प्रमाण पत्र संलग्न है कि कंपनी के निदेशक मंडल के किसी भी निदेशक को कंपनी के निदेशक मंडल/कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय या ऐसे किसी सांविधिक प्राधिकरण द्वारा कंपनियों के निदेशक के रूप में नियुक्त किए जाने या जारी रखने से वंचित या अयोग्य घोषित नहीं किया गया है ।

3. सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट:

सेबी एलओडीआर 2015 के विनियम 24 ए के अनुपालन में वार्षिक सचिवीय अनुपालन रिपोर्ट (फॉर्म एमआर 3) संलग्न है।

4. अनुषंगियों के वित्तीय विवरण:

सेबी एलओडीआर 2015 के विनियम 46(2) के अनुपालन में, अनुषंगियों के लेखा परीक्षित वित्तीय विवरण हमारी वेबसाइट यानी www.bankofindia.co.in पर अपलोड कर दिए गए हैं।

2. A Certificate from a Company Secretary in practice that none of the Directors on the board of the company have been debarred or disqualified from being appointed or continuing as Directors of companies by the Board / Ministry of Corporate Affairs or any such statutory authority, is enclosed.

3. Secretarial Audit Report:

In Compliance of Regulation 24A of SEBI LODR 2015, the Annual Secretarial Compliance Report (Form MR 3) is enclosed.

4. Financial Statements of Subsidiaries:

In compliance of Regulation 46(2) of SEBI LODR 2015, the Audited Financial Statements of subsidiaries have been uploaded on our website i.e. www.bankofindia.co.in.

अनिवार्य / गैर अनिवार्य आवश्यकताओं का अनुपालन: Compliance of Mandatory / Non Mandatory Requirements:

बैंक ने सेबी सूचीकरण करार, 2015 की अनुसूची II के भाग-ई की निम्नलिखित विवेकपूर्ण अपेक्षाओं का अनुपालन किया है:

The Bank has complied with the following Discretionary Requirement as mentioned under Part –E of Schedule II of SEBI Listing Regulations, 2015:

क्र. सं. Sr. No.	गैर-अनिवार्य अपेक्षाएं Non Mandatory requirements	कार्यान्वयन की स्थिति Status of implementation
1	बोर्ड - एक गैर कार्यपालक अध्यक्ष कंपनी के खर्च पर अध्यक्ष का कार्यालय रखने के लिए हकदार है। The Board – A Non-Executive Chairman may be entitled to maintain a Chairman's office at the company's expenses	अध्यक्ष का पद गैर-कार्यपालक (जो की वर्तमान में रिक्त है) का है और बैंक में उनका प्रथक कार्यालय है। The Chairman's Position (which is presently vacant) is Non-Executive and there is a separate office in the Bank.
2	शेयरधारकों का अधिकार- विगत छ: महीनों में महत्वपूर्ण घटनाओं के सारांश सहित वित्तीय कार्य-निष्पादन की अर्ध-वार्षिक घोषणा शेयरधारकों को भेजी जा सकती है। Shareholder's Rights- A half-yearly declaration of financial performance including summary of the significant events in last six- months, may be sent to shareholders.	तिमाही/वर्ष में आजतक वार्षिक वित्तीय विवरण एवं प्रमुख विशेषताएं एनएसई और बीएसई को भेजी जाती हैं और अखबारों में प्रकाशित की जाती हैं तथा बैंक की वेबसाइट पर प्रदर्शित की जाती हैं। अत: शेयरधारकों को सूचना व्यक्तिश: नहीं भेजी जाती है। The quarterly/year to date/ Annual Financial Results are sent to NSE & BSE & published in Newspapers and placed on Bank's website including highlights. As such, information to Shareholders is not sent individually.
3	लेखापरीक्षा रिपोर्ट में संशोधित मत - सूचीबद्ध संस्था असंशोधित लेखापरीक्षा मत वाली वित्तीय विवरणों की व्यवस्था का चयन कर सकती है। Modified Opinion (s) in Audit Report –The listed entity may move towards a regime of financial statements with unmodified audit opinion.	बैंक के वार्षिक वित्तीय विवरण असंशोधित लेखापरीक्षा मत के साथ हैं। The Bank's Annual Financial Statements are with unmodified audit opinion.
4	आंतरिक लेखापरीक्षक की रिपोर्टिंग Reporting of Internal Auditor	सभी आंतरिक लेखा परीक्षकों की नियुक्ति हमारे निरीक्षण और लेखापरीक्षा विभाग द्वारा की जाती है, जो लेखापरीक्षा समिति को रिपोर्ट करता है। All internal auditors are appointed by our Inspection and Audit Department, which reports to Audit Committee.
5.	अध्यक्ष एवं सीईओ के पृथक पद - सूचीबद्ध संस्था अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक या मुख्य कार्यपालक अधिकारी के पद पर अलग-अलग व्यक्तियों को नियुक्त कर सकता है। Separate posts of Chairperson and Chief Executive Officer- The listed entity may appoint separate persons to the post of Chairperson and Managing Director or Chief Executive Officer.	बैंक के पास यह पद है। यद्यपि अध्यक्ष का यह पद दिनांक 14.08.2020 से रिक्त है) The Bank is having this position. (although the position of Chairman is vacant from 14.08.2020)

आर. एस. पडिया एंड एसोसिएट्स

कंपनी सचिव

कॉर्पोरेट शासन पर प्रमाणपत्र

सदस्यगण,
बैंक ऑफ़ इंडिया
स्टार हाऊस, सी-5, 'जी' ब्लॉक,
बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स,
बांद्रा (पूर्व),
मुंबई - 400 051.

हमने 31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ़ इंडिया लिमिटेड और बीएसई लिमिटेड (स्टॉक एक्सचेंज) के साथ हुए सूचीकरण करार के तहत कॉर्पोरेट शासन प्रणाली की शर्तों, जिनका उल्लेख सेबी सूचीबद्धता बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं विनियम, 2015 के विनियम 17 से 27, 46 एवं अनुसूची V के प्रावधानों में किया गया है,के अनुपालन के प्रमाणीकरण के प्रयोजन से बैंक ऑफ़ इंडिया (''दी बैंक/कंपनी'') के सभी संगत अभिलेखों की जांच की है।

कॉर्पोरेट शासन की शर्तों का अनुपालन प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जांच कॉर्पोरेट शासन की शर्तों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए बैंक द्वारा अपनाई गई कार्यप्रणाली तथा उसके कार्यान्वयन तक सीमित थी।

हमारी राय में और हमें प्राप्त जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार हम प्रमाणित करते हैं कि बैंक ने ऊपर उल्लेख किए गए सेबी (एलओडीआर) 2015 में निर्धारित कॉर्पोरेट शासन की शर्तों को पूरा किया है।

कृते **आर. एस. पडिया एंड एसोसिएट्स**
कंपनी सचिव
(आईसीएसआई यूनिक कोड S2007MH094000)

सीएस राजश्री पडिया
एफएससी : 6804
सीपी: 7488
यूडीआईएन : F006804E000149859

दिनांक: 20.04.2023
स्थान: मुंबई

R.S. Padia & Associates

Company Secretaries

CERTIFICATE ON CORPORATE GOVERNANCE

The Members,
Bank of India
Star House, C-5, `G' Block,
Bandra-Kurla Complex,
Bandra (East),
Mumbai 400 051.

We have examined all relevant records of Bank of India ("the Bank/Company") for the purpose of certifying compliances of conditions of Corporate Governance under the Regulation 17 to 27, 46 and Schedule V of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulation, 2015 entered into with National Stock Exchange of India Ltd and BSE Limited (Stock Exchanges) for the Financial Year ended 31st March, 2023.

The compliance of conditions of corporate governance is the responsibility of the Management. Our examination was limited to procedures and implementation thereof, adopted by the Bank for ensuring the compliances of conditions of Corporate Governance.

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, we certify that the Bank has complied with the conditions of corporate governance as stipulated in the above mentioned SEBI (LODR) 2015.

For **R.S. Padia & Associates**
Company Secretaries
(ICSI Unique Code: S2007MH094000)

CS Rajshree Padia
FCS: 6804
CP: 7488
UDIN: F006804E000149859

Date: 20/04/2023
Place: Mumbai.

R.S. Padia & Associates

Company Secretaries

निदेशकों की गैर-अयोग्यता का प्रमाणपत्र

[सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 34(3)तथा अनुसूची V, पैरा सी, खण्ड(10)(i)के अनुसार]

प्रति

बैंक ऑफ़ इंडिया के सदस्य

हमने बैंक ऑफ़ इंडिया, जिसका प्रधान कार्यालय, सी-5, जी ब्लॉक, बांद्रा-कुर्ला संकुल, बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400 051 (इसके बाद इसे ''बैंक'' कहा जाएगा) में है, के निदेशकों से प्राप्त प्रासंगिक रजिस्टरों, रिकॉर्ड, फॉर्म, रिटर्न तथा प्रकटनों की जांच की है, जिन्हें भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 34(3) के साथ पठित अनुसूची V पैरा सी, खण्ड 10(i) के अनुसार इस प्रमाणपत्र को जारी करने के प्रयोजन से बैंक ऑफ़ इंडिया द्वारा हमारे समक्ष प्रस्तुत किया गया था।

हमारे विचार से तथा हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और यथा आवश्यक माने गए पोर्टल (www.mca.gov.in) पर उपलब्ध सत्यापनों(निदेशकों की पहचान संख्या(डीआईएन) सहित) एवं बैंक, और उसके अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत किए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार हम एतद्द्वारा यह प्रमाणित करते हैं कि नीचे बताये गए अनुसार बैंक के बोर्ड के किसी भी निदेशक को 31 मार्च 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड/कॉरपोरेट मामले मंत्रालय/वित्त मंत्रालय/भारतीय रिज़र्व बैंक या ऐसे किसी सांविधिक प्राधिकरण द्वारा कंपनियों के निदेशकों के रूप में नियुक्त किए जाने या जारी रखे जाने से प्रतिबंधित नहीं किया गया है या अयोग्य नहीं ठहराया गया है।

क्रं सं.	निदेशक का नाम	पद	बैंक में नियुक्ति की तारीख
1.	श्री पी.आर. राजगोपाल डीआईएन: 09017710	कार्यपालक निदेशक	18.03.2020
2.	श्री स्वरूप दासगुप्ता डीआईएन: 09138124	कार्यपालक निदेशक	10.03.2021
3.	श्री एम. कार्तिकेयन डीआईएन: 09450145	कार्यपालक निदेशक	10.03.2021
4.	श्री सुब्रत कुमार डीआईएन:08102232	कार्यपालक निदेशक	21.11.2022
5.	श्री सुब्रता दास डीआईएन: 05114257	कार्यपालक नामिति निदेशक	13.08.2019
6.	श्री भूषण कुमार सिन्हा डीआईएन: 08135512	गैर-कार्यपालक नामिति निदेशक	11.04.2022
7.	सुश्री वेणी थापर डीआईएन: 01811724	शेयरधारक निदेशक (स्वतंत्र निदेशक)	04.12.2021
8.	श्री मुनीश कुमार रल्हन डीआईएन:लागू नहीं	अंशकालिक गैर शासकीय निदेशक (स्वतंत्र निदेशक)	22.03.2022
9.	श्री विश्वनाथ वी. शेनॉय डीआईएन: 07561455	शेयरधारक निदेशक (स्वतंत्र निदेशक)	29.11.2022

बैंक, एक राष्ट्रीयकृत बैंक होने के नाते, बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970, राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना,

CERTIFICATE OF NON-DISQUALIFICATION OF DIRECTORS

(Pursuant to Regulation 34(3) and Schedule V Para C clause (10)(i) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015)

To,

The Members of Bank of India

We have examined the relevant registers, records, forms, returns and disclosures received from the Directors of Bank of India having its Head office at Star House, C-5, `G' Block, Bandra-Kurla Complex, Bandra (East) Mumbai 400 051 (hereinafter referred to as 'the Bank'), produced before us by the Bank for the purpose of issuing this Certificate, in accordance with Regulation 34(3) read with Schedule V Para-C Sub clause 10(i) of the Securities Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

In our opinion and to the best of our information and according to the verifications (including Directors Identification Number (DIN) status at the portal (www.mca.gov.in) as considered necessary and explanations furnished to us by the Bank & its officers, We hereby certify that none of the Directors on the Board of the Bank as stated below for the Financial Year ending on 31st March, 2023 have been debarred or disqualified from being appointed or continuing as Directors of Bank / Companies by the Securities and Exchange Board of India / Ministry of Corporate Affairs / Ministry of Finance / Reserve Bank of India or any such statutory authority.

Sr. No.	Name of Directors	Category	Date of Appointment
1	Shri P R Rajagopal DIN :09017710	Executive Director	18.03.2020
2.	Shri Swarup Dasgupta DIN : 09138124	Executive Director	10.03.2021
3.	Shri M. Karthikeyan DIN : 09450145	Executive Director	10.03.2021
4.	Shri Subrat Kumar DIN: 08102232	Executive Director	21.11.2022
5.	Shri Subrata Das DIN : 05114257	Executive Nominee Director	13.08.2019
6.	Shri Bhushan Kumar Sinha DIN: 08135512	Non Executive Nominee Director	11.04.2022
7.	Ms. Veni Thapar DIN: 01811724	Shareholders Director (Independent Director)	04.12.2021
8.	Munish Kumar Ralhan DIN: NA	Part Time Non official Director (Independent Director)	22.03.2022
9.	Shri Vishwanath V. Shenoy DIN: 07561455	Shareholders Director (Independent Director)	29.11.2022

The Bank, being a nationalised bank, is governed by the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertaking) Act,

1970 और बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 द्वारा शासित है। कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधान बैंक पर लागू नहीं होते हैं। इसलिए, बैंक के बोर्ड में निदेशकों के लिए डीआईएन प्राप्त करना अनिवार्य नहीं है।

नियुक्ति की पात्रता को सुनिश्चित करना/ बोर्ड में प्रत्येक निदेशक को जारी रखना, बैंक के प्रबंधन का उत्तरदायित्व है। हमारा उत्तरदायित्व, हमारे सत्यापन के आधार पर इन पर, विचार प्रकट करना है।

कृते **आर. एस. पडिया एंड एसोसिएट्स**
कंपनी सचिव

राजश्री पडिया
एफसीएस: 6804; सीपी: 7488

दिनांक: 22.05.2023
स्थान: मुंबई
यूडीआईएन: F006804E000353689

1970, the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, and the Banking Regulation Act, 1949. The provisions of the Companies Act, 2013, do not apply to the Bank. Hence, it is not mandatory for the Directors on the Board of the Bank to obtain DIN.

Ensuring the eligibility for the appointment / continuity of every Director on the Board is the responsibility of the management of the Company. Our responsibility is to express an opinion on these based on our verification.

For **R.S. Padia & Associates**
Company Secretaries

Rajshree Padia
FCS: 6804; CP: 7488

Date: 22.05.2023
Place: Mumbai
UDIN: F006804E000353689

फार्म संख्या एमआर-3
सचिवीय लेखा-परीक्षा रिपोर्ट
31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए

[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204(1) और कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियम 2014 के नियम 9 के साथ पठित सेबी के परिपत्र संख्या आईआर/सीएमडी1/27/2009 दिनांक 08.02.2019 के अनुसरण में]

सेवा में,

सदस्यगण,
बैंक ऑफ़ इंडिया

हमने **बैंक ऑफ़ इंडिया** (इसके बाद इसे 'बैंक' कहा जायेगा) के द्वारा, लागू विधिक प्रावधानों तथा अच्छी कॉरपोरेट परिपाटी के अनुपालन की सचिवीय लेखा-परीक्षा की है। सचिवीय लेखा- परीक्षा इस प्रकार से की गयी कि हमें कॉरपोरेट परिचालन/ सांविधिक अनुपालन के मूल्यांकन तथा उसके संबंध में अपने मत को प्रकट करने का पर्याप्त आधार प्राप्त हुआ है।

सचिवीय लेखा-परीक्षा के दौरान **बैंक ऑफ़ इंडिया** के बही, दस्तावेज, कार्यवृत्त बही, फॉर्म एवं दायर विवरणी तथा बैंक के द्वारा रखे गये अन्य दस्तावेजों के सत्यापन एवं बैंक, उसके अधिकारियों द्वारा उपलब्ध कराई गयी जानकारी के आधार पर भी, हम एतद्-द्वारा रिपोर्ट करते हैं कि हमारे विचार से, बैंक ने, 31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्त वर्ष की लेखा-परीक्षा अवधि के दौरान, निम्नलिखित सूचीबद्ध विधिक प्रावधानों का अनुपालन किया है। इसके अतिरिक्त हमारे मत में बैंक के पास उचित बोर्ड- प्रक्रियाएं तथा अनुपालन व्यवस्था भी स्थापित है। उक्त प्रक्रिया तथा व्यवस्था उस सीमा तक तथा उस प्रकार की है जैसा कि यहाँ इसके बाद रिपोर्टिंग में प्रतिपादित किया गया है:

हमने निम्नलिखित प्रावधानों के अनुसार 31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए बैंक के द्वारा रखी गयी बही, दस्तावेजों, कार्यवृत्त बही, दायर विवरणी तथा फार्म एवं अन्य रिकॉर्ड का अध्ययन किया है :

(i) कंपनी अधिनियम, 2013 तथा उसके अधीन बने नियम जिस सीमा तक बैंक पर लागू हो;

(ii) प्रतिभूति संविदा (विनियम) अधिनियम, 1957 ('एससीआरए') तथा इसके अंतर्गत बने नियम;

(iii) निक्षेपागार अधिनियम, 1996 तथा इसके अंतर्गत बने विनियम तथा उप विधि;

(iv) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 ('सेबी अधिनियम') के अंतर्गत निर्धारित निम्नलिखित विनियम:

- (क) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीकरण बाध्यताएं तथा प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015;
- (ख) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (पूंजी निर्गम एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2018;
- (ग) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण) विनियम, 2011;
- (घ) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (भेदिया व्यापार का प्रतिषेध) विनियम, 2015;
- (ड) सेबी (निक्षेपागार एवं सहभागी) विनियम, 2018
- (च) भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, भारत से बाहर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश तथा विदेशी वाणिज्यिक ऋण के संबंध में विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम, 1999 तथा उसके अंतर्गत बने तत्संबंधी नियम एवं विनियम; (समीक्षाधीन वर्ष के दौरान लागू नहीं)

Form No. MR-3
Secretarial Audit Report
For The Financial Year Ended 31st March 2023.

[Pursuant to section 204(1) of the Companies Act, 2013 and Rule 9 of the Companies (Appointment and Remuneration of Managerial Personnel) Rules, 2014 read along with SEBI circular No. IR/CFD/CMD1/27/2019 DATED 08.02.2019]

To,

The Members of
Bank of India,

We have conducted the Secretarial Audit of the compliance of applicable statutory provisions and the adherence to good corporate practices by **Bank of India,** (hereinafter called the 'Bank'). Secretarial Audit was conducted in a manner that provided us a reasonable basis for evaluating the corporate conducts/ statutory compliances and expressing our opinion thereon.

Based on our verification of the **Bank of India** books, papers, minute books, forms and returns filed and other records maintained by the Bank and also the information provided by the Bank officials during the conduct of secretarial audit, We hereby report that in our opinion, the Bank has, during the audit period covering the financial year ended on 31st March, 2023 complied with the statutory provisions listed hereunder and also that the Bank has proper Board-processes and compliance-mechanism in place to the extent, in the manner and subject to the reporting made hereinafter:

We have examined the books, papers, minute books, forms and returns filed and other records maintained by the Bank for the financial year ended on 31st March, 2023 according to the provisions of:

(i) The Companies Act, 2013 (the Act) and the rules made thereunder to the extent applicable to the Bank

(ii) The Securities Contracts (Regulation) Act, 1957 ('SCRA') and the rules made thereunder;

(iii) The Depositories Act, 1996 and the Regulations and Bye-laws framed thereunder;

(iv) The following Regulations and Guidelines prescribed under the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 ('SEBI Act'):-

- a) Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015;
- b) Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018; (Not Applicable during the year under review)
- c) Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011;
- d) Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015;
- e) SEBI (Depositories and Participants) Regulations, 2018.
- f) Foreign Exchange Management Act, 1999 and the rules and regulations made thereunder to the extent of Foreign Direct Investment, Overseas Direct Investment and External Commercial Borrowings; (Not Applicable during the year under review)

(छ) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (शेयर आधारित कर्मचारी फायदे) विनियम, 2014; (समीक्षाधीन वर्ष के दौरान लागू नही)

(ज) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (ऋण प्रतिभूतियों का निर्गम और इनकी सूचीबद्धता) विनियम, 2008; (समीक्षाधीन वर्ष के दौरान लागू नहीं)

(झ) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (गैर-परिवर्तनीय प्रतिभूतियों का निर्णय और इनकी सूचीबद्धता) विनियम, 2021

(ञ) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (इक्वटी शेयरों की असूचीबद्धता) विनियम, 2009; (समीक्षाधीन वर्ष के दौरान लागू नहीं)

(ट) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (प्रतिभूतियों को क्रय द्वारा वापस लेना) विनियम, 1998 (समीक्षाधीन वर्ष के दौरान लागू नहीं)

(ठ) बैंक पर लागू अन्य नियम निम्नलिखित है :

क) भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) तथा भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अधिसूचनाओं तथा परिपत्रों सहित बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949

ख) बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 और तत्संबंधी संशोधन।

ग) राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना,1970

घ) बैंक ऑफ़ इंडिया शेयर एवं बैठक विनियमन, 2007

हमने निम्नलिखित लागू उपबंधों के अनुपालन का भी अध्ययन किया है :-

i. भारतीय कम्पनी सचिव संस्थान द्वारा जारी सचिवीय मानक।

ii. बैंक द्वारा बीएसई लिमिटेड तथा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ़ इंडिया लिमिटेड के साथ किए गए सूचीकरण संबंधी करार

समीक्षा की अवधि के दौरान, बैंक ने ऊपर उल्लिखित अधिनियमों, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, मानकों आदि के प्रावधानों का पालन किया है

हम यह भी रिपोर्ट करते हैं कि

बैंक का ऑफ़ इंडिया बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम,1970 (अधिनियम) के तहत गठित एक नया तदनुरूप बैंक है। बैंक के निदेशक मंडल की संरचना इस अधिनियम द्वारा शासित होती है।

केंद्र सरकार प्रबंध निदेशक सहित पूर्णकालिक निदेशकों की नियुक्ति करती है और अधिनियम के तहत विभिन्न परिभाषित श्रेणियों से पहचाने गए और चुने गए गैर कार्यपालक निदेशकों को नामित करने की हकदार है जिन्हें स्वतंत्र निदेशक के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है।

केंद्र सरकार के अलावा अन्य शेयरधारक बैंक में गैर-सरकारी शेयरधारिता के प्रतिशत के आधार पर अधिकतम 3 निदेशकों का चुनाव करने के हकदार है।

वर्तमान में, बैंक में दो शेयरधारक निदेशक है जिन्हें स्वतंत्र निदेशकों के रूप में भी वर्गीकृत किया गया है। भारत सरकार द्वारा नियुक्त एक गैर-सरकारी निदेशक हैं जिन्हें स्वतंत्र निदेशक के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

बैंक के निदेशक मंडल में बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 (3) (ई) और 9 (3) (एफ) के तहत भारत सरकार द्वारा नामित किए जाने वाले दो कर्मचारी निदेशक शामिल नहीं थे।

बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 (3) (जी) के अनुसार, बोर्ड में एक निदेशक होगा जो कम से कम पंद्रह वर्षों के

g) The Securities and Exchange Board of India (Share Based Employee Benefits) Regulations, 2014; (Not Applicable during the year under review)

h) The Securities and Exchange Board of India (Issue and Listing of Debt Securities) Regulations, 2008; (Not Applicable during the year under review).

i) The Securities and Exchange Board of India (Issue and Listing of Non Convertible Securities) Regulations, 2021.

j) The Securities and Exchange Board of India (Delisting of Equity Shares) Regulations, 2009; (Not Applicable during the year under review)

k) The Securities and Exchange Board of India (Buyback of Securities) Regulations, 1998 (Not Applicable during the year under review)

l) The Following other Laws as applicable to the Bank:

(a) Banking Regulation Act 1949 along with Notifications and Circulars issued by the Reserve Bank of India (RBI) and Government of India (GOI) from time to time.

(b) Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970 and its amendments thereof.

(c) Nationalised Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970

(d) Bank of India Shares and Meeting Regulation, 2007

We have also examined compliance with the applicable clauses of the following:

(i) Secretarial Standards issued by The Institute of Company Secretaries of India.

(ii) The Listing Agreements entered into by the Bank with BSE Ltd (BSE) and the National Stock Exchange of India Ltd. (NSE)

During the period under review the Bank has complied with the provisions of the Act, Rules, Regulations, Guidelines, Standards, etc. mentioned above.

We further report that

Bank of India is a corresponding new bank constituted under the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (the Act). Composition of the Board of Directors of the Bank is governed by this Act.

The Central Government appoints Whole time Directors including the Managing Director and is entitled to nominate Non- Executive Directors identified and selected from various defined categories under the Act who can be classified as Independent Directors.

Shareholders other than the Central Government are entitled to elect upto 3 Directors depending on the percentage of non governmental shareholding in the Bank.

At present, Bank is having two Shareholder's Directors who are also classified as Independent Directors. One Non-Official Director appointed by Government of India is classified as Independent Director.

The Board of Directors of the Bank did not comprise of two Employee Directors required to be nominated by the Government of India under section 9(3)(e) and 9(3) (f) of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970.

In terms of section 9 (3) (g) of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970, the Board

लिए चार्टर्ड एकाउंटेंट रहा हो, जिसे रिज़र्व बैंक के परामर्श के बाद केंद्र सरकार द्वारा नामित किया जाएगा। यह पद 21/06/2019 से रिक्त रहा है।

बैंक के निदेशक मंडल में बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 (3) (एच) के तहत भारत सरकार द्वारा नामित किए जाने वाले तीन निदेशक शामिल नहीं थे।

बैंक अधिकारियों ने बोर्ड स्तर पर विभिन्न रिक्तियों को तत्काल भरने के लिए वित्तीय सेवाएँ विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के साथ बातचीत की है और केंद्र सरकार अन्य निदेशकों को नामित करने की प्रक्रिया में है। भारत सरकार द्वारा निदेशकों की नियुक्ति होने पर रिक्तियों को भरा जाएगा।

सभी बोर्ड बैठकें और आम बैठकें वीडियो या ऑडियो विजुअल मोड के माध्यम से आयोजित की गई थीं और सभी बैठकों के नोटिस ईमेल के माध्यम से भेजे गए थे और बाद के संदर्भ के लिए उचित रिकॉर्डिंग रखी जाती है।

परिचालन द्वारा अनुमोदित संकल्पों सहित बैंक के निदेशक मंडल की बैठकों में लिए गए निर्णयों को सर्वसम्मति से पारित किया गया। समीक्षाधीन अवधि के दौरान निदेशक मंडल के किसी भी सदस्य द्वारा असहमति प्रकट नहीं की गई थी।

हम आगे सूचित करते हैं कि नियमों, कानूनों, विनियमनों एवं दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने तथा निगरानी रखने के लिए बैंक के आकार और परिचालनों के अनुरूप बैंक के पास उचित प्रणाली एवं प्रक्रियाएं उपलब्ध हैं।

हम यह भी रिपोर्ट करते हैं कि लेखा-परीक्षा की अवधि के दौरान:

1. बैंक ने 15 जुलाई, 2022 को वित्त वर्ष 2021-22 के लिए अपनी वार्षिक आम बैठक में आवश्यक बहुमत के साथ निम्नलिखित प्रस्ताव पारित किया।
   - ए. प्रति इक्विटी शेयर रु. 2.00(20%) @ वर्ष 2021-22 के लिए लाभांश घोषित किया।
   - बी. रु. 2500 करोड़ (केवल रु. दो हजार पांच सौ करोड़) तक की राशि ऐसे प्रीमियम पर नकद हेतु प्रत्येक रु. 10 की अंकित मूल्य की नई इक्विटी पूंजी जारी करने की मंजूरी दी।

     तथापि, समीक्षाधीन वर्ष के दौरान इक्विटी पूंजी जारी नहीं की गई है।
2. बैंक ने 28 नवंबर, 2022 को आयोजित अपनी असाधारण बैठक में श्री विश्वनाथ वी शेनॉय को आवश्यक बहुमत के साथ शेयरधारक निदेशक के रूप में नियुक्त किया।
3. बैंक, बासेल III पूंजी विनियमों पर आरबीआई द्वारा जारी आरबीआई मास्टर परिपत्र-बेसल III पूंजी विनियम, आरबीआई/2022-23/12डीओआर.सीएपी.आरईसी.3/21.06.201/2022-23 दिनांक 1 अप्रैल, 2022 के अनुपालन में दिनांक 02.12.2022 को रु 1500 करोड़ की राशि के रु. 1 करोड़ के अंकित मूल्य के डिबेंचर की प्रकृति में प्रतिभूति रहित, अधीनस्थ स्थाई, कर योग्य, पूर्ण रूप से भुगतान किए गए बेसल III अनुपालन वाले 8.57% अतिरिक्त टियर I बॉन्ड आवंटित किए गए हैं।

कृते **आर.एस पडिया एण्ड असोसिएट**
कंपनी सचिव

दिनांक: 22.05.2023
स्थान : मुंबई
यूडीआईएन: F006804E000353656

राजश्री पडिया
एफसीएस: 6804 सीपी:7488

shall have one Director who has been a Chartered Accountant for not less than fifteen years, to be nominated by the Central Government after consultation with the Reserve Bank. The post has been vacant since 21/06/2019.

The Board of Directors of the Bank did not comprise of three Directors required to be nominated by the Government of India under section 9(3)(h) of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970.

The Bank officials have taken up with Department of Financial Services, Ministry of Finance, Government of India for immediate filling up of various vacancies at the Board level and the Central Government is in the process of nominating other Directors. The vacancies shall be filled in as and when the Directors are appointed by Government of India.

All the Board meetings and General meetings were conducted via video or audio visual mode and notices of all the meetings were sent through e-mail and proper recordings are maintained for subsequent reference.

Decisions at the Meetings of the Board of Directors of the Bank, including the resolutions approved through circulations, were resolved unanimously. There were no dissenting views by any member of the Board of Directors during the period under review.

We further report that there are adequate systems and processes in the Bank commensurate with the size and operations of the Bank to monitor and ensure compliance with applicable laws, rules, regulations and guidelines.

We further report that during the audit period:

1. The Bank in its Annual General Meeting for the financial year 2021-22 held on 15th July, 2022 passed the following resolution with requisite majority
   - a. declared dividend for the year 2021-22 @ Rs.2.00 (20%) per equity share.
   - b. Approval to issue Fresh Equity Capital of face value of Rs. 10 each for cash at such premium upto an amount of Rs. 2500 Crore (Rs. Two Thousand Five Hundred Crore only)

     However no issue of Equity Capital has been undertaken during the year under review.
2. The Bank in its Extraordinary Meeting held on 28th November, 2022 appointed Mr. Vishwanath V Shenoy as a Shareholder's Director with requisite majority.
3. The Bank, in compliance with RBI Master Circular – Basel III Capital Regulations, RBI/2022-23/12DOR.CAP.REC.3/21.06.201/2022-23 dated April 1, 2022 issued by Reserve Bank of India (RBI) on Basel III Capital Regulations, has allotted Unsecured, Subordinate Perpetual, Taxable, fully paid-up Basel III compliant 8.57% Additional Tier I Bonds in the nature of debentures of face value of Rs.1 Crore each amounting to Rs. 1500 crore on 02.12.2022.

For **R.S. Padia & Associates**
Company Secretaries

Date: 22.05.2023
Place: Mumbai
Udin: F006804E000353656

Rajshree Padia
FCS: 6804; CP: 7488

31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए सचिवीय लेखा-परीक्षा रिपोर्ट का अनुलग्नक-1

सेवा में,

सदस्यगण, बैंक ऑफ़ इंडिया,

सम तिथि की हमारी सचिवीय लेखा-परीक्षा रिपोर्ट को इस पत्र के साथ पढ़ा जाए।

1. बैंक ऑफ़ इंडिया (बैंक) के लिए लागू सभी नियमों, कानूनों, विनियमनों, मानकों के प्रावधानों का अनुपालन करना बैंक प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जांच सचिवीय लेखा-परीक्षा रिपोर्ट जारी करने के प्रयोजन से परीक्षण जांच आधार पर रिकॉर्ड्स और कार्यप्रणाली के सत्यापन तक सीमित थी।
2. सचिवीय तथा अन्य लागू नियमों के रिकॉर्डस् का रखरखाव बैंक प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी बैंक द्वारा आवश्यकतानुसार स्पष्टीकरणों सहित रखे गए तथा प्रस्तुत किए गए प्रासंगिक रिकॉर्ड्स की लेखा-परीक्षा पर आधरित, सचिवीय लेखा-परीक्षा रिपोर्ट जारी करना एवं जहाँ अपेक्षित हो स्पष्टीकरण प्रस्तुत करना है।
3. हमने उन लेखा कार्य प्रणालियों एवं प्रक्रियाओं का पालन किया है जो सचिवीय रिकॉर्ड की विषय-वस्तु की सटीकता के बारे में तर्कसंगत, आश्वासन प्राप्त करने हेतु उपयुक्त हैं। सचिवीय तथा हमें प्रस्तुत अन्य रिकॉर्ड्स में सही तथ्य दर्शाए गए हैं यह सुनिश्चित करने के लिए परीक्षण जांच आधार पर सत्यापन किया गया है। हमें विश्वास है कि सचिवीय रिपोर्ट जारी करने के लिए, हमारे द्वारा पालन की गई प्रक्रियाएँ एवं कार्यप्रणालियाँ हमारी राय हेतु तर्कसंगत आधार उपलब्ध कराती है।
4. हमने कंपनी के वित्तीय रिकॉर्ड और खाता बहियों की सटीकता एवं उपयुक्तता का सत्यापन नहीं किया है।
5. जहाँ भी अपेक्षित था, हमने विधि, नियम एवं विनियमों तथा लेखा-परीक्षा अवधि के दौरान घटित घटनाओं के संबंध में प्रबंधन का कथन प्राप्त किया है।

कृते **आर.एस पडिया एण्ड असोसिएटस्**
कंपनी सचिव

दिनांक: 22.05.2023
स्थान : मुंबई
यूडीआईएन: F006804E000353656

राजश्री पडिया
एफसीएस: 6804 सीपी:7488

नोट: हाइब्रिड मोड़ के माध्यम से प्रदान किए गए स्पष्टीकरणों के साथ दस्तावेजों, अभिलेखों और जानकारी के आधार पर वार्षिक सचिवीय लेखा परीक्षा की गयी थी।

Annexure-I to the Secretarial Audit Report for the Financial Year Ended 31st March 2023

To,

The Members of Bank of India,

Our Secretarial Audit Report of even date is to be read along with this letter.

1. The Compliances of provisions of all laws, rules, regulations, standards applicable to Bank of India (The Bank) is the responsibility of the Management of the Bank. Our Examination was limited to the verification of records and procedures on test check basis for the purpose of the issue of the Secretarial Audit report.
2. Maintenance of the secretarial and other records of the applicable laws is the responsibility of the management of the Bank. Our responsibility is to issue Secretarial Audit Report, based on the audit of the relevant records maintained and furnished to us by the Bank, along with the explanations where so required.
3. We have followed the audit practices and process as were appropriate to obtain reasonable assurance about the correctness of the contents of the Secretarial Records. The verification was done on test basis to ensure that correct facts are reflected in Secretarial Records. The verification was done on test check basis to ensure that correct facts as reflected in secretarial and other records produced to us. We believe that the process and practices we followed, provides reasonable basis for our opinion for the purpose of issue of the Secretarial Audit Report.
4. We have not verified the correctness and appropriateness of Financial Records and Books of Accounts of the Company.
5. Wherever required, we have obtained the Management representation about the Compliance of laws, rules and regulations and happening of events during the Audit period.

For **R.S. Padia & Associates**
Company Secretaries

Date: 22.05.2023
Place: Mumbai
Udin: F006804E000353656

Rajshree Padia
FCS: 6804; CP: 7488

Note: Annual Secretarial audit was conducted based on the documents, records and information along with explanations provided through hybrid mode.

सीईओ/सीएफओ प्रमाणीकरण

प्रति,
निदेशक मंडल,
बैंक ऑफ़ इंडिया,
मुंबई

विषय: सेबी (एलओडीआर) विनियमन-2015 के विनियम 17(8) तथा अनुसूची II भाग बी के अंतर्गत प्रमाणपत्र

एतद्-द्वारा हम प्रमाणित करते हैं कि :

(क) हमने संबंधित वर्ष (2022-23) की वित्तीय विवरणियों तथा नकद प्रवाह विवरणियों की समीक्षा की है और हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार :

(i) इन विवरणियों में तात्विक रूप से कोई गलत विवरण नहीं दिया गया है या इनमें कोई महत्वपूर्ण तथ्य नहीं छोड़ा गया है या इसमें कोई ऐसे कथन नहीं हैं जो भ्रामक हों।

(ii) ये सभी विवरणियां कुल मिलाकर बैंक की गतिविधियों की सही और उचित स्थिति दर्शाती हैं और ये वर्तमान लेखांकन मानकों, लागू नियमों और विनियमों का अनुपालन करते हैं।

(ख) हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार, बैंक ने वर्ष के दौरान ऐसा कोई संव्यवहार नहीं किया है जो धोखाधड़ीपूर्ण हो, अवैध हो अथवा बैंक की आचार संहिता का उल्लंघन करता हो।

(ग) हम वित्तीय रिपोर्टिंग हेतु आंतरिक नियम की स्थापना एवं रखरखाव की जिम्मेदारी और वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित बैंक की आंतरिक नियंत्रण व्यवस्था की प्रभावकारिता का मूल्यांकन करना स्वीकार करते हैं और ऐसे आंतरिक नियंत्रणों के परिचालन अथवा डिजाइन में कमियों का प्रकटन, यदि कोई हो, लेखा-परीक्षक और लेखा-परीक्षा समिति के समक्ष किया गया है जिसके बारे में हमें जानकारी है और इन कमियों को सुधारने के प्रयोजन से हमने कदम उठाए हैं या कदम उठाया जाना प्रस्तावित है।

(घ) हमने लेखा-परीक्षकों और लेखा-परीक्षा समितियों को यह सूचित किया है :

(i) वर्ष के दौरान वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण में महत्वपूर्ण परिवर्तन

(ii) वर्ष के दौरान लेखांकन नीतियों में महत्वपूर्ण परिवर्तन और उनका प्रकटन वित्तीय विवरणियों की टिप्पणियों में किया गया है; तथा

(iii) ऐसी किसी बड़ी धोखाधड़ी की हमें जानकारी मिली हो तथा जिसमें प्रबंधन अथवा कोई कर्मचारी शामिल हो जिसकी वित्तीय रिपोर्टिंग पर बैंक के आंतरिक नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका हो।

कृते बैंक ऑफ इंडिया

(शंकर सेन)
महाप्रबंधक एवं
मुख्य वित्तीय अधिकारी

(रजनीश कर्नाटक)
प्रबंध निदेशक एवं
मुख्यकार्यपालक अधिकारी

स्थान: मुंबई
दिनांक: 06.05.2023

CEO / CFO CERTIFICATION

To
Board of Directors,
Bank of India,
Mumbai
Dear Sir,

Re: Certificate Under Regulation 17(8) & Schedule II Part B of SEBI (LODR) Regulations, 2015

This is to certify that

(a) We have reviewed financial statements and the cash flow statement for the year (2022-23) and that to the best of our knowledge and belief

(i) these statements do not contain any materially untrue statement or omit any material fact or contain statements that might be misleading

(ii) these statements together present a true and fair view of the Bank's affairs and are in compliance with existing accounting standards, applicable laws and regulations.

(b) There are, to the best of our knowledge and belief, no transactions entered into by the Bank during the year which are fraudulent, illegal or violative of the Bank's code of conduct.

(c) We accept responsibility for establishing and maintaining internal controls for financial reporting and that we have evaluated the effectiveness of the internal control systems of the Bank pertaining to financial reporting and we have disclosed to the auditors and the Audit Committee, deficiencies in the design or operation of internal controls, if any, of which we were aware and the steps we have taken or propose to take to rectify these deficiencies.

(d) We have indicated to the auditors and the Audit Committee –

(i) significant changes in internal control over financial reporting during the year

(ii) significant changes in accounting policies during the year and that the same have been disclosed in the notes to the financial statements; and

(iii) Instances of significant fraud of which we have become aware and the involvement therein, if any, of the management or an employee having a significant role in the Bank's internal control system over financial reporting.

For Bank of India

(Sankar Sen)
General Manager &
Chief Financial Officer

(Rajneesh Karnatak)
Managing Director &
Chief Executive Officer

Place: Mumbai
Date: 06.05.2023

मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा घोषणा

बैंक ने सभी निदेशकों और कोर प्रबंधन के लिए आचार संहिता निर्धारित की है, जिसका पाठ बैंक की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया गया है। निदेशकों एवं कोर प्रबंधन ने 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए इस आचार संहिता के अनुपालन की पुष्टि की है।

स्थान : मुंबई
दिनांक : 06.05.2023

(रजनीश कर्नाटक)
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी

DECLARATION BY CEO

Bank has laid down a Code of Conduct for all the Directors and Core Management of the Bank, the text of which is posted on the Bank's website. The Directors and Core Management has affirmed compliance with the Code of Conduct for the financial year ended 31st March, 2023.

Place: Mumbai
Date: 06.05.2023

(Rajneesh Karnatak)
Managing Director &
Chief Executive Officer

हमारे बैंक में सत्यनिष्ठा संधि (आईपी) को अपनाना और कार्यान्वित करना

केन्द्रीय सतर्कता आयोग ने सरकारी संगठनों, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, बीमा कंपनियों, अन्य वित्तीय संस्थाओं और स्वायत्त निकायों आदि द्वारा सभी प्रमुख खरीदों के संबंध में स्वतंत्र बाह्य निगरानीकर्ताओं (आईईएम) के माध्यम से इसके कार्यान्वयन के लिए सत्यनिष्ठा संधि (आईपी) के आवश्यक अवयवों को रेखांकित करते हुए परिचालन प्रक्रिया (एसओपी) तैयार की है।

हमारे बैंक ने सीवीसी के अनुमोदन से 28.08.2018 से नियुक्त आईईएम के माध्यम से हमारे बैंक में आईपी का कार्यान्वयन शुरू किया। हमारे बैंक की वस्तुओं और सेवाओं की सभी खरीद (अनुमानित मूल्य रु. 1.0 करोड़ और उससे अधिक) की आईईएम द्वारा तिमाही आधार पर समीक्षा की गई है। हमारे बैंक के लिए वर्तमान आईईएम (28.08.2021 से) निम्नानुसार हैं:

	आईईएम-1	आईईएम-2
नाम	श्री पी.के. दाश, आईएएस (सेवानिवृत्त)	श्री सलिल कुमार झा, पूर्व-एमडी एचएएल
पता	एच-83, बागमुगलिया एक्स्टेंसन लाहरपुर डैम के पास भोपाल- 462043	सी 300, एसकेएस फ्लैट्स, शेख सराय फेज -1 नई दिल्ली - 110017
संपर्क विवरण	ईमेल: pkdash81@gmail.com	ईमेल: skjha_lck@rediffmail.com

Adoption and Implementation of Integrity Pact (IP) in our Bank.

Central Vigilance Commission has prepared the Standard Operative Procedure (SOP) outlining the essential ingredients of Integrity Pact (IP) for implementation of the same through Independent External Monitors (IEMs) in respect of all major procurements by the Govt. organizations, Public Sector Enterprises, Public Sector Banks, Insurance Companies, Other Financial Institutions and Autonomous bodies etc.

Our Bank started implementation of IP in our Bank through IEMs appointed w.e.f. 28.08.2018 with the approval of CVC. Our Bank's all procurement of goods and services (estimated value Rs. 1.0 Crore and above) have been reviewed by the IEMs on quarterly basis. Present IEMs for our Bank (w.e.f 28.08.2021) are as under:

	IEM-1	IEM-2
Name	Shri P.K. Dash, IAS (Retired)	Shri Salil Kumar Jha, Ex-MD HAL
Address	H-83, Bagmugalia Extension Near Laharpur Dam Bhopal - 462 043	C 300, SKS Flats, Sheikh Sarai, Phase-1 New Delhi - 110017
Contact details	E-mail: pkdash81@gmail.com	E-mail: skjha_lck@rediffmail.com

बैंक ऑफ़ इंडिया

तुलन-पत्र

यथा 31 मार्च, 2023

एवं

लाभ एवं हानि खाता

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष हेतु

BANK OF INDIA

BALANCE SHEET

As at 31st March, 2023

&

PROFIT AND LOSS ACCOUNT

For the Year Ended 31st March, 2023

तुलन-पत्र यथा 31 मार्च, 2023
BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH, 2023

(000's छोड़े गए हैं 000's Omitted)

विवरण	Particulars	अनुसूची सं. Schedule No.	यथा As at 31-03-2023 ₹	यथा As at 31-03-2022 ₹
I. पूँजी एवं देयताएं	CAPITAL AND LIABILITIES			
पूंजी	Capital	1	41,043,052	41,043,052
आरक्षिती एवं अधिशेष	Reserves & Surplus	2	548,663,088	510,269,339
जमाराशियां	Deposits	3	6,695,857,713	6,278,959,591
उधार	Borrowings	4	649,790,232	267,603,666
अन्य देयताएं एवं प्रावधान	Other liabilities and provisions	5	220,202,058	248,264,475
कुल	**TOTAL**		**8,155,556,143**	**7,346,140,123**
II. आस्तियां	ASSETS			
भारतीय रिज़र्व बैंक में नकद एवं शेष	Cash and balances with Reserve Bank of India	6	440,345,054	402,805,778
बैंकों में शेष एवं मांग पर और अल्प सूचना पर	Balances with Banks and money at call and short notice	7	403,608,131	512,770,611
निवेश	Investments	8	2,043,978,771	1,744,484,066
अग्रिम	Advances	9	4,858,996,352	4,208,417,907
अचल आस्तियां	Fixed Assets	10	99,610,019	97,749,535
अन्य आस्तियां	Other Assets	11	309,017,816	379,912,226
कुल	**TOTAL**		**8,155,556,143**	**7,346,140,123**
आकस्मिक देयताएं	Contingent Liabilities	12	3,789,703,359	4,231,982,122
वसूली के लिए बिल	Bills for collection		291,747,325	276,009,290
विशेष लेखा नितियां	Significant Accounting Policies	17		
लेखे पर नोट	Notes to Accounts	18		

ऊपर बताई गई अनुसूचियां तुलन-तत्र का अभिन्न अंग है।
The schedules referred to above form an integral part of the Balance Sheet.
बैंककारी विनिमयन अधिनियम, 1949 की तीसरी अनुसूची के फार्म ए के अनुसार तुलन-पत्र तैयार किया गया है।
The Balance Sheet has been prepared in conformity with Form `A' of the Third Schedule to the Banking Regulation Act, 1949.

शंकर सेन
Sankar Sen
महाप्रबंधक और मुख्य वित्तीय अधिकारी
General Manager & Chief Financial Officer

शिव बजरंग सिंह
Shiv Bajrang Singh
मुख्य महाप्रबंधक
Chief General Manager

सुब्रत कुमार
Subrat Kumar
कार्यपालक निदेशक
Executive Director

एम.कार्तिकेयन
M. Karthikeyan
कार्यपालक निदेशक
Executive Director

स्वरूप दासगुप्ता
Swarup Dasgupta
कार्यपालक निदेशक
Executive Director

पी आर राजगोपाल
P. R. Rajagopal
कार्यपालक निदेशक
Executive Director

रजनीश कर्नाटक
Rajneesh Karnatak
प्रबंध निदेशक एवं सीईओ
Managing Director & CEO

निदेशकगण DIRECTORS

डॉ. भूषण कुमार सिन्हा **Dr. Bhushan Kumar Sinha**
सुब्रत दास **Subrata Das**
वेणी थापर **Veni Thapar**
मुनीष कुमार रल्हन **Munish Kumar Ralhan**
वी वी शेनॉय **V V Shenoy**

सम तिथि की हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार In terms of our report of even date attached

कृते वी शंकर अय्यर एंड कंपनी
For V Sankar Aiyar & Co.
सनदी लेखाकार Chartered Accountants
(एफआरएन 109208 डब्ल्यू) (FRN:109208W)

आशा पटेल Asha Patel
भागीदार Partner
(एम. नं. 166048) M. No.166048

कृते लक्ष्मी तृप्ति एंड एसोसिएट्स
For Laxmi Tripti & Associates
सनदी लेखाकार Chartered Accountants
(एफआरएन 009189 सी) (FRN: 009189C)

सुनील अग्रवाल Sunil Agarwal
भागीदार Partner
(एम. नं. 103066) M. No.103066

कृते मुकुंद एम चितले एंड कंपनी
For Mukund M Chitale & Co.
सनदी लेखाकार Chartered Accountants
(एफआरएन 106655 डब्ल्यू) (FRN: 106655W)

नीलेश आर एस जोशी Nilesh RS Joshi
भागीदार Partner
(एम. नं. 114749) M. No. 114749

स्थान : मुंबई / Place : Mumbai
दिनांक : 06 मई, 2023 / Date : May 06, 2023

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष का लाभ एवं हानि खाता
PROFIT AND LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2023

(000's छोड़े गए हैं 000's Omitted)

विवरण	Particulars	अनुसूची सं. Schedule No.	को समाप्त वर्ष For the Year ended 31-03-2023 ₹	को समाप्त वर्ष For the Year ended 31-03-2022 ₹
I. आय	INCOME			
अर्जित आय	Interest Earned	13	**476,477,223**	380,758,259
अन्य आय	Other income	14	**70,998,904**	78,787,317
कुल	TOTAL		**547,476,127**	**459,545,576**
II. व्यय	EXPENDITURE			
व्यय किया गया	Interest expended	15	**273,728,195**	240,137,287
परिचालगत व्यय	Operating expenses	16	**139,821,724**	119,523,743
प्रावधान एवं आकस्मिकताएं	Provisions & Contingencies		**93,696,808**	65,837,588
कुल	TOTAL		**507,246,727**	**425,498,618**
III. लाभ/(हानि)	PROFIT/(LOSS)			
वर्ष के लिए निवल लाभ/(हानि)	Net Profit/(Loss) for the year		**40,229,400**	34,046,958
जोडें : आगे लाया गया लाभ/(हानि)	Add: Profit/(Loss) brought forward		**19,986,503**	-
कुल	TOTAL		**60,215,903**	**34,046,958**
IV. विनियोजन	APPROPRIATIONS			
सांविधिक आरक्षितियों को अंतरण	Transfer to Statutory Reserve		**10,060,000**	8,520,000
निवेश घट-बढ आरक्षिति को अंतरण	Transfer to Investment Fluctuation Reserve		**1,514,286**	2,537,920
निवेश आरक्षिति खाते में अंतरण	Transfer to Investment Reserve Account		**3,807,815**	-
राजस्व आरक्षिति को/(से) अंतरण	Transfer to Revenue Reserve		**-**	-
पूंजी आरक्षितियों को अंतरण	Transfer to Capital Reserve		**-**	3,002,535
लाभांश का भुगतान	Dividend paid		**8,207,132**	-
आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36 (1) (viii) के तहत विशेष आरक्षिति का अंतरण	Transfer to Special Reserve u/s Sec 36(1) (viii) of Income Tax Act,1961		**-**	-
लाभ और हानि खाते में शेष	Balance in Profit and Loss Account		**36,626,670**	19,986,503
कुल	TOTAL		**60,215,903**	**34,046,958**
महत्वपूर्ण लेखांकित नीतियां	Significant accounting policies	17		
लेखां पर टिप्पणियां	Notes to Accounts	18		
प्रति शेयर आय (मूल एवं तनुकृत)	Earnings Per Share (Basic and Diluted) (₹)		**9.80**	**8.84**

ऊपर बताई गई अनुसूचियां तुलन-तत्र का अभिन्न अंग है।
The schedules referred to above form an integral part of the Profit and Loss Account.
बैंककारी विनिमयन अधिनियम, 1949 की तीसरी अनुसूची के फार्म बी के अनुसार तुलन-पत्र तैयार किया गया है।
The Profit and Loss Account has been prepared in conformity with Form `B' of the Third Schedule to the Banking Regulation Act, 1949.

शंकर सेन
Sankar Sen
महाप्रबंधक और मुख्य वित्तीय अधिकारी
General Manager & Chief Financial Officer

शिव बजरंग सिंह
Shiv Bajrang Singh
मुख्य महाप्रबंधक
Chief General Manager

सुब्रत कुमार
Subrat Kumar
कार्यपालक निदेशक
Executive Director

एम.कार्तिकेयन
M. Karthikeyan
कार्यपालक निदेशक
Executive Director

स्वरुप दासगुप्ता
Swarup Dasgupta
कार्यपालक निदेशक
Executive Director

पी आर राजगोपाल
P. R. Rajagopal
कार्यपालक निदेशक
Executive Director

रजनीश कर्नाटक
Rajneesh Karnatak
प्रबंध निदेशक एवं सीईओ
Managing Director & CEO

निदेशकगण DIRECTORS

डॉ. भूषण कुमार सिन्हा **Dr. Bhushan Kumar Sinha**

सुब्रत दास **Subrata Das**

वेणी थापर **Veni Thapar**

मुनीष कुमार रल्हन **Munish Kumar Ralhan**

वी वी शेनॉय **V V Shenoy**

सम तिथि की हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार In terms of our report of even date attached

कृते वी शंकर अय्यर एंड कंपनी
For V Sankar Aiyar & Co.
सनदी लेखाकार Chartered Accountants
(एफआरएन 109208 डब्ल्यू) (FRN:109208W)

कृते लक्ष्मी तृप्ति एंड एसोसिएट्स
For Laxmi Tripti & Associates
सनदी लेखाकार Chartered Accountants
(एफआरएन 009189 सी) (FRN: 009189C)

कृते मुकुंद एम चितले एंड कंपनी
For Mukund M Chitale & Co.
सनदी लेखाकार Chartered Accountants
(एफआरएन 106655 डब्ल्यू) (FRN: 106655W)

आशा पटेल Asha Patel
भागीदार Partner
(एम. नं. 166048) M. No.166048

सुनील अग्रवाल Sunil Agarwal
भागीदार Partner
(एम. नं. 103066) M. No.103066

नीलेश आर एस जोशी Nilesh RS Joshi
भागीदार Partner
(एम. नं. 114749) M. No. 114749

स्थान : मुंबई / Place : Mumbai
दिनांक : 06 मई, 2023 / Date : May 06, 2023

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह का विवरण
Statement of Cash Flow for the year ended 31st March, 2023

(000's छोड़े गए हैं 000's Omitted)

विवरण		Particulars	वर्षान्त/ Year ended 31-03-2023 ₹	वर्षान्त Year ended 31-03-2022 ₹
क. परिचालनगत गतिविधियों से नकदी प्रवाह:	A.	**Cash Flow from Operating Activities:**		
कर के पहले निवल लाभ		**Net Profit before taxes**	62,293,107	55,667,484
निम्नलिखित के लिए समायोजन:		**Adjustments for:**		
निवेशों पर परिशोधन/मूल्यह्रास		Amortisation/Depreciation on Investments	13,567,140	6,166,144
(लाभ)/निवेशों के पुनर्मूल्यांकन पर हानि (निष्पादित निवेशों पर मूल्यह्रास सहित)		(Profit)/Loss on Revaluation of investments (including depreciation on performing investments)	(15,745,053)	3,522,575
अचल आस्तियों पर मूल्यह्रास		Depreciation on Fixed Assets	4,209,160	3,635,111
अचल आस्तियों की बिक्री पर (लाभ)/हानि		(Profit)/Loss on sale of Fixed Asset	(1,340,510)	(7,938)
एनपीए के लिए प्रावधान		Provision for NPAs	36,018,530	29,429,505
मानक आस्तियों के लिए प्रावधान		Provision for Standard Assets	16,545,565	9,013,825
अन्य मदों के लिए प्रावधान		Provision for Other items	69,91,403	1,800,120
एटी 1 और टियर 2 बॉन्ड पर ब्याज (अलग से गिना जाता है)		Interest on AT 1 & Tier II Bonds (treated separately)	6,971,690	7,038,868
अनुषंगियों/संयुक्त उद्यमों/सहायक कंपनियों से प्राप्त लाभांश		Dividend received from Subsidaries/Joint Ventures/ Associates	(212,456)	(184,462)
निम्नलिखित के लिए समायोजन:		**Adjustments for:**		
जमाराशियों में वृद्धि/(कमी)		Increase / (Decrease) in Deposits	416,898,122	7,823,990
उधारियों में वृद्धि/(कमी)		Increase/ (Decrease) in Borrowings	367,186,566	(50,037,389)
अन्य देयताओं और प्रावधानों में वृद्धि / (कमी)		Increase / (Decrease) in Other Liabilities & Provisions	(47,181,331)	54,715,621
निवेश में (वृद्धि)/कमी		(Increase) / Decrease in Investments	(288,689,127)	121,399,571
अग्रिमों में (वृद्धि)/कमी		(Increase) / Decrease in Advances	(686,596,975)	(580,982,173)
अन्य आस्तियों में (वृद्धि)/कमी		(Increase) / Decrease in Other Assets	46,941,198	(16,553,919)
प्रत्यक्ष कर (भुगतान)/वापसी		Taxes (Paid) / Refund	4,148,792	(5,609,666)
परिचालनगत गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह (ए)		**Net Cash Flow from Operating Activities (A)**	**(57,994,179)**	**(353,162,732)**
ख. निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह	B.	**Cash Flow from Investing Activities :**		
अचल आस्तियों की खरीद		Purchase of Fixed Assets	(6,419,407)	(5,691,277)
अचल आस्तियों की बिक्री		Sale of Fixed Assets	1,384,412	204,117
अनुषंगियों/संयुक्त उद्यमों/सहायक कंपनियों में बिक्री/मोचन/(अतिरिक्त) निवेश (निवल)		Sale / Redemption / (Additional) investment in Subsidiaries/Jt Ventures/Associates (Net)	(8,627,665)	(3,043,900)
अनुषंगियों, संयुक्त उद्यम और सहायक कंपनियों से प्राप्त लाभांश		Dividend received from Subsidiaries, Joint Venture & Associates	212,457	184,462
निवेश गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह (बी)		**Net Cash Flow from Investing Activities (B)**	**(13,450,203)**	**(8,346,599)**
निवेश गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह (ख)	C.	**Cash Flow from Financing Activities:**		
ग. वित्तपोषण गतिविधियों से नकदी प्रवाह:		Share Capital	-	4,054,719
शेयर पूंजी		Share Premium	-	21,263,185
शेयर प्रीमियम		Share Application	-	-
शेयर आवेदन		Issue/(redemption) of Tier I & Tier II Capital bonds (Net)	15,000,000	(7,000,000)
लाभांश (अंतरिम और अंतिम) का भुगतान		Dividend (Interim & Final) paid	(8,207,132)	-
एटी 1 और टियर 2 बॉन्ड पर ब्याज		Interest on AT 1 & Tier II Bonds	(6,971,690)	(7,038,868)
वित्तपोषण गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह (सी)		**Net Cash Flow from Financing Activities (C)**	**(178,822)**	**11,279,036**
नकदी और नकदी समतुल्य में निवल वृद्धि (ए) + (बी) + (सी)		**Net Increase in Cash & Cash Equivalents (A)+(B)+(C)**	**(71,623,204)**	**(350,230,296)**

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह का विवरण
Statement of Cash Flow for the year ended 31st March, 2023

(000's छोड़े गए हैं 000's Omitted)

विवरण	Particulars	वर्षान्त/ Year ended 31-03-2023 ₹	वर्षान्त Year ended 31-03-2022 ₹
वर्ष के आरंभ में नकदी और नकदी समतुल्य	**Cash and Cash Equivalents as at the beginning of the year**	**915,576,389**	**1,265,806,685**
वर्ष की समाप्ति पर नकदी और नकदी समतुल्य	**Cash and Cash Equivalents as at the end of the year**	**843,953,185**	**915,576,389**
वर्ष की समाप्ति पर नकदी और नकदी समतुल्यों का मिलान	**Reconciliation of Cash and Cash Equivalents as at the end of the year**		
भारतीय रिजर्व बैंक के पास नकदी और शेष (अनुसूची 6)	Cash and balances with Reserve Bank of India (Schedule 6)	440,345,054	402,805,778
बैंकों में शेष और मांग पर एवं अल्प सूचना पर प्राप्य धनराशि (अनुसूची 7)	Balances with Banks and money at call and short notice (Schedule 7)	403,608,131	512,770,611
अवधि की समाप्ति पर नकदी और नकदी समतुल्य	**Cash and Cash Equivalents as at the end of the period**	**843,953,185**	**915,576,389**

नकदी प्रवाह विवरणी के अनुसार नकदी और नकदी समतुल्य जिसमें हाथ में नकदी, एटीएम में, आरबीआई और अन्य बैंकों के साथ चालू खाते में शेष (जमा सहित) और मांग पर एवं अल्प सूचना पर प्राप्य धनराशि जिसका नकदी में तुरंत परिवर्तन किया जा सके शामिल हैं।

Cash and cash equivalent as per cash flow statement comprises of cash in hand, in ATM, balances in current account with RBI and other Banks (including deposits) and money at call and short notice which can be readily convertible into cash.

शंकर सेन **Sankar Sen** महाप्रबंधक और मुख्य वित्तीय अधिकारी General Manager & Chief Financial Officer	शिव बजरंग सिंह **Shiv Bajrang Singh** मुख्य महाप्रबंधक Chief General Manager	सुब्रत कुमार **Subrat Kumar** कार्यपालक निदेशक Executive Director	एम.कार्तिकेयन **M. Karthikeyan** कार्यपालक निदेशक Executive Director	स्वरुप दासगुप्ता **Swarup Dasgupta** कार्यपालक निदेशक Executive Director	पी आर राजगोपाल **P. R. Rajagopal** कार्यपालक निदेशक Executive Director	रजनीश कर्नाटक **Rajneesh Karnatak** प्रबंध निदेशक एवं सीईओ Managing Director & CEO

निदेशकगण DIRECTORS

डॉ. भूषण कुमार सिन्हा **Dr. Bhushan Kumar Sinha**	सुब्रत दास **Subrata Das**	वेणी थापर **Veni Thapar**	मुनीष कुमार रल्हन **Munish Kumar Ralhan**	वी वी शेनॉय **V V Shenoy**

सम तिथि की हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार In terms of our report of even date attached

कृते वी शंकर अय्यर एंड कंपनी For V Sankar Aiyar & Co. सनदी लेखाकार Chartered Accountants (एफआरएन 109208 डब्ल्यू) (FRN:109208W)	कृते लक्ष्मी तृप्ति एंड एसोसिएट्स For Laxmi Tripti & Associates सनदी लेखाकार Chartered Accountants (एफआरएन 009189 सी) (FRN: 009189C)	कृते मुकुंद एम चितले एंड कंपनी For Mukund M Chitale & Co. सनदी लेखाकार Chartered Accountants (एफआरएन 106655 डब्ल्यू) (FRN: 106655W)
आशा पटेल Asha Patel भागीदार Partner (एम. नं. 166048) M. No.166048	सुनील अग्रवाल Sunil Agarwal भागीदार Partner (एम. नं. 103066) M. No.103066	नीलेश आर एस जोशी Nilesh RS Joshi भागीदार Partner (एम. नं. 114749) M. No. 114749

स्थान : मुंबई / Place : Mumbai
दिनांक : 06 मई, 2023 / Date : May 06, 2023

तुलनपत्र की अनुसूची
SCHEDULES TO THE BALANCE SHEET

(000's छोड़े गए हैं 000's Omitted)

		यथा As at 31-03-2023 ₹	यथा As at 31-03-2022 ₹
अनुसूची - 1 : पूंजी	**SCHEDULE- 1 : CAPITAL**		
प्राधिकृत पूंजी	**AUTHORISED CAPITAL**		
600,00,00,000 (पिछले वर्ष 600,00,00,000) ₹ 10 प्रत्येक के इक्विटी शेयर	600,00,00,000 (Previous year ended 600,00,00,000) Equity Shares of ₹10 each	**60,000,000**	**60,000,000**
जारी पूंजी	**ISSUED CAPITAL**		
प्रत्येक ₹ 10 के 410,47,43,170 इक्विटी शेयर (विगत वर्ष के अंत में 410,47,43,170)	Equity Shares 410,47,43,170 (Previous year ended 410,47,43,170) of ₹10 each	41,047,432	41,047,432
कुल	**TOTAL**	**41,047,432**	**41,047,432**
अभिदान एवं प्रदत्त पूंजी	**SUBSCRIBED & PAID-UP CAPITAL**		
प्रत्येक ₹ 10 के 410,35,66,070 इक्विटी शेयर (विगत वर्ष के अंत में 410,35,66,070)	410,35,66,070 Equity Shares (Previous year ended 410,35,66,070) of ₹10 each	41,035,661	41,035,661
जोडें: जब्त शेयरों की राशि	Add: Amount of shares forfeited	7,391	7,391
कुल	**TOTAL***	**41,043,052**	**41,043,052**
* उपरोक्त में से प्रत्येक ₹ 10 के 334,08,61,720 इक्विटी शेयर (विगत वर्षांत को 334,08,61,720) पूर्णत: प्रदत्त हैं, जिनकी कीमत 3340.86 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष के अंत में 3340.86 करोड़ रुपये), जिनका स्वामित्व केंद्र सरकार के पास है;	* Of the above, 334,08,61,720 Equity Shares (Previous year ended 334,08,61,720) of ₹10 each fully paid up amounting to ₹3340.86 crore (Previous year ended ₹3340.86 crore) is held by Central Government;		
अनुसूची - 2 : आरक्षितियां और अधिशेष	**SCHEDULE - 2 : RESERVES & SURPLUS**		
I. सांविधिक आरक्षितियां :	**I. Statutory Reserve:**		
प्रारम्भिक शेष	Opening Balance	84,798,842	76,278,842
वर्ष के दौरान संवर्धन	Additions during the year	10,060,000	8,520,000
कुल (I)	**TOTAL (I)**	**94,858,842**	**84,798,842**
II. पूंजी आरक्षितियां :	**II. Capital Reserves:**		
अ. पुनर्मूल्यांकन आरक्षिति :	A) Revaluation Reserve:		
प्रारंभिक शेष	Opening Balance	69,266,159	62,517,920
जोडें : परिसर के पुनर्मूल्यांकन परवर्ष के दौरान जोड़े गए	Add: Addition during the period on Revaluation of Premises	222,192	7,338,808
घटाएं: वर्ष के दौरान समायोजन	Less: Adjustments during the year	(360,150)	(84,766)
घटाएं : राजस्व आरक्षितियां को अंतरित पुनर्मूल्यांकित अचल आस्तियों पर मूल्यह्रास	Less: Depreciation on revalued Fixed Assets transferred to Revenue reserve	888,203	675,335
(अ) का कुल	**Total of (A)**	**68,960,298**	**69,266,159**
ब. अन्य	B) Others:		
निवेश की बिक्री पर लाभ - 'परिपक्वता तक धारित'	i. Profit on sale of Investments - "Held to Maturity"		
प्रारंभिक शेष	Opening Balance	33,520,679	30,518,144
अवधि के दौरान संवर्धन	Additions during the period	-	3,002,535
(i) का उप-जोड़	**Sub-total of (i)**	**33,520,679**	**33,520,679**
विदेशी मुद्रा रूपांतरण आरक्षिती	ii. Foreign Currency Translation Reserve		
प्रारंभिक शेष	Opening Balance	19,857,393	20,485,971
जोड़ें/(घटाएं) : वर्ष के दौरान संवर्धन समायोजन (निवल)	Add/ (Less) : Additions / adjustments during the year (Net)	3,750,944	(628,578)
(ii) का उप-जोड़	**Sub-total of (ii)**	**23,608,337**	**19,857,393**
(ब) का कुल	**Total of (B)**	**57,129,016**	**53,378,072**
कुल (II)	**TOTAL (II)**	**126,089,314**	**122,644,231**

तुलनपत्र की अनुसूची
SCHEDULES TO THE BALANCE SHEET

(000's छोड़े गए हैं 000's Omitted)

		यथा As at 31-03-2023 ₹	यथा As at 31-03-2022 ₹
II. शेयर प्रीमियम :	**III. Share Premium :**		
प्रारंभिक शेष	Opening Balance	162,545,324	115,493,848
जोडें: वर्ष के दौरान संवर्धन	Add: Additions during the year	-	47,233,699
घटाएं: वर्ष के दौरान कटौतियां/उपयोग	Less : Deductions/Utilization during the year	-	182,223
कुल (III)	**TOTAL (III)**	**162,545,324**	**162,545,324**
IV. राजस्व एवं अन्य आरक्षितियां :	**IV. Revenue and Other Reserves :**		
i) राजस्व आरक्षिति :	i) Revenue Reserve :		
प्रारंभिक शेष	Opening Balance	84,818,508	85,846,523
जोडें : वर्ष के दौरान संवर्धन	Add: Additions during the year	2926,398	1,026,852
घटाएं: वर्ष के दौरान कटौतियां	Less: Deductions during the year	-	2,054,867
का उप-जोड	**Sub-total of IV(i)**	**87,744,906**	**84,818,508**
ii) निवेश आरक्षिती खाता	ii) Investment Reserve Account:		
प्रारंभिक शेष	Opening Balance	-	-
जोडें : वर्ष के दौरान संवर्धन	Add: Additions during the year	3,807,815	-
घटाएं: वर्ष के दौरान कटौतियां	Less: Deductions during the year	-	-
का उप-जोड	**Sub-total of IV(ii)**	**3,807,815**	**-**
iii) निवेश उतार-चढ़ाव आरक्षिती	iii) Investment Fluctuation Reserve :		
प्रारंभिक शेष	Opening Balance	9,275,931	6,738,011
जोडें : वर्ष के दौरान संवर्धन	Add: Additions during the year	1,514,286	2,537,920
घटाएं: वर्ष के दौरान कटौतियां	Less: Deductions during the year	-	-
IV(iii) का उप-जोड	**Sub-total of IV(iii)**	**10,790,217**	**9,275,931**
iv) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत विशेष आरक्षिती	iv) Special Reserve u/s Sec 36(1)(viii) of Income Tax Act, 1961		
प्रारंभिक शेष	Opening Balance	26,200,000	26,200,000
जोडें : वर्ष के दौरान संवर्धन	Additions during the year	-	-
IV(iv) का उप-जोड	**Sub-total of IV(iv)**	**26,200,000**	**26,200,000**
कुल (IV)	**TOTAL (IV)**	**128,542,938**	**120,294,439**
V. लाभ-हानि खाते में शेष :	**V. Balance in Profit and Loss Account :**	**36,626,670**	**19,986,503**
कुल (I TO V)	**TOTAL (I TO V)**	**548,663,088**	**510,269,339**
अनुसूची - 3 : जमाराशियां	**SCHEDULE - 3 : DEPOSITS**		
ए. I. मांग जमाराशियां :	**A. I. Demand Deposits :**		
i) बैंकों से	i) From Banks	13,155,027	8,453,986
ii) अन्य से	ii) From Others	336,260,434	341,372,366
कुल (I)	**TOTAL (I)**	**349,415,461**	**349,826,352**
II. बचत बैंक जमाराशियां	**II. Savings Bank Deposits**	**222,2,777,608**	**2,166,813,869**
III. मीयादी जमाराशियां :	**III. Term Deposits :**		
i) बैंकों से	i) From Banks	501,172,088	362,297,362
ii) अन्य से	ii) From Others	3,622,492,556	3,400,022,008
कुल (III)	**TOTAL (III)**	**4,123,664,644**	**3,762,319,370**
कुल ए (I to III)	**TOTAL A (I to III)**	**6,695,857,713**	**6,278,959,591**
ब. i) भारत में शाखाओं की जमाराशियां	B. i) Deposits of branches in India	5,670,627,884	5,508,327,657
ii) भारत से बाहर की शाखाओं की जमाराशियां	ii) Deposits of branches outside India	1,025,229,829	770,631,934
कुल (ब)	**TOTAL (B)**	**6,695,857,713**	**6,278,959,591**

तुलनपत्र की अनुसूची
SCHEDULES TO THE BALANCE SHEET

(000's छोड़े गए हैं 000's Omitted)

		यथा As at 31-03-2023 ₹	यथा As at 31-03-2022 ₹
अनुसूची - 4 : उधार	**SCHEDULE - 4 : BORROWINGS**		
I. भारत में उधार:	I. Borrowings in India:		
i. भारतीय रिज़र्व बैंक	i. Reserve Bank of India	26,920,000	35,190,000
ii. अन्य बैंक	ii. Other Banks		
ए. टियर I पूँजी	a. Tier I Capital	7,540,000	4,020,000
बी. टियर II पूँजी	b. Tier II Capital	3,370,000	3,140,000
सी. अन्य	c. Others	89,565	521,400
कुल (ii)	Total (ii)	**10,999,565**	**7,681,400**
III) अन्य संस्थाएं और अधिकरण	III) Other Institutions and Agencies		
ए. टियर I पूँजी	a. Tier I Capital	20,980,000	9,500,000
बी. टियर II पूँजी	b. Tier II Capital	59,630,000	59,860,000
सी. अन्य	c. Others	503,773,826	152,812,119
कुल (iii)	Total (iii)	**584,383,826**	**222,172,119**
कुल (i)	Total (I)	**622,303,391**	**265,043,519**
II. भारत के बाहर से उधार	II. Borrowings outside India		
ए. टियर I पूँजी	a. Tier I Capital	-	-
बी. अपर टियर II पूँजी	b. Upper Tier II Capital	-	-
सी. अन्य	c. Others	**27,486,841**	2,560,147
कुल (II)	Total (II)	**27,486,841**	**2,560,147**
कुल (I & II)	Total (I & II)	**649,790,232**	**267,603,666**
उपरोक्त I और II में सम्मिलित प्रतिभूत उधार	Secured borrowings included in I & II above	**220,825,176**	**136,472,904**
अनुसूची - 5 : अन्य देयताएं एवं प्रावधान	**SCHEDULE - 5 : OTHER LIABILITIES AND PROVISIONS**		
I. देय बिल	I. Bills Payable	16,225,591	17,110,211
II. अंतर कार्यालय समायोजन (निवल)	II. Inter-office adjustments (net)	-	-
III. उपार्जित आय	III. Interest Accrued	25,651,647	17,395,308
IV. आस्थगित कर देयता	IV. Deferred Tax liability	-	4,669
V. अन्य (प्रावधान सहित)	V. Others (Including Provisions)	178,324,820	213,754,287
कुल	TOTAL	**220,202,058**	**248,264,475**

* ₹52,524,117 की मानक आस्तियों के लिए प्रावधान शामिल है (पिछले वर्ष ₹ 36,381,717)
* Includes provision for Standard Assets ₹ 52,524,117 (Previous Year ₹ 36,381,717)

		यथा As at 31-03-2023 ₹	यथा As at 31-03-2022 ₹
अनुसूची-6 भारतीय रिज़र्व बैंक के पास नकद एवं शेषराशि	**SCHEDULE - 6 : CASH AND BALANCES WITH RESERVE BANK OF INDIA**		
I. हाथ में नकदी (विदेशी मुद्रा सहित)	I. Cash in hand (including foreign currency notes)	**21,343,258**	**24,244,922**
II. रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया के पास शेषराशि :*	II. Balances with Reserve Bank of India : *		
i) चालू खातों में	i) In Current Account	365,182,605	333,560,856
ii) अन्य खातों में	ii) In Other Accounts	53,819,191	45,000,000
कुल (II)	TOTAL (II)	**419,001,796**	**378,560,856**
कुल (I & II)	TOTAL (I & II)	**440,345,054**	**402,805,778**

*भारत के बाहर के केंद्रीय बैंकों के पास शेषराशि

* Including balances with Central Banks outside India

तुलनपत्र की अनुसूची
SCHEDULES TO THE BALANCE SHEET

(000's छोड़े गए हैं 000's Omitted)

		यथा As at 31-03-2023 ₹	यथा As at 31-03-2022 ₹
अनुसूची - 7 : बैंकों के पास शेषराशि और मांग एवं अल्प सूचना पर धन	**SCHEDULE - 7 : BALANCES WITH BANKS & MONEY AT CALL & SHORT NOTICE**		
I. भारत में :	**I. In India :**		
i) बैंकों के पास शेषराशि	i) Balances with Banks		
ए) चालू खातों में	a) in Current Accounts	406,830	1,002,318
बी) अन्य जमाराशि खातों में	b) in Other Deposit Accounts	6,162,750	1,894,813
ii) मांग पर एवं अल्प सूचना पर धन	ii) Money at call and short notice		
ए) बैंकों के पास	a) With Banks	-	1,000,000
बी) अन्य संस्थाओं के पास	b) With Other Institutions	301,669	5,033,499
कुल **(i और ii)**	**TOTAL (i and ii)**	**6,871,249**	**8,930,630**
II. भारत के बाहर :	**II. Outside India :**		
i) चालू खातों मे	i) In Current Accounts	4,756,530	22,050,717
ii) अन्य जमाराशि खातों में	ii) In Other Deposit Accounts	259,688,429	399,114,307
iii) मांग पर एवं अल्प सूचना पर धन	iii) Money at call and short notice	132,291,923	82,674,957
कुल (i, ii और iii)	**TOTAL (i, ii and iii)**	**396,736,882**	**503,839,981**
कुल **(I और II)**	**TOTAL (I & II)**	**403,608,131**	**512,770,611**
अनुसूची - 8 : निवेश	**SCHEDULE - 8 : INVESTMENTS**		
I. भारत में निवेश :	**I. Investments in India :**		
i) सरकारी प्रतिभूतियां	i) Government Securities	1,797,257,779	1,527,475,165
ii) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां	ii) Other approved Securities	-	-
iii) शेयर	iii) Shares	10,334,035	8,486,760
iv) डिबेंचर एवं बांड	iv) Debentures and Bonds	99,787,051	101,909,798
v) अनुषंगियां एवं सहायक कंपनियां	v) Subsidiaries and/or Joint ventures (including Associates)	12,058,644	8,715,451
vi) अन्य (वाणिज्यिक दस्तावेज, म्युचुअल फंड के यूनिट, पास थ्रू सर्टिफिकेट, प्रतिभूति रसीदें, जोखिम फंड, इत्यादि)	vi) Others (Commercial Papers, Units of Mutual Funds, Pass Through Certificates, Security Receipts, Venture Fund, Gold etc.)	19,935,443	6,941,855
कुल (I)	**TOTAL (I)**	**1,939,372,952**	**1,653,529,029**
सकल	Gross	1,980,964,874	1,704,670,134
घटाएं: मूल्यह्रास एवं परिशोधन	Less: Depreciation and Amortisation	4,1591,922	51,141,105
निवल	**Net**	**1,939,372,952**	**1,653,529,029**
II. भारत के बाहर निवेश:	**II. Investments outside India :**		
i) सरकारी प्रतिभूतियां (स्थानीय प्राधिकरणों सहित)	i) Government Securities (including local authorities)	74,407,006	65,840,383
ii) विदेश में अनुषंगियां और/अथवा संयुक्त उद्यम	ii) In Subsidiaries and/or joint ventures abroad	14,722,376	9,422,633
iii) अन्य निवेश (डिबेंचर एवं बांड)	iii) Other Investments (Debentures, Bonds etc.)	15,476,437	15,692,021
कुल (II)	**TOTAL (II)**	**104,605,819**	**90,955,037**
सकल	Gross	107,345,161	91,935,009
घटाएं: मूल्यह्रास एवं परिशोधन	Less: Depreciation and Amortisation	2,739,342	979,972
निवल	**Net**	**104,605,819**	**90,955,037**
कुल (I & II)	**TOTAL (I & II)**	**2,043,978,771**	**1,744,484,066**

तुलनपत्र की अनुसूची
SCHEDULES TO THE BALANCE SHEET

(000's छोड़े गए हैं 000's Omitted)

		यथा As at 31-03-2023 ₹	यथा As at 31-03-2022 ₹
अनुसूची - 9 : अग्रिम	**SCHEDULE - 9 : ADVANCES**		
ए. i) खरीदे गए और छूटप्राप्त बिल	A. i) Bills Purchased and Discounted	361,983,161	174,634,399
ii) कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट और मांग पर चुकाने योग्य ऋण	ii) Cash Credits, Overdrafts and Loans repayable on demand	1,859,855,164	1,649,278,767
iii) मीयादी ऋण	iii) Term Loans	2,637,158,027	2,384,504,741
कुल (ए)	**TOTAL (A)**	**4,858,996,352**	**4,208,417,907**
बी. अग्रिमों का विवरण :	**B. Particulars of Advances :**		
i) मूर्त आस्तियों द्वारा प्रतिभूत (बही ऋण के निमित्त अग्रिमों सहित)	i) Secured by tangible assets (includes advances against Book Debts)	3,346,735,660	2,826,923,683
ii) बैंक/सरकारी गारंटी द्वारा कवर किया गया	ii) Covered by Bank/Government Guarantees	478,631,983	260,820,700
iii) अप्रतिभूत	iii) Unsecured	1,033,628,709	1,120,673,524
कुल (बी)	**TOTAL (B)**	**4,858,996,352**	**4,208,417,907**
सी. अग्रिमों का क्षेत्रवार वर्गीकरण :	**C. Sectoral Classification of Advances :**		
I. भारत में अग्रिम	**I. Advances in India**		
i) प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र	i) Priority Sector	1,494,683,925	1,326,166,340
ii) सार्वजनिक क्षेत्र	ii) Public Sector	1,204,704,107	1,057,294,505
iii) बैंक	iii) Banks	178,024	39
iv) अन्य	iv) Others	1,351,019,236	1,255,665,795
कुल (सी-I)	**Total (C-I)**	**4,050,585,292**	**3,639,126,679**
II. भारत के बाहरअग्रिम :	**II Advances outside India :**		
i) बैंकों से देय	i) Due from Banks	369,097,116	230,430,196
II) अन्य से देय	II) Due from others		
ए) खरीदे गए और छूट प्राप्त बिल	a) Bills Purchased and Discounted	113,536,084	64,923,607
बी) समूहजन्य ऋण	b) Syndicated Loans	134,725,824	101,440,541
सी) अन्य	c) Others	191,052,037	172,496,884
कुल (सी-II)	**TOTAL (C-II)**	**808,411,061**	**569,291,228**
कुल **(सी - I, सी - II)**	**TOTAL (C - I, C - II)**	**4,858,996,353**	**4,208,417,907**
अनुसूची - 10 : अचल आस्तियां	**SCHEDULE - 10 : FIXED ASSETS**		
I. परिसर :	**I. PREMISES :**		
प्रारंभिक शेष, लागत पर	Opening Balance at cost	18,699,604	17,163,960
वर्ष के दौरान परिवर्धन / समायोजन	Additions /Adjustments during the year	2419,268	1,535,644
घटाएं: वर्ष के दौरान कटौती / समायोजन	Less: Deductions/ Adjustments during the year	3,510	-
उप-जोड	**Sub-total**	**21,115,362**	**18,699,604**
पुनर्मूल्यांकन के कारण तिथि पर जोड़	Addition to date on account of revaluation	70,156,030	69,750,574
घटाएं : तिथि पर मूल्यह्रास (पुनर्मूल्यांकन के कारण हुए सहित)	Less : Depreciation to date (including on account of revaluation)	5,774,217	4,701,077
कुल -(I)	**TOTAL (I)**	**85,497,175**	**83,749,101**
II. अन्य अचल आस्तियां : (फर्नीचर एवं फिक्स्चर सहित)	**II. OTHER FIXED ASSETS : (including Furniture and Fixtures)**		
प्रारंभिक शेष, लागत पर	Opening Balance at cost	42,944,931	39,325,380
वर्ष के दौरान जोड / समायोजन	Additions / Adjustments during the year	5,768,384	3,815,730
घटाएं: वर्ष के दौरान कटौती / समायोजन	Less:Deductions / Adjustments during the year	926,696	196,179
उप-जोड	**Sub-total**	**47,786,619**	**42,944,931**
घटाएं: तिथि पर मूल्यह्रास	Less: Depreciation to date	34,759,500	31,798,468
जोड (II)	**TOTAL (II)**	**13,027,119**	**11,146,463**
III. निर्माणधीन पूँजीगत कार्य	**III. CAPITAL WORK IN PROGRESS**	**1,085,725**	**2,853,971**
जोड **(I to III)**	**TOTAL (I to III)**	**99,610,019**	**97,749,535**

तुलनपत्र की अनुसूची
SCHEDULES TO THE BALANCE SHEET

(000's छोड़े गए हैं 000's Omitted)

		यथा As at 31-03-2023 ₹	यथा As at 31-03-2022 ₹
अनुसूची - 11 : अन्य आस्तियां	**SCHEDULE - 11 : OTHER ASSETS**		
I. अंतर-ऑफिस समायोजन (निवल)	I. Inter Office Adjustment (Net)	20,715,175	71,919,504
II. उपचित ब्याज	II. Interest Accrued	36,452,715	27,505,683
III. अग्रिम में अदा किया गया कर / स्रोत पर काटा गया कर (निवल)	III. Tax paid in advance/tax deducted at source	68,610,640	73,700,345
IV. स्टेशनरी एवं स्टांप	IV. Stationery and Stamps	112,378	97,356
V. आस्थगित कर आस्तियां (निव)	V. Deferred Tax Assets (Net)	66,378,837	87,078,619
VI. अन्य	VI. Others	116,748,071	119,610,719
कुल	**TOTAL**	**309,017,816**	**379,912,226**

* नाबार्ड/सिडबी/एनएचबी के पास ₹ 53,815,757 (पिछले वर्ष ₹ 58,423,630) की जमा राशि शामिल है।
* Includes Deposits placed with NABARD/SIDBI/NHB amounting to ₹ 53,815,757 (Previous Year ₹ 58,423,630)

		यथा As at 31-03-2023 ₹	यथा As at 31-03-2022 ₹
अनुसूची - 12 : आकस्मिक देयताएं	**SCHEDULE - 12 : CONTINGENT LIABILITIES**		
I. ऋण के रूप में नहीं माने गए बैंक के निमित्त दावे	I. Claims against the Bank not acknowledged as debts	17,039,174	18,100,466
II. आंशिक रूप से प्रदत्त निवेशों के लिए देयता	II. Liability for partly paid Investments	947,055	972,953
III. अतिदेय वायदा विनिमय संविदाओं के कारण देयता	III. Liability on account of outstanding forward exchange contracts	3,263,331,139	3,691,798,145
IV. घटकों के पक्ष में दी गई गारंटी:	IV. Guarantees given on behalf of Constituents :		
ए. भारत में	a. In India	216,842,851	207,749,624
बी. भारत के बाहर	b. Outside India	27,485,360	39,140,541
V. स्वीकरण, पृष्ठांकन एवं अन्य बाध्यताएं	V. Acceptances, endorsements and other obligations	224,434,843	240,477,714
VI. उपरोक्त III में सूचीबद्ध के अलावा व्यूत्पन्नी संविदाएं	VI. Derivative contracts other than listed at III above	8,411,272	15,630,342
VII. अन्य मदें जिसके लिए बैंक आकस्मिक रूप से उत्तरदायी है	VII. Other items for which the Bank is contingently liable	31,211,665	18,112,337
कुल	**TOTAL**	**3,789,703,359**	**4,231,982,122**

लाभ और हानि खाते की अनुसूची
SCHEDULES TO PROFIT AND LOSS ACCOUNT

(000's छोड़े गए हैं 000's Omitted)

				For the Year ended 31-03-2023 ₹	For the Year ended 31-03-2022 ₹
अनुसूची - 13 : अर्जित ब्याज	**SCHEDULE - 13 : INTEREST EARNED**				
I. अग्रिम/बिल पर ब्याज/छूट	I. Interest/Discount on advances/bills			333,676,070	258,415,093
II. निवेशों पर आय	II. Income on Investments			119,431,951	111,162,588
III. भारतीय रिज़र्व बैंक के पास शेषराशि पर ब्याज और अन्य अंतर-बैंक निधियां	III. Interest on balances with Reserve Bank of India and other inter-bank funds			16,663,845	6,233,916
IV. अन्य	IV. Others			6,705,357	4,946,662
कुल	**TOTAL**			**476,477,223**	**380,758,259**
अनुसूची - 14 : अन्य आय	**SCHEDULE - 14 : OTHER INCOME**				
I. कमीशन, विनिमय एवं दलाली	I. Commission, exchange and brokerage	**31-03-23**	**31-03-22**	13,681,969	11,975,488
II. निवेशों की बिक्री पर	II. Profit on sale of Investments	2,622,807	17,601,913		
घटाएं: निवेशों की बिक्री पर हानि	Less : Loss on sale of Investments	9,273	7,505		
				2,613,534	17,594,408
III. निवेशों के पुनर्मूल्यांकन पर लाभ	III. Profit on revaluation of Investments	179,982	435		
घटाएं: निवेश के पुनर्मूल्यांकन पर हानि	Less : Loss on revaluation of Investments	(15,565,070)	3,523,010		
				15,745,052	(3,522,575)
IV. जमीन, बिल्डिंग और अन्य आस्तियों की बिक्री से लाभ	IV. Profit on sale of land, buildings and other asset	1,355,613	2,780,903		
घटाएं:जमीन, बिल्डिंग और अन्य आस्तियों की बिक्री से हानि	Less : Loss on sale of land, buildings and other assets	15,103	7,781		
				1,340,510	2,773,122
V. विनिमय संव्यवहारों पर लाभ	V. Profit on exchange transactions	10,045,229	25,612,617		
घटाएं : विनिमय संव्यवहारों पर हानि	Less: Loss on Exchange Transactions	7,626	8,359		
				10,037,603	25,604,258
VI. अनुषंगी/कंपनी और/अथवा संयुक उद्यमों से लाभांश उत्पादि द्वरा अर्जित आय	VI. Income earned by way of dividends etc., from subsidiaries/ companies and/or joint ventures abroad/in India			212,456	184,462
VII. विविध आय*	VII. Miscellaneous Income*			27,367,780	24,178,154
कुल	**TOTAL**			**70,998,904**	**78,787,317**
अनुसूची - 15 : अदा किया गया ब्याज	**SCHEDULE - 15 : INTEREST EXPENDED**				
I. जमाराशियों पर ब्याज	I. Interest on Deposits			236,270,317	226,294,933
II. भारतीय रिज़र्व बैंक / अंतर-बैंक उधार पर ब्याज	II. Interest on Reserve Bank of India / inter-bank borrowings			30,166,921	6,224,865
III. अन्य:	III. Others			7,290,957	7,617,489
कुल	**TOTAL**			**273,728,195**	**240,137,287**
अनुसूची - 16 : परिचालन खर्चे	**SCHEDULE - 16 : OPERATING EXPENSES**				
I. कर्मचरियों को भुगतान एवं प्रावधान	I. Payments to and provisions for employees			83,918,350	70,555,291
II. किराया, कर एवं लाइटिंग	II. Rent, Taxes and Lighting			8535,770	7,868,853
III. प्रिंटिंग एवं स्टेशनरी	III. Printing and Stationery			957,455	770,845
IV. विज्ञापन एवं प्रचार	IV. Advertisement and Publicity			280,529	166,003
V. बैंक की संपदा का मूल्यह्रास	V. Depreciation on Bank's property			4,209,160	3,635,111
VI. निदेशकों का शुल्क, भत्ते और खर्चे	VI. Directors' fees, allowances and expenses			9,110	4,055
VII. लेखा-परीक्षकों का शुल्क और खर्चे (शाखा के लेखा-परीक्षकों के शुल्क एवं भत्ते सहित)	VII. Auditors' fees and expenses (Including brach Auditors' fees & expenses)			1,195,005	932,798
VIII. कानून प्रभार	VIII. Law Charges			381,408	435,100
IX. डाक-खर्च, टेलिग्राम,टेलिफोन, इत्यादि	IX. Postage, Telegrams, Telephones, etc.			2,817,696	1,607,582
X. मरम्मत एवं रखरखाव	X. Repairs and Maintenance			782,403	675,525
XI. बीमा	XI. Insurance			7,938,260	7,490,347
XII. अन्य खर्चे	XII. Other Expenditure			28,796,578	25,382,233
कुल	**TOTAL**			**139,821,724**	**1,195,23,743**

* बट्टे खातों में हुई ₹ 12,068,537 की वसूली को शामिल करते हुए (पिछले वर्ष ₹ 10,971,278)
* Includes Recoveries made in write-off accounts amounting to ₹ 12,068,537 (Previous Year ₹ 10,971,278)

अनुसूची - 17:

महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ

1. तैयार करने का आधार:

संस्था की निरन्तरता की अवधारणा तथा यदि अन्यथा उल्लेख न किया गया हो तो पूर्व के लागत के आधार पर, वित्तीय विवरण तैयार किये जाते हैं जो सभी महत्वपूर्ण पक्षों में भारत में ''सामान्यत: स्वीकृत लेखा सिद्धान्तों'' (जीएएपी) का पालन करते हैं। इसके अंतर्गत, लागू विधिक प्रावधान, भारतीय रिज़र्व बैंक (आर.बी.आई.) द्वारा निर्धारित विनियामकीय नियम, लेखा मानक (ए.एस.), भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) के द्वारा जारी निदेश, बैंकिंग विनियम अधिनियम, 1949 तथा भारत के बैंकिंग उद्योग में प्रचलित लेखा प्रथाएं शामिल हैं। यदि अन्यत्र विनिर्दिष्ट नहीं किया गया है तो, विदेशी शाखाओं/कार्यालयों के संबंध में संबंधित देशों में प्रचलित सांविधिक उपबन्धों तथा लेखांकन पद्धतियों का अनुपालन किया जाता है।

2. आकलन का आधार:

वित्तीय विवरणी की तैयारी हेतु प्रबंधन के लिए यह आवश्यक है कि वह वित्तीय विवरण की प्रभावी तारीख को रिपोर्ट की गयी आस्ति एवं देयता (आकस्मिक देयताएं सहित) तथा रिपोर्टिंग अवधि के लिए आय एवं व्यय का आकलन तथा अनुमान प्रतिपादित करे। प्रबंधन यह मानता है कि वित्तीय विवरणियों को तैयार करने में प्रयुक्त आकलन उचित तथा तार्किक हैं। तथापि वास्तविक परिणाम आकलन से भिन्न हो सकते हैं। वर्तमान तथा भविष्य की अवधि के लिए लेखांकित आकलन में किसी भी परिवर्तन को भविष्य में निर्धारित किया जाता है।

3. राजस्व का निर्धारण: (एएस 9 - राजस्व का निर्धारण)

क. यदि अन्यथा न उल्लिखित हो तो आय/व्यय को उपचय के आधार पर तय किया जाता है। विदेशी कार्यालयों के संबंध में संबंधित मेज़बान देश के स्थानीय कानूनों/मानकों के अनुसार आय/व्यय निर्धारित की जाती है।

ख. अनर्जक आस्तियों पर ब्याज को छोड़कर, आय का निर्धारण, समय के अनुपात के आधार पर किया जाता है।

ग. बैंक गारंटी तथा साख पत्र जारी करने पर कमीशन का निर्धारण, बीजी/एलसी की अवधि पर होता है।

घ. अन्य सभी कमीशन एवं विनिमय, ब्रोकरेज, फीस तथा अन्य शुल्कों की जब प्राप्ति हो जाती है तब उसका आय के रूप में उनका निर्धारण होता है।

ङ. ''परिपक्वता तक धारित'' श्रेणी में निवेश पर आय (ब्याज के अतिरिक्त) जिसे उसके अंकित मूल्य पर बट्टे के रूप में प्राप्त किया गया था, उसे निम्नलिखित प्रकार से निर्धारित किया जाता है:

i. ब्याज वाली प्रतिभूतियों पर, केवल बिक्री/मोचन के समय ही इनका निर्धारण किया जाता है।

ii. जीरो-कूपन प्रतिभूतियों में, स्थिर प्रतिफल के आधार पर प्रतिभूति की शेष परिपक्वता अवधि पर इसका लेखांकन किया जाता है।

च. निवेशों की बिक्री में हुए लाभ या हानि को, लाभ तथा हानि खाते में मान्यता दी जाती है। आर.बी.आई. के दिशानिर्देशों के अनुसार, ''परिपक्वता तक धारित'' श्रेणी के अंतर्गत निवेशों की बिक्री के मामले में (करों तथा सांविधिक आरक्षितियों में अंतरण करने हेतु आवश्यक राशि छोड़कर), इसके बराबर की राशि" आरक्षित पूँजी खाते'' में विनियोजित की जाती है।

SCHEDULE 17:

SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES:

1. BASIS OF PREPARATION:

The financial statements are prepared following the going concern concept, on historical cost basis unless otherwise stated and conform, in all material aspects, to the Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) in India, which encompasses applicable statutory provisions, regulatory norms prescribed by the Reserve Bank of India (RBI), Accounting Standards (AS), pronouncements issued by The Institute of Chartered Accountants of India (ICAI), Banking Regulation Act, 1949 and accounting practices prevalent in the banking industry in India. In respect of foreign offices/branches, statutory provisions and accounting practices prevailing in the respective foreign countries are complied with, except as specified elsewhere.

2. USE OF ESTIMATES:

The preparation of financial statements requires the management to make estimates and assumptions considered in the reported amount of assets and liabilities (including contingent liabilities) as of date of the financial statements and the reported income and expenses for the reporting period. Management believes that the estimates used in the preparation of the financial statements are prudent and reasonable. However, actual results can differ from estimates. Any revision to accounting estimates is recognized prospectively in current and future periods.

3. REVENUE RECOGNITION: (AS 9 - Revenue Recognition)

a. Income/Expenditure is recognised on accrual basis, unless otherwise stated. In respect of foreign offices, income/expenditure is recognised as per local laws/ standards of host country.

b. Interest income is recognised on time proportion basis except interest on non-performing assets.

c. Commission on issue of Bank Guarantee and Letter of Credit is recognised over the tenure of BG/LC.

d. All other Commission and Exchange, Brokerage, Fees and other charges are recognised as income on realisation.

e. Income (other than interest) on investments in “Held to Maturity” category acquired at a discount to the face value, is recognised as follows:

i. On Interest bearing securities, it is recognised only at the time of sale/ redemption.

ii. On zero-coupon securities, it is accounted for over the balance tenor of the security on a constant yield basis.

f. Profit or loss on sale of investments is recognised in the Profit and Loss account. As per RBI Guidelines, in case of profit on sale of investments under ‘Held to Maturity’ category, an equivalent amount (net of taxes and amount required to be transferred to Statutory Reserves) is appropriated to ‘Capital Reserve Account’.

छ. जब लाभांश प्राप्त करने का अधिकार स्थापित हो जाता है, तब लाभांश को आय के रूप पहचाना जाता है।

ज. निर्धारण आदेश जारी होने के वर्ष में आयकर वापसी पर ब्याज, आय के रूप में निर्धारित किया जाता है।

झ. **एन.पी.ए. के संबंध में वसूलियों का विनियोजन :**

क) समझौता निपटान/विशेष ओटीएस, ख) न्यायालय/डीआरटी/ एनसीएलटी के निर्णय तथा ग) एआरसी/एससी को समनुदेशन - इन तीन मामलों को छोड़कर, एनपीए में वसूली निम्नलिखित क्रम से प्रभावी की जाती है :-

- उधारकर्ता के खाते में नामे प्रभार,
- ऐसे खर्च/अपने जेब से खर्च, जो किए तो गए परंतु जिन्हें नामे नहीं किया गया,
- न वसूले गये ब्याज,
- अप्रभारित ब्याज,
- मूल धन।

अन्य मामलों में प्रासंगिक प्राधिकारी के आदेश के अनुसार की गई वसूलियों को विनियोजित किया जाता है।

4. अग्रिम:

(क) लागू विनियामक दिशानिर्देशों के अनुसार में अग्रिमों को " अर्जक'' और " अनर्जक अग्रिमों'' (एनपीए) के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

(ख) इसके अतिरिक्त, लागू विनियामक दिशानिर्देशों के अनुसार, अनर्जक आस्तियों (एनपीए) को अवमानक, संदिग्ध तथा हानि आस्तियों के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

(ग) घरेलू शाखाओं के संबंध में, एनपीए से संबंधित प्रावधान, निम्नलिखित दर पर किए जाते हैं :

g. Dividend Income is recognised when the right to receive the dividend is established.

h. Interest Income on Income-tax refund is recognised in the year of passing of assessment order.

i. **Appropriation of recoveries in NPAs:**

In respect of NPAs, recoveries effected except through a.) Compromise settlement /special OTS, b.) Judgement of a Court/DRT/NCLT and c.) Assignment to ARC's/SC's. are to be made in the following order:-

- Charges debited to borrower's account,
- Expenses/out of pocket expenses incurred but not debited,
- Unrealised interest,
- Uncharged interest,
- Principal

In other cases, the recoveries made are appropriated as per the order of relevant authority.

4. ADVANCES:

a. Advances are classified into "Performing" and "Non-Performing Advances" (NPAs) in accordance with the applicable regulatory guidelines.

b. NPAs are further classified into Sub-Standard, Doubtful and Loss Assets in terms of applicable regulatory guidelines.

c. In respect of domestic branches, NPA Provisions(On the Outstanding Advances) are made at the rates given as under:

एनपीए का श्रेणी	Category of NPAs	निवल बकाया अग्रिम पर प्रावधान का प्रतिशत % of net outstanding advance
अवमानक आस्ति*	Sub Standard:*	
ऐसे एक्सपोज़र, जो आरंभ से गैर जमानती हैं	Exposures, which are unsecured ab initio	25%
आधारभूत संरचना ऋण खातों के संबंध में प्रतिभूति रहित एक्सपोज़र जहाँ कुछ सुरक्षा प्रावधान,जैसे एस्क्रो खाते उपलब्ध हैं (गैर प्रतिभूति-इंफ्रा)	Unsecured exposure in respect of infrastructure loan accounts where certain safeguards such as escrow accounts are available (unsecured – infra)	20%
अन्य	Others	15%
संदिग्ध :	Doubtful:	
जमानती हिस्सा (उस अवधि के लिए जिसके दौरान अग्रिम संदिग्ध श्रेणी में रहा)		
- एक वर्ष तक	- Upto one year	25%
- एक वर्ष से तीन वर्ष तक	- One year to three years	40%
- तीन वर्ष से अधिक	- More than three years	100%
गैर जमानती हिस्सा	Unsecured portion	100%
हानि	Loss	100%

(घ) विदेशी शाखाओं के संबंध में, अग्रिमों का एनपीए के रूप में वर्गीकरण और एनपीए के संबंध में प्रावधान, संबंधित विदेशी केन्द्र पर लागू विनियामकीय आवश्यकताओं अथवा घरेलू शाखाओं के लिए लागू दिशानिर्देशों, इनमें से जो भी कड़े हो, उसके अनुसार होंगे।

d. In respect of foreign branches, classification of advances as NPAs and provision in respect of NPAs is made as per the regulatory requirements prevailing at the respective foreign countries or as per guidelines applicable to domestic branches, whichever is stringent.

(ङ) भारतीय रिज़र्व बैंक के मानकों के अनुसार, शुद्ध अग्रिम के परिकलन हेतु, कुल अग्रिमों में से अनर्जक आस्तियों, अप्राप्त ब्याज, ईसीजीसी दावा इत्यादि के संबंध में प्रावधान घटाएं जाते हैं।

(च) भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार, पुनर्निधारित/पुन:संरचित अग्रिमों के संबंध में, मौजूदा मूल्य में आकलित, पुनर्संरचित अग्रिम के फेयर वैल्यू में ह्रास के लिए प्रावधान किया जाता है। शुद्ध अग्रिम के परिकलन हेतु उक्त प्रावधान को घटाया जाता है।

(छ) आस्ति पुनर्गठन कंपनी (एआरसी)/प्रतिभूतिकरण कंपनी (एससी) को वित्तीय आस्तियां बेचे जाने के मामले में, यदि बिक्री, निवल बही मूल्य (एनबीवी) (अर्थात् बकाया में से धारित प्रावधान घटाकर) से कम है तो, इस कमी को आरबीआई के समय-समय पर जारी मौजूदा दिशा-निर्देशों के अनुसार लाभ एवं हानि खाते से नामे किया जाना है। यदि बिक्री का मूल्य, निवल बही मूल्य (एनबीवी) से अधिक है तो जिस वर्ष राशि प्राप्त होती है, उस वर्ष में, एनपीए की बिक्री पर किए गए अतिरिक्त प्रावधान को लाभ एवं हानि खाते में वापस किया जाना है। परंतु किसी भी अतिरिक्त प्रावधान को तभी रिवर्स किया जाता है जब आस्ति का निवल बही मूल्य (एनबीवी), प्राप्त नकदी (केवल प्रारंभिक प्रतिफल द्वारा/अथवा एसआर/पीटीसी के रिडेम्पशन के द्वारा) से अधिक होगा। अतिरिक्त प्रावधान का रिवर्सल, आस्ति के एनबीवी से अधिक प्राप्त नकदी की सीमा तक ही होगा।

(ज) मानक आस्तियों के रूप में वर्गीकृत पुन:संरचित अग्रिमों सहित मानक आस्तियों हेतु प्रावधान, भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार किए जाते हैं। विदेशी शाखाओं के मामलों में मानक आस्तियों के लिए प्रावधान, संबंधित विदेशी केन्द्र पर लागू विनियामकीय आवश्यकताओं के अनुसार अथवा घरेलू शाखाओं के लिए लागू दिशानिर्देशों, इनमें से जो भी कड़े हों, उसके अनुसार किए जाते हैं।

(झ) भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार, निवल निधीकृत कंट्री एक्सपोज़र का (प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष), ग्रेड किए गए स्केल के आधर पर प्रावधान किए जाते हैं।

5. अस्थायी प्रावधान:

बैंक में अस्थायी प्रावधान का सृजन करने और उसका उपयोग करने की नीति है। प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में सृजित किए जाने वाले अस्थायी प्रावधान की मात्रा का निर्धारण किया जाता है। अस्थायी प्रावधान का उपयोग, नीति में निर्धारित, केवल असाधारण परिस्थितियों के अंतर्गत, आकस्मिकताओं के लिए, भारतीय रिज़र्व बैंक की पूर्व अनुमति से अथवा किसी निर्दिष्ट उद्देश्य के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा दी गई विशेष अनुमति से ही किया जाता है।

6. डेबिट/क्रेडिट कार्ड रिवार्ड प्वाइंट :

बैंक के डेबिट कार्ड धारकों के संबंध में रिवार्ड पॉइंट का प्रावधान, एक्चुरीयल आकलन के आधार किया जाता है और क्रेडिट कार्ड पर रिवार्ड पॉइंट के लिए प्रावधान, जमा हुए बकाया पॉइंट के आधार पर किया जाता है।

7. निवेश :

क. सरकारी प्रतिभूतियों में संव्यवहार को, निपटान की तारीख पर मान्यता दी जाती है और अन्य सभी निवेशों को, ट्रेड की तारीख पर मान्यता दी जाती है।

ख. भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार निवेशों का वर्गीकरण, 'परिपक्वता तक धारित", 'कारोबार के लिए धारित"

e. Provisions in respect of NPAs, unrealised interest, ECGC claims, etc. are deducted from total advances to arrive at net advances as per RBI norms.

f. In respect of Rescheduled/Restructured advances, provision is made for the diminution in the fair value of restructured advances measured in present value terms as per RBI guidelines. The said provision is reduced to arrive at Net advances.

g. In case of financial assets sold to Asset Reconstruction Company (ARC) / Securitisation Company (SC), if the sale is at a price below the net book value (NBV), (i.e. outstanding less provision held) the shortfall is debited to the Profit and Loss account as per the extant RBI guidelines issued from time to time. If the sale is at a price higher than the NBV, the excess provision on sale of NPAs may be reversed to profit and loss account in the year the amounts is received. However, any excess provision is reversed only when the cash received (by way of initial consideration only/or redemption of SR's/PTC) is higher than the net book value (NBV) of the asset. Reversal of excess provision is limited to the extent to which cash received exceeds the NBV of the asset.

h. Provision for Standard assets, including restructured advances classified as standard, is made in accordance with RBI guidelines. In respect of foreign branches provision for Standard Assets is made as per the regulatory requirements prevailing at the respective foreign countries or as per guidelines applicable to domestic branches, whichever is stringent.

i. Provision for net funded country exposures (Direct/Indirect) is made on a graded scale in accordance with the RBI guidelines.

5. FLOATING PROVISION:

The bank has framed a policy for creation and utilisation of floating provisions. The quantum of floating provisions to be created is assessed at the end of each financial year. The floating provisions are utilised only for contingencies under extraordinary circumstances specified in the policy with prior permission of Reserve Bank of India or on being specifically permitted by Reserve Bank of India for specific purposes. These provisions are netted off from gross NPAs to arrive at Net NPAs.

6. DEBIT/CREDIT CARDS REWARD POINTS:

Provision for reward points in relation to the debit cards is provided for on actuarial estimates and Provision for Reward Points on Credit cards is made based on the accumulated outstanding points.

7. INVESTMENTS:

a. Transactions in Government Securities are recognised on Settlement Date and all other Investments are recognised on trade date.

b. Investments are classified under `Held to Maturity', 'Held for Trading' and 'Available for Sale' categories as per RBI guidelines. For the purpose

और 'बिक्री हेतु उपलब्ध" श्रेणियों में किया गया है। तुलन पत्र में अनुसूची 8 में (1) 'भारत में निवेश" को 6 वर्गों के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है जैसे क) सरकारी प्रतिभूतियां, ख) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां ग) शेयर, घ) डिबेंचर और बॉण्ड, ङ) अनुषंगियों और संयुक्त उद्यम में निवेश और च) अन्य। इसके अतिरिक्त भारत के बाहर के निवेशों को निम्नलिखित 03 श्रेणियों के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है - क) सरकारी प्रतिभूतियां, ख) विदेशों की अनुषंगियों और संयुक्त उद्यम में निवेश और ग) अन्य निवेश।

क) वर्गीकरण का आधार

किसी निवेश का वर्गीकरण, उसके अर्जन के समय किया जाता है।

(i) परिपक्वता तक धारित

इसमें ऐसे निवेश शामिल हैं जिन्हें बैंक परिपक्वता तक रखने का इरादा रखता है। अनुषंगियों, संयुक्त उद्यमों और सहायक कंपनियों की इक्विटी में किए गए निवेशों को भी, परिपक्वता तक धारित के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है।

(ii) कारोबार के लिए धारित

इसमें ऐसे निवेश शामिल हैं जिन्हें अल्पकालिक मूल्य/ब्याज दर के उतार-चढ़ाव का लाभ लेते हुए कारोबार के इरादे से अर्जित किया जाता है। खरीद की तारीख से 90 दिनों के अंदर इन्हें बेच दिया जाना है।

(iii) बिक्री के लिए उपलब्ध

ऐसे निवेश शामिल हैं जिनका वर्गीकरण ''परिपक्वता तक धारित'' अथवा ''कारोबार के लिए धारित'' रूप में नहीं किया हैं, उन्हें इस शीर्ष में रखा गया है।

ख) निवेश के अधिग्रहण की लागत

(i) इक्विटी निवेश के अर्जन के लिए भुगतान किए गए ब्रोकरेज, कमीशन, प्रतिभूति संव्यवहार कर इत्यादि को लागत में शामिल किया जाता है।

(ii) कर्ज निवेशों पर ब्रोकरेज, कमीशन, खण्डित अवधि के लिए ब्याज भुगतान/प्राप्तियों को व्यय/आय के रूप में माना गया है और इसे लागत/बिक्री पर विचार करते समय शामिल नहीं किया जाता है।

(iii) निवेशों के अभिदान पर प्राप्त ब्रोकरेज और कमीशन, यदि कुछ हो तो, उसे लाभ और हानि खाते में जमा किया जाता है।

ग) मूल्यांकन का तरीका

भारत में निवेशों का मूल्यांकन, भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाता है और विदेशी शाखाओं द्वारा किए गए निवेशों को संबंधित देश में लागू सांविधिक प्रावधानों के अनुसार जो मूल्य है अथवा समय-समय पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार जो मूल्य है इन दोनों में जो भी कम हो, उसके अनुसार किया जाता है।

ट्रेज़री बिलों और अन्य सभी बट्टाकृत लिखतों का मूल्य, कैरिंग कॉस्ट (अर्थात् प्राप्त करने की लागत में, प्राप्त करते समय लागू दर में उपचित बट्टा को जोड़कर) के आधार पर निकाला जाता है।

of disclosure in the Balance Sheet in Schedule 8, (I) 'Investments in India' are classified under six categories viz. i.) Government Securities, ii.) Other Approved Securities, iii.) Shares, iv.) Debentures and Bonds, v.) Subsidiaries and Joint Ventures and vi.) Others and (II) 'Investments outside India' are classified under three categories viz. i.) Government Securities, ii.) Subsidiaries and Joint Ventures abroad and iii.) Other Investments.

A. Basis of classification

Classification of an investment is done at the time of its acquisition.

(i) Held to Maturity

These comprise investments that the Bank intends to hold till maturity. Investments in equity of subsidiaries, joint ventures and associates are also categorised under Held to Maturity.

(ii) Held for Trading

These comprise investments acquired with the intention to trade by taking advantage of short term price/interest rate movements. Securities are to be sold within 90 days from the purchase date.

(iii) Available for Sale:

These comprise investments which do not fall either under "Held to Maturity" or "Held for Trading" category.

B. Acquisition Cost of Investment:

(i) Brokerage, commission, securities transaction tax, etc. paid on acquisition of equity investments are included in cost.

(ii) Brokerage, commission, broken period interest paid/ received on debt investments is treated as expense/income and is excluded from cost/ sale consideration.

(iii) Brokerage and Commission, if any, received on subscription of investments is credited to Profit and Loss Account.

C. Method of valuation:

Investments in India are valued in accordance with the RBI guidelines and investments held at foreign branches are valued at lower of the value as per the statutory provisions prevailing at the respective foreign countries or as per RBI guidelines issued from time to time.

Treasury Bills and all other discounted instruments are valued at carrying cost (ie acquisition cost plus discount accrued at the rate prevailing at the time of acquisition)

(i) **परिपक्वता तक धारित:**

1. इस श्रेणी के अंतर्गत निवेशों को उनके अर्जन लागत, परिशोधन को घटाकर, यदि कोई हो, पर लिया जाता है। अंकित मूल्य से अधिक अर्जन लागत, यदि कोई हो, तो उसे स्थिर प्रतिफल पद्धति का प्रयोग करते हुए परिपक्वता की शेष बची अवधि में परिशोधित किया गया है। प्रीमियम का इस प्रकार परिशोधन, आय में 'निवेश पर ब्याज" शीर्ष के अंतर्गत समायोजित किया जाता है।

2. अनुषंगियों, संयुक्त उद्यमों और सहायक कंपनियों (भारत और विदेश दोनों में) में निवेश, पूर्व के लागत के आधार पर मूल्यांकित किया जाता है, सिवाय क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में निवेश के, जिन्हें कैरिंग कॉस्ट (अर्थात् बही मूल्य) पर मूल्यांकित किया जाता है। अस्थायी प्रकृति को छोड़कर, प्रत्येक निवेश के लिए अलग-अलग ह्रास (डिमिन्युशन) का प्रावधान किया जाता है।

(ii) **कारोबार के लिए धारित/बिक्री के लिए उपलब्ध:**

1. इस श्रेणियों के अंतर्गत निवेशों का मूल्यांकन, विनियामकीय दिशानिर्देशों के अनुसार बाजार मूल्य अथवा उचित मूल्य पर, एक-एक करके निर्धारित किया जाता है और प्रत्येक श्रेणी के प्रत्येक वर्गीकरण में केवल निवल मूल्यह्रास लगाया जाता है और निवल मूल्यवृद्धि को ध्यान में नहीं लिया जाता है। मूल्यह्रास के लिए प्रावधान के संबंध में, बाजार मूल्य को बही में अंकित करने के पश्चात एकल प्रतिभूतियों का बही मूल्य अपरिवर्तित रहता है।

2. ''कारोबार के लिए धारित'' और ''बिक्री के लिए उपलब्ध'' श्रेणियों में उद्धृत किए गए निवेश के मूल्यांकन के प्रयोजन हेतु, स्टॉक एक्सचेंज पर बाजार दर/भाव, निर्धारित आय मुद्रा बाजार और डेरिवेटिव संघ (एफआईएमएमडीए)/फाइनान्शियल बेंचमार्क इंडिया प्रा.लि. (एफबीआईएल) द्वारा घोषित दरों का उपयोग किया जाता है। जिन निवेशों के लिए ऐसे दर/भाव उपलब्ध नहीं है, उनका मूल्यांकन भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार किया जाता है जो निम्नानुसार है :

वर्गीकरण	मूल्यांकन का आधार
सरकारी प्रतिभूतियां	परिपक्वता आधार के प्रतिफल पर
अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां	परिपक्वता आधार के प्रतिफल पर
इक्विटी शेयर्स, पीएसयू और न्यासी शेयर्स	अद्यतन तुलन पत्र (18 महीनों से अधिक पुरानी नही) के अनुसार ब्रेक अप मूल्य पर, अन्यथा प्रति कंपनी रु. 1
अधिमानी शेयर	परिपक्वता आधार के प्रतिफल पर
पीएसयू/कॉरपोरेट बॉन्ड	परिपक्वता आधार के प्रतिफल पर
म्युचुअल फंड की यूनिट	अद्यतन पुनर्खरीद मूल्य/प्रत्येक योजना के संबंध में घोषित एनएवी पर
वेंचर पूँजी निधि (वीसीएफ) की यूनिट	18 महीनों से पुरानी नहीं, ऐसे लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण के अनुसार घोषित एनएवी अथवा ब्रेक अप एनएवी। यदि एनएवी/लेखा परीक्षित वित्तीय विवरण 18 महीनों से अधिक हेतु उपलब्ध नहीं है तो रु.1 प्रति वीसीएफ
प्रतिभूति रसीद	प्रतिभूतिकरण कंपनियों द्वारा घोषणा के अनुसार एनएवी पर, जो 6 माह से अधिक पुराना न हो।

(i) **Held to Maturity:**

1. Investments included in this category are carried at their acquisition cost, net of amortisation, if any. The excess of acquisition cost, if any, over the face value is amortised over the remaining period of maturity using constant yield method. Such amortisation of premium is adjusted against income under the head "interest on investments".

2. Investments in subsidiaries, joint ventures and associates (both in India and abroad) are valued at historical cost except for investments in Regional Rural Banks, which are valued at carrying cost (i.e. book value). Suitable provision is made for diminution, other than of temporary nature, for each investment individually.

(ii) **Held for Trading / Available for Sale:**

1. Investments under these categories are individually valued at the market price or fair value determined as per Regulatory guidelines and only the net depreciation in each classification for each category is provided for and net appreciation is ignored. On provision for depreciation, the book value of the individual securities remains unchanged after marking to market.

2. For the purpose of valuation of quoted investments in "Held for Trading" and "Available for Sale" categories, the market rates / quotes on the Stock Exchanges, the rates declared by Fixed Income Money Market and Derivatives Association (FIMMDA)/ Financial Benchmark India Pvt. Ltd. (FBIL) are used. Investments for which such rates/ quotes are not available are valued as per norms laid down by RBI, which are as under:

Classification	Basis of Valuation
Government Securities	on Yield to Maturity basis
Other Approved Securities	on Yield to Maturity basis
Equity Shares, PSU and Trustee shares	at break-up value as per the latest Balance Sheet (not more than 18 months old), otherwise Re.1 per company.
Preference Shares	on Yield to Maturity basis
PSU/Corporate Bonds	on Yield to Maturity basis
Units of Mutual Funds	at the latest repurchase price/NAV declared by the fund in respect of each scheme
Units of Venture Capital Funds (VCF)	declared NAV or break-up NAV as per audited financials which are not more than 18 months old. If NAV/audited financials are not available for more than 18 months then at Re. 1/- per VCF.
Security Receipts	at NAV as declared by Securitisation Companies which is not more than 6 months old.

घ) विभिन्न श्रेणियों के बीच प्रतिभूतियों का अंतरण:

ए) एचटीएम से एएफएस/एचएफटी -

i) यदि किसी डिस्काउंट पर मूलत: प्रतिभूति को एचटीएम श्रेणी के अंतर्गत रखा गया था तो इसे अधिग्रहण कीमत/बही मूल्य पर अंतरित किया जाता है। अंतरण के बाद, इन प्रतिभूतियों का तत्काल मूल्यांकन किया जाता है तथा यदि कोई मूल्यह्रास होता है तो उसका लेखांकन किया जाता है।

ii) यदि किसी प्रीमियम पर प्रतिभूति को एचटीएम श्रेणी में रखा गया था तो इसे एमोर्टाइजेशन की लागत पर एएफएस/एचएफटी श्रेणी में अंतरित किया जाता है। अंतरण के बाद इन प्रतिभूतियों का तत्काल मूल्यांकन किया जाता है तथा यदि कोई मूल्यह्रास होता है तो उसका लेखांकन किया जाता है।

बी) एएफएस/एचएफटी से एचटीएम - बही मूल्य या बाजार मूल्य में से जो की कम हो उस पर एएफएस/एचएफटी श्रेणी से एचटीएम श्रेणी में स्क्रिप का अंतरण किया जाता है। यदि अंतरण के समय बाजार मूल्य बही मूल्य से ज्यादा होता है तो बढ़ोतरी को नजरअंदाज किया जाता है। यदि बही मूल्य से बाजार मूल्य कम होता है तो वैसी प्रतिभूति के लिए किए गए मूल्यह्रास के प्रावधान को समायोजित किया जाता है एवं बही मूल्य को बाजार मूल्य तक कम किया जाता है तथा प्रतिभूति को बाजार मूल्य पर अंतरित किया जाता है।

सी) एएफएस से एचएफटी तथा इसके विपरीत - एएफएस से एचएफटी श्रेणी या इसके विपरीत, प्रतिभूति अंतरित करने के मामले में, अंतरण की तारीख पर प्रतिभूतियों का पुन: मूल्यांकन नहीं किया जाता है तथा संकलित मूल्यह्रास का प्रावधान, यदि कुछ हो तो, उसे एचएफटी प्रतिभूतियां या इसके विपरीत, जैसा मामला हो, के विरुद्ध मूल्यह्रास के लिए प्रावधान में अंतरित किया जाता है।

ङ) अनर्जक निवेश (एनपीआई) और उसका मूल्यांकन:

(i) निवेशों को अर्जक और अनर्जक में वर्गीकृत किया जाता है जो घरेलू कार्यालयों के मामले में आरबीआई और विदेशी कार्यालयों के मामले में संबंधित विनियामकों द्वारा जारी दिशा-निर्देशों पर आधारित होते हैं।

(ii) अनर्जक निवेशों के संबंध में आय मान्य नहीं होती है तथा भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार ऐसी प्रतिभूतियों के मूल्य में ह्रास हेतु प्रावधान किए जाते हैं।

(iii) परिपक्व एनपीआई को अनुसूची 11 में ''अन्य आस्तियों'' के अंतर्गत दिखाया गया है। (प्रावधान घटाकर)

च) रेपो/रिवर्स रेपो:

रेपो/रिवर्स रेपो के अंतर्गत बेची और खरीदी गई प्रतिभूतियों का लेखांकन, संपार्श्विक ऋण और ऋण के संव्यवहार के रूप में किया जाता है। तथापि, प्रतिभूतियों का अंतरण वैसे ही किया जाता है जैसे सामान्य सीधी बिक्री/खरीद संव्यवहार के मामले में होता है और ऐसी प्रतिभूतियों का आवागमन रेपो/रिवर्स रेपो खातों और दुतरफा प्रविष्टियों के प्रयोग द्वारा होता है। उपर्युक्त प्रविष्टियों को परिपक्वता की तारीख

D. Transfer of Securities between Categories:

A) HTM to AFS/HFT –

i) If the security was originally placed under the HTM category at a discount it is transferred at the acquisition price / book value. After transfer, these securities are immediately re-valued and resultant depreciation, if any, is provided.

ii) If the security was originally placed in the HTM category at a premium, it is transferred to the AFS / HFT category at the amortised cost. After transfer, these securities are immediately re-valued and resultant depreciation, if any, is provided.

B) AFS/HFT TO HTM - Transfer of scrips from AFS / HFT category to HTM category is made at the lower of book value or market value. In cases where the market value is higher than the book value at the time of transfer, the appreciation is ignored. In cases where the market value is less than the book value, the provision against depreciation held against this security is adjusted to reduce the book value to the market value and the security is transferred at the market value.

C) AFS TO HFT AND VICE-VERSA - In the case of transfer of securities from AFS to HFT category or vice-versa, the securities are not re-valued on the date of transfer and the provisions for the accumulated depreciation, if any, held are transferred to the provisions for depreciation against the HFT securities and vice-versa.

E. Non-performing Investments (NPIs) and valuation thereof:

(i) Investments are classified as performing and non-performing, based on the guidelines issued by the RBI in case of domestic offices and respective regulators in case of foreign offices.

(ii) In respect of non-performing investments, income is not recognised and provision is made for depreciation in value of such securities as per RBI guidelines.

(iii) Matured NPIs are shown under ‘Other Assets’ Schedule11 (Net of Provision).

F. Repo / Reverse Repo:

The securities sold and purchased under Repo/ Reverse repo are accounted as Collateralised lending and borrowing transactions. However, securities are transferred as in case of normal outright sale/ purchase transactions and such movement of securities is reflected using the Repo/ Reverse Repo Accounts and Contra entries. The above entries are reversed on the date of maturity.

पर रिवर्स किया जाता है। लागत तथा राजस्व का लेखांकन, जैसा भी मामला हो, ब्याज व्यय/आय के रूप में किया जाता है। तुलन पत्र में रेपो खाते में शेष को ऋण के रूप में वर्गीकृत किया गया और रिवर्स रेपो खाते में शेष को बैंक के पास शेष तथा मांग और अल्प सूचना पर प्रतिदेय के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

छ) आस्तियों के विरुद्ध प्रतिभूति रसीदों (एसआर) में निवेश:-

24 सितंबर, 2021 के परिपत्र संख्या आरबीआई/डीओआर/2021-22/86 डीओआर.एसटीआर.आरईसी.51/21.04.048/2021-22 के माध्यम से जारी आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार, बैंक ने प्रतिभूतिकरण के अंतर्गत एसआर के संबंध में मूल्यांकन पद्धति को संशोधित किया है।

ए) बैंकों द्वारा एआरसी द्वारा जारी एसआर/पीटीसी/अन्य प्रतिभूतियों में निवेश का मूल्यांकन समय-समय पर ऐसे लिखत के लिए प्राप्त वसूली रेटिंग के आधार पर एआरसी द्वारा घोषित शुद्ध संपत्ति मूल्य (एनएवी) की गणना करके किया जाएगा।

बशर्ते कि जब बैंक एआरसी द्वारा जारी किए गए एसआर/पीटीसी में उनके द्वारा एआरसी को हस्तांतरित किए गए तनावग्रस्त ऋणों के संबंध में निवेश करते हैं, तो बैंक निवेश को अपनी बहियों में निरंतरता के आधार पर तब तक जारी रखेगा, जब तक कि उसका हस्तांतरण या वसूली नहीं हो जाती है। यह ऊपर दिए गए एनएवी के आधार पर एसआर का मोचन मूल्य और अंतरण के समय हस्तांतरित तनावग्रस्त ऋण की एनबीवी के आधार पर, इन दोनों में जो भी कम हो पर बही में रखा जाता है।

बशर्ते कि आगे कि जब बैंक द्वारा एसआर में उसके द्वारा हस्तांतरित ऋणों द्वारा समर्थित निवेश, उसके हस्तांतरित ऋणों द्वारा समर्थित सभी एसआर के 10 प्रतिशत से अधिक हो और उस प्रतिभूतिकरण के तहत जारी किया गया हो, तो बैंक द्वारा ऐसे एसआर का मूल्यांकन एसआर के अंकित मूल्य के फ्लोर के अधीन होगा जिसे अंतर्निहित ऋणों पर लागू प्रावधान दर से कम किया जायेगा, यदि बैंक की बही में ऋण जारी रहे।

बी) एसआरएस/पीटीसी जिन्हें समाधान अवधि (अर्थात पांच साल या आठ साल जैसा भी मामला हो) के अंत में भुनाया नहीं गया है, उन्हें बैंक की बही में नुकसान की संपत्ति के रूप में माना जाएगा और पूरी तरह से प्रावधान किया जाएगा।

सी) आरबीआई द्वारा समय-समय पर निर्धारित गैर-एसएलआर लिखतों में निवेश के लिए लागू मूल्यांकन, वर्गीकरण और अन्य मानदंड एआरसी द्वारा जारी डिबेंचर/बांड/एसआरएस/पीटीसी में बैंक निवेश पर लागू होंगे। हालांकि, यदि एआरसी द्वारा जारी उपरोक्त में से कोई भी लिखत संबंधित योजना में लिखतों को सौंपी गई वित्तीय परिसंपत्तियों की वास्तविक वसूली के अधीन है, तो बैंक ऐसे निवेशों के मूल्यांकन के लिए समय-समय पर एआरसी से प्राप्त एनएवी की गणना करेगा।

8) डेरिवेटिव

वर्तमान में बैंक फॉरेक्स वायदा संविदा, ब्याज दर एवं करेंसी डेरिवेटिव का कार्य करता है। बैंक द्वारा किया जाने वाला, ब्याज दर डेरिवेटिव, रुपया ब्याज

Costs and revenues are accounted as interest expenditure/income, as the case may be. Balance in Repo Account is classified as Borrowings and balance in Reverse Repo account is classified as Balance with Banks and Money at Call & Short Notice in the Balance sheet.

G. Investment in Security Receipts (SRs) backed by assets:-

In terms of RBI guidelines issued vide circular no RBI/DOR/2021-22/86 DOR.STR.REC.51/21.04.048/2021-22 dated September 24, 2021, the bank has revised valuation methodology in respect of SRs under securitization,

a) Investments by banks in SRs / PTCs / other securities issued by ARCs shall be valued periodically by reckoning the Net Asset Value (NAV) declared by the ARC based on the recovery ratings received for such instruments.

Provided that when bank invest in the SRs/PTCs issued by ARCs in respect of the stressed loans transferred by them to the ARC, the bank shall carry the investment in their books on an ongoing basis, until its transfer or realization, at lower of the redemption value of SRs arrived based on the NAV as above, and the NBV of the transferred stressed loan at the time of transfer.

Provided further that when the investment by bank in SRs backed by stressed loans transferred by it, is more than 10 percent of all SRs backed by its transferred loans and issued under that securitisation, the valuation of such SRs by the bank will be additionally subject to a floor of face value of the SRs reduced by the provisioning rate as applicable to the underlying loans, had the loans continued in the books of the bank.

b) SRs/PTCs which are not redeemed as at the end of the resolution period (i.e., five years or eight years as the case may be) shall be treated as loss asset in books of the bank and fully provided for.

c) The valuation, classification and other norms applicable to investment in non-SLR instruments prescribed by RBI from time to time shall be applicable to bank investment in debentures/ bonds/ SRs /PTCs issued by ARC. However, if any of the above instruments issued by ARC is limited to the actual realisation of the financial assets assigned to the instruments in the concerned scheme, the bank shall reckon the NAV obtained from ARC from time to time, for valuation of such investments.

8. DERIVATIVES:

The Bank presently deals in Forex Forward Contracts, interest rate, and currency derivatives. The interest rate

दर स्वैप, विदेशी मुद्रा ब्याज दर स्वैप, वायदा दर करार तथा ब्याज दर फ्यूचर है। बैंक द्वारा किए जा रहे मुद्रा डेरिवेटिव हैं - ऑप्शन, करेन्सी स्वैप तथा करेन्सी फ्यूचर। भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशानुसार, डेरिवेटिव को निम्नानुसार मूल्यांकित किया जाता है :

क) हेज/नॉन हेज (मार्केट मेकिंग) संव्यवहार अलग-अलग रिकॉर्ड किए जाते हैं।

ख) हेज़िंग डेरिवेटिव पर आय/व्यय, उपचय आधार पर लेखांकित होती है।

ग) फॉरेक्स फॉरवर्ड संविदाओं को बाजार मूल्य पर अंकित किया जाता है और परिणामत: लाभ एवं हानि को लाभ एवं हानि खाते में निर्धारित किया जाता है।

घ) हेजिंग डेरिवेटिव की एमटीएम बढ़ोतरी (एप्रीसिएशन)/मूल्यह्रास होने पर सर्वप्रथम इनके संबंधित अंडरलाइंग आस्ति के मूल्यह्रास/बढ़ोतरी (एप्रीसिएशन) से इसका समंजन (सेट ऑफ) किया जाता है तथा इसके परिणाम से निकले मूल्यह्रास को निर्धारित किया जाता है। यदि उक्त के परिणाम स्वरूप बढ़ोतरी (एप्रीसिएशन) निकलता है तो उस पर ध्यान नहीं दिया जाता है।

ङ) ट्रेडिंग के उद्देश्य से, एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव के अलावा, ब्याज दर डेरिवेटिव और मुद्रा डेरिवेटिव को बाजार मूल्य पर अंकित किया जाता है और परिणामत: हानि, यदि कोई हो तो, उसको लाभ एवं हानि खाते में निर्धारित किया जाता है। शुद्ध लाभ, यदि कोई हो तो उस पर ध्यान नहीं दिया जाता है।

च) व्यापार के उद्देश्य से प्रविष्ट, एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव का, संबंधित एक्सचेंज द्वारा प्रदत्त दरों के आधार पर, प्रचलित बाजार दरों पर अंकन किया जाता है तथा इसके परिणामस्वरूप लाभ और हानि को, लाभ-हानि खाते में निर्धारित किया जाता है।

छ) ट्रेडिंग स्वैप के निरस्तीकरण से, लाभ/हानियों को, निरस्तीकरण तिथि पर आय/व्यय के रूप में रिकॉर्ड किया जाता है। हेजिंग स्वैप की समाप्ति पर, किसी भी लाभ/हानि को, उस समय स्थगित किया जाता है तथा संविदा के अनुसार स्वैप की बची हुई अवधि या निर्दिष्ट आस्ति/देयता की अवधि - इन दोनों में जो भी कम हो, उस काल खण्ड में उसे निर्धारित किया जाता है।

ज) ऑप्शन संविदा की परिपक्वता अवधि पर, ऑप्शन शुल्क/प्रीमियम का परिशोधन किया जाता है।

9. संपत्ति, संयंत्र तथा उपकरण: (एएस 10 संपत्ति, संयंत्र तथा उपकरण)

क. पुनर्मूल्यांकित आस्तियों के मामलों के अतिरिक्त, जिन्हें पुनर्मूल्यन रकम पर बताया जाता है, अचल आस्तियों को पूर्व के लागत के आधार पर बताया है। पुनर्मूल्यांकन से आई वृद्धि (एप्रीसिएशन) को पुनर्मूल्यांकन आरक्षिति में जमा किया जाता गया है।

ख. खरीद की लागत तथा आस्ति के उपयोग के पहले या उसे पहले प्रयोग योग्य बनाने के लिए स्थान संबंधी तैयारी की संस्थापना लागत, व्यावसायिक शुल्क इत्यादि जैसे किए गए सभी व्यय लागत में शामिल हैं। उपयोग की जा रही आस्तियों पर किए गए उत्तरवर्ती व्यय को केवल तभी पूंजीकृत किया जाएगा, जब ऐसी आस्तियों से अथवा उनकी कार्यात्मक क्षमता से भविष्य में लाभ में वृद्धि होती है।

ग. 5 वर्ष से कम आकलित उपयोगी जीवन वाली आस्तियों को छोड़कर, सभी आस्तियों के लिए 5% अवशिष्ट मूल्य रखा गया है (यथा मोबाइल फोन, कम्प्यूटर, ऐसे कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर जो हार्डवेयर का अभिन्न अंग हैं), जहाँ संबंधित आस्ति की पूरी लागत, उपयोगी जीवन के ऊपर परिशोधित की जाती है।

derivatives dealt with by the Bank are Rupee Interest Rate Swaps, Foreign Currency Interest Rate Swaps, Forward Rate Agreements and Interest Rate Futures. Currency Derivatives dealt with by the Bank are Options, Currency Swaps and Currency Futures. Based on RBI guidelines, Derivatives are valued as under:

a. The hedge/non hedge (market making) transactions are recorded separately.

b. Income/expenditure on hedging derivatives are accounted on accrual basis.

c. Forex forward contracts are marked to market and the resultant gains and losses are recognized in the profit and loss account

d. MTM appreciation/ depreciation of hedging derivative is first set off with the depreciation / appreciation of the corresponding underlying and the resultant depreciation is recognized. Resultant appreciation, if any, is ignored.

e. Interest Rate Derivatives and currency derivatives other than exchange traded derivatives for trading purpose are marked to market and the resulting losses, if any, are recognised in the Profit & Loss account. Net Profit if any, is ignored.

f. Exchange Traded Derivatives entered into for trading purposes are valued at prevailing market rates based on rates given by the Exchange and the resultant gains and losses are recognized in the Profit and Loss Account.

g. Gains/ losses on termination of the trading swaps are recorded on the termination date as income/ expenditure. Any gain/loss on termination of hedging swaps are deferred and recognised over the shorter of the remaining contractual life of the swap or the remaining life of the designated assets/liabilities.

h. Option fees/premium is amortised over the tenor of the option contract.

9. PROPERTY, PLANT & EQUIPMENT: (AS 10 Property, Plant & Equipment)

a. Fixed assets are stated at historic cost, except in the case of assets which have been revalued, which are stated at revalued amount. The appreciation on revaluation is credited to Revaluation Reserve.

b. Cost includes cost of purchase and all expenditure such as site preparation, installation costs, professional fees, etc. incurred on the asset before it is ready to use or capable of ready to use. Subsequent expenditure incurred on assets ready to use is capitalised only when it increases the future benefits from such assets or their functioning capability.

c. 5% residual value has been kept for all the assets except for the assets with estimated useful life less than 5 Years (eg. Mobile Phones, Computers and Computer Software forming integral part of hardware), where the entire cost of the assets is amortised over the useful life.

घ. मूल्यह्रास की दर तथा मूल्यह्रास प्रभारित करने का तरीका नीचे दिया गया है-

d. The rates of depreciation and method of charging depreciation is given below:

क्र. सं. Sr. No.	विवरण	Particulars	मूल्यह्रास की दर Rate of Depreciation	बैंक के द्वारा निर्धारित उपयोगी जीवन का आकलन Estimated useful life as determined by the Bank	मूल्यह्रास प्रभारित करने का तरीका Method of charging depreciation
1	**भवन एवं भूमि:**	**Land & Building:**			
1.a.	भूमि (फ्री होल्ड)	Land (Freehold)	शून्य NIL		
1.b.	पट्टाधारित भूमि	Leasehold Land		पट्टे की अवधि में लीज प्रीमियम परिशोधित की जाती है। Lease premium is amortised over the period of lease	
1.c.	भवन (भूमि की लागत सहित यदि पहले निर्धारित नहीं की गयी है)	Building (including cost of land if not ascertained separately)	1.58%	60 वर्ष Years	सीधी आरेख पद्धति Straight Line
2.	**अन्य अचल आस्तियां:-**	**Other Fixed Assets:-**			
a.	फर्नीचर, फिक्सचर, इलेक्ट्रिकल फिटिंग एवं उपकरण	Furniture, Fixtures, Electrical fittings and Equipment's	9.50%	10 वर्ष Years	सीधी आरेख पद्धति Straight Line
b.	इलेक्ट्रिकल फिटिंग एवं उपकरण	Electrical Fitting and Equipment's	9.50%	10 वर्ष Years	सीधी आरेख पद्धति Straight Line
c.	एयर कंडिशनिंग प्लांट इत्यादि एवं कारोबार मशीनें	Air-conditioning plants, etc. and business machines	6.33%	15 वर्ष Years	सीधी आरेख पद्धति Straight Line
d.	मोटर कार, वैन एवं मोटर साइकिलें	Motor cars, Vans & Motor cycles	11.88%	8 वर्ष Years	सीधी आरेख पद्धति Straight Line
e.	साइकल	Cycle	20.00%	5 वर्ष Years	सीधी आरेख पद्धति Straight Line
f.	मोबाइल फोन	Mobile phones	33.33%	3 वर्ष Years	सीधी आरेख पद्धति Straight Line
g.	कम्प्यूटर तथा कंम्प्यूटर सॉफ्टवेयर जो हार्डवेयर का अभिन्न अंग है।	Computers and Computer Software forming integral part of hardware	33.33%	3 वर्ष Years	सीधी आरेख पद्धति Straight Line
h.	सर्वर	Servers	20%	5 वर्ष Years	सीधी आरेख पद्धति Straight Line
i.	कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर जो हार्डवेयर का अभिन्न अंग नहीं है।	Computer Software, which do not form integral part of computer hardware	20%	5 वर्ष Years	सीधी आरेख पद्धति Straight Line

ङ. खरीद/बिक्री के संबंध में मूल्य ह्रास को वर्ष के दौरान जितने दिनों के लिए आस्ति का प्रयोग किया गया, उसके आनुपातिक आधार पर किया जाता है।

च. जैसा कि आस्तियों के पुनर्मूल्यांकन के समय मूल्यांकित किया गया, उक्त आस्ति के बचे हुए, उपयोगी जीवन में पुनर्मूल्यांकित अंश का मूल्यह्रास किया जाता है। ऐसे मूल्यह्रास को लाभ एवं हानि पर प्रभारित किया जाता है और इसके बराबर की राशि को पुनर्मूल्यांकन आरक्षिति से राजस्व आरक्षिति में अंतरित किया जाता है।

छ. भारत के बाहर की अचल आस्तियों पर मूल्यह्रास, सीधी आरेख पद्धति पर आधारित होता है, उन स्थानों को छोड़कर जहाँ स्थानीय संबंधित प्राधिकारियों के द्वारा अलग दर/पद्धति निर्धारित की गयी है।

ज. कम्प्युटर सॉफ्टवेयर जो कि कम्प्युटर हार्डवेयर का अभिन्न अंग नहीं है, को अमूर्त आस्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया है तथा उसे 5 वर्ष की अवधि पर परिशोधित किया जाता है।

झ. पट्टे पर धारित भूमि के संबंध में यदि कोई पट्टा प्रीमियम हो तो उसे पट्टे की अवधि के दौरान परिशोधित किया जाता है।

e. In respect of additions/sale during the year, depreciation is provided on proportionate basis for the number of days the assets have been ready to use during the year.

f. The revalued portion is depreciated over the balance useful life of the assets as assessed at the time of revaluation. Such depreciation is charged to Profit & loss and equivalent amount is transferred from Revaluation Reserve to Revenue Reserve.

g. Depreciation on fixed assets outside India is provided on Straight Line Method, except at the centres where different rates/method have been prescribed by the local statutory authorities.

h. Computer Software, not forming integral part of computer hardware is classified as intangible asset and amortised over a period of 5 years.

i. In respect of leasehold land, the lease premium, if any, is amortised over the period of lease.

10. विदेशी मुद्रा विनिमय से संबद्ध संव्यवहार:

विदेशी मुद्रा से संबंधित संव्यवहारों का लेखांकन, आरबीआई के वर्तमान दिशानिर्देशों के साथ पठित लेखामानक (एएस)11, ''विदेशी विनिमय दरों में परिवर्तन का प्रभाव'' के अनुसार किया जाता है:

क) **समाकलित विदेशी परिचालनों के संबंध में स्पष्टीकरण:** भारतीय शाखाओं के विदेशी मुद्रा में संव्यवहारों का वर्गीकरण समाकलित विदेशी परिचालन के रूप में किया गया है और ऐसे परिचालन के विदेशी मुद्रा में संव्यवहारों को निम्नानुसार परिवर्तित किया गया है:

i. विदेशी मुद्रा में संव्यवहारों को, रिपोर्टिंग मुद्रा में, आरंभिक मान्यता पर रिकॉर्ड किया जाता है, जो कॉगजेन्सिस/रायटर के पृष्ठ में प्रदर्शित दैनिक क्लोजिंग दर पर रिपोर्टिंग मुद्रा और विदेशी मुद्रा के बीच विनिमय दर को विदेशी मुद्रा रकम पर लगाया जाता है।

ii. विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदों को, भारतीय विदेशी मुद्रा डीलर संघ (एफईडीएआई) के क्लोजिंग स्पॉट दरों का प्रयोग कर, रिपोर्ट किया जाता है।

iii. विदेशी मुद्रा गैर-मौद्रिक मदों को, जिन्हें पूर्व के लागत के अनुसार लगाया जाता है, उन्हें संव्यवहार की तारीख पर विनिमय दर का प्रयोग करते हुए रिपोर्ट किया जाता है।

iv. विदेशी मुद्रा में रखी गयी आकस्मिक देयताओं को एफईडीएआई के क्लोजिंग स्पॉट दरों का प्रयोग कर रिपोर्ट किया जाता है।

v. बकाया विदेशी मुद्रा विनिमय स्पॉट और कारोबार के लिए धारित वायदा संविदा का निर्धारित परिपक्वता के लिए एफईडीएआई द्वारा अधिसूचित विनिमय दरों पर पुनर्मूल्यांकन किया जाता है और परिणामत: लाभ अथवा हानि को लाभ और हानि खाते में मान्यता दी जाती है।

vi. एफईडीएआई द्वारा दी गई सूचना के अनुसार बकाया विदेशी मुद्रा विनिमय वायदा संविदा जिन पर कारोबार नहीं किया जाएगा, उनका क्लोजिंग स्पॉट दर पर मूल्यांकन किया जाता है। ऐसे वायदा विनिमय संविदा के आरंभ में उत्पन्न प्रीमियम अथवा बट्टे को, संविदा के जीवनकाल में व्यय अथवा आय पर परिशोधित किया जाता है।

vii. मौद्रिक मदों के निपटान में, आरंभ में रिकॉर्ड किए गए दरों से भिन्न दरों के लिए उत्पन्न विनिमय अंतर को, उस अवधि के लिए आय के रूप में अथवा व्यय के रूप में माना जाएगा जिस समय यह उत्पन्न हुआ।

viii. मुद्रा वायदा कारोबार में खुली स्थिति के विनिमय दर में परिवर्तन के कारण प्राप्ति/हानि का निपटान, दैनिक आधार पर, विनिमय समाशोधन गृह में किया जाता है और ऐसे लाभ/हानि को, लाभ एवं हानि खाते में मान्य किया जाता है।

ख) **समाकलन रहित विदेशी परिचालनों के संबंध में स्पष्टीकरण:** विदेशी शाखाओं के विदेशी मुद्रा में संव्यवहार को आंतरिक विदेशी परिचालनों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है और उनके वित्तीय विवरणपत्रों को निम्नानुसार परिवर्तित किया जाता है :

i. आस्तियों एवं देयताओं (मौद्रिक और गैर-मौद्रिक के साथ साथ आकस्मिक देयताओं) को वर्ष की समाप्ति पर भारतीय विदेशी मुद्रा डीलर संघ (एफईडीएआई) द्वारा अधिसूचित क्लोजिंग दरों के आधार पर परिवर्तित किया जाता है।

10. TRANSACTION INVOLVING FOREIGN EXCHANGE:

Transactions involving foreign exchange are accounted for in accordance with AS 11, "The Effect of Changes in Foreign Exchange Rates" read with extant RBI guidelines:

A. **Translation in respect of Integral Foreign operations:** Foreign currency transactions of Indian branches have been classified as integral foreign operations and foreign currency transactions of such operations are translated as under:

i. Foreign currency transactions are recorded on initial recognition in the reporting currency by applying to the foreign currency amount, the daily closing rate as available from Cogencis/ Reuter's page on date of the transaction.

ii. Foreign currency monetary items are reported using the Foreign Exchange Dealers Association of India (FEDAI) closing spot rates.

iii. Foreign currency non-monetary items, which are carried in terms of historical cost, are reported using the exchange rate at the date of the transaction.

iv. Contingent liabilities denominated in foreign currency are reported using the FEDAI closing spot rates.

v. Outstanding foreign exchange spot and forward contracts held for trading are revalued at the exchange rates notified by FEDAI for specified maturities, and the resulting notional profit or loss is recognised in the Profit and Loss account.

vi. Outstanding Foreign exchange forward contracts which are not intended for trading are valued at the closing spot rate as advised by FEDAI. The premium or discount arising at the inception of such a forward exchange contract is amortised as expense or income over the life of the contract.

vii. Exchange differences arising on the settlement of monetary items at rates different from those at which they were initially recorded are recognised as income or as expense in the period in which they arise.

viii. Gains/Losses on account of changes in exchange rates of open position in currency futures trades are settled with the exchange clearing house on daily basis and such gains/ losses are recognised in the Profit and Loss account.

B. **Translation in respect of Non-Integral Foreign operations:** Transactions and balances of foreign branches are classified as non-integral foreign operations and their financial statements are translated as follows:

i. Assets and Liabilities (monetary and non-monetary as well as contingent liabilities) are translated at the closing rates notified by FEDAI.

ii. आय और व्ययों को संबंधित तिमाही की समाप्ति पर, एफईडीएआई द्वारा सूचित तिमाही औसत क्लोजिंग दर पर परिवर्तित किया जाता है।

iii. सभी परिणामी विनिमय अंतरों को, संबंधित विदेशी शाखाओं में, निवल निवेशों के निपटान तक, एक अलग खाते 'विदेशी मुद्रा परिवर्तन रिजर्व" में संचित किया जाता है।

iv. विदेशी कार्यालयों के विदेशी मुद्रा में आस्तिओं और देयताओं (विदेशी कार्यालयों के स्थानीय मुद्रा को छोड़कर) को उस देश में लागू स्पॉट दरों का प्रयोग करते हुए स्थानीय मुद्रा में परिवर्तित जाता है।

11. कर्मचारी लाभ : (एएस 15 कर्मचारी लाभ)

A. अल्पावधि कर्मचारी लाभ:

अल्पावधि कर्मचारी लाभों की बट्टाकृत रकम जैसे मेडिकल लाभ आदि का भुगतान, जो कर्मचारी द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के विनिमय में किया जाता है, उसे कर्मचारी द्वारा दी जा रही सेवा की अवधि के दौरान ही मान्यता दी जाएगी।

ग. दीर्घावधि कर्मचारी लाभ:

क. परिनिश्चित लाभ योजना:-

i) उपदान (ग्रैच्युटी):

बैंक, सभी पात्र कर्मचारियों को ग्रैच्युटी प्रदान करता है। यह लाभ, निहित कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति पर, नियोजन के दौरान मृत्यु पर, अथवा नियोजन की समाप्ति पर एक मुश्त भुगतान के रूप में दिया जाता है। यह राशि, प्रत्येक पूर्ण किए गए सेवा वर्ष के लिए देय, 15 दिनों के मूल वेतन के समतुल्य है जो उपदान संदाय अधिनियम, 1972 अथवा बीओआई उपदान निधि नियम, 1975 में निर्धारित अधिकतम राशि में, जो भी अधिक हो, के अधीन है। पांच वर्षों की सेवा पूर्ण होने पर वेस्टिंग होती है। बैंक, निधि में आवधिक अंशदान करता है जिसका प्रबंधन न्यासियों (ट्रस्टी) द्वारा किया जाता है जो तिमाही आधार पर एक स्वतंत्र बाह्य एक्चुरीयल मूल्यांकन पर आधारित है।

ii) पेंशन:

बैंक, सभी पात्र कर्मचारियों को पेंशन देता है। नियमों के अनुसार यह लाभ मासिक भुगतान के रूप में होता है और निहित कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति पर, नियोजन के दौरान मृत्यु पर, अथवा नियोजन की समाप्ति पर भुगतान किया जाता है। नियमों के अनुसार वेस्टिंग विभिन्न स्तरों पर होती है। बीओआई पेंशन विनियमन,1995 के अनुसार बैंक, पेंशन निधि में वेतन का 10% मासिक अंशदान करता है। पेंशन की देयता, स्वतंत्र एक्चुरीयल मूल्यांकन पर आधारित है जो तिमाही रूप में की जाती है और पेंशन विनियमन के अंतर्गत भुगतान के लाभों को सुरक्षित रखने के लिए आवश्यकता पड़ने पर निधि में बैंक द्वारा ऐसे अतिरिक्त अंशदान किए जाते हैं।

ii. Income and expenses are translated at the quarterly average closing rates notified by FEDAI.

iii. All resulting exchange differences are accumulated in a separate account 'Foreign Currency Translation Reserve' till the disposal of the net investments by the bank in the respective foreign branches.

iv. The Assets and Liabilities of foreign offices in foreign currency (other than local currency of the foreign offices) are translated into local currency using spot rates applicable to that country.

11. EMPLOYEE BENEFITS: (AS 15 Employee Benefits)

A. Short Term Employee Benefits:

The undiscounted amount of short-term employee benefits, such as medical benefits etc. which are expected to be paid in exchange for the services rendered by employees are recognised during the period when the employee renders the service.

B. Long Term Employee Benefits:

a. Defined Benefit Plan:-

i) Gratuity:

The Bank provides gratuity to all eligible employees. The benefit is in the form of lump sum payments to vested employees on retirement, or on death while in employment, or on termination of employment, for an amount equivalent to 15 days basic salary payable for each completed year of service, subject to a maximum prescribed as per The Payment of Gratuity Act, 1972 or Bank of India Gratuity Fund Rules,1975, whichever is higher. Vesting occurs upon completion of five years of service. The Bank makes periodic contributions to a fund administered by trustees based on an independent actuarial valuation carried out quarterly.

ii) Pension:

The Bank provides pension to all eligible employees. The benefit is in the form of monthly payments as per rules and payments to vested employees on retirement, on death while in employment, or on termination of employment. Vesting occurs at different stages as per rules. The Bank makes monthly contribution to the pension fund at 10% of pay in terms of Bank of India Pension Regulations, 1995. The pension liability is reckoned based on an independent actuarial valuation carried out quarterly and Bank makes such additional contributions periodically to the Fund as may be required to secure payment of the benefits under the pension regulations.

ख. परिनिश्चित अंशदान योजना :

i) भविष्य निधि:

बैंक एक भविष्य निधि योजना चलाती है। सभी पात्र कर्मचारियों को बैंक की भविष्य निधि योजना के अंतर्गत लाभ पाने का हक है। बैंक, एक निर्धारित दर (वर्तमान में कर्मचारी के बेसिक वेतन के 10% के साथ पात्र भत्ते) पर मासिक अंशदान करता है। यह अंशदान इस उद्देश्य से स्थापित न्यास को प्रेषित किया जाता है और इसे लाभ तथा हानि खाते से प्रभारित किया जाता है। बैंक ऐसे वार्षिक अंशदानों को उस संबंधित वर्ष के व्यय के रूप में मान्यता देता है।

ii) पेंशन

दिनांक 01 अप्रैल, 2010 से बैंक में भर्ती हुए सभी कर्मचारी अंशदायी पेंशन के पात्र हैं। ऐसे कर्मचारी पेंशन योजना में पूर्व निर्धारित दर पर मासिक अंशदान करते हैं। उक्त पेंशन योजना में बैंक भी पूर्व निर्धारित दर पर मासिक अंशदान करता है। बैंक, ऐसी योजना में हुए व्यय को संबंधित वर्ष के व्यय के रूप में मान्यता देता है। यह अंशदान राष्ट्रीय पेंशन सिस्टम न्यास को प्रेषित किया जाता है। बैंक का दायित्व ऐसे पूर्व निर्धारित अंशदान तक सीमित है।

सी) अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ :

सभी पात्र कर्मचारी निम्नलिखित के पात्र हैं -

i.) छुट्टी नकदीकरण लाभ जो परिभाषित लाभ दायित्व है, एएस 15 - कर्मचारी लाभ के अनुरूप एक्चुरीयल मूल्यांकन के आधार पर उपलब्ध करवाया जाता है।

ii.) अन्य कर्मचारी लाभ जैसे छुट्टी किराया रियायत, माइलस्टोन अवार्ड, पुनर्स्थापना लाभ, बिमारी अवकाश इत्यादि परिनिश्चित लाभ दायित्व हैं जो एएस 15 - कर्मचारी लाभ के अनुरूप ऐक्चवेरीयल मूल्यांकन के आधार पर उपलब्ध करवाए जाते हैं।

iii.) विदेशी शाखाओं, कार्यालयों एवं सहायक कंपनियों के मामलों में, प्रतिनियुक्तियों को छोड़कर, अन्य कर्मचारियों के संबंध में लाभों की गणना, संबंधित देशों में विद्यमान कानूनों के आधार पर की जाती है।

12. सेग्मेंट रिपोर्टिंग: (एएस 17 सेग्मेंट रिपोर्टिंग)

बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार तथा भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखांकन मानक 17 के अनुपालन में व्यवसाय खंड को प्राथमिक रिपोर्टिंग खंड और भौगोलिक खंड को द्वितीयक रिपोर्टिंग खंड के रूप में मान्यता देता है।

13. पट्टा(लीज) संव्यवहार : (एएस 19 पट्टा)

पट्टा जहां स्वामित्व के जोखिम और रिवार्ड पट्टेदार द्वारा प्रतिधारित किए जाते हैं, को एएस 19 (पट्टा) के अनुसार परिचालन पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। ऐसे पट्टे पर पट्टा व्यय लाभ एवं हानि खाते में निर्धारित किए जाते है।

b. Defined Contribution Plan:

i) Provident Fund:

The Bank operates a Provident Fund scheme. All eligible employees are entitled to receive benefits under the Bank's Provident Fund scheme. The Bank contributes monthly at a determined rate (currently 10% of employee's basic pay plus eligible allowance). These contributions are remitted to a trust established for this purpose and are charged to Profit and Loss Account. The bank recognises such annual contributions as an expense in the year to which it relates.

ii) Pension:

All Employees of the bank, who have joined from 1st April, 2010 are eligible for contributory pension. Such employees contribute monthly at a predetermined rate to the pension scheme. The bank also contributes monthly at a predetermined rate to the said pension scheme. Bank recognises its contribution to such scheme as expenses in the year to which it relates. The contributions are remitted to National Pension System Trust. The obligation of bank is limited to such predetermined contribution.

C. Other Long term Employee Benefit:

All eligible employees are entitled to the following-

i.) Leave encashment benefit, which is a defined benefit obligation, is provided for on the basis of an actuarial valuation in accordance with AS 15 - Employee Benefits.

ii.) Other employee benefits such as Leave Fare Concession, Milestone award, resettlement benefits, Sick leave etc. which are defined benefit obligations are provided for on the basis of an actuarial valuation in accordance with AS 15 - Employee Benefits.

iii.) In respect of overseas branches and offices, the benefits in respect of employees other than those on deputation are valued and accounted for as per laws prevailing in the respective territories.

12. SEGMENT REPORTING: (AS 17 Segment reporting)

The Bank recognises the business segment as the primary reporting segment and geographical segment as the secondary reporting segment in accordance with the RBI guidelines and in compliance with the Accounting Standard 17 issued by Institute of Chartered Accountants of India.

13. Lease Transactions: (AS 19 Leases)

Lease where risks & rewards of ownership are retained by lessor are classified as Operating Lease as per AS 19 (Leases). Lease expenses on such lease are recognised in Profit & Loss Account.

14. प्रति शेयर अर्जन : (एएस 20 प्रति शेयर अर्जन)

एएस 20 " अर्जन प्रति शेयर " के अनुसार, प्रति इक्विटी शेयर, बेसिक एवं डायल्यूटेड अर्जन रिपोर्ट किए जाते हैं। प्रति इक्विटी शेयर मूल अर्जन की गणना, कर पश्चात् निवल लाभ को उस अवधि के दौरान बकाया इक्विटी शेयर की भारित औसत संख्या से भाग देकर की जाती है।

प्रति इक्विटी शेयर डायल्यूटेड आय की गणना, इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या एवं अवधि के दौरान बकाया डाइलूटिव संभाव्य इक्विटी शेयरों को उपयोग में लाकर की जाती है।

15. आय पर कर: (एएस 22 आय पर कर हेतु लेखांकन)

बैंक द्वारा किये गये वर्तमान कर तथा आस्थागित कर के व्यय की कुल राशि, आयकर व्यय है। आयकर अधिनियम, 1961 तथा लेखांकन मानक 22- ''आय पर कर के लिए लेखांकन'' के प्रावधानों अनुसार क्रमश: वर्तमान कर व्यय तथा आस्थगित कर व्यय का निर्धारण किया जाता है। इसमें विदेशी कार्यालयों द्वारा संबंधित देशों के कर कानूनों पर आधारित, भुगतान किये गये करों को ध्यान में रखा जाता है।

आस्थगन कर समायोजन में, वर्ष के दौरान स्थगित कर आस्ति या देयता में परिवर्तन शामिल होता है। वर्तमान वर्ष हेतु कर योग्य आय तथा लेखांकन आय के बीच अंतर तथा हानि को आगे ले जाने पर, समय के प्रभाव पर विचार करते हुए आस्थगित कर आस्ति एवं देयताओं को निर्धारित किया जाता है। तुलन पत्र की तारीख को लागू या पूर्णत: लागू कर दर तथा कर कानून का प्रयोग कर, आस्थगित कर आस्तियाँ तथा देयताएँ तय की जाती हैं। आस्थगित कर आस्तियों तथा देयताओं में परिवर्तन का प्रभाव, लाभ तथा हानि खाते में निर्धारित किया जाता है।

प्रबंधन के निर्णय के अनुसार यदि उगाही निश्चित है तो प्रत्येक रिपोर्टिंग तारीख को आस्थगित कर आस्तियाँ, निर्धारित एवं पुनर्मूल्यांकित की जाती हैं। अनवशोषित मूल्यह्रास तथा कर हानि को आगे ले जाने पर आस्थगित कर आस्ति को तब ही निर्धारित किया जाता है जब इस बात के ठोस और निश्चित प्रमाण हों कि भविष्य के कर योग्य आय के विरुद्ध आस्थगित कर आस्ति की उगाही की जा सकती है।

16. आस्तियों का ह्रास: (एएस 28 आस्तियों का ह्रास)

''स्थिर आस्तियों (पुनर्मूल्यित आस्तियों सहित) पर ह्रासित हानि, यदि कोई हो तो, एएस 28 ''आस्तियों का ह्रास'' के अनुरूप, लाभ और हानि खाते में प्रभारित की जाती है। तथापि, पुनर्मूल्यित आस्ति पर ह्रासित हानि को सीधे आस्ति के लिए किसी पुनर्मूल्यन अधिशेष पर मान्यता, उस हद तक है जहां तक, एक ही आस्ति के पुनर्मूल्यन अधिशेष में रखी गयी रकम ह्रासित हानि से अधिक न हो।''

14. EARNINGS PER SHARE: (AS 20 Earnings per Share)

Basic and Diluted earnings per equity share are reported in accordance with AS 20 "Earnings per share". Basic earnings per equity share are computed by dividing net profit after tax by the weighted average number of equity shares outstanding during the period.

Diluted earnings per equity share are computed using the weighted average number of equity shares and dilutive potential equity shares outstanding at the end of the period.

15. TAXES ON INCOME: (AS 22 Accounting for taxes on Income)

Income tax expense is the aggregate amount of current tax and deferred tax expense incurred by the Bank. The current tax expense and deferred tax expense are determined in accordance with the provisions of the Income Tax Act, 1961 and as per Accounting Standard 22 - "Accounting for Taxes on Income" respectively after taking into account taxes paid at the foreign offices, which are based on the tax laws of respective jurisdictions.

Deferred Tax adjustments comprise changes in the deferred tax assets or liabilities during the year. Deferred tax assets and liabilities are recognised by considering the impact of timing differences between taxable income and accounting income for the current year, and carry forward losses. Deferred tax assets and liabilities are measured using tax rates and tax laws that have been enacted or substantively enacted at the balance sheet date. The impact of changes in deferred tax assets and liabilities is recognised in the profit and loss account.

Deferred tax assets are recognised and re-assessed at each reporting date, based upon management's judgment as to whether their realisation is considered as reasonably certain. Deferred Tax Assets are recognised on carry forward of unabsorbed depreciation and tax losses only if there is virtual certainty supported by convincing evidence that such deferred tax assets can be realised against future taxable income.

16. IMPAIRMENT OF ASSETS: (AS 28 Impairment of Assets)

"Impairment losses, if any on Fixed Assets (including revalued assets) are recognised and charged to Profit and Loss account in accordance with AS 28 "Impairment of Assets". However, an impairment loss on a revalued asset is recognised directly against any revaluation surplus for the asset to the extent that the impairment loss does not exceed the amount held in the revaluation surplus for that same asset."

17. प्रावधान, आकस्मिक देयताएं एवं आकस्मिक आस्तियां:
(एएस 29 प्रावधान, आकस्मिक देयताएं एवं आकस्मिक आस्तियां)

एएस 29 ''प्रावधान, आकस्मिक देयताएं एवं आकस्मिक आस्तियां'' के अनुसार बैंक, प्रावधानों को तभी मान्यता देता है जब पिछली घटनाओं के परिणामस्वरूप वर्तमान पर कोई दायित्व हो और यह संभाव्य है कि आर्थिक लाभों को समाविष्ट करते हुए संसाधनों के बहिर्गमनों के दायित्वों का निपटान करने की आवश्यकता पड़ेगी और जब दायित्व की राशि का विश्वसनीय अनुमान किया जा सकता है।

जब तक कि आर्थिक लाभों को समाविष्ट करते हुए संसाधनों के बहिर्गमन की संभावना कम न हो, आकस्मिक देयताओं का प्रकटन किया जाता है।

वित्तीय विवरणियों में आकस्मिक आस्तियों को मान्य नहीं किया जाता है।

18. शेयर जारी करने हेतु व्यय :

जिस वर्ष में शेयर जारी किया जाता है, उस वर्ष शेयर जारी करने के व्यय को लाभ तथा हानि खाते में प्रभारित किया जाता है।

17. PROVISIONS, CONTINGENT LIABLITIES AND CONTINGENT ASSETS: (AS 29 Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets)

As per AS 29 "Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets", the Bank recognises provisions only when it has a present obligation as a result of a past event and it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation and when a reliable estimate of the amount of the obligation can be made.

Contingent liability is disclosed unless the possibility of an outflow of resources embodying economic benefit is remote.

Contingent Assets are not recognised in the financial statements.

18. SHARE ISSUE EXPENSES:

Share issue expenses are charged to Share Premium Account in the year of issue of shares.

अनुसूची 18

जब तक कि विशिष्ट रूप से अन्यथा न कहा गया हो, सभी आंकड़े ₹ करोड़ में हैं, कोष्ठक में दिए गए आंकड़े पिछले वर्ष से संबंधित हैं।

लेखा के भाग स्वरूप टिप्पणियाँ

आरबीआई द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार निम्नलिखित जानकारी दी गयी है:

1. पूंजी (बेसल-III के अनुसार):

(क) **नियामक पूंजी की संरचना :**

SCHEDULE 18:

All figures are in ₹ Crore unless specifically stated, figures in brackets relate to previous year.

NOTES FORMING PART OF ACCOUNTS

The following information is disclosed in terms of guidelines issued by RBI:

1. Capital (As per BASEL-III):

(a) **Composition of Regulatory Capital:**

क्र. सं. Sr. No.	विवरण	Particulars	31.03.2023	31.03.2022
i)	सामान्य इक्विटी टियर1 पूंजी अनुपात (CET1)	Common Equity Tier 1 capital (CET 1)	48,231.94	42,695.01
ii)	अतिरिक्त टियर 1 पूंजी	Additional Tier 1 capital	2,852.00	1,352.00
iii)	टियर 1 पूंजी (i + ii)	Tier 1 capital (i + ii)	51,083.94	44,047.01
iv)	टियर 2 पूंजी	Tier 2 capital	6,643.48	8,205.57
v)	कुल पूंजी (टियर 1 टियर 2)	Total capital (Tier 1+Tier 2)	57,727.42	52,252.58
vi)	कुल जोखिम भारित आस्तियां (आरडब्लूए)	Total Risk Weighted Assets (RWAs)	354,534	3,16,395
vii)	सामान्य इक्विटी टियर 1 पूंजी अनुपात (सीईटी1) (%)	Common Equity Tier 1 Capital ratio (CET1) (%)	13.60%	13.49%
viii)	टियर I पूंजी अनुपात (%)	Tier I Capital ratio (%)	14.41%	13.92%
ix)	टियर II पूंजी अनुपात (%)	Tier II Capital ratio (%)	1.87%	2.59%
x)	पूंजी से जोखिम भारित आस्तियों का अनुपात (सीआरएआर) (आरडब्ल्यूए के प्रतिशत के रूप में कुल पूंजी)	Capital to Risk Weighted Assets Ratio (CRAR) (Total Capital as a percentage of RWAs)	16.28%	16.51%
xi)	लीवरेज अनुपात	Leverage Ratio	6.04%	5.70%
xii)	भारत सरकार की शेयरधारिता का प्रतिशत	Percentage of the shareholding of Government of India	81.41%	81.41%
xiii)	वर्ष के दौरान जुटाई गई चुकता इक्विटी पूंजी की राशि	Amount of paid-up equity capital raised during the year	0.00	* 5,550.01
xiv)	आवंटन के लिए लंबित शेयर आवेदन राशि	Share application money pending for allotment	0.00	0.00
xv)	वर्ष के दौरान जुटाई गई गैर-इक्विटी टियर 1 पूंजी की राशि, जिसमें से:	Amount of non-equity Tier 1 capital raised during the year, of which:		
	ए) बेसल III अनुवर्ती स्थायी गैर-संचयी अधिमान्य शेयर	a) Basel III compliant Perpetual Non-Cumulative Preference Shares	0.00	0.00
	बी) बेसल III अनुवर्ती स्थायी अतिरिक्त टियर- I ऋण लिखत	b) Basel III complaint Perpetual Additional Tier-I Debt Instruments	1,500.00	0.00
xvi)	वर्ष के दौरान जुटाई गई टियर 2 पूंजी की राशि, जिसमें से	Amount of Tier 2 capital raised during the year, of which		
	ए) स्थायी संचयी अधिमान्य शेयर	a) Perpetual Cumulative Preference Shares	0.00	0.00
	बी) बेसल III अनुवर्ती प्रतिदेय टियर-II बॉन्ड	b) Basel III Compliant redeemable Tier-II Bond Series	0.00	1,800.00

पूंजी - जोखिम भारित परिसंपत्ति अनुपात और लीवरेज अनुपात की उक्त गणना 31.03.2021 को समाप्त वित्त वर्ष के दौरान भारत सरकार द्वारा पूंजी की रूप में लगाई गैर-ब्याज वाले पुनर्पूंजीकरण बांड के निवल वर्तमान मूल्य के प्रभाव पर विचार करने के बाद की गई है।

भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र संख्या डीबीआर.सं.बीपी.बीसी.83/21.06.201/2015-16 दिनांक 1 मार्च 2016 के अनुरूप, बैंक ने पूंजी पर्याप्तता अनुपात यथा 31 मार्च 2023 के परिकलन में पुनर्मूल्यांकन आरक्षिति, विदेशी मुद्रा परिवर्तन आरक्षिति और आस्थगित कर पर विचार किया है।

The said computation of Capital to Risk weighted asset Ratio & Leverage ratio is arrived at after considering the effect of Net Present Value of non-interest bearing recapitalization bond infused as capital by the Government of India during the FY ended 31.03.2021.

Pursuant to RBI Circular No. DBR.No.BP.BC.83/21.06.201/2015-16 dated March 1, 2016, the Bank has considered revaluation reserve, foreign currency translation reserve and deferred tax assets in calculation of Capital Adequacy Ratios as on March 31, 2023.

*इसमें 31 मार्च, 2021 को इक्विटी शेयरों के अधिमानी आवंटन के लिए भारत सरकार से प्राप्त ₹ 3,000 शामिल हैं, जिस हेतु बैंक ने 11 जून, 2021 को ₹ 71.23 प्रति निर्गम मूल्य पर ₹ 10 के प्रत्येक प्रदत्त 42,11,70,854 इक्विटी शेयर जारी और आबंटित किए हैं। दिनांक 30 अप्रैल, 2021 के आरबीआई पत्र संदर्भ संख्या डीओआर.सीएपी.एस82/21.01/002/2021-22, के अनुसार सीईटी 1 पूंजी की गणना के लिए ₹ 3,000 की शेयर आवेदन राशि दिनांक 30 मार्च, 2021 पर विचार किया गया है।

* दिनांक 31 अगस्त, 2021 को क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट के माध्यम से बैंक ने ₹ 2,550.01 की इक्विटी शेयर पूंजी जुटाई है । बैंक ने निवेशकों को ₹ 52.89 प्रति शेयर के प्रीमियम पर अंकित मूल्य ₹ 10 के 40,54,71,866 इक्विटी शेयर जारी और आबंटित किए हैं। .

टियर-1 पूंजी को बढ़ाने हेतु उठाए गए बकाया अतिरिक्त टियर 1 (एटी-1) बांड का विवरण निम्नानुसार है: -

जिस वर्ष में जुटाये	स्वरूप	राशि	सीआरएआर परिकलन के प्रयोजन हेतु गणना (बेसल III)
2020-21	अतिरिक्त टियर 1	1,352.00	1,352.00
2022-23	अतिरिक्त टियर 1	1,500.00	1,500.00
	कुल	**2,852.00**	**2,852.00**

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के दौरान, बैंक ने ₹ 1,500 के बेसल III अनुपालित अतिरिक्त टियर I बॉन्ड श्रृंखला VIII जुटाए हैं।

टियर-II पूंजी बढ़ाने हेतु जुटाए गए बकाया टियर-II लिखतों के ब्यौरे निम्नानुसार है:

जिस वर्ष में जुटाये	स्वरूप	राशि	सीआरएआर परिकलन के प्रयोजन हेतु गणना (बेसल III)
2013-14	टियर - II	1,500.00	0.00
2015-16	टियर - II	3,000.00	1,200.00
2021-22	टियर - II	1,800.00	1,800.00
	कुल	**6,300.00**	**3,000.00**

बैंक ने कॉल ऑप्शन का प्रयोग करते हुए क्रमश: दिनांक 7 जुलाई, 2021 एवं 25 मार्च, 2022 को ₹ 1,500 और ₹ 1,000 की राशि के टियर-II बांड सीरिज XIII एवं सीरिज XIV को रिडीम किया है।

(ख) आरक्षितियों से आहरण:

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के दौरान, लाभ एवं हानि खाता में आरक्षितियों में कोई आहरण नहीं हुआ है।

2. आस्ति देयता प्रबंधन

(क) 31 मार्च, 2023 को आस्ति एवं देयताओं की कुछ वस्तुओं के परिपक्वता का स्वरूप चल

*Includes ₹ 3,000 received from Government of India on March 31, 2021 towards preferential allotment of equity shares for which the Bank has issued and allotted 42,11,70,854 equity shares of ₹ 10 each fully paid up at an issue price of ₹ 71.23 per share on June 11, 2021. In terms of RBI communication reference no. DOR.CAP.S82/21.01/002/ 2021-22 dated April 30, 2021, the share application money of ₹ 3,000 has been considered for computation of CET 1 capital as on March 31, 2021.

* The Bank has raised Equity Share Capital of ₹ 2550.01 through Qualified Institutional Placement on August 31, 2021. The Bank has issued and allotted 40,54,71,866 equity shares of face value ₹ 10 each at a premium of ₹ 52.89 per share to the investors

Details of outstanding Additional Tier 1 (AT-1) bonds raised to augment Tier-1 Capital are as under:-

Raised during the year	Nature	Amount	Reckoned for the purpose of CRAR computation (Basel III)
2020-21	Additional Tier 1	1,352.00	1,352.00
2022-23	Additional Tier 1	1,500.00	1,500.00
	Total	**2,852.00**	**2,852.00**

During the year ended March 31, 2023, Bank has raised Basel III compliant Additional Tier I Bonds Series VIII amounting to ₹ 1,500.

Details of outstanding Tier-II Instruments raised to augment Tier -II capital are as under:

Raised during the year	Nature	Amount	Reckoned for the purpose of CRAR computation (Basel III)
2013-14	Tier-II	1,500.00	0.00
2015-16	Tier-II	3,000.00	1,200.00
2021-22	Tier-II	1,800.00	1,800.00
	Total	**6,300.00**	**3,000.00**

Bank has redeemed Tier II Bonds Series XIII & Series XIV amounting to ₹ 1,500 & ₹ 1,000 by exercising call option on July 7, 2021 and March 25, 2022 respectively.

(b) Draw down from Reserves:

During the year ended March 31, 2023, there has been no drawdown from reserves to the Profit and Loss Account.

2. Asset Liability Management

(a) Maturity pattern of certain items of assets and liabilities as on 31st March, 2023

विवरण Details	1 दिन Day 1	2 से 7 दिन तक 2 to 7 days	8 से 14 दिन तक 8 TO 14 DAYS	15 से 30 दिन तक 15 to 30 Days	31 दिन से अधिक 2 महीने तक 31 Days to 2 months	2 महीनों से अधिक एवं 3 महीने तक Over 2 months and up to 3 months	3 महीनों से अधिक एवं 6 महीने तक Over 3 months and up to 6 months	6 महीनों से अधिक एवं 1 वर्षों तक Over 6 months and up to 1 year	1 वर्षों से अधिक एवं 3 वर्षों तक Over 1 year and upto 3 years	3 वर्षों से अधिक एवं 5 वर्षों तक Over 3 years and up to 5years	5 वर्षों तक Over 5 years	कुल TOTAL (1 TO 10)
जमाराशियां$ Deposits$	15,098.03	30,623.99	14,760.12	23,575.73	33,643.64	31,307.38	42,998.77	41,465.53	95,110.29	82,018.12	258,984.17	669,585.77
	(15,778.19)	(25,256.04)	(14,681.74)	(16,177.77)	(28,355.06)	(24,764.49)	(27,677.63)	(27,107.98)	(1,40,429.91)	(1,10,530.66)	(1,97,136.49)	(6,27,895.96)
अग्रिम# Advances#	12,281.81	6,442.18	5,573.66	6,229.10	11,889.69	12,739.22	21,999.18	26,535.89	195,895.35	59,244.19	127,069.35	485,899.64
	(11,781.62)	(4,498.53)	(4,830.48)	(7,301.23)	(10,805.37)	(8,012.25)	(14,073.59)	(18,277.18)	(1,71,230.15)	(51,766.34)	(1,18,265.05)	(4,20,841.79)
निवेश Investments	0.00	1,601.92	236.07	1,028.47	3,514.19	2,630.91	5,609.36	3,782.43	14,328.30	24,704.52	146,961.70	204,397.88
	(250.24)	(2,883.23)	(1,460.81)	(1,775.55)	(3,107.11)	(6,478.85)	(13,115.29)	(4,252.39)	(10,360.06)	(20,017.10)	(1,10,747.78)	(1,74,448.41)
उधार Borrowings	404.43	20,127.49	1,395.07	1,635.34	11,186.99	953.22	13,229.68	2,339.49	10,407.32	1,500.00	1,800.00	64,979.02
	(1,157.55)	(10,198.07)	(0.00)	(2.14)	(0.00)	(557.03)	(0.00)	(4,501.58)	(4,192.00)	(6,152.00)	(0.00)	(26,760.37)
विदेशी मुद्रा अस्तियां ## Foreign Currency Assets ##	2,127.21	8,812.03	3,455.75	13,963.56	11,338.04	19,125.07	16,843.18	20,210.23	22,361.09	20,883.28	6,851.22	145,970.66
	(1,880.39)	(2,375.27)	(1,669.62)	(21,949.17)	(10,559.67)	(21,334.74)	(11,396.46)	(12,448.23)	(25,450.21)	(15,950.10)	(8,332.83)	(1,33,346.70)
विदेशी मुद्रा देयताएं $$ Foreign Currency Liabilities $$	2,615.12	17,781.88	2,761.91	11,045.63	20,002.16	10,135.08	15,889.42	11,469.50	7,749.00	6,875.97	189.33	106,515.00
	(4,772.88)	(12,840.33)	(2,907.49)	(4,392.19)	(13,883.90)	(9,194.81)	(11,943.11)	(7,847.08)	(12,845.90)	(6,021.09)	(154.30)	(86,803.09)

$ विदेशी मुद्रा में जमा सहित $ including deposits in Foreign Currency

विदेशी मुद्रा में अग्रिम सहित # including advances in Foreign Currency

बैलेंस शीट परिसंपत्तियों पर विदेशी मुद्रा अग्रिम और निवेश का प्रतिनिधित्व करती है ## Foreign Currency on Balance Sheet Assets represent Advances and Investments

$$ बैलेंस शीट देनदारियों पर विदेशी मुद्रा उधार और जमा का प्रतिनिधित्व करती है $$ Foreign Currency on Balance Sheet Liabilities represent Borrowings and Deposits

नोट: 31 मार्च 2023 तक जमा, उधार, अग्रिम और निवेश का परिपक्वता पैटर्न निम्नलिखित पर आधारित है:
Note: The maturity pattern of Deposits, Borrowings, Advances and Investment as of 31st March 2023 is based on the following:

- एएलएम पर आरबीआई के दिशानिर्देश - RBI Guidelines on ALM
- आस्तियों और देनदारियों का व्यवहारिक अध्ययन जिनकी निश्चित परिपक्वता नहीं होती है और अंतर्निहित वैकल्पिकता के लिए
- Behavioural studies of Assets & Liabilities which do not have definite maturity and for embedded optionality

(ख) चलनिधि कवरेज अनुपात: प्रबंधन द्वारा यथा समेकित

(b) **Liquidity Coverage Ratio: As compiled by the management**

मात्रात्मक प्रकटीकरण: Quantitative Disclosure:

क्र. सं. Sr. No.	राशि ₹ करोड़ में AMOUNT IN ₹ CRS	वित्तीय वर्ष FY 2022-23*		वित्तीय वर्ष FY 2021-22*	
		कुल अभारित मूल्य (औसत)@ Total Unweighted Value (average) @	कुल भारित मूल्य (औसत)@ Total Weighted Value (average) @	कुल अभारित मूल्य (औसत)@ Total Unweighted Value (average)@	कुल भारित मूल्य (औसत)@ Total Weighted Value (average) @
उच्च स्तरीय चलनिधि आस्तियाँ HIGH QUALITY LIQUID ASSETS					
1	कुल उच्च स्तरीय आस्तियां (एचक्यूएलए) Total High Quality Assets(HQLA)		1,41,772.51		1,52,978.82
नकदी प्रवाह CASH OUTFLOW					
2	खुदरा जमाराशियां तथा छोटे कारोबारी ग्राहकों की जमाराशियां, जिसमें से Retail deposits and deposits from small business customers, of which:	4,90,439.65	42,687.67	4,81,892.84	42,040.18
(i)	स्थिर जमाराशियां Stable deposits	1,27,125.93	6,356.30	1,22,982.07	6,149.10
(ii)	कम स्थिर जमाराशियां Less stable deposits	3,63,313.73	36,331.37	3,58,910.77	35,891.08
3	अप्रतिभूत थोक निधियां, जिसमें से : Unsecured wholesale funding of which:	82,100.09	46,746.70	79,063.20	43,190.90
(i)	परिचालनगत जमाराशियाँ (सभी प्रतिपक्षकार) Operational deposits (all counterparties)	-	-	179.42	44.85
(ii)	गैर-परिचालनगत जमाराशियां (सभी प्रतिपक्षकार) Non -operational deposits (all counterparties)	58,922.31	23,568.93	59,562.89	23,825.16
(iii)	अरक्षित ऋण unsecured debts	23,177.77	23,177.77	19,320.89	19,320.89
4	जमानती थोक निधियन Secured wholesale funding		2,975.64		9.47
5	अतिरिक्त आवश्यकताएं, जिसमें से Additional requirements, of which	31,037.31	10,727.82	23,506.27	7,852.73
(i)	ब्युत्पन्न एक्सपोज़र से संबंधित बहिर्गमन और अन्य संपार्श्विक आवश्यकताएं Outflows related to derivative exposures and other collateral requirement	5,414.68	5,414.68	3,133.31	3,133.31
(ii)	ऋण उत्पादों पर निधियन हानि से संबंधित बहिर्गमन Outflows related to loss of funding on debt products	-	-	-	-
(iii)	ऋण तथा चलनिधि सुविधाएं Credit and liquidity facilities	25,622.63	5,313.14	20,372.95	4,719.42
6	अन्य संविदागत निधियन दायित्व Other contractual funding obligations	14,865.49	14,865.49	19,509.66	19,509.66
7	अन्य आकस्मिक निधियन दायित्व Other contingent funding obligations	37,109.90	1,113.29	37,416.21	1,125.66
8	कुल नकदी बहिर्गमन TOTAL CASH OUTFLOWS		1,19,116.61		1,13,728.60
नकदी अंतर्वाह CASH INFLOW					
9	जमानती उधार (उदा:रिवर्स रेपो) Secured lending (e.g. reverse repos)	5,533.88	3,487.53	9,036.03	6,766.98
10	पूर्णतया निष्पादक एक्सपोजर से अंतर्वाह Inflows from fully performing exposures	27,354.34	21,745.10	29,487.00	20,462.70
11	अन्य नकदी अंतर्वाह Other cash inflows	15,855.87	15,685.38	15,390.67	14,621.87
12	कुल नकदी अंतर्वाह TOTAL CASH INFLOWS	48,744.10	40,918.00	53,913.71	41,851.55
13	कुल एचक्यूएलए TOTAL HQLA		1,41,772.51		1,52,978.82
14	कुल निवल नकदी बहिर्गमन TOTAL NET CASH OUTFLOWS		78,198.61		71,877.05
15	चलनिधि कवरेज अनुपात (%) LIQUIDITY COVERAGE RATIO (%)		181.30		212.83

Note-टिप्पणी:-

* समेकित आधार पर (घरेलू परिचालन, विदेशी केंद्र और विदेशी अनुषंगियां शामिल)
* On consolidated basis (including domestic operations, overseas centres and overseas subsidiaries)

@ दिनांक 31.03.2023 साथ-साथ 31.03.2022 तक के डाटा हेतु विगत 4 तिमाहियों में दैनिक अवलोकनों का साधारण औसत लेकर (अर्थात वित्तीय वर्ष 2022-23 और वित्तीय वर्ष 2021-22 क्रमश: हेतु औसत) प्रकटन किए गए हैं। यह आरबीआई के दिशा-निर्देश संदर्भ सं. डीबीआर.सं.बीपी.बीसी.80/21.06.201/2014-15 दिनांक 31 मार्च, 2015 के अनुरूप है।

@ Disclosure as on 31.03.2023 as well as 31.03.2022 has been done by taking simple average of daily observations over previous 4 quarters (i.e. average for the FY 2022-23 & FY 2021-22 respectively). This is as per RBI guidelines ref. no. DBR.No.BP.BC.80 / 21.06.201/2014-15 dated March 31, 2015.

एलसीआर के संबंध में गुणात्मक प्रकटीकरण

1 जनवरी 2015 से, बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेशों के अनुसार चलनिधि कवरेज अनुपात (एलसीआर) पर दिशानिर्देशों को कार्यान्वित किया है।

एलसीआर का मानक लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि बैंक भार-रहित उच्च स्तरीय चलनिधि आस्तियों (एलसीआर) को यथोचित स्तर पर अनुरक्षित करता रहे जिससे अत्यधिक चलनिधि दबाव परिदृश्य के अंतर्गत 30 कैलेंडर दिन सीमा के लिए चलनिधि आवश्यकता को पूरा करने हेतु एचक्यूएलए को नकदी में परिवर्तित किया जा सके। गंभीर चलनिधि दबाव परिदृश्य में चलनिधि आस्तियों के स्टॉक की सहायता से बैंक कम से कम अगले 30 कैलेंडर दिवस गुजर सके।

$$\text{एलसीआर} = \frac{\text{उच्च कोटी की चलनिधि आस्तियां (एचक्यूएलए)}}{\text{अगले 30 कैलेंडर दिनों तक कुल निवल नकदी बहिर्गमन}}$$

यहां,

- एचक्यूएलए लेवल 1 तथा लेवल 2 आस्तियां सम्मिलित हैं, दूसरे शब्दों में यह नकदी हैं या नकदी मदों के करीब हैं जिसे आवश्यकता पड़ने पर बाजार में आसानी से उपयोग किया जा सकता है/भुनाया जा सकता है।
- आरबीआई/बासेल द्वारा परिभाषा के अनुसार दबाव की स्थिति के अंतर्गत कुल बहिर्गमन पर कुल अंतर्वाह का निवल नकदी बहिर्गमन अधिक रहता है। निवल नकदी बहिर्गमन के परिकलन के लिए, अंतर्वाह को पूर्व परिभाषित हेयरकट पर माना जाता है तथा बहिर्गमन को पूर्व परिभाषित रन-ऑफ फैक्टर पर माना जाता है।
- यदि दबावग्रस्त निधियों का अंतर्वाह तनावग्रस्त निधियों के बहिर्गमन से अधिक है, तो कुल निधियों के बहिर्गमन का 25% एलसीआर के परिकलन के लिए कुल शुद्ध नकद निधियों के बहिर्गमन के रूप में लिया जाएगा।
- प्रभावी तिथि 01.01.2015 से, बैंकों को निरंतर आधार पर न्यूनतम 60% एलसीआर को बनाए रखना बैंकों के लिए आवश्यक है। प्रत्येक वर्ष 10% की वृद्धिशील के साथ 01.01.2019 तक यह 100% तक पहुंच जाएगा।

	01.01.2015	01.01.2016	01.01.2017	01.01.2018	01.01.2019	01.04.2020	01.10.2020
न्यूनतम एलसीआर	60%	70%	80%	90%	100%	80%	90%

हालांकि, कोविड 19 महामारी के कारण बैंक के नकदी प्रवाह पर दबाव को समायोजित करने के लिए, आरबीआई ने परिपत्र संख्या डीओआर.बीपी.बीसी. सं.65/21.04.098/2019-20, दिनांक 17 अप्रैल,2020 के तहत बैंकों को इसे निम्नानुसार बनाए रखने की अनुमति दी है:

परिपत्र की तिथि से 30 सितंबर, 2020 तक	80%
1 अक्टूबर, 2020 से 31 मार्च, 2021	90%
1 अप्रैल, 2021 से आगे	100%

एलसीआर के मुख्य संचालक : एलसीआर के मुख्य संचालक, उच्च गुणवत्ता को चलनिधि आस्तियां (एचक्यूएलए) और खुदरा ग्राहकों से उच्च निधियन स्त्रोत की वजह से न्यून निवल नकदी हैं। की पर्याप्तता और खुदरा ग्राहकों से उच्च वित्त पोषण स्त्रोतों के कारण कम शुद्ध नकदी बहिर्वाह हैं। एचक्यूएलए के पर्याप्त स्टॉक ने एलसीआर बनाए रखने में बैंक की सहायता की है।

एचक्यूएलए की संरचना: उच्च गुणवत्ता चलनिधि आस्तियों (एचक्यूएलए) की संरचना में प्रमुखतया नकदी शेष, अतिरिक्त एसएलआर, अतिरिक्त सीआरआर तथा एफएएलएलसीआर (चलनिधि कवरेज अनुपात के लिए चलनिधि प्राप्त करना) होता है।

Qualitative disclosures with regard to LCR

W.e.f. 1st January 2015, the Bank has implemented guidelines on Liquidity Coverage Ratio (LCR) as directed by Reserve Bank of India.

The LCR standard aims to ensure that a bank maintains an adequate level of unencumbered High Quality Liquid Assets (HQLA) that can be converted into cash to meet its liquidity needs for a 30 calendar day time horizon under a significantly severe liquidity stress scenario. At a minimum, the stock of liquid assets should enable the bank to survive until next 30 calendar days under a severe liquidity stress scenario.

$$\text{LCR} = \frac{\text{High Quality Liquid Assets (HQLA)}}{\text{Total net cash outflows over the next 30 calendar days}}$$

Here,

- HQLA comprises of level 1 and level 2 assets, in other words these are cash or near to cash items which can be easily used / discounted in the market in case of need.
- Net cash outflows are excess of total inflows over total outflows under stressed situation as defined by Basel / RBI. While arriving at the net cash outflow, the inflows are taken with pre-defined hair-cuts and the outflows are taken at pre-defined run-off factors.
- In case stressed inflows are more than the stressed outflows, 25% of total outflows shall be taken as total net cash outflows to arrive at the LCR.
- With effect from 01.01.2015, Banks are required to maintain minimum 60% LCR on an ongoing basis. The same shall reach 100% as on 01.01.2019 with incremental increase of 10% each year.

	01.01.2015	01.01.2016	01.01.2017	01.01.2018	01.01.2019	01.04.2020	01.10.2020
Minimum LCR	60%	70%	80%	90%	100%	80%	90%

However , in order to accommodate the burden on bank's cash flow on account of Covid 19 pandemic , RBI vide circular no DOR.BP.BC.No.65/21.04.098/2019-20, dated April 17,2020 permitted Banks to maintain LCR as under:

From date of Circular to September 30, 2020	80%
Oct 1, 2020 to March 31, 2021	90%
April 1, 2021 onwards	100%

Main Drivers of LCR: The main drivers of the LCR are adequacy of High Quality Liquid Assets (HQLA) and lower net cash outflow on account of higher funding sources from retail customers. Sufficient stock of HQLA helped the Bank to maintain adequate LCR.

Composition of HQLA: The composition of High Quality Liquid Assets (HQLA) mainly consists of cash balances, excess SLR, excess CRR and FALLCR (Facility to Avail Liquidity for Liquidity Coverage Ratio).

प्रकटीकरण की तिथि के अनुसार एचक्यूएलए की संरचना नीचे दी गई है:

हाथ में नकदी	1.89%
अतिरिक्त सीआरआर शेष	3.91%
न्यूनतम एसएलआर आवश्यकता से अधिक सरकारी प्रतिभूतियां	13.98%
एफएएलएलसीआर (एमएसएफ के लिए अनुमत वर्तमान में एनडीटीएल के 2 प्रतिशत तक) सहित एमएसएफ के अंतर्गत भारिबैं द्वारा अनुमत अनुसार न्यूनतम एसएलआर आवश्यकता की अधिकता में सरकारी प्रतिभूतियाँ	8.08%
बासेल II के मानक दृष्टिकोण के तहत 0% जोखिम भार वाले विदेशी सार्वभोम द्वारा जारी या गारंटीकृत विपणन योग्य प्रतिभूतियां और रेपो / रिवर्स रेपो संव्यवहार के कारण अन्य प्रतिभूति समायोजन	6.11%
चलनिधि कवरेज अनुपात के लिए चलनिधि का लाभ उठाने की सुविधा	64.05%
लेवल 2 आस्तियां	1.98%

निधीयन स्त्रोत का संकेंद्रीकरण : बैंक का अधिकांश निधीयन स्त्रोत खुदरा ग्राहकों (लगभग 60%) से हैं, अतएव बहिर्गमन दबाव तुलनात्मक ढंग से कम है। तथापि, मीयादी जमाराशियों के लिए अप्रतिदेय विकल्प के अभाव में भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार बहिर्गमन अनुभाग के अंतर्गत लगभग सभी जमाराशियों को बैंक ने शामिल किया है। बैंक का, किसी महत्वपूर्ण प्रतिपक्षकार से अत्यधिक निधि प्राप्त नहीं है। महत्वपूर्ण प्रतिपक्षकार से तात्पर्य है एकल प्रतिपक्षकार या संबद्ध प्रतिपक्षकारों का समूह जिनकी बैंक की कुल देयताओं में हिस्सेदारी 1% से अधिक है।

व्युत्पन्नी एक्सपोजर और संभाव्य संपार्श्विक कॉल: डेरिवेटिव कारोबार में बैंक का बहुत कम एक्सपोजर है जो उल्लेखनीय नहीं है।

एलसीआर में मुद्रा असंतुलन: आरबीआई दिशानिर्देशों के अनुसरण में एक महत्वपूर्ण मुद्रा वह है जिसमें उस मुद्रा में कुल मूल्यवर्गित देयताएं बैंक की कुल देयताएं का 5 प्रतिशत या अधिक हो।

चलनिधि प्रबंधन के संकेंद्रीकरण के स्तर का वर्णन तथा समूह की इकाइयों में पारस्परिक क्रिया : उद्यम स्तर पर बैंक का चलनिधि प्रबंधन, बोर्ड स्तरीय कार्य है तथा बोर्ड की एक अलग उप-समिति (आर.कॉम) इसपर निगाह रखती है। एएलसीओ द्वारा नियमित अंतराल पर चलनिधि प्रबंधन की नियमित निगरानी की जाती है । बैंक की संपूर्ण चलनिधि प्रबंधन प्रक्रिया, बैंक की एएलएम नीति से शासित होती है।

घरेलू परिचालनों के लिए चलनिधि प्रबंधन केंद्रीय कार्य है, प्रधान कार्यालय स्तर पर प्रबंधित किया जाता है। निगरानी तथा नियंत्रण के लिए तथा स्थानीय विनियामक का अनुपालन भी प्रत्येक केंद्र के क्षेत्राधिकार अनुसार विदेशी चलनिधि प्रबंधन किया जाता है। बैंक का अंतर्राष्ट्रीय प्रभाग विदेशी चलनिधि स्थिति पर निगरानी रखता है तथा प्रधान कार्यालय स्तर पर केंद्रीय रूप से सम्पूर्ण चलनिधि निगरानी की जाती है।

The composition of HQLA as on date of disclosure is given below:

Cash in hand	1.89%
Excess CRR balance	3.91%
Government securities in excess of minimum SLR Requirement	13.98%
Government securities within the mandatory SLR Requirement, to the extent allowed by RBI under MSF including FALLCR (presently to the extent of 2 percent of NDTL as allowed for MSF)	8.08%
Marketable securities issued or guaranteed by foreign sovereigns having 0% risk weight under Basel II standardized approach and other securities adjustments on account of Repo/Reverse Repo transactions	6.11%
Facility to Avail Liquidity for Liquidity Coverage Ratio	64.05%
Level 2 Assets	1.98%

Concentration of funding sources: Majority of Bank's funding sources are from retail customers (about 60%) therefore the stressed outflows are comparatively lower. However, in absence of any non-callable option for term deposits, the Bank has considered almost all deposits under outflow section as per RBI guidelines. Bank also does not have funding concentration from any significant counterparty. A significant counterparty is defined as a single counterparty or group of connected or affiliated counter parties accounting in aggregate for more than 1% of the bank's total liabilities.

Derivative Exposures and potential collateral calls: Bank has very little exposure in derivative business which is not very significant.

Currency mismatch in the LCR: In terms of RBI guidelines, a significant currency is one where aggregate liabilities denominated in that currency amount to 5 per cent or more of the bank's total liabilities.

Description of the degree of centralization of liquidity management and interaction between the group's units: The liquidity management of the Bank at enterprise level is a Board level function and a separate sub-committee of the Board (R.Com.) keeps close watch on that. The periodical monitoring of the liquidity management is being monitored by the ALCO on regular intervals. The entire liquidity management process of the Bank is being governed by ALM Policy of the Bank.

The liquidity management for domestic operations is the central function, being managed at Head Office level. The overseas liquidity management is being handled at each centre, jurisdiction wise to keep close monitoring and control and also to comply with the local regulatory requirements as well. International Division of the Bank keeps watch on the overseas liquidity position and the overall liquidity monitoring is done at Head Office level centrally.

(c) निवल स्थिर निधीयन अनुपात Net Stable Funding Ratio:

	राशि (₹ करोड़) में Amount in (₹ Crores)	अवशिष्ट परिपक्वता द्वारा अभारित Unweighted value by residual maturity				भारित मूल्य Weighted value
		कोई परिपक्वता नहीं # No maturity #	< 6 महीने < 6 months	6 महीने से < 1 वर्ष 6 months to < 1yr	≥ 1 वर्ष ≥ 1 yr	
	एएसएफ मद ASF Item					
1	पूंजी: (2+3) Capital: (2+3)	63,906.47	0.00	0.00	0.00	63,906.47
2	विनियामक पूंजी Regulatory capital	63,906.47	0.00	0.00	0.00	63,906.47
3	अन्य पूंजी लिखत Other capital instruments	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	छोटे व्यवसाय ग्राहकों से जमा और खुदरा जमा: (5+6) Retail deposits and deposits from small business customers: (5+6)	2,22,661.15	1,29,987.37	75,255.91	0.00	3,89,424.69
5	स्थिर जमा Stable deposits	37,846.81	27,624.59	20,742.65	0.00	81,903.34
6	कम स्थिर जमा Less stable deposits	1,84,814.35	1,02,362.79	54,513.26	0.00	3,07,521.35
7	थोक निधीयन (8+9) Wholesale funding: (8+9)	23,250.71	20,900.77	16,702.03	0.00	30,426.75
8	परिचालन जमा Operational deposits	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	अन्य थोक निधीयन Other wholesale funding	23,250.71	20,900.77	16,702.03	0.00	30,426.75
10	अन्य देयताएं: (11+12) Other liabilities: (11+12)	1,223.62	37,292.71	0.00	2,28,192.75	1,24,597.18
11	एनएसएफआर व्युत्पन्न देयताएं NSFR derivative liabilities		0.00	0.00	0.00	0.00
12	अन्य सभी देयताएं और इक्विटी उपरोक्त श्रेणियों में शामिल नहीं हैं All other liabilities and equity not included in the above categories	1,223.62	37,292.71	0.00	2,28,192.75	1,24,597.18
13	कुल एएसएफ (1+4+7+10) Total ASF (1+4+7+10)					6,08,355.10
	आरएसएफ़ मद RSF Item					
14	कुल एनएसएफ़आर उच्च गुणवत्ता वाली तरल संपत्ति (एचक्यूएलए) Total NSFR high-quality liquid assets (HQLA)					7,566.34
15	परिचालन उद्देश्यों के लिए अन्य वित्तीय संस्थानों में जमाराशियां Deposits held at other financial institutions for operational purposes	5,423.09	0.00	0.00	0.00	2,711.55
16	ऋण और प्रतिभूतियों का निष्पादन (17+18+19+21+23) Performing loans and securities: (17+18+19+21+23)	0.00	2,29,201.65	19,381.85	2,43,714.97	2,86,812.06
17	स्तर 1 एचक्यूएलए द्वारा सुरक्षित वित्तीय संस्थानों को ऋण देना Performing loans to financial institutions secured by Level 1 HQLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	गैर-स्तर 1 एचक्यूएलए द्वारा सुरक्षित वित्तीय संस्थानों को ऋण देना और वित्तीय संस्थानों को असुरक्षित प्रदर्शन करने वाले ऋण Performing loans to financial institutions secured by non-Level 1 HQLA and unsecured performing loans to financial institutions	0.00	9,049.87	3,957.02	0.00	3,335.99
19	गैर-वित्तीय कॉर्पोरेट ग्राहकों को ऋण देना, खुदरा और लघु व्यवसाय ग्राहकों को ऋण देना, और संप्रभु, केंद्रीय बैंकों और सार्वजनिक उपक्रमों को ऋण देना, जिनमें से: Performing loans to non- financial corporate clients, loans to retail and small business customers, and loans to sovereigns, central banks and PSEs, of which:	0.00	2,20,151.78	15,424.83	1,87,226.42	2,39,485.48
20	क्रेडिट जोखिम के लिए बेसल II मानकीकृत दृष्टिकोण के तहत 35% से कम या उसके बराबर के जोखिम भार के साथ With a risk weight of less than or equal to 35% under the Basel II Standardised Approach for credit risk	0.00	2,20,151.78	15,424.83	1,87,226.42	2,39,485.48
21	आवासीय बंधक प्रदर्शन करना, जिनमें से: Performing residential mortgages, of which:	0.00	0.00	0.00	20,123.40	13,080.21

	राशि (₹ करोड़) में Amount in (₹ Crores)	अवशिष्ट परिपक्वता द्वारा अभारित Unweighted value by residual maturity				भारित मूल्य Weighted value
		कोई परिपक्वता नहीं # No maturity #	< 6 महीने < 6 months	6 महीने से < 1 वर्ष 6 months to < 1yr	≥ 1 वर्ष ≥ 1 yr	
22	क्रेडिट जोखिम के लिए बेसल II मानकीकृत दृष्टिकोण के तहत 35% से कम या उसके बराबर के जोखिम भार के साथ With a risk weight of less than or equal to 35% under the Basel II Standardised Approach for credit risk	0.00	0.00	0.00	20,123.40	13,080.21
23	प्रतिभूतियां जो डिफ़ॉल्ट रूप से नहीं हैं और एक्सचेंज-ट्रेडेड इक्विटी सहित एचक्यूएलए के रूप में योग्य नहीं हैं Securities that are not in default and do not qualify as HQLA, including exchange-traded equities	0.00	0.00	0.00	36,365.16	30,910.38
24	अन्य संपत्तियां: (25 से 29 पंक्तियों का योग) Other assets: (sum of rows 25 to 29)	0.00	26,277.14	4,665.99	1,45,432.23	1,68,879.45
25	*सोना सहित भौतिक व्यापार वाली वस्तुएं Physical traded commodities, including gold*	0.00				0.00
26	*डेरिवेटिव अनुबंधों के लिए प्रारंभिक मार्जिन के रूप में पोस्ट की गई आस्तियां और सीसीपी के डिफ़ॉल्ट फंड में योगदान* *Assets posted as initial margin for derivative contracts and contributions to default funds of CCPs*		0.00	0.00	0.00	0.00
27	*एनएसएफआर डेरिवेटिव एसेट्स NSFR derivative assets*		20,188.56	3,359.81	632.03	24,180.40
28	*पोस्ट किए गए भिन्नता मार्जिन की कटौती से पहले एनएसएफआर डेरिवेटिव देयताएं* *NSFR derivative liabilities before deduction of variation margin posted*		352.03	69.39	0.00	421.42
29	*अन्य सभी संपत्तियां उपरोक्त श्रेणियों में शामिल नहीं हैं* *All other assets not included in the above*	0.00	5,736.54	1,236.80	1,44,800.20	1,44,277.63
30	ऑफ-बैलेंस शीट मदें Off-balance sheet items		12,838.40	48,296.83	45,442.92	4,560.90
31	**कुल आरएसएफ Total RSF**					4,70,530.29
32	**एनएसएफ़आर (%) NSFR (%)**					**129.29%**

''नो मेच्योरिटी'' टाइम बकेट में रिपोर्ट किए जाने वाले आइटम्स की कोई निश्चित परिपक्वता नहीं होती है। इनमें स्थायी परिपक्वता वाली पूंजी, गैर-परिपक्वता जमा, शॉर्ट पोजीशन, खुली परिपक्वता स्थिति, गैर-एचक्यूएलए इक्विटी, और भौतिक व्यापार वाली वस्तुएं शामिल हो सकती हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं।

Items to be reported in the 'no maturity' time bucket do not have a stated maturity. These may include, but are not limited to, items such as capital with perpetual maturity, non-maturity deposits, short positions, open maturity positions, non-HQLA equities, and physical traded commodities.

निवल स्थिर निधियन अनुपात (एनएसएफआर) का उद्देश्य बैंक की चलनिधि जोखिम प्रोफाइल की, विपरीत परिस्थितियों से फिर से उभरने की क्षमता को बढ़ावा देना और लंबे समय तक फिर से उभरने की क्षमता वाले बैंकिंग क्षेत्र को प्रोत्साहित करना है। एनएसएफआर के लिए बैंकों को उनकी परिसंपत्तियों की संरचना और तुलन पत्र में शामिल न होने वाली गतिविधियों के संबंध में पूंजी और देयताएं के रूप में एक स्थिर निधियन प्रोफाइल बनाए रखने की आवश्यकता होगी।

एनएसएफआर को आवश्यक स्थिर फंडिंग की राशि के सापेक्ष उपलब्ध स्थिर फंडिंग की राशि के रूप में परिभाषित किया गया है।

$$\text{एनएसएफआर} = \frac{\text{स्थिर निधियन की उपलब्ध राशि (एएसएफ)}}{\text{स्थिर निधियन की अपेक्षित राशि (आरएसएफ)}} \geq 100\%$$

आरबीआई ने मई 2018 में कम से कम 100% के बराबर की न्यूनतम आवश्यकता के साथ निवल स्थिर निधियन अनुपात के कार्यान्वयन पर विनियम जारी किए।

The objective of the Net Stable Funding Ratio (NSFR) is to promote the resilience of bank's liquidity risk profiles and to incentivize a more resilient banking sector over a longer time horizon. The NSFR will require banks to maintain a stable funding profile in the form of Capital & liabilities in relation to the composition of their assets and off-balance sheet activities.

NSFR is defined as the amount of available stable funding relative to the amount of required stable funding.

$$NSFR = \frac{\text{Available Amount Of Stable Funding (ASF)}}{\text{Required Amount Of Stable Funding (RSF)}} \geq 100\%$$

RBI issued the regulations on the implementation of the Net Stable Funding Ratio in May 2018 with minimum requirement of equal to at least 100%. The implementation is effective from

कार्यान्वयन 1 अक्टूबर, 2021 से प्रभावी है। एनएसएफआर बैंक के घरेलू परिचालनों के साथ-साथ विदेशी परिचालनों पर भी लागू होता है और इसकी गणना स्टैंडअलोन और समेकित स्तर पर की जाती है।

उपलब्ध स्थिर निधियन (एएसएफ) को पूंजी और देयताओं के विश्वसनीय होने की उम्मीद के हिस्से के रूप में परिभाषित किया गया है, जो 100 भारांक प्राप्त करने वाले 1 वर्ष या उससे अधिक की परिपक्वता वाली देनदारियों के साथ देनदारियों की प्रकृति और परिपक्वता के अनुसार विभिन्न कारक भार द्वारा निर्धारित किया जाता है।

अपेक्षित स्थिर निधियन (आरएसएफ) को बैलेंस शीट और ऑफ-बैलेंस शीट एक्सपोजर के हिस्से के रूप में परिभाषित किया गया है, जिसे सतत आधार पर वित्त पोषित करने की आवश्यकता होती है। ऐसी आवश्यक स्थिर निधि की राशि चलनिधि विशेषताओं और धारित विभिन्न परिसंपत्तियों की अवशिष्ट परिपक्वता का एक कार्य है।

बैंक के एनएसएफआर के बारे में संक्षिप्त

उपलब्ध स्थिर निधीयन (एएसएफ) के मुख्य चालक पूंजी आधार, खुदरा जमा आधार, और गैर-वित्तीय कंपनियों से वित्त पोषण और संस्थागत ग्राहकों से दीर्घकालिक वित्त पोषण हैं। संबंधित भार को लागू करने के बाद, पूंजी आधार लगभग 11%, खुदरा जमा (छोटे आकार के व्यावसायिक ग्राहकों से जमा सहित) का गठन 64% और थोक वित्त पोषण कुल उपलब्ध स्थिर फंडिंग का 5% बनता है।

अपेक्षित स्थिर निधीयन में मुख्य रूप से कॉरपोरेट्स, खुदरा ग्राहकों और वित्तीय संस्थानों को उधार देना शामिल था, जो प्रासंगिक भार लागू करने के बाद कुल आरएसएफ का 61% था। उच्च गुणवत्ता वाली तरल संपत्तियों का स्टॉक जिसमें प्रमुख रूप से आरबीआई के साथ नकद और आरक्षित शेष शामिल हैं, सरकारी ऋण जारी करने से उनकी उच्च गुणवत्ता और तरल विशेषता के कारण स्थिर वित्त पोषण की मात्रा कम या कम नहीं हुई। तदनुसार, प्रासंगिक भारों को लागू करने के बाद एचक्यूएलए, आवश्यक स्थिर निधीयन का केवल 2% है। अन्य परिसंपत्तियां और आकस्मिक फंडिंग दायित्व, जैसे कि प्रतिबद्ध क्रेडिट सुविधाएं, गारंटी और साख पत्र, आवश्यक स्थिर फंडिंग का 36% है।

बैंक ने ₹ 4,70,530.29 की स्टेबल फंडिंग अपेक्षा की तुलना में ₹ 6,08,355.10 के समेकित स्तर पर अवेलेबल स्टेबल फंडिंग के साथ आरामदायक स्टेबल फंडिंग बफर बनाए रखा है, जिसके परिणामस्वरूप यथा 31 मार्च, 2023 समेकित एनएसएफ़आर 129.29% हो गया है।

1st October, 2021. NSFR is applicable to Bank's domestic operations as well as overseas operations and computed at standalone and consolidated level.

Available Stable Funding (ASF) is defined as the portion of capital and liabilities expected to be reliable which is determined by various factor weights according to the nature and maturity of liabilities with liabilities having maturity of 1 year or more receiving 100 weight.

Required Stable Funding (RSF) is defined as the portion of on balance sheet and off-balance sheet exposures which requires to be funded on an ongoing basis. The amount of such stable funding required is a function of the liquidity characteristics and residual maturities of the various assets held.

Brief about NSFR of the Bank

The main drivers of the Available Stable Funding (ASF) are the capital base, retail deposit base, and funding from non-financial companies and long-term funding from institutional clients. The capital base formed around 11%, retail deposits (including deposits from small sized business customers) formed 64% and wholesale funding formed 5% of the total Available Stable Funding, after applying the relevant weights.

The Required Stable Funding primarily comprised lending to corporates, retail clients and financial institutions which constituted 61% of the total RSF after applying the relevant weights. The stock of High-Quality Liquid Assets which majorly includes cash and reserve balances with the RBI, government debt issuances attracted no or low amount of stable funding due to their high quality and liquid characteristic. Accordingly, the HQLA constituted only 2% of the Required Stable Funding after applying the relevant weights. Other assets and Contingent funding obligations, such as committed credit facilities, guarantees and letters of credit constituted 36% of the Required Stable Funding.

Bank has maintained comfortable stable funding buffers with Available Stable Funding at consolidated level of ₹ 608,355.10 against ₹ 470,530.29 of Required Stable Funding, resulting in a consolidated NSFR of 129.29% as on 31st March, 2023.

3. निवेश Investments

(a) निवेश पोर्टफोलियो की संरचना Composition of Investment Portfolio

31.03.2023 के अनुसार निवेश Investments as at 31.03.2023

	भारत में निवेश Investments in India							भारत के बाहर निवेश Investments outside India				
	सरकारी प्रतिभूतियां Government Securities	अन्य स्वीकृत प्रतिभूतियां Other Approved Securities	शेयरों Shares	डिबेंचर और बांड Debentures and Bonds	सहायक और/या संयुक्त उद्यम Subsidiaries and/or joint ventures	अन्य Others	भारत में कुल निवेश Total investments in India	सरकारी प्रतिभूतियां (स्थानीय प्राधिकरणों सहित) Government securities (including local authorities)	सहायक और/या संयुक्त उद्यम Subsidiaries and/or joint ventures	अन्य Others	भारत के बाहर कुल निवेश Total Investments outside India	कुल निवेश Total Invest-ments
परिपक्वता तक धारित Held to Maturity												
कुल Gross	148,812.37	0.00	1.11	3,342.28	1,227.70	72.35	153,455.81	0.00	1,474.10	0.00	1,474.10	154,929.92
घटाएँ: अनर्जक निवेशों हेतु प्रावधान Less: Provision for non-performing investments (NPI)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.87	0.00	1.87	1.87
निवल Net	148,812.37	0.00	1.11	3,342.28	1,227.70	72.35	153,455.81	0.00	1,472.24	0.00	1,472.24	154,928.05
बिक्री के लिए उपलब्ध Available for Sale												
कुल Gross	30,943.50	0.00	2,262.36	7,928.22	0.00	3,484.97	44,619.05	7,628.18	0.00	1,632.24	9,260.41	53,879.46
घटाएं: मूल्यह्रास और एनपीआई के लिए प्रावधान Less: Provision for depreciation and NPI	0.00	0.00	1,028.88	778.43	0.00	1,207.42	3,014.73	187.47	0.00	84.59	272.07	3,286.80
निवल Net	30,943.50	0.00	1,233.48	7,149.79	0.00	2,277.55	41,604.32	7,440.70	0.00	1,547.64	8,988.34	50,592.66
ट्रेडिंग के लिए धारित Held for Trading												
Gross कुल	(-)29.92	0.00	1.55	50.00	0.00	0.00	21.62	0.00	0.00	0.00	0.00	21.62
घटाएं: मूल्यह्रास और एनपीआई के लिए प्रावधान Less: Provision for depreciation and NPI	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17
निवल Net	(-)30.09	0.00	1.55	50.00	0.00	0.00	21.45	0.00	0.00	0.00	0.00	21.45
कुल निवेश Total Investments	179,725.95	0.00	2,265.02	11,320.50	1,227.70	3,557.32	198,096.48	7,628.18	1,474.10	1,632.24	10,734.52	208,831.00
घटाएं: अनर्जक निवेशों के लिए प्रावधान Less: Provision for non-performing investments	0.17	0.00	1,028.88	778.43	0.00	1,207.42	3,014.90	0.00	1.87	0.00	1.87	3,016.77
घटाएं: मूल्यह्रास और एनपीआई के लिए प्रावधान Less: Provision for depreciation and NPI	0.00	0.00	202.73	563.36	21.83	356.36	1,144.28	187.47	0.00	84.59	272.07	1,416.35
निवल Net	179,725.78	0.00	1,033.41	9,978.71	1,205.87	1,993.54	193,937.30	7,440.70	1,472.24	1,547.64	10,460.58	204,397.88

31.03.2022 के अनुसार निवेश Investments as at 31.03.2022

	भारत में निवेश Investments in India							भारत के बाहर निवेश Investments outside India				कुल निवेश Total Invest-ments
	सरकारी प्रतिभूतियां Government Securities	अन्य स्वीकृत प्रतिभूतियां Other Approved Securities	शेयरों Shares	डिबेंचर और बांड Debentures and Bonds	सहायक और/या संयुक्त उद्यम Subsidiaries and/or joint ventures	अन्य Others	भारत में कुल निवेश Total investments in India	सरकारी प्रतिभूतियां (स्थानीय प्राधिकरणों सहित) Government securities (including local authorities)	सहायक और/या संयुक्त उद्यम Subsidiaries and/or joint ventures	अन्य Others	भारत के बाहर कुल निवेश Total Investments outside India	
परिपक्वता तक धारित Held to Maturity												
कुल Gross	1,26,901.15	0.00	1.11	4,490.60	894.91	48.97	1,32,336.73	0.00	944.13	0.00	944.13	1,33,280.86
घटाएँ: अनर्जक निवेशों हेतु प्रावधान Less: Provision for non-performing (NPI)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.87	0.00	1.87	1.87
निवल Net	1,26,901.15	0.00	1.11	4,490.60	894.91	48.97	1,32,336.73	0.00	942.26	0.00	942.26	1,33,278.99
बिक्री के लिए उपलब्ध Available for Sale												
कुल Gross	26,363.38	0.00	2,596.44	6,822.02	0.00	2,722.50	38,504.33	6,637.30	0.00	1,612.07	8,249.37	46,753.70
घटाएं: मूल्यह्रास और एनपीआई के लिए प्रावधान Less: Provision for depreciation and NPI	0.00	0.00	1,667.51	546.70	0.00	0.00	2,214.21	53.27	0.00	42.87	96.14	2,310.35
निवल Net	26,363.38	0.00	928.93	6,275.32	0.00	2,722.50	36,290.12	6,584.03	0.00	1,569.20	8,153.23	44,443.35
ट्रेडिंग के लिए धारित Held for Trading												
Gross कुल	(-)375.07	0.00	1.01	0.00	0.00	0.00	(-) 374.06	0.00	0.00	0.00	0.00	(-)374.06
घटाएं: मूल्यह्रास और एनपीआई के लिए प्रावधान Less: Provision for depreciation and NPI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
निवल Net	(-)375.07	0.00	1.01	0.00	0.00	0.00	(-) 374.06	0.00	0.00	0.00	0.00	(-)375.06
कुल निवेश Total Investments	1,52,889.46	0.00	2,598.56	11,312.62	894.91	2,771.46	1,70,467.01	6,637.30	944.13	1,612.07	9,193.50	1,79,660.51
घटाएं: अनर्जक निवेशों के लिए प्रावधान Less: Provision for non-performing investments	0.00	0.00	1,667.51	546.70	0.00	0.00	2,214.21	0.00	1.87	0.00	1.87	2,216.08
घटाएं: मूल्यह्रास और एनपीआई के लिए प्रावधान Less: Provision for depreciation and NPI	141.93	0.00	82.37	574.94	23.36	2,077.28	2,899.88	53.27	0.00	42.87	96.14	2,996.02
निवल Net	1,52,747.53	0.00	848.68	10,190.98	871.55	694.18	1,65,352.92	6,584.03	942.26	1,569.20	9,095.49	1,74,448.41

(i) राशि ₹ 32,964.87 (पिछले वर्ष ₹ 36,705.27) की सरकारी प्रतिभूतियाँ (अंकित मूल्य) को मार्जिन/प्रतिभूति निपटान के पक्ष में आरबीआई, सीसीआईएल, क्लियरिंग हाउस और एक्सचेंजों के पास मार्जिन के रूप में रखा गया है।

(ii) बैंक ने पीटी बैंक ऑफ इंडिया इंडोनेशिया टीबीके नामक अपनी अनुषंगी में ₹ 675.63 (आबंटन हेतु लंबित शेयर आबंटन राशि) निवेश किया है। इसके अतिरिक्त, बैंक ने उक्त अनुषंगी में 10.04% (₹ 529.97 के लिए) के अतिरिक्त स्टेक का अधिग्रहण भी किया है जिसके परिणामस्वरूप ₹ 304.78 के समेकन पर सद्भावना हुई, और इसे वर्ष के दौरान समायोजित और बट्टे खाते में डाल दिया गया है।

(iii) बैंक ने वर्ष के दौरान स्टार यूनियन दाई-ईची लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड नामक अपने संयुक्त उद्यम में ₹ 57.92 एवं बैंक ऑफ इंडिया इंवेस्टमेंट मैनेजर्स प्राइवेट लिमिटेड नामक अपनी एक अनुषंगी में ₹ 4.63 की अतिरिक्त पूंजी लगाई है।

(iv) वित्तीय वर्ष के दौरान, बैंक को विदर्भ कोंकण ग्रामीण बैंक नामक अपनी एक सहयोगी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक द्वारा ₹ 270.24 के शेयर आबंटित किए गए।

(v) बैंक ने वित्तीय वर्ष 2022-23 में निम्नलिखित सहयोगी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में अतिरिक्त आनुपातिक पूंजी का लगाई है:

(क) विदर्भ कोंकण ग्रामीण बैंक में ₹ 110.09 (आवंटन लंबित)

(ख) आर्यव्रत बैंक में ₹ 152.04 (आवंटन लंबित)

(ग) मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक में ₹ 139.08 (आवंटन लंबित)

(i) Government Securities (Face Value) amounting to ₹ 32,964.87 (previous year ₹ 36,705.27) are kept as margin with RBI, CCIL, Clearing House and Exchange towards margin/security settlement.

(ii) Bank has invested ₹ 675.63 (share application money pending allotment) in one of its subsidiary namely, PT Bank of India Indonesia TBK. Further, the Bank also acquired additional stake of 10.04% (for ₹ 529.97) in the said subsidiary which resulted in goodwill on consolidation of ₹ 304.78, and the same has been adjusted and written off during the year.

(iii) Bank has infused additional capital of ₹ 57.92 in its joint venture namely, Star Union Dai-ichi Life Insurance Company Limited and ₹ 4.63 in one of its subsidiary namely, Bank of India Investment Managers Private Limited during the year.

(iv) During the year, Bank has been allotted shares of ₹ 270.24, by one of its associate Regional Rural Bank namely, Vidharbha Konkan Gramin Bank.

(v) Bank has infused additional proportionate capital in FY 2022-23 in the following associate Regional Rural Banks:

a. ₹ 110.09 in Vidharbha Konkan Gramin Bank (pending allotment)

b. ₹152.04 in Aryavart Bank (pending allotment)

c. ₹139.08 in Madhya Pradesh Gramin Bank (pending allotment)

(ख) मूल्यह्रास और निवेश में उतार-चढ़ाव रिजर्व के प्रावधानों का संचलन
(b) Movement of Provisions for Depreciation and Investment Fluctuation Reserve

	विवरण Particulars	यथा As at 31.03.2023	यथा As at 31.03.2022
i) i)	**निवेश पर मूल्यह्रास की दिशा में धारित प्रावधानों का संचलन Movement of provisions held towards depreciation on investments**		
ए) a)	प्रारंभिक जमा Opening balance	5,212.11	4,478.58
बी) b)	जोड़ें: वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान Add: Provisions made during the year	2,075.29	1,300.52
सी) c)	कम: बट्टे खाते डाली राशि/ वर्ष के दौरान अतिरिक्त प्रावधान का राइट-बैक Less: Write off / write back of excess provisions during the year	2,879.43	567.80
घ) d)	जोड़ें/(कम): विनिमय अंतर की वजह से समायोजन Add/(Less): Adjustments on account of exchange difference	25.16	0.81
इ) e)	अंतिम शेष Closing balance	4,433.13	5,212.11
ii) ii)	**निवेश में उतार-चढ़ाव रिजर्व का संचलन Movement of Investment Fluctuation Reserve**		
ए) a)	प्रारंभिक जमा Opening balance	927.59	673.80
बी) b)	जोड़ें: वर्ष के दौरान हस्तांतरित राशि Add: Amount transferred during the year	151.43	253.79
सी) c)	कम: ड्राडाउन Less: Drawdown	0.00	0.00
डी) d)	अंतिम शेष Closing balance	1,079.02	927.59
iii) iii)	**एएफएस और एचएफटी/वर्तमान श्रेणी में निवेश 13 के अंतिम शेष के प्रतिशत के रूप में आईएफआर में अंतिम शेष Closing balance in IFR as a percentage of closing balance of investments13 in AFS and HFT/Current category**	2.00%	2.00%

(ग) वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान एचटीएम श्रेणी से/को बिक्री और हस्तांतरण :

1 अप्रैल, 2022 से 31 मार्च, 2023 के दौरान एचटीएम श्रेणी से प्रतिभूतियों की बिक्री एवं अंतरण का कुल मूल्य, यथा 31 मार्च, 2022 को एचटीएम श्रेणी में रखे गए निवेश के बही मूल्य के 5% से ज्यादा नहीं है। उपर्युक्त उल्लिखित 5 प्रतिशत की सीमा में निम्नलिखित शामिल नहीं होंगे:

(ग) निदेशक मंडल के अनुमोदन से लेखांकन वर्ष के प्रारम्भ में बैंको द्वारा एचटीएम श्रेणी में/से जिन प्रतिभूतियों का एकबारगी अंतरण किया जाना अनुमत है;

(ख) पूर्व-घोषित ओपन मार्केट नीलामियों के तहत भारतीय रिजर्व बैंक को बिक्री।

(ग) बैंकों से भारत सरकार द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों की पुनर्खरीद।

(घ) लेखांकन वर्ष के आरंभ में अनुमति प्राप्त अंतरण के अतिरिक्त, एचटीएम के अंतर्गत एसएलआर प्रतिभूतियों पर उच्चतम सीमा में कमी के कारण एएफएस/एचएफटी में अंतरण या प्रतिभूतियों की बिक्री ।

वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान एचटीएम से प्रतिभूतियों की बिक्री (ओएमओ के अंतर्गत एकबारगी अंतरण एवं बिक्री के अलावा)	0.00	% में बिक्री (<5%) =0.00%
यथा 31.03.2022 को एचटीएम श्रेणी में प्रतिभूतियां	1,08,581.86	

(घ) गैर-एसएलआर निवेश पोर्टफोलियो

i. गैर-निष्पादित गैर-एसएलआर निवेश

क्र. सं.	विवरण	2022-23	2021-22
(ए)	प्रारंभिक जमा	2,228.00	2,520.04
(बी)	1 अप्रैल से वर्ष के दौरान परिवर्धन	1,515.34	413.21
(सी)	उक्त अवधि के दौरान कटौती	726.74	705.25
(डी)	एक्सचेंज अंतर	0.00	0.00
(इ)	अंतिम शेष	3,016.60	2228.00
(एफ)	धारित कुल प्रावधान	3,016.60	2216.08

(c) Sale and transfers to/from HTM category during the financial year 2022-23:

The total value of sale and transfers of securities from HTM category during April 1, 2022 to March 31, 2023 has not exceeded 5% of the book value of investments held in HTM category as on March 31, 2022. The 5 per cent threshold referred to above will exclude:

(a) The one-time transfer of securities to/from HTM category with the approval of Board of Director permitted to be undertaken by banks at the beginning of the accounting year.

(b) Sale to the Reserve Bank of India under pre-announced OMO auctions.

(c) Repurchase of Government Securities by Government of India from banks.

(d) Sale of securities or transfer to AFS/HFT consequent to the reduction of ceiling on SLR securities under HTM, in addition to the shifting permitted at the beginning of the accounting year.

Sale of Securities from HTM during FY 2022-23 (Other than one time Shifting & sale under OMO)	0.00	Sale in % (<5%) =0.00%
Securities held in HTM Category as on 31.03.2022	1,08,581.86	

(d) Non-SLR investment portfolio

i. Non-performing non-SLR investments

Sr. No.	Particulars	2022-23	2021-22
(a)	Opening balance	2,228.00	2,520.04
(b)	Additions during the year since 1st April	1,515.34	413.21
(c)	Reductions during the above period	726.74	705.25
(d)	Exchange difference	0.00	0.00
(e)	Closing balance	3,016.60	2228.00
(f)	Total provisions held	3,016.60	2216.08

ii. गैर-एसएलआर निवेशों की जारीकर्ता संरचना
ii. Issuer Composition of non-SLR Investments

क्र. सं. Sr. No.	जारीकर्ता Issuer	राशि Amount	'निजी निवेश' की मात्रा* Extent of Private Placement	'निवेश ग्रेड' प्रतिभूतियों से कम की मात्रा* Extent of 'Below Investment Grade' Securities*	'अनरेटेड' प्रतिभूतियों की मात्रा* Extent of 'Unrated' Securities*	'असूचीबद्ध' प्रतिभूतियों की सीमा* Extent of 'Un-listed' Securities*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
i.	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों PSUs	1,777.34	1,704.69	0.00	497.89	0.00
		(2,281.92)	(1,737.35)	(0.00)	(586.96)	(0.00)
ii.	वित्तीय संस्थाओं FIs	3,340.89	2,816.02	0.00	0.00	0.00
		(1,448.30)	(1,344.16)	(0.00)	(0.00)	(0.00)
iii.	बैंकों Banks	1,450.47	709.12	0.00	0.00	0.00
		(1,159.94)	(365.60)	(0.00)	(0.00)	(0.00)
iv.	निजी कॉर्पोरेट Private Corporates	4,571.13	4,338.98	1,440.11	56.35	0.00
		(5,332.71)	(4,225.36)	(1,426.40)	(56.35)	(0.00)
v.	सहायक/संयुक्त उपक्रम# Subsidiaries/ Joint Ventures#	2,701.81	2,701.81	0.00	0.00	0.00
		(1,839.03)	(1,839.03)	(0.00)	(0.00)	(0.00)
vi.	अन्य *$ Others *$	39,962.44	32,273.04	0.00	0.00	0.00
		(40,338.03)	(33,736.74)	(0.00)	(0.00)	(108.40)
	कुल Total	53,804.08	44,543.66	1,440.11	554.24	0.00
		(52,399.93)	(43,248.24)	(1,426.40)	(643.31)	(108.40)
vii.	घटा: मूल्यह्रास के लिए धारित प्रावधान Less: Provision held towards Depreciation	4,432.96	0.00	0.00	0.00	0.00
		(5,070.17)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)
	निवल Net	49,371.12	44,543.66	1,440.11	554.24	0.00
		(47,329.76)	(43,248.24)	(1,426.40)	(643.31)	(108.40)

* इक्विटी में निवेश, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड, वेंचर कैपिटल, रेटेड एसेट्स बेक्ड प्रतिभूतियाँ, केंद्र सरकार की प्रतिभूतियाँ, प्रतिभूति रसीद इत्यादि को इन श्रेणियों के तहत अलग नहीं किया गया है, क्योंकि इन्हे वर्गीकरण/सूचीकरण दिशानिर्देशों से छूट दी गई है।

* Investment in Equity, Equity Oriented Mutual Funds, Venture Capital, Rated Assets Backed Securities, Central Govt. Securities, Security Receipts, etc. are not segregated under these categories as these are exempt from rating/listing guidelines.

अनुषंगी/संयुक्त उद्यम/सहायकों में निवेश को विभिन्न श्रेणियों में पृथक नहीं किया गया है क्योंकि इन्हें आरबीआई के संबंधित दिशानिर्देशों के तहत कवर नहीं किया गया है।

Investment in Subsidiaries/Joint Ventures/Associates have not been segregated into various categories as these are not covered under relevant RBI guidelines.

$ ₹ 24,699 (पिछले वर्ष ₹ 24,699) का भारत सरकार गैर-एसएलआर पुनर्पूंजीकरण बांड में निवेश शामिल है।

$ includes investment in GOI Non-SLR re-capitalisation bonds of ₹ 24,699 (previous year ₹ 24,699)

iii. वर्ष के दौरान किए गए रेपो लेनदेन (अंकित मूल्य के संदर्भ में):
iii. Repo Transactions (in face value terms) undertaken during the year:

विवरण Particulars	वर्ष के दौरान न्यूनतम बकाया Minimum outstanding during the year	वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया Maximum outstanding during the year	वर्ष के दौरान दैनिक औसत बकाया Daily Average outstanding during the year	बकाया यथा 31 मार्च, 2023 Outstanding as on March 31, 2023
रेपो के तहत बेची गई प्रतिभूतियां: Securities sold under repo:				
i) सरकारी प्रतिभूतियां Government Securities	0.00	7753.15	3739.83	2692.00
	(0.00)	(3,574.36)	(3,519.30)	(3,519.00)
ii) कॉर्पोरेट ऋण प्रतिभूतियां Corporate Debt Securities	0.00	0.00	0.00	0.00
	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)
रिवर्स रेपो के तहत खरीदी गई प्रतिभूतियां: Securities purchased under reverse repo:				
i) सरकारी प्रतिभूतियां Government Securities	0.00	9208.00	319.10	0.00
	(0.00)	(23,622.00)	(7,741.99)	(4,500.00)
ii) कॉर्पोरेट ऋण प्रतिभूतियां Corporate Debt Securities	0.00	0.00	0.00	0.00
	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)

(ङ) परिपक्व एनपीआई (अनुसूची 11 'अन्य संपत्ति' में शामिल):

(e) Matured NPI (included in Schedule 11 'Other Assets'):

(i) निवेश का मूल्य: Value of Investments:

विवरण Particulars	2022-23	2021-22
(i) निवेश का सकल मूल्य Gross Value of Investments	1,854.36	1,413.98
(a) भारत में In India	1,351.17	902.33
(b) भारत के बाहर Outside India	503.19	511.65
(ii) मूल्यह्रास के लिए प्रावधान Provision for Depreciation	1,854.36	1,364.38
(a) भारत में In India	1,351.17	852.73
(b) भारत के बाहर Outside India	503.19	511.65
(iii) निवेश का निवल मूल्य Net Value of Investments		
(a) भारत में In India	0.00	49.60
(b) भारत के बाहर Outside India	0.00	0.00

(ii) निवेश पर मूल्यह्रास की दिशा में धारित प्रावधानों का संचलन:: Movement of provisions held towards depreciation on investments:

विवरण Particulars	2022-23	2021-22
प्रारंभिक शेष Opening Balance	1,364.38	1,246.38
जोड़ें: वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान Add: Provisions made during the year	598.11	400.41
उप-जोड़ Sub-total	1,962.49	1,646.79
घटाएं: वर्ष के दौरान अतिरिक्त प्रावधान को बट्टे खाते में डालना/राइट-बैक करना Less: Write off/ write-back of excess provision during the year	138.61	294.28
जोड़ें/(घटाएँ): विनिमय अंतर के कारण समायोजन Add/(Less): Adjustments on account of Exchange Diff	30.48	11.87
अंतिम शेष Closing Balance	1,854.36	1,364.38

(एफ़) अनर्जक निवेश (परिपक्व निवेश सहित)

(f) Non performing Investments (Including Matured Investments):

विवरण Particulars	2022-23	2021-22
(i) निवल निवेश की तुलना में निवल एनपीए (%) Net NPIs to Net Investment (%)	0.00%	0.04%
(ii) एनपीआई (सकल) का उतार-चढ़ाव Movement of NPIs (Gross)		
a) आरंभिक शेष Opening balance	3,641.98	3,766.42
b) वर्ष के दौरान परिवर्धन Additions during the year	2,143.94	875.09
c) वर्ष के दौरान कमी Reductions during the year	914.95	999.53
d) अंतिम शेष Closing balance	4,870.97	3,641.98
(iii) एनपीआई हेतु प्रावधान का उतार चढ़ाव Movement Provision for NPIs		
a) आरंभिक शेष Opening balance	3,580.46	3,246.60
b) वर्ष के दौरान परिवर्धन Additions during the year	2,084.86	764.44
c) वर्ष के दौरान कमी Reductions during the year	794.35	430.58
d) अंतिम शेष Closing balance	4,870.97	3,580.46
(iv) एनपीआई (निवल) का उतार-चढ़ाव Movement of NPIs (Net)		
a) आरंभिक शेष Opening balance	61.52	519.82
b) Provisions made during the year	59.08	110.65
c) Write-off/write-back of excess provisions	120.60	568.95
d) अंतिम शेष Closing balance	0.00	61.52

4. आस्ति गुणवत्ता Asset Quality

(a) **धारित अग्रिमों और प्रावधानों का वर्गीकरण** Classification of Advances and Provisions held

31.03.2023 तक As on 31.03.2023

	मानक Standard	अनर्जक Non-Performing				कुल Total
	कुल मानक अग्रिम Total Standard Advances	अवमानक Sub-standard	संदिग्ध Doubtful	हानि Loss	कुल अनर्जक अग्रिम Total Non-Performing Advances	
सकल मानक अग्रिम और एनपीए Gross Standard Advances and NPAs						
प्रारंभिक शेष Opening Balance	4,11,408.26	4,365.69	21,921.99	19,317.71	45,605.39	4,57,013.65
जोड़ें: वर्ष के दौरान परिवर्धन Add: Additions during the year					7,968.83	
घटाएँ: वर्ष के दौरान कटौती* Less: Reductions during the year*					15,888.66	
अंतिम शेष Closing balance	4,78,166.92	4,984.33	15,105.96	17,595.27	37,685.56	5,15,852.48
*निम्नलिखित के कारण सकल एनपीए में कटौती: *Reductions in Gross NPAs due to:						
(i) उन्नयन Upgradation					1,204.45	
(ii) वसूली (अपग्रेड किए गए खातों से वसूली को छोड़कर) (ii) Recoveries (excluding recoveries from upgraded accounts)					6,029.33	
(iii) तकनीकी/विवेकपूर्ण बट्टे खाते में डालना Technical/ Prudential Write-offs					5,438.76	
(iv) ऊपर (iii) के तहत के अलावा अन्य बट्टे खाते में डालना (iv) Write-offs other than those under (iii) above					3,216.12	
प्रावधान (अस्थायी प्रावधानों को छोड़कर) Provisions (excluding Floating Provisions)						
धारित प्रावधानों का प्रारंभिक शेष Opening balance of provisions held		820.39	15,615.37	19,317.71	35,753.47	
जोड़ें: वर्ष के दौरान किए गए नए प्रावधान Add: Fresh provisions made during the year					3,601.85	
घटाएं: रिवर्स किए गए अतिरिक्त प्रावधान/बट्टे खाते डाले गए ऋण Less: Excess provision reversed/ Write-off loans					9,723.37	
धारित प्रावधानों का अंतिम शेष Closing balance of provisions held		1,392.48	10,644.20	17,595.27	29,631.95	
निवल अनर्जक आस्तियां Net NPAs						
प्रारंभिक शेष Opening Balance		3,545.30	6,306.62	0.00	9,851.92	
जोड़ें: वर्ष के दौरान नए परिवर्धन Add: Fresh additions during the year					4,366.98	
घटाएँ: वर्ष के दौरान कटौतियाँ Less: Reductions during the year					6,165.29	
अंतिम शेष Closing Balance		3,591.85	4,461.76	0.00	8,053.61	

नोट: एनपीए के प्रावधानों के प्रारंभिक और अंतिम शेष में प्राप्त ईसीजीसी दावे शामिल हैं (वित्तीय वर्ष 2022-23 ₹ 1048.64/वित्त वर्ष 2021-22 ₹ 977.60) आंशिक भुगतान प्राप्त और उचंत खाते में रखा गया (वित्त वर्ष 2022-23 ₹ 64.51 / वित्तीय वर्ष 2021-22 ₹ 59.36), एनपीए खातों के संबंध में विविध खातों में शेष (वित्त वर्ष 2022-23 ₹ 877.02 / वित्तीय वर्ष 2021-22 ₹ 922.04) और पुन:संरचित अनर्जक आस्तियों के उचित मूल्य में ह्रास के एवज में किए गए प्रावधान (वित्त वर्ष 2022-23 ₹ 51.87/ वित्तीय वर्ष 2021-22 ₹ 19.18)

Note: Opening and closing balances of provisions for NPAs include ECGC claims received (FY 2022-23 ₹ 1048.64/FY 2021-22 ₹ 977.60) part payment received and kept in suspense account (FY 2022-23 ₹ 64.51 /FY 2021-22 ₹ 59.36), balance in sundries account in respect of NPA accounts (FY 2022-23 ₹ 877.02 /FY 2021-22 ₹ 922.04) and provision in lieu of diminution in the fair value of restructured NPAs (FY 2022-23 ₹ 51.87 /FY 2021-22 ₹ 19.18)

अस्थायी प्रावधान यथा 31.03.2023 Floating Provisions as on 31.03.2023

	मानक Standard	अनर्जक Non-Performing				कुल Total
	कुल मानक अग्रिम Total Standard Advances	अवमानक Sub-standard	संदिग्ध Doubtful	हानि Loss	कुल अनर्जक अग्रिम Total Non-Performing Advances	
प्रारंभिक शेष Opening Balance						0.00
जोड़ें: वर्ष के दौरान किए गए अतिरिक्त प्रावधान Add: Additional provisions made during the year						0.00
घटाएँ: वर्ष के दौरान आहरण Less: Amount drawn down during the year						0.00
अस्थायी प्रावधानों का अंतिम शेष Closing balance of floating provisions						0.00

तकनीकी आधार पर बट्टे खाते में डालना और उस पर की गई वसूली यथा 31.03.2023
Technical write-offs and the recoveries made thereon as on 31.03.2023

	मानक Standard	अनर्जक Non-Performing				कुल Total
	कुल मानक अग्रिम Total Standard Advances	अवमानक Sub-standard	संदिग्ध Doubtful	हानि Loss	कुल अनर्जक अग्रिम Total Non-Performing Advances	
तकनीकी/विवेकपूर्ण आधार पर बट्टे खाते में डाले गए खातों का प्रारंभिक शेष Opening balance of Technical/ Prudential written-off accounts						34,913.49
जोड़ें: वर्ष के दौरान तकनीकी/विवेकपूर्ण बट्टे खाते में डाले गए* Add: Technical/ Prudential write-offs during the year*						8,182.77
घटाएं: वर्ष के दौरान पहले के तकनीकी/विवेकपूर्ण बट्टे खाते में डाले गए खातों में की गई वसूली Less: Recoveries made from previously technical/ prudential written-off accounts during the year						2,744.01
अंतिम शेष Closing balance						40,352.25

*विनिमय अंतर सहित *including exchange difference

31.03.2022 तक As on 31.03.2022

	मानक Standard	अनर्जक Non-Performing				कुल Total
	कुल मानक अग्रिम Total Standard Advances	अवमानक Sub-standard	संदिग्ध Doubtful	हानि Loss	कुल अनर्जक अग्रिम Total Non-Performing Advances	
सकल मानक अग्रिम और एनपीए Gross Standard Advances and NPAs						
प्रारंभिक शेष Opening Balance	3,53,900.96	6,630.35	27,919.91	21,984.68	56,534.94	4,10,435.57
जोड़ें: वर्ष के दौरान परिवर्धन Add: Additions during the year					8,834.65	
घटाएँ: वर्ष के दौरान कटौती* Less: Reductions during the year*					19,764.20	
अंतिम शेष Closing balance	4,11,408.25	4,365.69	21,921.99	19,317.71	45,605.39	4,57,013.64

	मानक Standard	अनर्जक Non-Performing				कुल Total
	कुल मानक अग्रिम Total Standard Advances	अवमानक Sub-standard	संदिग्ध Doubtful	हानि Loss	कुल अनर्जक अग्रिम Total Non-Performing Advances	
*निम्नलिखित के कारण सकल एनपीए में कटौती: *Reductions in Gross NPAs due to:						
(i) उन्नयन Upgradation					2,732.67	
(ii) वसूली (अपग्रेड किए गए खातों से वसूली को छोड़कर) (ii) Recoveries (excluding recoveries from upgraded accounts)					6,707.59	
(iii) तकनीकी/विवेकपूर्ण बट्टे खाते में डालना Technical/ Prudential Write-offs					2,352.12	
(iv) ऊपर (iii) के तहत के अलावा अन्य बट्टे खाते में डालना (iv) Write-offs other than those under (iii) above					7,971.82	
प्रावधान (अस्थायी प्रावधानों को छोड़कर) Provisions (excluding Floating Provisions)						
धारित प्रावधानों का प्रारंभिक शेष Opening balance of provisions held	2,723.10	1,253.36	20,802.66	21,984.68	44,040.70	46,763.80
जोड़ें: वर्ष के दौरान किए गए नए प्रावधान Add: Fresh provisions made during the year					2,942.95	
घटाएं: रिवर्स किए गए अतिरिक्त प्रावधान/बट्टे खाते डाले गए ऋण Less: Excess provision reversed/ Write-off loans					11,230.18	
धारित प्रावधानों का अंतिम शेष Closing balance of provisions held	3,638.17	820.39	15,615.37	19,317.71	35,753.47	39,391.64
निवल अनर्जक आस्तियां Net NPAs						
प्रारंभिक शेष Opening Balance		5,376.99	7,117.25	0.00	12,494.24	
जोड़ें: वर्ष के दौरान नए परिवर्धन Add: Fresh additions during the year					5,891.71	
घटाएँ: वर्ष के दौरान कटौतियाँ Less: Reductions during the year					8,534.02	
अंतिम शेष Closing Balance		3,545.30	6,306.62	0.00	9,851.93	9851.93

नोट: एनपीए के प्रावधानों के प्रारंभिक और अंतिम शेष में प्राप्त ईसीजीसी दावे शामिल हैं (वित्त वर्ष 2021-22 ₹ 977.60 / वित्तीय वर्ष 2020-21 ₹ 905.95) आंशिक भुगतान प्राप्त हुआ और उचंत खाते में रखा गया (वित्त वर्ष 2021-22 ₹ 59.36/वित्त वर्ष 2020-21 ₹ 48.87), एनपीए खातों के संबंध में विविध खातों में शेष (वित्त वर्ष 2021-22 ₹ 922.04/वित्त वर्ष 2020-21 ₹ 981.68) और पुनर्रचित एनपीए के उचित मूल्य ह्रास के एवज में किए गए प्रावधान (वित्त वर्ष 2021-22 ₹ 19.18/वित्तीय वर्ष 2020-21 ₹ 30.32)

Note: Opening and closing balance s of provisions for NPAs include ECGC claims received (FY 2021-22 ₹ 977.60 / FY 2020-21 ₹ 905.95) part payment received and kept in suspense account (FY 2021-22 ₹ 59.36 / FY 2020-21 ₹ 48.87), balance in sundries account in respect of NPA accounts (FY 2021-22 ₹ 922.04 /FY 2020-21 ₹ 981.68) and provision in lieu of diminution in the fair value of restructured NPAs (FY 2021-22 ₹ 19.18 /FY 2020-21 ₹ 30.32)

अस्थायी प्रावधान यथा 31.03.2022 Floating Provisions as on 31.03.2022

	मानक Standard	अनर्जक Non-Performing				कुल Total
	कुल मानक अग्रिम Total Standard Advances	अवमानक Sub-standard	संदिग्ध Doubtful	हानि Loss	कुल अनर्जक अग्रिम Total Non-Performing Advances	
प्रारंभिक शेष Opening Balance						232.22
जोड़ें: वर्ष के दौरान किए गए अतिरिक्त प्रावधान Add: Additional provisions made during the year						0.00
घटाएँ: वर्ष के दौरान आहरण Less: Amount drawn down[15] during the year						232.22
अस्थायी प्रावधानों का अंतिम शेष Closing balance of floating provisions						0.00

तकनीकी आधार पर बट्टे खाते में डालना और उस पर की गई वसूली यथा 31.03.2022
Technical write-offs and the recoveries made thereon as on 31.03.2022

	मानक Standard	अनर्जक Non-Performing				कुल Total
	कुल मानक अग्रिम Total Standard Advances	अवमानक Sub-standard	संदिग्ध Doubtful	हानि Loss	कुल अनर्जक अग्रिम Total Non-Performing Advances	
तकनीकी/विवेकपूर्ण आधार पर बट्टे खाते में डाले गए खातों का प्रारंभिक शेष Opening balance of Technical/ Prudential written-off accounts						32,561.37
जोड़ें: वर्ष के दौरान तकनीकी/विवेकपूर्ण बट्टे खाते में डाले गए* Add: Technical/ Prudential write-offs during the year*						4,920.05
घटाएं: वर्ष के दौरान पहले के तकनीकी/विवेकपूर्ण बट्टे खाते में डाले गए खातों में की गई वसूली Less: Recoveries made from previously technical/ prudential written-off accounts during the year						2,567.93
अंतिम शेष Closing balance						34,913.49

अनुपात Ratios

विवरण Particulars	2022-23	2021-22
सकल अग्रिम की तुलना में सकल एनपीए (% में) Gross NPA to Gross Advances (in %)	7.31	9.98
निवल अग्रिम की तुलना में निवल एनपीए (% में) Net NPA to Net Advances (in %)	1.66	2.34
प्रावधान कवरेज अनुपात (% में) Provision coverage ratio (in %)	89.68	87.76

(b) क्षेत्र-वार अग्रिम (विवेकपूर्ण/तकनीकी राइट ऑफ को शामिल करते हुए) (प्रबंधन द्वारा यथा समेकित)
Sector-wise Advances (Including Prudential/Technical write off) (As compiled by management)

क्र. सं. Sr. No.	क्षेत्र Sector	2022-23			2021-22		
		बकाया सकल अग्रिमों O/S Gross Advances	सकल एनपीए Gross NPAs	उस क्षेत्र में कुल अग्रिमों में सकल एनपीए का % % of Gross NPAs to Total Advances in that Sector	बकाया सकल अग्रिमों O/S Gross Advances	सकल एनपीए Gross NPAs	उस क्षेत्र में कुल अग्रिमों में सकल एनपीए का % % of Gross NPAs to Total Advances in that Sector
ए A	**प्राथमिकता क्षेत्र Priority sector**						
1	कृषि एवं संबद्ध गतिविधियाँ Agriculture & allied activities	71,387.57	9,408.13	13.18	63,292.65	8,777.37	13.87
2	उद्योगों को अग्रिम जो प्राथमिकता क्षेत्र के रूप में पात्र हैं Advances to industries sector eligible as priority sector lending	25,478.00	3,459.00	13.58	22,743.23	3,561.66	15.66
3	सेवाएं Services	41,523.22	5,323.26	12.82	35,557.49	5,654.78	15.90
4	वैयक्तिक ऋण Personal loans	22,441.03	909.92	4.05	22,033.54	896.55	4.07
	उप-जोड़ (ए) Sub-total (A)	160,829.82	19,100.31	11.88	143,626.91	18,890.37	13.15
बी B	**गैर प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र Non Priority Sector**						
1	कृषि एवं संबद्ध गतिविधियाँ Agriculture & allied activities	30.45	1.13	0.00	57.07	1.02	1.79
2	उद्योग Industry	143,215.73	8,568.53	5.98	119,311.88	14,462.43	12.12
3	सेवाएं Services	139,449.09	8,861.52	6.35	135,412.84	11,088.32	8.19
4	वैयक्तिक ऋण Personal loans	72,327.39	1,154.07	1.60	58,604.95	1,163.26	1.98
	उप-जोड़ (बी) Sub-total (B)	355,022.66	18,585.25	5.23	313,386.74	26,715.03	8.52
	कुल (ए+बी) Total (A+B)	515,852.48	37,685.56	7.31	457,013.65	45,605.39	9.98

(सी) विदेशी आस्तियां, एनपीए तथा राजस्व:
(c) Overseas Assets, NPAs and Revenue:

क्रमांक Sr. No.	विवरण Particulars	2022-23	2021-22
1	कुल आस्तियां Total Assets	1,16,673.69	86,317.65
2	कुल एनपीए Total NPAs	8,243.92	8,568.77
3	कुल राजस्व Total Revenue	4,636.88	1,626.11

(d) समाधान योजना और पुनर्गठन का विवरण Particulars of resolution plan and restructuring

(i) समाधान योजना का विवरण Particulars of Resolution Plan

As per RBI Circular No.DBR.No.BP.BC.45/21.04.048/2018-19 dated June 7, 2019 on Prudential Framework for Resolution of Stressed Assets, as on March 31, 2023, Bank holds additional Provision of ₹ 2,078.85 in respect of 26 borrower accounts (exposure ₹ 7,910.24), where the viable Resolution Plan has not been implemented within 180 days / 365 days of review period.

दबावग्रस्त आस्तियों के समाधान के लिए विवेकपूर्ण फ्रेमवर्क पर 7 जून 2019 के आरबीआई परिपत्र सं डीबीआर.सं.बीपी.बीसी.45/21.04.048/2018-19 के अनुसार, 31 मार्च, 2023 तक 26 उधारकर्ता खातों (एक्सपोजर ₹ 7,910.24) के संबंध में बैंक के पास ₹ 2,078.85 का अतिरिक्त प्रावधान है, जहां व्यवहार्य समाधान योजना समीक्षा अवधि के 180 दिनों / 365 दिनों के भीतर लागू नहीं की गई है।

(ii) दबावग्रस्त आस्तियों पर प्रकटीकरण Disclosure on Stressed Assets:

(1) वर्तमान ऋणों की लचीली पुन:संरचना पर प्रकटीकरण: Disclosure on Flexible Structuring of Existing Loans:

जारीकर्ता Period	कितने उधारकर्ताओं के लिए लचीली पुन:संरचना पर विचार किया गया No. of borrowers taken up for flexible structuring	लचीली पुन:संरचना हेतु चयनित ऋणों की राशि Amount of loans taken up for flexible structuring		लचीली पुन:संरचना हेतु चयनित ऋणों की एक्सपोजर भारित औसत अवधि Exposure weighted average duration of loans taken up for flexible structuring	
		मानक के रूप में वर्गीकृत Classified as Standard	एनपीए के रूप में वर्गीकृत Classified as NPA	लचीली पुन:संरचना लागू करने से पूर्व Before applying flexible structuring	लचीली पुन:संरचना लागू करने के पश्चात After applying flexible structuring
पिछला वित्तीय वर्ष Previous Financial Year	0	0.00	0.00	0	0
चालू वित्तीय वर्ष (अप्रैल 2022 से मार्च 2023 तक) Current Financial Year (From April 2022 to March 2023)	0	0.00	0.00	0	0

(2) कार्यनीतिक ऋण पुन:संरचना योजना पर प्रकटीकरण (खाते जो वर्तमान में स्टैंड-स्टिल अवधि के अंतर्गत हैं):
(2) Disclosure on Strategic Debt Restructuring Scheme (accounts which are currently under the stand-still period):

खाते जहां एसडीआर शुरू किया गया है No. of accounts where SDR has been invoked	रिपोर्टिंग तिथि को बकाया राशि Amount outstanding as on the reporting date		जिन खातों में ऋण का एक्विटी में परिवर्तन लंबित है उनमें रिपोर्टिंग तारीख को बकाया राशि Amount outstanding as on the reporting date with respect to accounts where conversion of debt to equity is pending		जिन खातों में ऋण का एक्विटी में परिवर्तन किया गया है उनमें रिपोर्टिंग तारीख को बकाया राशि Amount outstanding as on the reporting date with respect to accounts where conversion of debt to equity has taken place	
	मानक के रूप में वर्गीकृत Classified as Standard	एनपीए के रूप में वर्गीकृत Classified as NPA	मानक के रूप में वर्गीकृत Classified as Standard	एनपीए के रूप में वर्गीकृत Classified as NPA	मानक के रूप में वर्गीकृत Classified as Standard	एनपीए के रूप में वर्गीकृत Classified as NPA
शून्य Nil						

(3) एसडीआर योजना के बाहर स्वामित्व परिवर्तन पर प्रकटीकरण (खाते जो वर्तमान में स्टैंड-स्टिल अवधि के अंतर्गत हैं) :

(3) **Disclosures on Change in Ownership outside SDR Scheme (accounts which are currently under the stand-still period):**

उन खातों की संख्या जहां बैंक ने स्वामित्व में परिवर्तन करने का निर्णय लिया है No. of accounts where banks have decided to effect change in ownership	रिपोर्टिंग तिथि को बकाया राशि Amount outstanding as on the reporting date		रिपोर्टिंग तारीख को उन खातों में बकाया राशि जहां ऋण को शेयरों में परिवर्तित किया गया है/गिरवी इक्विटी शेयरों की बिक्री लंबित है Amount outstanding as on the reporting date with respect to accounts where conversion of debt to equity/invocation of pledge of equity shares is pending		रिपोर्टिंग तारीख को उन खातों में बकाया राशि जहां ऋण को शेयरों में परिवर्तित किया गया है/गिरवी इक्विटी शेयरों की बिक्री हो चुकी है Amount outstanding as on the reporting date with respect to accounts where conversion of debt to equity/invocation of pledge of equity shares has taken place		रिपोर्टिंग तारीख को वो खाते जहां नए शेयर जारी कर या प्रमोटर की इक्विटी की बिक्री द्वारा स्वामित्व में परिवर्तन प्रस्तावित है Amount outstanding as on the reporting date with respect to accounts where change in ownership is envisaged by issuance of fresh shares or sale of promoters equity	
	मानक के रूप में वर्गीकृत Classified as Standard	एनपीए के रूप में वर्गीकृत Classified as NPA	मानक के रूप में वर्गीकृत Classified as Standard	एनपीए के रूप में वर्गीकृत Classified as NPA	मानक के रूप में वर्गीकृत Classified as Standard	एनपीए के रूप में वर्गीकृत Classified as NPA	मानक के रूप में वर्गीकृत Classified as Standard	एनपीए के रूप में वर्गीकृत Classified as NPA
शून्य Nil								

(4) कार्यान्वयन के तहत परियोजनाओं के स्वामित्व में परिवर्तन पर प्रकटीकरण (खाते जो वर्तमान में स्टैंड-स्टिल अवधि के अंतर्गत हैं):

(4) **Disclosure on Change in Ownership of Projects Under Implementation (accounts which are currently under the stand-still period):**

परियोजना ऋण खातों की संख्या जहां बैंक ने स्वामित्व में परिवर्तन करने का निर्णय लिया है No. of project loan accounts where the Bank has decided to effect change in ownership	रिपोर्टिंग तिथि को बकाया राशि Amount outstanding as on the reporting date		
	मानक के रूप में वर्गीकृत Classified as Standard	मानक पुनर्रचित के रूप में वर्गीकृत Classified as Standard restructured	एनपीए . के रूप में वर्गीकृत Classified as NPA
शून्य Nil			

(5) दबावग्रस्त आस्तियों की धारणीय पुनर्रचना(एस4ए) की योजना संबंधी प्रकटन, जहां भी कार्यान्वित किया गया हो:

(5) **Disclosure on Scheme for Sustainable Structuring of Stressed Assets (S4A), wherever implemented:**

क्रमांक Sr. No.	कुल बकाया राशि Aggregate Amount Outstanding	बकाया राशि Amount Outstanding		प्रावधान किए गए Provision Held
		भाग ए में In Part A	भाग बी में In Part B	
मानक के रूप में वर्गीकृत Classified as Standard				
3	280.27	112.05	168.22	76.68
एनपीए के रूप में वर्गीकृत Classified as NPA				
3	281.83	71.33	210.49	278.52
कुल Total				
6	562.10	183.38	378.71	355.20

(इ) परिसंपत्ति वर्गीकरण और प्रावधान में विचलन:

वित्तीय विवरण - प्रस्तुति और प्रकटीकरण, परिसंपत्ति के वर्गिकरण में विचलन तथा प्रावधान पर आरबीआई के दिनांक 30 अगस्त, 2021 (13.12.2022 तक अद्यतन) के मास्टर निदेश संख्या.डीओआर.एसीसी. आरईसी.सं.45/21.04.018/2021-22 प्रस्तुतीकरण एवं प्रकटन- आस्तियों के वर्गीकरण एवं प्रावधान में विचलन के अनुसार यदि निम्नलिखित में से कोई एक या दोनों शर्तें पूरी होती हैं वर्गीकरण और प्रावधान, बैंकों को विचलन का प्रकटीकरण करना है:

(ए) संदर्भ अवधि के लिए रिज़र्व बैंक द्वारा मूल्यांकित एनपीए हेतु अतिरिक्त प्रावधान, प्रावधानों एवं आकस्मिकताओं से पूर्व लाभ के 10% से अधिक होने पर, उसके लिए अतिरिक्त प्रावधान किए जाएँ।

(बी) आरबीआई द्वारा चिन्हित अतिरिक्त सकल एनपीए, संदर्भ अवधि हेतु रिपोर्ट की गई वर्धित सकल एनपीए से 10% अधिक है।

बैंक में विचलन उपरोक्त विनिर्दिष्ट सीमा के भीतर है। इसलिए आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण मेन विचलन के संबंध में अतिरिक्त प्रकटीकरण की आवश्यकता लागू नहीं होती है।

(एफ़) ऋण एक्सपोजर के अंतरण का प्रकटीकरण :

दिनांक 24 सितंबर, 2021 के आरबीआई परिपत्र संख्या डीओआर. एसटीआर.आरईसी.51/21.04.048/2021-22 के अनुसार ऋण खातों (एसएमए और एनपीए) के अंतरण का प्रकटीकरण :

(ए) बैंक ने 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के दौरान किसी भी ऐसे ऋण का अंतरण नहीं किया है जिसमें चूक नहीं हुआ है या विशेष उल्लेख खातों (एसएमए) में नहीं है।

(बी) ऐसे ऋण जिनमें चूक नहीं हुआ है, समनुदेशन द्वारा उनके अधिग्रहण का विवरण निम्नानुसार है:

विवरण	2022-23	2021-22
अधिगृहित ऋणों की कुल राशि (₹ करोड़ में)	667.43	0.00
भारित औसत अवशिष्ट परिपक्वता (महीनों में)	65.07	0.00
प्रवर्तक द्वारा भारित औसत धारण अवधि (महीनों में)	15.28	0.00
प्रवर्तक द्वारा लाभकारी आर्थिक हित का प्रतिधारण	10%	0.00
मूर्त प्रतिभूति कवरेज	130%	0.00

(सी) 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के दौरान बैंक ने किसी भी दबावग्रस्त (अनर्जक) आस्ति का अधिग्रहण नहीं किया है।

(e) Divergence in asset classification and provisioning:

As per RBI Master Direction No. RBI/DOR/2021-22/83 DOR.ACC.REC.No.45/21.04.018/2021-22 dated August 30, 2021 (updated as on 13.12.2022) on Financial statements – Presentation and Disclosures, divergence in the asset classification and provisioning, Banks should disclose divergences, if either or both of the following conditions are satisfied:

(a) the additional provisioning for non-performing assets (NPAs) assessed by RBI exceeds 10% of the reported profit before provisions and contingencies for the reference period, and;

(b) the additional Gross NPAs identified by the RBI exceeds 10% of reported incremental Gross NPAs for the reference period.

Divergences are within threshold limits in the Bank as specified above. Hence, no disclosure is required with respect to Divergence in Asset Classification and Provisioning.

(f) Disclosure of transfer of loan exposures:

Disclosure of Transfer of Loan Accounts (SMAs & NPAs) in terms of RBI Circular No. DOR.STR. REC.51/21.04.048/2021-22 dated September 24, 2021:

a. The Bank has not transferred any loans not in default or Special Mention Accounts (SMA) during the year ended March 31, 2023.

b. Details of loans not in default acquired through assignment are given below:

Particulars	2022-23	2021-22
Aggregate amount of loans acquired (₹ in crore)	667.43	0.00
Weighted average residual maturity (in months)	65.07	0.00
Weighted average holding period by the originator (in months)	15.28	0.00
Retention of beneficial economic interest by the originator	10%	0.00
Tangible security coverage	130%	0.00

c. During the year ended March 31, 2023 the Bank has not acquired any stressed (Non-Performing) Assets.

(डी) **31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के दौरान अंतरित दबावग्रस्त ऋण (एनपीए) का विवरण:**
Details of Stressed Loans (NPAs) transferred during the year ended March 31, 2023:

क्रमांक Sr. No.	विवरण Particulars	एआरसी को To ARCs	अनुमत अंतरिती को To permitted transferees	अन्य अंतरिती को To other transferees
ए. a.	खातों की संख्या No. of accounts	4 (10)	2 (--)	--
बी. b.	अंतरित ऋणों का कुल मूलधन Aggregate principal outstanding of loans transferred	274.80 (930.68)	39.45 (--)	--
सी. c.	अंतरित ऋणों की भारित औसत अवशिष्ट अवधि Weighted average residual tenor of the loans transferred	-- (--)	-- (--)	--
डी. d.	अंतरित ऋणों का निवल बही मूल्य (अंतरण के समय) Net book value of the loans transferred (at the time of transfer)	-- (107.90)	-- (--)	--
इ. e.	कुल राशि Aggregate consideration	124.63 (403.01)	14.76 (--)	--
एफ. f.	पूर्व के वर्षों में अंतरित खातों के संबंध में अतिरिक्त प्रतिफल की वसूली Additional consideration realized in respect of accounts transferred in earlier years	-- (--)	-- (--)	--
जी. g.	दबावग्रस्त ऋणों की बिक्री के कारण लाभ और हानि खाते में वापस किए गए अतिरिक्त प्रावधानों की मात्रा Quantum of excess provisions reversed to the Profit & Loss account on account of sale of stressed loans	124.63 (295.11)	14.76 (--)	--

यथा 31 मार्च 2023 क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा ऐसे प्रतिभूति रसीदों (एसआर) को दी गई रिकवरी रेटिंग की विभिन्न श्रेणियों में धारित प्रतिभूति रसीदों (एसआर) का वितरण:

रिकवरी रेटिंग बैंड	बही मूल्य 2022-23	बही मूल्य 2021-22
आरआर1+	0.00	0.00
आरआर1	219.69	280.84
आरआर2	43.48	9.40
आरआर3	0.00	36.40
आरआर4	0.00	167.33
आरआर5	64.37	829.32
रेटिंग वापस ले ली गई	1658.97	733.18
कुल	1986.51	2,056.47

आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार 8 साल के बाद रेटिंग लागू नहीं होती है। बैंक ने उपर्युक्त प्रतिभूति रसीदों (एसआर) के लिए पूर्ण रूप से प्रावधान किया है।

(एफए) एनपीए की बिक्री से लाभ:

क्रमांक	विवरण	2022-23	2021-22
1	एनपीए की बिक्री से प्राप्त लाभ	139.39	295.11

Distribution of the Security Receipts (SRs) held across the various categories of Recovery Ratings assigned to such SRs by the credit rating agencies as on March 31, 2023:

Recovery Rating Band	Book Value 2022-23	Book Value 2021-22
RR1+	0.00	0.00
RR1	219.69	280.84
RR2	43.48	9.40
RR3	0.00	36.40
RR4	0.00	167.33
RR5	64.37	829.32
Ratings Withdrawn	1658.97	733.18
Total	1986.51	2,056.47

As per RBI guidelines Rating is not applicable post 8 years. The Bank has provided in full for the above Security Receipts.

(fa) Profit from sale of NPA:

Sr. No.	Particular	2022-23	2021-22
1	Profit booked in respect of sale of NPA	139.39	295.11

(जी) धोखाधड़ी खाते

विवरण	2022-23	2021-22
रिपोर्ट की गई धोखाधड़ियों की संख्या	208	216
धोखाधड़ी में शामिल राशि	582.59	5,793.22
वर्ष के दौरान ऐसी धोखाधड़ियों के लिए किए गए प्रावधान की राशि $	68.93	250.79
ऐसी धोखाधड़ी के लिए किए गए प्रावधान $	561.69*	5382.17*
वर्ष के अंत में 'अन्य आरक्षितियों' से नामे किए गए अपरिशोधित प्रावधान की राशि	शून्य	205.49

$ वसूली को समायोजित करने के पश्चात दर्शाई गई प्रावधान राशि

*ऋण से भिन्न धोखाधड़ियों के लिए ₹ 5.32 लाख (विगत वर्ष ₹ 7.76) का प्रावधान शामिल

(एच) समाधान फ्रेमवर्क 2.0 सूक्ष्म, लघु एवं माध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के कोविड-19 संबंधी दबाव का समाधान विषय पर भारतीय रिज़र्व बैंक परिपत्र सं डीओआर. एसटीआर.आरईसी.12/21.04.048/2021-22 दिनांक 5 मई, 2021 तथा परिपत्र सं डीओआर.एसटीआर.आरईसी.21/21.04.048/2021-22 दिनांक 4 जून, 2021, के अनुरूप पुन: संचरित खातों का ब्यौरा निम्नानुसार है:

(खातो की संख्या के अतिरिक्त राशि करोड़ में)

खातों की संख्या	दिनांक 31.03.2023 को राशि	किए गए प्रावधान
70,602	2,446.74	244.67

आरबीआई परिपत्र सं डीओआर.बीपी.बीसी/3/21.04.048/2020-21 दिनांक 6 अगस्त, 2020 (रिज़ॉल्यूशन फ्रेमवर्क 1.0) और डीओआर. एसटीआर. आरईसी.11/21.04.048/2021-22 दिनांक 5 मई, 2021 (रिज़ॉल्यूशन फ्रेमवर्क 2.0), यथा दिनांक 31 मार्च, 2023 के अनुसार समाधान योजना का विवरण:

(g) Fraud Accounts

Particulars	2022-23	2021-22
Number of frauds reported	208	216
Amount involved in fraud	582.59	5,793.22
Amount of provision made during this year for such frauds $	68.93	250.79
Amount of provision made for such frauds $	561.69*	5382.17*
Amount of Unamortised provision debited from 'other reserves' as at the end of the year	Nil	205.49

$ Amount of provision shown after netting of recovery.

*including provision for other than credit related frauds of ₹ 5.32 (Previous year: ₹ 7.76).

(h) In accordance with RBI circular No. DOR.STR.REC.12/21.04.048/2021-22 dated May 5, 2021 & RBI Circular No. DOR.STR.REC.21/21.04.048/2021-22 dated June 4, 2021 on Resolution Framework 2.0 –Resolution of COVID-19 related stress of Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs), the details of accounts restructured is as under:

(₹ in Crore except number of accounts)

No. of Accounts	Amount as on 31.03.2023	Provision Held
70,602	2,446.74	244.67

In terms of RBI Circular No. DOR.BP.BC/3/21.04.048/2020-21 dated August 6, 2020 (Resolution Framework 1.0) and DOR. STR. REC.11/21.04.048/2021-22 dated May 5, 2021 (Resolution Framework 2.0), the details of resolution plan as on March 31, 2023:

31 मार्च, 2023 March 31, 2023

उधारकर्ता का प्रकार Type of borrower	संकल्प फ्रेमवर्क के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप मानक के रूप में वर्गीकृत खातों में एक्सपोजर - पिछले छमाही के अंत में स्थिति (ए) यथा: 30 सितंबर 2022 Exposure to accounts classified as Standard consequent to implementation of resolution plan– Position as at the end of previous half year, i.e. September 30, 2022 (A)	(ए) में से, कुल ऋण 31 मार्च 2023 को समाप्त छमाही के दौरान एनपीए हो गया Of (A), aggregate debt that slipped into NPA during the half-year ended March 31, 2023	(ए) में से, 31 मार्च 2023 को समाप्त अर्ध-वर्ष के दौरान बट्टे खाते में डाली गई राशि Of (A) amount written off during the half-year ended March 31, 2023	(ए) में से, 31 मार्च 2023 को समाप्त छमाही के दौरान उधारकर्ताओं द्वारा भुगतान की गई राशि Of (A) amount paid by the borrowers during the half- year ended March 31, 2023	संकल्प फ्रेमवर्क के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप मानक के रूप में वर्गीकृत खातों में एक्सपोजर - इस छमाही के अंत में स्थिति यथा 31 मार्च 2023 Exposure to accounts classified as Standard consequent to implementation of resolution plan – Position as at the end of this half-year, i.e. March 31, 2023
वैयक्तिक ऋण Personal Loans	5,285.68	190.90	1.27	274.33	4,974.07
कॉर्पोरेट व्यक्ति* Corporate persons*	3,403.71	337.73	2.07	331.45	2,840.70
जिनमें से, एमएसएमई Of which MSMEs	2,704.86	241.04	2.07	210.20	2,446.74
अन्य Others	31.08	4.00	0.00	1.93	25.87
कुल Total	8,720.47	532.63	3.34	607.71	7,840.64

* जैसा कि दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 की धारा 3(7) में परिभाषित है।

* As defined in Section 3(7) of the Insolvency and Bankruptcy Code 2016.

31 मार्च, 2022 March 31, 2022

(आई) रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के दिनांक 06 अगस्त, 2020 के संकल्प फ्रेमवर्क 1.0 और जो अब भारतीय रिज़र्व बैंक के एकल व्यक्तियों और छोटे कारोबारों हेतु दिनांक 05 मई 2021 के संकल्प फ्रेमवर्क 2.0 में संशोधित हो चुका है, के अंतर्गत बैंक के ₹ 670.99 के कुल एक्सपोज़र वाले 28,815 उधार खाते थे, जहां बैंक ने संकल्प फ्रेम्वोर्क को लागू किया है।

(i) There were 28,815 borrower accounts having an aggregate exposure of ₹ 670.99 to the Bank, where the resolution plan has been implemented under RBI's Resolution Framework 1.0 dated August 6, 2020 and now modified under RBI's Resolution Framework 2.0 dated May 5, 2021 for Individuals and Small Businesses.

उधारकर्ता का प्रकार Type of Borrower	संकल्प फ्रेमवर्क के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप मानक के रूप में वर्गीकृत खातों में एक्सपोजर - पिछले छमाही के अंत में स्थिति (ए) **Exposure to accounts classified as Standard consequent to implementation of resolution plan – Position as at the end of the previous half-year (A)**		(ए) में से , कुल ऋण जो छमाही के दौरान एनपीए हो गया है **Of (A), aggregate debt that slipped into NPA during the half year**	(ए) में से, अर्ध-वर्ष के दौरान बट्टे खाते में डाली गई राशि **Of (A), amount written off during the half-year**	(ए) में से, छमाही के दौरान उधारकर्ताओं द्वारा भुगतान की गई राशि **Of (A), amount paid by the borrowers during the half-year**	समाधान योजना के कार्यान्वयन के पश्चात मानक के रूप में वर्गीकृत खातों में एक्सपोजर - इस छमाही के अंत में स्थिति **Exposure to accounts classified as Standard consequent to implementation of the resolution plan - Position as at the end of this half-year**
	(ए) (A)		(बी) (B)	(सी) (C)	(डी) (D)	(ई) (E)
	संकल्प फ्रेमवर्क के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप मानक के रूप में वर्गीकृत खातों में एक्सपोजर - पिछले छमाही के अंत में स्थिति (ए) **Exposure to accounts classified as Standard consequent to implementation of resolution plan – Position as at the end of the previous half-year (A)**	जोड़ - संकल्प फ्रेमवर्क के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप मानक के रूप में वर्गीकृत खातों के लिए एक्सपोजर, जहां सितंबर 2021 तक आवेदन प्राप्त हुआ (पुनर्गठन तिथि के अनुसार स्थिति) **Addition – Exposure to accounts classified as Standard consequent to implementation of resolution plan, where application received by September 2021 (Position as on restructuring date)**				
वैयक्तिक ऋण Personal Loans	131.01	5.65	3.16	--	6.32	137.92
कॉर्पोरेट व्यक्ति* Corporate Persons*	524.36	10.03	35.91	0.30	46.09	533.07
जिनमें से, एमएसएमई of which, MSMEs	524.36	10.03	35.91	0.30	46.09	533.07
अन्य Others	--	--	--	--	--	--
कुल Total	655.37	15.68	39.07	0.30	52.41	670.99

* जैसा कि दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 की धारा 3(7) में परिभाषित है।

* As defined in Section 3(7) of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016.

(ग) आरबीआई परिपत्र संख्या डीओआर.बीपी.बीसी/3/21.04.048/2020-21 दिनांक 6 अगस्त, 2020 (रिज़ॉल्यूशन फ्रेमवर्क 1.0) और डीओआर.एसटीआर. आरईसी.11/21.04.048/2021-22 दिनांक 5 मई, 2021 (रिज़ॉल्यूशन फ्रेमवर्क 2.0), के अनुसार संकल्प फ्रेमवर्क का विवरण यथा 31 मार्च, 2023

(ii) In terms of RBI Circular No. DOR.BP.BC/3/21.04.048/2020-21 dated August 6, 2020 (Resolution Framework 1.0) and DOR. STR. REC.11/21.04.048/2021-22 dated May 5, 2021 (Resolution Framework 2.0), the details of resolution plan as on March 31, 2022:

उधारकर्ता का प्रकार **Type of Borrower**	**(A)**		(ए) में से, कुल ऋण जो 31 मार्च, 2022 को समाप्त छमाही के दौरान एनपीए हो गया **Of (A), aggregate debt that slipped into NPA during the half-year ended March 31, 2022**	(ए) में से,31 मार्च, 2022 को समाप्त छमाही के दौरान बट्टे खाते में डाली गई राशि **Of (A) amount written off during the half-year ended March 31, 2022**	(ए) में से,31 मार्च, 2022 को समाप्त छमाही के दौरान उधारकर्ताओं द्वारा भुगतान की गई राशि **Of (A) amount paid by the borrowers during the half-year ended March 31, 2022**	समाधान योजना के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप मानक के रूप में वर्गीकृत खातों के लिए एक्सपोजर - इस छमाही के अंत में स्थिति, अर्थात 31 मार्च, 2022 **Exposure to accounts classified as Standard consequent to implementation of resolution plan – Position as at the end of this half-year, i.e, March 31, 2022**
	संकल्प फ्रेमवर्क के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप मानक के रूप में वर्गीकृत खातों के लिए एक्सपोजर- पिछले छमाही के अंत में स्थिति, यानी 30 सितंबर, 2021 (ए) **Exposure to accounts classified as Standard consequent to implementation of resolution plan– Position as at the end of the previous half-year, i.e, September 30, 2021 (A)**	अतिरिक्त - संकल्प फ्रेमवर्क के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप मानक के रूप में वर्गीकृत खातों के लिए एक्सपोजर, जहां सितंबर"21 तक प्राप्त आवेदन (पुनर्गठन तिथि के अनुसार स्थिति) **Addition - Exposure to accounts classified as Standard consequent to implementation of resolution plan, where applications received by September'21 (Position as on restructuring date)**				
वैयक्तिक ऋण Personal Loans	5,649.09	114.45	95.23	0.64	303.06	5,652.60
कॉर्पोरेट व्यक्ति Corporate Persons	5,561.91	176.09	411.99	4.17	1,033.55	4,255.03
जिनमें से, एमएसएमई of which, MSMEs	3,007.80	176.09	295.42	4.17	259.87	3,097.09
अन्य Others	39.08	--	--	--	2.02	36.59
कुल Total	11,250.08	290.54	507.22	4.81	1,338.63	9,944.22

5. एक्सपोज़र Exposures

बैंक ऐसे क्षेत्रों को उधार दे रहा है, जो आस्तियों की कीमत के उतार-चढ़ाव के प्रति संवेदनशील है।
The Bank is lending to sectors, which are sensitive to asset price fluctuation.

i. रियल इस्टेट क्षेत्र को एक्सपोज़र, प्रबंधन द्वारा यथा संकलित Exposure to Real Estate Sector, as compiled by management

क्र.सं. Sr. No.		प्रवर्ग Category	31.03.2023	31.03.2022
1	प्रत्यक्ष एक्सपोज़र Direct Exposure		64,810.01	54,967.61
	(क) (a)	आवासीय बंधक Residential Mortgages	59,232.26	51,075.00
		(i) आवासीय संपत्ति पर ऋण, बंधक द्वारा पूरी तरह से प्रतिभूत है, जो उधारकर्ता द्वारा काबिज है या काबिज किया जाएगा या किराये पर दिया है (नीचे दिये गए (ii) के अलावा) (i) Lending fully secured by Mortgages on residential property that is or will be occupied by the borrower or that is rented (other than (ii) below);	39,718.49	32,241.26

क्र.सं. Sr. No.		प्रवर्ग Category	31.03.2023	31.03.2022
		(ii) प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में शामिल करने के लिए पात्र एकल गृह ऋण (ii) Individual housing loans eligible for inclusion in priority sector	19,513.77	18,833.74
	(ख) (b)	वाणिज्यिक रियल इस्टेट Commercial Real Estate-	5,329.12	3,059.06
		वाणिज्यिक रियल इस्टेट (कार्यालय इमारत, रिटेल जगह, बहु-उद्देशीय वाणिज्यिक परिसर, मल्टी-फैमिली आवासीय इमारत, बहु-किरायेदार वाणिज्यिक परिसर, औद्योगिक या वेयर हाउस जगह, होटल, भूमि अधिग्रहण, विकसित एवं निर्माण आदि) पर बंधक द्वारा प्रतिभूत ऋण। एक्सपोजर में गैर-निधि आधारित (एनएफबी) सीमा भी शामिल होगी। Lending secured by mortgages on commercial real estate's (office buildings, retail space, multi-purpose commercial premises, multi-family residential buildings, multi-tenanted commercial premises, industrial or warehouse space, hotels, land acquisition, development and construction, etc.). Exposure would also include non-fund based (NFB) limits;	5,329.12	3,059.06
	(ग) (c)	बंधक द्वारा समर्थित प्रतिभूतियाँ (एमबीएस) और अन्य प्रतिभूत एक्सपोजर में निवेश Investments in Mortgage Backed duties (MBS) and other securitised Exposures	248.63	833.55
		क) a) आवासीय Residential	0.00	0.00
		ख) b) व्यवसायिक रियल इस्टेट Commercial Real Estate	248.63	833.55
2	अप्रत्यक्ष एक्सपोजर Indirect Exposure		28,482.99	19,530.35
	नेशनल हाउसिंग बैंक (एनएचबी) और हाउसिंग फाइनेंस कंपनी (एचएफसीज्) पर निधि आधारित एवं गैर निधि आधारित एक्सपोजर Fund based and non-fund based exposures on National Housing Bank (NHB) and Housing Finance Companies (HFCs)		28,482.99	19,530.35
रियल इस्टेट सेक्टर हेतु कुल एक्सपोजर (1+2) Total exposure to Real Estate Sector (1+2)			93,293.00	74,497.96

ii. पूंजी बाजार हेतु एक्सपोजर Exposure to Capital Market

क्र.सं. Sr. No.	प्रवर्ग Category	31.03.2023	31.03.2022
i)	इक्विटी शेयर, परिवर्तनीय बॉण्ड, परिवर्तनीय डिबेंचर तथा इक्विटी अभिमुख म्यूचुअल फण्ड में प्रत्यक्ष निवेश जिनकी आधारभूत निधि केवल कार्पोरेट ऋण में निवेश नहीं की गई है; Direct investment in equity shares, convertible bonds, convertible debentures and units of equity-oriented mutual funds the corpus of which is not exclusively invested in corporate debt;	1,182.40	1,099.91
ii)	शेयरों/बॉण्डों/डिबेंचरों/अन्य प्रतिभूतियों के समक्ष या बेजमानती आधार पर व्यक्तियों को शेयरों(आईपीओ/ईएसओपीएस सहित)परिवर्तनीय बॉण्ड/परिवर्तनीय डिबेंचर और इक्विटी उन्मुख म्युचुअल फंडो की यूनिटों में निवेश के लिए अग्रिम; Advances against shares/bonds/debentures or other securities or on clean basis to individuals for investment in shares (including IPOs/ ESOPs), convertible bonds, convertible debentures, and units of equity-oriented mutual funds;	3.15	3.73
iii)	अन्य प्रयोजनों के लिए अग्रिम, जहाँ शेयरों या परिवर्तनीय बांडों या परिवर्तनीय डिबेंचरों या इक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फण्डों की यूनिट को प्राथमिक प्रतिभूति के रूप में लिया गया है; Advances for any other purposes where shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds are taken as primary security;	833.00	886.91
iv)	शेयरों या परिवर्तनीय बाण्डों या परिवर्तनीय डिबेंचरों या इक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फण्डों की यूनिटों की संपार्श्विक प्रतिभूति द्वारा प्रतिभूत सीमा तक, अर्थात जहाँ मूलभूत प्रतिभूति शेयरों/ परिवर्तनीय बाण्डों/ परिवर्तनीय डिबेंचरों/ इक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फण्डों की यूनिटों के अलावा पूर्णतया अग्रिमों को कवर नहीं करती हैं, किन्हीं अन्य प्रयोजनों के लिए अग्रिम; Advances for any other purposes to the extent secured by the collateral security of shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds i.e. where the primary security other than shares/convertible bonds/convertible debentures/units of equity oriented mutual funds does not fully cover the advances;	0.00	2.82
v)	स्टॉक ब्रोकरों को जमानती एवं गैर जमानती अग्रिम एवं स्टॉक ब्रोकरों तथा बाजार निर्धारकों की ओर से जारी गारंटियाँ; Secured and unsecured advances to stockbrokers and guarantees issued on behalf of stockbrokers and market makers;	1,598.37	1,503.85

क्र.सं. Sr. No.	प्रवर्ग Category	31.03.2023	31.03.2022
vi)	संसाधनों की वृद्धि की प्रत्याशा में नई कंपनियों की इक्विटी के लिए प्रवर्तकों के अंशदान को पूरा करने के लिए शेयरों/बाण्डों/ डिबेंचरों की प्रतिभूति या अन्य प्रतिभूतियों के समक्ष या बेजमानती आधार पर कंपनियों के लिए स्वीकृत ऋण; Loans sanctioned to corporates against the security of shares/bonds/debentures or other securities or on clean basis for meeting promoter's contribution to the equity of new Companies in anticipation of raising resources;	0.00	0.00
vii)	अपेक्षित इक्विटी प्रवाह/निर्गमों के समक्ष कंपनियों के लिए पूरक ऋण; Bridge loans to Companies against expected equity flows/issues;	0.00	0.00
viii)	शेयरों या परिवर्तनीय बाण्डों या परिवर्तनीय डिबेंचरों या इक्विटी उन्मुख म्युचुअल फण्डों के प्राथमिक निर्गम के संबंध में की गई हामीदारी प्रतिबद्धताएं; Underwriting commitments taken up by the banks in respect of primary issue of shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds;	0.00	0.00
ix)	मार्जिन ट्रेडिंग हेतु स्टॉक ब्रोकरों के लिए वित्तपोषण; Financing to stockbrokers for margin trading;	0.00	0.00
x)	उद्यम के लिए पूंजी निधि हेतु सभी निवेशों (पंजीकृत और अपंजीकृत दोनों)को इक्विटी के बराबर माना जाएगा और इस प्रकार पूंजी बाजार निवेश सीमा(प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों)के अनुसार गणना की जाएगी। All exposures to Venture Capital Funds (both registered and unregistered)	247.29	225.63
पूंजी बाजार में कुल एक्सपोज़र Total Exposure to Capital Market		**3,864.21**	**3,722.85**

iii. जोखिम श्रेणी-वार देश का एक्सपोज़र Risk Category-wise Country Exposure:

आरबीआई के वर्तमान दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक का देश में एक्सपोजर को विभिन्न जोखिम श्रेणियों में वर्गीकृत कर निम्नलिखित तालिका में सूचीबद्ध किया गया है ।
As per the extant RBI guidelines, the country exposure of the Bank is categorised into various risk categories listed in the following table.

क्र.सं. Sr. No.	जोखिम श्रेणी Risk Category	यथा दिनांक As at 31.03.2023		यथा दिनांक As at 31.03.2022	
		एक्सपोज़र (निवल) Exposure (Net)	धारित प्रावधान Provision held	एक्सपोज़र (निवल) Exposure (Net)	धारित प्रावधान Provision held
1	नगण्य Insignificant	74,144.61	65.21	58,765.95	42.04
2	न्यून Low	21,833.59	12.19	26,696.34	20.62
3	साधारण Moderate	1,392.11	0.00	3,954.94	0.00
4	उच्च High	176.39	0.00	588.80	0.00
5	बहुत उच्च Very High	5,597.18	0.00	1,576.27	0.00
6	प्रतिबंधित Restricted	0.40	0.00	0.00	0.00
7	ऑफ क्रेडिट Off Credit	14.67	0.00	0.00	0.00
	कुल Total	**1,03,158.95**	**77.40**	**91,582.30**	**62.66**

iv. गैर-जमानती अग्रिम : Unsecured Advances :

विवरण Particulars	2022-23	2021-22
कुल गैर-जमानती अग्रिम Total Unsecured Advances	1,03,362.87	1,12,067.35
जिसमें से Out of which i) अमूर्त प्रतिभूतियां जैसे अधिकार, लाइसेन्स, प्राधिकार आदि जो बैंक को सांपार्श्विक के रूप में प्रभारित किए गए हैं के प्रभार पर बकाया अग्रिम की कुल राशि. Amount of advances outstanding against charge over intangible securities such as rights, licenses, authorizations etc. charged to the Bank as collateral	5,066.63	2,713.69
ii) ऐसी अमूर्त प्रतिभूतियों का अनुमानित मूल्य (जैसा कि उपर्युक्त (i) में) ii) The estimated value of such intangible securities (as in (i) above)	20,424.97	17,353.22

v. फैक्टरिंग एक्सपोजर

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान बैंक ने गैर-आश्रय आधार पर कोई निर्यात फैक्टरिंग नहीं लिया है।

vi. इंट्रा-ग्रुप एक्सपोजर (जैसा कि प्रबंधन द्वारा संकलित किया गया है और लेखा परीक्षकों द्वारा भरोसा किया गया है):

क्रमांक	विवरण	2022-23	2021-22
ए	इंट्रा ग्रुप एक्सपोजर की कुल राशि	4,278.71	6,860.37
बी	शीर्ष 20 इंट्रा ग्रुप एक्सपोजर की कुल राशि	4,278.71	6,860.37
सी	उधारकर्ताओं/ग्राहकों पर कुल एक्सपोजर का इंट्रा ग्रुप एक्सपोजर का %	0.58%	1.07%
डी	इंट्रा ग्रुप एक्सपोजर पर सीमा के उल्लंघन और उस पर नियामक कार्रवाई, यदि कोई हो, का विवरण।	शून्य	शून्य

vii. अप्रतिबंधित विदेशी मुद्रा एक्सपोजर

क्रमांक	विवरण	2022-23	2021-22
ए	शेष राशि प्रावधान खाता खोलना	76.26	62.03
बी	लेखा वर्ष में किए गए प्रावधानों की मात्रा	8.56	20.29
सी	लेखा वर्ष के दौरान रिवर्स राशि	14.24	6.06
डी	प्रावधान खाते में शेष राशि	70.58	76.26

गैर-हेज किए गए विदेशी मुद्रा एक्सपोजर (यूएफसीई) के साथ संस्थाओं के एक्सपोजर के लिए पूंजी और प्रावधान आवश्यकताओं के संबंध में बैंक की नीति है जो आरबीआई परिपत्रों पर आधारित है।

31.03.2023 की स्थिति के अनुसार, उपलब्ध आंकड़ों और उधारकर्ताओं से घोषणा के आधार पर, जहां कहीं भी पॉलिसी के अनुसार प्राप्त हुआ, इस एक्सपोजर पर अतिरिक्त आरडब्ल्यूए ₹ 134.46 (पिछले वर्ष ₹ 414.81) है। इसके विपरीत, अतिरिक्त न्यूनतम पूंजी आवश्यकता ₹ 15.46 (पिछला वर्ष ₹ 47.70) है।

viii. एकल उधारकर्ता सीमा (एसबीएल), सामूहिक उधारकर्ता सीमा (जीबीएल) के ब्यौरे, जिनका बैंक द्वारा उल्लंघन किया गया:

बैंक ने आरबीआई द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण सीमा के अंदर एकल उधारकर्ता एक्सपोजर तथा समूह उधारकर्ता एक्सपोजर लिया था।

क्र.सं.	उधारकर्ता का नाम	एक्सपोज़र सीमा	स्वीकृत सीमा	बकाया यथा 31.03.2023
1.	एकल उधारकर्ता			
	कुछ नहीं	शून्य (शून्य)	शून्य (शून्य)	शून्य (शून्य)
2.	सामूहिक उधारकर्ता			
	कुछ नहीं	शून्य (शून्य)	शून्य (शून्य)	शून्य (शून्य)

v. Factoring exposures:

Bank has not taken any Export Factoring on non-recourse basis exposure during the financial year 2022-23.

vi. Intra-group exposures (As compiled by the management and relied upon by the Auditors):

Sr. No.	Particulars	2022-23	2021-22
A	Total amount of intra group exposures	4,278.71	6,860.37
B	Total amount of top 20 intra group exposure	4,278.71	6,860.37
C	% of Intra group Exposure to total exposure on Borrowers/Customers	0.58%	1.07%
D	Details of breach of limits on intra group exposures and regulatory action thereon, if any.	Nil	Nil

vii. Unhedged Foreign Currency Exposure

Sr. No.	Particulars	2022-23	2021-22
A	Opening balance provisions account	76.26	62.03
B	The quantum of provisions made in the accounting year	8.56	20.29
C	Amount Reverse during the accounting year	14.24	6.06
D	Closing balance in the provisions account	70.58	76.26

The bank has a policy with regard to capital and provisioning requirements for exposure to entities with unhedged foreign currency exposure (UFCE) which is based on RBI Circulars.

As on 31.03.2023, based on available data and declaration from the borrowers, wherever received in accordance with the policy, the additional RWA on this exposure is ₹ 134.46 (Previous Year ₹ 414.81). As against this, additional minimum capital requirement is ₹ 15.46 (Previous Year ₹ 47.70).

viii. Details of Single Borrower Limit (SBL), Group Borrower Limit (GBL) exceeded by the Bank:

The Bank had taken single borrower exposure and Group Borrower exposure within the prudential limit prescribed by RBI.

Sr. No.	Name of the Borrower	Exposure Ceiling	Limit Sanctioned	Outstanding as on 31.03.2023
1.	Single Borrower			
	None	NIL (NIL)	NIL (NIL)	NIL (NIL)
2.	Group Borrower			
	None	NIL (NIL)	NIL (NIL)	NIL (NIL)

6. जमाओं, अग्रिमों, एक्सपोज़र तथा एनपीए का संकेंद्रण

(क) जमाराशियों का संकेंद्रण-

विवरण	2022-23	2021-22
बीस सबसे बड़े जमाकर्ताओं की कुल जमा राशियां	51,369.55	40,303.29
बैंक की कुल जमाराशियाँ में से बीस बड़े जमाकर्ताओं की जमाराशियों का प्रतिशत	7.67%	6.42%

(ख) अग्रिमों का संकेंद्रण -

विवरण	2022-23	2021-22
बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं का कुल अग्रिम	92,152	83,288
बैंक के कुल अग्रिमों में से बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं के अग्रिमों का प्रतिशत	16.38%	16.47%

(ग) एक्सपोज़र का संकेंद्रण:

विवरण	2022-23	2021-22
बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं/ग्राहकों को कुल एक्सपोज़र	99,146	90,039
बैंक के उधारकर्ताओं/ ग्राहकों को कुल एक्सपोज़र में से बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं /ग्राहकों के एक्सपोज़र का प्रतिशत	12.85%	13.14%

(घ) एनपीए संकेंद्रण

विवरण	2022-23	2021-22
चार शीर्ष एनपीए खातों का कुल एक्सपोज़र	14,816	15,169
कुल सकल एनपीए में बीस सबसे बड़े एनपीए एक्सपोजर का प्रतिशत	39.31%	33.26%

7. डेरिवेटिव

(क) वायदा दर अनुबंध/ब्याज दर स्वैप

क. सं.	विवरण	यथा 31.03.2023	यथा 31.03.2022
i)	स्वैप अनुबंध की नोशनल मूल राशि	841.13	1,563.03
ii)	संबंधित पक्षों द्वारा करार के अंतर्गत अपने दायित्व पूर्ति न किए जाने के फलस्वरूप होने वाली हानियां	1.27	38.89
iii)	स्वैप प्रक्रिया अपनाने पर बैंक द्वारा अपेक्षित सम्पार्श्विक प्रतिभूति	स्वैप के लिए संपार्श्विक प्रतिभूति की जरूरत नहीं थी क्योंकि काउन्टर पार्टी या तो बैंक अथवा प्रीमियर कार्पोरेट थे।	
iv)	स्वैप के कारण क्रेडिट जोखिम का संकेंद्रण	वर्ष के दौरान ब्याज दर स्वैप से उत्पन्न ऋण जोखिम का कोई संकेन्द्रण नहीं है।	
v)	स्वैप बही का उचित मूल्य	1.80	(-)1.64

6. **Concentration of deposits, advances, exposures and NPAs**

(a) **Concentration of deposits:**

Particulars	2022-23	2021-22
Total Deposits of twenty largest depositors	51,369.55	40,303.29
Percentage of Deposits of twenty largest depositors to Total Deposits of the Bank	7.67%	6.42%

(b) **Concentration of advances:**

Particulars	2022-23	2021-22
Total Advances to twenty largest borrowers	92,152	83,288
Percentage of Advances to twenty largest borrowers to Total Advances of the Bank	16.38%	16.47%

(c) **Concentration of exposures**

Particulars	2022-23	2021-22
Total Exposure to twenty largest borrowers/ customers	99,146	90,039
Percentage of Exposures to twenty largest borrowers/customers to Total Exposure of the bank on borrowers/customers	12.85%	13.14%

(d) **Concentration of NPAs:**

Particulars	2022-23	2021-22
Total Exposure to top twenty NPA accounts	14,816	15,169
Percentage of exposure to the twenty largest NPA exposure to total Gross NPAs	39.31%	33.26%

7. **Derivatives**

(a) **Forward Rate Agreement/ Interest Rate Swap**

Sr. No.	Particulars	As at 31.03.2023	As at 31.03.2022
i)	The notional principal of swap agreements	841.13	1,563.03
ii)	Losses which would be incurred if counterparties failed to fulfil their obligations under the agreements	1.27	38.89
iii)	Collateral required by the bank upon entering into swaps	No collaterals were required for the swaps as counterparties were either banks or premier corporate	
iv)	Concentration of Credit Risk arising from the swaps	There is no concentration of credit risk arising from the interest rate swaps undertaken during the year	
v)	The fair value of the swap book	1.80	(-)1.64

(ख) विनिमय व्यापार ब्याज दर डेरिवेटिव

क्र. सं.	विवरण	यथा 31.03.2023	यथा 31.03.2022
(i)	वर्ष के दौरान लिये गये विनिमय व्यापार ब्याज दर डेरिवेटिव की नोशनल मूल राशि (लिखत-वार	0.00	0.00
(ii)	यथा 31 मार्च को बकाया विनिमय व्यापार ब्याज दर डेविरेटिव की कल्पित मूल राशि (लिखत वार)	0.00	0.00
(iii)	बकाया विनिमय व्यापार ब्याज दर डेरिवेटिव की नोशनल मूल राशि और जो ''उच्च प्रभावी'' नहीं हो (लिखत वार)	0.00	0.00
(iv)	बकाया विनिमय व्यापार ब्याज दर डेरिवेटिव का मार्क-टू-मार्केट मूल्य और जो ''बहुत प्रभावी'' नहीं हो (लिखत वार)	0.00	0.00

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान आरबीआई में आरआरसी खाता में तथा रेपो/रिजर्व रेपो संव्यवहार में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा कोई चूक एवं दंड नहीं लगाया गया है।

(ग) डेरिवेटिव में जोखिम एक्सपोज़र पर प्रकटन

i. गुणात्मक प्रकटन

बैंक, तुलन पत्र की आस्तियों और देयताओं की प्रतिरक्षा के लिए अथवा कारोबारी उद्देश्यों और ग्राहक जरूरतों को पूरा करने के लिए डेरिवेटिव संविदाएं करता है जैसे कि ब्याज-दर डेरिवेटिव, मुद्रा स्वैप और मुद्रा आप्शन। ये उत्पाद जोखिम की प्रतिरक्षा, लागत घटाने तथा प्रतिफल बढ़ाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। बैंक इस प्रकार के व्यवहार में जिस प्रकार के जोखिमों का सामना करता है, वे हैं ऋण जोखिम, बाजार जोखिम, परिचालनगत जोखिम आदि।

जोखिम प्रबंधन बैंक के कारोबार प्रबंधन का एक अनिवार्य भाग है। जोखिम की पहचान करने और उनका विश्लेषण करने, समुचित जोखिम सीमाएं निर्धारित करने और उन जोखिमों और सीमाओं की निरंतर आधार पर, अद्यतन प्रबंधन सूचना प्रणालियों के जरिए देख-रेख करने के लिए बैंक ने जोखिम प्रबंधन नीतियां तैयार की हैं। जोखिम प्रबंधन नीतियां और प्रमुख नियंत्रण सीमाएं, निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित की गई हैं और उनकी नियमित आधार पर देख-रेख तथा समीक्षा की जाती है। बैंक का संगठन, जोखिम के प्रबंधन में सहायक रहा है। डेरिवेटिव परिचालन में ट्रेडिंग गतिविधियों के एक्सपोजर का आकार तथा जोखिमों के विषय में पर्याप्त जागरूकता है।

बैंक के निदेशकों की जोखिम प्रबंधन समिति है जिसका नेतृत्व अध्यक्ष करते हैं।

हेज/गैर-हेज (मार्केट मेकिंग) संव्यवहारों को अलग से रिकार्ड किया जाता है। हेजिंग डेरिवेटिव पर आय/खर्च को उपचित आधार पर लेखांकित किया जाता है।

फोरेक्स फॉरवर्ड संविदाओं को बाजार पर चिह्नित किया गया है और परिणामत: लाभ और हानि को लाभ एवं हानि खाते में बताया जाता है।

(b) Exchange Traded Interest Rate Derivatives

Sr. No.	Particulars	As At 31.03.2023	As At 31.03.2022
(i)	Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives undertaken during the year (instrument-wise)	0.00	0.00
(ii)	Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives outstanding as on 31st March(instrument-wise)	0.00	0.00
(iii)	Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives outstanding and not "highly effective" (instrument-wise)	0.00	0.00
(iv)	Mark-to-market value of exchange traded interest rate derivatives outstanding and not "highly effective" (instrument-wise)	0.00	0.00

There was no default and penalty imposed by Reserve Bank of India in Repo/Reverse Repo transactions and in RRC Account with RBI during the Financial year 2022-23.

(c) Disclosures on risk exposure in derivatives

i. Qualitative Disclosure

The Bank enters into derivative contracts such as interest rate derivatives, currency swaps and currency options to hedge on balance sheet assets and liabilities or to meet client requirements as well as for trading purpose as per policy approved by the Board. These products are used for hedging risk, reducing cost and increasing the yield. In such transactions, the types of risks to which the bank is exposed to, are credit risk, market risk, operational risk etc.

Risk management is an integral part of bank's business management. Bank has risk management policies designed to identify and analyse risks, to set appropriate risk limits and to monitor these risks and limits on an on-going basis by means of reliable and up to date management information systems. The risk management policies and major control limits are approved by the Board of Directors and they are monitored and reviewed regularly. The organization of the Bank is conducive to managing risks. There is sufficient awareness of the risks and the size of exposure of the trading activities in derivative operations.

The Bank has a Risk Management Committee of Directors presided over by the Chairman.

The hedge/non-hedge (market making) transactions are recorded separately. Income/expenditure on hedging derivatives is accounted on accrual basis.

Forex forward contracts are marked to market and the resultant gains and losses are recognized in the profit and loss account.

व्यापार उद्देश्य से विनिमय व्यापार डेरिवेटिव के अलावा ब्याज दर डेरिवेटिव और मुद्रा डेरिवेटिव को बाजार पर चिह्नित किया जाता है और परिणामत: हानि, यदि कोई, को लाभ एवं हानि खाते में बताया जाता है। निवल लाभ, यदि कोई, पर ध्यान नहीं दिया जाता है ।

व्यापार उद्देश्य से प्रविष्ट विनिमय व्यापार डेरिवेटिव का विनिमय द्वारा दिए गए दर के आधार पर प्रचलित मार्केट दरों पर मूल्यांकन किया जाता है और परिणामत: लाभ एवं हानि को लाभ एवं हानि खाते में बताया जाता है ।

व्यापार स्वैप की समाप्ति पर लाभ/हानि को समाप्ति तिथि पर आय/खर्च के रूप में रिकार्ड किया जाता है। स्वैप की समाप्ति पर किसी भी लाभ/हानि का स्थगन स्वैप की शेष अनुबंधित अवधि अथवा निर्धारित आस्तियों/देयताओं की बकाया अवधि, इनमें से जो भी कम हो, से संबद्ध किया जाता है।

ऑप्शन संविदा के परिपक्वता काल पर आप्शन शुल्क/प्रीमियम का परिशोधन किया जाता है ।

बैंक में वरिष्ठ और उच्च प्रबंधन को आवधिक रिपोर्टों को प्रस्तुत करने की उचित पद्धति है। इसके साथ ही भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अपेक्षित/या परिचालन आवश्यकतानुसार विनियामक प्राधिकारियों को भी रिपोर्ट भेजी जाती है। बैंक के पास निदेशक बोर्ड द्वारा अनुमोदित विभिन्न पहलुओं पर स्पष्ट डेरिवेटिव दिशा-निर्देश हैं। डरिवेटिव लेन-देन समवर्ती, आंतरिक, सांविधिक और विनियामक लेखा परीक्षा के शर्तों के अध्यधीन है।

संव्यवहारों के प्रतिपक्ष बैंक, प्राथमिक डीलर और प्रीमियर कार्पोरेट्स इकाइयाँ हैं। इनमें व्यवहार अनुमोदित ऋण जोखिम सीमा के अंदर किया जाता है। बैंक ने ब्याज दर एवं विदेशी विनिमय डेरिवेटिव लेन-देनों के कारण उत्पन्न ऋण जोखिमों के मापन के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारत चालू ऋण जोखिम विधि अपनाई है। चालू ऋण जोखिम विधि में वर्तमान ऋण जोखिम और इन संविदाओं के संभावी आगामी ऋण जोखिम को जोड़ है।

चालू ऋण एक्सपोज़र, इन संविदाओं के सकारात्मक मार्क-टू-मार्केट मूल्य का जोड़ है अर्थात् जब बैंक को प्रतिपक्ष से राशि प्राप्त करनी होती है।

संभावी आगामी ऋण जोखिम का निर्धारण इन संविदाओं के कतिपत मूल राशि, चाहे संविदा का शून्य, सकारात्मक अथवा नकारात्मक मार्क-टू-मार्केट मूल्य हो, के साथ निम्नानुसार संबंधित एड-ऑन तत्वों के अनुसार लिखत के शेष परिपक्वता और स्वैप का गुणा करके प्राप्त किया जाएगा।

अवशिष्ट परिपक्वता	कुल नोशनल मूल राशि पर लगाया जाने वाला ऋण परिवर्तनकारक तत्व	
	ब्याज दर संविदा	विनिमय दर संविदा
एक वर्ष या उससे कम	0.50%	2.00%
एक वर्ष से अधिक पांच वर्ष तक	1.00%	10.00%
पाँच वर्ष से अधिक	3.00%	15.00%

ऋण जोखिम की गणना करते समय ''सोल्ड ऑप्शन'' को वहाँ छोड़ दिया जाता है जहाँ कहीं प्रीमियम / शुल्क या किसी भी रूप में आय प्राप्त / वसूली होती है।

Interest rate derivatives and currency derivatives other than exchange traded derivatives for trading purpose are marked to market and the resulting losses, if any, are recognised in the Profit & Loss account. Net Profit, if any, is ignored.

Exchange traded derivatives entered into for trading purposes are valued at prevailing market rates based on rates given by the Exchange and the resultant gains and losses are recognized in the Profit & Loss account.

Gains/losses on termination of the trading swaps are recorded on the termination date as income/expenditure. Any gain/loss on termination of hedging swaps are deferred and recognised over the shorter of the remaining contractual life of the swap or the remaining life of the designated assets/liabilities.

Option fees/premium is amortised over the tenor of the option contract.

Bank has a proper system of submitting periodical reports to Senior and Top Management and Board as well as regulatory authorities as required by RBI and/or as per operational requirements. Bank has clearly spelt derivative guidelines on various aspects approved by the Board of Director. The derivative transactions are subject to concurrent, internal, statutory and regulatory audits.

The counter parties to the transactions are banks, primary dealers and corporate entities. The deals are done under approved exposure limits. The Bank has adopted the Current Exposure method prescribed by Reserve Bank of India for measuring Credit Exposures arising on account of interest rate and foreign exchange derivative transactions. Current exposure method is the sum of current credit exposure and potential future exposure of these contracts.

The current credit exposure is the sum of positive mark to market value of these contracts i.e. when the Bank has to receive money from the counter party.

Potential future credit exposure is determined by multiplying the notional principal amount of these contracts irrespective of whether the contract has zero, positive or negative mark to market value by the relevant add-on factors as under according to the nature and residual maturity of the instrument.

Residual Maturity	Credit Conversion factor applied on Notional Principal Amount	
	Interest Rate Contract	Exchange Rate Contract
One year or less	0.50%	2.00%
Over one year to five years	1.00%	10.00%
Over five years	3.00%	15.00%

While computing the credit exposure, “sold options” are excluded wherever the entire premium/fee or any other form of income is received / realized.

भारतीय रिज़र्व बैंक के मौजूदा दिशानिर्देशानुसार संविदा के वर्तमान बाजार मूल्य पर ऋण जोखिम की गणना की जाती है। इस पर संबंधित प्रतिपक्षकार की ''मानक'' श्रेणी के ऋण आस्ति पर लागू प्रावधान आवश्यकताएं भी लागू हैं। वर्तमान में जोखिम वाली आस्तियों पर 0.40% प्रावधान किया जाना है। खातों में बैंक उपर्युक्त के अनुसार अपेक्षित प्रावधान करते हैं।

ii. मात्रात्मक प्रकटन

क्र.सं.	विवरण	मुद्रा डेरिवेटिव		ब्याजदर डेरिवेटिव	
1	डेरिवेटिव (नोशनल मूल राशि)	5,885.82		841.13	
	क) हेजिंग हेतु	5,742.84		241.13	
		(13,048.16)		(1,463.03)	
	ख) कारोबार हेतु	142.98		600.00	
		(278.34)		(100.00)	
2	मार्क्ड टू मार्केट स्थिति [1]				
	क) आस्ति (+)	4.47		1.80	
		(158.32)		(0.36)	
	ख) देयता	52.92		0.91	
		(2.65)		(34.70)	
3	क्रेडिट एक्सपोजर	118.24		8.41	
		(421.12)		(15.99)	
4	ब्याज दर में एक प्रतिशत के परिवर्तन से होने वाला संभाव्य प्रभाव (100*पीवी01)				
	क) हेजिंग डेरिवेटिव पर	0.00		0.06	
		(0.00)		(11.81)	
	ख) ट्रेडिंग डेरिवेटिव पर	0.00		3.66	
		(0.00)		(4.37)	
5	वर्ष के दौरान देखी गई 100डपीवी01 की अधिकतम एवं न्यूनतम	अधि-कतम	न्यूनतम	अधि कतम	न्यूनतम
	क) हेजिंग पर	0.00	0.00	0.02	0.00
		(0.00)	(0.00)	(0.97)	(0.01)
	ख) ट्रेडिंग पर	0.00	0.00	1.84	1.82
		(0.00)	(0.00)	(4.37)	(4.37)

(घ) क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप्स :

बैंक ने कोई क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप्स नहीं किया है।

8. प्रतिभूतिकरण से सम्बद्ध प्रकटन :

बैंक ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान कोई स्पेशल पर्पज व्हीकल (एसपीवी) फ्लोट नहीं किया है।

9. ऑफ बैलेन्स शीट प्रायोजित एसपीवी

स्पॉन्सर किए गए एसपीवी का नाम	
स्वदेशी	विदेशी
शून्य	शून्य

As per the extant RBI guidelines, credit exposures computed as per the current Mark to Market value of the contracts, also attracts provisioning requirement as applicable to the loan assets in the "Standard" category, of the concerned counterparty. At present, the provision is to be maintained at 0.40% of the risk weighted assets. The Bank makes the requisite provision as aforesaid in the books.

ii. Quantitative Disclosures

Sr. No.	Particulars	Currency Derivatives		Interest Rate Derivatives	
1	Derivatives (Notional Principal Amount)	5,885.82		841.13	
	a) For hedging	5,742.84		241.13	
		(13,048.16)		(1,463.03)	
	b) For trading	142.98		600.00	
		(278.34)		(100.00)	
2	Marked to Market Positions [1]				
	a) Asset (+)	4.47		1.80	
		(158.32)		(0.36)	
	b) Liability	52.92		0.91	
		(2.65)		(34.70)	
3	Credit Exposure [2]	118.24		8.41	
		(421.12)		(15.99)	
4	Likely impact of one percentage change in interest rate (100*PV01)				
	a) On hedging derivatives	0.00		0.06	
		(0.00)		(11.81)	
	b) On trading derivatives	0.00		3.66	
		(0.00)		(4.37)	
5	Maximum & Minimum of 100*PV01 observed during the year	Max	Min	Max	Min
	a) On hedging	0.00	0.00	0.02	0.00
		(0.00)	(0.00)	(0.97)	(0.01)
	b) On trading	0.00	0.00	1.84	1.82
		(0.00)	(0.00)	(4.37)	(4.37)

(d) Credit Default Swaps

The bank has not dealt with any Credit Default Swap.

8. Disclosures relating to Securitisation

The Bank has not floated any Special purpose Vehicle (SPV) during the Financial Year 2022-23.

9. Off balance sheet SPVs sponsored

Name of the sponsored SPV	
Domestic	Overseas
NIL	NIL

10. जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता फंड (डीईएएफ) को अंतरण :

विवरण	2022-23	2021-22
डीईएएफ में अंतरित प्रारंभिक शेष राशि	1,756.66	1,488.26
जमा : वर्ष के दौरान डीईएएफ में अंतरित राशि	887.06	291.16
घटाएं :दावों के तहत डीईएएफ द्वारा राशि की प्रतिपूर्ति	44.72	22.76
डीईएएफ में अंतरित राशि का अंतिम शेष	**2,599.00**	**1,756.66**

11. शिकायतों का प्रकटन

(क) ग्राहकों तथा ओबीओ (बैंकिंग लोकपाल कार्यालय) से बैंक द्वारा प्राप्त शिकायतों की सूचना का सार

10. Transfers to Depositor Education and Awareness Fund (DEA Fund)

Particulars	2022-23	2021-22
Opening balance of amounts transferred to DEAF	1,756.66	1,488.26
Add : Amounts transferred to DEAF during year	887.06	291.16
Less : Amounts reimbursed by DEAF towards claims	44.72	22.76
Closing balance of amounts transferred to DEAF	**2,599.00**	**1,756.66**

11. Disclosure of Complaints

(a) Summary information on complaints received by the bank from customers and from the OBOs [Offices of the Banking Ombudsman]

क्र.सं. Sr. No.		विवरण Particulars	2022-23	2021-22
अपने ग्राहकों से बैंक द्वारा प्राप्त शिकायतें Complaints received by the bank from its customers				
1		वर्ष के प्रारंभ में लंबित शिकायतों की संख्या Number of complaints pending at beginning of the year	2,724	13,188
2		वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या Number of complaints received during the year	2,34,355	4,92,450
3		वर्ष के दौरान निपटाई गइ्र शिकायतों की संख्या Number of complaints disposed during the year	2,35,562	5,02,914
	3.1	उनमें से बैंक द्वारा निरस्त शिकायतों की संख्या Of which, number of complaints rejected by the bank	11,252	10,124
4		वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या Number of complaints pending at the end of the year	1,517	2,724
ओबीओ से बैंक द्वारा प्राप्त रखरखाव योग्य शिकायतें Maintainable complaints received by the bank from OBOs				
5		ओबीओ से बैंक द्वारा प्राप्त रखरखाव योग्य शिकायतों की संख्या Number of maintainable complaints received by the bank from OBOs	4,636	4,634
	5.1	5 में से, बीओ के द्वारा बैंक के पक्ष में निपटाये गए शिकायतों की संख्या Of 5, number of complaints resolved in favour of the bank by BOs	1,435	1,355
	5.2	5 में से बीओ द्वारा जारी समझौता/मध्यस्थता/एडवायजरी के माध्यम से समाधान की गई शिकायतें Of 5, number of complaints resolved through conciliation/mediation/advisories issued by BOs	3,201*	3,279
	5.3	5 में से बैंक के विरुद्ध निर्णय पारित करने के बाद समाधान की गई शिकायतों की संख्या Of 5, number of complaints resolved after passing of Awards by BOs against the bank	0	0
6		निर्धारित समय में कार्यान्वयन नहीं किये गये निर्णयों की संख्या (अपीलीय को छोड़कर) Number of Awards unimplemented within the stipulated time (other than those appealed)	0	0

नोट: रखरखाव योग्य शिकायतें वे हैं जो विशेष रूप से बीओ योजना 2006 में उल्लिखित हैं तथा योजना के क्षेत्र के अंतर्गत कवर की गई हैं।

Note: Maintainable complaints refer to complaints on the grounds specifically mentioned in BO Scheme 2006 and covered within the ambit of the Scheme

*** इसमें से एक मामले में दूसरे बैंक के विरुद्ध दण्ड जारी किया गया था। * Out of this, one award was issued in one case against other bank**

(ख) वैंक को ग्राहकों द्वारा प्राप्त शिकायतों के शीर्ष पाँच आधार
(b) Top five grounds of complaints received by the bank from customers

शिकायत का आधार (अर्थात् शिकायत किस से संबंधित है) Grounds of complaints, (i.e. complaints relating to)	वर्ष के आरंभ में लंबित शिकायतों की संख्या Number of complaints pending at the beginning of the year	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या Number of complaints received during the year	पिछले वर्ष की तुलना में प्राप्त शिकायतों की संख्या में बढ़ोतरी/कमी का % % increase/ decrease in the number of complaints received over the previous year	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या Number of complaints pending at the end of the year	5 में से 30 दिनों से अधिक लंबित शिकायतों की संख्या Of 5, number of complaints pending beyond 30 days
1	2	3	4	5	6
एटीएम/डेबिट कार्ड ATM/ Debit Cards	2566 (12733)	194544 (456410)	(-)57.38 (+7.23)	1195 (2566)	0 (3)
इंटरनेट/मोबाईल/इलेक्ट्रानिक बैंकिंग Internet/ Mobile/ Electronic Banking	0 (67)	12158 (14497)	(-)16.13 (+65.11)	114 (0)	0 (0)
खाता परिचालन संबंधित Account operation related	1 (141)	13120 (9444)	+38.92 (+46.81)	126 (1)	0 (0)
अग्रिम/ऋण संबंधी Advances/ Credit Related	4 (35)	2746 (1802)	+52.39 (+6.44)	36 (4)	0 (1)
लगाए गए प्रभार Levy of charges	0 (52)	1976 (1726)	+14.48 (-2.92)	2 (0)	0 (0)
अन्य Others	153 (160)	9811 (8571)	+14.47 (+3.49)	44 (153)	0 (6)
कुल **Total**	**2724 (13188)**	**234355 (492450)**	**(-)52.41 (+8.80)**	**1517 (2724)**	**0 (10)**

12. भारतीय रिज़र्व बैंक तथा अन्य विनियामकों द्वारा लगाए गए जुर्मानों (पेनल्टीज़) का प्रकटन

विवरण	2022-23	2021-22
भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंककारी विनियम अधिनियम, 1949 की धारा 46(4) के अंतर्गत लगाई गई पेनल्टी	1.01	21.31

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के दौरान, उपरोक्त में से, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंक पर ₹ 1.01 का जुर्माना लगाया गया है।

12. Disclosure of Penalties imposed by the Reserve Bank of India and other regulators

Particulars	2022-23	2021-22
Penalty imposed under Section 46(4) of The Banking-Regulation Act, 1949 and under other regulations	1.01	21.31

During the year ended March 31, 2023, out of the above, penalty of ₹ 1.01 has been imposed on the Bank by the Reserve Bank of India.

13. पारिश्रमिक पर प्रकटीकरण

(राशि ₹ में)

क्र.सं.	विवरण	2022-23	2021-22
1	श्री अतनु कुमार दास	28,89,579	32,62,233
2	श्री पीआर राजगोपाल	38,99,430	34,40,568
3	श्री एम कार्तिकेयन	30,32,883	27,25,869
4	श्री स्वरूप दासगुप्ता	30,32,833	27,25,869
5	श्रीमती मोनिका कालिया	18,93,147	28,00,774
6	श्री सुब्रत कुमार	11,55,336	लागू नहीं

14. अन्य खुलासे

क. व्यापार अनुपात

क्र.सं.	विवरण	31.03.2023 (% में)	31.03.2022 (% में)
(i)	औसत कार्यशील पूंजी के प्रतिशत के रूप में ब्याज आय	5.77	4.83
(ii)	औसत कार्यशील पूंजी के प्रतिशत के रूप में गैर-ब्याज आय	0.86	1.00
(iii)	जमा लागत	3.67	3.69
(iv)	निवल ब्याज मार्जिन	3.01	2.36
(v)	औसत कार्यशील पूंजी के प्रतिशत के रूप में परिचालन लाभ	1.80	1.64
(vi)	संपत्ति पर वापसी	0.49	0.43
(vii)	प्रति कर्मचारी व्यवसाय (₹ में) (जमा और इंटरबैंक जमा सहित अग्रिम)	22.47	20.71
(viii)	प्रति कर्मचारी लाभ (₹ में)	0.076	0.065

ख. बैंकएश्योरेंस बिजनेस से प्राप्त फीस, पारिश्रमिक

विवरण	2022-23	2021-22
जीवन बीमा व्यवसाय	140.36	99.01
गैर-जीवन बीमा व्यवसाय	21.75	21.22
स्वास्थ्य बीमा व्यवसाय	11.99	7.59
कुल	**174.10**	**127.82**

ग. विपणन और वितरण से प्राप्त शुल्क, पारिश्रमिक :

विवरण	2022-23	2021-22
म्यूचुअल फंड्स	4.14	2.89
कुल	**4.14**	**2.89**

घ. प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र उधार प्रमाणपत्र (पीएसएलसी) का प्रकटीकरण (जैसा कि प्रबंधन द्वारा संकलित किया गया है):

वर्ष के दौरान खरीदा गया	वर्ष के दौरान बेचा गया
3,000.00 (2,000.00)	4,800.00 (0.00)

13. **Disclosure on remuneration:**

(Amount in ₹)

Sr. No	Particulars	2022-23	2021-22
1	Shri Atanu Kumar Das	28,89,579	32,62,233
2	Shri P. R. Rajagopal	38,99,430	34,40,568
3	Shri M Karthikeyan	30,32,883	27,25,869
4	Shri Swarup Dasgupta	30,32,833	27,25,869
5	Smt. Monika Kalia	18,93,147	28,00,774
6	Shri Subrat Kumar	11,55,336	NA

14. **Other Disclosures**

(a) **Business Ratios**

Sr. No	Particulars	31.03.2023 (in %)	31.03.2022 (in %)
(i)	Interest Income as a percentage to average Working Funds	5.77	4.83
(ii)	Non-interest income as a percentage to average Working Funds	0.86	1.00
(iii)	Cost of Deposits	3.67	3.69
(iv)	Net Interest Margin	3.01	2.36
(v)	Operating Profit as a percentage to average Working Funds	1.80	1.64
(vi)	Return on Assets	0.49	0.43
(vii)	Business per employee (in ₹) (deposits plus advances including interbank deposits)	22.47	20.71
(viii)	Profit per employee (in ₹)	0.076	0.065

(b) **Fees, remuneration received from Bancassurance Business:**

Particulars	2022-23	2021-22
Life Insurance Business	140.36	99.01
Non-Life Insurance Business	21.75	21.22
Health Insurance Business	11.99	7.59
Total	**174.10**	**127.82**

(c) **Fees, remuneration received from Marketing and Distribution:**

Particulars	2022-23	2021-22
Mutual Funds	4.14	2.89
Total	**4.14**	**2.89**

(d) **Disclosure of Priority Sector Lending Certificates (PSLCs) (As compiled by the Management):**

Purchased during the year	Sold During the Year
3,000.00 (2,000.00)	4,800.00 (0.00)

बैंक ने कृषि पोर्टफोलियो में अंतर को पाटने के लिए 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के दौरान ₹ 3,000 की राशि के कृषि पोर्टफोलियो के लिए प्राथमिकता प्राप्त ऋण प्रमाणपत्र (पीएसएलसी) खरीदा है, जिसकी लागत ₹ 23.73 है। बैंक ने छोटे किसान और सीमांत किसान पोर्टफोलियो के लिए ₹ 4800 की राशि के पीएसएलसी भी बेचे और ₹ 64.76 का कमीशन अर्जित किया।

ङ. प्रावधान और आकस्मिकताएं

लाभ और हानि खाते में प्रदर्शित होने वाले ''प्रावधानों और आकस्मिकताओं'' का विवरण निम्नानुसार है:

विवरण	2022-23	2021-22
अनर्जक निवेशों के लिए प्रावधान	1,207.76	232.72
निवेश के लिए प्रावधान	0.00	164.64
एनपीए के लिए प्रावधान	3,601.85	2,942.95
आयकर के लिए किया गया प्रावधान (आस्थगित कर सहित)	2,206.37	2,162.05
मानक आस्तियों के लिए प्रावधान	1,654.56	901.38
अन्य प्रावधान और आकस्मिकताएं		
• पुनर्रचित खातों में हानि का प्रावधान	(-)64.80	(-)69.23
• देश के जोखिम के लिए प्रावधान	14.72	10.93
• अन्य प्रावधान	749.22	238.31
कुल	**9,369.68**	**6,583.76**

च. आईएफ़आरएस अभिसरण भारतीय लेखा मानकों का कार्यान्वयन (इंड एएस)

आरबीआई ने दिनांक 22 मार्च, 2019 के अपने परिपत्र डीबीआर.बीपी. बीसी.सं.29/21.07.001/2018-19 के माध्यम से इंड एएस के कार्यान्वयन को अगली सूचना तक स्थगित कर दिया है, क्योंकि आरबीआई द्वारा अनुशंसित बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 में विधायी संशोधन हैं जो की भारत सरकार के विचाराधीन है। हालांकि, सभी बैंकों को आरबीआई को हर छमाही में प्रोफार्मा इंड एएस वित्तीय विवरण (पीएफएस) जमा करने की आवश्यकता होती है। तदनुसार, बैंक में इंड-एएस के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए गठित संचालन समिति का अनुमोदन प्राप्त करने के बाद, बैंक सितंबर-2021 से आरबीआई प्रोफार्मा इंड एएस वित्तीय विवरण (पीएफएस) तैयार कर रहा है और प्रस्तुत कर रहा है। पीएफएस को सूचना और रिपोर्टिंग के लिए बोर्ड एवं बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति के समक्ष भी प्रस्तुत किया जाता है।

छ. डीआईसीजीसी बीमा प्रीमियम का भुगतान

क्र. सं	विवरण	2022-23	2021-22
i)	डीआईसीजीसी बीमा प्रीमियम का भुगतान	770.64	628.41
ii)	डीआईसीजीसी प्रीमियम के भुगतान में बकाया	शून्य	शून्य

ज. निदेशकों और उनके रिश्तेदारों को दी जाने वाली सुविधाएं

केवल यूसीबी पर लागू

The Bank has purchased Priority Sector Lending Certificate (PSLCs) for Agriculture portfolio amounting to ₹ 3,000 during the year ended March 31, 2023 costing ₹ 23.73 to bridge the gap in Agriculture portfolio. The Bank also sold PSLCs for Small Farmer & Marginal Farmer portfolio amounting to ₹ 4,800 and earned commission of ₹ 64.76.

(e) Provisions and Contingencies:

The break-up of "Provisions and Contingencies" appearing in the Profit and Loss Account is as under:

Particulars	2022-23	2021-22
Provision for Non-Performing Investments	1,207.76	232.72
Provision for Investments	0.00	164.64
Provision towards NPA	3,601.85	2,942.95
Provision made towards Income Tax (including Deferred Tax)	2,206.37	2,162.05
Provision towards Standard Assets	1,654.56	901.38
Other Provision & Contingencies		
• Provision for Sacrifice in Restructured Accounts	(-)64.80	(-)69.23
• Provision for Country Risk	14.72	10.93
• Other Provisions	749.22	238.31
Total	**9,369.68**	**6,583.76**

(f) Implementation of IFRS converged Indian Accounting Standards (Ind AS):

RBI vide its circular DBR.BP.BC.No.29/21.07.001/2018-19 dated March 22, 2019, deferred implementation of Ind AS till further notice as the legislative amendments in Banking Regulation Act, 1949 as recommended by RBI are under consideration of the Government of India. However, RBI requires all banks to submit Proforma Ind AS Financial Statements (PFS) every half year. Accordingly, the Bank has been preparing and submitting to RBI Proforma Ind AS Financial Statements (PFS) half-yearly with effect from September-2021, after seeking approval of Steering Committee formed for monitoring of implementation of Ind-AS in the Bank. The PFS are also presented to Audit Committee of Board and Board for information and reporting.

(g) Payment of DICGC Insurance Premium:

Sr. No.	Particulars	2022-23	2021-22
i)	Payment of DICGC Insurance Premium	770.64	628.41
ii)	Arrears in payment of DICGC premium	Nil	Nil

(h) Facilities granted to Directors and their relatives:

Applicable only to UCBs

(झ) बैंकों के कर्मचारियों की पारिवारिक पेंशन में वृद्धि के कारण व्यय के परिशोधन पर प्रकटीकरण

दिनांक 4 अक्टूबर, 2021 के भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र संख्या आरबीआई/2021-22/105 डीओआर.एसीसी.आरईसी.57/21.04.018/2021-22 ने बैंकों को पारिवारिक पेंशन में संशोधन के कारण 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष से शुरू होने वाले पांच वर्षों से अधिक की अवधि के लिए अतिरिक्त देयता को परिशोधित करने की अनुमति दी है। प्रत्येक वर्ष व्यय की जाने वाली कुल राशि का न्यूनतम 1/5 भाग । बैंक ने पारिवारिक पेंशन में संशोधन के कारण ₹ 612.09 की अतिरिक्त देयता को मान्यता दी है और 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष से शुरू होने वाले पांच वर्षों से अधिक की अवधि में उक्त देयता को परिशोधित करने का विकल्प चुना है।

तदनुसार, बैंक ने ₹ 306.04 (₹ 122.42) को मान्यता दी है, क्रमश: 31 मार्च, 2023 को समाप्त तिमाही और वर्ष के लिए लाभ और हानि खाते में व्यय के रूप में और शेष गैर-परिशोधित देयता ₹ 183.63 (₹ 489.67) को आगे बढ़ाया गया है। यदि बैंक द्वारा गैर-परिशोधित देयता को लाभ और हानि खाते में पूरी तरह से मान्यता दी गई होती, तो 31 मार्च, 2023 को समाप्त तिमाही और वर्ष के लिए शुद्ध लाभ (कर पश्चात) ₹ 119.46 (₹ 318.56) कम होता ।

(ञ) ''सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र - अग्रिमों की पुनर्रचना'' पर दिनांक 1 जनवरी, 2019 के भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र सं.डीबीआरनो. बीपी.बीसी.18/21.04.048/2018-19 के अनुसार दिनांक 31 मार्च 2022 तक समय-समय पर एमएसएमई पुनर्रचित खातों का विवरण निम्नानुसार है:

(खातों की संख्या को छोड़कर ₹ करोड़ में)

पुनर्रचित खातों की संख्या	राशि	प्रावधान धारित
43,194 (64,725)	1,202.39 (1,761.85)	60.12 (88.09)

(ट) बैंक द्वारा अनुषंगियों की ओर से जारी चुकौती आश्वासन पत्रों (एलओसीज्) पर प्रकटन (प्रबंधन द्वारा यथा समेकित)

वर्ष 2022-23 के दौरान, बैंक ने अनुषंगियों की ओर से कोई चुकौती आश्वासन पत्र जारी नहीं किए हैं।

वर्ष 2010-11 के दौरान, अपने पूर्ण स्वामित्व की अनुषंगी बीओआई (न्यूजीलैंड) लि. के लिए रॉयल बैंक ऑफ न्यूजीलैंड लि. के पक्ष में बैंक ने वित्तीय वायदे देय होने पर उन्हें पूरा करने के लिए अभिभावकीय गारंटी जारी की है।

यथा 31.03.2023 तक, उपर्युक्त वायदों से कोई वित्तीय दायित्व उत्पन्न नहीं हुआ है।

(ठ) आयकर :

i. आकस्मिक देयताओं (अनुसूची 12) के अंतर्गत बैंक के विरुद्ध दावे जिन्हें ऋण के रूप में नहीं माना गया है जिसके अंतर्गत ₹ 355.86 (विगत वर्ष ₹ 529.03) की विवादित आय कर/ ब्याज कर देयताएं सम्मिलित हैं जिनके लिए ऐसे विवादों पर विगत आकलनों के संदर्भ में विभिन्न न्यायिक निर्णयों के आधार पर कोई प्रावधान आवश्यक नहीं समझा गया है। कथित विवादित देयताओं के विरुद्ध भुगतान/ समायोजनों को अन्य आस्तियों (अनुसूची 11) के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है।

(i) Disclosure on amortisation of expenditure on account of enhancement in family pension of employees of banks

Reserve Bank of India vide its Circular No. RBI/2021-22/105 DOR.ACC.REC.57/21.04.018/2021-22 dated October 4, 2021, permitted Banks to amortise the additional liability on account of revision in family pension over a period not exceeding five years beginning with the financial year ending March 31, 2022, subject to a minimum of 1/5th of the total amount being expensed every year. The Bank recognised the additional liability on account of revision in family pension amounting to ₹ 612.09 and has opted to amortise the said liability over a period not exceeding five years, beginning financial year ending March 31, 2022.

Accordingly, Bank has recognised ₹ 306.04 (₹ 122.42) as an expense in the Profit and Loss account, for the year ended March 31, 2023 and the balance unamortised liability of ₹ 183.63 (₹489.67) has been carried forward. If the unamortised liability had been fully recognised in the Profit & Loss account by the Bank, the Net Profit (after tax) for the quarter and year ended March 31, 2023 would have been lower by ₹ 119.46 (₹ 318.56).

(j) In accordance with RBI circular no.DBRNo. BP.BC.18/21.04.048/2018-19 dated January 1, 2019, on "Micro, Small and Medium Enterprises (MSME) sector – Restructuring of Advances", as amended from time to time, the details of MSME restructured accounts as on March 31, 2023 is as under:

(₹ in Crore except number of accounts)

No. of accounts restructured	Amount	Provision held
43,194 (64,725)	1,202.39 (1,761.85)	60.12 (88.09)

(k) Disclosure of Letters of Comfort (LoCs) issued by bank for Subsidiaries (As compiled by the management):

During the year 2022-23, the bank has not issued any Letter of Comfort on behalf of Subsidiaries.

During the year 2010-11, the bank had issued parental guarantee in favour of Royal Bank of New Zealand, for its wholly owned subsidiary, Bank of India (New Zealand) Ltd. to meet its financial obligations, if they fall due.

As on 31.03.2023, no financial obligations have arisen on the above commitments.

(l) Income Tax:

i. Claims against the Bank not acknowledged as debt under contingent liabilities (Schedule 12) include disputed income tax/interest tax liabilities of ₹ 355.86 (previous year ₹ 529.03) for which no provision is considered necessary based on various judicial decisions in respect of past assessments on such disputes. Payments/adjustments against the said disputed dues are included under Other Assets (Schedule 11).

ii. लागू कर-विधियों के प्रावधानों और कतिपय विवादित मामलों में प्रासंगिक न्यायिक निर्णयों पर यथोचित विचार किये जाने के बाद कर के प्रावधान का परिकलन किया गया है।

(ड) बैंक के पास 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए निवेशकों की शिकायतों की संख्या का विवरण है: शुरुआत में लंबित: शून्य; प्राप्त: 140; निपटारा: 140 और अंत में लंबित: शून्य।

(ढ) बैंक के पास एक विशेष खाते में 100% प्रावधान था, जिसकी वसूली किसी अन्य पीएसयू बैंक के साथ विवाद में है। खाते को धोखाधड़ी के रूप में आरबीआई को सूचित किया गया है। आरबीआई ने दिनांक 13 अप्रैल 2020 के अपने पत्रव्यवहार संदर्भ सं. डीओएस.सीओ.एसएसएम (बीओआई)/6557/13.37.007/2019-20 के माध्यम से बैंक को कुछ शर्तों के अधीन रहते हुए विवादित राशि के 50% के प्रावधान को निरंतर आधार पर बनाए रखने की अनुमति प्रदान की है। तदनुसार, बैंक उक्त विवादित राशि के लिए ₹ 144.03 (बकाया राशि का 50% होने के नाते) का प्रावधान रखता है।

(ण) आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार, 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के दौरान, बैंक ने केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों को ₹ 2887.84 के बही मूल्य के साथ और राज्य सरकार की प्रतिभूतियों को ₹ 5,054.58 के बुक वैल्यू के साथ एचटीएम से एएफएस श्रेणी में स्थानांतरित कर दिया है। इसके अलावा, बैंक ने ₹ 21.62 के स्थानांतरण हानि के प्रावधान के बाद एएफएस से एचटीएम श्रेणी में केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों को ₹ 656.41 के बुक वैल्यू के साथ स्थानांतरित कर दिया है । ₹ 7.65 की राशि के वेंचर कैपिटल फंड को एचटीएम से एएफएस श्रेणी में स्थानांतरित कर दिया गया है।

(त) 31 मार्च, 2023 तक आरबीआई द्वारा संदर्भित एनसीएलटी खातों (सूची 1 और 2) के संबंध में, बैंक के पास ₹ 3,403.66 के बकाया मूल्य का 100इ प्रावधान है।

(थ) बैंक ने 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष हेतु नवंबर1, 2022 से प्रभावी देय संशोधन हेतु तदर्थ आधार पर वेतन के एरियर हेतु ₹ 268 का प्रावधान किया है।

(द) **कोविड-19 प्रभाव का प्रभाव:**

कोविड-19 वायरस, एक वैश्विक महामारी ने वैश्विक अर्थव्यवस्था को पिछले तीन वर्षों से प्रभावित किया है। कोविड-19 की कोई भी नई लहर बैंक के परिचालन और वित्तीय परिणामों को किस हद तक प्रभावित करेगी, यह कोविड-19 महामारी की गंभीरता से संबंधित कोई भी नई जानकारी,तथा इसके प्रसार को रोकने या इसके प्रभाव को कम करने के लिए सरकार द्वारा अनिवार्य कार्रवाई या हमारे द्वारा चयनित किसी कार्रवाई सहित वर्तमान और भावी हालातों पर निर्भर करेगा।

(ध) अन्य आय में कमीशन और ब्रोकरेज आय, संपत्ति की बिक्री पर लाभ/हानि, निवेश के पुनर्मूल्यांकन पर लाभ/हानि (निवल) (निवेश प्रदर्शन पर मूल्यह्रास सहित), विदेशी मुद्रा और डेरिवेटिव लेनदेन से आय, पहले से बट्टे खाते में डाले गए खातों से वसूली, लाभांश आय, आदि

(न) निदेशक मंडल ने 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए अपेक्षित अनुमोदन के अधीन ₹ 2.00 प्रति इक्विटी शेयर (20%) के लाभांश की सिफारिश की है।

(प) सहायक खाताबही खातों का संतुलन, विदेशी शाखाओं के साथ शेष राशि की पुष्टि/समाधान, अंतर-कार्यालय खाते, नोस्ट्रो खाते, उचंत, देय ड्राफ्ट,

ii. Provision for taxes has been arrived at after due consideration of the provisions of the applicable tax laws and relevant judicial decisions on certain disputed issues.

(m) The Bank has Details of Number of Investors complaints for the year ended March 31, 2023: Pending at Beginning: Nil; Received: 140; Disposed off: 140 and Pending at the end: Nil.

(n) Bank was holding 100% provision in a particular account, recovery of which is under dispute with another PSU Bank. The account has been reported as fraud to RBI. RBI vide its communication ref. no. DoS. Co. SSM (BOI)/6557/13.37.007/2019-20 dated April 13, 2020 permitted the Bank to maintain provision of 50% of the disputed amount on an ongoing basis subject to certain conditions. Accordingly, the Bank holds provision of ₹144.03 (being 50% of the outstanding amount) for the said disputed amount.

(o) In accordance with the RBI guidelines, during the year ended March 31, 2023, Bank has shifted Central Government securities with a book value of ₹ 2,887.84 and State Government securities with a book value of ₹ 5,054.58 from HTM to AFS category. Further, Bank has shifted from AFS to HTM category, Central Government securities with a book value of ₹ 656.41 after charging shifting loss of ₹ 21.62. Venture Capital Fund for an amount of ₹ 7.65 has been shifted from HTM to AFS category.

(p) In respect of RBI referred NCLT accounts (List 1 & 2) as on March 31, 2023, Bank holds 100% provision of the outstanding value of ₹ 3,403.66.

(q) Bank has made provision of ₹ 268 for the year ended March 31, 2023 towards arrears of wages, on ad-hoc basis, due for revision with effect from November 1, 2022.

(r) **Impact of Covid-19:**

The COVID-19 virus, a global pandemic has affected the world economy over the last three years. The extent to which any new wave of COVID-19 will impact the Bank's operations and financial results will depend on ongoing as well as future developments, including, among other things, any new information concerning the severity of the COVID-19 pandemic, and any action to contain its spread or mitigate its impact whether government- mandated or elected by us.

(s) Other Income includes commission and brokerage income, profit/loss on sale of assets, profit/loss on revaluation of investments (net) (including depreciation on performing investments), earnings from foreign exchange and derivative transactions, recoveries from accounts previously written off, dividend income, etc.

(t) The Board of Directors has recommended a dividend of ₹ 2.00 per equity share (20%) for the year ended March 31, 2023 subject to requisite approvals.

(u) Balancing of Subsidiary Ledger Accounts, confirmation/ reconciliation of balances with foreign branches, Inter-office accounts, NOSTRO Accounts, Suspense, Draft Payable, Clearing Difference, other office accounts, etc.

समाशोधन अंतर, अन्य कार्यालय खाते आदि निरंतर आधार पर प्रगति पर हैं। प्रबंधन की राय में, वित्तीय विवरणों पर समग्र प्रभाव, यदि कोई हो, लंबित अंतिम मंजूरी/उपरोक्त के समायोजन के महत्वपूर्ण होने की संभावना नहीं है।

(फ) अनुसूची 9 के तहत सरकारी गारंटियों / बैंक द्वारा कवर किए गए अग्रिम - इन अग्रिमों में सीजीटीएमएसई द्वारा गारंटीकृत ₹ 844.17 राशि के अग्रिम शामिल हैं।

(ब) **कुल आय का 1% से अधिक वाले अन्य आय/व्यय**

अन्य आय: अन्य आय में बैंक की कुल आय के 1% से अधिक की निम्नलिखित आय शामिल हैं।

विवरण	2022-23	2021-22
बट्टे खाते डाले गए खातों में वसूली	1,206.85	1,097.13

लेखांकन मानकों (एएस) के अनुसार अपेक्षित प्रकटन :

6.1 **लेखांकन मानक - 5 अवधि के लिए निवल लाभ/हानि, पूर्व अवधि मदें एवं लेखांकन नीतियों में परिवर्तन :**

(i) **पूर्व अवधि मद :** वर्ष के दौरान, कोई महत्वपूर्ण पूर्व अवधि आय/व्यय मद नहीं थे।

(ii) **लेखांकन नीति में परिवर्तन :**

31 मार्च, 2022 को समाप्त हुए पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में 31 मार्च, 2023 को समाप्त तिमाही और वर्ष के दौरान अपनाई जाने वाली महत्वपूर्ण लेखा नीतियों में कोई बदलाव नहीं हुआ है।

6.2 **लेखांकन मानक 9 - राजस्व निर्धारण**

लेखांकन नीति की अनुसूची 17 के पैरा 3: प्रमुख लेखांकन नीतियां के अनुसार आय की कुछ मदों को वसूली के आधार पर गिना जाता है। तथापि, उक्त आय को गिनने लायक नहीं माना जाता है।

6.3 **लेखांकन मानक 15 - कर्मचारी लाभ :**

is in progress on an on-going basis. In the opinion of the management, the overall unadjusted impact on the financial statements, if any, of pending final clearance/adjustment of the above, is not likely to be significant.

(v) Advances covered by Bank / Government Guarantees under Schedule 9 – Advances includes advances guaranteed by CGTMSE amounting to ₹ 844.17.

(w) **Other Income / Expenditure exceeding 1% of total income**

Other Income: Other Income includes below income exceeding 1% of the total income of the Bank.

Particulars	2022-23	2021-22
Recovery in written off accounts	1,206.85	1,097.13

Disclosure requirements as per Accounting Standards (AS):

6.1 **Accounting Standard – 5 Net Profit / loss for the period, Prior Period Items and changes in accounting policies:**

(i) **Prior Period Items:**

During the year, there were no material prior period income / expenditure items.

(ii) **Change in accounting policy:**

There is no change in the Significant Accounting Policies followed during the year ended March 31, 2023 as compared to those followed in the previous financial year ended March 31, 2022.

6.2 **Accounting Standard 9 – Revenue recognition**

Certain items of income are recognised on realisation basis as per Accounting Policy para 3 of Schedule 17: Significant Accounting Policies. However, the said income is not considered to be material.

6.3 **Accounting Standard 15 – Employee Benefits:**

क्र.सं. Sr. No.	विवरण	Particulars	वि.व. FY 2022-2023		वि.व. FY 2021-2022	
			उपदान Gratuity	पेन्शन Pension	उपदान Gratuity	पेन्शन Pension
(i)	**प्रयुक्त महत्वपूर्ण बीमांकिक अनुमान:**	**Principal actuarial assumptions used :**				
	छूट की दर	Discount Rate	7.51%	7.39%	7.37%	6.84%
	योजनागत आस्तियों पर प्रतिलाभ की दर	Rate of Return on Plan Assets	6.87%	7.67%	6.42%	8.21%
	वेतन वृद्धि दर	Salary Escalation Rate	5.50%	5.50%	5.50%	5.50%
	एट्रिशन रेट करंट	Attrition Rate Current	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%
(ii)	**परिनिश्चित लाभ देयता के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन दर्शाने वाली तालिका :**	**Table showing changes in Present value of Defined Benefit Obligation :**				
	वर्ष की शुरुआत में देयता	Liability at the beginning of the year	1,898.52	17,889.53	1,935.32	16,837.05
	ब्याज लागत	Interest Cost	129.68	1,159.60	121.82	775.14
	वर्तमान सेवा लागत	Current Service Cost	108.55	977.95	99.24	946.18
	विगत सेवा लागत	Past Service Cost	-	122.42	-	-
	भुगतान किया गया लाभ	Benefit Paid	278.00	1,872.53	369.98	1,824.62
	बाध्यता पर बीमांकिक (लाभ)/ हानि	Actuarial (gain)/loss on Obligation	211.81	719.43	112.11	1,155.78
	वर्ष के अंत में देयता	Liability at the end of the year	2,070.55	18,996.40	1,898.52	17,889.53
	पिछली सेवा लागत जिनकी गणना नहीं की गई	Unrecognised past service cost	-	183.62	-	489.67
	कुल परिभाषित लाभ दायित्व	**Total Defined Benefit obligation**	**2,070.55**	**19,180.02**	**1,898.52**	**18,379.20**

क्र.सं. Sr. No.	विवरण	Particulars	वि.व. FY 2022-2023		वि.व. FY 2021-2022	
			उपदान Gratuity	पेन्शन Pension	उपदान Gratuity	पेन्शन Pension
(iii)	**योजनागत आस्तियों के उचित मूल्य की तालिका :**	**Table showing changes in Fair value of Plan Assets :**				
	वर्ष की शुरुआत में योजनागत संपत्ति का उचित मूल्य	Fair Value of Plan Assets at the beginning of the year	1,887.32	17,604.64	1,930.62	16,531.02
	योजनागत संपत्ति पर संभावित लाभ	Expected return on Plan Assets	131.13	1,333.66	119.13	1,356.20
	योगदान	Contributions	320.89	1,439.17	219.86	1,800.30
	भुगतान किया गया लाभ	Benefit Paid	278.00	1,872.53	369.98	1,824.62
	योजनागत आस्तियों पर बीमांकिक लाभ/(हानि)	Actuarial gain/(loss) on Plan Assets	(5.88)	(45.52)	(12.31)	(258.26)
	वर्ष के अंत में योजनागत आस्तियों का उचित मूल्य	Fair Value of Plan Assets at the end of the year	2,055.47	18,459.42	1,887.32	17,604.64
	कुल बीमांकिक लाभ/(हानि) जिसकी गणना की गई	**Total Actuarial Gain/(Loss) recognised**	**(217.68)**	**(764.95)**	**(124.42)**	**(1,414.03)**
(iv)	**योजनागत आस्तियों पर वास्तविक प्रतिलाभ :**	**Actual return on Plan Assets :**				
	योजनागत संपत्ति पर संभावित लाभ	Expected Return on Plan Assets	131.13	1,333.66	119.13	1,356.20
	योजनागत आस्तियों पर बीमांकिक लाभ/(हानि)	Actuarial gain/(loss) on Plan Assets	(5.88)	(45.52)	(12.31)	(258.26)
	प्लान एसेट्स पर वास्तविक प्रतिलाभ	**Actual return on Plan Assets**	**125.26**	**1,288.14**	**106.82**	**1,097.94**
(v)	**बैलेंस शीट में शामिल राशि:**	**Amount recognised in the Balance Sheet :**				
	वर्ष के अंत में देयता	Liability at the end of the year	2,070.55	19,180.02	1,898.52	18,379.20
	वर्ष के अंत में योजनागत आस्तियों का उचित मूल्य	Fair Value of Plan Assets at the end of the year	2,055.47	18,459.42	1,887.32	17,604.64
	पिछली सेवा लागत जिसे शामिल नहीं किया गया है	Unrecognised past service cost	-	183.62	-	489.67
	बैलेंस शीट में शामिल राशि	**Amount Recognised in the Balance Sheet**	**15.09**	**536.98**	**11.20**	**284.88**
(vi)	**आय-विवरण में शामिल व्यय:**	**Expenses recognised in the Income-Statement :**				
	वर्तमान सेवा लागत	Current Service Cost	108.55	977.95	99.24	946.18
	ब्याज लागत	Interest Cost	129.68	1,159.60	121.82	775.14
	योजनागत संपत्ति पर संभावित लाभ	Expected Return on Plan Assets	(131.13)	(1,333.66)	(119.13)	(1,356.20)
	पूर्व वर्षों से संबंधित व्यय जिसे शामिल किया गया है	Expenses recognized relating to prior years	-	-	-	-
	विगत सेवा लागत	Past Service Cost	-	306.04	-	-
	बीमांकिक (लाभ) या हानि	Actuarial (Gain) or Loss	217.68	764.95	124.42	1,414.03
	लाभ-हानि खाते में शामिल व्यय	**Expense Recognised in P & L**	**324.78**	**1,874.89**	**226.35**	**1,779.15**
(vii)	**तुलनपत्र समाधान**	**Balance Sheet Reconciliation :**				
	आरंभिक निवल देयता (पिछले वर्ष की निवल राशि को तुलन पत्र में शामिल किया गया है)	Opening Net Liability (Last period's net amount recognized in the balance sheet)	11.20	284.88	4.70	306.03
	यथोक्त व्यय	Expenses as above	324.78	1,874.89	226.35	1,779.15
	नियोक्ता का अंशदान	Employer's Contribution	(320.89)	(1,439.17)	(219.86)	(1,800.30)
	अतिरिक्त विगत सेवा लागत	Additional Past Service Cost	-	(183.62)	-	-
	तुलनपत्र में शामिल राशि	**Amount Recognised in Balance Sheet**	**15.09**	**536.98**	**11.20**	**284.88**
(viii)	**आस्तियों की श्रेणी :**	**Category of Assets :**				
	भारत सरकार की प्रतिभूतियां	Central Government of India Securities	15.30	2,329.69	71.50	2,288.50
	इक्विटी	Equity	-	759.33	-	551.87
	कॉरपोरेट बाण्ड	Corporate Bonds	94.98	6,095.69	120.61	5,422.74
	राज्य सरकार की प्रतिभूतियां	State Government Securities	55.48	3,057.14	130.70	2,858.58
	बीमा	Insurance	1,852.39	5,810.69	1,532.83	6,089.16
	अन्य	Other	37.32	406.88	31.68	393.79
	कुल	**Total**	**2,055.47**	**18,459.42**	**1,887.32**	**17,604.64**
(ix)	**अनुभव समायोजन :**	**Experience Adjustment :**				
	योजना दायित्व (लाभ)/हानि पर	On Plan Liability (Gain)/Loss	240.77	843.92	152.27	1,092.69
	योजनागत संपत्ति (हानि)/लाभ पर	On Plan Asset (Loss)/Gain	(5.88)	(45.52)	(42.37)	(694.35)

अन्य दीर्घावधि कर्मचारी लाभ* Other Long term employee benefits*

विवरण Particulars	31.03.2023		31.03.2022	
	देयता Liability	वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान/(डबल्यू/बैक) Provisions made/ (w/ back) during the Year	देयता Liability	वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान/(डबल्यू/बैक) Provisions made/ (w/ back) during the Year
अवकाश नकदीकरण Leave Encashment	1,201.04	17.28	1,183.77	(-)99.81
छुट्टी यात्रा रियायत Leave Travel Concession	62.58	0.17	62.41	0.18
पुनर्वास लाभ Resettlement Benefits	8.07	0.36	7.71	0.38
माइलस्टोन अवार्ड Milestone Awards	4.59	0.04	4.56	0.04
बीमारी छुट्टी ** Sick Leave **	3.00	-	3.00	-

* अन्य दीर्घावधि लाभ के लिए एक्चूरियल अनुमान ग्रैच्युटी के लिए प्रयुक्त के समान ही हैं।

* The actuarial assumptions for other long term employee benefits are same which are used for Gratuity.

बैंक ने कर्मचारी भविष्य निधि के लिए अंशदान को व्यय के रूप में माना है। वर्ष के दौरान बैंक ने ऐसी निधि जो एक परिभाषित अंशदान योजना है, के लिए ₹ 391.94 (विगत वर्ष ₹ 364.15) का अंशदान दिया है।

The bank has recognised contribution to employees' Provident Fund/Defined contribution scheme as an expense. During the year, the bank has contributed ₹ 391.94 (Previous Year ₹ 364.15) towards such fund which is a defined contribution plan.

** बैंक ने अब तक पूरी बीमारी छुट्टी अर्थात पूरी बकाया अवकाश शेष की देयता को मान्यता प्रदान किया है। बीमारी की छुट्टी के संबंध में कर्मचारी लाभ कार्यान्वयन पर दिशानिर्देश नोट (एएस-15) - (2005 में संशोधित) के अनुरूप, इस संबंध में देयता को कर्मचारियों द्वारा ऐसी छुट्टी लिए जाने की संभावना के आधार पर इसे मान्य किया है।

** The bank has been recognising the liability of sick leave to full extent hitherto i.e. entire outstanding leave balance. In line with the Guidance Note on implementation of Employee Benefits (AS-15) - (revised 2005) in respect of Sick Leave, the liability in this regard is recognised based on probability of availing such leaves by employees.

बैंक के श्रेष्ठतम अनुमान के अनुसार तुलन पत्र की तारीख के बाद वार्षिक अवधि के दौरान पेन्शन के लिए ₹ 2215.86 (विगत वर्ष रु. 2106.26) और ग्रैच्युटी के लिए ₹ 22.78 (विगत वर्ष ₹ 45.69) का अंशदान किए जाने की संभावना है।

The Bank's best estimate of contributions expected to be paid during the annual period beginning after the Balance sheet date, towards Pension is ₹ 2215.86 (Previous Year ₹ 2106.26) and towards Gratuity is ₹ 22.78 (Previous Year ₹ 45.69).

योजना में अधिशेष/घाटा: Surplus /Deficit in the Plan:

विवरण Particular	ग्रैच्युटी योजना Gratuity Plan				
	वि.व. FY 2022-23	वि.व. FY 2021-22	वि.व. FY 2020-21	वि.व. FY 2019-20	वि.व. FY 2018-19
परिभाषित लाभ देयता Defined benefit obligation	2,070.55	1,898.52	1,935.33	1,747.81	1,683.78
प्लान आस्तियां Plan assets	2,055.47	1,887.32	1,930.63	1,649.47	1,592.38
अनिर्धारित संक्रमणशील देयता Unrecognised Transitional liability	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
अधिशेष / (घाटा) Surplus/(deficit)	(-)15.09	(-)11.20	(-)4.70	98.34	91.40
प्लान देयता (लाभ)/हानि पर अनुभव समायोजन Experience Adjustment On Plan Liability (Gain)/Loss	240.77	152.27	315.39	(-)86.04	54.03
प्लान आस्ति (लाभ)/हानि पर अनुभव समायोजन Experience Adjustment On Plan Asset (Loss)/ Gain	(-)5.88	(-)42.37	86.25	100.21	14.29

विवरण Particular	पेन्शन योजना Pension Plan				
	वि.व. FY 2022-23	वि.व. FY 2021-22	वि.व. FY 2020-21	वि.व. FY 2019-20	वि.व. FY 2018-19
परिभाषित लाभ देयता Defined benefit obligation	19,180.02	18,379.20	16,837.05	16,065.92	14,709.20
प्लान आस्तियां Plan assets	18,459.42	17,604.64	16,531.02	15,827.60	14,314.88
अनिर्धारित संक्रमणशील देयता Unrecognised Transitional liability	183.62	489.67	0.00	0.00	0.00
अधिशेष / (घाटा) Surplus/(deficit)	(-)536.99	(-)284.88	(-)306.03	(-)238.32	(-)394.32
प्लान देयता (लाभ)/हानि पर अनुभव समायोजन Experience Adjustment On Plan Liability (Gain)/Loss	843.92	1,092.69	791.71	808.90	546.91
प्लान आस्ति (लाभ)/हानि पर अनुभव समायोजन Experience Adjustment On Plan Asset (Loss)/Gain	(-)45.52	(-)694.35	(-)620.28	155.64	37.73

6.4 लेखांकन मानक 17 - खंड रिपोर्टिंग Accounting Standard 17 - Segment Reporting

भाग क : कारोबार खंड Part A: Business Segment

कारोबार खण्ड Business Segment	कोषागार परिचालन Treasury Operations (1)		थोक बैंकिंग परिचालन Wholesale Banking Operations (2)		खुदरा बैंकिंग परिचालन Retail Banking Operations (3)		डिजिटल बैंकिंग Digital Banking (3) (i)		अन्य रिटेल बैंकिंग Other Retail Banking (3)(ii)		(*) अन्य बैंकिंग परिचालन (*) Other Banking Operations (4)		कुल Total (1+2+3+4)	
	2022-23	2021-22	2022-23	2021-22	2022-23	2021-22	2022-23	2021-22	2022-23	2021-22	2022-23	2021-22	2022-23	2021-22
राजस्व Revenue	16,465.87	15,606.42	17,648.87	14,372.71	20,731.92	15,716.53	0.00	0.00	20,731.92	15,716.53	0.00	0.00	54846.66	45,695.66
गैर-आबंटित राजस्व Unallocated revenue	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	490.44	305.16
अंतर खंड राजस्व Less: Inter segment revenue	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	589.49	46.26
कुल राजस्व Total Revenue	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	54,747.61	45,954.56
परिणाम Results	5,295.52	5,899.72	166.71	(-)2,366.40	2,392.35	3217.21	(-)0.38	0.00	2,392.73	3,217.21	0.00	0.00	7,854.58	6,750.53
गैर-आबंटित व्यय Unallocated Expenses	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	(-)1,625.27	(-)1,183.78
परिचालनात्मक लाभ/ (हानि) Profit/(Loss) Before Tax	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	6,229.31	5,566.75
आयकर Income Tax	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	2,206.37	2,162.05
असाधारण लाभ/(हानि) Extraordinary Profit/ (Loss)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
निवल लाभ/(हानि) Net Profit/(Loss)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	4,022.94	3,404.70
अन्य जानकारी : Other Information :														
खंड आस्तियां Segment Assets	283,230.98	260,048.48	293,202.27	232,137.13	215,949.71	216,917.68	2.02	0.00	215,947.69	216,917.68	0.00	0.00	792,382.96	709,103.29
गैरआबंटित आस्तियां Unallocated Assets	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	23,172.65	25,510.72
कुल आस्तियां Total Assets	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	815,555.61	734,614.01
खंड देयताएं Segment Liabilities	267,321.61	246,569.37	287,056.88	259,930.51	193,707.89	166,610.81	2.40		193,705.49	166,610.81	0.00	0.00	748,086.38	673,110.69
गैर आबंटित देयताएं Unallocated Liabilities	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	8,498.62	6,372.08
कुल देयताएं Total Liabilities	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	756,585.00	679,482.77

(ड) बैंक का कोई अर्थपूर्ण "अन्य बैंकिंग परिचालन'' नहीं है। (*) The Bank does not have any significant "Other Banking Operations".

भाग ख : भौगोलिक खण्ड Part B: Geographical Segment

भौगोलिक खण्ड Geographical Segments	घरेलू Domestic		अंतर्राष्ट्रीय International		कुल Total	
विवरण Particulars	2022-23	2021-22	2022-23	2021-22	2022-23	2021-22
Revenue	50,110.74	44,328.45	4,636.87	1,626.11	54,747.61	45,954.56
Assets	698,881.93	648,296.36	116,673.68	86,317.65	815,555.61	734,614.01

बैंक ने लेखांकन मानक (एएस) 17 के अनुपालन में भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुरूप प्राथमिक रिपोर्टिंग वाले खंडों और गौण खंड के रूप में भौगोलिक खंडों को मान्यता दी है।

प्राथमिक खंड : कारोबारी खंड

क) **कोषागार :** कोषागार खंड में संपूर्ण निवेश संविभाग शामिल हैं जैसे सरकारी तथा अन्य प्रतिभूतियों की डीलिंग, डिरिवेटिव कांट्रैक्ट सहित मुद्रा बाजार परिचालन तथा फॉरेक्स परिचालन में लेनदेन।

ख) **थोक बैंकिंग :** थोक बैंकिंग में वह सभी उधार गतिविधियां सम्मिलित हैं जो खुदरा बैंकिंग के अंतर्गत सम्मिलित नहीं किए गए हैं।

ग) **खुदरा बैंकिंग :** खुदरा बैंकिंग खंड में डिजिटल बैंकिंग और अन्य रिटेल बैंकिंग शामिल हैं :

डिजिटल बैंकिंग में डीबीयूज् द्वारा अधिग्रहित डिजिटल बैंकिंग उत्पाद शामिल हैं।

अन्य रिटेल बैंकिंग में सभी आवास ऋण खाते और रु. 7.5 करोड़ तक एक्स्पोज़र वाले उधारकर्ता खाते शामिल हैं।

अंतर खण्डीय अंतरणों का मूल्य निर्धारण

खुदरा बैंकिंग खण्ड एक प्राथमिक स्रोत संग्रह इकाई है एवं थोक खण्ड और कोषागार खण्ड, खुदरा बैंकिंग खण्ड को उसके द्वारा उधार दी गई निधियों की पूर्ति जमाराशियों और उधार राशियों की औसत लागत को दृष्टिगत रखते हुए करते हैं।

लागत का विनियोजन :

क) किसी खण्ड विशेष से प्रत्यक्षत: संबंधित व्ययों को संबंधित खण्ड में विनियोजित किया गया है।

ख) जो व्यय किसी खण्ड विशेष से प्रत्यक्षत: संबंधित न हो उन्हें कर्मचारियों/संचालित कारोबार की संख्या के अनुपात में विनियोजित किया गया है।

गौण खण्ड : भौगोलिक खण्ड

क) स्वदेशी परिचालन

ख) अंतर्राष्ट्रीय परिचालन

6.5. लेखांकन मानक 18 - संबंधित पक्ष से संव्यवहार : (प्रबंधन द्वारा संकलित तथा लेखा परीक्षकों द्वारा विश्वास किया गया।)

I) संबंधित पक्षकारों की सूची

(क) मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक :

प्रबंध निदेशक एवं सीईओ :	श्री अतनु कुमार दास (19.01.2023 को सेवानिवृत्त) श्री रजनीश कर्नाटक (29.04.2023 से)
कार्यपालक निदेशक गण :	श्री पी. आर. राजगोपाल श्री स्वरूप दासगुप्ता श्री एम. कार्तिकेयन श्रीमती मोनिका कालिया (15.11.2022 तक) श्री सुब्रत कुमार (21.11.2022)

The Bank has recognised Business Segments as Primary reporting segment and Geographical Segments as Secondary segment in line with RBI guidelines in compliance with Accounting Standard 17.

Primary Segment: Business Segments

a) **Treasury:** 'Treasury' segment includes the entire investment portfolio i.e. dealing in Government and other Securities, Money Market Operations and Forex Operations including Derivative contracts.

b) **Wholesale Banking:** Wholesale Banking includes all lending activities which are not included under Retail Banking.

c) **Retail Banking:** Retail Banking segment comprises of Digital Banking and Other Retail Banking.

Digital Banking includes digital banking products acquired by DBUs.

Other Retail Banking includes all housing loan accounts and borrower accounts having exposure up to ₹ 7.50 crore.

Pricing of Inter-Segmental transfers

Retail Banking Segment is a Primary resource mobilising unit and Wholesale Segment and Treasury Segment compensates the Retail banking segment for funds lent by it to them taking into consideration the average cost of deposits and borrowings incurred by it.

Allocation of Costs:

a) Expenses directly attributed to particular segment are allocated to the relative segment.

b) Expenses not directly attributable to specific segment are allocated in proportion to number of employees/business managed.

Secondary Segment: Geographical Segments

a) Domestic Operations

b) International Operations

6.5 Accounting Standard 18 - Related Party Transactions (As compiled by the management and relied upon by the Auditors):

I) List of Related Parties:

a. Key Managerial Personnel :

Managing Director & CEO :	Shri Atanu Kumar Das (superannuated on 19.01.2023) Shri Rajneesh Karnatak (from 29.04.2023)
Executive Directors :	Shri P R Rajagopal Shri Swarup Dasgupta Shri M. Karthikeyan Smt Monika Kalia (upto 15.11.2022) Shri Subrat Kumar (from 21.11.2022)

(ख) **अनुषंगियाँ:**

i. बीओआई शेयरहोल्डिंग लिमिटेड

ii. बैंक ऑफ इंडिया इनवेस्टमेंट मैनजर्स प्राइवेट लि.

iii. बैंक ऑफ इंडिया ट्रस्टी सर्विसेज् प्राइवेट लि.

iv. बीओआई मर्चंट बैंकर्स लि.

v. पीटी बैंक ऑफ इंडिया इंडोनेशिया टीबीके

vi. बैंक ऑफ़ इंडिया (तंजानियां) लि.

vii. बैंक ऑफ़ इंडिया (न्यूजीलैंड) लि.

viii. बैंक ऑफ़ इंडिया (युगान्डा) लि.

(ग) **सहायक कंपनियां:**

i. एसटीसीआई फाइनैन्स लिमिटेड

ii. एएसआरईसी (इंडिया) लि.

iii. इंडो-जाम्बिया बैंक लि.

घ) **बैंक द्वारा प्रायोजित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक**

i. मध्यप्रदेश ग्रामीण बैंक

ii. विदर्भ कोंकण ग्रामीण बैंक

iii. आर्यावर्त बैंक

(ङ.) **संयुक्त उद्यम**

i. स्टार यूनियन दाई-ईची लाइफ इन्श्योरेन्स कंपनी लि.

b. **Subsidiaries:**

i. BOI Shareholding Limited

ii. Bank of India Investment Managers Private Limited

iii. Bank of India Trustee Services Private Limited

iv. BOI Merchant Bankers Limited

v. PT Bank of India Indonesia Tbk

vi. Bank of India (Tanzania) Limited

vii. Bank of India (New Zealand) Limited

viii. Bank of India (Uganda) Limited

c. **Associates:**

i. STCI Finance Limited

ii. ASREC (India) Limited

iii. Indo Zambia Bank Limited

d. **Regional Rural Banks sponsored by the Bank:**

i. Madhya Pradesh Gramin Bank

ii. Vidharbha Konkan Gramin Bank

iii. Aryavart Bank

e. **Joint Venture:**

i. Star Union Dai-Ichi Life Insurance Co. Limited

(क) संबंधित पक्षकारों के साथ संव्यवहार (प्रबंधन द्वारा यथा संकलित और लेखा परीक्षकों द्वारा आश्वासित)
(a) Transactions with Related Parties (As compiled by Management and relied upon by the Auditors)

विवरण Particular	अनुषंगियों/ सहायक कंपनियां/संयुक्त उद्यम With Subsidiaries/Associates/ Joint Ventures		प्रमुख प्रबंधन कार्मिकों के रिश्तेदार Key Management Personnel & their relatives		कुल TOTAL	
	Year Ended 31.03.2023	Year Ended 31.03.2022	Year Ended 31.03.2023	Year Ended 31.03.2022	Year Ended 31.03.2023	Year Ended 31.03.2022
वर्ष के दौरान संव्यवहार Transactions during the period						
प्राप्त ब्याज Interest Received	-	-	-	-	-	-
प्रदत्त ब्याज Interest Paid	745.65	315.62	-	-	745.65	315.62
प्राप्त लाभांश Dividend received	6.82	8.38	-	-	6.82	8.38
अन्य आय Other Income	150.67	113.15	-	-	150.67	113.15
सरकारी प्रतिभूतियों/ट्रेज़री बिलों की बिक्री Sale of Govt. Securities/Treasury Bills	-	-	-	-	-	-
सरकारी प्रतिभूतियों/ट्रेज़री बिलों की खरीद Purchase of Govt. Securities/Treasury Bills	-	-	-	-	-	-
कार्पोरेट बॉन्ड और अन्य मौद्रिक बाजार लिखत की ख़रीद Puchase of Corporate Bonds and Other money market instruments	-	-	-	-	-	-
प्राप्त की गयी जमराशि Deposits accepted	22.83	-	-	-	22.83	-
परिपक्व जमाराशियां Matured Deposits	113.42	-	-	-	113.42	-
दिये गए ऋण Loans Provided	-	-	-	-	-	-
चुकाए गए ऋण Loans Repaid	-	-	-	-	-	-
एनपीए की बिक्री Sale of NPA	-	-	-	-	-	-
किए गए निवेश Investments made	57.92	-	-	-	57.92	-
कर्मचारी स्टॉक खरीद योजना (ईएसपीएस) के अंतर्गत जारी इक्विटी शेयर Equity shares issued under Employee's Stock Purchase Scheme (ESPS)	-	-	-	-	-	-
बकाया Outstanding	**यथा / As on 31.03.2023**	**यथा / As on 31.03.2022**	**यथा / As on 31.03.2023**	**यथा / As on 31.03.2022**	**यथा / As on 31.03.2023**	**यथा / As on 31.03.2022**
देय Payable	-	-	-	-	-	-
जमाराशियां स्वीकार्य Deposits accepted	136.65	227.24	-	-	136.65	227.24
उधार Borrowing	-	-	-	-	-	-
दिये गए ऋण Loans given	10.00	10.00	-	-	10.00	10.00
जमाराशियों का नियोजन Placement of the Deposits	-	-	-	-	-	-
अन्य देयताएं Other Liabilities	-	-	-	-	-	-
प्राप्त राशियाँ (अग्रिम) Receivables (Advances)	-	-	-	-	-	-
निवेश Investments	180.51	122.59	-	-	180.51	122.59

बकाया Outstanding	यथा / As on 31.03.2023	यथा / As on 31.03.2022	यथा / As on 31.03.2023	यथा / As on 31.03.2022	यथा / As on 31.03.2023	यथा / As on 31.03.2022
गैर वित्तपोषित प्रतिबद्धता Non Funded Commitment	-	-	-	-	-	-
प्राप्त पट्टे पर/एचपी व्यवस्था Leasing / HP arrangements availed	-	-	-	-	-	-
प्रदत्त पट्टे पर/एचपी व्यवस्था Leasing / HP arrangements provided	-	-	-	-	-	-
अचल संपत्तियों की खरीद Purchase of fixed assets	-	-	-	-	-	-
अचल संपत्तियों की बिक्री Sale of fixed assets	-	-	-	-	-	-
अन्य आस्तियाँ Other assets	7.66	13.14	-	-	7.66	13.14

पूर्ण स्वामित्व की अनुषंगियों के साथ संव्यवहार और चूंकि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक राज्य सरकार द्वारा नियंत्रित हैं उनके साथ संव्यवहारों का प्रकटन आईसीएआई द्वारा जारी लेखांकन मानक-18 के अनुच्छेद 9 के अनुसार नहीं किया गया है जिसमें ''सरकार द्वारा नियंत्रित उद्यमों'' को अन्य संबद्ध पार्टियों, जो स्वयं ''सरकार द्वारा नियंत्रित उद्यम'' के साथ उनके संव्यवहारों से संबंधित कोई भी प्रकटन करने से छूटप्राप्त है, के साथ किए गए अपने संव्यवहारों का प्रकटन करने से छूट प्राप्त है। इसके अलावा लेखांकन मानक-18 के अनुच्छेद 5 के अनुसार, बैंकर-ग्राहक संबंध की प्रकृति स्वरूप संव्यवहारों, जिसमें महत्वपूर्ण प्रबंधन कार्मिकों एवं उनके रिश्तेदारों के साथ संव्यवहार शामिल हैं, का प्रकटन नहीं किया गया है ऐसा प्रकटन गोपनीयता संबंधी बैंक के कर्तव्यों के प्रतिकूल होगा।

The transactions with wholly owned subsidiaries and regional rural banks being state controlled, have not been disclosed in view of Para 9 of AS - 18 on Related Party disclosure issued by ICAI exempting 'State Controlled Enterprises' from making any disclosure pertaining to their transactions with other related parties which are also 'State Controlled Enterprises'. Further, in terms of paragraph 5 of AS 18, transactions in the nature of Banker – Customer relationship have not been disclosed including those with Key Management Personnel and relatives of Key Management Personnel, since the disclosure would conflict with Bank's duties of confidentiality.

6.6 लेखांकन मानक 19 - पट्टा: - परिचालनगत पट्टे बैंक के विकल्प पर रद्द किए जा सकते हैं। ऐसे परिचालनगत पट्टों हेतु लाभ एवं हानी खाते में निर्धारित किए गए पट्टा व्ययों की राशि ₹ 676.84 (पिछले वर्ष ₹ 618.36) है।

6.7 लेखांकन मानक 20 - प्रति शेयर अर्जन (रुपयों में) :

क्र.सं.	विवरण Particulars	2022-23	2021-22
1.	बेसिक ईपीएस	9.80	8.84
2.	डाइल्यूटेड ईपीएस	9.80	8.84

6.6 Accounting Standard 19 – Leases: - Operating leases are cancellable at the option of the Bank. The amount of lease expenses recognized in the Profit & Loss Account for such operating lease is ₹ 676.84 (Previous Year: ₹ 618.36).

6.7 Accounting Standard 20 - Earnings per Share in ₹:

Sr. No	Particulars	2022-23	2021-22
1.	Basic EPS	9.80	8.84
2.	Diluted EPS	9.80	8.84

मूलभूत एवं तनुकृत ईपीएस का परिकलन

Calculation of Basic & Diluted E.P.S.:

क्र.सं. Sr. No.	विवरण Particulars	2022-23	2021-22
(क) (A)	वर्ष के लिए इक्विटी शेयाधारकों को प्राप्य निवल लाभ / (हानि) Net Profit/(Loss) for the year attributable to Equity Shareholders	4,022.94	3,404.70
(ख) (B)	इक्विटी शेयर की भारित औसत संख्या (₹ करोड़ में) Weighted Average Number of Equity shares (in crore)	410.36	385.28
(ग) (C)	मूलभूत प्रति शेयर आय (क/ख) (₹) Basic Earnings per Share (A/B) (₹)	9.80	8.84
(घ) (D)	इक्विटी शेयरों की डायल्यूटिव क्षमता सहित इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या (करोड़ में) Weighted Average Number of Equity shares including dilutive potential equity shares (in crore)	410.36	385.28
(ड.) (E)	प्रति शेयर डायल्यूटिव आय (क/ड.) (₹) Dilutive Earnings per Share (A/D) (₹)	9.80	8.84
(च) (F)	प्रति शेयर नॉमिनल वैल्यू (₹) Nominal Value per Share (₹)	10.00	10.00

6.8 लेखांकन मानक 22 - आय पर करों के लिए लेखांकन

6.8 Accounting Standard 22 – Accounting for Taxes on Income

6.8.1 आस्थगित कर आस्तियां और आस्थगित कर देयताओं के मुख्य घटक निम्नानुसार हैं :

6.8.1 The major components of Deferred Tax Assets and Deferred Tax Liabilities are as under:

क्र.सं. Sr. No.	विवरण Particulars	31.03.2023	31.03.2022
	आस्थागित कर आस्तियां Deferred Tax Assets		
i)	संदेहास्पद कर्ज तथा अग्रिमों के संबंध में प्रावधान के निमित्त समय अन्तर के कारण On account of timing difference towards provision for doubtful debt and advances	7,735.86	9,788.61
ii)	अन्य प्रावधान/मदों के निमित्त समय अन्तर के कारण On account of timing difference towards other provisions/items	165.61	93.79
iii)	विदेशी मुद्रा अंतरण रिजर्व के कारण (FCTR) On account of Foreign Currency Translation Reserve (FCTR)	271.00	218.57
iv)	अन्य Others	579.34	564.71
	कुल आस्थगित कर आस्तियाँ Total Deferred Tax Assets	**8,751.81**	**10,665.68**
	आस्थगित कर देयता Deferred Tax Liabilities		
i)	स्थिर आस्तियों पर मूल्यह्रास के कारण On account of Depreciation on fixed assets	96.26	154.77
ii)	प्रोद्भुत ब्याज जो देय नहीं हैं के कारण On account of interest accrued but not due on investments	1,102.14	887.51
iii)	आय कर अधिनियम 1961* की धारा 36(01)(viii) के कारण कटौती On account of Deduction in respect of special reserve u/s 36(1)(viii) of the Income Tax Act 1961*	915.53	915.53
iv)	अन्य Others	0.00	0.48
	कुल आस्थगित कर देयताएं Total Deferred Tax Liabilities	**2,113.93**	**1,958.29**
	निवल आस्थगित कर आस्तियां/(देयताएं) Net Deferred Tax Assets / (Liabilities)	**6,637.88**	**8,707.39**

* ₹ 431.67 पुरानी आरक्षितियों में से और लाभ में से शेष * ₹ 431.67 out of past reserves and balance out of profit

6.8.2 वर्ष के दौरान आय कर हेतु किए गए प्रावधानों की राशि

विवरण Particulars	2022-23	2021-22
मौजूदा कर Current Tax	136.86	(-)1,901.16
आस्थगित कर Deferred Tax	2,069.51	4063.22
कुल कर व्यय Total Tax Expense	**2,206.37**	**2,162.05**

भारत सरकार ने कराधान कानून (संशोधन) अधिनियम, 2019 के माध्यम से आयकर अधिनियम 1961 की धारा 115 बीएए को परिभाषित किया है। बैंक ने अधिनियम की धारा 115 बीएए के अंतर्गत उपलब्ध विकल्पों की समीक्षा की है तथा 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष हेतु आयकर अधिनियम के पूर्ववर्ती प्रावधानों के अनुसार आय पर कर निर्धारण को जारी रखने का विकल्प चुना है।

6.9 लेखांकन मानक 24 - परिचालन बंद करना: शून्य

6.10 लेखांकन मानक 27- संयुक्त उद्यमों में निवेश :

निवेशों में ₹ 98.17 (पिछले वर्ष ₹ 75) शामिल है जो निम्नलिखित संयुक्त रूप से नियंत्रित निकायों में बैंक-हित को दर्शाता है :-

क्र.सं.	कंपनी का नाम	राशि	निवास देश	होल्डिंग %
1	स्टार यूनियन दाई-ईची जीवन बीमा कंपनी लि.,	₹ 98.17	भारत	28.96%

6.8.2 Amount of Provisions made for Income-tax during the year

Particulars	2022-23	2021-22
Current Tax	136.86	(-)1,901.16
Deferred Tax	2,069.51	4063.22
Total Tax Expense	**2,206.37**	**2,162.05**

Government of India has pronounced section 115BAA of Income Tax Act 1961 through Taxation Laws (Amendment) Act, 2019. The Bank has evaluated the options available under section 115BAA of the Act and opted to continue to recognise the taxes on income for the year ended 31st March, 2023 as per the earlier provisions of Income-tax Act.

6.9 Accounting Standard 24 - Discontinuing Operations: Nil

6.10 Accounting Standard 27 – Investments in Joint Venture

Investments include ₹ 98.17 (Previous year ₹ 75) representing Bank's interest in the following jointly controlled entity:

Sr. No.	Name of the Company	Amount	Country of Residence	Holding %
1	Star Union Dai–Ichi Life Insurance Company Ltd.	₹ 98.17	India	28.96%

संयुक्त रूप से नियंत्रित निकायों में समूह के निवेश से संबंधित आस्तियों, देयताओं, आय एवं व्ययों की कुल राशि:
Aggregate amount of assets, liabilities, income and expenses related to the group's interest in jointly controlled entities:

विवरण Particulars	31.03.2023	31.03.2022
देयताएं Liabilities		
पूंजी एवं आरक्षितियां Capital & Reserves	307.51	213.22
जमाराशियां Deposits	0.00	0.00
उधार Borrowings	0.00	0.00
अन्य देयताएं एवं प्रावधान Other Liabilities & Provisions	5,405.48	4,211.15
कुल Total	**5,712.99**	**4,424.37**
आस्तियां Assets		
भारतीय रिज़र्व बैंक में नकदी और शेष राशियां Cash and Balances with Reserve Bank of India	90.85	41.15
बैंकों में शेष और मांग पर तथा अल्प सूचना पर प्राप्य धन Balances with Banks and Money at call and short notice	0.00	0.00
निवेश Investments	5,419.83	4,206.16
अग्रिम Advances	7.17	4.90
अचल आस्तियां Fixed Assets	14.75	10.52
अन्य आस्तियां Other Assets	180.39	161.65
कुल Total	**5,712.99**	**4,424.37**
पूंजीगत प्रतिबद्धताएं Capital Commitments	0.00	0.00
अन्य आकस्मिक देयताएं Other Contingent Liabilities	33.69	31.56
आय Income		
अर्जित ब्याज Interest Earned	17.14	12.71
अन्य आय Other Income	38.23	76.62
कुल Total	**55.37**	**89.34**
व्यय Expenditure		
व्यय किया गया ब्याज Interest Expended		
परिचालन व्यय Operating Expenses	18.34	89.37
प्रावधान एवं आकस्मिकताएं Provisions & Contingencies	0.21	(-)6.63
कुल Total	**18.55**	**82.73**
लाभ / (हानि) Profit / (Loss)	**36.82**	**6.60**

6.11. परिसंपत्तियों की हानि (लेखांकन मानक 28) : ₹ शून्य

6.12. प्रावधान, आकस्मिक देयताएं एवं आकस्मिक आस्तियां (लेखांकन मानक 29)

क. आकस्मिक देयताओं हेतु प्रावधानों में उतार-चढ़ाव :

विवरण Particulars	विधिक मामले/ आकस्मिकताएंङ*	
	2022-23	2021-22
प्रारंभिक शेष	61.02	100.91
वर्ष के दौरान किया गया प्रावधान	4.07	2.67
वर्ष के दौरान उपयोग की गई राशि	1.00	42.56
अंतिम शेष	64.09	61.02
बहिर्गमन का समय/अनिश्चितताएं	समझौते/क्रिस्टलीकरण पर बहिर्गमन	

* अन्य के लिए प्रावधानों को छोड़कर

6.11 Impairment of Assets (Accounting Standard 28): ₹ Nil

6.12 Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets (Accounting Standard 29)

A. Movement of Provisions for contingent liabilities:

Particulars	Legal cases/ contingencies*	
	2022-23	2021-22
Opening Balance	61.02	100.91
Provided during the year	4.07	2.67
Amounts used during the year	1.00	42.56
Closing Balance	64.09	61.02
Timing of outflow/uncertainties	Outflow on settlement /Crystallization	

* Excluding provisions for others

ख. आकस्मिक देयताएं

यथा उल्लिखित इस प्रकार की देयताएं, न्यायालय के निर्णय/ मध्यस्थता / न्यायालय के बाहर का समझौता, अपील का निपटान, मांगी गई राशि, संविदागत दायित्वों की शर्तें, संबंधित पक्षों द्वारा की गई मांग एवं विस्तार, जैसा भी मामला हो, पर क्रमश: निर्भर करता है। इन मामलों में कोई प्रतिपूर्ति अपेक्षित नहीं है।

7. पिछली अवधि के आंकड़ों को वर्तमान अवधि के वर्गीकरण के अनुरूप आवश्यक समझे जाने पर पुनर्वर्गीकृत/पुन:श्रेणीबद्ध किया गया है।

B. Contingent Liabilities:

Such liabilities are dependent upon, the outcome of court order/arbitration/out of court settlement, disposal of appeals and the amount being called up, terms of contractual obligations, devolvement and raising of demand by concerned parties, as the case may be. No reimbursement is expected in such cases.

7. Figures of the previous period have been regrouped / reclassified, wherever considered necessary to conform to the current period's classification.

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

सेवा में,

भारत के राष्ट्रपति/बैंक ऑफ़ इंडिया के सदस्य

एकल वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा पर रिपोर्ट

मत

1) हमने बैंक ऑफ़ इंडिया ('बैंक') के एकल वित्तीय विवरण की लेखा परीक्षा की है। इसमें यथा 31 मार्च, 2023 को तुलन पत्र, संबंधित वर्ष के अंत में लाभ-हानि विवरणी तथा नकद प्रवाह की विवरणी तथा महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों सहित एकल वित्तीय विवरणियों पर नोट्स एवं अन्य व्याख्यात्मक जानकारी शामिल हैं जिसमें उक्त तिथि को समाप्त वर्ष के विवरण शामिल हैं:

   (i) हमारे द्वारा 20 घरेलू शाखाओं, ट्रेजरी शाखाओं तथा डिजिटल बैंकिंग विभाग की लेखापरीक्षा की गई;

   (ii) संबंधित सांविधिक शाखा लेखापरीक्षकों द्वारा 3616 घरेलू शाखाओं तथा प्रसंस्करण केन्द्रों की लेखापरीक्षा की गई; और

   (iii) संबंधित स्थानीय लेखापरीक्षकों द्वारा 21 विदेशी शाखाओं की लेखापरीक्षा की गई।

   बैंक ने हमारे द्वारा लेखा-परीक्षित एवं अन्य लेखा-परीक्षकों द्वारा लेखा-परीक्षित शाखाओं का चयन, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार किया है। तुलन-पत्र, लाभ-हानि विवरणी तथा नकदी प्रवाह विवरणी में उन 1806 घरेलू शाखाओं तथा 01 विदेशी शाखा की विवरणी भी शामिल है जिनकी लेखापरीक्षा नहीं की गई है। इन लेखापरीक्षित शाखाओं से 4.70% अग्रिम, 13.43% जमाराशियाँ, 4.22% ब्याज आय तथा 12.38% ब्याज व्यय सम्बन्धित है।

2) हमारे विचार से एवं हमारी सर्वोत्तम जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार पूर्वोक्त एकल वित्तीय विवरणियाँ, बैंककारी विनियम अधिनियम, 1949 (''अधिनियम'') के द्वारा जैसा आवश्यक है, उसके अनुरूप जानकारी देती हैं तथा यह भारत में स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप हैं और निम्नलिखित की उचित एवं सही स्थिति प्रस्तुत करती हैं:

   क) यथा दिनांक 31 मार्च, 2023 को बैंक के तुलनपत्र एवं बैंक की परिस्थिति के संबंध में उचित एवं सही स्थिति,

   ख) उक्त तारीख को समाप्त वर्ष के लिए लाभ/हानि खाते के विवरण के संबंध में लाभ का वास्तविक शेष; और

   ग) उक्त तारीख को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह विवरणी के संबंध में सही व उचित स्थिति।

मत का आधार

3) हमने अपनी लेखा-परीक्षा, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी ''लेखा-परीक्षा पर मानक'' (एसए) के अनुसार की है। उक्त मानकों के अंतर्गत हमारी जिम्मेदारी को विस्तारपूर्वक हमारी रिपोर्ट के एकल वित्तीय विवरणियों की लेखापरीक्षा के लिए लेखा-परीक्षकों की जिम्मेदारी खण्ड में प्रतिपादित किया गया है। भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान के द्वारा जारी नैतिक आचार संहिता तथा उक्त 'अधिनियम' के प्रावधानों के अंतर्गत एकल वित्तीय विवरणियों की हमारी लेखा-परीक्षा के लिए जो प्रासंगिक नैतिक

INDEPENDENT AUDITORS' REPORT

To

The President of India / The Members of Bank of India

Report on Audit of the Standalone Financial Statements

Opinion

1) We have audited the accompanying Standalone Financial Statements of Bank of India ('the Bank'), which comprise the Balance Sheet as at March 31, 2023, the Statement of Profit and Loss and the Statement of Cash Flows for the year then ended, and notes to Standalone Financial Statements including Significant Accounting Policies and other explanatory information in which are included returns for the year ended on that date of:

   (i) 20 Domestic branches, Treasury Branch and Digital Banking department audited by us;

   (ii) 3616 domestic branches and processing centres audited by respective Statutory Branch Auditors and

   (iii) 21 Foreign branches audited by respective local Auditors

   The branches audited by us and those audited by other auditors have been selected by the Bank in accordance with the guidelines issued to the Bank by the Reserve Bank of India. Also included in the Balance Sheet, the Statement of Profit and Loss and Statement of Cash Flows are the returns from 1806 domestic branches and one foreign branch which have not been subjected to audit. These unaudited branches account for 4.70 % of advances, 13.43 % of deposits, 4.22 % of interest income and 12.38 % of interest expenses.

2) In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the aforesaid Standalone Financial Statements give the information required by the Banking Regulation Act, 1949 ("the Act") in the manner so required and are in conformity with the accounting principles generally accepted in India and give true and fair view:

   a) In case of Balance Sheet, of the state of affairs of the Bank as at March 31, 2023,

   b) true balance of profit, in case of Profit & Loss account for the year ended on that date; and

   c) true and fair view of the cash flows, in the case of Cash Flow Statement for the year ended on that date.

Basis for Opinion

3) We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing (SAs) issued by The Institute of Chartered Accountants of India. Our responsibilities under those Standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Standalone Financial Statements section of our report. We are independent of the Bank in accordance with the code of ethics issued by the Institute of Chartered Accountants of India together with ethical requirements that are relevant to our audit of the Standalone Financial Statements under provision of the Act, and we have fulfilled our other ethical

अपेक्षाएं हैं, उसके अनुसार हम बैंक से स्वतंत्र हैं तथा हमने इन आवश्यकताओं तथा नैतिक आचार संहिता के अनुसार अपनी सभी नैतिक जिम्मेदारियों को पूरा किया है। हम मानते हैं कि बाद में प्रतिपादित ''अन्य मामले'' शीर्षक के पैरा में संदर्भित अन्य लेखापरीक्षकों की रिपोर्टों की शर्तों के अनुसार, उनके द्वारा प्राप्त लेखा-परीक्षा साक्ष्य तथा हमारे द्वारा प्राप्त लेखा-परीक्षा साक्ष्य, लेखा-परीक्षा संबंधी मत का आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

मामलों का प्रभाव

4) हम फैमिली पेंशन में संशोधन के कारण अतिरिक्त देयता के परिशोधन के संबंध में एकल वित्तीय विवरणी के नोट संख्या 9 की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं। बैंक ने 31 मार्च, 2023 को समाप्त तिमाही तथा वर्ष के लिए रु.306.04 करोड़ लाभ तथा हानि खाते से प्रभारित किया है तथा रु.183.63 करोड़ के शेष अपरिशोधित व्यय को आगे ले जाया गया है।

इस मामले में हमारा मत परिवर्तित नहीं है।

महत्वपूर्ण लेखा-परीक्षा मामले

5) मौजूदा अवधि के लिए वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा-परीक्षा में महत्वपूर्ण लेखांकन मामले, वे मामले हैं, जो हमारे पेशेवर निर्णय में सर्वाधिक महत्वपूर्ण थे। इन मामलों को समग्र रूप से वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा-परीक्षा के संदर्भ में प्रस्तुत किया गया है तथा उस पर विचार तैयार करने में हमने इन मामलों पर कार्रवाई की है तथा इन मामलों पर हम अलग से कुछ विचार नहीं उपलब्ध करा रहे हैं। हमने अपनी रिपोर्ट में सूचित करने के लिए बैंक के महत्वपूर्ण लेखा-परीक्षा मामलों का निर्धारण किया है, जिनका विवरण निम्नलिखित है:

क्र. सं.	महत्वपूर्ण लेखा-परीक्षा मामले	महत्वपूर्ण लेखा-परीक्षा मामलों के संबंध में कार्रवाई करने के लिए पालन की जाने वाली लेखा-परीक्षा प्रक्रिया
1)	भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार अग्रिमों तथा निवेशों पर आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण तथा प्रावधान संबंधी मानदंडों (आईआरएसी मानदंड) का अनुपालन। **अग्रिम :** बैंक को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशा-निर्देशों/परिपत्रों तथा अनुदेशों के आधार पर खातों को अर्जक अग्रिम तथा अनर्जक अग्रिम के अंतर्गत वर्गीकृत करना है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशा-निर्देश, बैंक द्वारा दी गयी सभी ऋण सुविधाओं के संबंध में हैं तथा इसका पालन अनिवार्य रूप से, आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण तथा प्रावधानीकरण के लिए किया जाना है। अर्जक तथा अनर्जक अग्रिमों का निर्धारण सिस्टम द्वारा होता है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशा-	भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी आईआरएसी मानदंडों /परिपत्रों तथा दिशा-निर्देशों तथा बैंक की पॉलिसी के आधार पर हमने अग्रिमों तथा निवेशों की लेखा-परीक्षा की है। **अग्रिम:** हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रिया में निम्नलिखित शामिल हैं: क) हमने शाखा के सांविधिक लेखापरीक्षकों को आईआरएसी मानदंडों तथा प्रक्रियाओं एवं बैंक द्वारा स्वीकृत नीतियों के अनुपालन को सत्यापित करने के लिए सूचित किया है तथा हमने शाखा के सांविधिक लेखा-परीक्षकों की रिपोर्ट पर भरोसा किया है। ख) अग्रिमों के मामले में उससे संबंधित निर्धारण, वर्गीकरण तथा प्रावधान के लिए बैंक द्वारा सिस्टम में बनाए गये सत्यापन तथा लॉजिक एवं स्थापित नियंत्रण एवं आईटी प्रणाली को समझना।

responsibilities in accordance with these requirements and the code of ethics. We believe that the audit evidence obtained by us and audit evidences obtained by other auditors in terms of their reports referred to in "Other Matter" paragraph below, is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Emphasis of Matter

4) We draw attention to Note No. 9 of the standalone financial statements, regarding amortization of additional liability on account of revision in family pension. The Bank has charged an amount of Rs. 306.04 Crores to the profit and loss account for the year ended March 31, 2023 and balance unamortized expense of Rs. 183.63 Crores has been carried forward.

Our opinion is not modified in respect of this matter.

Key Audit Matters

5) Key audit matters are those matters that, in our professional judgment, were of most significance in our audit of the financial statements of the current period. These matters were addressed in the context of our audit of the financial statements as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters. We have determined the matters described below to be the Key Audit Matters to be communicated in our report.

Sl. No.	Key Audit Matters	Audit Procedure followed to address the Key Audit Matters
1)	Compliance of Income Recognition, Asset Classification and Provisioning Norms on advances and investments as per guidelines issued by Reserve Bank of India (IRAC Norms) **Advances** Bank has to classify the accounts as performing advances or non performing advances based on the guidelines/circulars and directives issued by Reserve Bank of India. The guidelines issued by Reserve Bank of India is for all credit facilities given by the bank and is to be mandatorily followed for the purpose of Income Recognition, Asset Classification and Provisioning. Identification of performing and non performing advances is system driven. The software used by the bank identifies the accounts for classification and provisioning	We have carried out the audit of the advances and investments based on the IRAC Norms/ Circulars and directives issued by Reserve Bank of India and the policy of the Bank. **Advances:** Our audit procedure included: a) Communication to the branch statutory auditors to verify the compliance of IRAC Norms and procedures and the policies adopted by the bank and reliance on the audit reports furnished by the branch statutory auditors. b) Understanding the IT system and controls put in place and logic and validations built in the system by the bank for identification, classification and provisioning in case of advances. c) Testing on sample basis whether the classification of advances as performing

क्र. सं.	महत्वपूर्ण लेखा-परीक्षा मामले	महत्वपूर्ण लेखा-परीक्षा मामलों के संबंध में कार्रवाई करने के लिए पालन की जाने वाली लेखा-परीक्षा प्रक्रिया
	निर्देशों के अनुसार बैंक द्वारा प्रयुक्त सॉफ्टवेयर वर्गीकरण के लिए खातों की पहचान करता है तथा प्रावधानीकरण करता है। यदि भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी आईआरएसी मानदंडों के अनुसार आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण तथा प्रावधानीकरण ठीक प्रकार से नहीं किया जाता है तो यह बैंक के वित्तीय विवरणों को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकता है। बैंक ने सॉफ्टवेयर के माध्यम से एनपीए खातों की पहचान तथा वर्गीकरण के लिए आईआरएसी ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर को कार्यान्वित किया है। **निवेश :** भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशा निर्देशों तथा अनुदेशों/परिपत्रों के आधार पर बैंक को निवेशों को अर्जक तथा अनर्जक में वर्गीकृत करना है। निवेशों का अर्जक तथा अनर्जक के रूप में निर्धारण आम तौर पर सिस्टम से होता है। भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार मूल्यांकन (वैल्यूएशन) किया जाता है तथा बीएससी/एनएससी, एफआईएमडीए/एफबीआईएल दर इत्यादि पर उद्धृत मूल्य के आधार पर मूल्यांकन किया जाता है। यदि भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी आईआरएसी मानदंडों के अनुसार ठीक प्रकार से आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण तथा प्रावधानीकरण नहीं किया जाता है तो वह बैंक के वित्तीय विवरण को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकता है। बैंक की कुल आस्तियों में अग्रिम तथा निवेश, क्रमशः 59.58% तथा 25.06% है। चूँकि बैंक के व्यवसाय का बड़ा हिस्सा अग्रिम तथा निवेश है तथा इसमें विनियामकीय अनुपालन शामिल है, अतः हमने इस पक्ष को महत्वपूर्ण लेखा-परीक्षा मामले के रूप में विचारित किया है।	ग) नमूना आधार पर यह जाँच करना कि क्या भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार अग्रिमों का वर्गीकरण अर्जक तथा अनर्जक के रूप में किया गया है तथा इसके संबंध में प्रावधान किये गये हैं। घ) हमें आबंटित शाखाओं की, लेखा-परीक्षण के दौरान, हमने महत्वपूर्ण अग्रिमों के संबंध में पर्याप्त जाँच की है जिसमें विशेष रूप से उल्लिखित खाते (एसएमए) शामिल हैं तथा मूल्यांकन रिपोर्टों की जाँच द्वारा प्रतिभूति संबंधी पक्षों को भी सत्यापित किया है। ङ) आंतरिक लेखा-परीक्षा रिपोर्टों, समवर्ती लेखा-परीक्षा रिपोर्टों, ऋण लेखा-परीक्षा, सिस्टम लेखा-परीक्षा तथा बैंक द्वारा की गयी विशेष लेखा-परीक्षा पर भी भरोसा किया गया है। च) बैंक ने फिनैकल 10 वातावरण में आईआरएसी ऑटोमेशन सॉफ्टवेर की सिस्टम आधारित लेखापरीक्षा करने के लिए स्वतंत्र बाह्य एजेंसी को नियुक्त किया है तथा एजेंसी की रिपोर्ट की प्रतीक्षा है। **निवेश:** हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रिया में निम्नलिखित शामिल है: क) निवेश के मामले में उसकी पहचान, वर्गीकरण तथा प्रावधानीकरण, बैंक द्वारा सिस्टम में स्थापित, लॉजिक तथा वैधीकरण एवं स्थापित नियंत्रण और आईटी प्रणाली को समझना। ख) नमूना आधार पर यह जाँच करना कि क्या निवेशों का मूल्यांकन तथा वर्गीकरण भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जाता है। ग) नमूना आधार पर यह भी सत्यापित किया गया कि क्या निवेशों के मूल्य में मूल्यह्रास के लिए उचित प्रावधान किया गया है तथा यह सुनिश्चित किया गया कि मूल्यह्रास का प्रावधान, भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाता है। घ) आंतरिक लेखा-परीक्षा रिपोर्टों, समवर्ती लेखा-परीक्षा रिपोर्टों तथा बैंक द्वारा की गयी सिस्टम लेखा-परीक्षा रिपोर्ट पर भी भरोसा किया गया है

Sl. No.	Key Audit Matters	Audit Procedure followed to address the Key Audit Matters
	as per the guidelines issued by Reserve Bank of India. The Income recognition, asset classification and provisioning if not done properly as per the IRAC norms issued by Reserve Bank of India may materially impact the financial statements of the bank. The bank has implemented IRAC Automation software for identification and classifying of NPA accounts through the software. **Investments:** Bank has to classify the investments as performing or non performing based on the guidelines/circulars and directives issued by Reserve Bank of India. Identification of performing and non performing investments is generally system driven. The valuation is done as per the guidelines issued by Reserve Bank of India and the valuations are done based on the price quoted on BSE/NSE, FIMDA /FBIL rates etc. The Income recognition, asset classification and provisioning if not done properly as per the IRAC norms issued by Reserve Bank of India may materially impact the financial statements of the bank. Advances and Investments constitute 59.58 % and 25.06 % respectively of total assets of the bank. As advances and investments form part of a major portion of the business of the bank and the regulatory compliances are involved, we have considered this aspect as Key Audit Matter.	or non-performing and provisioning have been carried out as per the guidelines of Reserve Bank of India. d) Carrying out substantive test on major advances including Specially Mentioned Accounts (SMA) and also verification of security by checking the valuation reports in respect of the audit of branches conducted by us. e) Reliance on the internal audit reports, concurrent audit reports, credit audit, system audit and special audits conducted by the bank. **Investments:** Our audit procedure included: a) Understanding the IT system and controls put in place and logic and validations built in the system by the bank for identification, classification and provisioning in case of investments. b) Testing on sample basis whether the classification and valuation of investments is carried out as per the guidelines of Reserve Bank of India. c) Verification on sample basis whether proper provision for depreciation in the value of investments is made as per RBI guidelines. d) Reliance made on the internal audit reports, concurrent audit reports and system audit conducted by the bank.

क्र. सं.	महत्वपूर्ण लेखा-परीक्षा मामले	महत्वपूर्ण लेखा-परीक्षा मामलों के संबंध में कार्रवाई करने के लिए पालन की जाने वाली लेखा-परीक्षा प्रक्रिया
2)	**अनिश्चित कर के मुकदमों तथा आकस्मिक दायित्वों का मूल्यांकन** टैक्स मुकदमों सहित बैंक अनेक मुकदमों में शामिल है। अप्रत्यक्ष करों के अंतर्गत, कुछ भुगतानों पर प्रतिवर्ती प्रभार प्रणाली (आर.सी.एम.) की प्रयोज्यता/इनपुट क्रेडिट की उपलब्धता संबंधी विवाद चल रहे हैं। परिणामों की अनिश्चितता के कारण यह एक प्रमुख लेखा परीक्षा का विषय है, जिसमें इन संभावित परिणामों के अनुमानों के लिए महत्वपूर्ण निर्णय शामिल होते हैं।	हमारे लेखा-परीक्षा दृष्टिकोण में निम्नलिखित शामिल है: क) मुकदमों/कर मूल्यांकनों की वर्तमान स्थिति को समझना; हमने कर संबंधित मुकदमों व आकस्मिक देयताओं की वर्तमान स्थिति की जांच की है। ख) नवीनतम आदेश, विभिन्न कर प्राधिकारियों से प्राप्त संप्रेषण तथा दायर अपीलों की समीक्षा की है; ग) आवश्यकता होने पर विधि तथा कर परामर्शदाताओं पर भरोसा किया गया है।
3)	**सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) का मूल्यांकन:** संव्यवहारों को रिकॉर्ड करने, आईआरएसी सहित आरबीआई के दिशा-निर्देशों के अनुपालन में विभिन्न रिपोर्ट जनरेट करना, वित्तीय विवरणी तैयार करना तथा विनियामकों को अनुपालन की रिपोर्ट देना आदि में आईटी कंट्रोल, प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण अंग है। इस प्रकार की रिपोर्टिंग कोर बैंकिंग सॉफ्टवेयर तथा अन्य सहायक सिस्टमों के प्रभावी रूप से कार्य करने पर बहुत अधिक निर्भर है। हमने इसे प्रमुख लेखा-परीक्षा का विषय माना है क्योंकि नियंत्रण में चूक, वैधता की विफलता, त्रुटिपूर्ण इनपुट डाटा तथा गलत डाटा निकालने के परिणामस्वरूप प्रबंधन तथा विनियामकों को डाटा की गलत रिपोर्टिंग हो सकती है।	हमारे लेखा-परीक्षा प्रक्रिया में निम्नलिखित शामिल है: क) सिस्टम के परिचालन की प्रभावशीलता को समझना तथा उसकी जांच करना। ख) विभिन्न श्रेणी के ग्राहकों के लिए बैंक द्वारा अपनाए गए कोडिंग सिस्टम को समझना। ग) सिस्टम में उपलब्ध विभिन्न वैधीकरण को समझना तथा उनकी जांच करना। घ) बैंक के विनियमों/नीति में किसी भी प्रकार के परिवर्तनों के लिए उपयोगकर्ता की आवश्यकताओं की जांच करना। ङ) डाटा निकालने के लिए प्रयुक्त लॉजिक की जांच करना। च) जनरेट हुई रिपोर्टों की नमूना आधार पर समीक्षा करना। छ) बैंक के सिस्टम लेखापरीक्षा पर भरोसा किया गया है।

Sl. No.	Key Audit Matters	Audit Procedure followed to address the Key Audit Matters
2)	**Evaluation of uncertain tax litigations and contingent liabilities** The Bank has various litigations including tax litigations. The Bank has also disputes regarding availability of input credits/applicability of Reverse Charge Mechanism on certain payments under Indirect Tax. This is a key audit matter due to uncertainty of the outcome which involves significant judgment to determine the possible outcome of these disputes.	Our audit approach involved: a) Understanding the current status of the litigations/tax assessments; b) Review of the latest orders, communication received from various tax authorities and the appeals filed; c) Reliance on the opinion of legal and tax consultants, where available.
3)	**Assessment of Information Technology (IT):** a. IT controls with respect to recording of transactions, generating various reports in compliance with RBI guidelines including IRAC norms, preparing financial statements and reporting of compliances to regulators etc. is an important part of the process. Such reporting is highly dependent on the effective working of Core Banking Software and other allied systems. We have considered this as key audit matter as any control lapses, validation failures, incorrect input data and wrong extraction of data may result in wrong reporting of data to the management and regulators.	Our audit procedure includes:- a) Understanding and testing of operative effectiveness of the system. b) Understanding the coding system adopted by the bank for various categories of customers. c) Understanding and testing of different validations available in the system d) Checking the user requirements for any changes in the regulations/ policy of the bank e) Testing of logic used for extracting the data. f) On sample basis reviewing the reports generated. g) Reliance on the system audit report of the bank.

क्र. सं.	महत्वपूर्ण लेखा-परीक्षा मामले	महत्वपूर्ण लेखा-परीक्षा मामलों के संबंध में कार्रवाई करने के लिए पालन की जाने वाली लेखा-परीक्षा प्रक्रिया
4)	**आस्थगित कर आस्तियों का अभिनिर्धारण:** बैंक की महत्वपूर्ण लेखांकन नीति के अनुसार, जो कि एएस 22 आय पर करों का लेखांकन के अनुसार है तथा जिसे भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी किया गया है, आस्थगित कर आस्तियों का निर्धारण व प्रसारण केवल उसी सीमा तक किया जाना चाहिए जहाँ यह उचित सुनिश्चितता हो कि इस प्रकार की आस्थगित कर आस्तियों पर उपलब्ध भावी कर योग्य पर्याप्त आय की उगाही की जा सकती है। हमने आस्थगित कर आस्तियों को महत्वपूर्ण लेखा-परीक्षा मामले के रूप में पहचान की है क्योंकि इसमें इन आस्थगित कर आस्तियों की उगाही की संभावना के संबंध में प्रबंधन द्वारा निर्णय शामिल होते हैं, जो ऐसे निर्धारण के समर्थन में, भविष्य की अवधि में पर्याप्त कर योग्य लाभ उपलब्ध होगा या नहीं, इत्यादि अनेक कारकों पर आधारित होता है।	हमारी लेखा परीक्षा प्रक्रिया में आस्थगित कर आस्तियों के निर्धारण के समर्थन में भविष्य में कर योग्य लाभों की पर्याप्तता पर प्रबंधन के आकलन का मूल्यांकन शामिल है जैसे आस्थगित कर आस्ति के निर्धारण के लिए प्रयुक्त मान्यताएँ तथा अन्य मानदंड।

वित्तीय विवरणों तथा उन पर लेखा परीक्षक की रिपोर्ट के भिन्न जानकारी

6. अन्य जानकारी के लिए बैंक का निदेशक मण्डल उत्तरदायी है। अन्य जानकारी में प्रबंधन रिपोर्ट और अध्यक्ष के वक्तव्य में शामिल जानकारियाँ समाविष्ट है परंतु इसमें एकल वित्तीय विवरण और इस पर हमारे लेखा परीक्षक की रिपोर्ट शामिल नहीं है।

   एकल वित्तीय विवरणी पर हमारा मत, अन्य जानकारियों तथा बासेल छ्छ प्रकटन के अंतर्गत प्रकटनों को शामिल नहीं करता है तथा इस पर हम किसी प्रकार के आश्वासन एवं निष्कर्ष, व्यक्त नहीं करते हैं।

   एकल वित्तीय विवरणियों की हमारी लेखा-परीक्षा के संबंध में हमारी जिम्मेदारी, अन्य जानकारियों का अध्ययन करना तथा ऐसा करने में यह विचार करना कि क्या अन्य जानकारियाँ वित्तीय विवरणियों के साथ महत्वपूर्ण रूप से असंगत तो नहीं है या लेखा-परीक्षा या अन्यथा प्राप्त हमारा ज्ञान गंभीर रूप से गलत प्रस्तुत किया गया तो नहीं लग रहा है।

   जब हम अन्य जानकारी का अध्ययन करते हैं तथा यदि हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि उसमें कोई गलत जानकारी है तो हमारे लिए यह आवश्यक है कि हम प्रशासन के प्रभारी को उक्त मामले के विषय में बताएं तथा लागू कानूनों एवं विनियमों के अंतर्गत कार्रवाई निर्धारित करें।

एकल वित्तीय विवरणी के संबंध में प्रबंधन तथा जिन्हें प्रशासन का प्रभार दिया गया है, उसकी जिम्मेदारी

7. बैंक का निदेशक मण्डल, इन एकल वित्तीय विवरणियों की तैयारी के लिए जिम्मेदार है जो वित्तीय स्थिति, वित्तीय प्रदर्शन तथा बैंक के नकदी प्रवाह

Sl. No.	Key Audit Matters	Audit Procedure followed to address the Key Audit Matters
4)	**Recognition of Deferred Tax Assets:** As per Significant Accounting Policy of the Bank, which is in accordance with AS 22 Accounting for Taxes on Income issued by The Institute of Chartered Accountants of India Deferred tax assets should be recognised and carried forward only to the extent that there is a reasonable certainty that sufficient future taxable income will be available against which such deferred tax assets can be realised. We identified the recognition of deferred tax assets as a key audit matter involves judgement by management as to the likelihood of the realization of these deferred tax assets, which is based on a number of factors including whether there will be sufficient taxable profits in future periods to support recognition.	Our audit procedure included evaluating management assessment on the sufficiency of the future taxable profits in support of the recognition of deferred tax assets such as assumptions and other parameters used for recognition of deferred tax asset.

Information Other than the Financial Statements and Auditors Report thereon

6) The Bank's Board of Directors is responsible for the other information. The other information comprises the information included in the Management report and Chairman's Statement but does not include the Standalone Financial Statements and our Auditor's report thereon.

   Our opinion on the Standalone Financial Statements does not cover the other information and Pillar 3 disclosures under Basel III Disclosure and we do not express any form of assurance conclusion thereon.

   In connection with our audit of the Standalone Financial Statements, our responsibility is to read the other information and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the Standalone Financial Statements or our knowledge obtained in the audit or otherwise appears to be materially misstated.

   When we read the other information, if we conclude that there is material misstatement therein, we are required to communicate the matter to those charged with governance and determine the actions under the applicable laws and regulations.

Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Standalone Financial Statements

7) The Bank's Board of Directors is responsible with respect to the preparation of these Standalone Financial Statements that give a true and fair view of the financial

की सही तथा उचित स्थिति प्रस्तुत करता है। उक्त विवरणी, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखांकन मानकों सहित भारत में सामान्यत: स्वीकृत लेखा सिद्धान्तों तथा बैंककारी विनियम अधिनियम, 1949 की धारा 29 एवं समय-समय पर भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) द्वारा जारी परिपत्रों तथा दिशा-निर्देशों के अनुसरण में हैं। इस जिम्मेदारी में, निम्नलिखित शामिल हैं - बैंक की आस्तियों की सुरक्षा तथा धोखाधड़ियों व अन्य अनियमितताओं से बचने तथा धोखाधड़ियों का पता लगाने के लिए बनाए गए अधिनियम के प्रावधानों, उपयुक्त लेखांकन नीति का चयन तथा अनुप्रयोग; विवेकपूर्ण एवं तर्कसंगत अनुमान एवं आकलन करना और पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की रूपरेखा बनाना, लागू करना एवं उसे बनाए रखना, जिन्हें लेखांकन रिकार्डों की पूर्णता एवं सटीकता को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी रूप से परिचालित किया जा रहा था, जो वित्तीय विवरणयों को तैयार करने एवं प्रस्तुतीकरण से संबंधित थे और जो वास्तविक एवं उचित स्थिति प्रस्तुत करते हैं और धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण गंभीर गलत विवरण से मुक्त हैं।

एकल वित्तीय विवरण तैयार करने में, संबंधित निदेशक मंडल, बैंक की संस्थागत क्रियाशीलता की निरंतरता की क्षमता का मूल्यांकन, संस्था की निरंतरता से संबंधित मामलों का प्रकटन, जो भी लागू हो तथा लेखांकन में संस्था की निरंतरता के आधार का प्रयोग, जब तक कि बैंक का प्रबंधन बैंक का परिसमापन या परिचालन बंद न करना चाहते हों या ऐसे करने के अलावा और कोई व्यावहारिक विकल्प न हो, हेतु उत्तरदायी है। बैंक के निदेशक मंडल, बैंक की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया का निरीक्षण करने के लिए जिम्मेदार है।

वित्तीय विवरण की लेखापरीक्षा के संबंध में लेखापरीक्षक का उत्तरदायित्व

8. हमारा उद्देश्य इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि एकल वित्तीय विवरण समग्ररूप से धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण गंभीर गलत विवरणों से मुक्त है और लेखापरीक्षक की रिपोर्ट जारी करना जिसमें हमारी राय भी शामिल है। तर्कसंगत आश्वासन, उच्च स्तर का आश्वासन है परंतु यह गारंटी नहीं है कि मानक लेखांकन (एसए) के अनुरूप की गई लेखा परीक्षा में हमेशा गलत विवरण, यदि कोई हो, का पता लगा लिया जाएगा। गलत विवरण धोखाधड़ी या त्रुटि की वजह से हो सकते हैं तथा उन्हें गंभीर माना जाएगा, यदि अलग-अलग या समग्र रूप से इन एकल वित्तीय विवरणों के आधार पर प्रयोक्ता के आर्थिक निर्णय पर्याप्त रूप से प्रभावित होते हैं।

मानक लेखांकन (एसए) के अनुसार लेखा परीक्षा के भाग के रूप में, हम लेखा-परीक्षा के दौरान पेशेवर आकलन करते हैं और पेशेवर संशय को बनाए रखते हैं। इसके साथ ही हम:

- वित्तीय विवरणों के महत्वपूर्ण गलत विवरण के जोखिम, चाहे वे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो, की पहचान एवं मूल्यांकन करते हैं, इन जोखिमों का ध्यान रखन वाली लेखा परीक्षा प्रक्रिया को तैयार एवं निष्पादित करते हैं और हमारी राय को आधार प्रदान करने हेतु पर्याप्त और उपयुक्त लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करते हैं। धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप दिए गए गंभीर गलत विवरणों की जांच न करने का जोखिम त्रुटिवश दिए गए गलत विवरण की अपेक्षा उच्चतर होता है, क्योंकि धोखाधड़ी में षडयंत्र, जालसाजी, इरादतन की गई चूक, मिथ्या प्रस्तुति या आंतरिक कानून के विरुद्ध कार्य करना शामिल हो सकते हैं।
- वर्तमान परिस्थितियों में उचित लेखा-परीक्षा प्रक्रिया को तैयार करने के लिए लेखा-परीक्षा हेतु प्रासंगिक आंतरिक नियंत्रण को समझना।

position, financial performance and cash flows of the Bank in accordance with the accounting principles generally accepted in India, including the Accounting Standards issued by The Institute of Chartered Accountants of India, and provisions of Section 29 of the Banking Regulation Act, 1949 and circulars and guidelines issued by the Reserve Bank of India ('RBI') from time to time. This responsibility also includes maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Act for safeguarding of the assets of the Bank and for preventing and detecting frauds and other irregularities; selection and application of appropriate accounting policies; making judgments and estimates that are reasonable and prudent; and design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls, that were operating effectively for ensuring the accuracy and completeness of the accounting records, relevant to the preparation and presentation of the financial statements that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the Standalone Financial Statements, the Board of Directors are responsible for assessing the Bank's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Bank or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so. The Board of Directors is also responsible for overseeing the Bank's financial reporting process.

Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements

8) Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the Standalone Financial Statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with SAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these Standalone Financial Statements.

As part of an audit in accordance with SAs, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.
- Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances.

- उपयोग में लाई गई लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और लेखांकन के मूल्यांकन एवं प्रबंधन द्वारा किए गए संबंधित प्रकटन के औचित्य का मूल्यांकन करना।
- संस्था की निरंतरता के आधार पर लेखांकन संबंधी, प्रबंधन के उपयोग को उपयुक्तता और प्राप्त किए गए लेखा परीक्षा के साक्ष्यों के आधार पर निष्कर्ष निकालना कि क्या ऐसे मामलों या स्थितियों से संबंधित कोई अनिश्चितता है जो बैंक को संस्थागत निरंतरता को जारी रखने में महत्वपूर्ण संदेह उत्पन्न करती है, यदि हम महत्वपूर्ण अनिश्चितता के मौजूद होने का निष्कर्ष निकालते हैं या उक्त प्रकटन हमारी राय को संशोधित करने में अपर्याप्त हो तो वित्तीय विवरणों में संबंधित प्रकटन हेतु हमें हमारे लेखा परीक्षा की रिपोर्ट में इस ओर ध्यान आकर्षित करना चाहिए। हमारे निष्कर्ष, हमारे लेखा परीक्षा को रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त किए गए लेखांकन साक्ष्यों पर आधारित हैं। तथापि, भविष्य की घटनाएँ या मामले बैंक को संस्थागत निरंतरता को रोकने के कारण हो सकते हैं।
- प्रकटन सहित एकल वित्तीय विवरण की समग्र प्रस्तुति, संरचना और विषयवस्तु का मूल्यांकन और वित्तीय विवरण में अंतर्निहित संव्यवहारों और मामलों को उचित प्रकार प्रस्तुत करने के तरीके का मूल्यांकन।

हम अन्य मामलों के साथ-साथ लेखा परीक्षा की समय-सीमा एवं नियोजित स्वरूप एवं हमारी लेखा परीक्षा के दौरान आंतरिक नियंत्रण में पहचानी गई महत्वपूर्ण कमियाँ सहित महत्वपूर्ण लेखा परीक्षा निष्कर्षों को प्रशासन प्रभारी को सूचित करते हैं।

हम प्रशासन के प्रभारी को इस विवरण के साथ यह भी सूचित करते हैं कि हम निष्पक्षता संबंधी सभी प्रासंगिक नैतिक अपेक्षाओं का तथा उनसे संपर्क करने के लिए सभी संबंधों एवं अन्य मामलों जो हमारी निष्पक्षता को प्रभावित कर सकते हैं, और संबंधित रक्षा उपायों जहाँ भी लागू है, का पालन करते हैं।

प्रशासन को सूचित, संबंधित मामलों से, हमने उन मामलों को निर्धारित किया है जो वर्तमान अवधि के एकल वित्तीय विवरण में लेखापरीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण हैं और इसलिए प्रमुख लेखा संबंधी मामले हैं। इन मामलों को हम हमारी लेखा परीक्षा रिपोर्ट में दर्शाते हैं, यदि कोई कानून या विनियम इस मामले के सार्वजनिक प्रकटीकरण को प्रतिबंधित न करे या जब हम यह तय करते हैं, बहुत ही कम परिस्थितियों में, कि इन्हें हमारी रिपोर्ट में व्यक्त नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से जनहित लाभों से ज्यादा ऐसी सूचना के प्रतिकूल परिणाम हो सकते हैं।

अन्य मामले

9. बैंक की एकल वित्तीय विवरणी में शामिल 3637 शाखाओं तथा प्रसंस्करण केन्द्रों, (21 विदेशी शाखाओं सहित) की वित्तीय विवरणी/वित्तीय जानकारी की लेखा परीक्षा नहीं की है जिनकी वित्तीय विवरणी/वित्तीय जानकारी, यथा 31.03.2023 को रु.3,79,885.63 की कुल आस्तियां तथा उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए रु.21,771.66 करोड़ के कुल राजस्व दर्शाते हैं जो एकल वित्तीय विवरणियों में विचारित हैं। इन शाखाओं तथा प्रसंस्करण केन्द्रों के वित्तीय विवरण/जानकारी की लेखापरीक्षा, शाखा लेखापरीक्षकों द्वारा की गई है, जिसकी रिपोर्ट हमें प्रस्तुत की गई है तथा हमारी राय, जो इन शाखाओं के संबंध में शामिल राशि एवं प्रकटन के संदर्भ में है वह पूर्णरूप से ऐसे शाखा लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर आधारित है।

इस मामले के संदर्भ में हमारी राय को संशोधित नहीं किया गया है।

- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.
- Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the bank's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the bank to cease to continue as a going concern.
- Evaluate the overall presentation, structure and content of the standalone financial statements, including the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the audit of the Standalone Financial Statements of the current period and are therefore the key audit matters. We describe these matters in our auditor's report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

Other Matter

9) We did not audit the financial statements / financial information of 3637 branches and processing centres (including 21 foreign branches) included in the Standalone Financial Statements of the Bank whose financial statements/financial information reflects total assets of Rs.3,79,885.63 Crores at March 31, 2023 and total revenue of Rs 21,771.66 Crores for the year ended on that date, as considered in the Standalone Financial Statements. The financial statements/ financial information of these branches and processing centres have been audited by the branch auditors whose reports have been furnished to us, and our opinion, in so far as it relates to the amounts and disclosures included in respect of branches, is based solely on the report of such branch auditors.

Our opinion is not modified in respect of this matter.

अन्य विधिक एवं विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट

10. तुलनपत्र और लाभ एवं हानि खाते को बैंककारी विनियम अधिनियम, 1949 की धारा 29 के अनुरूप तैयार किया गया है।

11. उपर्युक्त अनुच्छेद 6 और 9 में दी गई लेखा परीक्षा संबंधी सीमाओं के अधीन और बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970/80 की अपेक्षाओं के अनुरूप और इसमें अपेक्षित प्रकटन की सीमाओं के अध्यधीन, हम रिपोर्ट करते हैं कि:

    क. हमने अपनी सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार हमारी लेखा परीक्षा के प्रयोजन हेतु आवश्यक सभी जानकारी और स्पष्टीकरणों को प्राप्त कर लिया है तथा वे संतोषजनक हैं;

    ख. हमारी जानकारी में आए हुए बैंक के लेन-देन बैंक के अधिकार क्षेत्र में हैं, और

    ग. बैंक के कार्यालयों तथा शाखाओं से प्राप्त विवरणियाँ, हमारी लेखा परीक्षा के प्रयोजन के लिए पर्याप्त रही हैं।

12. हम यह भी रिपोर्ट करते हैं कि :

    क. संबंधित बहियों के हमारे परीक्षण से हमारी राय में, यह प्रतीत होता है कि विधि द्वारा यथा अपेक्षित लेखे की बहियाँ, बैंक द्वारा उचित रूप से रखी गई हैं और जिन शाखाओं एवं प्रसंस्करण केन्द्रों का हमने दौरा नहीं किया है, उनसे प्राप्त विवरणियां हमारे लेखा परीक्षा के उद्देश्यों के लिए पर्याप्त हैं।

    ख. इस रिपोर्ट में प्रस्तुत तुलन-पत्र, लाभ एवं हानि खाता और नकदी प्रवाह विवरण हमारे द्वारा निरीक्षण न की गई शाखाओं तथा प्रसंस्करण केन्द्रों से प्राप्त बही खातों और विवरणियों से मेल खाते हैं,

    ग. बैंकिग विनियामक अधिनियम, 1949 की धारा 29 के अंतर्गत बैंक के शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षित किए गए शाखा कार्यालयों के लेखों से संबंधित रिपोर्ट हमें प्रेषित की गई है तथा रिपोर्ट को तैयार करने में हमने उचित रूप से कार्रवाई की है, और

    घ. हमारी राय में, तुलनपत्र, लाभ एवं हानि खाता और नकदी प्रवाह विवरण, लागू लेखांकन मानकों का, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित लेखांकन नीतियों के अनुरूप होने की सीमा तक, अनुपालन करते हैं।

13. ''सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में सांविधिक केन्द्रीय लेखा परीक्षकों (एससीए) की नियुक्ति - वित्त वर्ष 2019-20 से एससीए के लिए रिपोर्टिंग बाध्यताएं'' पर पत्र सं. डीओएस.एआरजी. सं. 6270/08.91.001/2019-20 दिनांक 17 मार्च, 2020, जिसे आरबीआई द्वारा जारी अनुवर्ती संप्रेषण दिनांक 19 मई, 2020 के साथ पढ़ा जाए, की अपेक्षानुसार, हम उपर्युक्त पत्र के अनुच्छेद 2 में विनिर्दिष्ट मामलों पर रिपोर्ट देते हैं, जो निम्नलिखित हैं:

    क. हमारी राय में, उपर्युक्त वित्तीय विवरणयां, आईसीएआई द्वारा जारी लेखा मानकों का पालन करती हैं, उस सीमा तक जहां तक वे आरबीआई द्वारा निर्धारित लेखा नीतियों के साथ असंगत नहीं है।

    ख. ऐसे वित्तीय संव्यवहारों/मामलों पर कोई अवलोकन या टिप्पणी नहीं हैं, जिससे बैंक के कार्य निष्पादन पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़े।

Report on Other Legal and Regulatory Requirements

10) The Balance Sheet and the Profit and Loss Account have been drawn up in accordance with Section 29 of the Banking Regulation Act, 1949;

11) Subject to the limitations of the audit indicated in paragraphs 6 & 9 above and as required by the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980, and subject also to the limitations of disclosure required therein, we report that:

    a) We have obtained all the information and explanations which, to the best of our knowledge and belief, were necessary for the purposes of our audit and have found them to be satisfactory;

    b) The transactions of the Bank, which have come to our notice, have been within the powers of the Bank; and

    c) The returns received from the offices and branches of the Bank have been found adequate for the purposes of our audit.

12) We further report that:

    a) in our opinion, proper books of account as required by law have been kept by the Bank so far as it appears from our examination of those books and proper returns adequate for the purposes of our audit have been received from branches and processing centres not visited by us;

    b) the Balance Sheet, the Profit and Loss Account and the Statement of Cash Flows dealt with by this report are in agreement with the books of account and with the returns received from the branches and processing centres not visited by us;

    c) the reports on the accounts of the branch offices audited by branch auditors of the Bank under section 29 of the Banking Regulation Act, 1949 have been sent to us and have been properly dealt with by us in preparing this report; and

    d) In our opinion, the Balance Sheet, the Profit and Loss Account and the Statement of Cash Flows comply with the applicable accounting standards, to the extent they are not inconsistent with the accounting policies prescribed by Reserve Bank of India.

13) As required by letter No. DOS.ARG. No.6270/08.91.001/2019- 20 dated March 17, 2020 on “Appointment of Statutory Central Auditors (SCAs) in Public Sector Banks–Reporting obligations for SCAs from FY: 2019-20”, read with subsequent communication dated May 19, 2020 issued by the RBI, we further report on the matters specified in paragraph 2 of the aforesaid letter as under:

    a) In our opinion, the aforesaid Standalone Financial Statements comply with the Accounting Standards issued by ICAI, to the extent they are not inconsistent with the accounting policies prescribed by the RBI.

    b) There are no observations or comments on financial

ग. यथा दिनांक 31 मार्च, 2023 को निदेशकों से प्राप्त लिखित अभ्यावेदन के आधार पर, बैंक के निदेशकों में से किसी को भी यथा दिनांक 31 मार्च, 2023 को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164 की उपधारा (2) के अनुसार निदेशक के रूप में नियुक्त होने के अयोग्य नहीं बताया गया है।

घ. खातों के प्रबंधन और उनसे संबंधित अन्य मामलों के संदर्भ में कोई शर्त, शंका या प्रतिकूल टिप्पणी नहीं है।

14. आर.बी.आई के पत्र डीओएस.एआरजी.संख्या 6270/08.91.001/2019-20 दिनांक 17 मार्च 2020 (यथा संशोधित) के द्वारा यथा आवश्यक, वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर बैंक के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता तथा परिचालनात्मक प्रभावशीलता पर हमारी लेखा-परीक्षा रिपोर्ट, इस रिपोर्ट के अनुलग्नक ए में दी गई है। यथा 31 मार्च, 2023 को वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर बैंक के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर हमारी रिपोर्ट अनाशोधित विचार व्यक्त करती है।

transactions or matters which have any adverse effect on the functioning of the bank.

c) On the basis of the written representations received from the directors as on March 31, 2023, none of the directors is disqualified as on March 31, 2023 from being appointed as a director in terms of sub-section (2) of Section 164 of the Companies Act, 2013.

d) There are no qualifications, reservations or adverse remarks relating to the maintenance of accounts and other matters connected therewith.

14) Our audit report on the adequacy and operating effectiveness of the Bank's internal financial controls over financial reporting as required by the RBI Letter DOS. ARG.No.6270/08.91.001/2019-20 dated March 17, 2020 (as amended) is given in Annexure A to this report. Our report expresses an unmodified opinion on the Bank's internal financial controls over financial reporting as at 31st March 2023.

कृते वी शंकर अय्यर एंड कंपनी
For V Sankar Aiyar & Co.
सनदी लेखाकार Chartered Accountants
(एफआरएन 109208डब्ल्यू) (FRN 109208W)

आशा पटेल Asha Patel
भागीदार Partner
एम.सं.166048 M. No. 166048
यूडीआईएन: UDIN: 23166048BGUTEL5915

कृते लक्ष्मी तृप्ति एंड एसोशिएट्स
For Laxmi Tripti & Associates
सनदी लेखाकार Chartered Accountants
(एफआरएन 009189सी) (FRN 009189C)

सुनील अग्रवाल Sunil Agarwal
भागीदार Partner
एम.सं.103066 M.No.103066
यूडीआईएन: UDIN: 23103066BGVYYZ1951

मुंकुद एम चितले एवं कंपनी
For Mukund M Chitale & Co.
सनदी लेखाकार Chartered Accountants
(एफआरएन: 106655डब्ल्यू)
(FRN: 106655W)

नीलेश आरएस जोशी Nilesh RS Joshi
भागीदार Partner
एम.नं.114749 M. No. 114749
यूडीआईएन: UDIN: 23114749BGSUJR5111

स्थान : मुंबई / Place : Mumbai
दिनांक : 06 मई, 2023 / Date : 6th May 2023

स्वतंत्र लेखा-परीक्षा रिपोर्ट का अनुलग्नक 'ए'

(सम तारीख को हमारी रिपोर्ट के अनुच्छेद 14 के अंतर्गत 'अन्य विधिक तथा विनियामकीय आवश्यकताएं पर रिपोर्ट' का संदर्भ लें।)

भारतीय रिज़र्व बैंक (आगे ''आरबीआई'') के पत्र डीओएस.एआरजी.संख्या 6270/08.91.001/2019-20 दिनांक 17 मार्च, 2020 (यथा संशोधित) (''आरबीआई संप्रेषण'') द्वारा आवश्यक वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर रिपोर्ट f

हमने संबंधित तारीख को समाप्त वर्ष के लिए बैंक ऑफ़ इंडिया (बैंक) की इस एकल वित्तीय विवरणियों की हमारी लेखा-परीक्षा के साथ तथा 31 मार्च, 2023 को बैंक की वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखा-परीक्षा की है जिसमें बैंक की शाखाओं की वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आंतरिक वित्तीय रिपोर्टिंग भी शामिल है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

बैंक का प्रबंधन आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित करने तथा उसका रखरखाव करने के लिए जिम्मेदार होगा जो भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखा-परीक्षा पर मार्गदर्शन नोट में उक्त आंतरिक नियंत्रण पर आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए बैंक द्वारा स्थापित किया गया है। इन जिम्मेदारियों में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का निर्माण, कार्यान्वयन तथा रखरखाव शामिल होगा जो उसके कारोबार के व्यवस्थित तथा दक्ष परिचालन को सुनिश्चित करते हुए प्रभावी रूप से परिचालित बनाये हुए था। इस जिम्मेदारी में बैंक की नीतियों का पालन, बैंक की आस्तियों की रक्षा, धोखाधडियों एवं गलतियाँ की रोकथाम तथा पहचान, लेखांकन रिकॉर्डों की सटीकता तथा पूर्णता तथा बैंककारी विनियम अधिनियम, 1949 के अंतर्गत यथा आवश्यक तथा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी परीपत्र तथा दिशा-निर्देशों द्वारा जरूरी विश्वसनीय वित्तीय जानकारी की समयपूर्वक तैयारी भी शामिल है।

लेखा-परीक्षक की जिम्मेदारी

हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपनी लेखा-परीक्षा के आधार पर, वित्तीय रिपोर्टिंग पर बैंक के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर अपनी राय व्यक्त करें। हमने भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (''आईसीएआई '') द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग की लेखा-परीक्षा पर गइडेंस नोट (''गाइडेंस नोट'') तथा आईसीएआई द्वारा जारी लेखांकन पर मानक (एस.ए), आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखा-परीक्षा पर लागू होने की सीमा तक के अनुसरण में अपनी लेखा-परीक्षा की है। उन मानकों तथा उक्त गाइडेंस नोट के अनुसार यह आवश्यक है कि हम नैतिक अपेक्षाओं का अनुपालन करें तथा यह सुनिश्चित करने के लिए लेखा परीक्षा की योजना बनाएँ तथा लेखा परीक्षा करें कि क्या वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित किए गए हैं तथा क्या सभी महत्वपूर्ण पक्षों के विषय में ऐसे नियंत्रणों ने ठीक प्रकार से काम किया है।

हमारी लेखा-परीक्षा में, वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता तथा उनकी परिचालनात्मक प्रभावशीलता के विषय में लेखा-परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने की प्रक्रिया शामिल थी। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की समझ प्राप्त करना, जोखिम का मूल्यांकन करना कि कोई गंभीर कमजोरी मौजूद है तथा मूल्यांकित जोखिम के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की परिचालनात्मक प्रभावशीलता तथा डिजाइन की जाँच एवं उसका मूल्यांकन, वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की हमारी लेखा-परीक्षा में शामिल था। चयनित प्रक्रिया, लेखा-परीक्षक के निर्णय पर आश्रित होगी, जिसमें धोखाधड़ी या गलती के कारण वित्तीय विवरणियों की गंभीर गलती के जोखिम का मूल्यांकन शामिल है।

ANNEXURE "A" TO THE INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

(Referred to in paragraph 14 under 'Report on Other Legal and Regulatory Requirements' section of our report of even date)

Report on the Internal Financial Controls Over Financial Reporting as required by the Reserve Bank of India (the "RBI") Letter DOS.ARG.No.6270/08.91.001/2019-20 dated March 17, 2020 (as amended) (the "RBI communication")

We have audited the internal financial controls over financial reporting of Bank of India ("the Bank") as of March 31, 2023 in conjunction with our audit of the standalone financial statements of the Bank for the year ended on that date which includes internal financial controls over financial reporting of the Bank's branches.

Management's Responsibility for Internal Financial Controls

The Bank's management is responsible for establishing and maintaining internal financial controls based on the internal control over financial reporting criteria established by the Bank considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting issued by the Institute of Chartered Accountants of India. These responsibilities include the design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls that were operating effectively for ensuring the orderly and efficient conduct of its business, including adherence to the Bank's policies, the safeguarding of its assets, the prevention and detection of frauds and errors, the accuracy and completeness of the accounting records, and the timely preparation of reliable financial information, as required under the Banking Regulation Act, 1949 and the circulars and guidelines issued by the Reserve Bank of India.

Auditor's Responsibility

Our responsibility is to express an opinion on the Bank's internal financial controls over financial reporting based on our audit. We conducted our audit in accordance with the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting (the "Guidance Note") issued by the Institute of Chartered Accountants of India (the "ICAI") and the Standards on Auditing (SAs) issued by the ICAI, to the extent applicable to an audit of internal financial controls. Those Standards and the Guidance Note require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether adequate internal financial controls over financial reporting were established and maintained and if such controls operated effectively in all material respects.

Our audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the adequacy of the internal financial controls over financial reporting and their operating effectiveness. Our audit of internal financial controls over financial reporting included obtaining an understanding of internal financial controls over financial reporting, assessing the risk that a material weakness exists, and testing and evaluating the design and operating effectiveness of internal financial controls based on the assessed risk. The procedures selected depend on the auditor's judgement, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error.

हम मानते हैं कि निम्नलिखित ''अन्य मामले'' शीर्षक के निम्नलिखित अनुच्छेद में संदर्भित अन्य लेखा परीक्षकों की रिपोर्टों की शर्तों के अनुसार, उनके द्वारा प्राप्त लेखा-परीक्षा साक्ष्य, लेखा-परीक्षा संबंधी मत का आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और समुचित हैं।

वित्तीय रिपोर्टिंग के संबंध में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक ऐसी प्रक्रिया है जो वित्तीय रिपोर्टिंग पर भरोसे तथा सामान्यत: स्वीकृत लेखा सिद्धान्तों के अनुसार बाहरी उद्देश्यों के लिए वित्तीय विवरणियों की तैयारी के संबंध में पर्याप्त भरोसे को उपलब्ध कराने के लिए बनाई गई है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर बैंक के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियाँ तथा प्रक्रियाएं शामिल हैं जो (1) रिकॉर्ड के रखरखाव से संबंधित हैं तथा यह पर्याप्त विस्तार से बैंक की आस्तियों की प्रकृति तथा संबंधित संव्यवहारों को ठीक प्रकार से तथा सही रूप में बताती हैं; (2) पर्याप्त आश्वासन उपलब्ध कराना कि सामान्यत: स्वीकृत लेखा सिद्धान्तों के अनुसार वित्तीय विवरणियाँ तैयार करने को संभव बनाने के लिए यथा आवश्यक संव्यवहारों को दर्ज किया जाता है तथा बैंक की प्राप्तियाँ तथा व्यय बैंक के प्रबंधन तथा निदेशकों के प्राधिकरण के अनुसार ही किये जाते हैं तथा (3) बैंक की आस्तियों के अप्राधिकृत अर्जन, प्रयोग या डिस्पोजिशन की समयपूर्वक पहचान या बचाव के संबंध में पर्याप्त आश्वासन उपलब्ध कराना, जिसका वित्तीय विवरणियों पर गंभीर प्रभाव हो सकता है।

वित्तीय रिपोर्टिंग के संबंध में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अंतर्निहित सीमाएं

आपसी मिलीभगत की संभावना या अनुचित प्रबंधन के नियंत्रणों के ऊपर हावी होने सहित वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय कंट्रोल की अंतर्निहित सीमाओं के कारण गलती से या धोखाधड़ी के कारण गंभीर गलत विवरणी की प्रस्तुति हो सकती है तथा ऐसा भी संभव है कि यह पकड़ी न जाए। साथ ही, भविष्य की अवधियों के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के किसी मूल्यांकन का पूर्वानुमान जोखिमों के अध्यधीन है। उक्त जोखिम यह है कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण, स्थितियों में परिवर्तन के कारण अपर्याप्त हो सकता है या पॉलिसियों या प्रक्रियाओं के अनुपालन का स्तर कम हो सकता है।

मत

हमारे मत में, तथा हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार एवं हमें प्रस्तुत स्पष्टीकरणों के अनुसार और निम्नलिखित पैरा के ''अन्य मामले'' शीर्षक के अंतर्गत शाखा लेखा-परीक्षकों द्वारा संदर्भित रिपोर्टों के आलोक में बैंक ने, वित्तीय रिपोर्टिंग पर सामान्यत: सभी महत्वपूर्ण पक्षों में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण रखा है तथा भारतीय सनदी लेखाकर संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखा-परीक्षा पर गाइडेंस नोट में उक्त आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक अंशों पर विचार करते हुए बैंक द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए मानदण्ड के अनुसार यथा 31 मार्च, 2023 को वित्तीय रिपोर्टिंग पर ऐसा आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रभावी तरीके से कार्य कर रहा था।

We believe that the audit evidence we have obtained and the audit evidence obtained by the branch auditors, in terms of their reports referred to in the Other Matters paragraph below, is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion on the Bank's internal financial controls over financial reporting.

Meaning of Internal Financial Controls Over Financial Reporting

A Bank's internal financial controls over financial reporting is a process designed to provide reasonable assurance regarding the reliability of financial reporting and the preparation of financial statements for external purposes in accordance with generally accepted accounting principles. A Bank's internal financial controls over financial reporting includes those policies and procedures that (1) pertain to the maintenance of records that, in reasonable detail, accurately and fairly reflect the transactions and dispositions of the assets of the Bank; (2) provide reasonable assurance that transactions are recorded as necessary to permit preparation of financial statements in accordance with generally accepted accounting principles, and that receipts and expenditures of the Bank are being made only in accordance with authorisations of management and directors of the Bank; and (3) provide reasonable assurance regarding prevention or timely detection of unauthorised acquisition, use, or disposition of the Bank's assets that could have a material effect on the financial statements.

Inherent Limitations of Internal Financial Controls Over Financial Reporting

Because of the inherent limitations of internal financial controls over financial reporting, including the possibility of collusion or improper management override of controls, material misstatements due to error or fraud may occur and not be detected. Also, projections of any evaluation of the internal financial controls over financial reporting to future periods are subject to the risk that the internal financial controls over financial reporting may become inadequate because of changes in conditions, or that the degree of compliance with the policies or procedures may deteriorate.

Opinion

In our opinion, and to the best of our information and according to the explanations given to us and based on the consideration of the reports of the branch auditors referred to in the "Other Matters" paragraph below, the Bank has, in all material respects generally adequate internal financial controls over financial reporting and such internal financial controls over financial reporting were operating effectively as at March 31, 2023, based on the criteria for internal control over financial reporting established by the Bank considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting issued by the Institute of Chartered Accountants of India.

अन्य मामले

हमारी पूर्वोक्त रिपोर्ट, जहाँ तक कि वह भारत में स्थित 3014 घरेलू शाखाओं (संख्या, आईएफ़सीओएफ़आर की रिपोर्ट करने वाली शाखाओं में स्कोप का उल्लेख) की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की परिचालनात्मक प्रभावशीलता से संबंधित है, उन शाखाओं के संबंधित शाखा लेखा-परीक्षकों की संबंधित रिपोर्टों पर आधारित हैं।

इस संबंध में हमारा मत संशोधित नहीं है।

Other Matters

Our aforesaid report, insofar as it relates to the operating effectiveness of internal financial controls over financial reporting of 3014 (number, specify scoped in / IFCoFR reporting branches) branches is based on the corresponding reports of the respective branch auditors of those branches.

Further the control over operations of inter office accounts need to be strengthened.

Our opinion is not modified in respect of this matter.

कृते वी शंकर अय्यर एंड कंपनी
For V Sankar Aiyar & Co.
सनदी लेखाकार Chartered Accountants
(एफआरएन 109208डब्ल्यू) (FRN 109208W)

कृते लक्ष्मी तृप्ति एंड एसोशिएट्स
For Laxmi Tripti & Associates
सनदी लेखाकार Chartered Accountants
(एफआरएन 009189सी) (FRN 009189C)

मुंकुद एम चितले एवं कंपनी
For Mukund M Chitale & Co.
सनदी लेखाकार Chartered Accountants
(एफआरएन: 106655डब्ल्यू)
(FRN: 106655W)

आशा पटेल Asha Patel
भागीदार Partner
एम.सं.166048 M. No. 166048
यूडीआईएन: UDIN: 23166048BGUTEL5915

सुनील अग्रवाल Sunil Agarwal
भागीदार Partner
एम.सं.103066 M.No.103066
यूडीआईएन: UDIN: 23103066BGVYYZ1951

नीलेश आरएस जोशी Nilesh RS Joshi
भागीदार Partner
एम.नं.114749 M. No. 114749
यूडीआईएन: UDIN: 23114749BGSUJR5111

स्थान : मुंबई / Place : Mumbai
दिनांक : 06 मई, 2023 / Date : 6th May 2023

यह पृष्ठ खाली छोड़ा गया है
THIS PAGE HAS BEEN LEFT BLANK

बैंक ऑफ़ इंडिया

31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष हेतु समेकित तुलन-पत्र एवं लाभ हानि खाता

BANK OF INDIA

CONSOLIDATED BALANCE SHEET & PROFIT AND LOSS ACCOUNT FOR YEAR ENDED 31ST MARCH 2023

31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार समेकित तुलन-पत्र
CONSOLIDATED BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH, 2023

(000 छोडे गए हैं) / (000's Omitted)

विवरण	Particulars	अनुसूची Schedule No.	यथा As at 31-03-2023 ₹	यथा As at 31-03-2022 ₹
I. पूँजी एवं देयताएं	I. CAPITAL AND LIABILITIES			
पूँजी	Capital	1	41,043,052	41,043,052
आरक्षिती एवं अधिशेष	Reserves & Surplus	2	563,286,363	524,175,455
शेयर आवेदन राशि,जो आबंटन हेतु लंबित है	Share Application Money, pending allotment		-	-
अल्पसंख्यक हित	Minorities Interest	2A	1,565,135	1,294,950
जमाराशियां	Deposits	3	6,721,941,223	6,299,807,511
उधार	Borrowings	4	650,152,251	268,211,160
अन्य देयताएं एवं प्रावधान	Other liabilities and provisions	5	282,369,474	296,781,186
कुल	TOTAL		8,260,357,498	7,431,313,314
II. आस्तियां	II. ASSETS			
भारतीय रिज़र्व बैंक में नकद एवं शेष	Cash and balances with Reserve Bank of India	6	443,815,490	405,303,244
बैंकों में शेष एवं मांग पर और अल्प सूचना पर प्राप्य धनराशि	Balances with Banks and money at call and short notice	7	403,017,298	511,785,657
निवेश	Investments	8	2,113,235,522	1,802,739,526
अग्रिम	Advances	9	4,886,876,989	4,230,011,355
अचल आस्तियां	Fixed Assets	10	100,605,567	98,561,127
अन्य आस्तियां	Other Assets	11	312,806,632	382,912,405
कुल	TOTAL		8,260,357,498	7,431,313,314
आकस्मिक देयताएं	Contingent Liabilities	12	3,791,178,859	4,233,189,026
वसूली के लिए बिल	Bills for collection		291,895,113	276,113,735

ऊपर बताई गई अनुसूचियां तुलन-पत्र का अभिन्न अंग है
The schedules referred to above form and integral part of the Balance Sheet.
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की तीसरी अनुसूची के फॉर्म ए के अनुसार तुलनपत्र तैयार किया गया है
The Balance Sheet has been prepared in conformity with Form 'A' of the Third Schedule to the Banking Regulation Act, 1949.

शंकर सेन	**शिव बजरंग सिंह**	**सुब्रत कुमार**	**एम.कार्तिकेयन**	**स्वरुप दासगुप्ता**	**पी आर राजगोपाल**	**रजनीश कर्नाटक**
Sankar Sen	**Shiv Bajrang Singh**	**Subrat Kumar**	**M. Karthikeyan**	**Swarup Dasgupta**	**P. R. Rajagopal**	**Rajneesh Karnatak**
महाप्रबंधक और मुख्य वित्तीय अधिकारी	मुख्य महाप्रबंधक	कार्यपालक निदेशक	कार्यपालक निदेशक	कार्यपालक निदेशक	कार्यपालक निदेशक	प्रबंध निदेशक एवं सीईओ
General Manager & Chief Financial Officer	Chief General Manager	Executive Director	Executive Director	Executive Director	Executive Director	Managing Director & CEO

निदेशकगण DIRECTORS

डॉ. भूषण कुमार सिन्हा	**सुब्रत दास**	**वेणी थापर**	**मुनीष कुमार रल्हन**	**वी वी शेनॉय**
Dr. Bhushan Kumar Sinha	**Subrata Das**	**Veni Thapar**	**Munish Kumar Ralhan**	**V V Shenoy**

सम तिथि की हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार In terms of our report of even date attached

कृते वी शंकर अय्यर एंड कंपनी For V Sankar Aiyar & Co. सनदी लेखाकार Chartered Accountants (एफआरएन 109208 डब्ल्यू) (FRN:109208W)	कृते लक्ष्मी तृप्ति एंड एसोसिएट्स For Laxmi Tripti & Associates सनदी लेखाकार Chartered Accountants (एफआरएन 009189 सी) (FRN: 009189C)	कृते मुकुंद एम चितले एंड कंपनी For Mukund M Chitale & Co. सनदी लेखाकार Chartered Accountants (एफआरएन 106655 डब्ल्यू) (FRN: 106655W)
आशा पटेल Asha Patel भागीदार Partner (एम. नं. 166048) M. No.166048	सुनील अग्रवाल Sunil Agarwal भागीदार Partner (एम. नं. 103066) M. No.103066	नीलेश आर एस जोशी Nilesh RS Joshi भागीदार Partner (एम. नं. 114749) M. No. 114749

स्थान : मुंबई / Place : Mumbai
दिनांक : 06 मई, 2023 / Date : May 06, 2023

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित लाभ एवं हानि खाता
CONSOLIDATED PROFIT AND LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2023

(000 छोड़े गए है) / (000's Omitted)

विवरण		Particulars	अनुसूची Schedule	को समाप्त वर्ष Year ended 31-03-2023 ₹	को समाप्त वर्ष Year ended 31-03-2022 ₹
I.	आय	INCOME			
	अर्जित आय	Interest earned	13	479,316,901	382,809,149
	अन्य आय	Other income	14	72,111,671	80,105,431
	कुल	TOTAL		551,428,572	462,914,580
II.	व्यय	EXPENDITURE			
	व्यय किया गया	Interest expended	15	274,406,383	240,834,340
	परिचालगत व्यय	Operating expenses	16	143,735,386	121,700,991
	प्रावधान एवं आकस्मिकताएं	Provisions & Contingencies		94,465,924	66,318,041
	कुल	TOTAL		512,607,693	428,853,372
	सहयोगी कंपनियों में अर्जन/(हानि) का हिस्सा	**Share of earnings/(loss) in Associates**	16A	(427,474)	811,857
	अल्पसंख्यको के हित की कटौती के पूर्व वर्ष के लिए समेकित निवल लाभ/(हानि)	Consolidated Net Profit/(Loss) for the year before deducting Minorities' interest		38,393,405	34,873,065
	घटाएं: अल्पसंख्यकों का हित	Less: Minorities' Interest		13,793	(52,659)
	वर्ष के लिए समूह के संबंधित समेकित निवल लाभ/(हानि)	Consolidated Net Profit/(Loss) for the year attributable to the group		38,379,612	34,925,724
	जोडें: समूह के लिए आगे लाया गया समेकित लाभ/(हानि)	Add: Brought forward consolidated profit/(loss) attributable to the group		19,977,393	(887,876)
	कुल	TOTAL		58,357,005	34,037,848
III.	विनियोजन	APPROPRIATIONS			
	सांविधिक आरक्षितियों को अंतरण	Transfer to Statutory Reserve		10,060,000	8,520,000
	निवेश घट-बढ़ आरक्षितियों से अंतरण	Transfer from Investment Fluctuation Reserve		1,514,286	2,537,920
	राजस्व आरक्षिति को / (से) अंतरण	Transfer to/ (from) Revenue Reserve		-	-
	पूँजी आरक्षिति को अंतरण	Transfer to Capital Reserve		-	3,002,535
	निवेश आरक्षिति खाते में अंतरण	Transfer to Investment Reserve Account		3,807,815	-
	अंतिम लाभांश (लाभांश कर सहित)	Final Dividend (including dividend tax)		8,207,132	-
	आयकर अधिनियम,1961 की धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत विशेष आरक्षिति	Special Reserve u/s Sec 36(1) (viii) of Income Tax Act, 1961		-	-
	समेकित तुलन-पत्र में आगे लाया गया शेष	Balance carried over to consolidated Balance sheet		34,767,772	19,977,393
	कुल	TOTAL		58,357,005	34,037,848
	विशेष लेखा नितियां	**Significant accounting policies**	17		
	लेखे पर नोट	**Notes to Accounts**	18		
	प्रति शेयर आय (₹) (मूल)	Earnings Per Share (₹) (Basic)		9.35	9.07
	प्रति शेयर आय (₹) (डायल्यूटेड)	Earnings Per Share (₹) (Diluted)		9.35	9.07

ऊपर बताई गई अनुसूचियां तुलन-पत्र का अभिन्न अंग है
The schedules referred to above form and integral part of the Profit and Loss Account.
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की तिसरी अनुसूची के फॉर्म बी के अनुसार तुलनपत्र तैयार किया गया है
The Profit and Loss Account has been prepared in conformity with Form 'B' of the Third Schedule to the Banking Regulation Act, 1949.

शंकर सेन **Sankar Sen**	शिव बजरंग सिंह **Shiv Bajrang Singh**	सुब्रत कुमार **Subrat Kumar**	एम.कार्तिकेयन **M. Karthikeyan**	स्वरुप दासगुप्ता **Swarup Dasgupta**	पी आर राजगोपाल **P. R. Rajagopal**	रजनीश कर्नाटक **Rajneesh Karnatak**
महाप्रबंधक और मुख्य वित्तीय अधिकारी General Manager & Chief Financial Officer	मुख्य महाप्रबंधक Chief General Manager	कार्यपालक निदेशक Executive Director	कार्यपालक निदेशक Executive Director	कार्यपालक निदेशक Executive Director	कार्यपालक निदेशक Executive Director	प्रबंध निदेशक एवं सीईओ Managing Director & CEO

निदेशकगण DIRECTORS

डॉ. भूषण कुमार सिन्हा **Dr. Bhushan Kumar Sinha**	सुब्रत दास **Subrata Das**	वेणी थापर **Veni Thapar**	मुनीष कुमार रल्हन **Munish Kumar Ralhan**	वी वी शेनॉय **V V Shenoy**

सम तिथि की हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार In terms of our report of even date attached

कृते वी शंकर अय्यर एंड कंपनी For V Sankar Aiyar & Co. सनदी लेखाकार Chartered Accountants (एफआरएन 109208 डब्ल्यू) (FRN:109208W)	कृते लक्ष्मी तृप्ति एंड एसोसिएट्स For Laxmi Tripti & Associates सनदी लेखाकार Chartered Accountants (एफआरएन 009189 सी) (FRN: 009189C)	कृते मुकुंद एम चितले एंड कंपनी For Mukund M Chitale & Co. सनदी लेखाकार Chartered Accountants (एफआरएन 106655 डब्ल्यू) (FRN: 106655W)
आशा पटेल Asha Patel भागीदार Partner (एम. नं. 166048) M. No.166048	सुनील अग्रवाल Sunil Agarwal भागीदार Partner (एम. नं. 103066) M. No.103066	नीलेश आर एस जोशी Nilesh RS Joshi भागीदार Partner (एम. नं. 114749) M. No. 114749

स्थान : मुंबई / Place : Mumbai
दिनांक : 06 मई, 2023 / Date : May 06, 2023

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित नकदी प्रवाह का विवरण
Statement of Consolidated Cash Flow for the year ended 31st March, 2023

(₹ 000' में / ₹ in 000's)

विवरण	Particulars	वर्षान्त/ Year ended 31-03-2023 ₹	वर्षान्त Year ended 31-03-2022 ₹
क. परिचालनगत गतिविधियों से नकदी प्रवाह:	A. Cash Flow from Operating Activities:		
कर के पहले निवल लाभ	Net Profit before taxes	60,545,762	56,600,977
निम्नलिखित के लिए समायोजन:	Adjustments for:		
निवेशों पर परिशोधन/मूल्यह्रास	Amortisation / Depreciation on Investments	13,567,140	6,166,144
अचल आस्तियों पर मूल्यह्रास	Depreciation on Fixed Assets	4,265,105	3,716,786
आस्तियों की बिक्री पर लाभ	Profit on sale of Assets	(1,340,510)	(7,938)
निवेशों के (निष्पादन कर रहे निवेशों पर मूल्यह्रास सहित) पुनर्मूल्यांकन पर (लाभ)/हानि	(Profit) / Loss on Revaluation of Investments (Incl depn performing inv)	(15,745,053)	3,522,575
एनपीए के लिए प्रावधान	Provision for NPA	36,679,013	29,927,109
मानक आस्तियों के लिए प्रावधान	Provision for Standard Assets	16,551,755	8,938,841
अन्य मदों के लिए प्रावधान	Provision for Other Items	6,991,403	1,803,226
एटी-I और टियर-II बॉण्ड पर ब्याज	Interest on AT I & Tier II bonds	6,971,690	7,038,868
सहायक कंपनियों से प्राप्त लाभांश	Dividend received from Associates	(212,456)	(155,962)
निम्नलिखित के लिए समायोजन:	Adjustments for:		
जमाराशियों में बढ़/(घट)	Increase /(Decrease) in Deposits	422,133,712	8,823,947
उधार में बढ़/(घट)	Increase /(Decrease) in Borrowings	366,941,091	(49,429,895)
अन्य देयताओं और प्रावधानों में बढ़/(घट)	Increase / (Decrease)in Other Liabilities and Provisions	(35,287,189)	68,515,095
निवेश में (बढ़)/घट	(Increase) / Decrease in Investments	(308,745,559)	105,313,714
अग्रिमों में (बढ़)/घट	(Increase)/ Decrease in Advances	(693,537,559)	(583,265,001)
अन्य आस्तियों में (बढ़)/घट	(Increase) / Decrease in Other Assets	46,210,848	(16,819,052)
कर (प्रदत्त)/वापसी	Taxes (Paid)/Refund	3,560,381	(5,558,522)
परिचालनगत गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह (क)	Net Cash Flow from Operating Activities (A)	(70,450,426)	(354,869,088)
ख. निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह	B. Cash Flow from Investing Activities :		
अचल आस्तियों की खरीद	Purchase of Fixed Assets	(6,232,927)	(5,719,770)
अचल आस्तियों की बिक्री	Sale of Fixed Assets	996,158	234,912
सहायक कंपनियों से प्राप्त लाभांश	Dividend received from Associates	212,456	155,962
समेकन का प्रभाव	Impact of consolidation	(459,260)	(812,433)
अल्प-संख्यक हित	Minority Interest	270,185	(298,191)
निवेश गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह (ख)	Net Cash Flow from Investing Activities (B)	(5,213,388)	(6,439,520)
ग. वित्तपोषण गतिविधयों से नकदी प्रवाह:	C. Cash Flow from Financing Activities:		
इक्विटी शेयर पूंजी	Equity Share Capital	-	4,054,719
शेयर प्रीमियम	Share Premium	5,586,523	21,445,408
शेयर आवेदन रकम	Share Application Money	-	-
टियर I एवं टियर II पूंजी बॉण्ड (निवल) का निर्गम/(मोचन)	Issue/(Redemption) of Tier I and Tier II Capital Bonds (Net)	15,000,000	(7,000,000)
प्रदत्त लाभांश	Dividend paid	(8,207,132)	-
एटी-I, टियर-II बॉण्ड पर ब्याज	Interest on AT I & Tier II bonds	(6,971,690)	(7,038,868)
वित्तपोषण गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह (ग)	Net Cash Flow from Financing Activities (C)	5,407,701	11,461,259
नकद और नकदी समतुल्य में निवल वृद्धि (क)+(ख)+(ग)	Net Increase in Cash & Cash Equivalents (A)+(B)+(C)	(70,256,113)	(349,847,349)
वर्ष के आरंभ में नकदी और नकदी समतुल्य	Cash and Cash Equivalents as at the beginning of the year	917,088,901	1,266,936,250
वर्ष की समाप्ति पर नकदी और नकदी समतुल्य	Cash and Cash Equivalents as at the end of the year	846,832,788	917,088,901

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित नकदी प्रवाह का विवरण
Statement of Consolidated Cash Flow for the year ended 31st March, 2023

विवरण	Particulars	वर्षान्त/ Year ended 31-03-2023 ₹	वर्षान्त Year ended 31-03-2022 ₹
वर्ष की समाप्ति पर नकदी और नकदी समतुल्यों का मिलान	**Reconciliation of Cash and Cash Equivalents as at the end of the year**		
भारतीय रिजर्व बैंक के पास नकदी और शेष (अनुसूची 6)	Cash and balances with Reserve Bank of India (Schedule 6)	443,815,490	405,303,244
बैंकों में शेष और मांग पर एवं अल्प सूचना पर प्राप्य धनराशि (अनुसूची 7)	Balances with Banks and money at call and short notice (Schedule 7)	403,017,298	511,785,657
अवधि की समाप्ति पर नकदी और नकदी समतुल्य	**Cash and Cash Equivalents as at the end of the year**	**846,832,788**	**917,088,901**

नकदी प्रवाह विवरणी के अनुसार नकदी और नकदी समतुल्य जिसमें हाथ में नकदी, एटीएम में, आरबीआई और अन्य बैंकों के साथ चालू खाते में शेष (जमा सहित) और मांग पर एवं अल्प सूचना पर प्राप्य धनराशि जिसका नकदी में तुरंत परिवर्तन किया जा सके शामिल हैं।
Cash and cash equivalent as per cash flow statement comprises of cash in hand, in ATM, balances in current account with RBI and other Banks (including deposits) and money at call and short notice which can be readily convertible into cash.

शंकर सेन
Sankar Sen
महाप्रबंधक और मुख्य वित्तीय अधिकारी
General Manager & Chief Financial Officer

शिव बजरंग सिंह
Shiv Bajrang Singh
मुख्य महाप्रबंधक
Chief General Manager

सुब्रत कुमार
Subrat Kumar
कार्यपालक निदेशक
Executive Director

एम.कार्तिकेयन
M. Karthikeyan
कार्यपालक निदेशक
Executive Director

स्वरुप दासगुप्ता
Swarup Dasgupta
कार्यपालक निदेशक
Executive Director

पी आर राजगोपाल
P. R. Rajagopal
कार्यपालक निदेशक
Executive Director

रजनीश कर्नाटक
Rajneesh Karnatak
प्रबंध निदेशक एवं सीईओ
Managing Director & CEO

निदेशकगण DIRECTORS

डॉ. भूषण कुमार सिन्हा **Dr. Bhushan Kumar Sinha**

सुब्रत दास **Subrata Das**

वेणी थापर **Veni Thapar**

मुनीष कुमार रल्हन **Munish Kumar Ralhan**

वी वी शेनॉय **V V Shenoy**

सम तिथि की हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार In terms of our report of even date attached

कृते वी शंकर अय्यर एंड कंपनी
For V Sankar Aiyar & Co.
सनदी लेखाकार Chartered Accountants
(एफआरएन 109208 डब्ल्यू) (FRN:109208W)
आशा पटेल Asha Patel
भागीदार Partner
(एम. नं. 166048) M. No.166048

कृते लक्ष्मी तृप्ति एंड एसोसिएट्स
For Laxmi Tripti & Associates
सनदी लेखाकार Chartered Accountants
(एफआरएन 009189 सी) (FRN: 009189C)
सुनील अग्रवाल Sunil Agarwal
भागीदार Partner
(एम. नं. 103066) M. No.103066

कृते मुकुंद एम चितले एंड कंपनी
For Mukund M Chitale & Co.
सनदी लेखाकार Chartered Accountants
(एफआरएन 106655 डब्ल्यू) (FRN: 106655W)
नीलेश आर एस जोशी Nilesh RS Joshi
भागीदार Partner
(एम. नं. 114749) M. No. 114749

स्थान : मुंबई / Place : Mumbai
दिनांक : 06 मई, 2023 / Date : May 06, 2023

समेकित तुलन पुत्र की अनुसूचियां
SCHEDULES TO THE CONSOLIDATED BALANCE SHEET

(000 छोडे गए है) / (000's Omitted)

		यथा As at 31-03-2023 ₹	यथा As at 31-03-2022 ₹
अनुसूचि - 1 : पूँजी	**SCHEDULE- 1 : CAPITAL**		
प्राधिकृत पूँजी	**AUTHORISED CAPITAL**		
प्रत्येक ₹ 10 के 600,00,00,000 (पिछले वर्ष 600,00,00,000) इक्विटी शेयर	600,00,00,000 (Previous year 600,00,00,000) Equity Shares of ₹ 10 each	**60,000,000**	**60,000,000**
जारी पूँजी	**ISSUED CAPITAL**		
प्रत्येक 10 रुपये के 410,47,43,170 इक्विटी शेयर (विगत वर्ष के अंत में 410,47,43,170)	Equity Shares 410,47,43,170 (Previous year ended 410,47,43,170) of₹ 10 each	41,047,432	41,047,432
कुल	**TOTAL**	**41,047,432**	**41,047,432**
अभिदत्त और प्रदत्त पूँजी	**SUBSCRIBED AND PAID-UP CAPITAL**		
पूर्णत: प्रदत्त प्रत्येक ₹ 10 के 410,35,66,070 इक्विटी शेयर (पिछले वर्ष 410,35,66,070)	410,35,66,070 Equity Shares (Previous year 410,35,66,070) of ₹ 10 each fully paid-up.	41,035,661	41,035,661
जोडें : जब्त शेयरों की राशि	Add: Amount of shares forfeited	7,391	7,391
कुल	**TOTAL***	**41,043,052**	**41,043,052**
* उपर्युक्त में से, 334,08,61,720 के पूर्णत: प्रदत्त इक्विटी शेयर (पिछले वर्ष की समाप्ति पर 334,08,61,720) प्रत्येक रु. 10 के रु. 3340.86 करोड़ (पिछले वर्ष की समाप्ति पर रु. 3340.86 करोड़) केंद्र सरकार द्वारा धारित हैं।	* Of the above, 334,08,61,720 Equity Shares (Previous year ended 334,08,61,720) of ₹ 10 each fully paid up amounting to ₹ 3340.86 crore (Previous year ended ₹ 3340.86 crore) is held by Central Government;		
अनुसूची - 2 : आरक्षितियां और अधिशेष	**SCHEDULE - 2 : RESERVES & SURPLUS**		
I. सांविधिक आरक्षितियां :	**I. Statutory Reserve :**		
आरंभिक शेष	Opening Balance	84,968,244	76,456,452
जोड़ें: वर्ष के दौरान परिवर्धन / समायोजन	Add: Additions/adjustments during the year	10,056,912	8,511,792
कुल (I)	**TOTAL (I)**	**95,025,156**	**84,968,244**
II. पूँजी आरक्षितियां :	**II. Capital Reserves :**		
ए) पुनर्मूल्यांकन आरक्षिति :	A) Revaluation Reserve:		
प्रारंभिक शेष	Opening Balance	69,817,289	63,046,153
जोड: परिसर के पुनर्मूल्यांकन परवर्ष के दौरान जोड़े गए	Add : Additions during the year on revaluation of premises	222,192	7,338,808
घटाएं: अवधि के दौरान समायोजन	Less: Adjustments during the year	(398,276)	(107,664)
घटाएं : पुनर्मुल्यांकन के कारण मूल्यह्रास/समायोजन	Less: Depreciation / adjustments on account of revaluation	888,203	675,335
(ए) का कुल	**Total of (A)**	**69,549,554**	**69,817,290**
बी) अन्य	B) Others:		
i) पूंजी मोचन आरक्षिति	i Capital Redemption Reserve		
प्रारंभिक शेष	Opening Balance	5,000	5,000
जोड़ें / घटाएं: परिवर्धन / कटौतियां	Add /Less: Additions/deductions	-	-
(i) का उप-जोड	Sub-total of (i)	**5,000**	**5,000**
ii) परिपक्वता पर धारित निवेशों को बिक्री पर लाभ	ii Profit on sale of Investments - "Held to Maturity"		
प्रारंभिक शेष	Opening Balance	33,520,679	30,518,144
जोडें : वर्ष के दौरान समायोजन	Add: Additions during the year	-	3,002,535
(ii) का उप-जोड	Sub-total of (ii)	**33,520,679**	**33,520,679**
iii) समेकन पर पूँजी आरक्षिति	iii Capital Reserve on Consolidation		
प्रारंभिक शेष	Opening Balance	886,734	690,111
जोड़ें: वर्ष के दौरान समायोजन	Add: Adjustment during the year	(886,734)	196,623
(iii) का उप-जोड	Sub-total of (iii)	**-**	**886,734**
iv) विदेशी मुद्रा रुपांतरण आरक्षिती	iv Foreign Currency Translation Reserve		
प्रारंभिक शेष	Opening Balance	19,704,850	20,423,918
जोड़े/(घटाएं): वर्ष के दौरान समायोजन (निवल)	Add/ (Less) : Adjustments during the year (Net)	4,388,769	(719,068)
(iv) का उप-जोड़	Sub-total of (iv)	24,093,619	19,704,850
जोड (बी)	**Total of (B)**	**57,619,298**	54,117,263
जोड (II)	**TOTAL (II)**	**127,168,852**	**12,934,553**

समेकित तुलन पुत्र की अनुसूचियां
SCHEDULES TO THE CONSOLIDATED BALANCE SHEET

(000 छोडे गए हैं) / (000's Omitted)

		यथा As at 31-03-2023 ₹	यथा As at 31-03-2022 ₹
अनुसूची - 2 : अरक्षितियां एवं अधिशेष (जारी)	**SCHEDULE - 2 : RESERVES & SURPLUS (contd.)**		
III. शेयर प्रीमियम :	**III. Share Premium :**		
प्रारंभिक शेष	Opening Balance	168,260,479	121,209,003
वर्ष के दौरान परिवर्धन	Additions during the year	5,586,523	47,233,699
घटाएं: वर्ष के दौरान कटौतियां / उपयोग	Less : Deductions / Utilization during the year	-	182,223
कुल (III)	**TOTAL (III)**	**173,847,002**	**168,260,479**
IV. राजस्व एवं अन्य आरक्षितियां :	**IV. Revenue and Other Reserves :**		
i) राजस्व आरक्षिती:	i) Revenue Reserve :		
प्रारंभिक शेष	Opening Balance	91,558,855	92,626,741
जोड़ें: वर्ष के दौरान परिवर्धन	Add: Additions during the year	2,926,398	1,026,852
जोड़ें: विलय पर पूँजी आरक्षिति अधिशेष से अंतरण	Add: Transfer from Capital Reserve-Surplus on Merger		
जोड़ें / (घटाएं): समायोजन	Add / (Less): Adjustments	(2,467,466)	(56,079)
घटाएं: वर्ष के दौरान कटौतियां	Less: Deductions during the year	338,238	2,038,659
(i) का जोड	Total of (i)	**91,679,549**	**91,558,855**
ii) निवेश आरक्षितियाँ:	ii) Investment Reserve:		
प्रारंभिक शेष	Opening Balance	-	-
जोडें: वर्ष के दौरान परिवर्धन	Add: Additions during the year	3,807,815	-
घटाएं: वर्ष के दौरान कटौतियां	Less: Deduction during the year	-	-
(ii) का उप-जोड़	Sub-total of (ii)	**3,807,815**	**-**
iii) निवेश उतार-चढ़ाव आरक्षिति:	iii) Investment Fluctuation Reserve:		
प्रारंभिक शेष	Opening Balance	9,275,931	6,738,011
जोडें: वर्ष के दौरान परिवर्धन	Add: Additions during the year	1,514,286	2,537,920
घटाएं: वर्ष के दौरान कटौतियां	Less: Deduction during the year	-	-
(iii) का उप-जोड़	Sub-total of (iii)	**10,790,217**	**9,275,931**
iv) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36 (1) (viii) के अंतर्गत विशेष आरक्षिति	iv) Special Reserve u/s Sec 36(1)(viii) of Income Tax Act, 1961		
प्रारंभिक शेष	Opening Balance	26,200,000	26,200,000
जोडें: वर्ष के दौरान परिवर्धन	Add: Additions during the year	-	-
(iv) का उप-जोड़	Sub-total of (iv)	**26,200,000**	**26,200,000**
जोड (IV)	**TOTAL (IV)**	**132,477,581**	**127,034,786**
V. समेकित लाभ-हानि खाते में शेष	**V. Balance in Consolidated Profit and Loss Account**	**34,767,772**	**19,977,393**
जोड (I से V)	**TOTAL (I TO V)**	**563,286,363**	**524,175,455**
अनुसूची - 2ए : अल्पसंख्यक हित	**SCHEDULE - 2A : MINORITIES INTEREST**		
उस तारीख को अल्पसंख्यक हित जब मूल कंपनी - सहायक कंपनी संबंध अस्तित्व में आए	Minority interest at the date on which the parent-subsidiary relationship came into existence	1,294,950	471,356
तदुपरांत बढ़ / (घट)	Subsequent increase / (decrease)	270,185	823,594
तुलन-पत्र की तारीख को अल्पसंख्यक हित	Minority interest on the date of Balance sheet	**1,565,135**	**1,294,950**

अनुसूची - 3 : जमाराशियां	**SCHEDULE - 3 : DEPOSITS**		
ए. I. माँग जमाराशियाँ :	**A. I. Demand Deposits :**		
i) बैंकों से	i) From Banks	13,173,184	8,464,941
ii) अन्य से	ii) From Others	338,401,842	342,510,753
जोड (I)	**TOTAL (I)**	**351,575,026**	**350,975,694**
II. बचत बैंक जमाराशियाँ	**II. Savings Bank Deposits**	**2,224,686,437**	**2,168,494,565**
III. मीयादी जमाराशियाँ:	**III. Term Deposits :**		
i) बैंकों से	i) From Banks	504,885,192	365,553,753
ii) अन्य से	ii) From Others	3,640,794,568	3,414,783,498
जोड (III)	**TOTAL (III)**	**4,145,679,760**	**3,780,337,251**
जोड ए (I to III)	**TOTAL A (I to III)**	**6,721,941,223**	**6,299,807,510**

समेकित तुलन पुत्र की अनुसूचियां
SCHEDULES TO THE CONSOLIDATED BALANCE SHEET

(000 छोडे गए है) / (000's Omitted)

		यथा As at 31-03-2023 ₹	यथा As at 31-03-2022 ₹
बी. i) भारत में शाखाओं की जमाराशियाँ	B) i) Deposits of branches in India	5,669,924,502	5,507,688,125
ii) भारत के बाहर की शाखाओं की जमाराशियाँ	ii) Deposits of branches outside India	1,052,016,721	792,119,386
जोड (बी)	**TOTAL (B)**	**6,721,941,223**	**6,299,807,511**
अनुसूची - 4 : उधार	**SCHEDULE - 4 : BORROWINGS**		
I. भारत में उधार:	**I. Borrowings in India:**		
i) भारतीय रिज़र्व बैंक	i. Reserve Bank of India	26,920,000	35,190,000
ii) अन्य बैंक	ii. Other Banks		
क. टियर I पूँजी	a. Tier I Capital	7,540,000	4,020,000
ख. टियर II पूँजी	b. Tier II Capital	3,370,000	3,140,000
ग. अन्य	c. Others	451,584	521,400
जोड (ii)	**Total (ii)**	11,361,584	7,681,400
iii) अन्य संस्थाएं और अभिकरण	**III) Other Institutions and Agencies**		
क. टियर I पूँजी	a. Tier I Capital	20,980,000	9,500,000
ख. टियर II पूँजी	b. Tier II Capital	59,630,000	59,860,000
ग. अन्य	c. Others	503,773,826	152,812,119
जोड (iii)	Total (iii)	584,383,826	222,172,119
जोड (I)	Total (I)	622,665,410	265,043,519
II. भारत के बाहर से उधार	**II. Borrowings outside India**		
क. टियर I पूँजी	a. Tier I Capital	-	-
ख. टियर II पूँजी	b. Tier II Capital	-	-
घ. अन्य	c. Others	27,486,841	3,167,641
जोड (II)	Total (II)	27,486,841	3,167,641
जोड (I एवं II)	**Total (I & II)**	**650,152,251**	**268,211,160**
ऊपर सम्मिलित प्रतिभूति उधार	Secured borrowings included in above	**220,825,176**	**136,472,904**
अनुसूची - 5 : अन्य देयताएं एवं प्रावधान	**SCHEDULE - 5 : OTHER LIABILITIES AND PROVISIONS**		
I. देय बिल	I. Bills Payable	16,228,810	17,144,822
II. अंतर कार्यालय समायोजन (निवल)	II. Inter-office adjustments (net)	-	-
III. उपार्जित आय	III. Interest Accrued	25,795,820	17,513,246
VI. आस्थगित कर देयता	IV. Deferred Tax liability	-	4,669
VII. अन्य	V. Others	240,344,844	262,118,449
जोड	**TOTAL**	**282,369,474**	**296,781,186**

* मानक आस्तियों हेतु ₹ 52,923,368 (विगत वर्ष ₹ 36,754,096) का प्रावधान शामिल है
* Includes provision for Standard Assets ₹ 52,923,368 (Previous Year ₹ 36,754,096)

अनुसूची - 6 : भारतीय रिज़र्व बैंक में नकदी और शेष	**SCHEDULE - 6 : CASH AND BALANCES WITH RESERVE BANK OF INDIA**		
I. हाथ में नकदी (विदेशी करेंसी नोट एवं सोने सहित)	I. **Cash in hand** (including foreign currency notes & Gold)	21,672,603	24,468,919
II. भारतीय रिज़र्व बैंक में शेष:	**II. Balances with Reserve Bank of India : ***		
i) चालू खातों में	i) In Current Account	368,053,653	335,783,757
ii) अन्य खातों में	ii) In Other Accounts	54,089,234	45,050,568
जोड (II)	TOTAL (II)	**422,142,887**	**380,834,325**
जोड (I एवं II)	**TOTAL (I & II)**	**443,815,490**	**405,303,244**

* भारत के बाहर केन्द्रीय बैंकों में शेष सहित
* Including balances with Central Banks outside India

समेकित तुलन पुत्र की अनुसूचियां
SCHEDULES TO THE CONSOLIDATED BALANCE SHEET

(000 छोडे गए हैं) / (000's Omitted)

		यथा As at 31-03-2023 ₹	यथा As at 31-03-2022 ₹
अनुसूची - 7 : बैंकों में शेष एवं मांग तथा अल्प सूचना पर धनराशि	**SCHEDULE - 7 : BALANCES WITH BANKS & MONEY AT CALL & SHORT NOTICE**		
I. भारत में :	**I. In India :**		
i) बैंकों में शेष	i) Balances with Banks		
क) चालू खातों में	a) in Current Accounts	408,195	987,956
ख) अन्य जमाराशि खातों में	b) in Other Deposit Accounts	5,929,699	1,746,061
ii) मांग पर एवं अल्प सूचना पर धनराशि	ii) Money at call and short notice		
क) बैंकों में	a) With Banks	-	1,000,000
ख) अन्य संस्थाओं में	b) With Other Institutions	301,669	5,033,499
जोड (I)	TOTAL (I)	**6,639,563**	**8,767,516**
II. भारत के बाहर :	**II. Outside India :**		
i) चालू खातों में	i) In Current Accounts	6,060,725	21,602,341
ii) अन्य जामाराशि खातों में	ii) In Other Deposit Accounts	259,585,340	399,904,367
iii) मांग पर एवं अल्प सूचना पर धनराशि	iii) Money at call and short notice	130,731,670	81,511,433
जोड (II)	TOTAL (II)	**396,377,735**	**503,018,141**
जोड (I एवं II)	**TOTAL (I & II)**	**403,017,298**	**511,785,657**

		यथा As at 31-03-2023 ₹	यथा As at 31-03-2022 ₹
अनुसूची - 8 : निवेश	**SCHEDULE - 8 : INVESTMENTS**		
I. भारत में निवेश:	**I. Investments in India :**		
i) सरकारी प्रतिभूतियां	i) Government Securities	1,820,401,632	1,546,540,540
ii) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां	ii) Other approved Securities	10,513,115	6,767,222
iii) शेयर	iii) Shares	13,732,852	11,762,589
iv) डिबेंचर एवं बंधपत्र	iv) Debentures and Bonds	10,50,48,140	10,51,85,951
v) सहायक कंपनियों में निवेश	v) Investment in Associates	19,654,520	17,765,149
vi) अन्य	vi) Others	32,191,853	16,947,145
जोड़ (I)	**TOTAL (I)**	**2,001,542,112**	**1,704,968,596**
II. भारत के बाहर निवेश:	**II. Investments outside India :**		
i) सरकारी प्रतिभूतियां (स्थानीय प्राधिकरणों सहित)	i) Government Securities (including local authorities)	93,844,592	74,903,627
ii) डिबेंचर एवं बंधपत्र	ii) Debentures & Bonds	-	-
iii) सहायक कंपनियों में निवेश	iii) Investment in Associates	2,169,806	1,784,232
iv) अन्य	iv) Others	15,679,012	21,083,071
जोड़ (II)	TOTAL (II)	111,693,410	97,770,930
जोड़ (I & II)	**TOTAL (I & II)**	**2,113,235,522**	**1,802,739,526**
III. भारत में निवेश :	**III. Investments in India :**		
i) निवेश का सकल मूल्य	i) Gross value of Investments	2,043,134,034	1,756,109,701
ii) अवमूल्यन हेतु संकलित प्रावधान	ii) Aggregate provisions for depreciation	41,591,922	51,141,105
iii) निवल निवेश	iii) Net Investments	**2,001,542,112**	**1,704,968,596**
IV भारत के बाहर निवेश:	**IV. Investments outside India :**		
i) निवेश का सकल मूल्य	i) Gross value of Investments	114,432,752	98,750,902
ii) अवमूल्यन हेतु संकलित प्रावधान	ii) Aggregate provisions for depreciation	2,739,342	979,972
iii) निवल निवेश	iii) Net Investments	**111,693,410**	**97,770,930**
जोड़ (III & IV)	**TOTAL (III & IV)**	**2,113,235,522**	**1,802,739,526**

समेकित तुलन पत्र की अनुसूचियां
SCHEDULES TO THE CONSOLIDATED BALANCE SHEET

(000 छोडे गए है) / (000's Omitted)

		यथा As at 31-03-2023 ₹	यथा As at 31-03-2022 ₹
अनुसूची - 9 : अग्रिम	**SCHEDULE - 9 : ADVANCES**		
ए. i) क्रीत बिल और बट्टाकृत बिल	A. i) Bills Purchased and Discounted	361,983,161	174,634,399
ii) नकद उधार, ओवरड्राफ्ट और मांग पर प्रतिसंदेय ऋण	ii) Cash Credits, Overdrafts and Loans repayable on demand	1,876,178,744	1,660,778,457
iii) मीयादी ऋण	iii) Term Loans	2,648,715,084	2,394,598,499
कुल (ए)	**TOTAL (A)**	**4,886,876,989**	**4,230,011,355**
बी. अग्रिम का विवरण	**B. Particulars of Advances :**		
i) मूर्त आस्तियों द्वारा प्रतिभूत (इसमें बही ऋणों के निमित्त अग्रिम शामिल है)	i) Secured by tangible assets (includes advances against Book Debts)	3,374,359,639	2,848,375,463
ii) बैंक/सरकारी गारंटियों द्वारा संरक्षित	ii) Covered by Bank/Government Guarantees	478,798,579	260,943,520
iii) अप्रतिभूत	iii) Unsecured	1,033,718,771	1,120,692,372
जोड (बी)	**TOTAL (B)**	**4,886,876,989**	**4,230,011,355**
सी. अग्रिमों का क्षेत्रववार वर्गीकरण	**C. Sectoral Classification of Advances :**		
I. भारत में अग्रिम	**I. Advances in India**		
i) प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र	i) Priority Sector	1,494,683,925	13,261,66,340
ii) सार्वजनिक क्षेत्र	ii) Public Sector	1,204,704,107	1,057,294,505
iii) बैंक	iii) Banks	178,024	39
iv) अन्य	iv) Others	1,351,090,890	1,255,714,748
कुल (I)	**TOTAL (I)**	**4,050,656,946**	**3,639,175,632**
II. भारत के बाहर अग्रिम	**II Advances outside India :**		
i) बैंकों से देय	i) Due from Banks	369,097,116	230,430,196
II) अन्यों से देय	II) Due from others		
क) क्रीत बिल और बट्टाकृत बिल	a) Bills Purchased and Discounted	113,536,084	64,923,607
ख) समूहनकृत ऋण	b) Syndicated Loans	134,725,824	101,440,541
ग) अन्य	c) Others	218,861,019	194,041,379
जोड (II)	TOTAL (II)	836,220,043	590,835,723
जोड (सी-I एवं सी-II)	**TOTAL (I & II)**	**4,886,876,989**	**4,230,011,355**
अनुसूची - 10 : अचल आस्तियां	**SCHEDULE - 10 : FIXED ASSETS**		
I. परिसर :	**I. PREMISES :**		
लागत पर आरंभिक शेष	Opening Balance at cost	19,485,487	17,897,895
वर्ष के दौरान परिवर्धन/समायोजन	Add: Additions /Adjustments during the year	2,449,134	1,591,666
घटाएं: वर्ष के दौरान कटौतियां/ समायोजन	Less: Deductions/ Adjustments during the year	28,729	4,074
उप-जोड़	Sub-total	21,905,892	19,485,487
पुनर्मूल्यन आरक्षित निधि में जमा किए गए पुनर्मूल्यन के कारण इस तारीख तक परिवर्धन	Addition to date on account of revaluation credited to revaluation reserve	70,156,030	69,750,574
घटाएं : इस तारीख तक मूल्यह्रास (पुर्नमूल्यांकन के कारण सहित)	Less : Depreciation to date (including on account of revaluation)	5,869,165	4,846,894
जोड़ (I)	TOTAL (I)	**86,192,757**	**84,389,167**
II. अन्य अचल आस्तियां	**II. OTHER FIXED ASSETS :**		
(फर्निचर एवं फिक्स्चर सम्मिलित हैं)	(including Furniture and Fixtures)		
लागत पर आरंभिक शेष	Opening Balance at cost	43,790,599	40,267,003
वर्ष के दौरान परिवर्धन/समायोजन	Add: Additions /Adjustments during the year	5,980,576	3,754,434
घटाएं: वर्ष के दौरान कटौतियां/समायोजन	Less: Deductions/ Adjustments during the year	967,429	230,838
उप-जोड	Sub-total	48,803,746	43,790,599
घटाएं: इस तारीख को मूल्यह्रास	Less: Depreciation to date	35,495,227	32,478,692
जोड (II)	TOTAL (II)	13,308,519	11,311,907
III. निर्माणाधीन पूँजीगत कार्य	**III. CAPITAL WORK IN PROGRESS**	1,104,291	2,860,053
जोड (I से III)	**TOTAL (I to III)**	**100,605,567**	**98,561,127**

समेकित तुलन पुत्र की अनुसूचियां
SCHEDULES TO THE CONSOLIDATED BALANCE SHEET

(000 छोडे गए हैं) / (000's Omitted)

		यथा As at 31-03-2023 ₹	यथा As at 31-03-2022 ₹
अनुसूची - 11 : अन्य आस्तियां	**SCHEDULE - 11 : OTHER ASSETS**		
I. अंतर कार्यालय समायोजन (निवल)	I. Inter Office Adjustment (Net)	20,715,175	71,919,504
II. उपचित ब्याज	II. Interest Accrued	37,833,578	28,602,134
III. अग्रिम रूप से प्रदत्त कर / स्रोत पर काटा गया कर (निवल)	III. Tax paid in advance/tax deducted at source (Net)	6,86,20,019	73,723,973
IV. लेखन सामग्री और स्टैम्प	IV. Stationery and Stamps	1,13,183	98,276
V. आस्थगित कर आस्तियां	V. Deferred Tax Assets	66,587,109	87,214,354
VI. अन्य	VI. Others	118,937,568	121,354,164
जोड	**TOTAL**	**312,806,632**	**382,912,405**

* नाबार्ड/सिडबी/एनएचबी में रखी गई ₹ 53,815,757 की जमाराशियां शामिल हैं: (गत वर्ष ₹ 58,423,630)

* Includes Deposits placed with NABARD/SIDBI/NHB amounting to ₹ 53,815,757 (Previous Year ₹ 58,423,630)

		यथा As at 31-03-2023 ₹	यथा As at 31-03-2022 ₹
अनुसूची - 12 : आकस्मिक देयताएं	**SCHEDULE - 12 : CONTINGENT LIABILITIES**		
I. बैंक के विरुद्ध दावें जिन्हे ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है	I. Claims against the Bank not acknowledged as debts	17,039,174	18,100,466
II. अंशत: प्रदत्त निवेशों के लिए देयताएं	II. Liability for partly paid Investments	947,055	972,953
III. बकाया वायदा विनिमय संविदाओं के कारण देयताएं	III. Liability on account of outstanding forward exchange contracts	3,263,626,681	3,691,875,457
IV. संघटकों की ओर से दी गई गारंटियां:	IV. Guarantees given on behalf of Constituents :		
क) भारत में	a. In India	216,862,100	207,857,659
ख) भारत के बाहर	b. Outside India	27,918,368	39,793,728
V. स्वीकृतियां, पृष्ठांकन एवं अन्य दायित्व	V. Acceptances, endorsements and other obligations	224,823,917	240,526,464
VI. ब्याज दर स्वैप	VI. Interest Rate Swaps	8,411,272	15,630,342
VII. अन्य मदें जिनके लिए बैंक आकस्मिक रूप में देनदार है	VII. Other items for which the Bank is contingently liable	31,550,292	18,431,957
जोड	**TOTAL**	**3,791,178,859**	**4,233,189,026**

समेकित लाभ एवं हानि खाते की अनुसूचियां
SCHEDULES TO THE CONSOLIDATED PROFIT AND LOSS ACCOUNT

(000 छोड़े गए है) / (000's Omitted)

		वर्षांत Year ended 31-03-2023 ₹	वर्षांत Year ended 31-03-2022 ₹
अनुसूची - 13 : अर्जित ब्याज एवं लाभांश	**SCHEDULE - 13 : INTEREST AND DIVIDENDS EARNED**		
I. अग्रिमों/बिल पर ब्याज/बट्टा	I. Interest/Discount on advances/bills	335,488,878	259,874,446
II. निवेशों पर आय	II. Income on Investments	120,341,146	111,551,256
III. भारतीय रिज़र्व बैंक और अन्य अंतर बैंक निधियों के शेषों पर ब्याज	III. Interest on balances with Reserve Bank of India and other inter-bank funds	16,745,628	6,377,537
IV. अन्य	IV. Others	6,741,249	5,005,910
जोड	**TOTAL**	**479,316,901**	**382,809,149**
अनुसूची - 14 : अन्य आय	**SCHEDULE - 14 : OTHER INCOME**		
I. कमीशन, विनिमय और दलाली	I. Commission, exchange and brokerage	13,823,154	12,106,619
II. निवेशों के विक्रय पर लाभ	II. Profit on sale of Investments	2,652,069	17,624,549
III. निवेश के पुनर्मूल्यांकन पर लाभ /(हानि) - निवल	III. Profit /(Loss) on Revaluation of Investments - net	15,745,052	(3,522,575)
IV. भूमि, भवनों और अन्य आस्तियों के विक्रय पर लाभ / (हानि)	IV. Profit / (Loss) on sale of land, buildings and other assets	1,340,510	2,773,122
V. विनिमय लेनदेन पर लाभ / (हानि)	V. Profit / (Loss) on exchange transactions	10,082,052	25,647,353
VI. अनुषंगियों/कंपनियों और/अथवा संयुक्त उद्यमों से लाभांश आदि के रूप में अर्जित आय	VI. Income Earned by way of dividend etc. on subsidiaries/companies and /or/ joint ventures	212,456	155,962
VII. विविध आय	VII. Miscellaneous Income	28,256,378	25,320,401
जोड	**TOTAL**	**72,111,671**	**80,105,431**

* बट्टे खाते लिखे खाते में ₹ 12,068,537 (विगत वर्ष ₹ 10,971,278) की वसूली सहित
* Includes Recoveries made in write-off accounts amounting to ₹ 12,068,537 (Previous Year ₹ 10,971,278)

		वर्षांत Year ended 31-03-2023 ₹	वर्षांत Year ended 31-03-2022 ₹
अनुसूची - 15 : व्यय किया गया ब्याज	**SCHEDULE - 15 : INTEREST EXPENDED**		
I. जमाराशियों पर ब्याज	I. Interest on Deposits	237,000,625	226,977,650
II. भारतीय रिज़र्व बैंक / अंतर बैंक बैंक उधारों पर ब्याज	II. Interest on Reserve Bank of India / inter-bank borrowings	30,198,595	6,229,014
III. गौण ऋणों, आईआरएस इत्यादि पर ब्याज	III. Interest on Subordinated Debts, IRS etc.	7,207,163	7,627,676
जोड	**TOTAL**	**274,406,383**	**240,834,340**
अनुसूची - 16 : परिचालनगत व्यय	**SCHEDULE - 16 : OPERATING EXPENSES**		
I. कर्मचारियों को भुगतान और उनके लिए प्रावधान	I. Payments to and provisions for employees	84,529,032	71,120,824
II. किराया, कर एवं बिजली	II. Rent, Taxes and Lighting	8,664,225	8,026,479
III. मुद्रण एवं लेखन सामग्री	III. Printing and Stationery	966,437	779,477
IV. विज्ञापन एवं प्रचार	IV. Advertisement and Publicity	296,977	172,548
V. बैंक की संपत्ति पर मूल्यह्रास	V. Depreciation on Bank's property	4,265,105	3,716,786
VI. निदेशकों के भत्ते और व्यय	VI. Directors' fees, allowances and expenses	58,179	43,146
VII. लेखा परीक्षकों की फीस और व्यय (शाखा लेखा परीक्षकों की फीस एवं व्यय)	VII. Auditors' fees and expenses (Including Branch Auditors' Fees & Expenses)	1,214,078	950,432
VIII. विधि प्रभार	VIII. Law Charges	419,920	454,629
IX. डाक व्यय, तार, टेलिफोन आदि	IX. Postage, Telegrams, Telephones, etc.	2,929,726	1,689,096
X. मरम्मत एवं रखरखाव	X. Repairs and Maintenance	796,057	688,216
XI. बीमा	XI. Insurance	7,976,535	7,522,746
XII. अन्य खर्च	XII. Other Expenditure	31,619,115	26,536,612
जोड	**TOTAL**	**143,735,386**	**121,700,991**
अनुसूची - 16 A : सहयोगी कंपनी में उपार्जन/ हानि में हिस्सेदारी	**SCHEDULE - 16 A : SHARE OF EARNINGS / LOSSES IN ASSOCIATES**		
I. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी)	I. Regional Rural Banks (RRBs)	(12,41,298)	(28,840)
II. अन्य	II. Others	813,824	840,697
जोड	**TOTAL**	**(427,474)**	**811,857**

अनुसूची -17:

महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ (समेकित वित्तीय विवरणियां)

1) **लेखांकन परिपाटी:**

संस्था की निरंतरता की अवधारणा तथा यदि अन्यथा उल्लेख न किया गया हो तो पूर्व के लागत के आधार पर संलग्न समेकित वित्तीय विवरण (सीएफएस) तैयार किया गया है जो वस्तुत: ''सामान्यत: स्वीकृत लेखा सिद्धान्तों'' (जीएएपी) के सभी पक्षों का पालन करते हैं। इसके अंतर्गत, लागू विधिक प्रावधानों, भारतीय रिज़र्व बैंक (आर.बी.आई.) द्वारा निर्धारित विनियामक नियमों, बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई), कंपनी अधिनियम 2013, लेखा मानक (ए.एस.), भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) के द्वारा जारी निदेशों, बैंकिंग विनियम अधिनियम, 1949 तथा भारत के बैंकिंग उद्योग में प्रचलित लेखा प्रथाओं को भी शामिल करते हैं। विदेशी कार्यालयों / शाखाओं/सहायकों/सहयोगियों के संबंध में संबंधित देशों में प्रचलित सांविधिक उपबन्धों तथा लेखांकन पद्धतियों का अनुपालन किया जाता है, यदि इन्हें अन्यत्र विनिर्दिष्ट नहीं किया गया है।

वित्तीय विवरणी की तैयारी हेतु प्रबंधन के लिए यह आवश्यक है कि वह वित्तीय विवरण की प्रभावी तारीख को रिपोर्ट की गयी आस्ति एवं देयता (आकस्मिक देयताएं सहित) तथा रिपोर्टिंग अवधि के लिए आय एवं व्यय का आकलन तथा अनुमान प्रतिपादित करे। प्रबंधन यह मानता है कि वित्तीय विवरणियों को तैयार करने में उपयोग किये गये आकलन उचित तथा तार्किक हैं। तथापि वास्तविक परिणाम आकलन से भिन्न हो सकते हैं। वर्तमान तथा भविष्य की अवधि के लिए लेखांकित आकलन में किसी भी परिवर्तन को भविष्य में निर्धारित किया जाता है।

2) **समेकन का आधार:**

समूह के समेकित वित्तीय विवरण निम्नलिखित आधार पर तैयार किये गये हैं :-

क) बैंक ऑफ़ इंडिया (मूल बैंक) एवं उसकी अनुषंगियों की ''समेकित वित्तीय विवरणियाँ'', भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीआई) द्वारा जारी किये गये लेखांकन मानक (एएस) 21 के अनुसार तैयार की गई हैं। ऐसा पंक्ति दर पंक्ति आधार पर किया जाता है तथा आंतर समूह संव्यवहारों, शेष राशि, उगाही रहित लाभ/हानि को हटाकर इसमें समान प्रकार की आस्ति, देयताएं, आय तथा व्ययों को जोड़ा जाता है तथा एकरूप लेखांकन का पालन करने के लिए जहाँ भी आवश्यक हो, महत्वपूर्ण प्रकृति का आवश्यक समायोजन किया जाता है।

ख) अनुषंगियों में मूल बैंक के निवेश की लागत तथा अनुषंगियों की इक्विटी में मूल बैंक के शेयर में अंतर को गुडविल/आरक्षित पूँजी के रूप में मान्यता दी जाती है। यदि कुछ गुडविल हो तो उसे निर्धारित होने के तुरंत बाद बट्टे खाते में डाल दिया जाता है।

ग) समेकित वित्तीय विवरणी में अल्पसंख्यक हित, अनुषंगियों की निवल इक्विटी में अल्पसंख्यक शेयरधारकों के शेयर के रूप में हैं।

घ) सहायक कंपनियों में निवेश का मूल्यांकन भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखांकन मानक (एएस) 23 ''समेकित वित्तीय विवरणियों में सहायक कम्पनियों में निवेश का लेखांकन'' के अनुसार इक्विटी पद्धति से किया जाता है।

SCHEDULE 17:

SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Consolidated Financial Statements)

1) **ACCOUNTING CONVENTION:**

The accompanying consolidated financial statements (CFS) have been prepared following the going concern concept, on historical cost basis unless otherwise stated and conform in all material aspects to the Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) in India, which encompasses applicable statutory provisions, regulatory norms prescribed by the Reserve Bank of India, Insurance Regulatory and Development Authority of India (IRDAI), Companies Act 2013, Accounting Standards (AS), pronouncements issued by The Institute of Chartered Accountants of India (ICAI), Banking Regulation Act, 1949 and accounting practices prevailing in India. In respect of foreign offices/branches/subsidiaries/associates, statutory provisions and accounting practices prevailing in the respective foreign countries are complied with, except as specified elsewhere.

The preparation of financial statements requires the management to make estimates and assumptions considered in the reported amount of assets and liabilities (including contingent liabilities) as of date of the financial statements and the reported income and expenses for the reporting period. Management believes that the estimates used in the preparation of the financial statements are prudent and reasonable. However actual results can differ from estimates. Any revision to accounting estimates is recognized prospectively in current and future periods.

2) **BASIS OF CONSOLIDATION:**

Consolidated financial statements of the group have been prepared on the basis of:

a) The financial statements of Bank of India (the Parent bank) and its subsidiaries in accordance with Accounting Standard (AS) 21 "Consolidated Financial Statements" issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI), on a line by line basis by adding together like items of assets, liabilities, income and expenses after eliminating intra-group transactions, balances, unrealised profit/loss and making necessary adjustments of material nature wherever required to conform to uniform accounting.

b) The difference between cost to the parent bank of its investment in the subsidiaries and parent bank's share in the equity of the subsidiaries is recognised as goodwill/capital reserve. Goodwill, if any, is written off immediately on its recognition.

c) Minority interest in the Consolidated Financial Statement consists of the share of the minority shareholders in the net equity of the subsidiaries.

d) Accounting for investment in Associate companies is done under Equity method in accordance with Accounting Standard (AS) 23, "Accounting for Investments in Associates in Consolidated Financial Statements", issued by ICAI.

ङ) संयुक्त उद्यमों में निवेशों का लेखांकन, आईसीएआई द्वारा जारी लेखांकन मानक (एएस) 27 ''संयुक्त उद्यमों में हितों की वित्तीय रिपोर्टिंग'' के अनुसार ''आनुपातिक आधार'' पर किया जाता है।

3) राजस्व का निर्धारण:

3.1 बैंकिंग संस्थाएं:

क. आय/व्यय को उपचय के आधार पर तय किया जाता है, यदि अन्यथा न उल्लिखित हो। विदेशी कार्यालयों के संबंध में, संबंधित मेज़बान देश के स्थानीय कानूनों/मानकों के अनुसार आय निर्धारित की जाती है।

ख. अनर्जक आस्तियों पर ब्याज को छोड़कर ब्याज आय का निर्धारण, समय के अनुपात के आधार पर किया जाता है।

ग. बैंक गारंटी तथा साख पत्र जारी करने पर कमीशन का निर्धारण, बीजी/एलसी की अवधि पर होता है।

घ. अन्य सभी कमीशन एवं विनिमय, ब्रोकरेज, फीस तथा अन्य शुल्कों को उगाही होने पर आय के रूप में उनका निर्धारण होता है।

ङ. ''परिपक्वता तक धारित'' श्रेणी में निवेश पर आय (ब्याज के अतिरिक्त) जिसे उसके अंकित मूल्य पर प्राप्त बट्टे के बाद खरीदा गया था, उसे निम्नलिखित प्रकार से निर्धारित की जाती है:-

i. ब्याज वाली प्रतिभूतियों पर, केवल बिक्री/मोचन के समय ही इसका निर्धारण किया जाता है।

ii. जीरो-कूपन प्रतिभूतियों में, स्थिर प्रतिफल के आधार पर प्रतिभूति की शेष परिपक्वता अवधि पर इसका लेखांकन किया जाता है।

च. निवेशों की बिक्री में हुए लाभ या हानि को लाभ तथा हानि खाते में मान्यता दी जाती है। आर.बी.आई. के दिशानिर्देशों के अनुसार ''परिपक्वता तक धारित'' श्रेणी के अंतर्गत निवेशों की बिक्री के मामले में (करों तथा सांविधिक आरक्षितियों में अंतरण करने हेतु आवश्यक राशि को छोड़कर), इसके बराबर की राशि ''आरक्षित पूँजी खाते'' से विनियोजित की जाती है।

छ. जब लाभांश प्राप्त करने का अधिकार स्थापित हो जाता है तब लाभांश को आय के रूप पहचाना जाता है।

ज. निर्धारण आदेश जारी होने के वर्ष में आयकर वापसी पर ब्याज, आय के रूप में पहचाना जाता है।

झ. एन.पी.ए. में वसूली का विनियोजन:

समझौता निपटान/विशेष ओटीएस, ख) न्यायालय/डीआरटी/एनसीएलटी के निर्णय तथा ग) एआरसी/एससी को समनुदेशन - इन तीन मामलों को छोड़कर, एनपीए में वसूली निम्नलिखित क्रम में प्रभावी की जाती है :

- उधारकर्ता के खाते में नामे किए गए प्रभार
- ऐसे खर्च/अपने जेब से किये गये खर्च, जिन्हें नामे नहीं किया गया
- अप्राप्त ब्याज
- अप्रभारित ब्याज
- मूल धन

अन्य मामलों में प्रासंगिक प्राधिकारी के आदेश के अनुसार कृत वसूलियों को विनियोजित किया जाता है।

e) Accounting for investments in Joint Venture are consolidated on "Proportionate basis" as prescribed in Accounting Standard (AS) 27, "Financial Reporting of Interests in Joint Ventures" issued by ICAI.

3) REVENUE RECOGNITION:

3.1 Banking entities:

(a) Income/Expenditure is recognised on accrual basis, unless otherwise stated. In respect of foreign offices, income/ expenditure is recognised as per local laws/ standards of host country.

(b) Interest income is recognised on time proportion basis except interest on Non-performing Assets.

(c) Commission on issue of Bank Guarantee and Letter of Credit is recognised over the tenure of BG/LC.

(d) All other Commission and Exchange, Brokerage, Fees and other charges are recognised as income on realisation.

(e) Income (other than interest) on investments in "Held to Maturity" category acquired at a discount to the face value, is recognised as follows:

i. on interest bearing securities, it is recognised only at the time of sale/ redemption.

ii. on zero-coupon securities, it is accounted for over the balance tenor of the security on a constant yield basis.

(f) Profit or loss on sale of investments is recognised in the Profit and Loss account. As per RBI guidelines, in case of profit on sale of investments under 'Held to Maturity' category, an equivalent amount (net of taxes and amount required to be transferred to Statutory Reserves) is appropriated to 'Capital Reserve Account'.

(g) Dividend income is recognised when the right to receive the dividend is established.

(h) Interest income on Income-tax refund is recognised in the year of passing of assessment order.

(i) Appropriation of recoveries in NPAs:

In respect of NPAs, recoveries effected except through a.) compromise settlement /special OTS, b.) Judgement of a Court/DRT/NCLT and c.) Assignment to ARC's/SC's are to be made in the following order:-

- Charges debited to borrower's account
- Expenses/out of pocket expenses incurred but not debited
- Unrealised interest
- Uncharged interest
- Principal

In other cases, the recoveries made are appropriated as per the order of relevant authority.

3.2 गैर बैंकिंग निकाय-बीमा:

क) प्रीमियम आय:

देय होने पर, गैर-लिंक्ड व्यवसाय के लिए, राइडर प्रीमियम सहित प्रीमियम को आय के रूप में निर्धारित किया जाता है। सहायक इकाइयों के सृजित होने पर, लिंक्ड व्यवसाय के लिए प्रीमियम को निर्धारित किया जाता है। यथा लागू वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) काटकर, प्रीमियम को निर्धारित किया जाता है।

ऐसे उत्पाद जिनकी सीमित प्रीमियम भुगतान अवधि तथा/या पूर्व निर्धारित पॉलिसी अवधियों के साथ नियमित प्रीमियम भुगतान योजनाएँ हैं, उन्हें नियमित कारोबार माना जाता है तथा प्रीमियम का वर्गीकरण समुचित रूप से प्रथम वर्ष तथा नवीकरण के रूप में किया जाता है।

व्यपगत पॉलिसी पर प्रीमियम को आय के रूप में निर्धारित किया जाता है, जब पॉलिसियाँ पुन: आरंभ की जाती हैं।

लिंक्ड कारोबार में टॉप-अप प्रीमियम को एक सिंगल प्रीमियम माना जाता है तथा सहायक इकाइयाँ सृजित करने पर उन्हें आय के रूप में माना जाता है।

पीएमजेजेबीवाई के मामले में प्रीमियम को, मध्यवर्तियों को देय सम्पूर्ण प्रशासनिक प्रभार तथा व्ययों की प्रतिपूर्ति (यथा लागू) को हटाकर निर्धारित किया जाता है।

ख) पॉलिसी के विरुद्ध ऋणों पर ब्याज, उपचय के आधार पर निर्धारित किए जाते हैं।

ग) अन्य आय को तब निर्धारित किया जाता है जब कंपनी अंतिम वसूली के लिए पर्याप्त रूप से निश्चित होती है।

घ) निवेश पर ब्याज आय उपचय के आधार पर पहचानी जाती है। इसका अपवाद अनर्जक निवेशों पर ब्याज आय है जिसे यथा निर्दिष्ट आईआरडीएआई दिशा-निर्देशों की प्राप्ति पर निर्धारित किया गया है।

ङ) परिशोधित आय/लागत:

गैर-लिंक्ड निवेशों से संबंधित कर्ज प्रतिभूति/निश्चित आय प्रतिभूति के संबंध में अधिग्रहण पर प्रीमियम या डिस्काउन्ट, जैसा भी मामला हो, को परिपक्वता/धारित अवधि पर सीधी रेखा आधार पर परिशोधित किया जाता है।

च) लाभांश:

उद्धृत शेयरों के लिए लाभांश आय, पूर्व-लाभांश तारीख को पहचानी जाती है तथा गैर-उद्धृत शेयरों के लिए लाभांश आय तब पहचानी जाती है जब लाभांश प्राप्त करने का अधिकार स्थापित हो जाता है।

छ) लिंक्ड निधियों से आय:

पॉलिसी की निबंधन एवं शर्तों के अनुसार लिंक्ड निधियों से निधि प्रबंधन शुल्क, पॉलिसी प्रशासनिक शुल्क, मॉर्टैलिटी शुल्क आदि सहित लिंक्ड निधियों से आय वसूली जाती है तथा देय होने पर निर्धारित की जाती है।

3.2 Non-Banking entities- Insurance:

a) Premium Income:

Premium including rider premium for non-linked business is recognised as income when due from policyholders. Premium for linked business is recognised when the associated units are created. Premium is recognised net of Goods and Services Tax (GST) as applicable.

Products having regular premium paying plans with limited premium payment term and/or pre-determined policy terms are treated as a regular business with the due classification of premium into the first year and renewal. Premium income on products other than aforesaid is classified as a single premium.

Premium on lapsed policies is recognised as income when such policies are reinstated.

Top up premium under linked business is considered as single premium and recognised as income when the associated units are created.

Premium in case of PMJJBY Scheme is recognised at Gross of administrative charges and reimbursement of expenses (as applicable) payable to intermediaries.

b) Interest on loans against policies is recognized on accrual basis.

c) Other income recognised when due, where the company is reasonably certain of ultimate collection.

d) Interest income on investments is recognised on accrual basis except interest income on non-performing investments, which is recognised upon receipt as specified in IRDAI guidelines.

e) Amortised Income/Cost:

Premium or discount on acquisition, as the case may be, in respect of debt securities/fixed income securities, pertaining to non-linked investments is amortized on straight line basis over the period of maturity/holding.

f) Dividend:

Dividend income for quoted shares is recognised on ex-dividend date, for non-quoted shares dividend income is recognised when the right to receive dividend is established.

g) Income from linked funds:

Income from linked funds which includes fund management charges, policy administrative charges, mortality charges, other charges, wherever applicable, are recovered from the linked funds in accordance with the terms and conditions of policy and recognised on due basis.

ज) **लिंक्ड कारोबार हेतु ऋण प्रतिभूतियों पर प्राप्त लाभ/(हानि):**

व्यय को छोड़कर बिक्री तथा बही लागत का अंतर लिंक्ड व्यवसाय के लिए कर्ज प्रतिभूतियों पर प्राप्त लाभ/(हानि) है। इसे बिक्री की तारीख पर भारित औसत आधार पर, परिकलित किया जाता है।

झ) **असम्बद्ध कारोबार हेतु ऋण प्रतिभूतियों पर प्राप्त लाभ/(हानि) :**

व्यय को छोड़कर बिक्री तथा परिशोधन लागत का अंतर, असम्बद्ध व्यवसाय के लिए कर्ज प्रतिभूतियों पर प्राप्त लाभ/(हानि) है। इसे बिक्री की तारीख पर भारित औसत आधार पर परिकलित किया जाता है।

ञ) **इक्विटी शेयर/म्यूचुअल फंड/एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (ईटीएफ)/ अतिरिक्त टियर 1 बॉण्ड (एटी 1) / इन्फ्रास्ट्रक्चर इनवेस्टमेंट ट्रस्ट (आईएनवीआईटी)/रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट(आरईआईटी)/की** बिक्री पर लाभ/हानि:

व्यय को हटाकर बिक्री तथा बिक्री के दिन भारित औसत आधार पर निर्धारित बही लागत का अंतर, इक्विटी शेयर/म्यूचुअल फंड इकाइयों/ईटीएफ/अतिरिक्त टियर 1 परपेचुअल बॉण्ड/ आईएनवीआईटी/ आरईआईटी की बिक्री पर लाभ/(हानि) है तथा बही मूल्य की गणना बिक्री की तारीख पर भारित औसत आधार पर की जाती है।

गैर-लिंक्ड व्यवसाय के मामले में ''उचित मूल्य परिवर्तन खाते'' के अंतर्गत, पूर्व में निर्धारित उचित मूल्य में उपचित परिवर्तन, लाभ/(हानि) में शामिल हैं।

ट) **लिंक्ड कारोबार के लिए अप्राप्त लाभ/(हानि):**

लिंक्ड कारोबार के लिए अप्राप्त लाभ और हानि को संबंधित निधि के राजस्व खाते में निर्धारित किया जाता है।

ठ) **उधार पर प्रतिभूति लेने और देने से आय:**

उधार पर प्रतिभूति लेने और देने (एसएलबी) की व्यवस्था के अंतर्गत इक्विटी शेयर को देने पर प्राप्त फीस को देने की अवधि के लिए सीधी रेखा आधार पर परिशोधित किया जाता है।

ड) **प्रदत्त पुनर्बीमा प्रीमियम:**

पुनर्बीमा करने वाले के साथ प्रासंगिक समझौतों के निबंधन एवं शर्तो के अनुसार प्रीमियम आय के निर्धारण के समय दिये गये पुनर्बीमा प्रीमियम को लेखांकित किया जाता है। पुनर्बीमा पर दिये गये प्रीमियम के विरुद्ध पुनर्बीमा पर दिये गये लाभ/कमीशन को घटा दिया जाता है।

3.3 गैर बैंकिंग गतिविधियाँ - म्यूचुअल फंड और ट्रस्टी सेवाएं:

क) निवेश प्रबंधन करार के अनुसार, उपचय आधार पर, म्यूचुअल फंड योजना से प्रबंधन फीस का लेखांकन किया जाता है तथा जैसा की बीओआई म्यूचुअल फण्ड की योजना के द्वारा रिकॉर्ड किया गया है, यह निवल आस्ति मूल्य पर आश्रित है।

h) **Realized Gain/ (Loss) on Debt Securities for Linked Business:**

Realized gain/(loss) on debt securities for linked business is the difference between the sale consideration net of expenses and the book cost, which is computed on weighted average basis, as on the date of sale.

i) **Realized Gain/ (Loss) on Debt Securities for Non-Linked Business:**

Realized gain/(loss) on debt securities for other than linked business is the difference between the sale consideration net of expenses and the amortized cost, which is computed on a weighted average basis, as on the date of sale.

j) **Profit/ (Loss) on sale of Equity Shares/ Mutual Fund/ Exchange Traded Funds (ETFs)/ Additional Tier 1 Bonds (AT 1)/ Infrastructure Investment Trust (InvIT)/ Real Estate Investment Trust (REIT) :**

Profit/ (Loss) on sale of equity shares/ mutual fund units/ ETFs/ Additional Tier 1 Perpetual Bonds/ InvIT/ REIT is the difference between the sale consideration net of expenses and the book cost computed on weighted average basis as on the date of sale.

In respect of non-linked business the Profit/(Loss) includes the accumulated changes in the fair value previously recognized under "Fair Value Change Account".

k) **Unrealized Gain/ (Loss) for Linked Business:**

Unrealized gains and losses for Linked Business are recognised in the Revenue account of respective fund and shown under transfer / Gain on revaluation / change in fair value.

l) **Income from Security Lending and Borrowing:**

Fees received for lending of equity shares under Securities Lending and Borrowing (SLB) mechanism is amortized on a straight-line basis over the period of lending.

m) **Reinsurance Premium ceded:**

Reinsurance Premium ceded is accounted for on due basis at the time of recognition of premium income in accordance with the terms and conditions of the relevant treaties with the reinsurers. Profit/ commission on reinsurance ceded is netted off against premium ceded on reinsurance.

3.3 Non-Banking entities – Mutual Fund and Trustee Services:

a) Management fees from the scheme of mutual fund are accounted on an accrual basis in accordance with the investment management agreement and are dependent on the net asset value as recorded by the schemes of BOI Mutual fund.

ख) ट्रस्टी फीस को उस सीमा तक निर्धारित किया जाता है जिस सीमा तक यह संभव है कि आर्थिक लाभ कंपनी को प्राप्त होगा तथा बैंक ऑफ इंडिया म्यूचुअल फंड के साथ आय को भरोसापूर्वक प्राप्त किया जा सकता है।

ग) व्यापार की तारीख को, निवेश की बिक्री पर लाभ या हानि को, लाभ/हानि खाते में अंकित किया जाता है और एएस-13 के अनुसार विशेष प्रतिभूति हेतु भारित औसत आधार पर उसका निर्धारण किया जाता है।

3.4 गैर-बैंकिंग संस्था - मर्चेंट बैंकिंग सेवाएं:

(क) कूपन वाली डेट प्रतिभूतियों के आउटराइट आधार पर खरीद या बिक्री में भुगतान या प्राप्ति पर कुल राशि, मूलधन राशि तथा उपचित ब्याज के रूप में अलग-अलग पहचाना जाएगा। ऐसी प्रतिभूति की खरीद पर उपचित / भुगतान राशि तथा बिक्री पर प्राप्त राशि, ब्याज के माध्यम से ब्याज या आय के रूप में घटाई तथा परिकलित की जाएगी।

(ख) यदि कंपनी के द्वारा किसी अंडररिटन इश्यू के संबंध में इक्विटी शेयरों का कुछ डिवोल्वमेंट होता है तो इसे निवेश माना जायेगा। इन निर्गमों पर अंडरराइटिंग आय, लाभ हानि खाते में जमा की जायेगी तथा निवेश के वैल्यू के विरुद्ध नहीं घटाई जायेगी।

(ग) सेकेन्ड्री मार्केट परिचालन पर अर्जित ब्रोकरेज तथा कमीशन, कारोबार की तारीख के आधार पर निर्धारित किये जायेंगे। ऑनलाइन पोर्टल परिचालन पर ब्रोक्रेज, कारोबार की तारीख पर निर्धारित किये जायेंगे। इश्यू मार्केटिंग तथा संसाधन संग्रहण के संबंध में ब्रोकरेज तथा कमीशन उपलब्ध जानकारी की सीमा तक उपचित किये जायेंगे। डिपोजिटरी, पोर्टफोलियो प्रबंधन, निवेश बैंकिंग तथा अन्य आयों को उपचय आधार पर लेखांकित किया जायेगा। तुलन पत्र की तारीख तक लाभांश को तब पहचाना जाएगा जब कंपनी का भुगतान प्राप्त करने का अधिकार स्थापित हो जाएगा। सेवा कर जहां भी वसूली गया है उसे राजस्व से हटा दिया जाएगा।

(घ) निवेशों की बिक्री पर लाभ को निपटान की तारीख पर पहचाना जाएगा। यह बिक्री/मोचन आगम एवं अधिग्रहण के बीच अंतर को दिखता है। लागत को भारांक औसत आधार पर निर्धारित किया जाएगा। निवेशों की बिक्री पर लाभ को निवेशों की बिक्री पर हानि से घटाया जाएगा।

4) गैर बैंकिंग संस्थाएं - बीमा : अन्य नीतियां

ए. बीमा

क) भुगतान किये गये लाभ:

भुगतान किए गए लाभ में, पॉलिसी लाभ तथा दावा निपटान लागत, यदि कुछ हो तो, शामिल है।

सूचना की प्राप्ति पर, मृत्यु, राइडर तथा अभ्यर्पण दावे, लेखांकित किये जाते हैं। सम्बद्ध व्यवसाय के अंतर्गत सरेन्डर में व्ययगत पॉलिसियों पर भुगतान योग्य राशि भी शामिल है जो लॉक इन अवधि की समाप्ति पर लेखांकित की जाती है। लॉक इन अवधि के समाप्ति के बाद पॉलिसी को पुनर्जीवित नहीं किया जा सकता। सरेंडर और समापन को निवल प्रभार के आधार पर लेखाकृत किया जाता है।

देय होने पर उत्तरजीविता, परिपक्वता तथा वार्षिक लाभ के दावे लेखांकित होते हैं।

जिस अवधि में संबंधित दावों का निपटान किया जाता है, उसी में पुनर्बीमा वसूलियों का लेखांकन किया जाता है।

b) Trusteeship fees from the schemes of the mutual fund are accounted on an accrual basis as per SEBI regulations & in accordance with the Trust Deed and are dependent on the net asset value as recorded by the schemes of Bank of India Mutual Fund.

c) Profit or loss on sale of investment is recognised in the Profit & Loss Account on the trade date and determined on weighted average basis for individual security as per AS-13.

3.4 Non-Banking entities– Merchant Banking Services:

a) Total consideration paid or received on purchase or sale, on outright basis, of coupon-bearing debt securities shall be identified separately as principal consideration and accrued interest. Amount paid as accrued interest on purchase, and received on sale, of such securities shall be netted and reckoned as expense or income by way of interest.

b) Devolvement of equity shares in respect of issues underwritten if any by the company shall be treated as investments. Underwriting income on these issues shall be credited to profit and loss account and shall not be netted against the value of investments.

c) Brokerage and commission earned on secondary market operations shall be recognized on the basis of trade dates. Brokerage on online portal operations shall be recognized on the basis of trade dates. Brokerage and commission in respect of issue marketing and resource mobilization shall be accrued to the extent of availability of information. Depository, Portfolio Management, Investment Banking and other fees shall be accounted for on accrual basis. Dividend shall be recognised when the company's right to receive payment shall be established by the balance sheet date. Revenue shall exclude Service Tax, wherever recovered.

d) Profit on Sale of Investments shall be recognized on the settlement date. It represents the excess of Sale/Redemption proceeds over the acquisition cost. Cost shall be determined on a weighted average basis. Profit on sale of Investments shall be netted with loss on sale of Investments.

4) NON BANKING ENTITIES: Other Policies:

A. Insurance:

a) Benefits paid:

Benefits paid comprise of policy benefits & claim settlement costs, if any.

Death, rider, surrender & withdrawal claims are accounted for on receipt of intimation. Under linked Business, surrender also includes amount payable on lapsed/discontinued policies which are accounted for on expiry of lock in period. Surrenders and terminations are accounted net of charges.

Survival, maturity and annuity benefit claims are accounted for when due.

Reinsurance recoveries on claims are accounted for, in the same period as that of the related claims.

न्यायिक प्राधिकरणों के समक्ष विवादित दावे, विवेक के आधार पर निर्धारित किये जाते हैं, जैसा कि प्रबंधन, प्रत्येक ऐसे दावे के संबंध में तथ्यों तथा परिस्थितियों के आधार पर उचित समझता है।

ख) अधिग्रहण लागत:

अधिग्रहण लागत वह लागत है जो बदलती रहती है तथा यह मुख्य रूप से नये बीमा करारों या उसके नवीनीकरण से संबंधित है तथा इसमें बीमा मध्यवर्तियों को कमीशन, रिवार्ड तथा प्रोत्साहन, बिक्री स्टाफ लागत, चिकित्सा जांच लागत, पॉलिसी प्रकाशन व्यय, स्टांप ड्यूटी तथा अन्य संबंधित खर्च शामिल हैं। इन्हें उस अवधि में खर्च किया गया माना जाता है जिसमें ये होते हैं।

भुगतान किय गये कमीशन के लिए, भविष्य में वापसी, यदि कुछ हो तो, उसी वर्ष में लेखांकित की जाती है, जिस वर्ष में वह प्राप्त होती है।

ग) पॉलिसी देयताएं:

वर्तमान पॉलिसीधारकों के हितों की रक्षा के लिए मूल्यांकन कवायद की जाती है। सलाभ नीतियों के लिए पॉलिसीधारकों की यथोचित अपेक्षाओं (पीआरई) पर भी विचार होता है। भविष्य की विभिन्न परिस्थितियों में सभी पॉलिसीधारकों को लाभ देने के लिए पर्याप्त आरक्षितियाँ रखी जाती हैं। प्रतिकूल विचलन के लिए मार्जिन (एमएडी) का प्रयोग यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है कि किसी संभावित विपरीत परिस्थितियों में भी पॉ लिसीधारक के हित की रक्षा सुनिश्चित की जाए।

लागू पॉलिसियों के लिए बीमांकित देयता प्रीमियम पद्धति से तथा समूह व्यवसाय (क्रेडिट लाइफ व्यवसाय तथा रिवर्स बंधक ऋण सक्षम वार्षिकी को छोड़कर जहां सकल प्रीमियम पद्धति का प्रयोग होता है) के मामले में, अनर्जित प्रीमियम रिवर्स पद्धति से बीमांकित देयता परिगणित होती है। सम्बद्ध देयताओं में यूनिट देयता तथा गैर-यूनिट देयता शामिल है। यूनिट देयता, पॉलिसी का निधि मूल्य प्रदर्शित करती है तथा गैर-यूनिट देयता बीमा दावा व्यय आदि के लिए है। मूल्यांकन के लिए शासित मुख्य दिशा-निर्देश हैं - बीमा अधिनियम 1938, आईआरडीए अधिनियम 1999, आईआरडीए (बीमांकिक रिपोर्ट एवं जीवन बीमा व्यवसाय के लिए सारांश) विनियम, 2016, आईआरडीएआई (जीवन बीमा व्यवसाय के लिए आस्तियां, देयताएं तथा शोधन क्षमता मार्जिन) विनियम 2016, भारतीय बीमांकिक संगठन द्वारा जारी बीमांकिक व्यवसाय मानक तथा मार्गदर्शन नोट्स एवं आईआरडीएआई द्वारा समय-समय पर जारी परिपत्र।

घ) ऋण:

बही मूल्य (चुकौतियों को हटाकर) तथा पूँजीगत ब्याज का समायोजन कर पॉलिसी के बदले ऋण का मूल्यांकन किया जाता है तथा यह किसी भी मूल्यह्रास, यदि कुछ हो तो, के अधीन है। 12 माह से कम परिपक्वता के मामले में ऋणों को अल्पावधि में वर्गीकृत किया जाता है। अल्पकालिक ऋणों को छोड़कर, अन्य ऋण, दीर्घावधि ऋण में वर्गीकृत किए जाते हैं।

ङ) भविष्य में विनियोजन के लिए निधि:

सहभागिता खण्ड में, भविष्य में विनियोजनों के लिए निधि (एफएफए), ऐसी निधि को प्रदर्शित करती है जो तुलन पत्र की तारीख को पॉलिसीधारकों या शेयरधारकों को आबंटित नहीं की गयी है। इस निधि में अंतरण

Claims disputed before judicial authorities are provided for on prudent basis as considered appropriate by management based on facts and circumstances in respect of each such claim.

b) Acquisition Costs:

Acquisition costs are costs that vary with and are primarily related to acquisition of new and renewal insurance contracts and consist of cost like commission to insurance intermediaries, rewards and incentives, sales staff costs, medical examination costs, policy printing expenses, stamp duty and other related expenses. These are expensed in the period in which they are incurred.

Claw back in future, if any, for the commission paid, is accounted for in the year in which it is recovered.

c) Policy Liabilities:

The valuation exercise is done to protect the interests of the existing policyholders. For With Profit policies the reasonable expectations of policyholders (PRE) are also considered. Adequate reserves are made for all the policyholder's benefits for various future scenarios. Adequate use of Margin for Adverse Deviation (MAD) is made to ensure that policyholders' benefits are protected even in some plausible adverse scenarios.

Actuarial liability for in force policies and for those in respect of which premium has been discontinued but a liability exists, is determined using the gross premium method and in case of group business (except for Credit Life Business and Reverse Mortgage Loan Enabled Annuity where gross premium method is used), the actuarial liabilities have been calculated on the basis of Unearned Premium Reserve method. Linked liabilities comprise unit liability representing the fund value of policies and non-unit liability for meeting insurance claims, expenses etc. The main governing guidelines considered for valuation are the Insurance Act 1938, the IRDA Act 1999, IRDAI (Actuarial Report & Abstract for Life Insurance Business) Regulations, 2016, IRDAI (Assets, Liabilities and Solvency Margin of Life Insurance Business) Regulations 2016, Actuarial Practice Standards and Guidance notes issued by Institute of Actuaries of India, Circulars issued by IRDAI from time to time.

d) Loans:

Loans against policies are valued at the aggregate of book values (net of repayments) plus capitalized interest and are subject to impairment if any. Loans are classified as short term in case the maturity is less than 12 months from the date of balance sheet. Loans other than short term are classified as long term.

e) Funds for Future Appropriation:

The Funds for Future Appropriations (FFA), in the participating segment, represents surplus, which is

तथा निधि से अंतरण, अधिकता या व्यय से कम आय तथा कंपनी के पॉलिसीधारक की निधि से प्रत्येक लेखांकन अवधि में निकलने वाले विनियोजन को प्रदर्शित करता है। सहभागिता करने वाली पॉलिसियों के संबंध में पॉलिसीधारक को कोई भी आबंटन आवश्यक अनुपात में शेयरधारक के लाभ और हानि खाते में भी अंतरण को आवश्यक करेगा।

च) बंद पॉलिसी निधि:

बंद पॉलिसी निधि का अर्थ है पृथक् निधि, जिसे निम्नलिखित कारणों से अलग रखा गया है :

i) अनुबंधित प्रीमियम का भुगतान न करना।

ii) पॉलिसी के बंद करने के विषय में पॉलिसीधारक से कंपनी द्वारा सूचना प्राप्त होने पर।

बंद की गयी पॉलिसियों के लिए निधि का भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बंद की गयी सम्बद्ध बीमा पॉलिसी के साथ व्यवहार) विनियम, 2010 तथा उसके बाद जारी परिपत्रों के अनुसार लेखांकन किया जाता है।

छ) पॉलिसीधारकों की दावा न की गई राशि:

आईआरडीएआई परिपत्र सं. आईआरडीएआई/एफ एवं ए/सीआईआर/जीएलडी/195/08/124 दिनांक 14 अगस्त, 2014, आईआरडीए/एफ एवं ए/सीआईआर/सीपीएम/134/07/2015 दिनांक 24 जुलाई, 2015, आईआरडीए/एफ एवं ए/सीआईआर/सीएलडी/114/05/2015 दिनांक 28 मई, 2015, पॉलिसीधारकों की दावा न की गई राशि संबंधी मास्टर परिपत्र संस्करण: 02 आईआरडीए/एफ एवं ए/सीआईआर/विविध/282/11/2020 दिनांक 17 नवंबर, 2020 और समय-समय पर यथा संशोधित निवेश विनियम, 2016 की अपेक्षाओं के अनुरूप पॉलिसीधारकों की दावा न की गई राशि के लिए अदावाकृत आस्तियों को रखा गया है और उन्हें निम्नानुसार प्रबंधित किया गया है:

i. पॉलिसीधारकों की दावा न की गई राशि का निवेश मुद्रा बाज़ार लिखतों, लिक्विड म्यूचुअल फंड और/या अनुसूचित बैंकों की मीयादी जमाराशियों में किया जाता है जिसे पूर्व की लागत से वैल्यू किया जाता है, यह परिपक्वता/धारिता की अवधि/सीधी रेखा आधार पर प्रीमियम के परिशोधन या छूट की अनुवृद्धि के अध्यधीन है।

ii. पॉलिसीधारकों की दावा न की गई राशि पर प्राप्त आय को संबंधित दावा न किए गए फंड में जोड़ दिया जाता है और फंड प्रबंधन प्रभारों को घटाकर उपचय आधार पर लेखांकन किया जाता है।

iii. पॉलिसीधारकों की दावा न की गई राशि की देयता यथा वैल्यूएशन तारीख को बकाया इकाइयों के एनएवी के आधार पर निर्धारित की जाती है।

बी. म्यूचुअल फंड एवं ट्रस्टी सेवाएँ:

i. निधि व्यय

बैंक ऑफ इंडिया म्यूचुअल फंड की योजनाओं को लॉंच करने संबंधी व्ययों को कंपनी अवशोषित करती है तथा ऐसे व्यय सेबी विनियमों के अनुसार अनुमति प्राप्त हैं।

ii. ब्रोकरेज

नियतकालिक योजनाओं पर भुगतान किया गया अपफ्रंट ब्रोकरेज योजना की अवधि पर परिशोधित किया जाता है। ब्रोकरेज का अपरिशोधित हिस्सा पूर्वभुगतान व्यय के रूप में अग्रेषित किया जाता है। कोई अन्य

not allocated to policyholders or to shareholders as at the Balance Sheet date. Transfers to and from the fund reflect the excess or deficit of income over expenses and appropriations in each accounting period arising in the Company's policyholders' funds. Any allocation to the participating policyholders would also give rise to a transfer to the shareholder's profit and loss account in the required proportion.

f) Discontinued Policies fund:

Discontinued policy fund means the segregated fund that is set aside on account of:

a) Non-payment of contracted premium

b) Upon the receipt of the information by the Company from the policyholder about the discontinuance of the policy.

Fund for discontinued policies is accounted in accordance with the Insurance Regulatory and Development Authority of India (Treatment of Discontinued Linked Insurance Policies) Regulations 2010 and circulars issued thereafter.

g) Unclaimed amount of policyholders:

Assets held for unclaimed amount of policyholders is created and maintained in accordance with the requirement of IRDAI circular No. IRDA/F&A/CIR/GLD/195/08/124 dated August 14, 2014, IRDA/F&A/CIR/CPM/134/07/2015 dated July 24, 2015, IRDA/F&A/CIR/CLD/114/05/2015 dated May 28, 2015, Master circular on Unclaimed Amount of Policyholders Ver 02 IRDA/F&A/CIR/Misc/282/11/2020 dated November 17, 2020 and Investment Regulations, 2016 as amended from time to time:

i. Unclaimed amount of policyholders is invested in money market instruments, Liquid mutual funds and/ or fixed deposits of scheduled banks which is valued at historical cost, subject to amortisation of premium or accretion of discount over the period of maturity/holding on a straight line basis.

ii. Income on unclaimed amount of policyholders is accreted to respective unclaimed fund and is accounted for on an accrual basis, net of fund management charges.

iii. Unclaimed amount of policyholders' liability is determined on the basis of NAV of the units outstanding as at the valuation date

B. Mutual fund and Trustee services:

i. Fund expenses

The Company absorbs the expenses relating to the launch of the schemes of Bank of India Mutual Fund and such expenses which are allowed as per the SEBI regulations.

ii. Brokerage

Upfront brokerage paid on the closed ended scheme is amortised over the tenure of the scheme. The

ब्रोकरेज उस अवधि में व्यय किया गया माना जाता है जिसमें वह किया जाता है। 22 अक्टूबर, 2018 से प्रभावी होकर ब्रोकरेजों का वहन म्यूचुअल फंड द्वारा किया जाता है।

5) अग्रिम:

i. लागू विनियामक दिशानिर्देशों के अनुसार अग्रिमों को ''अर्जक'' और ''अनर्जक अग्रिमों'' (एनपीए) के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

ii. इसके अतिरिक्त, लागू विनियामक दिशानिर्देशों के अनुसार अनर्जक आस्तियों (एनपीए) को अवमानक, संदिग्ध तथा हानि प्राप्त आस्तियों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

iii. घरेलू शाखाओं के संबंध में एनपीए से संबंधित प्रावधान, निम्नलिखित दर पर किये जाते है:

unamortised portion of the brokerage is carried forward as prepaid expense. Any other brokerage is expensed out in the period in which it is incurred. W.e.f from Oct 22, 2018 brokerages are borne by Mutual Fund.

5) ADVANCES:

i. Advances are classified into "Performing" and "Non-Performing Advances" (NPAs) in accordance with the applicable regulatory guidelines.

ii. NPAs are further classified into Sub-Standard, Doubtful and Loss Assets in terms of applicable regulatory guidelines.

iii. In respect of domestic entities, NPA Provisions are made at the rates given as under:

एनपीए की श्रेणी	Category of NPAs	निवल बकाया अग्रिम पर प्रावधान का प्रतिशत Provision % on net outstanding advance
अवमानक आस्ति: *	Sub Standard:*	
एक्सपोज़र, जो आरंभ से गैर जमानती है	Exposures, which are unsecured ab-initio	25%
आधारभूत संरचना ऋण खातों के संबंध में प्रतिभूति रहित एक्सपोज़र जहाँ कुछ सुरक्षा प्रावधान, जैसे एस्क्रो खाते उपलब्ध हैं (गैर प्रतिभूति-इंफ्रा)	Unsecured exposure in respect of infrastructure loan accounts where certain safeguards such as escrow accounts are available (unsecured – infra)	20%
अन्य	Others	15%
संदिग्ध	Doubtful:	
जमानती हिस्सा (उस अवधि के लिए जिसके दौरान अग्रिम संदिग्ध श्रेणी में ही रहा)	Secured portion (Period for which advance has remained in doubtful category)	
- एक वर्ष तक	- Upto one year	25%
- एक वर्ष से तीन वर्ष तक	- One year to three years	40%
- तीन वर्ष से अधिक	- More than three years	100%
ख) गैर जमानती हिस्सा	Unsecured portion	100%
हानि	Loss	100%

* बकाया अग्रिम पर

iv. विदेशी शाखाओं के संबंध में, अग्रिमों का एनपीए के रूप में वर्गीकरण और एनपीए के संबंध में प्रावधान संबंधित विदेशी देश में लागू विनियामक आवश्यकताओं अथवा बैंक के लिए लागू दिशानिर्देशों के अनुसार, इनमें से जो भी कड़े हो, उसके अनुसार होगी।

v. भारतीय रिज़र्व बैंक के मानकों के अनुसार निवल अग्रिम के परिकलन हेतु कुल अग्रिमों में से अनर्जक आस्तियों, अप्राप्य ब्याज, इसीजीसी दावा इत्यादि के संबंध में प्रावधान घटाएं जाते हैं।

vi. भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार पुनर्निधारित/पुन:संरचित खातों के संबंध में विद्यमान मूल्य स्थिति में आकलित पुनर्संरचित अग्रिम के मूल्य में ह्रास के परित्याग के लिए प्रावधान किया जाता है। निवल अग्रिम के परिकलन हेतु इस प्रावधान को घटाया जाता है।

vii. आस्ति पुनर्गठन कंपनी (एआरसी)/प्रतिभूतिकरण कंपनी (एससी) को वित्तीय आस्तियां बेचे जाने के मामले में यदि बिक्री, निवल बही मूल्य (एनबीवी) (अर्थात् बकाया में से धारित प्रावधान घटाकर) से कम है तो कमी को आरबीआई के समय-समय पर जारी वर्तमान दिशा-निर्देशों के अनुसार लाभ एवं हानि खाते में नामे किया जाता है। यदि बिक्री का मूल्य निवल बही मूल्य (एनबीवी) से अधिक है तो जिस वर्ष राशि प्राप्त होती है उस वर्ष में एनपीए की बिक्री पर किए गए अतिरिक्त प्रावधान को लाभ एवं हानि खाते से वापस किया जा सकता है। परंतु अतिरिक्त प्रावधान तब ही वापस किया जाता है जब प्राप्त नकद (केवल आरंभ में विचारित

* On the outstanding advance

iv. In respect of foreign entities, classification of advances as NPAs and provision in respect of NPAs is made as per the regulatory requirements prevailing at the respective foreign countries or as per guidelines applicable to bank, whichever is stringent.

v. Provisions in respect of NPAs, unrealised interest, ECGC claims, etc., are deducted from total advances to arrive at net advances as per RBI norms.

vi. In respect of Rescheduled/Restructured advances, provision is made for the diminution in the fair value of restructured advances measured in present value terms as per RBI guidelines. The said provision is reduced to arrive at Net advances.

vii. In case of financial assets sold to Asset Reconstruction Company (ARC) / Securitisation Company (SC), if the sale is at a price below the net book value (NBV), (i.e. outstanding less provision held) the shortfall is debited to the Profit and Loss account as per the extant RBI guidelines issued from time to time. If the sale is at a price higher than the NBV, the excess provision on sale of NPAs may be reversed to profit and loss account in the year the amount is received. However, any excess

या एसआर/पीटीसी रिडेंपशन के द्वारा) आस्ति के निवल बही मूल्य (एनबीवी) से ज्यादा हो। परंतु कोई भी अतिरिक्त प्रावधान को तभी रिवर्स किया जाता है जब आस्ति का निवल बही मूल्य(एनबीवी) प्राप्त नकदी (केवल प्रारंभिक प्रतिफल द्वारा/अथवा एसआरएस/पीटीसी का रीडेम्पशन) से अधिक होगा। अतिरिक्त प्रावधान का रिवर्सल आस्ति के एनबीवी से अधिक प्राप्त नकदी की सीमा तक सीमित होगा।

viii. मानक आस्तियों के रूप में वर्गीकृत पुन:संरचित अग्रिमों सहित मानक आस्तियों का प्रावधान भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाता है। विदेशी शाखाओं के मामलों में मानक आस्तियों के लिए प्रावधान, संबन्धित विदेशी देशों में लागू विनियामक आवश्यकताओं के अनुसार अथवा घरेलू शाखाओं के लिए लागू दिशानिर्देशों के अनुसार, इनमें से जो भी कड़े हों, उसके अनुसार होगा।

ix. भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार निवल निधिक देशी एक्सपोज़र के लिए श्रेणीबद्ध स्केल पर प्रावधान किया जाता है।

6) अस्थायी प्रावधान:

बैंक में अस्थायी प्रावधान का सृजन करने और उसका उपयोग करने की नीति है। प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में सृजित की जाने वाली अस्थायी प्रावधान की मात्रा का निर्धारण किया जाता है। अस्थायी प्रावधान का उपयोग, नीति में निर्धारित केवल असाधारण परिस्थितियों के अंतर्गत आकस्मिकताओं के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक की पूर्व अनुमति से अथवा किसी निर्दिष्ट उद्देश्य के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा दी गई विशेष अनुमति से ही किया जाता है। शुद्ध एन.पी.ए तक पहुंचने के लिए इन प्रावधानों को सकल एन.पी.ए से घटाया जाता है।

7) डेबिट/क्रेडिट कार्ड रिवार्ड प्वाइंट:

बैंक के डेबिट कार्ड धारकों के संबंध में रिवार्ड पॉइंट का प्रावधान एक्चवेरीयल आकलन के आधार किया जाता है और क्रेडिट कार्ड पर रिवार्ड पॉइंट के लिए प्रावधान संचित बकाया पॉइंट के आधार पर किया जाता है।

8) निवेश:

I. बैंकिंग निकाय:

क सरकारी प्रतिभूतियों में संव्यवहार को निपटान तारीख पर मान्यता दी जाती है और अन्य सभी निवेशों को कारोबार की तारीख पर मान्यता दी जाती है।

ख. निवेशों का वर्गीकरण भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार ''परिपक्वता तक धारित'', ''कारोबार के लिए धारित'' और ''बिक्री हेतु धारित'' श्रेणियों में किया गया है। भारत में किए गए निवेशों के तुलन पत्र की अनुसूची 8 में प्रकटन के उद्देश्य से इन्हें आरबीआई दिशानिर्देशों और बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 के अनुसार (I) भारत में किए गए निवेश को छह वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है जैसे-i) सरकारी प्रतिभूतियाँ, ii) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां, iii) शेयर, iv) डिबेंचर और बॉंड, v) अनुषंगियों और सहायक कंपनियों में निवेश और vi) अन्य तथा (II) ''भारत के बाहर किए गए निवेशों'' को तीन वर्गों में वर्गीकृत किया गया है यथा i) सरकारी प्रतिभूतियाँ, ii) विदेशी सहायक कंपनियों में निवेश, iii) डिबेंचर और बॉंड और iv) अन्य निवेश।

क. वर्गीकरण का आधार

निवेश का वर्गीकरण उसके अर्जन के समय किया जाता है।

(i) परिपक्वता तक धारित

इसमें ऐसे निवेश हैं जिन्हें बैंक परिपक्वता तक रखने का इरादा रखता है। अनुषंगियों, संयुक्त उद्यमों और सहायक कंपनियों में किए

provision is reversed only when the cash received (by way of initial consideration only/or redemption of SR's/PTC) is higher than the net book value (NBV) of the asset. Reversal of excess provision is limited to the extent to which cash received exceeds the NBV of the asset

viii. Provision for Standard assets, including restructured advances classified as standard, is made in accordance with RBI guidelines. In respect of foreign entities provision for Standard Assets is made as per the regulatory requirements prevailing at the respective foreign countries or as per guidelines applicable to the Bank, whichever is stringent.

ix. Provision for net funded country exposures (Direct/ Indirect) is made on a graded scale in accordance with the RBI guidelines.

6) FLOATING PROVISION:

The bank has framed a policy for creation and utilisation of floating provisions. The quantum of floating provisions to be created is assessed at the end of each financial year. The floating provisions are utilised only for contingencies under extraordinary circumstances specified in the policy with prior permission of Reserve Bank of India or on being specifically permitted by Reserve Bank of India for specific purposes. These provisions are netted off from gross NPAs to arrive at Net NPAs.

7) DEBIT/CREDIT CARD REWARD POINTS:

Provision for reward points in relation to debit cards is provided for on actuarial estimates and Provision for reward points on credit cards is made based on the accumulated outstanding points.

8) INVESTMENTS:

I. Banking Entities:

a) Transactions in Government Securities are recognised on settlement date and all other Investments are recognised on trade date.

b) Investments are classified under 'Held to Maturity', 'Held for Trading' and 'Available for Sale' categories as per RBI guidelines. For the purpose of disclosure in the Balance Sheet in Schedule 8, (I) 'Investments in India' are classified under six categories viz. i.) Government Securities, ii.) Other Approved Securities, iii.) Shares, iv.) Debentures and Bonds, v.) Investment in Associates and vi.) Others and (II) 'Investments outside India' are classified under three categories viz. i.) Government Securities, ii) Investment in Associates abroad iii) Debentures and Bonds and iv.) Other Investments.

A. Basis of classification:

Classification of an investment is done at the time of its acquisition.

(i) Held to Maturity:

These comprise investments that the Bank intends to hold till maturity. Investments in

गए निवेश को भी परिपक्वता तक धारित के तहत वर्गीकृत किया जाता है।

(ii) कारोबार के लिए धारित

इसमें ऐसे निवेश है जिन्हें अल्प मीयादी मूल्य/ब्याज दर के उतार-चढ़ाव का लाभ लेते हुए कारोबार के इरादे से अर्जन किया जाता है। खरीद की तारीख से 90 दिनों के अंदर इन्हें बेचा जाना है।

(iii) बिक्री के लिए उपलब्ध ऐसे निवेश जिनका वर्गीकरण ''परिपक्वता तक धारित'' अथवा 'कारोबार के लिए धारित' रूप में नहीं किया हैं, उन्हें इस शीर्ष में रखा गया है।

ख. निवेश की अधिग्रहण लागत

(i) इक्विटी निवेश के अर्जन के लिए भुगतान किए गए ब्रोकरेज, कमीशन, प्रतिभूति संव्यवहार कर इत्यादि लागत में शामिल हैं।

(ii) ब्रोकरेज, कमीशन, डेब्ट निवेश पर भुगतान/प्राप्त किए गए खंडित अवधि के ब्याज को आय/व्यय के रूप में माना गया है और इसे लागत/बिक्री पर विचार करते समय शामिल नहीं किया जाता है।

(iii) निवेशों के अभिदान पर प्राप्त ब्रोकरेज और कमीशन, यदि कुछ हो तो, को लाभ और हानि खाते में जमा किया जाता है।

ग. मूल्यांकन का तरीका

भारत में निवेशों का मूल्यांकन, भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जाता है और विदेशी शाखाओं में रखे गये निवेशों को संबंधित देश में लागू सांविधिक प्रावधानों के अनुसार मूल्य अथवा समय-समय पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार मूल्य, इन दोनों में जो भी कम हो उसके अनुसार किया जाता है।

ट्रेज़री बिलों और अन्य सभी बट्टाकृत लिखतों का मूल्य, कैरिंग कॉस्ट (अर्थात् प्राप्त करने की लागत में, प्राप्त करते समय लागू दर में उपचित बट्टा को जोड़कर) के आधार पर निकाला जाता है।

(i) परिपक्वता तक धारित:

1. इस श्रेणी के तहत निवेशों को उनके अर्जन लागत, परिशोधन को घटाकर, यदि कोई हो, पर लिया जाता है। अंकित मूल्य से अधिक अर्जन लागत, यदि कोई हो, को सतत अर्जन पद्धति का उपयोग कर परिपक्वता की शेष बची अवधि में परिशोधित किया गया है। प्रीमियम का इस प्रकार परिशोधन, आय में ''निवेशों पर ब्याज'' शीर्ष के तहत समायोजित किया जाता है।

2. सहयोगियों में निवेश को आईसीएआई द्वारा जारी लेखांकन मानक 23 के अनुसार लेखांकन की इक्विटी पद्धति के अनुरूप मूल्यांकित किया जाता है। एकल रूप से प्रत्येक निवेश के लिए मूल्यहास, क्षणिक प्रकृति से भिन्न, हेतु उपर्युक्त प्रावधान किया जाता है।

(ii) कारोबार के लिए धारित/बिक्री के लिए उपलब्ध:

1. इस श्रेणी के तहत निवेशों का मूल्यांकन विनियामक दिशानिर्देशों के अनुसार बाजार मूल्य अथवा उचित मूल्य पर एक-एक करके

equity of subsidiaries, joint ventures and associates are also categorised under Held to Maturity.

(ii) Held for Trading:

These comprise investments acquired with the intention to trade by taking advantage of short term price/interest rate movements. Securities are to be sold within 90 days from the purchase date.

(iii) Available for Sale:

These comprise investments which do not fall either under "Held to Maturity" or "Held for Trading" category.

B. Acquisition Cost of Investment:

(i) Brokerage, commission, securities transaction tax, etc. paid on acquisition of equity investments are included in cost.

(ii) Brokerage, commission, broken period interest paid/ received on debt investments is treated as expense/income and is excluded from cost/ sale consideration.

(iii) Brokerage and commission, if any, received on subscription of investments is credited to Profit and Loss Account.

C. Method of valuation:

Investments in India are valued in accordance with the RBI guidelines and investments held at foreign branches are valued at lower of the value as per the statutory provisions prevailing at the respective foreign countries or as per RBI guidelines issued from time to time.

Treasury Bills and all others discounted instruments are valued at carrying cost (i.e. acquisition cost plus discount accrued at the rate prevailing at the time of acquisition)

(i) Held to Maturity:

1. Investments included in this category are carried at their acquisition cost, net of amortisation, if any. The excess of acquisition cost, if any, over the face value is amortised over the remaining period of maturity using constant yield method. Such amortisation of premium is adjusted against income under the head "interest on investments".

2. Investments in associates are valued as per equity method of accounting in accordance with Accounting Standard 23 issued by the ICAI. Suitable provision is made for diminution, other than of temporary nature, for each investment individually.

(ii) Held for Trading / Available for Sale:

1. Investments under these categories are individually valued at the market price or

निर्धारित किया जाता है और प्रत्येक श्रेणी के प्रत्येक वर्गीकरण में केवल निवल मूल्यह्रास लगाया जाता है और निवल मूल्यवृद्धि को ध्यान में नहीं रखा जाता है। मूल्यह्रास के लिए प्रावधान करने पर, बाजार मूल्य को बही में अंकित करने के पश्चात एकल प्रतिभूतियों का बही मूल्य अपरिवर्तित रहता है।

''कारोबार के लिए धारित'' और ''बिक्री के लिए उपलब्ध'' श्रेणियों में उद्धृत किए गए निवेश के मूल्यांकन के प्रयोजन हेतु स्टॉक एक्सचेंज पर बाजार दर/भाव, निर्धारित आय मुद्रा बाजार और डेरिवेटिव संघ (एफआईएमएमडीए)/ फाइनान्शियल बेंचमार्क इंडिया प्रा.लि. (एफबीआईएल) द्वारा घोषित दरों का उपयोग किया जाता है। जिन निवेश के लिए ऐसे दर/भाव उपलब्ध नहीं है उनका मूल्यांकन भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार किया जाता है जो निम्नानुसार है:

वर्गीकरण	मूल्यांकन का आधार
सरकारी प्रतिभूतियां	परिपक्वता आधार के प्रतिफल पर
अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां	परिपक्वता आधार के प्रतिफल पर
इक्विटी शेयर्स, पीएसयू और न्यासी शेयर	ब्रेक अप वैल्यू पर नवीनतम तुलन पत्र (18 महीनों से अधिक पुरानी नही), अन्यथा प्रति कंपनी ₹ 1
अधिमानी शेयर	परिपक्वता आधार के प्रतिफल पर
पीएसयू/कॉर्पोरेट बॉन्ड	परिपक्वता आधार के प्रतिफल पर
म्यूचुअल फंड के यूनिट	नवीनतम पुनर्खरीद मूल्य/प्रत्येक योजना के संबंध में घोषित एनएवी पर
वेंचर पूँजी निधि (वीसीएफ) के यूनिट	18 महीनों से पुरानी नहीं ऐसे लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण के अनुसार घोषित एनएवी अथवा ब्रेक अप एनएवी जो 18 महीनों से ज्यादा पुराने नहीं हैं। यदि एनएवी/लेखा परीक्षित वित्तीय विवरण 18 महीनों से अधिक हेतु उपलब्ध नहीं है तो ₹ 1 प्रति वीसीएफ।
प्रतिभूति रसीद	प्रतिभूतिकरण कंपनियों द्वारा घोषणा के अनुसार एनएवी पर जो 6 माह से अधिक पुरानी न हो।

घ. विभिन्न श्रेणियों के मध्य प्रतिभूतियों का अंतरण:

(i) एचटीएम से एएफएस/एचएफटी:

क. यदि मूलत: प्रतिभूति को किसी डिस्काउंट पर एचटीएम श्रेणी में रखा गया था तो इसे अधिग्रहण कीमत/बही मूल्य पर अंतरित किया जाता है। अंतरण के बाद इन प्रतिभूतियों का तत्काल मूल्यांकन किया जाता है तथा यदि कोई मूल्यह्रास होता है तो उसका लेखांकन किया जाता है।

ख. यदि किसी प्रीमियम पर प्रतिभूति को एचटीएम श्रेणी में रखा गया था तो इसे एमोर्टाइज्ड लागत पर एएफएस/एचएफटी श्रेणी में अंतरित किया जाता है। अंतरण के बाद इन प्रतिभूतियों का तत्काल मूल्यांकन किया जाता है तथा यदि कोई मूल्यह्रास होता है तो उसका लेखांकन किया जाता है।

(ii) एएफ़एस/एचएफटी से एचटीएम में अंतरण : बही मूल्य या बाजार मूल्य में से जो की कम हो, उस पर एएफएस, एचएफटी श्रेणी से एचटीएम श्रेणी में स्क्रिप का अंतरण किया जाता है। यदि अंतरण के समय बाजारमूल्य बही मूल्य से ज्यादा होता है तो बढ़ोतरी को नजरअंदाज किया जाता है। यदि बही मूल्य से बाजार मूल्य कम होता है तो वैसी प्रतिभूति के लिए किये गये मूल्यह्रास के प्रावधान

fair value determined as per Regulatory guidelines and only the net depreciation in each classification for each category is provided for and net appreciation is ignored. On provision for depreciation, the book value of the individual securities remains unchanged after marking to market.

For the purpose of valuation of quoted investments in “Held for Trading” and “Available for Sale” categories, the market rates / quotes on the Stock Exchanges, the rates declared by Fixed Income Money Market and Derivatives Association (FIMMDA)/ Financial Benchmark India Pvt. Ltd. (FBIL) are used. Investments for which such rates/quotes are not available are valued as per norms laid down by RBI, which are as under:

Classification	Basis of Valuation
Government Securities	on Yield to Maturity basis
Other Approved Securities	on Yield to Maturity basis
Equity Shares, PSU and Trustee shares	at break up value as per the latest Balance Sheet (not more than 18 months old), otherwise ₹ 1 per company.
Preference Shares	on Yield to Maturity basis
PSU/Corporate Bonds	on Yield to Maturity basis
Units of Mutual Funds	at the latest repurchase price/NAV declared by the fund in respect of each scheme
Units of Venture Capital Funds (VCF)	declared NAV or break up NAV as per audited financials which are not more than 18 months old. If NAV/audited financials are not available for more than 18 months then at ₹ 1/- per VCF.
Security Receipts	at NAV as declared by Securitisation Companies which is not more than 6 months old.

D. Transfer of Securities between Categories:

i. HTM to AFS/HFT :

a. If the security was originally placed under the HTM category at a discount it is transferred at the acquisition price / book value. After transfer, these securities are immediately re-valued and resultant depreciation, if any, is provided.

b. If the security was originally placed in the HTM category at a premium, it is transferred to the AFS / HFT category at the amortised cost. After transfer, these securities are immediately re-valued and resultant depreciation, if any, is provided.

ii. AFS/HFT TO HTM: Transfer of scrips from AFS / HFT category to HTM category is made at the lower of book value or market value. In cases where the market value is higher than the book value at the time of transfer, the appreciation is ignored. In cases where the market value is less than the book value, the provision against depreciation held against

को समायोजित किया जाता है एवं बही मूल्य को बाजार मूल्य तक कम किया जाता है तथा प्रतिभूति को बाजारमूल्य पर अंतरित किया जाता है।

(iii) **एएफएस से एचएफटी तथा इसके विपरीत:** एएफएस से एचएफटी श्रेणी या इसके विपरीत प्रतिभूति अंतरित करने के मामले में अंतरण की तारीख पर प्रतिभूतियों का पुन: मूल्यांकन नहीं किया जाता है तथा रखे गये संकलित मूल्यह्रास का प्रावधान, यदि कुछ हो तो एचएफटी प्रतिभूतियां या इसके विपरीत, जैसा मामला हो इनके विरुद्ध मूल्यह्रास के लिए प्रावधान में अंतरित किया जाता है।

ङ. अनर्जक निवेश (एनपीआई) और उसका मूल्यांकन:

(i) निवेशों को अर्जक और अनर्जक में वर्गीकृत किया जाता है जो घरेलू कार्यालयों के मामले में आरबीआई और विदेशी कार्यालयों के मामले में संबंधित विनियामकों द्वारा जारी दिशानिर्देशों पर आधारित होते हैं।

(ii) अनर्जक निवेशों के संबंध में आय मान्य नहीं होती है तथा भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार ऐसी प्रतिभूतियों के मूल्य में ह्रास हेतु प्रावधान किया जाता है।

(iii) परिपक्व एनपीआई को अनुसूची 11 में ''अन्य आस्तियों'' के अंतर्गत दिखाया गया है। (प्रावधान घटाकर)

च. रेपो/रिवर्स रेपो:

रेपो/रिवर्स रेपो के अंतर्गत बेची और खरीदी गई प्रतिभूतियों का लेखांकन संपार्श्विक ऋण और उधार के संव्यवहार के रूप में किया जाता है। तथापि प्रतिभूतियों का अंतरण वैसे ही किया जाता है जैसे सामान्य सीधी बिक्री/खरीद संव्यवहार के मामले में होता है और ऐसी प्रतिभूतियों का आवागमन रेपो/रिवर्स रेपो खातों और दुतरफा प्रविष्टियों के प्रयोग द्वारा होता है। उपर्युक्त प्रविष्टियों को परिपक्वता पर रिवर्स किया जाता है। लागतों तथा राजस्वों का लेखांकन, जैसा भी मामला हो, ब्याज व्यय/आय के रूप में किया जाता है। तुलन पत्र में रेपो खाते में शेष को उधार के रूप में वर्गीकृत किया गया और रिवर्स रेपो खाते में शेष को बैंक के पास शेष तथा मांग और अल्प सूचना पर प्रतिदेय के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

छ. आस्तियों के विरुद्ध प्रतिभूति रसीदों (एसआर) में निवेश

24 सितंबर, 2021 के परिपत्र संख्या आरबीआई/डीओआर/2021-22/86 डीओआर.एसटीआर.आरईसी.51/21.04.048/2021-22 के माध्यम से जारी आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार, बैंक ने प्रतिभूतिकरण के अंतर्गत एसआर के संबंध में मूल्यांकन पद्धति को संशोधित किया है।

ए) बैंकों द्वारा एआरसी द्वारा जारी एसआर/पीटीसी/अन्य प्रतिभूतियों में निवेश का मूल्यांकन समय-समय पर ऐसे लिखत के लिए प्राप्त वसूली रेटिंग के आधार पर एआरसी द्वारा घोषित शुद्ध संपत्ति मूल्य (एनएवी) की गणना के अनुसार किया जाएगा।

बशर्ते कि जब बैंक एआरसी द्वारा जारी किए गए एसआर/पीटीसी में उनके द्वारा एआरसी को हस्तांतरित किए गए तनावग्रस्त ऋणों के संबंध में निवेश करते हैं, तो बैंक निवेश को अपनी बहियों में निरंतरता के आधार पर तब तक जारी रखेगा, जब तक कि उसका

this security is adjusted to reduce the book value to the market value and the security is transferred at the market value.

iii. **AFS TO HFT AND VICE-VERSA :** In the case of transfer of securities from AFS to HFT category or vice-versa, the securities are not re-valued on the date of transfer and the provisions for the accumulated depreciation, if any, held are transferred to the provisions for depreciation against the HFT securities and vice-versa.

E. Non performing Investments (NPIs) and valuation thereof:

(i) Investments are classified as performing and non-performing, based on the guidelines issued by the RBI in case of domestic offices and respective regulators in case of foreign offices.

(ii) In respect of non performing investments, income is not recognised and provision is made for depreciation in value of such securities as per RBI guidelines.

(iii) Matured NPIs are shown under 'Other Assets' Schedule11 (Net of Provision).

F. Repo / Reverse Repo:

The securities sold and purchased under Repo/ Reverse repo are accounted as Collateralised lending and borrowing transactions. However, securities are transferred as in case of normal outright sale/ purchase transactions and such movement of securities is reflected using the Repo/ Reverse Repo Accounts and Contra entries. The above entries are reversed on the date of maturity. Costs and revenues are accounted as interest expenditure/income, as the case may be. Balance in Repo Account is classified as Borrowings and balance in Reverse Repo account is classified as Balance with Banks and Money at Call & Short Notice in the balance sheet.

G. Investment in Security Receipts (SRs) backed by assets:-

In terms of RBI guidelines issued vide circular no RBI/DOR/2021-22/86 DOR.STR.REC.51/21.04.048/2021-22 dated September 24, 2021, the bank has revised valuation methodology in respect of SRs under securitization,

a) Investments by banks in SRs / PTCs / other securities issued by ARCs shall be valued periodically by reckoning the Net Asset Value (NAV) declared by the ARC based on the recovery ratings received for such instruments.

Provided that when bank invest in the SRs/ PTCs issued by ARCs in respect of the stressed loans transferred by them to the ARC, the bank shall carry the investment

हस्तांतरण या वसूली नहीं हो जाती है। अंतरण के समय ऊपर दिए गए एनएवी के आधार पर एसआर का मोचन मूल्य और हस्तांतरित दबावग्रस्त ऋण के एनबीवी के आधार पर, इन दोनों में जो भी कम हो, पर बही में रखा जाता है।

इसके अतिरिक्त यह भी शर्त है कि जब बैंक द्वारा एसआर में उसके द्वारा हस्तांतरित ऋणों द्वारा समर्थित निवेश, उसके हस्तांतरित ऋणों द्वारा समर्थित सभी एसआर के 10 प्रतिशत से अधिक हो और उस प्रतिभूतिकरण के तहत जारी किया गया हो, तो बैंक द्वारा ऐसे एसआर का मूल्यांकन एसआर के अंकित मूल्य के फ्लोर के अधीन होगा जिसे अंतर्निहित ऋणों पर लागू प्रावधान दर से कम किया जायेगा, यदि बैंक की बही में ऋण जारी रहें।

बी) एसआर/पीटीसी जिन्हें समाधान अवधि (अर्थात पांच साल या आठ साल जैसा भी मामला हो) के अंत में भुनाया नहीं गया है, उन्हें बैंक की बही में नुकसान की संपत्ति के रूप में माना जाएगा और इसके लिए पूरी तरह से प्रावधान किया जाएगा।

सी) आरबीआई द्वारा समय-समय पर निर्धारित गैर-एसएलआर लिखतों में निवेश के लिए लागू मूल्यांकन, वर्गीकरण और अन्य मानदंड एआरसी द्वारा जारी डिबेंचर/बांड/एसआरएस/पीटीसी में बैंक निवेश पर लागू होंगे। हालांकि, यदि एआरसी द्वारा जारी उपर्युक्त में से कोई भी लिखत संबंधित योजना में लिखतों को सौंपी गई वित्तीय परिसंपत्तियों की वास्तविक वसूली के अधीन है, तो बैंक ऐसे निवेशों के मूल्यांकन के लिए समय-समय पर एआरसी से प्राप्त एनएवी की गणना करेगा।

II. गैर-वैंकिंग संस्था - बीमा

बीमा संयुक्त उद्यम के मामले में निवेश, बीमा अधिनियम, 1938, आईआरडीएआई (निवेश) विनियम, 2016 समय-समय पर यथा संशोधित के अनुसार और इस संबंध में आईआरडीएआई द्वारा जारी किए गए विभिन्न अन्य परिपत्रों / अधिसूचनाओं के अनुसार किया जाता है।

कारोबार तिथि पर निवेश को लागत पर दर्ज किया जाता है, जिसमें ब्रोकरेज और संबंधित कर, यदि कोई हो, शामिल हैं। खंडित अवधि के ब्याज का भुगतान/प्राप्ति, ब्याज प्राप्य खाते में डेबिट/क्रेडिट किया जाता है और इसे खरीद/बिक्री से संबंधित लागत में शामिल नहीं किया जाता है।

निवेश के मूल्य में कमी को, अस्थायी के अलावा, राजस्व/लाभ और हानि खाते में व्यय के रूप में पहचाना जाता है।

बोनस पात्रता

बोनस पात्रता को प्रासंगिक ''एक्स-बोनस तिथि'' पर निवेश के रूप में मान्यता दी जाती है।

अधिकार पात्रता

राइट्स एंटाइटेलमेंट को प्रासंगिक ''एक्स-राइट्स डेट'' पर निवेश के रूप में पहचाना जाता है।

बट्टा

निजी रूप से रखे गए निवेशों पर किसी भी तरह की छूट को ऐसे निवेशों की लागत से घटा दिया जाता है।

in their books on an ongoing basis, until its transfer or realization, at lower of the redemption value of SRs arrived based on the NAV as above, and the NBV of the transferred stressed loan at the time of transfer.

Provided further that when the investment by bank in SRs backed by stressed loans transferred by it, is more than 10 percent of all SRs backed by its transferred loans and issued under that securitisation, the valuation of such SRs by the bank will be additionally subject to a floor of face value of the SRs reduced by the provisioning rate as applicable to the underlying loans, had the loans continued in the books of the bank.

b) SRs/PTCs which are not redeemed as at the end of the resolution period (i.e., five years or eight years as the case may be) shall be treated as loss asset in books of the bank and fully provided for.

c) The valuation, classification and other norms applicable to investment in non-SLR instruments prescribed by RBI from time to time shall be applicable to bank investment in debentures/ bonds/ SRs /PTCs issued by ARC. However, if any of the above instruments issued by ARC is limited to the actual realisation of the financial assets assigned to the instruments in the concerned scheme, the bank shall reckon the NAV obtained from ARC from time to time, for valuation of such investments.

II. Non-Banking Entities- Insurance

In case of Insurance joint venture, Investments are made in accordance with the Insurance Act, 1938, IRDAI (Investment) Regulations, 2016, as amended from time to time and various other circulars/ notifications issued by the IRDAI in this regard.

Investments are recorded on trade date at cost, which includes brokerage and related taxes, if any. Broken period interest paid/received is debited/ credited to Interest Receivable account and is not included in the cost of purchase/sale consideration.

Diminution in the value of investments, other than temporary, is recognised as an expense in the Revenue / Profit & Loss account.

Bonus Entitlements

Bonus entitlements are recognised as investments on the relevant 'ex- bonus date'.

Rights Entitlements

Rights entitlements are recognised as investments on the relevant 'ex-rights date'.

Discount

Any front end discount on privately placed investments is reduced from the cost of such investments.

ए. वर्गीकरण

निवेश विशेष रूप से पॉलिसीधारकों और शेयरधारकों के लिए स्वतंत्र रूप से खरीदे और रखे जाते हैं और इन निवेशों से संबंधित आय को क्रमश: राजस्व खाते और लाभ और हानि खाते में मान्यता दी जाती है।

निवेश का अल्पावधि और दीर्घकालिक वर्गीकरण

तुलन पत्र की तारीख से बारह महीने के भीतर परिपक्व होने वाले निवेश और तुलन पत्र की तारीख से बारह महीने के भीतर उन्हें निपटाने के विशिष्ट इरादे से किए गए निवेश को अल्पकालिक निवेश के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। अल्पकालिक निवेश के अलावा अन्य निवेश को दीर्घकालिक निवेश के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

बी. मूल्यांकन - शेयरधारकों के निवेश और गैर-लिंक्ड पॉलिसीधारकों के निवेश

सभी डेट प्रतिभूतियों को ''परिपक्वता तक धारित'' के रूप में माना जाता है और तदनुसार पूर्व की लागत पर प्रतिपादित किया जाता है, सीधी रेखा के आधार पर परिपक्वता/ होल्डिंग की बची हुई अवधि पर राजस्व खाते या लाभ-हानि खाते में प्रीमियम के परिशोधन या बट्टे की अभिवृद्धि के अधीन।

कोषागार बिल, जमा प्रमाणपत्र, वाणिज्यिक पत्र, त्रिपक्षीय रेपो का मूल्य निर्धारण, सीधी रेखा के आधार पर परिपक्वता की शेष अवधि में बट्टे की अभिवृद्धि के अधीन लागत पर किया जाता है।

सावधि जमा में निवेश का मूल्यांकन लागत पर किया जाता है।

सूचीबद्ध इक्विटी प्रतिभूतियों का मूल्यांकन तुलन पत्र की तारीख को उचित मूल्य पर मापा जाता है। बैलेंस शीट तिथि पर उचित मूल्य की गणना के प्रयोजन के लिए, एनएसई (प्राथमिक एक्सचेंज) पर प्रतिभूति के अंतिम उद्धत मूल्य पर विचार किया जाता है। यदि, एनएसई पर प्रतिभूति सूचीबद्ध / ट्रेड नहीं की जाती है, तो बीएसई (द्वितीयक एक्सचेंज) पर अंतिम उद्धत मूल्य पर विचार किया जाता है।

सिक्योरिटीज लेंडिंग एंड बॉरोइंग (एसएलबी) व्यवस्था के तहत उधार दिए गए इक्विटी शेयरों को बैलेंस शीट में संपत्ति के रूप में मान्यता दी गई है, क्योंकि कंपनी इन प्रतिभूतियों की लाभकारी स्वामी है। प्रतिभूतियों का मूल्यांकन इक्विटी शेयरों के लिए ऊपर बताए अनुसार किया गया है।

आईआरडीएआई निवेश विनियमों द्वारा निर्धारित ''इक्विटी'' के तहत वर्गीकृत अतिरिक्त टियर 1 (बेसल III अनुपालन) स्थायी बांड, उचित मूल्य पर मूल्यांकित किये जाते हैं, जो सेबी पंजीकृत रेटिंग एजेंसी क्रिसिल लिमिटेड द्वारा बॉन्ड वैल्यूअर का उपयोग करके प्रकाशित लागू बाजार प्रतिफल का उपयोग करते हैं। अतिरिक्त टीयर 1 बांड के उचित मूल्य में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होने वाले अप्राप्त लाभ या हानि को बैलेंस शीट में ''उचित मूल्य परिवर्तन खाता'' के तहत पहचाना जाता है।

A. Classification

Investments are specifically procured and held for Policyholders and Shareholders independently and the income relating to these investments is recognised in the Revenue Account and Profit & Loss Account respectively.

Short Term and Long Term Classification of Investment

Investments maturing within twelve months from the Balance Sheet date and investments made with the specific intention to dispose them off within twelve months from the Balance Sheet date are classified as short-term investments. Investments other than short-term investments are classified as long term investments.

B. Valuation – Shareholders' Investments and Non-Linked Policyholders' Investments

All debt securities are considered as 'held to maturity' and accordingly stated at historical cost, subject to amortization of premium or accretion of discount in the revenue account or the profit and loss account over the remaining period of maturity/ holding on a straight line basis.

Treasury Bills, Certificate of Deposits, Commercial Papers, Tri Party Repo are valued at cost subject to accretion of discount, over the remaining period of maturity on straight line basis.

Investments in Fixed Deposits are valued at cost.

Valuation of Listed Equity securities is measured at Fair Value on the Balance Sheet date. For the purpose of calculation of Fair Value on the Balance Sheet date, last quoted closing price of the security on NSE (Primary Exchange) is considered. In case, the security is not listed/ traded on NSE, the last quoted closing price on BSE (Secondary Exchange) is considered.

Equity shares lent under the Securities Lending and Borrowing (SLB) mechanism are recognised in the Balance Sheet as assets, as the Company continues to be beneficial owner of these securities. The securities are valued as stated above for equity shares.

Additional Tier 1 (Basel III Compliant) Perpetual Bonds classified under "Equity" as stipulated by IRDAI Investment Regulations, are valued at fair value, using applicable market yields published by SEBI registered rating agency viz., CRISIL Ltd, using Bond Valuer. Unrealized gains or losses arising due to change in the fair value of Additional Tier 1 Bonds are recognised in the Balance Sheet under "Fair value change account".

म्युचुअल फंड इकाइयों का उचित मूल्य तुलन पत्र की तारीख पर शुद्ध परिसंपत्ति मूल्य है। सूचीबद्ध इक्विटी शेयरों और म्युचुअल फंडों के उचित मूल्यों में परिवर्तन पर अप्राप्त लाभ/हानि को उचित मूल्य परिवर्तन खाते में ले जाया जाता है और तुलन पत्र में आगे ले जाया जाता है।

गैर-सूचीबद्ध इक्विटी शेयरों का मूल्यांकन, हानि के अधीन, यदि कोई हो, पूर्व की लागत पर किया जाता है।

एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स (ईटीएफ) का मूल्यांकन बैलेंस शीट तिथि पर उचित मूल्य पर किया जाता है। बैलेंस शीट तिथि पर उचित मूल्य की गणना के प्रयोजन के लिए, एनएसई (प्राथमिक एक्सचेंज) पर प्रतिभूति के समापन मूल्य पर विचार किया जाता है। यदि प्रतिभूति एनएसई पर सूचीबद्ध/ट्रेड नहीं जाती है, तो बीएसई (द्वितीयक एक्सचेंज) पर समापन मूल्य पर विचार किया जाता है। यदि बैलेंस शीट की तारीख पर ईटीएफ का प्राथमिक या द्वितीयक एक्सचेंज में कारोबार नहीं किया जाता है, तो ईटीएफ का मूल्यांकन बैलेंस शीट की तारीख पर नेट एसेट वैल्यू (एनएवी) पर किया जाता है। यदि बैलेंस शीट की तारीख का एनएवी उपलब्ध नहीं है, तो नवीनतम उपलब्ध एनएवी का उपयोग मूल्यांकन उद्देश्यों के लिए किया जाता है। ईटीएफ के उचित मूल्यों में परिवर्तन पर अप्राप्त लाभ/हानि को उचित मूल्य परिवर्तन खाते में ले जाया जाता है और तुलन पत्र में आगे ले जाया जाता है।

इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट / रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट

इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट / रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट की इकाइयों में निवेश का मूल्यांकन, बैलेंस शीट की तारीख पर एनएसई (प्राथमिक एक्सचेंज) पर प्रतिभूति के समापन मूल्य पर उचित मूल्य पर किया जाता है। यदि प्रतिभूति, एनएसई पर सूचीबद्ध/ट्रेड नहीं की जाती है, तो बीएसई (द्वितीयक एक्सचेंज) के समापन मूल्य पर विचार किया जाता है। यदि, इसका पिछले 30 दिनों के लिए बाजार भाव उपलब्ध नहीं है, तो यूनिटों का मूल्यांकन ट्रस्ट द्वारा प्रकाशित यूनिटों के नवीनतम एनएवी (6 महीने से अधिक पुराना नहीं) के अनुसार किया जाता है।

वैकल्पिक निवेश कोष (एआईएफ)

वैकल्पिक निवेश कोष (एआईएफ) में निवेश का मूल्यांकन संबंधित अंतर्निहित फंडों के नवीनतम उपलब्ध शुद्ध संपत्ति मूल्य (एनएवी) पर किया जाता है। फंड का एनएवी उपलब्ध न होने की स्थिति में, निवेश का मूल्य कम करने के प्रावधान (यदि कोई हो) के अधीन लागत पर लगाया जाता है।

सी. मूल्यांकन - लिंक्ड व्यवसाय

केंद्र सरकार और राज्य सरकार की प्रतिभूतियों का मूल्यांकन क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विसेज ऑफ इंडिया लिमिटेड (क्रिसिल) से प्राप्त कीमतों पर किया जाता है।

कॉरपोरेट बॉन्ड और डिबेंचर का मूल्यांकन क्रिसिल बॉन्ड वैल्यूअर के आधार पर किया जाता है।

कोषागार बिल, जमा प्रमाणपत्र, वाणिज्यिक पत्र और त्रिपक्षीय रेपो का मूल्यांकन सीधी रेखा के आधार पर परिपक्वता की शेष अवधि

Fair value of mutual fund units is the net asset value on the Balance Sheet date. Unrealized gains/losses on changes in fair values of listed equity shares and mutual funds are taken to the Fair Value Change Account and carried forward in the Balance Sheet.

Unlisted equity shares are valued at historical cost, subject to impairment, if any.

Exchange Traded Funds (ETFs) are valued at Fair Value on the Balance Sheet date. For the purpose of calculation of Fair Value on the Balance Sheet date, closing price of the security on NSE (Primary Exchange) is considered. In case, the security is not listed/ traded on NSE, the closing price on BSE (Secondary Exchange) is considered. In case ETFs are not traded on either of the Primary or the Secondary exchange on the Balance Sheet date, then the ETFs are valued at Net Asset Value (NAV) on the balance sheet date. In case NAV of Balance Sheet date is not available, then the latest available NAV is used for valuation purposes. Unrealized gains/ losses on changes in fair values of ETFs are taken to the Fair Value Change Account and carried forward in the Balance Sheet.

Infrastructure Investment Trust / Real Estate Investment Trust

The Investment in Units of InvIT/ REIT are valued at Fair Value on the Balance Sheet date, closing price of the security on NSE (Primary Exchange) is considered. In case, the security is not listed/ traded on NSE, the closing price on BSE (Secondary Exchange) is considered. In case, the market quote is not available for the last 30 days, the Units are valued as per the latest NAV (not more than 6 months old) of the Units published by the Trust.

Alternate Investment Fund (AIF)

Investments in Alternative Investment Fund (AIF) are valued at the latest available net asset values (NAV) of the respective underlying funds. In case the NAV of the fund is not available, investment is valued at cost subject to provision for diminution (if any).

C. Valuation - Linked business

Central Government and State Government securities are valued at prices obtained from Credit Rating Information Services of India Ltd. (CRISIL).

Corporate bonds and debentures are valued on the basis of CRISIL Bond Valuer.

Treasury Bills, Certificates of Deposits, Commercial Papers and Tri Party Repo are valued at cost subject to accretion of discount over the remaining period of maturity on straight line basis.

में बट्टा की अभिवृद्धि के अधीन लागत पर किया जाता है।

सावधि जमा में निवेश का मूल्यांकन लागत पर किया जाता है।

सूचीबद्ध इक्विटी शेयरों को एनएसई (प्राथमिक एक्सचेंज) पर प्रतिभूति के अंतिम उद्धत मूल्य के रूप में उचित मूल्य पर मापा जाता है। यदि प्रतिभूति एनएसई पर सूचीबद्ध/ट्रेड नहीं की जाती है, तो बीएसई (द्वितीयक एक्सचेंज) पर समापन मूल्य पर विचार किया जाता है। संबंधित निधि के राजस्व खाते में अप्राप्त लाभ और हानियों की पहचान की जाती है।

सिक्योरिटीज लेंडिंग एंड बॉरोइंग (एसएलबी) व्यवस्था के तहत उधार दिए गए इक्विटी शेयरों को बैलेंस शीट में संपत्ति के रूप में मान्यता दी जाती है, क्योंकि कंपनी इन प्रतिभूतियों की लाभकारी स्वामी होती है। प्रतिभूतियों का मूल्यांकन इक्विटी शेयरों के लिए ऊपर बताई गयी पद्धति के अनुसार किया गया है।

आईआरडीएआई निवेश विनियमों द्वारा निर्धारित ''इक्विटी'' के तहत वर्गीकृत अतिरिक्त टियर 1 (बेसल III अनुपालित) स्थायी बांड, उचित मूल्य पर मूल्यांकित किये जाते हैं, जो सेबी पंजीकृत रेटिंग एजेंसी क्रिसिल लिमिटेड द्वारा बॉन्ड वैल्यूअर का उपयोग करके प्रकाशित लागू बाजार प्रतिफल का उपयोग करते हैं। संबंधित निधि के राजस्व खाते में अप्राप्त लाभ या हानि की पहचान की जाती है।

म्युचुअल फंड यूनिट्स का मूल्यांकन पिछले दिन के एनएवी पर किया जाता है। यदि पिछले दिन का एनएवी उपलब्ध नहीं है, तो नवीनतम उपलब्ध एनएवी का उपयोग मूल्यांकन उद्देश्यों के लिए किया जाता है। अप्राप्त लाभ और हानि संबंधित फंड के राजस्व खाते में पहचाने जाते हैं।

गैर-सूचीबद्ध इक्विटी शेयरों का मूल्यांकन ऐतिहासिक लागत पर किया जाता है, हानि के अधीन, यदि कोई हो।

एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स (ईटीएफ) का मूल्यांकन बैलेंस शीट तिथि पर उचित मूल्य पर किया जाता है। बैलेंस शीट तिथि पर उचित मूल्य की गणना के प्रयोजन के लिए, एनएसई (प्राथमिक एक्सचेंज) पर प्रतिभूति के समापन मूल्य पर विचार किया जाता है। यदि प्रतिभूति एनएसई पर सूचीबद्ध/ट्रेड नहीं की जाती है, तो बीएसई (द्वितीयक एक्सचेंज) के समापन मूल्य पर विचार किया जाता है। यदि ईटीएफ का बैलेंस शीट की तारीख पर प्राथमिक या द्वितीयक एक्सचेंज में कारोबार नहीं किया जाता है, तो ईटीएफ को पिछले दिन के नेट एसेट वैल्यू (एनएवी) पर मूल्यांकित किया जाता है। यदि पिछले दिन का एनएवी उपलब्ध नहीं है, तो नवीनतम उपलब्ध एनएवी का उपयोग मूल्यांकन उद्देश्यों के लिए किया जाता है। अप्राप्त लाभ और हानियों को संबंधित कोष के राजस्व खाते में पहचाना जाता है।

इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट / रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट

इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट / रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट की इकाइयों में निवेश का मूल्यांकन, बैलेंस शीट की तारीख पर एनएसई (प्राथमिक एक्सचेंज) पर प्रतिभूति के समापन मूल्य पर उचित मूल्य पर किया जाता है। यदि प्रतिभूति, एनएसई पर

Investments in Fixed Deposits are valued at cost.

Listed equity shares are measured at fair value being the last quoted closing price of the security on NSE (Primary Exchange). In case, the security is not listed/ traded on NSE, the closing price on BSE (Secondary Exchange) is considered. Unrealized gains and losses are recognised in the revenue account of respective fund.

Equity shares lent under the Securities Lending and Borrowing (SLB) mechanism are recognised in the Balance Sheet as assets, as the Company continues to be beneficial owner of these securities. The securities are valued as stated above for equity shares.

Additional Tier 1 (Basel III Compliant) Perpetual Bonds classified under "Equity" as stipulated by IRDAI Investment Regulations, are valued at fair value, using applicable market yields published by SEBI registered rating agency viz., CRISIL Ltd., using Bond Valuer. Unrealized gains or losses are recognised in the respective fund's revenue account.

Mutual Fund units are valued at NAV of previous day. In case previous day's NAV is not available, then the latest available NAV is used for valuation purposes. The unrealized gains and losses are recognised in the respective fund's revenue account.

Unlisted equity shares are valued at historical cost, subject to impairment, if any.

Exchange Traded Funds (ETFs) are valued at Fair Value on the Balance Sheet date. For the purpose of calculation of Fair Value on the Balance Sheet date, closing price of the security on NSE (Primary Exchange) is considered. In case, the security is not listed/ traded on NSE, the closing price on BSE (Secondary Exchange) is considered. In case ETFs are not traded on either of the Primary or the Secondary exchange on the Balance Sheet date, then the ETFs are valued at Net Asset Value (NAV) of previous day. In case previous day's NAV is not available, then the latest available NAV is used for valuation purposes. The unrealized gains and losses are recognised in the revenue account of respective fund.

Infrastructure Investment Trust / Real Estate Investment Trust

The Investment in Units of InvIT/REIT are valued at Fair Value on the Balance Sheet date, closing price of the security on NSE (Primary Exchange) is considered. In case, the security is not listed/ traded on NSE, the closing price on BSE (Secondary Exchange) is considered. In case, the market quote is not

सूचीबद्ध/ट्रेड नहीं की जाती है, तो बीएसई (द्वितीयक एक्सचेंज) के समापन मूल्य पर विचार किया जाता है। यदि, इसका पिछले 30 दिनों के लिए बाजार भाव उपलब्ध नहीं है, तो यूनिटों का मूल्यांकन ट्रस्ट द्वारा प्रकाशित यूनिटों के नवीनतम एनएवी (6 महीने से अधिक पुराना नहीं) के अनुसार किया जाता है।

डी. ब्याज दर डेरिवेटिव

ब्याज दर डेरिवेटिव संविदाओं का उपयोग बीमा संविदाओं और जीवन, पेंशन और वार्षिकी व्यवसाय में निवेश के नकदी प्रवाह पर अत्यधिक संभावित पूर्वानुमानित संव्यवहारों की हेजिंग के लिए किया जाता है। कंपनी, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी ''डेरिवेटिव संविदा के लिए लेखांकन पर गाइडेंस नोट'' और समय-समय पर संशोधित आईआरडीएआई इनवेस्टमेंट मास्टर सर्कुलर के अनुसार हेज अकाउंटिंग का पालन करती है।

कंपनी के पास बोर्ड अनुमोदित जोखिम हेजिंग नीति और प्रक्रिया दस्तावेज है जिसमें ब्याज दर जोखिम हेजिंग कार्यनीति के अनुसार ब्याज दर जोखिम को कम करने के लिए किए गए डेरिवेटिव संव्यवहारों के कामकाज से संबंधित विभिन्न पहलुओं को कवर किया गया है। हेज की शुरुआत में, कंपनी हेजिंग इंस्ट्रूमेंट और हेज मद, जोखिम प्रबंधन उद्देश्य, हेज करने की रणनीति और हेज प्रभावशीलता का आकलन करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली विधियों के बीच संबंध को निर्धारित और दस्तावेजीकृत करती है। हेज प्रभावशीलता वह डिग्री है जिस तक हेज किए गए मद के उचित मूल्य या नकदी प्रवाह में परिवर्तन, जो हेज किए गए जोखिम के कारण होते हैं, हेजिंग उपकरण के उचित मूल्य या नकदी प्रवाह में परिवर्तन से दूर होते हैं। हेज की प्रभावशीलता हेज की शुरुआत के समय और उसके बाद समय-समय पर बैलेंस शीट की तारीख में सुनिश्चित की जाती है।

फॉरवर्ड रेट करार (एफआरए) संविदा का मूल्यांकन सेबी द्वारा अनुमोदित रेटिंग एजेंसी से लिए गए स्पॉट रेफरेंस यील्ड पर अंतर्निहित बॉन्ड के बाजार मूल्य और एफआरए संविदा निपटान तिथि तक मूल्यांकन तिथि इंटरमीडिएट कूपन इनफ्लो के वर्तमान मूल्य सहित अंतर्निहित बॉन्ड के अनुबंधित फॉरवर्ड मूल्य के बीच के अंतर पर किया जाता है। यह लागू आईएनआर ओवरनाइट इंटरेस्ट स्वैप (ओआईएस) दर वक्र पर किया जाता है। फेयर वैल्यूएशन के लिए मार्जिन सेटलमेंट या डेरिवेटिव के मार्क टू मार्केट मूल्यांकन को फॉरवर्ड दर करार के अनुसार मूल्यांकनकर्ता एजेंट द्वारा मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है।

हेजिंग लिखतों को शुरू में उचित मूल्य पर निर्धारित किया जाता है और बाद की रिपोर्टिंग तिथियों पर उचित मूल्य पर फिर से मापा जाता है। ब्याज दर डेरिवेटिव पर उचित मूल्य लाभ/हानि का प्रभावी हिस्सा जो प्रभावी बचाव के रूप में निर्धारित किया जाता है, उसे इक्विटी खाते में मान्यता दी जाती है, अर्थात बैलेंस शीट में

available for the last 30 days, the Units are valued as per the latest NAV (not more than 6 months old) of the Units published by the Trust.

D. Interest Rate Derivative

Interest rate derivative contracts are used for hedging of highly probable forecasted transactions on insurance contracts and investment cash flows in life, pension and annuity business. The Company follows hedge accounting in accordance with the ‘Guidance Note on Accounting for Derivative Contracts’ issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) and IRDAI Investment Master Circular as amended from time to time.

The Company has Board approved interest rate risk hedging Policy and Process document covering various aspects related to functioning of the derivative transactions undertaken to mitigate interest rate risk as per the Interest rate risk hedging strategy. At the inception of the hedge, the Company designates and documents the relationship between the hedging instrument and the hedged item, the risk management objective, strategy for undertaking the hedge and the methods used to assess the hedge effectiveness. Hedge effectiveness is the degree to which changes in the fair value or cash flows of the hedged item that are attributable to a hedged risk are offset by changes in the fair value or cash flows of the hedging instrument. Hedge effectiveness is ascertained at the time of inception of the hedge and periodically thereafter at Balance Sheet date.

The Forward Rate Agreement (FRA) contract is valued at the difference between the market value of underlying bond at the spot reference yield taken from the SEBI approved rating agency and present value of contracted forward price of underlying bond including present value of intermediate coupon inflows from valuation date till FRA contract settlement date, at applicable INR Overnight Interest Swap (OIS) rate curve. Margin settlement for the fair valuation or Mark to market valuation of derivative is carried based on valuation by the valuation agent as per forward rate agreement.

Hedging instruments are initially recognised at fair value and are re-measured at fair value at subsequent reporting dates. The effective portion of fair value gain / loss on the interest rate derivative that is determined to be an effective hedge is recognised in equity account i.e. “Hedge Fluctuation Reserve” or “HFR” under the head “Credit/(Debit) Fair Value Change Account” in the Balance Sheet and the ineffective portion of the change

'क्रेडिट/(डेबिट) उचित मूल्य परिवर्तन खाते के तहत ''हेज उतार-चढ़ाव रिजर्व'' या ''एचएफआर'' शीर्ष में और ऐसे डेरिवेटिव उपकरणों के उचित मूल्य में परिवर्तन के अप्रभावी हिस्से को राजस्व खाते में उस अवधि में मान्यता दी जाती है जिसमें वे उत्पन्न होते हैं। ब्याज दर डेरिवेटिव पर उचित मूल्य लाभ/हानि जो अप्रभावी बचाव के रूप में निर्धारित किया जाता है, वे राजस्व खाते में उस अवधि में पहचाना जाता है जिसमें वे उत्पन्न होते हैं।

हेज उतार-चढ़ाव रिजर्व में पहचाने गए संचित लाभ या हानियों को उसी अवधि में राजस्व खाते में पुनर्वर्गीकृत किया जाता है, जिसके दौरान अंतर्निहित पूर्वानुमानित नकदी प्रवाह से अर्जित आय को राजस्व खाते में मान्यता दी जाती है।

हेज लेखांकन को बंद कर दिया जाता है जब हेजिंग लिखत समाप्त हो जाता है या यह संभावना बन जाती है कि अपेक्षित पूर्वानुमान संव्यवहार अब नहीं होगा या जोखिम प्रबंधन उद्देश्य बदल गया है या अब पूरा होने की उम्मीद नहीं है। इस तरह की समाप्ति पर, संचित लाभ या हानि जिन्हें हेज उतार-चढ़ाव रिजर्व में मान्यता दी गई थी, उन्हें राजस्व खाते में पुनर्वर्गीकृत किया जाता है। डेरिवेटिव संविदाओं से जुड़ी लागतों को एक समय लागत के रूप में माना जाता है।

ई. निवेशों का अंतरण

शेयरधारकों के खाते से पॉलिसीधारकों के खाते में अंतरण:

पॉलिसीधारक के खाते में घाटे को पूरा करने के लिए शेयरधारक के खाते से पॉलिसीधारक के खाते में प्रतिभूतियों का अंतरण डेट प्रतिभूतियों के अलावा लागत मूल्य या बाजार मूल्य, जो भी कम हो, पर किया जाता है।

डेट प्रतिभूतियों के मामले में अंतरण, बाजार मूल्य या शुद्ध परिशोधित लागत, जो भी कम हो, पर किया जाता है। यदि अंतरण के समय किसी प्रतिभूति का प्रचलित बाजार मूल्य उपलब्ध नहीं है, तो पिछले दिन जिस मूल्य पर प्रतिभूति का मूल्यांकन किया गया था, उस पर विचार किया जाता है।

गैर-लिंक्ड पॉलिसीधारकों के धन के बीच अंतरण:

विभिन्न गैर-लिंक्ड पॉलिसीधारकों के फंड के बीच प्रतिभूतियों का कोई अंतरण नहीं किया जाता है।

यूनिट-लिंक्ड फंड्स के बीच अंतरण:

विभिन्न यूनिट लिंक्ड फंडों के बीच निवेश का अंतरण प्रचलित बाजार मूल्य पर किया जाता है।

इक्विटी के अलावा अन्य प्रतिभूतियों के मामले में, यदि किसी प्रतिभूति का प्रचलित बाजार मूल्य अंतरण के समय उपलब्ध नहीं है, तो पिछले दिन जिस मूल्य पर प्रतिभूति का मूल्यांकन किया गया था, उस पर विचार किया जाता है।

in fair value of such derivative instruments is recognised in the revenue account in the period in which they arise. The fair value gain / loss on the interest rate derivative that is determined to be an ineffective hedge is recognised in the revenue account in the period in which they arise.

The accumulated gains or losses that were recognised in the Hedge Fluctuation Reserve are reclassified into Revenue Account, in the same period during which the income from investments acquired from underlying forecasted cash flow is recognized in the Revenue Account.

Hedge accounting is discontinued when the hedging instrument is terminated or it becomes probable that the expected forecast transaction will no longer occur or the risk management objective is changed or no longer expected to be met. On such termination, accumulated gains or losses that were recognised in the Hedge Fluctuation Reserve are reclassified into Revenue Account. Costs associated with derivative contracts are considered as at a point in time cost.

E. Transfer of Investments

Transfer from shareholders' account to the policyholders' account:

Transfer of securities from the Shareholder account to the policyholders account to meet the deficit in the policyholders account is done at the cost price or market price, whichever is lower, for other than debt securities.

In case of debt securities, transfer is done at market price or net amortized cost, whichever is lower. If the prevailing market price of any security is not available at the time of transfer, then the price at which the security was valued on the previous day is considered.

Transfer between Non – Linked policyholders' funds:

No transfer of securities is done between various non-linked policyholders' funds.

Transfer between Unit-Linked Funds:

Transfer of investments between various unit linked funds is done at prevailing market price.

In case of securities other than equity, if the prevailing market price of any security is not available at the time of transfer, then the price at which the security was valued on the previous day is considered.

Provision for Non-Performing Assets (NPA)

All assets where the interest and / or

अनर्जक आस्तियों (एनपीए) के लिए प्रावधान

सभी संपत्तियां जहां बैलेंस शीट की तारीख पर 90 दिनों से अधिक के लिए ब्याज और / या मूलधन चुकौती की किस्त अतिदेय रहती है, उन्हें एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। "डेट पोर्टफोलियो के संबंध में आय निर्धारण, परिसंपत्ति वर्गीकरण, प्रावधानीकरण और अन्य संबंधित मामलों के लिए विवेकपूर्ण मानदंड" पर विनियमों के अनुसार, सभी एनपीए के संबंध में बकाया राशि को कवर करने के लिए पर्याप्त प्रावधान किए गए हैं।

निवेश का ह्रास

प्रत्येक तुलन पत्र की तारीख में निवेश की अग्रणीत राशि की समीक्षा की जाती है, यदि आंतरिक/बाह्य कारकों के आधार पर हानि का कोई संकेतक हो। ह्रास हानि को व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है और राजस्व/लाभ या हानि खाते में ''निवेश के मूल्य में कमी के लिए प्रावधान (शुद्ध)'' शीर्षक के अंतर्गत प्रकटन किया जाता है, जैसा कि राजस्व/लाभ और हानि खाते में व्यय के रूप में मान्यता प्राप्त किसी भी पिछली ह्रास हानि से घटाया गया पुनर्मापित उचित मूल्य और अधिग्रहण लागत के बीच अंतर की सीमा तक होता है। राजस्व/लाभ और हानि खाते में पहले मान्यता प्राप्त ह्रास हानि के किसी भी रिवर्सल को क्रमश: राजस्व/लाभ और हानि खाते में मान्यता दी जाएगी।

कॉल और पुट ऑप्शन के साथ प्रतिभूतियां

कॉल विकल्प वाली प्रतिभूतियों का मूल्यांकन, अंतिम परिपक्वता तिथि या कॉल विकल्प तिथि तक, प्रतिभूति के मूल्यांकन से प्राप्त मूल्य के कमतर स्तर पर किया जाता है। यदि कई कॉल विकल्प हैं, तो प्रतिभूति का मूल्यांकन विभिन्न कॉल विकल्प प्रयोग तिथियों या अंतिम परिपक्वता तिथि तक प्रतिभूति के मूल्यांकन से प्राप्त न्यूनतम मूल्य पर किया जाता है।

पुट ऑप्शन वाली प्रतिभूतियों का मूल्यांकन अंतिम परिपक्वता तिथि या पुट ऑप्शन तिथि तक प्रतिभूति के मूल्यांकन से प्राप्त मूल्य के उच्चतम मूल्य पर किया जाता है। यदि कई पुट विकल्प हैं, तो प्रतिभूति का मूल्यांकन विभिन्न पुट विकल्प प्रयोग तिथियों या अंतिम परिपक्वता तिथि तक प्रतिभूति के मूल्यांकन से प्राप्त उच्चतम मूल्य पर किया जाता है।

एक ही दिन पुट और कॉल विकल्प दोनों वाली प्रतिभूतियों को पुट/कॉल तिथि पर परिपक्व माना जाएगा और तदनुसार उनका मूल्यांकन किया जाएगा। आईआरडीएआई के इन्वेस्टमेंट मास्टर सर्कुलर 2022 की आवश्यकता के अनुसार 30 वर्षों की डीम्ड अवशिष्ट परिपक्वता को देखते हुए अतिरिक्त टियर 1 बॉन्ड का मूल्यांकन किया गया है।

9) डेरिवेटिव

ए. बैंकिंग कंपनी

वर्तमान में बैंक, ब्याज दर एवं करेंसी डेरिवेटिव में फॉरेक्स वायदा संविदा का कार्य करता है। बैंक द्वारा किया जाने वाले ब्याज दर डेरिवेटिव हैं - रुपया ब्याज दर स्वैप, विदेशी मुद्रा ब्याज दर स्वैप, वायदा दर करार तथा ब्याज दर फ्यूचर। बैंक द्वारा किये जा रहे मुद्रा डेरिवेटिव हैं - करन्सी

instalment of principal repayment remain overdue for more than 90 days at the Balance Sheet date are classified as NPA. In accordance with regulations on "Prudential norms for income recognition, asset classification, provisioning and other related matters in respect of debt portfolio", adequate provisions are made to cover amounts outstanding in respect of all NPA's.

Impairment of Investment

The carrying amounts of investments are reviewed at each balance sheet date, whether there is any indicator of impairment based on internal / external factors. An impairment loss is recognised as an expense and disclosed under the head 'Provision for diminution in the value of investment (net)' in the Revenue/ Profit or Loss account, to the extent of difference between the remeasured fair value and the acquisition cost as reduced by any previous impairment loss recognised as expense in Revenue/ Profit and Loss Account. Any reversal of impairment loss earlier recognised in the Revenue /Profit and Loss Account shall be recognised in Revenue/ Profit and Loss Account respectively.

Securities with call and put options

Securities with call option are valued at the lower of the value as obtained by valuing the security up to final maturity date or the call option date. In case there are multiple call options, the security is valued at the lowest value obtained by valuing the security at various call option exercise dates or up to the final maturity date.

Securities with put option are valued at the higher of the value as obtained by valuing the security up to final maturity date or the put option date. In case there are multiple put options, the security is valued at the highest value obtained by valuing the security at various put option exercise dates or up to the final maturity date.

The securities with both put and call option on the same day would be deemed to mature on the put/call date and would be valued accordingly. Additional tier 1 bonds have been valued considering the deemed residual maturity of 30 years as per the requirement of IRDAI Investment Master Circular 2022.

9) DERIVATIVE

A. Banking Entity:

The Bank presently deals Forex Forward Contracts in interest rate and currency derivatives. The interest rate derivatives dealt with by the Bank are Rupee Interest Rate Swaps, Foreign Currency Interest Rate Swaps, Forward Rate Agreements and Interest Rate Futures. Currency Derivatives dealt with by the Bank are Options, Currency Swaps and Currency Futures.

स्वैप तथा करन्सी फ्यूचर। भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशानुसार, डेरिवेटिव को निम्नानुसार मूल्यांकित किया जाता है :

(क) हेज/नॉन हेज (मार्केट मेकिंग) संव्यवहारों को अलग-अलग रिकॉर्ड किया जाता है।

(ख) हेज़िंग डेरिवेटिव पर आय/व्यय, उपचय आधार पर लेखांकित होती है।

(ग) फॉरेक्स फॉरवर्ड संविदाओं को बाजार मूल्य पर अंकित किया जाता है और परिणामत: लाभ एवं हानि को लाभ एवं हानि खाते में निर्धारित किया जाता है।

(घ) हेजिंग डेरिवेटिव की एमटीएम बढ़ोतरी (एप्रीसिएशन)/मूल्यह्रास होने पर सर्वप्रथम इनके संबंधित अंडरलाइंग आस्ति के मूल्यह्रास/बढ़ोतरी (एप्रीसिएशन) से इसका समंजन (सेट ऑफ) किया जाता है तथा इसके परिणाम से निकले मूल्यह्रास को निर्धारित किया जाता है। यदि उक्त के परिणाम स्वरूप बढ़ोतरी (एप्रीसिएशन) निकलता है तो उस पर ध्यान नहीं दिया जाता है।

(ङ) ट्रेडिंग के उद्देश्य से, विनिमय व्यापार डेरिवेटिव के अलावा ब्याज दर डेरिवेटिव और मुद्रा डेरिवेटिव को बाजार मूल्य पर (एमटीएम) अंकित किया जाता है और परिणामत: हानि, यदि कोई हो तो, उसे लाभ एवं हानि के रूप में निर्धारित किया जाता है। लाभ, यदि कोई हो तो, उस पर ध्यान नहीं दिया जाता है।

(च) ट्रेडिंग के उद्देश्य से प्रविष्ट, विनिमय व्यापार डेरिवेटिव का, विनिमय द्वारा प्रदत्त दरों के आधार पर, प्रचलित मार्केट दरों पर मूल्यांकन किया जाता है तथा इसके परिणामस्वरूप लाभ और हानि को लाभ-हानि खाते में निर्धारित किया जाता है।

(छ) ट्रेडिंग स्वैप के निरस्तीकरण से लाभ/हानियों को, निरस्तीकरण तिथि पर आय/व्यय के रूप में रिकार्ड किया जाता है। हेजिंग स्वैप के निरस्तीकरण पर, किसी भी लाभ/हानि को उस समय स्थगित किया जाता है तथा संविदा के अनुसार स्वैप की शेष अवधि या निर्दिष्ट आस्ति/देयता की अवधि - इन दोनों में जो भी कम हो, उस काल खंड में उसे निर्धारित किया जाता है।

(ज) ऑप्शन संविदा की परिपक्वता अवधि पर ऑप्शन शुल्क/प्रीमियम का परिशोधन किया जाता है।

बी. गैर-बैंकिंग: मर्चेंट बैंकिंग

ए) वायदा अनुबंध/ऑप्शन की बिक्री में प्रवेश के समय देय प्रारंभिक मार्जिन, सावधि जमा, नकद जमा और प्रतिभूतियों के रूप में एक्सचेंजों के साथ जमा के विरुद्ध समायोजित किया जाएगा।

बी) वायदा के संविदाओं में लेन-देन को संविदा के नोशनल व्यापार मूल्य पर खरीद और बिक्री के रूप में दर्ज किया जाता है। तुलन पत्र की तारीख को वायदा में ओपन इंटरेस्ट इसके नोशनल मूल्य से घटाया जाएगा।

सी) **वायदा के संविदाओं के मामले में,** निपटान मूल्य या पिछले दिन के विनिमय समापन मूल्य और बाद के दिन के विनिमय समापन मूल्य में अंतर, एक्सचेंज को भुगतान या एक्सचेंज से प्राप्त, मार्क-टू-मार्केट मार्जिन के रूप में माना जाएगा। मार्क-टू-मार्केट मार्जिन खाते में बैलेंस शीट की तारीख तक वायदा संविदाओं में ओपन ब्याज की कीमतों में उतार-चढ़ाव के आधार पर भुगतान की गई या प्राप्त की गई शुद्ध राशि का प्रदर्शित करेगा। मार्क-टू-मार्केट मार्जिन खाते में शुद्ध डेबिट शेष को राजस्व से प्रभारित किया जाएगा जबकि शुद्ध क्रेडिट शेष को वर्तमान देनदारियों के तहत दिखाया जाएगा।

Based on RBI guidelines, Derivatives are valued as under:

(a) The hedge/non hedge (market making) transactions are recorded separately.

(b) Income/expenditure on hedging derivatives are accounted on accrual basis.

(c) Forex forward contracts are Marked to market and the resultant gains and losses are recognized in the Profit and Loss Account.

(d) MTM appreciation/ depreciation of hedging derivative is first set off with the depreciation / appreciation of the corresponding underlying and the resultant depreciation is recognized. Resultant appreciation, if any, is ignored.

(e) Interest Rate Derivatives and currency derivatives other than exchange traded derivatives for trading purpose are marked to market and the resulting losses, if any, are recognised in the Profit & Loss account. Net Profit if any, is ignored.

(f) Exchange Traded Derivatives entered into for trading purposes are valued at prevailing market rates based on rates given by the Exchange and the resultant gains and losses are recognized in the Profit and Loss Account.

(g) Gains/ losses on termination of the trading swaps are recorded on the termination date as income/expenditure. Any gain/loss on termination of hedging swaps are deferred and recognised over the shorter of the remaining contractual life of the swap or the remaining life of the designated assets/liabilities.

(h) Option fees/premium is amortised over the tenor of the option contract.

B. Non-Banking : Merchant Banking

a) Initial Margin payable at the time of entering into futures contract / sale of options shall be adjusted against the deposits with the exchanges in the form of fixed deposits, cash deposits and securities.

b) Transactions in Future contracts shall be accounted as Purchase and Sales at the notional trade value of the contract. The open interest in futures as at the Balance Sheet date shall be netted by its notional value.

c) **In case of Future Contracts,** the difference in the settlement price or exchange closing price of the previous day and exchange closing price of the subsequent day, paid to or received from the exchange shall be treated as Mark-to-Market Margin. The balance in the Mark-to-Market Margin Account shall represent the net amount paid or received on the basis of movement in the prices of open interest in futures contracts till the balance sheet date. Net debit balance in the Mark-to-Market Margin Account shall be charged off to revenue whereas net credit balance shall be shown under current liabilities.

डी) **ऑप्शन संविदाओं के मामले में,** भुगतान किए जाने वाले या ऑप्शन की खरीद और बिक्री पर प्राप्त होने वाले प्रीमियम और ऑप्शन के प्रयोग पर भुगतान या प्राप्त अंतर को खरीद या बिक्री के रूप में माना जाएगा। बेचे गए ऑप्शन में ओपन इंटरेस्ट के मामले में, यदि कोई हो तो, बैलेंस शीट तिथि पर प्रचलित प्रीमियम, उन ऑप्शन के लिए प्राप्त प्रीमियम से अधिक होने वाली राशि के लिए प्रावधान किया जाएगा। बैलेंस शीट तिथि पर प्रचलित प्रीमियम पर प्राप्त होने वाले प्रीमियम की अधिकता को मान्यता नहीं दी जाएगी।

इसी तरह, खरीदे गए ऑप्शन के मामले में, उस राशि के लिए प्रावधान किए जा सकते हैं जिसके द्वारा ऑप्शन के लिए भुगतान किया जाने वाला प्रीमियम, बैलेंस शीट की तारीख पर प्रचलित प्रीमियम से अधिक होगा और भुगतान किए गए प्रीमियम पर बैलेंस शीट की तारीख पर प्रचलित प्रीमियम की अधिकता होगी तो उसे नजरअंदाज किया जाएगा। एक से अधिक ओपन स्थितियों के मामले में, निम्नानुसार प्रावधान किए जाएंगे:

सभी खरीद संविदाओं के लिए भुगतान किए गए प्रीमियम का योग + बिक्री की स्थिति में सभी अतिरिक्त प्रीमियम का योग

10) संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण:

क. पुनर्मूल्यांकित आस्तियों के मामलों के अतिरिक्त, जिन्हें पुनर्मूल्यांकित रकम पर ही बताया जाता है, अचल आस्तियों को पूर्व के लागत के आधार पर बताया है। पुनर्मूल्यांकन से आयी वृद्धि (एप्रीसिएशन) को पुनर्मूल्यांकन आरक्षिति में जमा किया जाता है।

ख. लागत में शामिल है - खरीद की लागत तथा आस्ति के उपयोग के पहले या उसे पहले प्रयोग योग्य बनाने के लिए स्थान संबंधी तैयारी की संस्थापना लागत, व्यावसायिक शुल्क इत्यादि जैसे किए गए सभी व्यय। उपयोग की जा रही आस्तियों पर किए गए उत्तरवर्ती व्यय को केवल तभी पंजीकृत किया जाएगा जब ऐसी आस्तियों से अथवा उनकी कार्यात्मक क्षमता से भविष्य में लाभ में वृद्धि होती है।

ग. 5 वर्ष से कम आकलित उपयोगी जीवन वाली आस्तियों को छोड़कर, सभी आस्तियों के लिए 5% अवशिष्ट मूल्य रखा गया है (यथा मोबाइल फोन, कम्प्यूटर, कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर जो हार्डवेयर के भाग हैं) जहाँ आस्ति की पूरी लागत, उपयोगी जीवन के ऊपर परिशोधित है।

d) **In case of Option Contracts,** premium to be paid or to be received on purchase and sale of options and the difference paid or received on exercise of options shall be accounted as Purchases or Sales. In case of open interest in options sold if any as on the balance sheet date, provision shall be made for the amount by which premium prevailing on the Balance Sheet date shall exceed the premium to be received for those options. The excess of premium to be received over the premium prevailing on the Balance Sheet date shall not be recognised.

Similarly, in case of options bought, provisions shall be made for the amount by which the premium to be paid for the option shall exceed the premium prevailing on the Balance Sheet date and the excess of premium prevailing on the Balance Sheet date over the premium paid shall be ignored. In case of multiple open positions, provisions shall be made as under:

Sum of premium paid for all buy contracts + sum of all excess premium in sell positions

10) PROPERTY, PLANT & EQUIPMENT

a. Fixed assets are stated at historic cost, except in the case of assets which have been revalued, which are stated at revalued amount. The appreciation on revaluation is credited to Revaluation Reserve.

b. Cost includes cost of purchase and all expenditure such as site preparation, installation costs, professional fees, etc. incurred on the asset before it is ready to use or capable of ready to use. Subsequent expenditure incurred on assets ready to use is capitalised only when it increases the future benefits from such assets or their functioning capability.

c. 5% residual value has been kept for all the assets except for the assets with estimated useful life less than 5 Years (e.g. Mobile Phones, Computers, Computer Software forming part of hardware), where the entire cost of the assets is amortised over the useful life.

घ. मूल्यह्रास की दर तथा मूल्यह्रास प्रभारित करने का तरीका नीचे दिया गया है -

d. The rates of depreciation and method of charging depreciation is given below-

क्र.सं. Sr. No.	विवरण	Particulars	मूल्यह्रास की दर Rate of Depreciation	बैंक के द्वारा निर्धारित उपयोगी जीवन का आकलन Estimated useful life as determined by the Bank	मूल्यह्रास प्रभारित करने का तरीका Method of charging depreciation
1	**भवन एवं भूमि**	**Land & Building:**			
1.a.	भूमि (फ्री होल्ड)	Land (Freehold)	शून्य NIL		
1.b.	पट्टाधारित भूमि	Leasehold Land		लीज प्रीमियम को पट्टे की अवधि पर परिशोधित की जाती है। Lease premium is amortised over the period of lease	
1.c.	भवन (भूमि की लागत सहित यदिपहले निर्धारित नहीं की गयी है)	Building (including cost of land if not ascertained separately)	1.58%	60 वर्ष Years	सीधी आरेख पद्धति Straight Line
2.	**अन्य अचल आस्तियां:-**	**Other Fixed Assets:-**			
a.	फर्नीचर, फिक्सचर, इलेक्ट्रिकल फिटिंग एवं उपकरण	Furniture, Fixtures, Electrical fittings and Equipment's	9.50%	10 वर्ष Years	सीधी आरेख पद्धति Straight Line
b.	इलेक्ट्रिकल फिटिंग एवं उपकरण	Electrical Fitting and Equipment's	9.50%	10 वर्ष Years	Straight Line
c.	एयर कंडिशनिंग प्लांट इत्यादि एवं कारोबार मशीनें	Air-conditioning plants, etc. and business machines	6.33%	15 वर्ष Years	सीधी आरेख पद्धति Straight Line
d.	मोटर कार, वैन एवं मोटर साइकिलें	Motor cars, Vans & Motor cycles	11.88%	8 वर्ष Years	सीधी आरेख पद्धति Straight Line
e.	साइकल	Cycle	20.00%	5 वर्ष Years	सीधी आरेख पद्धति Straight Line
f.	मोबाइल फोन	Mobile Phones	33.33%	3 वर्ष Years	सीधी आरेख पद्धति Straight Line
g.	कम्प्यूटर तथा कंम्प्यूटर साफ्टवयेर जो हार्डवेयर का अभिन्न अंग है।	Computers and Computer Software forming integral part of hardware	33.33%	3 वर्ष Years	सीधी आरेख पद्धति Straight Line
h.	सर्वर	Servers	20%	5 वर्ष Years	सीधी आरेख पद्धति Straight Line
i.	कंम्प्यूटर साफ्टवयेर जो हार्डवेयर का अभिन्न अंग नहीं है।	Computer Software, which do not form integral part of computer hardware	20%	5 वर्ष Years	सीधी आरेख पद्धति Straight Line

ड) वर्ष के दौरान, खरीद/बिक्री के संबंध में मूल्य ह्रास को, जितने दिनों के लिए संबंधित आस्ति का प्रयोग किया गया, उसके आनुपातिक आधार पर परिकलित किया जाता है।

च) आस्तियों के पुनर्मूल्यांकन के समय यथा मूल्यांकित, संबंधित आस्ति के बचे हुए उपयोगी जीवन में पुनर्मूल्यांकित अंश का मूल्यह्रास लिया जाता है। ऐसे मूल्यह्रास को लाभ एवं हानि पर प्रभारित किया जाता है और इसके बराबर की राशि को पुनर्मूल्यांकन आरक्षिति से राजस्व आरक्षिति में अंतरित किया जाता है।

छ) भारत के बाहर की अचल आस्तियों पर मूल्यह्रास, सीधी आरेख पद्धति पर आधारित होता है, उन स्थानों को छोड़कर जहाँ स्थानीय संबंधित प्राधिकारियों के द्वारा अलग दर/पद्धति निर्धारित की गयी है।

ज) कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर जो कम्प्यूटर हार्डवेयर के अनिवार्य अंग नहीं है, उन्हें अमूर्त आस्ति के रूप में वर्गीकृत किया जाता है तथा इन्हे पाँच वर्षों की अवधि में परिशोधित किया जाता है।

झ) पट्टे पर धारित भूमि के संदर्भ में लीज प्रीमियम, यदि कुछ हो तो, उसे लीज अवधि के दौरान परिशोधित किया जाता है।

e. In respect of additions/sale during the year, depreciation is provided on proportionate basis for the number of days the assets have been ready to use during the year.

f. The revalued portion is depreciated over the balance useful life of the assets as assessed at the time of revaluation. Such depreciation is charged to Profit & loss account and equivalent amount is transferred from Revaluation Reserve to Revenue Reserve.

g. Depreciation on fixed assets outside India is provided on Straight Line Method, except at the centres where different rates/method have been prescribed by the local statutory authorities.

h. Computer Software, not forming integral part of computer hardware is classified as intangible asset and amortised over a period of 5 years.

i. In respect of leasehold land, the lease premium, if any, is amortised over the period of lease.

11. विदेशी मुद्रा विनिमय से संबद्ध संव्यवहार:

विदेशी मुद्रा से संबंधित संव्यवहारों का लेखांकन, आरबीआई के वर्तमान दिशानिर्देशों के साथ पठित लेखामानक एएस 11, ''विदेशी विनिमय दरों में परिवर्तन का प्रभाव'' के अनुरूप किया जाता है:

क) समाकलित विदेशी परिचालनों के संबंध में परिवर्तन:

भारतीय शाखाओं के विदेशी मुद्रा में संव्यवहारों का वर्गीकरण समाकलित विदेशी परिचालन के रूप में किया गया है और ऐसे परिचालनों के विदेशी मुद्रा में संव्यवहारों को निम्नानुसार परिवर्तन किया गया है:

i) विदेशी मुद्रा में संव्यवहारों को, रिपोर्टिंग मुद्रा में, आरंभिक मान्यता पर रिकार्ड किया जाता है। ऐसा, कॉजेंसिज/रयूटर के पृष्ठ में प्रदर्शित साप्ताहिक औसत क्लोजिंग दर पर, रिपोर्टिंग मुद्रा और विदेशी मुद्रा के बीच विनिमय दर को विदेशी मुद्रा रकम पर लगाकर किया जाता है।

ii) विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदें, भारतीय विदेशी मुद्रा डीलर संघ (एफईडीएआई) के क्लोजिंग स्पॉट दरों का प्रयोग कर रिपोर्ट की जाती हैं।

iii) विदेशी मुद्रा गैर-मौद्रिक मदें, जो पूर्व की लागत के अनुसार की जाती हैं उन्हें संव्यवहार की तारीख पर विनिमय दर का प्रयोग करते हुए रिपोर्ट किया जाता है।

iv) विदेशी मुद्रा में रखी गई आकस्मिक देयताओं को एफईडीएआई के क्लोजिंग स्पॉट दरों का प्रयोग कर रिपोर्ट की जाती हैं।

v) बकाया विदेशी मुद्रा स्पॉट और कारोबार के लिए धारित वायदा संविदा का, निर्धारित परिपक्वता के लिए एफईडीएआई द्वारा अधिसूचित विनिमय दरों पर पुनर्मूल्यांकन किया जाता है और परिणामत: लाभ अथवा हानि को लाभ और हानि खाते में मान्यता दी जाती है।

vi) एफईडीएआई द्वारा दी गई सूचना के अनुसार बकाया विदेशी मुद्रा वायदा संविदा जिन पर कारोबार नहीं किया जाएगा, उनका क्लोजिंग स्पॉट दर पर मूल्यांकन किया जाता है। ऐसे वायदा विनिमय संविदा के आरंभ में उत्पन्न प्रीमियम अथवा बट्टे को संविदा के जीवनकाल में व्यय अथवा आय पर परिशोधित किया जाता है।

vii) मौद्रिक मदों के निपटान में, आरंभ में रिकॉर्ड किए गए दरों से भिन्न दरों के लिए उत्पन्न विनिमय अंतर को, उस अवधि के लिए आय के रूप में अथवा व्यय के रूप में माना जाएगा जिस समय यह उत्पन्न हुई।

viii) मुद्रा वायदा बाजार में ओपन स्थिति के विनिमय दर में परिवर्तन के कारण प्राप्ति/हानि का निपटान दैनिक आधार पर विनिमय समाशोधन गृह में किया जाता है और ऐसी प्राप्ति/हानि को लाभ एवं हानि खाते में मान्य किया जाता है।

ख) समाकलन रहित विदेशी परिचालनों के संबंध में परिवर्तन:

विदेशी शाखाओं के विदेशी मुद्रा में संव्यवहार को आंतरिक विदेशी परिचालनों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है और उनके वित्तीय विवरणपत्रों को निम्नानुसार स्पष्ट किया जाता है :

11) TRANSACTIONS INVOLVING FOREIGN EXCHANGE:

Transactions involving foreign exchange are accounted for in accordance with AS 11, "The Effect of Changes in Foreign Exchange Rates" read with extant RBI guidelines:

a) Translation in respect of Integral Foreign operations:

Foreign currency transactions of Indian branches have been classified as integral foreign operations and foreign currency transactions of such operations are translated as under:

i) Foreign currency transactions are recorded on initial recognition in the reporting currency by applying to the foreign currency amount, the daily closing rate as available from Cogencis/Reuter's page on date of the transaction.

ii) Foreign currency monetary items are reported using the Foreign Exchange Dealers Association of India (FEDAI) closing spot rates.

iii) Foreign currency non-monetary items, which are carried in terms of historical cost, are reported using the exchange rate at the date of the transaction.

iv) Contingent liabilities denominated in foreign currency are reported using the FEDAI closing spot rates.

v) Outstanding foreign exchange spot and forward contracts held for trading are revalued at the exchange rates notified by FEDAI for specified maturities, and the resulting notional profit or loss is recognised in the Profit and Loss account.

vi) Outstanding Foreign exchange forward contracts which are not intended for trading are valued at the closing spot rate as advised by FEDAI. The premium or discount arising at the inception of such a forward exchange contract is amortised as expense or income over the life of the contract.

vii) Exchange differences arising on the settlement of monetary items at rates different from those at which they were initially recorded are recognised as income or as expense in the period in which they arise.

viii) Gains/Losses on account of changes in exchange rates of open position in currency futures trades are settled with the exchange clearing house on daily basis and such gains/losses are recognised in the Profit and Loss account.

b) Translation in respect of Non-Integral Foreign operations:

Transactions and balances of foreign entities are classified as non-integral foreign operations and their financial statements are translated as follows:

i) आस्तियों एवं देयताओं (मौद्रिक और गैर-मौद्रिक के साथ-साथ आकस्मिक देयताओं) को वर्ष की समाप्ति पर, भारतीय विदेशी मुद्रा डीलर संघ (एफईडीएआई) द्वारा अधिसूचित क्लोजिंग दरों के आधार पर परिवर्तन किया जाता है।

ii) आय और व्ययों को संबंधित तिमाही की समाप्ति पर एफईडीएआई द्वारा सूचित ''तिमाही औसतन क्लोजिंग दर'' पर स्पष्ट किया जाता है।

iii) सभी परिणामी विनिमय अंतरों को संबंधित विदेशी शाखाओं में निवल निवेशों के निपटान तक एक अलग खाते - ''विदेशी मुद्रा परिवर्तन रिजर्व'' में संचित किया जाता है।

iv) विदेशी कार्यालयों के विदेशी मुद्रा में आस्तियां और देयताएं (विदेशी कार्यालयों के स्थानीय मुद्रा को छोड़कर) को उस देश में लागू स्पॉट दरों का प्रयोग करते हुए स्थानीय मुद्रा में आंका जाता है।

12) कर्मचारी लाभ :

i. अल्पावधि कर्मचारी लाभ:

अल्पावधि कर्मचारी लाभों की बट्टाकृत रकम जैसे मेडिकल लाभ आदि का भुगतान, कर्मचारी द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के विनिमय में किया जाता है। इसे कर्मचारी द्वारा दी जा रही सेवा की अवधि के दौरान ही मान्यता दी जाएगी।

ii. दीर्घावधि कर्मचारी लाभ:

ए. परिनिश्चित लाभ योजना:-

क) उपदान (ग्रैच्युटी)

बैंक सभी पात्र कर्मचारियों को ग्रैच्युटी प्रदान करता है। यह लाभ निहित कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति पर, नियोजन के दौरान मृत्यु पर, अथवा नियोजन की समाप्ति पर एक मुश्त भुगतान के रूप में दी जाती है। यह राशि प्रत्येक पूर्ण किए गए सेवा वर्ष के लिए देय 15 दिनों के बेसिक वेतन के समतुल्य है जो उपदान संदाय अधिनियम 1972 अथवा बीओआई (कर्मचारी) उपदान नियम, 1975 में निर्धारित अधिकतम राशि में जो भी अधिक हो के अधीन है। वेस्टिंग पांच वर्षों की सेवा पूर्ण होने पर ही होती है। बैंक निधि में आवधिक अंशदान करता है जिसका प्रबंधन ट्रस्टी द्वारा किया जाता है जो तिमाही रूप में एक स्वतंत्र बाह्य ऐक्चवेरीयल मूल्यांकन पर आधारित है।

ख) पेंशन

बैंक सभी पात्र कर्मचारियों को पेंशन देता है। नियमों के अनुसार यह लाभ मासिक भुगतान के रूप में होता है और निहित कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति पर, नियोजन के दौरान मृत्यु पर, अथवा नियोजन की समाप्ति पर भुगतान किया जाता है। नियमों के अनुसार वेस्टिंग विभिन्न स्तरों पर होती

i) Assets and Liabilities (monetary and non-monetary as well as contingent liabilities) are translated at the closing rates notified by FEDAI.

ii) Income and expenses are translated at the quarterly average closing rates notified by FEDAI.

iii) All resulting exchange differences are accumulated in a separate account 'Foreign Currency Translation Reserve' till the disposal of the net investments by the bank in the respective foreign entities.

iv) The Assets and Liabilities of foreign offices in foreign currency (other than local currency of the foreign offices) are translated into local currency using spot rates applicable to that country.

12) EMPLOYEE BENEFITS:

i. Short Term Employee Benefits:

The undiscounted amount of short-term employee benefits, such as medical benefits etc. which are expected to be paid in exchange for the services rendered by employees are recognised during the period when the employee renders the service.

ii. Long Term Employee Benefits:

A. Defined Benefit Plan

a) Gratuity

The Bank provides gratuity to all eligible employees. The benefit is in the form of lump sum payments to vested employees on retirement, or on death while in employment, or on termination of employment, for an amount equivalent to 15 days basic salary payable for each completed year of service, subject to a maximum prescribed as per The Payment of Gratuity Act, 1972 or Bank of India Gratuity Fund Rules, 1975, whichever is higher. Vesting occurs upon completion of five years of service. The Bank makes periodic contributions to a fund administered by trustees based on an independent actuarial valuation carried out quarterly.

b) Pension

The Bank provides pension to all eligible employees. The benefit is in the form of monthly payments as per rules and payments to vested employees on retirement, on death while in employment, or on termination of employment. Vesting occurs at different stages as per rules. The Bank makes monthly contribution to the pension fund

है। बीओआई (कर्मचारी) पेंशन विनियमन,1995 के अनुसार बैंक पेंशन निधि में वेतन का 10% मासिक अंशदान करता है। पेंशन की देयता स्वतंत्र ऐक्चवेरीयल मूल्यांकन पर आधारित है जो तिमाही रूप में की जाती है और पेंशन विनियमन के तहत भुगतान के लाभों को सुरक्षित रखने के लिए आवश्यकता पड़ने पर निधि में बैंक द्वारा ऐसे अतिरिक्त अंशदान किए जाते हैं।

बी. परिनिश्चित अंशदान योजना:

क. भविष्य निधि:

बैंक एक भविष्य निधि योजना चलाती है। सभी पात्र कर्मचारियों को बैंक के भविष्य निधि योजना के तहत लाभ पाने का हक है। बैंक एक निर्धारित दर (वर्तमान में कर्मचारी के बेसिक वेतन के 10% के साथ पात्र भत्ते) पर मासिक अंशदान करती है। यह अंशदान इस उद्देश्य से स्थापित न्यास को प्रेषित किया जाता है और इसे लाभ तथा हानि खाते में प्रभारित किया जाता है। बैंक ऐसे वार्षिक अंशदानों को उस संबंधित वर्ष के व्यय के रूप में मान्यता देता है।

ख. पेंशन

दिनांक 01 अप्रैल, 2010 से बैंक में भर्ती हुए सभी कर्मचारी अंशदायी पेंशन के पात्र हैं। ऐसे कर्मचारी पेंशन योजना में पूर्व निर्धारित दर पर मासिक अंशदान करते हैं। उक्त पेंशन योजना में बैंक भी पूर्व निर्धारित दर पर मासिक अंशदान करता है। बैंक ऐसी योजना में हुए व्यय को संबंधित वर्ष के व्यय के रूप में मान्यता देता है। यह अंशदान राष्ट्रीय पेंशन सिस्टम न्यास को प्रेषित किया जाता है। बैंक का दायित्व ऐसे पूर्व निर्धारित अंशदान तक सीमित है।

ग. अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ

सभी पात्र कर्मचारी निम्नलिखित के पात्र हैं -

i) छुट्टी नकदीकरण लाभ जो परिभाषित लाभ दायित्व है, एएस 15 - ''कर्मचारी लाभ'' के अनुरूप ऐक्चवेरीयल मूल्यांकन के आधार पर उपलब्ध करवाया जाता है।

ii) अन्य कर्मचारी लाभ जैसे छुट्टी किराया रियायत, माइलस्टोन एवार्ड, पुनर्स्थापना लाभ, आकस्मिक लाभ इत्यादि परिनिश्चित लाभ दायित्व है जो एएस 15 - ''कर्मचारी लाभ'' के अनुरूप ऐक्चवेरीयल मूल्यांकन के आधार पर उपलब्ध करवाया जाता है।

iii) विदेशी शाखाओं, कार्यालयों एवं सहायक कंपनियों के मामलों में प्रतिनियुक्तियों को छोड़कर अन्य कर्मचारियों के संबंध में लाभों की गणना संबंधित देशों में विद्यमान कानून के आधार पर की जाती है।

at 10% of pay in terms of Bank of India (Employees) Pension regulations, 1995. The pension liability is reckoned based on an independent actuarial valuation carried out quarterly and Bank makes such additional contributions periodically to the Fund as may be required to secure payment of the benefits under the pension regulations.

B. Defined Contribution Plan:

a. Provident Fund

The Bank operates a Provident Fund scheme. All eligible employees are entitled to receive benefits under the Bank's Provident Fund scheme. The Bank contributes monthly at a determined rate (currently 10% of employee's basic pay plus eligible allowance). These contributions are remitted to a trust established for this purpose and are charged to Profit and Loss Account. The bank recognises such annual contributions as an expense in the year to which it relates.

b. Pension

All Employees of the bank, who have joined from 1st April, 2010 are eligible for contributory pension. Such employees contribute monthly at a predetermined rate to the pension scheme. The bank also contributes monthly at a predetermined rate to the said pension scheme. Bank recognises its contribution to such scheme as expenses in the year to which it relates. The contributions are remitted to National Pension System Trust. The obligation of bank is limited to such predetermined contribution.

c. Other Long term Employee Benefits:

All eligible employees are entitled to the following-

i) Leave encashment benefit, which is a defined benefit obligation, is provided for on the basis of an actuarial valuation in accordance with AS 15 – "Employee Benefits".

ii) Other employee benefits such as Leave Fare Concession, Milestone award, resettlement benefits, sick leave etc. which are defined benefit obligations are provided for on the basis of an actuarial valuation in accordance with AS 15 – "Employee Benefits".

iii) In respect of overseas branches, offices and subsidiaries, the benefits in respect of employees other than those on deputation are valued and accounted for as per laws prevailing in the respective territories.

13. **सेगमेंट रिपोर्टिंग:**

आरबीआई के दिशानिर्देशों और भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी मानक लेखांकन 17 के अनुसार बैंक कारोबार संबंधी खण्ड को प्राथमिक रिपोर्टिंग खण्ड और भोगेलिक खण्ड को गौण रिपोर्टिंग खंड के रूप में मान्यता देता है।

14. **लीज संव्यवहार: (एस 19 पट्टे)**

लीज जहां मालिकाना का जोखिम और रिवार्ड, पट्टाकर्ता द्वारा रखा जाता है उसे लेखांकन मानक 19 (लीज) के अनुसार परिचालन लीज के रूप में वर्गीकृत किया जाता हैं। ऐसी लीज पर लीज व्यय लाभ एवं हानि खाने में निर्धारित किया जाता है।

15. **प्रति शेयर अर्जन:**

क) एएस 20 "अर्जन प्रति शेयर'' के अनुसार प्रति इक्विटी शेयर, बेसिक एवं डायल्यूटेड अर्जन रिपोर्ट की जाती है। प्रति इक्विटी शेयर की गणना, मूल अर्जन की कर पश्चात् शुद्ध लाभ को उस अवधि के दौरान बकाया इक्विटी शेयर की भारित औसत संख्या से भाग कर की जाती है।

ख) प्रति इक्विटी शेयर डायल्यूटेड आय की गणना, इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या एवं अवधि के दौरान बकाया तरल संभाव्य इक्विटी शेयरों को उपयोग में लेकर की जाती है।

16. **आय पर कर:**

क) बीओआई ग्रुप द्वारा किये गये, वर्तमान कर तथा आस्थागित कर के व्यय की कुल राशि आयकर व्यय है। आयकर अधिनियम, 1961 तथा लेखांकन मानक 22 - ''आय पर करों के लिए लेखांकन'' के प्रावधानों अनुसार क्रमश: वर्तमान कर व्यय तथा आस्थगित कर व्यय का निर्धारण किया जाता है। इसमें विदेशी कार्यालयों द्वारा संबंधित देशों के कर कानूनों पर आधारित भुगतान किये गये करों को ध्यान में रखा जाता है।

ख) आस्थगन कर समायोजन में वर्ष के दौरान स्थगित कर आस्ति या देयता में परिवर्तन शामिल होता है। वर्तमान वर्ष हेतु कर योग्य आय तथा लेखांकन आय के बीच अंतर तथा हानि को आगे ले जाने पर समय के प्रभाव पर विचार करते हुए आस्थगित कर आस्ति एवं देयताओं को निर्धारित किया जाता है। तुलन पत्र की तारीख को लागू या पूर्णत: लागू कर दर तथा कर कानून का प्रयोग कर आस्थगित कर आस्तियाँ तथा देयताएँ तय की जाती हैं। आस्थगित कर आस्तियों तथा देयताओं में परिवर्तन का प्रभाव लाभ तथा हानि खाते में निर्धारित किया जाता है।

ग) प्रबंधन के निर्णय के अनुसार यदि उगाही निश्चित है तो प्रत्येक रिपोर्टिंग तारीख को आस्थगित कर आस्तियाँ, निर्धारित एवं पुनर्मूल्यांकित की जाती हैं। अनवशोषित मूल्यह्रास तथा कर हानि को आगे ले जाने पर आस्थगित कर आस्ति को तब ही निर्धारित किया जाता है जब इस बात के ठोस और निश्चित प्रमाण हों कि भविष्य के कर योग्य आय के विरुद्ध आस्थगित कर आस्ति की उगाही की जा सकती है।

घ) समेकित वित्तीय विवरणी में, आय कर व्यय, मूल तथा उसकी अनुषंगी/संयुक्त उपक्रम के संबंध में लागू कानूनों के अनुसार उनकी पृथक वित्तीय विवरणियों में प्रदर्शित कर व्ययों की राशि का कुल योग है।

13) **SEGMENT REPORTING:**

The Bank recognises the business segment as the primary reporting segment and geographical segment as the secondary reporting segment in accordance with the RBI guidelines and in compliance with the Accounting Standard 17 issued by Institute of Chartered Accountants of India.

14) **LEASE TRANSACTIONS: (AS 19 Leases)**

Lease where risks & rewards of ownership are retained by lessor are classified as Operating Lease as per AS 19 (Leases). Lease expenses on such lease are recognised in Profit & Loss Account.

15) **EARNINGS PER SHARE:**

a) Basic and Diluted earnings per equity share are reported in accordance with AS 20 "Earnings per share". Basic earnings per equity share are computed by dividing net profit after tax by the weighted average number of equity shares outstanding during the period.

b) Diluted earnings per equity share are computed using the weighted average number of equity shares and dilutive potential equity shares outstanding at the end of the period.

16) **TAXES ON INCOME:**

a) Income tax expense is the aggregate amount of current tax and deferred tax expense incurred by the BOI group. The current tax expense and deferred tax expense are determined in accordance with the provisions of the Income Tax Act, 1961 and as per Accounting Standard 22 - "Accounting for Taxes on Income" respectively after taking into account taxes paid at the foreign offices, which are based on the tax laws of respective jurisdictions.

b) Deferred Tax adjustments comprise changes in the deferred tax assets or liabilities during the year. Deferred tax assets and liabilities are recognised by considering the impact of timing differences between taxable income and accounting income for the current year, and carry forward losses. Deferred tax assets and liabilities are measured using tax rates and tax laws that have been enacted or substantively enacted at the balance sheet date. The impact of changes in deferred tax assets and liabilities is recognised in the profit and loss account.

c) Deferred tax assets are recognised and re-assessed at each reporting date, based upon management's judgment as to whether their realisation is considered as reasonably certain. Deferred Tax Assets are recognised on carry forward of unabsorbed depreciation and tax losses only if there is virtual certainty supported by convincing evidence that such deferred tax assets can be realised against future taxable income.

d) In Consolidated Financial Statements, income tax expenses are the aggregate of the amounts of tax expense appearing in the separate financial statements of the parent and its subsidiaries/joint ventures, as per their applicable laws.

17. आस्तियों का ह्रास:

स्थिर आस्तियों (पुनर्मूल्यित आस्तियों सहित) पर ह्रासित हानि, यदि कोई हो, तो एएस 28 ''आस्तियों का ह्रास'' के अनुरूप लाभ और हानि खाते में प्रभारित की जाती है। तथापि, पुनर्मूल्यित आस्ति पर ह्रासित हानि को सीधे आस्ति के लिए किसी पुनर्मूल्यन अधिशेष पर मान्यता, उस हद तक है जहां तक एक ही आस्ति के पुनर्मूल्यन अधिशेष में रखी गयी रकम ह्रासित हानि से अधिक न हो।

18. प्रावधान, आकस्मिक देयताएं एवं आकस्मिक आस्तियां:

एएस 29 ''प्रावधान, आकस्मिक देयताएं एवं आकस्मिक आस्तियां'' के अनुसार बैंक प्रावधानों को केवल तभी मान्यता देता है जब पिछली घटनाओं के परिणामस्वरूप वर्तमान पर कोई दायित्व हो और यह भी हो सकता है कि आर्थिक लाभों को समाविष्ट करते हुए संसाधनों का बहिर्गमनों की दायित्वों को निपटान करने के लिए आवश्यकता पड़ेगी और जब दायित्व की राशि का विश्वसनीय अनुमान किया जा सकता है।

जब तक कि आर्थिक लाभों को समाविष्ट करते हुए संसाधनों के बहिर्गमन की संभावना कम न हो, आकस्मिक देयताओं का प्रकटन किया जाता है।

वित्तीय विवरणियों में आकस्मिक आस्तियों को मान्य नहीं किया जाता है।

19. शेयर निर्गम संबंधी व्यय :

शेयर निर्गमित किए जाने वाले वर्ष में शेयर निर्गमन संबंधी व्यय को लाभ तथा हानि खाते में प्रभारित किया जाता है।

17) IMPAIRMENT OF ASSETS:

Impairment losses, if any on Fixed Assets (including revalued assets) are recognised and charged to Profit and Loss account in accordance with AS 28 “Impairment of Assets”. However, an impairment loss on revalued assets is recognised directly against any revaluation surplus for the asset to the extent that the impairment loss does not exceed the amount held in the revaluation surplus for that same asset.

18) PROVISIONS, CONTINGENT LIABLITIES AND CONTINGENT ASSETS:

As per AS 29 “Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets”, the Bank recognises provisions only when it has a present obligation as a result of a past event and it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation and when a reliable estimate of the amount of the obligation can be made.

Contingent liability is disclosed unless the possibility of an outflow of resources embodying economic benefit is remote.

Contingent Assets are not recognised in the financial statements.

19) SHARE ISSUE EXPENSES:

Share issue expenses are charged to Share Premium Account in the year of issue of shares.

अनुसूची 18

जब तक कि विशिष्ट रूप से अन्यथा न कहा गया हो सभी आंकडे ₹ करोड़ में हैं। कोष्ठक में दिए आंकडे पिछले वर्ष से संबंधित हैं।

समेकित वित्तीय विवरणपत्रों के भाग रूप नोट्स

1. अनुषंगियों (सब्सिडीरिज) के विवरण निम्नानुसार हैं जिनके वित्तीय विवरणपत्र बैंक ऑफ़ इंडिया (मूल बैंक) के एकल वित्तीय विवरण पत्र के साथ समेकित हैं :

अनुषंगियों का नाम	निगमन (इन्कॉर्पोरेशन) देश	यथा 31.03.2023को मूल बैंक द्वारा स्वामित्व का अनुपात	यथा 31.03.2022को मूल बैंक द्वारा स्वामित्व का अनुपात
स्वदेशी अनुषंगियां :			
क) बीओआई शेयर होल्डिंग लि.	भारत	100%	100%
ख) बैंक ऑफ इंडिया इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स प्रा. लि.	भारत	100%	100%
ग) बैंक ऑफ इंडिया ट्रस्टी सर्विसेज़ प्रा.लि	भारत	100%	100%
घ) बीओआई मर्चंट बैंकर्स लि.	भारत	100%	100%
विदेशी अनुषंगियां:			
क) पीटी बैंक ऑफ इंडिया इंडोनेशिया टीबीके	इंडोनेशिया	86.04%	76%
ख) बैंक ऑफ़ इंडिया (तंजानियां) लिमिटेड	तंजानियां	100%	100%
ग) बैंक ऑफ़ इंडिया (न्यूजीलैन्ड) लिमिटेड	न्यूजीलैन्ड	100%	100%
घ) बैंक ऑफ़ इंडिया (युगांडा) लिमिटेड	युगांडा	100%	100%

2. समेकित विवरण पत्रों में शामिल सहयोगी कम्पनियों और संयुक्त उद्यमियों के विवरण इस प्रकार है:

(i) सहयोगी कंपनियां:

सहयोगी कंपनियों के नाम	निगमन देश	यथा 31.03.2023 को मूल बैंक द्वारा स्वामित्व का अनुपात	यथा 31.03.2022 को मूल बैंक द्वारा स्वामित्व का अनुपात
क. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक			
i) मध्यप्रदेश ग्रामीण बैंक (पहले नर्मदा झबुआ ग्रामीण बैंक)	भारत	35%	35%
ii) विदर्भ कोंकण ग्रामीण बैंक	भारत	35%	35%
iii) आर्यावर्त बैंक (पहले आर्यावर्त ग्रामीण बैंक)	भारत	35%	35%
ख. इंडो जाम्बिया बैंक लि.	जाम्बिया	20%	20%
ग. एसटीसीआई फाइनेन्स लिमिटेड	भारत	29.96%	29.96%
घ. एएसआरईसी (इंडिया) लिमिटेड	भारत	26.02%	26.02%

SCHEDULE 18:

All figures are in ₹ Crore unless specifically stated. Figures in Brackets relate to previous year.

NOTES FORMING PART OF CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

1. Particulars of the subsidiaries whose financial statements are consolidated with the standalone financial statement of Bank of India (the Parent bank) are as under:

Names of Subsidiaries	Country of Incorporation	Proportion of Ownership by the Parent bank as on 31.03.2023	Proportion of Ownership by the Parent bank as on 31.03.2022
Domestic Subsidiaries:			
a) BOI Shareholding Ltd.	India	100%	100%
b) Bank of India Investment Managers Pvt Ltd.	India	100%	100%
c) Bank of India Trustee Services Pvt Ltd.	India	100%	100%
d) BOI Merchant Bankers Ltd	India	100%	100%
Overseas Subsidiaries:			
a) PT Bank of India Indonesia Tbk	Indonesia	86.04%	76%
b) Bank of India (Tanzania) Ltd.	Tanzania	100%	100%
c) Bank of India (New Zealand) Ltd.	New Zealand	100%	100%
d) Bank of India (Uganda) Ltd.	Uganda	100%	100%

2. Particulars of associates and joint venture considered in the Consolidated Financial Statements are as under :

(i) **Associates:**

Name of Associates	Country of Incorporation	Proportion of Ownership by the Parent bank as on 31.03.2023	Proportion of Ownership by the Parent bank as on 31.03.2022
a. Regional Rural Banks-			
i) Madhya Pradesh Gramin Bank (erstwhile Narmada Jhabua Gramin Bank)	India	35%	35%
ii) Vidharbha Konkan Gramin Bank	India	35%	35%
iii) Aryavart Bank (erstwhile Gramin Bank of Aryavart)	India	35%	35%
b. Indo Zambia Bank Limited	Zambia	20%	20%
c. STCI Finance Ltd.	India	29.96%	29.96%
d. ASREC (India) Ltd.	India	26.02%	26.02%

(ii) संयुक्त उद्यम:

संयुक्त उद्यमों के नाम	निगमन देश	यथा 31.03.2023 को मूल बैंक द्वारा स्वामित्व का अनुपात	यथा 31.03.2022 को मूल बैंक द्वारा स्वामित्व का अनुपात
स्टार यूनियन दाई-ईची लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.	भारत	28.96%	28.96%

3. इन अनुषंगियों, संयुक्त उद्यमियों एवं सहयोगियों के विवरणपत्र जो समेकन में इस्तेमाल किए जाते हैं मूल बैंक की यथा रिपोर्टिंग तारीख अर्थात 31 मार्च, 2023 तक बनाए गए हैं, सिवाय एक सहायक कंपनी - इंडो ज़ाम्बिया बैंक लिमिटेड (आईज़ेडबीएल) के। आईज़ेडबीएल के वित्तीय विवरण 31 दिसंबर, 2022 तक तैयार किए गए हैं और उसके प्रबंधन ने 31 मार्च 2023 को समाप्त तिमाही के लिए कोई महत्वपूर्ण संव्यवहार रिपोर्ट नहीं किया है।

4. अनुषंगियों / संयुक्त उद्यमियों / सहयोगियों के मामले में, मूल बैंक और उनके द्वारा अपनायी गयी भिन्न-भिन्न लेखांकन नीतियों के कारण उत्पन्न लेखांकन समायोजन, अनुषंगियों / संयुक्त उद्यम / सहयोगियों द्वारा उपलब्ध कराए गए डाटा के आधार पर किए गए हैं।

5. समेकित वित्तीय विवरण पत्र निम्न के आधार पर तैयार किए गए हैं :

   (i) पीटी बैंक ऑफ़ इंडिया इंडोनेशिया टीबीके के यथा 31.03.2023 के वित्तीय विवरण पत्र प्रबंधन द्वारा प्रमाणित हैं और निगमन देश की स्थानीय अपेक्षाओं के अनुरूप स्वतंत्र समीक्षक द्वारा उसकी समीक्षा की गई है।

   (ii) बैंक ऑफ़ इंडिया (तंजानिया) के यथा 31.03.2023 के वित्तीय विवरणपत्र प्रबंधन द्वारा प्रमाणित हैं और निगमन देश की स्थानीय अपेक्षाओं के अनुरूप स्वतंत्र समीक्षक द्वारा उसकी समीक्षा की गई है।

   (iii) बैंक ऑफ़ इंडिया (न्यूज़ीलैंड) लि. के यथा 31.03.2023 के वित्तीय विवरणपत्र निगमन देश की स्थानीय अपेक्षाओं के अनुरूप लेखा-परीक्षित किए गए हैं।

   (iv) बैंक ऑफ़ इंडिया (युगांडा) लि. के यथा 31.03.2023 के वित्तीय विवरणपत्र प्रबंधन द्वारा प्रमाणित हैं और स्थानीय अपेक्षाओं के अनुरूप स्वतंत्र समीक्षक द्वारा उसकी समीक्षा की गई है।

   (v) बीओआई शेयरहोल्डिंग लि., बैंक ऑफ इंडिया इंवेस्टमेंट मैनेजर प्रा.लि., बैंक ऑफ इंडिया ट्रस्टी सर्विसीज़ प्रा.लि., बीओआई मर्चेंट बैंकर्स लि., मध्यप्रदेश ग्रामीण बैंक, विदर्भ कोंकण ग्रामीण बैंक, आर्यावर्त बैंक तथा एसटीसीआई फाइनेन्स लि. के 31.03.2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए और इंडो जाम्बिया बैंक लि., के बारह माह 31.12. 2022 को समाप्त वर्ष के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणपत्र हैं।

   (vi) स्टार यूनियन दाई-ईची लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि. तथा एएसआरईसी (इंडिया) लि. के 31.03.2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए उनके प्रबंधन द्वारा प्रमाणित अलेखापरीक्षित वित्तीय विवरणपत्र हैं।

6. मूल बैंक के संबंध में, अनुषंगी बही खातों का समतुलन, विदेशी शाखाओं, आंतर कार्यालय खातों, नोस्ट्रो खातों, उचंत, संदेय ड्राफ्ट, समाशोधन अन्तरों, अन्य कार्यालय खातों इत्यादि के साथ शेष राशियों की पुष्टि/समाधान का कार्य

(ii) **Joint Venture:**

Name of Joint Venture	Country of Incorporation	Proportion of Ownership by the Parent bank as on 31.03.2023	Proportion of Ownership by the Parent bank as on 31.03.2022
Star Union Dai-ichi Life Insurance Company Limited	India	28.96%	28.96%

3. The financial statements of the subsidiaries, joint ventures and associates which are used in the consolidation have been drawn upto the same reporting date as that of the Parent Bank i.e. 31st March 2023 except for an associate Indo Zambia Bank Limited (IZBL). IZBL's financial statements are prepared upto 31st December 2022 and its management has reported no significant transactions for the quarter ended 31st March 2023.

4. In case of subsidiaries/joint venture/associates, accounting adjustments arising due to different accounting policies followed by them and the Parent Bank have been carried out on the basis of data provided by subsidiaries/joint venture/associates.

5. The Consolidated Financial Statements have been prepared on the basis of :

   (i) Financial statements of PT Bank of India Indonesia Tbk as on 31.03.2023 certified by the Management and reviewed by an independent reviewer as per the local requirements of the country of incorporation.

   (ii) Financial statements of Bank of India (Tanzania) Ltd. as on 31.03.2023 certified by the Management and reviewed by an independent reviewer as per the local requirements of the country of incorporation.

   (iii) Financial statements of Bank of India (New Zealand) Ltd. as on 31.03.2023 duly audited as per the local requirements of the country of incorporation.

   (iv) Financial statements of Bank of India (Uganda) Ltd. as on 31.03.2023 certified by the Management and reviewed by an independent reviewer as per the local requirements of the country of incorporation.

   (v) Audited financial statements of BOI Shareholding Ltd., Bank of India Investment Managers Pvt. Ltd., Bank of India Trustee Services Pvt. Ltd., BOI Merchant Bankers Ltd., Madhya Pradesh Gramin Bank, Vidharbha Konkan Gramin Bank, Aryavart Bank & STCI Finance Ltd. for the financial year ended 31.03.2023 and Indo Zambia Bank Ltd. for the twelve months ended 31.12.2022.

   (vi) Unaudited financial statements of Star Union Dai-ichi Life Insurance Company Ltd. and ASREC (India) Ltd., for the financial year ended 31.03.2023 certified by their management.

6. In respect of the Parent bank, balancing of Subsidiary Ledger Accounts, confirmation/reconciliation of balances with foreign branches, Inter-office accounts, NOSTRO Accounts, Suspense, Draft Payable, Clearing Difference,

सतत आधार पर प्रगति पर है। प्रबंधन की राय में उपरोक्त का लम्बित अंतिम समाशोधन/समायोजन का वित्तीय विवरणों पर समग्र प्रभाव, यदि कोई हो, महत्वपूर्ण होने की सम्भावना नहीं है ।

7. भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देशों के अनुसार समेकित वित्तीय विवरणपत्र के बारे में निम्नलिखित सूचना दी जा रही है:

ए) विनियामक पूँजी की संरचना:

क्र.सं.	विवरण	31.03.2023	31.03.2022
i)	सामान्य इक्विटी टियर 1 पूंजी (CET 1)	51,101	45,173
ii)	अतिरिक्त टियर 1 पूंजी	2,852	1,352
iii)	टियर 1 पूंजी (i + ii)	53,953	46,525
iv)	टियर 2 पूंजी	6,683	8,241
v)	कुल पूंजी (टियर 1 + टियर 2)	60,636	54,766
vi)	कुल जोखिम भारित आस्तियां (RWAs)	3,58,532	3,19,579
vii)	सामान्य इक्विटी टियर 1 पूंजी अनुपात (CET1) (%)	14.25%	14.14%
viii)	टियर I पूंजी अनुपात (%)	15.05%	14.56%
ix)	टियर II पूंजी अनुपात (%)	1.86%	2.58%
x)	पूंजी - जोखिम भारित आस्तियां अनुपात (CRAR) (आरडब्ल्यूए के एक प्रतिशत के रूप में कुल पूंजी)	16.91%	17.14%
xi)	लिवरेज अनुपात	6.28%	5.94%
xii)	भारत सरकार की शेयरधारिता का प्रतिशत	81.41%	81.41%
xiii)	वर्ष के दौरान जुटाई गई प्रदत्त पूंजी की राशि	NIL	*5,550.01
xiv)	आबंटन हेतु लंबित शेयर आवेदन राशि	NIL	NIL
xv)	वर्ष के दौरान जुटाई गई गैर इक्विटी टियर 1 पूंजी, जिसमें से :		
	बासेल III का अनुपालन करने वाले स्थायी नामे लिखत	1,500.00	NIL
xvi)	वर्ष के दौरान जुटाई गई टियर 2 पूंजी, जिसमें से :		
	बासेल III का अनुपालन करने वाले स्थायी नामे लिखत	NIL	1,800

पूंजी-जोखिम भारित परिसंपत्ति अनुपात और लिवरेज अनुपात की उक्त गणना 31.03.2021 को समाप्त वित्त वर्ष के दौरान भारत सरकार द्वारा पूंजी के रूप में डाले गए गैर-ब्याज वाले पुनर्पूंजीकरण बांड के निवल वर्तमान मूल्य के प्रभाव पर विचार करने के बाद की गई है।

* इसमें इक्विटी शेयरों के अधिमानी आबंटन के लिए 31 मार्च, 2021 को भारत सरकार से प्राप्त ₹ 3,000 शामिल हैं, जिसके लिए मूल बैंक ने 11 जून, 2021 को ₹ 71.23 प्रति शेयर के निर्गम मूल्य पर ₹ 10 रुपये के 42,11,70,854 इक्विटी शेयर जारी किए हैं और आवंटित किए हैं। आरबीआई के दिनांक 30 अप्रैल, 2021 के पत्र संदर्भ सं.डीओआर.सीएपी.एस82/21.01/002/2021-22 के अनुसार सीईटी-1 पूंजी यथा 31 मार्च, 2021 की गणना के लिए ₹ 3,000 की शेयर आवेदन राशि पर विचार किया गया है।

other office accounts, etc. is in progress on an on-going basis. In the opinion of the management, the overall impact on the financial statements, if any, of pending final clearance/adjustment of the above, is not likely to be significant.

7. The following information is disclosed in respect of consolidated financial statements in terms of guidelines issued by Reserve Bank of India:

(a) Composition of Regulatory Capital:

Sr. No.	Particulars	31.03.2023	31.03.2022
i)	Common Equity Tier 1 capital (CET 1)	51,101	45,173
ii)	Additional Tier 1 capital	2,852	1,352
iii)	Tier 1 capital (i + ii)	53,953	46,525
iv)	Tier 2 capital	6,683	8,241
v)	Total capital (Tier 1+Tier 2)	60,636	54,766
vi)	Total Risk Weighted Assets (RWAs)	3,58,532	3,19,579
vii)	Common Equity Tier 1 Capital ratio (CET1) (%)	14.25%	14.14%
viii)	Tier I Capital ratio (%)	15.05%	14.56%
ix)	Tier II Capital ratio (%)	1.86%	2.58%
x)	Capital to Risk Weighted Assets Ratio (CRAR) (Total Capital as a percentage of RWAs)	16.91%	17.14%
xi)	Leverage Ratio	6.28%	5.94%
xii)	Percentage of the shareholding of Government of India	81.41%	81.41%
xiii)	Amount of paid-up equity capital raised	NIL	*5,550.01
xiv)	Share application money pending for allotment	NIL	NIL
xv)	Amount of non-equity Tier 1 capital raised during the year, *of which:*		
	Basel III Compliant Perpetual Debt Instruments	1,500.00	NIL
xvi)	Amount of Tier 2 capital raised during the year, *of which*		
	Basel III Compliant Perpetual Debt Instruments	NIL	1,800

The said computation of Capital to Risk weighted asset Ratio & Leverage ratio is arrived at after considering the effect of Net Present Value of non-interest bearing recapitalization bond infused as capital by the Government of India during the FY ended 31.03.2021.

*Includes ₹ 3,000 received from Government of India on March 31, 2021 towards preferential allotment of equity shares for which the Parent Bank has issued and allotted 42,11,70,854 equity shares of ₹ 10 each fully paid up at an issue price of ₹ 71.23 per share on June 11, 2021. In terms of RBI communication reference no. DOR.CAP. S82/21.01/002/ 2021-22 dated April 30, 2021, the share application money of ₹ 3,000 has been considered for computation of CET 1 capital as on March 31, 2021.

मूल बैंक ने 31 अगस्त, 2021 को क्यूआईपी के माध्यम से ₹ 2,550.01 की इक्विटी शेयर पूंजी जुटाई है। मूल बैंक ने निवेशकों को ₹ 52.89 प्रति शेयर के प्रीमियम पर ₹ 10 अंकित मूल्य के 40,54,71,866 इक्विटी शेयर जारी किए हैं और आबंटित किए हैं।

भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र सं.डीबीआर.सं.बीपी. बीसी.83/21.06.201/2015-16 दिनांक 1 मार्च, 2016 के अनुरूप, बैंक ने पूंजी पर्याप्तता अनुपात यथा 31 मार्च, 2023 के परिकलन में पुनर्मूल्यांकन आरक्षिती, विदेशी मुद्रा परिवर्तन आरक्षिती और आस्थगित कर आस्तियों पर विचार किया है।

टियर -1 पूंजी बढ़ाने हेतु जुटाए गए बकाया अतिरिक्त टियर 1 (एटी-1) बाण्ड के ब्यौरे निम्नानुसार हैं :-

वर्ष में वर्धित	स्वरूप	राशि	सीआरएआर परिकलन के प्रयोजन हेतु गणना (बासेल III)
2020-21	अतिरिक्त टियर 1	1,352.00	1,352.00
2022-23	अतिरिक्त टियर 1	1,500.00	1,500.00
	कुल	**2,852.00**	**2,852.00**

वर्ष के दौरान 31 मार्च, 2023 को समाप्त मूल बैंक ने ₹ 1,500 के बासेल-III अनुपालित अतिरिक्त टियर-1 बॉण्ड सीरीज VIII जुटाए हैं।

टियर II पूंजी बढ़ाने हेतु जुटाए गए बकाया टियर II लिखतों के ब्यौरे निम्नानुसार हैं :-

वर्ष के दौरान जुटाए गए	स्वरूप	राशि	सीआरएआर परिकलन के प्रयोजन हेतु गणना (बासेल III)
2013-14	टियर II	1,500.00	0
2015-16	टियर II	3,000.00	1,200.00
2020-21	टियर II	1,800.00	1,800.00
	कुल	**6,300.00**	**3,000.00**

मूल बैंक ने 7 जुलाई, 2021 और 25 मार्च, 2022 को कॉल ऑप्शन का प्रयोग किया है तथा क्रमशः ₹ 1,500 और ₹ 1,000 की राशि के टियर II बॉण्ड सिरीज़ XIII एवं सिरीज़ XIV को रिडीम किया है।

बी) आरक्षितियों से आहरण द्वारा गिरावट (मूल बैंक) :

वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान, आरक्षितियों से लाभ-हानि खातों में कोई आहरण नहीं हुआ है।

सी) मूल बैंक ने अपनी एक अनुषंगी पीटी बैंक ऑफ इंडिया इंडोनेशिया टीबीके में ₹ 675.63 (शेयर आवेदन राशि, आबंटन लंबित) का निवेश किया है। इसके अलावा, मूल बैंक ने उक्त अनुषंगी में 10.04% (₹ 529.97 के लिए) की अतिरिक्त हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 304.78 के समेकन पर सुनाम (गुडविल) हुआ है, और इसे वर्ष के दौरान समायोजित किया गया है और बट्टे खाते में डाल दिया गया है।

डी) मूल बैंक ने वर्ष के दौरान अपने संयुक्त उद्यम अर्थात् स्टार यूनियन दाई-इची लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में ₹ 57.92 की अतिरिक्त पूंजी लगाई है और अपनी एक अनुषंगी अर्थात् बैंक ऑफ इंडिया इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स प्राइवेट लिमिटेड में ₹ 4.63 की अतिरिक्त पूंजी लगाई है।

The Parent Bank has raised Equity Share Capital of ₹ 2,550.01 through Qualified Institutional Placement on August 31, 2021. The Parent Bank has issued and allotted 40,54,71,866 equity shares of face value ₹ 10 each at a premium of ₹ 52.89 per share to the investors.

Pursuant to RBI Circular No. DBR.No.BP. BC.83/21.06.201/2015-16 dated March 1, 2016, the Bank has considered revaluation reserve, foreign currency translation reserve and deferred tax assets in calculation of Capital Adequacy Ratios as on March 31, 2023.

Details of outstanding Additional Tier 1 (AT-1) bonds raised to augment Tier-1 Capital are as under

Raised during the year	Nature	Amount	Reckoned for the purpose of CRAR computation (Basel III)
2020-21	Additional Tier 1	1,352.00	1,352.00
2022-23	Additional Tier 1	1,500.00	1,500.00
	Total	**2,852.00**	**2,852.00**

During the year ended March 31, 2023, the Parent Bank has raised Basel III compliant Additional Tier I Bonds Series VIII amounting to ₹ 1,500.

Details of outstanding Tier-II Instruments raised to augment Tier -II capital are as under::-

Raised during the year	Nature	Amount	Reckoned for the purpose of CRAR computation (Basel III)
2013-14	Tier-II	1,500.00	0
2015-16	Tier-II	3,000.00	1,200.00
2020-21	Tier-II	1,800.00	1,800.00
	Total	**6,300.00**	**3,000.00**

The Parent Bank has redeemed Tier II Bonds Series XIII & Series XIV amounting to ₹ 1,500 & ₹ 1,000 by exercising call option on July 7, 2021 and March 25, 2022 respectively.

(b) Draw down from Reserves (Parent Bank)

During the FY 2022-23, there has been no drawdown from reserves to the Profit and Loss accounts.

(c) The Parent Bank has invested ₹ 675.63 (share application money pending allotment) in one of its subsidiary namely, PT Bank of India Indonesia TBK. Further, the Parent Bank also acquired additional stake of 10.04% (for ₹ 529.97) in the said subsidiary which resulted in goodwill on consolidation of ₹ 304.78, and the same has been adjusted and written off during the year.

(d) The Parent Bank has infused additional capital of ₹ 57.92 in its joint venture namely, Star Union Dai-ichi Life Insurance Company Limited and ₹ 4.63 in one of its subsidiary namely, Bank of India Investment Managers Private Limited during the year.

ई) वर्ष के दौरान मूल बैंक को अपनी एक सहयोगी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक यथा, विदर्भ कोंकण ग्रामीण बैंक द्वारा ₹ 270.24 के शेयर आबंटित किए गए हैं।

एफ) वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान, मूल बैंक ने निम्नलिखित सहयोगी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में अतिरिक्त आनुपातिक पूँजी का निवेश किया है :

i. विदर्भ कोंकण ग्रामीण बैंक में ₹ 110.09 (आबंटन लंबित)

ii. आर्यवर्त बैंक में ₹ 152.04 (आबंटन लंबित)

iii. मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक में ₹ 139.08 (आबंटन लंबित)

जी) प्रावधान एवं आकस्मिकताएं:

विवरण	2022-23	2021-22
एनपीआई के लिए प्रावधान	1,207.76	397.36
एनपीए के लिए प्रावधान	3,667.90	2,992.71
आयकर के लिए प्रावधान (आस्थगित कर सहित)	2,216.62	2,167.53
मानक आस्तियों के लिए प्रावधान	1,655.18	893.88
अन्य प्रावधान एवं आकस्मिकताएं		
• पुन:संरचित खातों में त्याग के लिए प्रावधान	(-)64.80	(-)69.23
• देश जोखिम के लिए प्रावधान	14.72	10.93
• अन्य प्रावधान	749.22	238.62
कुल	**9,446.59**	**6,631.80**

एच) फ्लोटिंग प्रावधान यथा 31.03.2023 - (मूल बैंक)

	मानक	अनर्जक				कुल
	कुल मानक अग्रिम	अवमानक	संदिग्ध	हानि	कुल अनर्जक अग्रिम	
प्रारंभिक शेष						0.00
जोडें: वर्ष के दौरान किए गए अतिरिक्त प्रावधान						0.00
घटाएं : वर्ष के दौरान आहरण						0.00
फ्लोटिंग प्रावधानों का अंतिम शेष						0.00

(e) During the year, Parent Bank has been allotted shares of ₹ 270.24, by one its associate Regional Rural Bank namely, Vidharbha Konkan Gramin Bank.

(f) The Parent Bank has infused additional proportionate capital in FY 2022-23 in the following associate Regional Rural Banks:

i. ₹110.09 in Vidharbha Konkan Gramin Bank (pending allotment)

ii. ₹152.04 in Aryavart Bank (pending allotment)

iii. ₹139.08 in Madhya Pradesh Gramin Bank (pending allotment)

(g) **Provisions and Contingencies:**

Particulars	2022-23	2021-22
Provision for NPI	1,207.76	397.36
Provision towards NPA	3,667.90	2,992.71
Provision made towards Income Tax (including Deferred Tax)	2,216.62	2,167.53
Provision towards Standard Assets	1,655.18	893.88
Other Provision & Contingencies		
• Provision for Sacrifice in Restructured Accounts	(-)64.80	(-)69.23
• Provision for Country Risk	14.72	10.93
• Other Provisions	749.22	238.62
Total	**9,446.59**	**6,631.80**

(h) **Floating Provisions as on 31.03.2023 - (Parent Bank)**

	Standard	Non-Performing				Total
	Total Standard Advances	Sub-standard	Doubtful	Loss	Total Non-Performing Advances	
Opening Balance						0.00
Add: Additional provisions made during the year						0.00
Less: Amount drawn down during the year						0.00
Closing balance of floating provisions						0.00

फ्लोटिंग प्रावधान यथा 31.03.2022 - (मूल बैंक)

	मानक	अनर्जक				
	कुल मानक अग्रिम	अवमानक	संदिग्ध	हानि	कुल अनर्जक अग्रिम	कुल
प्रारंभिक शेष						232.22
जोडें: वर्ष के दौरान किए गए अतिरिक्त प्रावधान						0.00
घटाएं : वर्ष के दौरान आहरण						232.22
फ्लोटिंग प्रावधानों का अंतिम शेष						0.00

आई) आय कर - (मूल बैंक)

आकस्मिक देयताओं (अनुसूची 12) के तहत बैंक के विरुद्ध दावे जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है, में ₹ 355.86 (पिछले वर्ष ₹ 529.03) की विवादित आयकर / ब्याज कर देयताएं शामिल हैं, जिनके लिए ऐसे विवादों पर पिछले आकलन के संबंध में विभिन्न न्यायिक निर्णयों के आधार पर कोई प्रावधान आवश्यक नहीं माना जाता है। उक्त विवादित बकाया के विरुद्ध किए भुगतानों/समायोजनों को अन्य आस्तियों (अनुसूची 11) के अंतर्गत शामिल किया गया है।

जे) लागू कर विधियों के प्रावधान तथा कुछ विवादित मामलों पर प्रासंगिक विधिक निर्णयों को ध्यान में रखने के बाद करों के लिए प्रावधान का परिकलन किया गया है।

के) अनुषंगियों के संबंध में मूल बैंक द्वारा जारी चुकौती आश्वासन पत्र (प्रबंधन द्वारा यथा संकलित)

वर्ष 2022-23 के दौरान, मूल बैंक ने अनुषंगियों की ओर से किसी भी प्रकार का चुकौती आश्वासन पत्र जारी नहीं किया है।

वर्ष 2010-11 के दौरान मूल बैंक ने, रॉयल बैंक ऑफ न्यूजीलैंड के पक्ष में, उसकी पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी बैंक ऑफ इंडिया (न्यूज़ीलैंड) के लिए उसके वित्तीय दायित्वों, यदि वे देय होते हैं, को पूरा करने के लिए पैरेन्टल गारन्टी जारी की है।

यथा 31.03.2023 को उक्त वचनबद्धताओं पर कोई वित्तीय दायित्व नहीं आया है।

8. भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखांकन मानकों (एएस) के अनुरूप किए गए प्रकटन:

ए. लेखांकन मानक - 5 अवधि के लिए निवल लाभ/हानि, पूर्व अवधि मदें एवं लेखांकन नीतियों में परिवर्तन :

(i) पूर्व अवधि मद :

वर्ष के दौरान कोई महत्वपूर्ण पूर्व अवधि आय/व्यय मद नहीं थे।

(ii) लेखांकन नीति में परिवर्तन (एएस-5) :

31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष की तुलना में 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के दौरान लेखांकन नीतियों, जिनका पालन किया गया, में कोई परिवर्तन नहीं हुआ।

Floating Provisions as on 31.03.2022 - (Parent Bank)

	Standard	Non-Performing				
	Total Standard Advances	Sub-standard	Doubtful	Loss	Total Non-Performing Advances	Total
Opening Balance						232.22
Add: Additional provisions made during the year						0.00
Less: Amount drawn down during the year						232.22
Closing balance of floating provisions						0.00

(i) Income-Tax – (Parent Bank)

Claims against the Bank not acknowledged as debt under contingent liabilities (Schedule 12) include disputed income tax/interest tax liabilities of ₹ 355.86 (previous year ₹ 529.03) for which no provision is considered necessary based on various judicial decisions in respect of past assessments on such disputes. Payments/adjustments against the said disputed dues are included under Other Assets (Schedule 11).

(j) Provision for taxes has been arrived at after due consideration of the provisions of the applicable tax laws and relevant judicial decisions on certain disputed issues.

(k) Disclosure of Letter of comfort issued by the Parent bank for subsidiaries (As compiled by Management)

During the year 2022-23, the Parent bank has not issued any letter of comforts on behalf of Subsidiaries.

In the Financial year 2010-11, the Parent Bank has issued parental guarantee in favour of Royal Bank of New Zealand, for its wholly owned subsidiary, Bank of India (New Zealand) Ltd. to meet its financial obligations, if they fall due.

As on 31.03.2023 no financial obligations have arisen on the above commitments.

8. Disclosures in terms of Accounting Standards (AS) issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI):

A. AS – 5 Net Profit / loss for the period, Prior Period Items and changes in accounting policies:

(i) Prior Period Items:

During the year, there were no material prior period income / expenditure items.

(ii) Change in Accounting Policy (AS-5):

There is no change in the Significant Accounting Policies followed during the year ended March 31, 2023 as compared to those followed in the previous financial year ended March 31, 2022.

बी. लेखांकन मानक 15 - 'कर्मचारी लाभ' (मूल बैंक) B. AS-15 " Employee Benefits" (Parent Bank)

Sr. No.	विवरण	Particular	2022-23 उपदान Gratuity	2022-23 पेन्शन Pension	2021-22 उपदान Gratuity	2021-22 पेन्शन Pension
(i)	**प्रयुक्त महत्वपूर्ण बीमांकिक अनुमान:**	**Principal actuarial assumptions used :**				
	छूट की दर	Discount Rate	7.51%	7.39%	7.37%	6.84%
	आस्तियों पर प्रतिलाभ की दर	Rate of Return on Plan Assets	6.87%	7.67%	6.42%	8.21%
	वेतन वृद्धि दर	Salary Escalation Rate	5.50%	5.50%	5.50%	5.50%
	एट्रिशन रेट करंट	Attrition Rate Current	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%
(ii)	**परिनिश्चित लाभ देयता के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन दर्शाने वाली तालिका :**	**Table showing changes in present value of Defined Benefit obligation:**				
	वर्ष की शुरुआत में देयता	Liability at the beginning of the period	1,898.52	17,889.53	1,935.32	16,837.05
	ब्याज लागत	Interest Cost	129.68	1,159.60	121.82	775.14
	वर्तमान सेवा लागत	Current Service Cost	108.55	977.95	99.24	946.18
	विगत सेवा लागत	Past Service Cost	-	122.42	-	-
	भुगतान किया गया लाभ	Benefit Paid	278.00	1,872.53	369.98	1,824.62
	बाध्यता पर बीमांकिक (लाभ)/ हानि	Actuarial (gain)/loss on Obligation	211..81	719.43	112.11	1,155.78
	वर्ष के अंत में देयता	Liability at the end of the year	2,070.55	18,996.40	1,898.52	17,889.53
	पिछली सेवा लागत जिनकी गणना नहीं की गई	Unrecognised past service cost	-	183.62	-	489.67
	कुल परिभाषित लाभ दायित्व	**Total Defined Benefit obligation**	**2,070.55**	**19,180.02**	**1,898.52**	**18,379.20**
(iii)	**योजनागत आस्तियों के उचित मूल्य की तालिका :**	**Table showing changes in Fair value of Plan Assets :**				
	वर्ष की शुरुआत में योजनागत संपत्ति का उचित मूल्य	Fair Value of Plan Assets at the beginning of the year	1,887.32	17,604.64	1,930.62	16,531.02
	योजनागत संपत्ति पर संभावित लाभ	Expected return on Plan Assets	131.13	1,333.66	119.13	1,356.20
	योगदान	Contributions	320.89	1,439.17	219.86	1,800.30
	भुगतान किया गया लाभ	Benefit Paid	278.00	1,872.53	369.98	1,824.62
	योजनागत आस्तियों पर बीमांकिक लाभ/(हानि)	Actuarial gain/(loss) on Plan Assets	(5.88)	(45.52)	(12.31)	(258.26)
	वर्ष के अंत में योजनागत आस्तियों का उचित मूल्य	**Fair Value of Plan Assets at the end of the year**	**2,055.47**	**18,459.42**	**1,887.32**	**17,604.64**
	कुल बीमांकिक लाभ/(हानि) जिसकी गणना की गई	**Total Actuarial Gain/(Loss) to be recognised**	**(217.68)**	**(764.95)**	**(124.42)**	**(1,414.03)**
(iv)	**योजनागत आस्तियों पर वास्तविक प्रतिलाभ :**	**Actual return on Plan Assets**				
	योजनागत संपत्ति पर संभावित लाभ	Expected Return on Plan Assets	131.13	1,333.66	119.13	1,356.20
	योजनागत आस्तियों पर बीमांकिक लाभ/(हानि)	Actuarial gain/(loss) on Plan Assets	(5.88)	(45.52)	(12.31)	(258.26)
	प्लान एसेट्स पर वास्तविक प्रतिलाभ	**Actual return on Plan Assets**	**125.26**	**1,288.14**	**106.82**	**1,097.94**
(v)	**बैलेंस शीट में शामिल राशि:**	**Amount recognised in the Balance Sheet :**				
	वर्ष के अंत में देयता	Liability at the end of the year	2,070.55	19,180.02	1,898.52	18,379.20
	वर्ष के अंत में योजनागत आस्तियों का उचित मूल्य	Fair Value of Plan Assets at the end of the year	2,055.47	18,459.42	1,887.32	17,604.64
	पिछली सेवा लागत जिसे शामिल नहीं किया गया है	Unrecognised past service cost	-	183.62	-	489.67
	बैलेंस शीट में शामिल राशि	**Amount Recognised in the Balance Sheet**	**15.09**	**536.98**	**11.20**	**284.88**
(vi)	**आय-विवरण में शामिल व्यय: :**	**Expenses recognised in the Income Statement :**				
	वर्तमान सेवा लागत	Current Service Cost	108.55	977.95	99.24	946.18
	ब्याज लागत	Interest Cost	129.68	1,159.60	121.82	775.14
	योजनागत संपत्ति पर संभावित लाभ	Expected Return on Plan Assets	(131.13)	(1,333.66)	(119.13)	(1,356.20)
	पूर्व वर्षों से संबंधित व्यय जिसे शामिल किया गया है	Expenses recognized relating to prior years	-	-	-	-
	विगत सेवा लागत	Past Service Cost	-	306.04	-	-
	बीमांकिक (लाभ) या हानि	Actuarial (Gain) or Loss	217.68	764.95	124.42	1,414.03
	लाभ-हानि खाते में शामिल व्यय	**Expense Recognised in P & L**	**324.78**	**1,874.89**	**226.35**	**1,779.15**
(vii)	**तुलनपत्र समाधान**	**Balance Sheet Reconciliation :**				
	आरंभिक निवल देयता (पिछले वर्ष की निवल राशि को तुलन पत्र में शामिल किया गया है)	Opening Net Liability (Last period's net amount recognized in the balance sheet)	11.20	284.88	4.70	306.03
	यथोक्त व्यय	Expenses as above	324.78	1,874.89	226.35	1,779.15
	नियोक्ता का अंशदान	Employer's Contribution	(320.89)	(1,439.17)	(219.86)	(1,800.30)
	अतिरिक्त विगत सेवा लागत	Additional Past Service Cost	-	(183.62)	-	-
	तुलनपत्र में शामिल राशि	**Amount Recognised in Balance Sheet**	**15.09**	**536.98**	**11.20**	**284.88**
(viii)	**आस्तियों की श्रेणी :**	**Category of Assets :**				
	भारत सरकार की प्रतिभूतियां	Central Government of India Securities	15.30	2,329.69	71.50	2,288.50
	इक्विटी	Equity	-	759.33	-	551.87
	कॉरपोरेट बाण्ड	Corporate Bonds	94.98	6,095.69	120.61	5,422.74
	राज्य सरकार की प्रतिभूतियां	State Government Securities	55.48	3,057.14	130.70	2,858.58
	बीमा	Insurance	1,852.39	5,810.69	1,532.83	6,089.16
	अन्य	Other	37.32	406.88	31.68	393.79
	कुल	**Total**	**2,055.47**	**18,459.42**	**1,887.32**	**17,604.64**
(ix)	**अनुभव समायोजन :**	**Experience Adjustment :**				
	योजना दायित्व (लाभ)/हानि पर	On Plan Liability (Gain)/Loss	240.77	843.92	152.27	1,092.69
	योजनागत संपत्ति (हानि)/लाभ पर	On Plan Asset (Loss)/Gain	(5.88)	(45.52)	(42.37)	(694.35)

अन्य दीर्घावधि कर्मचारी लाभ*:

विवरण	31.03.2023		31.03.2022	
	देयता	वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान/ (राइट बैक)	देयता	वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान/ (राइट बैक)
छुट्टी नकदीकरण	1,201.04	17.28	1,183.77	(-)99.81
छुट्टी किराया रियायत	62.58	0.17	62.41	0.18
पुनर्वास लाभ	8.07	0.36	7.71	0.38
माइलस्टोन अवार्ड	4.59	0.04	4.56	0.04
रुग्ण अवकाश**	3.00	0.00	3.00	0.00

* अन्य दीर्घावधि लाभ के लिए बीमांकिक अनुमान ग्रेज्यूटी के लिए प्रयुक्त के समान ही है।

मूल बैंक ने कर्मचारी भविष्य निधि/परिभाषित अंशदान योजना के लिए अंशदान को व्यय के रूप में माना है। वर्ष के दौरान मूल बैंक ने ऐसी निधि के जो एक परिनिश्चित अंशदान योजना है, के लिए ₹ 391.94 (विगत वर्ष ₹ 364.15) का अंशदान किया है।

** बैंक ने अब तक पूरी बीमारी छुट्टी अर्थात पूरी बकाया अवकाश शेष की देयता को मान्यता प्रदान किया है। बीमारी की छुट्टी के संबंध में कर्मचारी लाभ कार्यान्वयन पर दिशानिर्देश नोट (एएस-15) - (2005 में संशोधित) के अनुरूप, इस संबंध में देयता को कर्मचारियों द्वारा ऐसी छुट्टी लिए जाने की संभावना के आधार पर इसे मान्य किया है।

मूल बैंक के श्रेष्ठतम अनुमान के अनुसार तुलन पत्र की तारीख के बाद वार्षिक अवधि के दौरान पेन्शन के लिए ₹ 2,215.86 (विगत वर्ष ₹ 2,106.26) और ग्रैच्युटी के लिए ₹ 22.78 (विगत वर्ष ₹ 45.69) का अंशदान किए जाने की संभावना है।

योजना में अधिशेष/घाटा:

विवरण	ग्रैच्युटी योजना				
	वि.व. 2022-23	वि.व. 2021-22	वि.व. 2020-21	वि.व. 2019-20	वि.व. 2018-19
परिभाषित लाभ देयता	2,070.55	1,898.52	1,935.33	1,747.81	1,683.78
प्लान आस्तियां	2,055.47	1,887.32	1,930.63	1,649.47	1,592.38
संक्रमणशील देयता जो शामिल नहीं किए गए हैं	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
अधिशेष / (घाटा)	(-)15.09	(-)11.20	(-)4.70	98.34	91.40
प्लान देयता (लाभ)/हानि पर अनुभव समायोजन	240.77	152.27	315.39	(-)86.04	54.03
प्लान आस्ति (लाभ)/हानि पर अनुभव समायोजन	(-)5.88	(-)42.37	86.25	100.21	14.29

विवरण	पेन्शन योजना				
	वि.व. 2022-23	वि.व. 2021-22	वि.व. 2020-21	वि.व. 2019-20	वि.व. 2018-19
परिभाषित लाभ देयता	19,180.02	18,379.20	16,837.05	16,065.92	14,709.20
प्लान आस्तियां	18,459.42	17,604.64	16,531.02	15,827.60	14,314.88
संक्रमणशील देयता जो शामिल नहीं किए गए हैं	183.62	489.67	0.00	0.00	0.00
अधिशेष / (घाटा)	(-)536.99	(-)284.88	(-)306.03	(-)238.32	(-)394.32
प्लान देयता (लाभ)/हानि पर अनुभव समायोजन	843.92	1,092.69	791.71	808.90	546.91
प्लान आस्ति (हानि)/लाभ पर अनुभव समायोजन	(-)45.52	(-)694.35	(-)620.28	155.64	37.73

Other long term employee benefits*:

Particulars	31.03.2023		31.03.2022	
	Liability	Provisions made/ (w/back) during the year	Liability	Provisions made/ (w/back) during the year
Leave Encashment	1,201.04	17.28	1,183.77	(-)99.81
Leave Travel Concession	62.58	0.17	62.41	0.18
Resettlement Benefits	8.07	0.36	7.71	0.38
Milestone Awards	4.59	0.04	4.56	0.04
Sick Leave**	3.00	0.00	3.00	0.00

* The actuarial assumptions for other long term benefits are same which are used for Gratuity.

The Parent bank has recognised contribution to employees' Provident Fund/Defined contribution scheme as an expense. During the year, the Parent bank has contributed ₹ 391.94 (Previous Year ₹ 364.15) towards such fund which is a defined contribution plan.

** The Parent bank has been recognising the liability of sick leave to full extent hitherto i.e. entire outstanding leave balance. In line with the Guidance Note on implementation of Employee Benefits (AS-15) - (revised 2005) in respect of Sick Leave, the liability in this regard is recognised based on probability of availing such leaves by employees.

The Parent Bank's best estimate of contributions expected to be paid during the annual period beginning after the Balance sheet date, towards Pension is ₹ 2,215.86 (Previous Year ₹ 2,106.26) and towards Gratuity is ₹ 22.78 (Previous Year: ₹ 45.69).

Surplus /Deficit in the Plan:

Particulars	Gratuity Plan				
	FY2022-23	FY2021-22	FY2020-21	FY2019-20	FY2018-19
Defined benefit obligation	2,070.55	1,898.52	1,935.33	1,747.81	1,683.78
Plan assets	2,055.47	1,887.32	1,930.63	1,649.47	1,592.38
Unrecognised Transitional liability	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Surplus/(deficit)	(-)15.09	(-)11.20	(-)4.70	98.34	91.40
Experience Adjustment On Plan Liability (Gain)/ Loss	240.77	152.27	315.39	(-)86.04	54.03
Experience Adjustment On Plan Asset (Loss)/ Gain	(-)5.88	(-)42.37	86.25	100.21	14.29

Particulars	Pension Plan				
	FY2022-23	FY2021-22	FY2020-21	FY2019-20	FY2018-19
Defined benefit obligation	19,180.02	18,379.20	16,837.05	16,065.92	14,709.20
Plan assets	18,459.42	17,604.64	16,531.02	15,827.60	14,314.88
Unrecognised Transitional liability	183.62	489.67	0.00	0.00	0.00
Surplus/(deficit)	(-)536.99	(-)284.88	(-)306.03	(-)238.32	(-)394.32
Experience Adjustment On Plan Liability (Gain)/ Loss	843.92	1,092.69	791.71	808.90	546.91
Experience Adjustment On Plan Asset (Loss)/ Gain	(-)45.52	(-)694.35	(-)620.28	155.64	37.73

(सी) लेखांकन मानक 17 - खण्ड रिपोर्ट करना

भाग क: कारोबार खण्ड

C. AS-17 "Segment Reporting"

Part A: Business Segment

कारोबार खण्ड	Business Segment	कोषागार परिचालन Treasury Operations (1)		थोक बैंकिंग परिचालन Wholesale Banking Operations (2)		रिटेल बैंकिंग परिचालन Retail Banking Operations (3)		डिजिटल बैंकिंग Digital Banking (3) (i)		अन्य रिटेल बैंकिंग Other Retail Banking (3)(ii)		(*) अन्य बैंकिंग परिचालन (*)Other Banking Operations (4)		कुल Total (1+2+3+4)	
		2022-23	2021-22	2022-23	2021-22	2022-23	2021-22	2022-23	2021-22	2022-23	2021-22	2022-23	2021-22	2022-23	2021-22
राजस्व	Revenue	16,465.87	15,603.57	17,949.53	14,607.48	20,731.92	15,716.53	0	0	20,731.92	15,716.53	0	0	55,147.32	45,927.58
गैर-आबंटित राजस्व	Unallocated Revenue	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	585.03	410.14
घटाएं : अंतर खंड राजस्व	Less: Inter segment revenue	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	589.49	46.26
कुल राजस्व	Total Revenue	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	55,142.86	46,291.46
परिणाम	Results	5,252.77	5,978.05	(-)6.82	(-)2,343.56	2,392.35	3,217.21	(-)0.38	0	2,392.73	3,217.21	0	0	7,638.30	6,851.71
गैर-आबंटित व्यय	Unallocated Expenses	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	(-)1,583.72	(-)1,191.61
कर पूर्व लाभ/ (हानि)	Profit/(Loss) Before Tax	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	6,054.58	5,660.10
आयकर	Income Tax	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	2,216.62	2,167.53
असाधारण लाभ/(हानि)	Extraordinary profit/(loss)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
निवल लाभ/हानि	Net Profit/(Loss)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	3,837.96	3,492.57
अन्य जानकारी :	**Other Information:**														
खंड आस्तियां	Segment Assets	284,366.60	261,226.84	297,011.11	235,168.66	215,949.71	216,917.68	2.02	0	215,947.69	216,917.68	0	0	797,327.42	713,313.18
गैरआबंटित आस्तियां	Unallocated Assets	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	28,708.33	29,818.15
कुल आस्तियां	Total Assets	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	826,035.75	743,131.33
खंड देयताएं	Segment Liabilities	267,321.61	246,569.37	290,729.72	262,901.73	193,707.89	166,610.81	2.40	0	193,705.49	166,610.81	0	0	751,759.22	676,081.91
गैर आबंटित देयताएं	Unallocated Liabilities	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	13,843.59	10,527.57
कुल देयताएं	Total Liabilities	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	765,602.81	686,609.48

नोट : गैर बैंकिंग अनुषंगियों/ संयुक्त उद्यमों से संबंधित सूचना को अनाबंटित खंड के अंतर्गत शामिल किया गया है।

Note: Information in respect of Non-Banking subsidiaries/joint venture has been included under unallocated segment.

भाग ख : भौगोलिक खण्ड

Part B: Geographical Segment

भौगोलिक खण्ड	Geographical Segments	स्वदेशी Domestic		अंतर्राष्ट्रीय International		कुल Total	
विवरण	Particulars	2022-23	2021-22	2022-23	2021-22	2022-23	2021-22
राजस्व	Revenue	50,205.33	44,430.58	4,937.53	1,860.88	55,142.86	46,291.46
आस्तियां	Assets	705,383.83	653,651.33	120,651.92	89,480.00	826,035.75	7,43,131.33

बीओआई समूह ने एएस-17 के अनुपालन में भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुरूप कारोबारी खंड को प्राथमिक रिपोर्टिंग खंड और भौगोलिक खंड को गौण खंड के रूप में मान्यता दी है।

I. प्राथमिक खंड : कारोबारी खंड

क) **कोषागार** : खंड रिपोर्टिंग के उद्देश्य हेतु कोषागार में संपूर्ण निवेश संविभाग शामिल हैं जैसे सरकारी तथा अन्य प्रतिभूतियां, मुद्रा बाजार परिचालन तथा डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट सहित विदेशी मुद्रा परिचालन में लेनदेन।

ख) **थोक बैंकिंग** : थोक बैंकिंग में ऐसे सभी अग्रिम सम्मिलित हैं जो रिटेल बैंकिंग के अंतर्गत सम्मिलित नहीं किए गए हैं।

ग) **रिटेल बैंकिंग** : रिटेल बैंकिंग खण्ड में डिजिटल बैंकिंग और अन्य रिटेल बैंकिंग शामिल हैं।

डिजिटल बैंकिंग में डीबीयू द्वारा अर्जित डिजिटल बैंकिंग उत्पाद शामिल हैं।

अन्य रिटेल बैंकिंग में ₹ 7.50 करोड़ तक एक्सपोज़र वाले सभी आवास ऋण खाते एवं उधार खाते शामिल हैं

The BOI group has recognised Business Segments as Primary reporting segment and Geographical Segments as Secondary segment in line with RBI guidelines in compliance with AS-17.

I. Primary Segment: Business Segments

a) **Treasury** : 'Treasury' segment includes the entire investment portfolio i.e. dealing in Government and other Securities, Money Market Operations and Forex Operations including Derivative contracts.

b) **Wholesale Banking:** Wholesale Banking includes all lending activities which are not included under Retail Banking.

c) **Retail Banking:** Retail Banking segment comprises of Digital Banking and Other Retail Banking.

Digital Banking includes digital banking products acquired by DBUs.

Other Retail Banking includes all housing loan accounts and borrower accounts having exposure up to ₹ 7.50 crore.

अंतर खण्डीय अंतरणों का मूल्य निर्धारण:

रिटेल बैंकिंग खण्ड एक प्राथमिक स्रोत संग्रह इकाई है एवं थोक खण्ड और कोषागार खण्ड, रिटेल बैंकिंग खण्ड को उसके द्वारा उधार दी गई निधियों की क्षतिपूर्ति जमाराशियों की औसत लागत को दृष्टिगत रखते हुए करते हैं।

लागत का विनियोजन :

ए) विशेष खण्ड से सीधे सम्बद्ध व्ययों को संबंधित खण्ड में विनियोजित किया गया है।

बी) जो व्यय किसी खण्ड विशेष से सीधे सम्बद्ध न हों उन्हें कर्मचारियों की संख्या/संचालित कारोबार के अनुपात में विनियोजित किया गया है।

गौण खण्ड : भौगोलिक खण्ड

क) स्वदेशी परिचालन

ख) अंतरराष्ट्रीय परिचालन

Pricing of Inter-Segmental transfers

Retail Banking Segment is a Primary resource mobilising unit and Wholesale Segment and Treasury Segment compensates the Retail banking segment for funds lent by it to them taking into consideration the average cost of deposits and borrowings incurred by it.

Allocation of Costs:

a) Expenses directly attributed to particular segment are allocated to the relative segment.

b) Expenses not directly attributable to specific segment are allocated in proportion to number of employees/business managed.

Secondary Segment: Geographical Segments

a) Domestic Operations

b) International Operations

डी. लेखांकन मानक 18 ''संबंधित पक्ष संव्यवहार'' (मूल बैंक):

मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक :

प्रबंध निदेशक एवं सीईओ : श्री अतनु कुमार दास (अधिवर्षिता दि. 19.01.2023) श्री रजनीश कर्नाटक (29.04.2023 से)

कार्यपालक निदेशक गण श्री पी. आर. राजगोपाल, श्री स्वरूप दासगुप्ता, श्री एम. कार्तिकेयन, श्रीमती मोनिका कालिया (15.11.2022 तक), श्री सुब्रत कुमार (21.11.2022 से)

D. AS-18 "Related Party Transactions" (Parent Bank):

Key Managerial Personnel:

Managing Director & CEO: Shri Atanu Kumar Das (Superannuated on 19.01.2023) Shri Rajneesh Karnatak (from 29.04.2023)

Executive Directors: Shri P. R. Rajagopal, Shri Swarup Dasgupta, Shri M. Karthikeyan, Smt Monika Kalia (upto 15.11.2022), Shri Subrat Kumar (from 21.11.2022)

प्रदत्त पारिश्रमिक (राशि ₹ में) Remuneration paid : (Amount in ₹)

Sr No क्र.सं.	नाम	Name	2022-23	2021-22
1	श्री अतनु कुमार दास	Shri Atanu Kumar Das	28,89,579	32,62,233
2	श्री पी.आर. राजगोपाल	Shri P. R. Rajagopal	38,99,430	34,40,568
3	श्री एम. कार्तिकेयन	Shri M. Karthikeyan	30,32,883	27,25,869
4	श्री स्वरूप दासगुप्ता	Shri Swarup Dasgupta	30,32,833	27,25,869
5	श्रीमती मोनिका कालिया	Smt. Monika Kalia	18,93,147	28,00,774
6	श्री सुब्रत कुमार	Shri Subrat Kumar	11,55,336	NA

लेखांकन मानक-18 के पैरा 5 के अनुसार, बैंक-ग्राहक रिश्ते की प्रकृति स्वरूप संव्यवहारों, जिसमें महत्वपूर्ण प्रबंधन कार्मिकों एवं उनके रिश्तेदारों के साथ संव्यवहार शामिल हैं, का प्रकटन नहीं किया गया है क्यों कि ऐसा प्रकटन गोपनीयता संबंधी बैंक के कर्तव्यों के प्रतिकूल होगा।

In terms of paragraph 5 of AS 18, transactions in the nature of Banker – Customer relationship, including those with Key Management Personnel and relatives of Key Management Personnel have not been disclosed, since the disclosure would conflict with Parent Bank's duties of confidentiality.

(ई) लेखांकन मानक 19 - ''पट्टे'' (मूल बैंक):

मूल बैंक के विकल्प पर परिचालन पट्टे रद्द किए जा सकते हैं। ऐसे परिचालन पट्टे के लिए लाभ और हानि खाते में शामिल पट्टा व्यय की राशि रु 676.84 (पिछले वर्ष: रु 618.36) है।

E. Accounting Standard 19 – Leases (Parent Bank): -

Operating leases are cancellable at the option of the Parent Bank. The amount of lease expenses recognized in the Profit & Loss Account for such operating lease is ₹ 676.84 (Previous Year: ₹ 618.36).

(एफ) लेखांकन मानक 20 -''प्रति शेयर अर्जन'' ₹ में:

F. AS20 "Earnings per Share" in ₹:

क्र.सं. Sr No	विवरण	Particulars	2022-23	2021-22
1	मूल ईपीएस	Basic EPS	9.35	9.07
2	तनुकृत ईपीएस	Diluted EPS	9.35	9.07

आधारभूत एवं तनुकृत ईपीएस का परिकलन / **Calculation of Basic & Diluted E.P.S.:**

क्र.सं.	विवरण	S.No.	Particulars	2022-23	2021-22
(ए)	इक्विटी शेयाधारकों को प्रदान करने योग्य वर्ष के लिए निवल लाभ/(हानि)	(A)	Net Profit/(Loss) for the year attributable to Equity Shareholders	3,837.96	3,492.57
(बी)	इक्विटी शेयर की भारित औसत संख्या (करोड़ में)	(B)	Weighted Average Number of Equity shares (in crore)	410.36	385.28
(सी)	मूलभूत आय प्रति शेयर (ए/बी) (₹)	(C)	Basic Earnings per Share (A/B) (₹)	9.35	9.07
(डी)	तनुकृत संभावित इक्विटी शेयर सहित इक्विटी शेयर की भारित औसत संख्या (₹ करोड़)	(D)	Weighted Average number of Equity shares including dilutive potential equity shares (in crore)	410.36	385.28
(ई)	तनुकृत प्रति शेयर आय (ए/डी) (₹)	(E)	Dilutive Earnings per share (A/D) (₹)	9.35	9.07
(एफ)	प्रति इक्विटी शेयर अंकित मूल्य (₹)	(F)	Nominal Value per Equity Share (₹)	10.00	10.00

(जी) लेखांकन मानक 22 -"आय पर करों के लिए लेखांकन":

आस्थगित कर आस्तियां और आस्थगित कर देयताओं के मुख्य घटक निम्नानुसार हैं :

G. AS-22 "Accounting for Taxes on Income":

The Major components of Deferred Tax Assets and Deferred Tax Liabilities are as under:

विवरण	Particulars	31.03.2023	31.03.2022
आस्थगित कर आस्तियां	**Deferred Tax Assets**		
प्रावधान के निमित्त समय अन्तर के कारण	On account of timing difference towards provisions	7,922.01	9,895.77
अन्य	Others	850.34	783.28
कुल आस्थगित कर आस्तियां	**Total Deferred Tax Assets**	**8,772.35**	**10,679.05**
आस्थगित कर देयता	**Deferred Tax Liabilities**		
स्थिर आस्तियों पर मूल्यह्रास के कारण	On account of depreciation on fixed assets	96.12	154.67
निवेश पर मूल्यह्रास के कारण	On account of depreciation on investment	0.00	0.00
प्रोदभूत ब्याज जो देय नहीं हैं के कारण	On account of interest accrued but not due	1,102.14	887.51
अन्य	Others	915.38	915.91
कुल आस्थगित कर देयताएं	**Total Deferred Tax Liabilities**	**2,113.64**	**1,958.09**
निवल आस्थगित कर आस्तियां/(देयताएं)	**Net Deferred Tax Assets / (Liabilities)**	**6,658.71**	**8,720.96**

(एच) लेखांकन मानक 24 - परिचालन बंद करना :

भारत सरकार के निर्देशों अनुरूप एवं परिचालनों को तर्क संगत बनाने के लिए कार्यनीतिक पहल के भाग के रूप में, मूल बैंक ने वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान विदेशी अनुषंगी जैसे बैंक ऑफ इंडिया (बोत्स्वाना) लि. को बेच दिया, जिसके के लिए ₹ 14.64 की राशि प्राप्त हुई। ₹ 19.18 के निवेश की बची हुई लागत का पूर्ण प्रावधान किया गया है।

वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए हम पुष्टि करते हैं कि हमारी विदेशी अनुषंगियों का कोई विनिवेश नहीं हुआ है।

(आई) लेखांकन मानक 27 - "संयुक्त उद्यमों में निवेश की वित्तीय रिपोर्टिंग":

निवेश में ₹ 98.17 (पिछले वर्ष ₹ 75) शामिल हैं जो निम्नलिखित संयुक्त रूप से नियंत्रित कंपनी में मूल बैंक के निवेश का प्रतिनिधित्व करते हैं::-

क्र. सं.	कंपनी का नाम	राशि	निवास देश	होल्डिंग %
1	स्टार यूनियन दाई-इची लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.,	98.17	भारत	28.96%

संयुक्त रूप से नियंत्रित कंपनियों में समूह के निवेश से संबंधित आस्तियों, देयताओं, आय एवं व्ययों की कुल राशि:

विवरण	31.03.2023	31.03.2022
देयताएं		
पूंजी एवं आरक्षितियां	307.51	213.22
जमाराशियां	-	-
उधार	-	-
अन्य देयताएं एवं प्रावधान	5,405.48	4,211.15
कुल	**5,712.99**	**4,424.37**
आस्तियां		
भारतीय रिज़र्व बैंक में नकदी और शेष राशियां	90.85	41.15
बैंकों में शेष और मांग पर तथा अल्प सूचना पर प्राप्य धन	-	-
निवेश	5,419.83	4206.16
अग्रिम	7.17	4.90
अचल आस्तियां	14.75	10.52
अन्य आस्तियां	180.39	161.65
कुल	**5,712.99**	**4,424.37**
पूंजीगत प्रतिबद्धताएं	-	-
अन्य आकस्मिक देयताएं	33.69	31.56
आय		
अर्जित ब्याज	17.14	12.71
अन्य आय	38.23	76.62
कुल	**55.37**	**89.34**
व्यय		
व्यय किया गया ब्याज	-	-
परिचालन व्यय	18.34	89.37
प्रावधान एवं आकस्मिकताएं	0.21	(-) 6.63
कुल	**18.55**	**82.73**
लाभ / (हानि)	36.82	6.60

H. Accounting Standard 24 - Discontinuing Operations:

In consonance with the Government of India directives and as a part of strategic initiatives for rationalisation of Overseas Operations, in Financial year 2019-20, the Parent Bank has sold its overseas subsidiary i.e. Bank of India (Botswana) Ltd. for consideration of ₹ 14.64 and remaining cost of investment of ₹ 19.18 has been fully provided.

For the Financial year 2022-23, we confirm that there is no disinvestment of our overseas subsidiaries.

I. AS-27 "Financial Reporting of Interests in Joint Ventures":

Investments include ₹ 98.17 (Previous year ₹ 75) representing Parent Bank's interest in the following jointly controlled entity:

Sr. No.	Name of the Company	Amount	Country of incorporation	Holding %
1	Star Union Dai–Ichi Life Insurance Company Ltd.	98.17	India	28.96%

Aggregate amount of assets, liabilities, income and expenses related to the group's interest in jointly controlled entities:

Particulars	31.03.2023	31.03.2022
Liabilities		
Capital & Reserves	307.51	213.22
Deposits	-	-
Borrowings	-	-
Other Liabilities & Provisions	5,405.48	4,211.15
Total	**5,712.99**	**4,424.37**
Assets		
Cash and Balances with Reserve Bank of India	90.85	41.15
Balances with Banks and Money at call and short notice	-	-
Investments	5,419.83	4206.16
Advances	7.17	4.90
Fixed Assets	14.75	10.52
Other Assets	180.39	161.65
Total	**5,712.99**	**4,424.37**
Capital Commitments	-	-
Other Contingent Liabilities	33.69	31.56
Income		
Interest Earned	17.14	12.71
Other Income	38.23	76.62
Total	**55.37**	**89.34**
Expenditure		
Interest Expended	-	-
Operating Expenses	18.34	89.37
Provisions & Contingencies	0.21	(-) 6.63
Total	**18.55**	**82.73**
Profit / (Loss)	36.82	6.60

(जे) लेखांकन मानक 29 : "प्रावधान, आकस्मिक देयताएं एवं आकस्मिक आस्तियां": (मूल बैंक)

क. आकस्मिक देयताओं हेतु प्रावधानों में उतार चढाव

विवरण	विधिक मामले/आकस्मिकताएं *	
	2022-23	2021-22
प्रारंभिक शेष	61.02	100.91
वर्ष के दौरान किया गया प्रावधान	4.07	2.67
वर्ष के दौरान उपयोग की गई राशि	1.00	42.56
अंतिम शेष	64.09	61.02
बहिर्गमन का समय/अनिश्चितताएं	समझौते/क्रिस्टलीकरण पर बहिर्गमन	

*अन्य के लिए प्रावधानों को छोड़कर

ख. आकस्मिक देयताएं

इस प्रकार की देयताएं, न्यायालय के निर्णय/ मध्यस्थता करने/ न्यायालय के बाहर समझौते, अपील का निपटान, मांगी गई राशि, संविदागत दायित्वों की शर्तें, विकास तथा संबंधित पक्षों द्वारा उठाई गई मांग जैसा भी मामला हो पर निर्भर करता हे। इन मामलों में कोई प्रतिपूर्ति अपेक्षित नहीं है।

9. अन्य नोट :

(ए) जीवन-बीमा संयुक्त उद्यम के निवेशों का लेखा, बैंक के द्वारा पालन की जा रही लेखाकंन नीति के स्थान पर आईआरडीएआई दिशानिर्देशों के अनुसार रखा गया है। यथा 31 मार्च 2023 को कुल निवेश का लगभग 2.56% (विगत वर्ष 2.33%) बीमा संयुक्त उद्यम के निवेश से है।

(बी) 1 नवंबर, 2022 से देय वेतन बकाया के लिए मूल बैंक ने 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए तदर्थ आधार पर ₹ 268 का प्रावधान किया है।

(सी) बैंकों के कर्मचारियों की पारिवारिक पेंशन में वृद्धि के कारण व्यय के परिशोधन पर प्रकटीकरण

भारतीय रिज़र्व बैंक ने अपने परिपत्र सं. आरबीआई/2021-22/105 डीओआर.एसीसी. आरईसी.57/21.04.018/2021-22 दिनांक 4 अक्टूबर, 2021 के माध्यम से बैंकों को 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष से शुरू करते हुए अधिकतम पांच वर्षों की अवधि में पारिवारिक पेंशन में संशोधन के कारण अतिरिक्त देयता का परिशोधन करने की अनुमति दी है, बशर्ते कि कुल राशि का न्यूनतम 1/5 वां हिस्सा हर साल खर्च किया जाए। बैंक ने पारिवारिक पेंशन में संशोधन के कारण ₹ 612.09 की अतिरिक्त देयता को मान्यता दी है और 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष से शुरू करते हुए पांच वर्षों की अवधि में उक्त देयता को परिशोधित करने का विकल्प चुना है।

तदनुसार, मूल बैंक ने 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि खाते में व्यय के रूप में ₹ 306.04 (₹ 122.42) को मान्यता दी है और ₹ 183.63 (₹ 489.67) की शेष असंशोधित देयता को आगे ले जाया गया है। यदि बैंक द्वारा लाभ और हानि खाते में असंशोधित देयता को पूरी तरह शामिल किया होता, तो 31 मार्च, 2023 को समाप्त तिमाही और वर्ष के लिए निवल लाभ (कर के बाद) ₹ 119.46 (₹ 318.56) कम होता।

J. AS-29 "Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets": (Parent Bank)

A. Movement of Provisions for contingent liabilities

Particulars	Legal cases/contingencies*	
	2022-23	2021-22
Opening Balance	61.02	100.91
Provided during the year	4.07	2.67
Amounts used during the year	1.00	42.56
Closing Balance	64.09	61.02
Timing of outflow/uncertainties	Outflow on settlement / crystallization	

*Excluding provisions for others

B. Contingent Liabilities

Such liabilities are dependent upon the outcome of court order/arbitration/out of court settlement, disposal of appeals, the amount being called up, terms of contractual obligations, devolvement and raising of demand by concerned parties, as the case may be. No reimbursement is expected in such cases.

9. Other Notes:

a) The investments of life insurance joint venture have been accounted for in accordance with the IRDAI guidelines instead of restating the same in accordance with the accounting policy followed by the Parent Bank. The investments of the insurance joint venture constitute approximately 2.56% (previous year 2.33%) of the total investments as on 31st March, 2023.

b) The Parent Bank has made provision of ₹ 268 for the year ended March 31, 2023 towards arrears of wages, on ad-hoc basis, due for revision with effect from November 1, 2022.

c) Disclosure on amortisation of expenditure on account of enhancement in family pension of employees of banks.

Reserve Bank of India vide its Circular No. RBI/2021-22/105 DOR.ACC.REC.57/21.04.018/2021-22 dated October 4, 2021, permitted Banks to amortise the additional liability on account of revision in family pension over a period not exceeding five years beginning with the financial year ending March 31, 2022, subject to a minimum of 1/5th of the total amount being expensed every year. The Bank recognised the additional liability on account of revision in family pension amounting to ₹ 612.09 and has opted to amortise the said liability over a period not exceeding five years, beginning financial year ending March 31, 2022.

Accordingly, the Parent Bank has recognised ₹ 306.04 (₹ 122.42) as an expense in the Profit and Loss account, for the year ended March 31, 2023 and the balance unamortised liability of ₹ 183.63 (₹489.67) has been carried forward. If the unamortised liability had been fully recognised in the Profit & Loss account by the Bank, the Net Profit (after tax) for the quarter and year ended March 31, 2023 would have been lower by ₹ 119.46 (₹ 318.56).

डी) मूल बैंक के पास 100% प्रावधान है, जिसकी वसूली अन्य पीएसयू बैंक के साथ विवाद के अंतर्गत है। खाते को धोखाधड़ी के रूप में आरबीआई को रिपोर्ट किया गया। आरबीआई ने अपने पत्र सं. डीओएस.सीओ.एसएसएम (बीओआई)/6557/13.37.007/2019-20 दिनांक 13 अप्रैल, 2020 के माध्यम से मूल बैंक को कुछ शर्तों के अधीन निरंतर आधार पर विवादित राशि का 50% का प्रावधान करने की अनुमति दी। तदनुसार, अब मूल बैंक के पास विवादित राशि हेतु ₹ 144.03 (जो विवादित राशि का 50% है) का प्रावधान है।

ई) आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार, 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के दौरान, मूल बैंक ने ₹ 2,887.84 के बही मूल्य वाली केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों और ₹ 5,054.58 के बही मूल्य वाली राज्य सरकार की प्रतिभूतियों को एचटीएम से एएफएस श्रेणी में स्थानांतरित कर दिया है। इसके अलावा, मूल बैंक ने ₹ 21.62 की स्थानांतरण हानि को चार्ज करने के बाद ₹ 656.41 के बही मूल्य वाली केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों को एएफएस से एचटीएम श्रेणी, में स्थानांतरित कर दिया है। ₹ 7.65 की राशि के लिए वेंचर कैपिटल फंड को एचटीएम से एएफएस श्रेणी में स्थानांतरित कर दिया गया है।

एफ) यथा 31 मार्च 2023 को, आरबीआई द्वारा संदर्भित एनसीएलटी खातों (सूची 1 एवं 2) के संबंध में बैंक ने ₹ 3,403.66 की बकाया राशि के लिए 100% प्रावधान किया है।

जी) **कोविड-19 का प्रभाव**

कोविड-19 वायरस, एक वैश्विक महामारी ने पिछले तीन वर्षों में विश्व अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया है। कोविड-19 की कोई भी नई लहर मूल बैंक के परिचालन और वित्तीय परिणामों को किस हद तक प्रभावित करेगी, यह चल रहे और साथ ही भविष्य के घटनाक्रमों पर निर्भर करेगा, जिसमें अन्य बातों के अलावा, कोविड-19 महामारी की गंभीरता से संबंधित कोई भी नई जानकारी, और इसके प्रसार को रोकने या इसके प्रभाव को कम करने के लिए कोई कार्रवाई शामिल है, चाहे सरकार द्वारा अनिवार्य हो या हमारे द्वारा चुना गया हो।

एच) अन्य आय में कमीशन और ब्रोकरेज आय, आस्तियों की बिक्री पर लाभ/हानि, निवेश के पुनर्मूल्यांकन पर लाभ / हानि (निवल) (निष्पादित निवेश पर मूल्यह्रास सहित), विदेशी मुद्रा और व्युत्पन्न लेनदेन से आय, पूर्व में बट्टे खाते लिखे खातों से वसूली, लाभांश आय आदि शामिल हैं।

आई) **अन्य आय/व्यय जो कुल आय के 1% से अधिक हो (मूल बैंक)**

अन्य आय : अन्य आय में निम्नलिखित आय शामिल है जो मूल बैंक की कुल आय के 1% से अधिक है

विवरण	वि.व. 2022-23	वि.व. 2021-22
बट्टे खाते लिखे खातों से वसूली	1,206.85	1,097.13

जे) मूल बैंक के निदेशक मंडल ने 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए ₹ 2.00 प्रति इक्विटी शेयर (20%) के लाभांश की सिफारिश की है, जो आवश्यक अनुमोदन के अधीन है।

के) पिछली अवधि के आंकड़ों को, जहां भी आवश्यक समझा गया है, पुन: समूहित/पुन:व्यवस्थित किया गया है।

एल) कोविड-19 का प्रभाव

d) Parent Bank was holding 100% provision in a particular account, recovery of which is under dispute with another PSU Bank. The account has been reported as fraud to RBI. RBI vide its communication ref. no. DoS. Co. SSM (BOI)/6557/13.37.007/2019-20 dated April 13, 2020 permitted the Parent Bank to maintain provision of 50% of the disputed amount on an ongoing basis subject to certain conditions. Accordingly, the Parent Bank holds provision of ₹ 144.03 (being 50% of the outstanding amount) for the said disputed amount.

e) In accordance with the RBI guidelines, during the year ended March 31, 2023, Parent Bank has shifted Central Government securities with a book value of ₹ 2,887.84 and State Government securities with a book value of ₹ 5,054.58 from HTM to AFS category. Further, the Parent Bank has shifted from AFS to HTM category, Central Government securities with a book value of ₹ 656.41 after charging shifting loss of ₹ 21.62. Venture Capital Fund for an amount of ₹ 7.65 has been shifted from HTM to AFS category.

f) In respect of RBI referred NCLT accounts (List 1 & 2) as on March 31, 2023, the Parent Bank holds 100% provision of the outstanding value of ₹ 3,403.66.

g) **Impact of Covid-19:**

The COVID-19 virus, a global pandemic has affected the world economy over the last three years. The extent to which any new wave of COVID-19 will impact the Parent Bank's operations and financial results will depend on ongoing as well as future developments, including, among other things, any new information concerning the severity of the COVID-19 pandemic, and any action to contain its spread or mitigate its impact whether government- mandated or elected by us.

h) Other Income includes commission and brokerage income, profit/loss on sale of assets, profit/loss on revaluation of investments (net) (including depreciation on performing investments), earnings from foreign exchange and derivative transactions, recoveries from accounts previously written off, dividend income, etc.

i) **Other Income / Expenditure exceeding 1% of total income (Parent Bank)**

Other Income: Other Income includes below income exceeding 1% of the total income of the Parent Bank.

Particulars	FY 2022-23	FY 2021-22
Recovery in written off accounts	1,206.85	1,097.13

j) The Board of Directors of Parent Bank has recommended a dividend of ₹ 2.00 per equity share (20%) for the year ended March 31, 2023 subject to requisite approvals.

k) Previous Year's figures have been regrouped/ rearranged wherever considered necessary.

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

सेवा में,

भारत के राष्ट्रपति/बैंक ऑफ इंडिया के सदस्य गण

समेकित वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा पर रिपोर्ट

मत

1. हमने बैंक ऑफ़ इंडिया (''मूल बैंक'') तथा इसकी अनुषंगियों (इसके बाद इसे संयुक्त रूप से ''समूह'' कहा जायेगा), सहायक कंपनियों तथा संयुक्त उद्यमों की लेखा परीक्षा की है। इसमें यथा 31 मार्च, 2023 को समेकित तुलन पत्र, समेकित लाभ-हानि विवरणी तथा संबंधित वर्ष के अंत में नकद प्रवाह की समेकित विवरणी तथा महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सार एवं अन्य व्याख्यात्मक जानकारी सहित समेकित वित्तीय विवरणियों पर टिप्पणियाँ शामिल हैं, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं:

   क) मूल बैंक के लेखा परीक्षित विवरण जिन्हें हमारे द्वारा अपनी रिपोर्ट दिनांक 6 मई, 2023 के माध्यम से लेखा परीक्षित किया गया है।

   ख) अन्य लेखापरीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षित 5 अनुषंगियों और 5 सहायक कंपनियों के लेखा परीक्षित परिणाम; और

   ग) प्रबंधन द्वारा तैयार किए गए 3 ओवरसीज अनुषंगियों, एक सहायक कंपनी और एक संयुक्त उद्यम के अलेखापरीक्षित वित्तीय विवरण।

2. हमारे विचार से एवं हमारी सर्वोत्तम जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार तथा अनुषंगियों, संयुक्त उद्यमों एवं संस्थाओं के पृथक वित्तीय विवरण पर अन्य लेखापरीक्षकों/ समीक्षा की रिपोर्टों तथा प्रबंधन द्वारा प्रस्तुत अनुषंगियों के लेखापरीक्षा न किए गए वित्तीय विवरणों के संबंध में हमारे मत पर आधारित उपर्युक्त समेकित वित्तीय विवरण भारत में स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुसार एकरूप हैं और निम्नलिखित प्रस्तुत करते हैं :

   क) यथा दिनांक 31 मार्च, 2023 को बैंक के समेकित तुलनपत्र एवं समूह, उसकी सहायक कंपनियों एवं संयुक्त उद्यमों की परिस्थिति के संबंध में उचित एवं सही स्थिति।

   ख) उक्त तारीख को समाप्त वर्ष के लिए समेकित लाभ/हानि खाते के विवरण के संबंध में लाभ का वास्तविक शेष; और

   ग) उक्त तारीख को समाप्त वर्ष के लिए समेकित नकदी प्रवाह विवरण के संबंध में सही व उचित स्थिति।

मत का आधार

3. हमने अपनी लेखा-परीक्षा, आईसीएआई के द्वारा जारी लेखा-परीक्षा पर मानक (एसए) के अनुसार की है। उक्त मानकों के अंतर्गत हमारी जिम्मेदारी को विस्तारपूर्वक हमारी रिपोर्ट के समेकित वित्तीय विवरणियों की लेखापरीक्षा के लिए लेखा-परीक्षकों की जिम्मेदारी खण्ड में प्रतिपादित किया गया है। भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान के द्वारा जारी नैतिक आचार संहिता तथा उक्त 'अधिनियम' के प्रावधानों के अंतर्गत समेकित वित्तीय विवरणियों की हमारी लेखा-परीक्षा के लिए जो प्रासंगिक नैतिक अपेक्षाएं हैं, उसके अनुसार हम बैंक से स्वतंत्र हैं तथा हमने इन आवश्यकताओं तथा नैतिक आचार संहिता के

INDEPENDENT AUDITORS' REPORT

To

The President of India / The Members of Bank of India

Report on Audit of the Consolidated Financial Statements

Opinion

1. We have audited the accompanying consolidated financial statements of Bank of India ('the Holding Bank") and its subsidiaries (collectively hereinafter referred to as "the Group"), associates and joint venture, which comprise the consolidated Balance Sheet as at 31 March 2023, the consolidated Statement of Profit and Loss and the consolidated Statement of Cash Flows for the year ended, and notes to the consolidated financial statements including a summary of significant accounting policies and other explanatory information which includes:

   a) Audited Financial Statements of the Holding bank which have been audited by us, vide our report dated May 6, 2023;

   b) Audited Financial Statements of 5 Subsidiaries, and 5 Associates audited by other auditors; and

   c) Un-audited financial statements of 3 overseas subsidiaries, 1 Associate and 1 joint venture prepared by the management.

2. In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us and based on our consideration of the audit / review reports of other auditors on separate financial statements of the Subsidiaries, Joint Venture and Associates and the unaudited financial statements of Associates as furnished by the management, the aforesaid consolidated financial statements are in conformity with accounting principles generally accepted in India and give:

   a) true and fair view in case of the Consolidated Balance sheet, of the state of affairs of the Group, its associates and Joint venture as at 31st March, 2023

   b) true balance of profit in case of statement of Consolidated Profit / Loss account, for the year ended on that date; and

   c) true and fair view in case of Consolidated Cash flow statement, for the year ended on that date.

Basis for Opinion

3. We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing (SAs) issued by Institute of Chartered Accountants of India (ICAI). Our responsibilities under those Standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the consolidated Financial Statements section of our report. We are independent of the Group, its associates and joint venture in accordance with the code of ethics issued by the Institute of Chartered Accountants of India together with ethical requirements that are relevant to our audit of the consolidated financial statements in India, and we have fulfilled our other ethical

अनुसार अपनी सभी नैतिक जिम्मेदारियों को पूरा किया है। हम मानते हैं कि निम्नलिखित अनुच्छेद 10 में संदर्भित अन्य लेखापरीक्षकों की रिपोर्टों की शर्तों के अनुसार, उनके द्वारा प्राप्त लेखा-परीक्षा साक्ष्य तथा हमारे द्वारा प्राप्त लेखा-परीक्षा साक्ष्य, लेखा-परीक्षा संबंधी मत का आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त है।

मामलों का प्रभाव

4. हम फैमिली पेंशन में संशोधन के कारण अतिरिक्त देयता के परिशोधन के संबंध में समेकित वित्तीय विवरणों अनुसूची 18 के नोट सं. 9(सी) की तरफ ध्यान आकर्षित करते हैं। बैंक ने 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष हेतु लाभ एवं हानि खाते में रु. 306.04 करोड़ धनराशि प्रभारित की है तथा रु. 183.63 करोड़ के शेष अपरिशोधित व्ययों को आगे ले जाया गया है।

इन मामलों में हमारी राय को संशोधित नहीं किया गया है।

महत्वपूर्ण लेखा-परीक्षा मामले

5. 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा-परीक्षा में 'महत्वपूर्ण लेखांकन मामले, वे मामले हैं, जो हमारे पेशेवर निर्णय में सर्वाधिक महत्वपूर्ण थे। इन मामलों को समग्र रूप से समेकित वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा-परीक्षा के संदर्भ में प्रस्तुत किया गया है तथा उस पर मत बनाने में, इन मामलों पर हम अलग से कोई मत उपलब्ध नहीं कराते हैं। हमने अपनी रिपोर्ट में सूचित करने के लिए बैंक के महत्वपूर्ण लेखा-परीक्षा मामलों का निर्धारण किया है, जिनका विवरण निम्नलिखित है:

क्र. सं.	महत्वपूर्ण लेखा-परीक्षा मामले	महत्वपूर्ण लेखा-परीक्षा मामलों के संबंध में कार्रवाई करने के लिए पालन की जाने वाली लेखा-परीक्षा प्रक्रिया
1)	भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों (आईआरएसी मानक) के अनुसार अग्रिमों तथा निवेशों पर आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण तथा प्रावधान संबंधी नियमों का अनुपालन। **अग्रिम :** मूल बैंक को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशा-निर्देशों/परिपत्रों तथा अनुदेशों के आधार पर खातों को अर्जक अग्रिम तथा अनर्जक अग्रिम के रूप में वर्गीकृत करना है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशा-निर्देश, बैंक द्वारा दी गयी सभी ऋण सुविधाओं के लिए हैं तथा इसका पालन अनिवार्य रूप से, आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण तथा प्रावधानीकरण के लिए किया जाना है।	आईआरएसी मानकों/परिपत्रों तथा भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा जारी दिशा-निर्देशों तथा मूल बैंक की पॉलिसी के आधार पर हमने अग्रिमों तथा निवेशों की लेखा-परीक्षा की है। **अग्रिम:** हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रिया में निम्नलिखित शामिल है: क) हमने शाखा के सांविधिक लेखापरीक्षकों को सूचित किया है कि वे आईआरएसी मानकों तथा प्रक्रियाओं एवं बैंक द्वारा स्वीकृत नीतियों के अनुपालन तथा शाखा के सांविधिक लेखा-परीक्षकों की रिपोर्ट पर निर्भरता को सत्यापित करें किया है।

responsibilities in accordance with these requirements and the code of ethics. We believe that the audit evidences obtained by us and the audit evidences obtained by the other auditors in terms of their reports referred to in paragraph 10 below, is sufficient and appropriate to provide the basis for audit opinion on the consolidated financial statements.

Emphasis of Matter

4. We draw attention to Note No. 9(c) of schedule 18 of the consolidated financial statements, regarding amortization of additional liability on account of revision in family pension. The Bank has charged an amount of Rs. 306.04 Crores to the profit and loss account for the year ended March 31, 2023 and balance unamortized expense of Rs. 183.63 Crores has been carried forward.

Our opinion is not modified in respect of this matter.

Key Audit Matters

5. Key audit matters are those matters that, in our professional judgment, were of most significance in our audit of the consolidated financial statements for the year ended March 31, 2023. These matters were addressed in the context of our audit of the consolidated financial statements as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters. We have determined the matters described below to be the Key Audit Matters of the Bank to be communicated in our report:

Sl. No.	Key Audit Matters	Audit Procedure followed to address the Key Audit Matters
1)	Compliance of Income Recognition, Asset Classification and Provisioning Norms on advances and investments as per guidelines issued by Reserve Bank of India (IRAC Norms) **Advances** The Holding Bank has to classify the accounts as performing advances or non performing advances based on the guidelines/circulars and directives issued by Reserve Bank of India. The guidelines issued by Reserve Bank of India is for all credit facilities given by the bank and is to be mandatorily followed for the purpose of Income Recognition, Asset Classification and Provisioning.	We have carried out the audit of the advances and investments based on the IRAC Norms/ Circulars and directives issued by Reserve Bank of India and the policy of the Holding Bank. **Advances:** Our audit procedure included: a) Communication to the branch statutory auditors to verify the compliance of IRAC Norms and procedures and the policies adopted by the Holding Bank and reliance on the audit reports furnished by the branch statutory auditors. b) Understanding the IT system and controls put in place and logic and validations built in the system by the Holding Bank for identification, classification and provisioning in case of advances.

क्र. सं.	महत्वपूर्ण लेखा-परीक्षा मामले	महत्वपूर्ण लेखा-परीक्षा मामलों के संबंध में कार्रवाई करने के लिए पालन की जाने वाली लेखा-परीक्षा प्रक्रिया
	अर्जक तथा अनर्जक अग्रिमों का निर्धारण सिस्टम द्वारा होता है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार बैंक द्वारा प्रयुक्त सॉफ्टवेयर, वर्गीकरण तथा प्रावधानीकरण के लिए खातों की पहचान निर्धारित करता है। यदि भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी आईआरएसी मानकों के अनुसार आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण तथा प्रावधानीकरण ठीक प्रकार से नहीं किया जाता है तो यह बैंक के वित्तीय विवरणों को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकता है। बैंक ने सॉफ्वेयर के माध्यम से एनपीए खाते की पहचान एवं वर्गीकरण के लिए आईआरएसी ऑटोमेशन कार्यान्वित किया है।	ख) अग्रिमों के मामले में उससे संबंधित निर्धारण, वर्गीकरण तथा प्रावधान के लिए बैंक द्वारा सिस्टम में बनाए गये सत्यापन तथा लॉजिक एवं स्थापित नियंत्रण एवं आईटी प्रणाली को समझना। ग) नमूना आधार पर यह जाँच करना कि क्या भारतीय रि. जर्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार अग्रिमों का वर्गीकरण अर्जक तथा अनर्जक के रूप में किया गया है तथा इसके संबंध में प्रावधान किये गये हैं। घ) हमारे द्वारा शाखाओं की लेखा परीक्षा के दौरान महत्वपूर्ण अग्रिमों के संबंध में पर्याप्त जाँच करना जिसमें विशेष उल्लिख खाते (एसएमए) शामिल हैं तथा मूल्यांकन रिपोर्टों की जाँच द्वारा प्रतिभूति संबंधी पक्षों को भी सत्यापित करना। ड) मूल बैंक द्वारा की गई आंतरिक लेखा-परीक्षा, समवर्ती लेखा-परीक्षा, ऋण लेखा-परीक्षा, सिस्टम लेखा-परीक्षा तथा विशेष लेखा-परीक्षा संबंधी रिपोर्टों पर भरोसा किया गया है। च) बैंक ने आईआरएसी ऑटोमेशन सॉफ्टवेर की सिस्टम आधारित लेखापरीक्षा करने के लिए स्वतंत्र बाह्य एजेंसी को नियुक्त किया है। एजेंसी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार सभी अवलोकनों को समेकित किया गया है / किया जा रहा है।
	निवेश : भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशा निर्देशों/परिपत्रों के आधार पर मूल बैंक को निवेशों को अर्जक तथा अनर्जक में वगीकृत करना है। निवेशों का अर्जक तथा अनर्जक के रूप में निर्धारण आम तौर पर सिस्टम से होता है।	**निवेश:** हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रिया में निम्नलिखित शामिल है: क) निवेश के मामले में उसकी पहचान, वर्गीकरण तथा प्रावधानीकरण के लिए बैंक द्वारा सिस्टम में स्थापित, लॉजिक तथा वैधीकरण एवं स्थापित नियंत्रण और आईटी प्रणाली को समझना।

Sl. No.	Key Audit Matters	Audit Procedure followed to address the Key Audit Matters
	Identification of performing and non performing advances is system driven. The software used by the Holding Bank identifies the accounts for classification and provisioning as per the guidelines issued by Reserve Bank of India. The Income recognition, asset classification and provisioning if not done properly as per the IRAC norms issued by Reserve Bank of India may materially impact the financial statements of the Holding Bank. The bank has implemented IRAC Automation software for identification and classifying of NPA accounts through the software.	c) Testing on sample basis whether the classification of advances as performing or non-performing and provisioning have been carried out as per the guidelines of Reserve Bank of India. d) Carrying out substantive test on major advances including Specially Mentioned Accounts (SMA) and also verification of security by checking the valuation reports in respect of the audit of branches conducted by us. e) Reliance on the internal audit reports, concurrent audit reports, credit audit, system audit and special audits conducted by the Holding Bank.
	Investments: The Holding Bank has to classify the investments as performing or non performing based on the guidelines/ circulars and directives issued by Reserve Bank of India. Identification of performing and non performing investments is generally system driven. The valuation is done as per the guidelines issued by Reserve Bank of India and the valuations are done based on the price quoted on BSE/NSE, FIMDA /FBIL rates etc. The Income recognition, asset classification and provisioning if not done properly as per the IRAC norms issued by Reserve Bank of India may materially impact the financial statements of the bank. Advances and Investments constitute 59.16 % and 25.58 % respectively of total assets of the Holding Bank. As advances and investments form part of a major portion of the business of the Holding	**Investments:** Our audit procedure included: a) Understanding the IT system and controls put in place and logic and validations built in the system by the Holding Bank for identification, classification and provisioning in case of investments. b) Testing on sample basis whether the classification and valuation of investments is carried out as per the guidelines of Reserve Bank of India. c) Verification on sample basis whether proper provision for depreciation in the value of investments is made as per RBI guidelines. d) Reliance made on the internal audit reports, concurrent audit reports and system audit conducted by the Holding Bank.

क्र. सं.	महत्वपूर्ण लेखा-परीक्षा मामले	महत्वपूर्ण लेखा-परीक्षा मामलों के संबंध में कार्रवाई करने के लिए पालन की जाने वाली लेखा-परीक्षा प्रक्रिया
	भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार मूल्यांकन (वैल्यूएशन) किया जाता है तथा बीएससी/एनएससी, एफआईएमडीए/एफबीआईएल दर इत्यादि पर उद्धृत मूल्य के आधार पर मूल्यांकन किया जाता है। यदि भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी आईआरएसी मानकों के अनुसार ठीक प्रकार से आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण तथा प्रावधानीकरण नहीं किया जाता है तो वह बैंक के समेकित वित्तीय विवरण को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकता है। मूल बैंक की कुल आस्तियों में अग्रिम तथा निवेश, क्रमश: 59.16% तथा 25.58% है। चूँकि बैंक के व्यवसाय का बड़ा हिस्सा अग्रिम तथा निवेश है तथा इसमें विनियामक अनुपालन शामिल है, अत: हमने इस पक्ष को महत्वपूर्ण लेखा-परीक्षा मामले के रूप में विचारित किया है।	ख) नमूना आधार पर यह जाँच करना कि क्या निवेशों का मूल्यांकन तथा वर्गीकरण भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जाता है। ग) नमूना आधार पर यह भी सत्यापित किया गया कि क्या निवेशों के मूल्य में मूल्यह्रास के लिए उचित प्रावधान किया गया है तथा यह सुनिश्चित किया गया कि मूल्यह्रास का प्रावधान, भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाता है। घ) मूल बैंक द्वारा की गई आंतरिक लेखा-परीक्षा, समवर्ती लेखा-परीक्षा तथा सिस्टम लेखा-परीक्षा संबंधी रिपोर्टों पर भरोसा किया गया है।
2)	**अनिश्चित कर के मुकदमों तथा आकस्मिक देयताओं का मूल्यांकन** मूल बैंक के विरुद्ध कर मुकदमों सहित विभिन्न मूकदमे है। मूल बैंक के अप्रत्यक्ष कर के तहत कुछ भुगतानों पर इनपुट क्रेडिट की उपलब्धता/रिवर्स चार्ज मैकेनिज़्म की प्रयोजनीयता के संबंध में भी विवाद हैं। परिणामों की अनिश्चितता के कारण यह एक प्रमुख लेखा परीक्षा का विषय है, जिसमें इन विवादों के संभावित परिणामों के अनुमानों के लिए महत्वपूर्ण निर्णय शामिल होते हैं।	हमारे लेखा-परीक्षा दृष्टिकोण में निम्नलिखित शामिल है: क) मुकदमों/कर मूल्यांकनों की वर्तमान स्थिति को समझना; ख) विभिन्न कर प्राधिकरणों से प्राप्त नवीनतम आदेशों, सूचनाओं तथा दायर की गई अपीलों की समीक्षा करना; ग) विधि तथा कर परामर्शदाताओं पर भरोसा करना, जहां उपलब्ध हों।
3)	**सूचना प्रौद्योगिकी (आइटी) का मूल्यांकन:** संव्यवहारों को रिकॉर्ड करने, आईआरएसी सहित आरबीआई के दिशा-निर्देशों के अनुपालन में विभिन्न रिपोर्ट जनरेट करने, वित्तीय विवरण तैयार करने तथा विनियामकों को अनुपालन की रिपोर्ट करने आदि में आईटी कंट्रोल, प्रक्रिया का एक	हमारी लेखा-परीक्षा प्रक्रिया में निम्नलिखित शामिल है: क) सिस्टम के परिचालन की प्रभावशीलता को समझना तथा उसकी जांच करना। ख) विभिन्न वर्गों के ग्राहकों के लिए मूल बैंक द्वारा अपनाए गए कोडिंग सिस्टम को समझना।

Sl. No.	Key Audit Matters	Audit Procedure followed to address the Key Audit Matters
	Bank and the regulatory compliances are involved, we have considered this aspect as Key Audit Matter.	
2)	**Evaluation of uncertain tax litigations and contingent liabilities** The Holding Bank has various litigations including tax litigations. The Holding Bank also has litigation regarding availability of input credits/ applicability of Reverse Charge Mechanism on certain payments under Indirect Tax. This is a key audit matter due to uncertainty of the outcome which involves significant judgment to determine the possible outcome of these disputes.	Our audit approach involved: a) Understanding the current status of the litigations/tax assessments; b) Review of the latest orders, communication received from various tax authorities and the appeals filed; c) Reliance on the opinion of legal and tax consultants, where available.
3)	**Assessment of Information Technology (IT):** a. IT controls with respect to recording of transactions, generating various reports in compliance with RBI guidelines including IRAC norms, preparing financial statements and reporting of compliances to regulators etc. is an important part of the process. Such reporting is highly dependent on the effective working of Core Banking Software and other allied systems. We have considered this as key audit matter as any control lapses, validation failures, incorrect input data and wrong extraction of data may result in wrong reporting of data to the management and regulators.	Our audit procedure includes:- a) Understanding and testing of operative effectiveness of the system. b) Understanding the coding system adopted by the Holding Bank for various categories of customers. c) Understanding and testing of different validations available in the system d) Checking the user requirements for any changes in the regulations/ policy of the bank e) Testing of logic used for extracting the data. f) On sample basis reviewing the reports generated. g) Reliance on the system audit report of the Holding Bank.

क्र. सं.	महत्वपूर्ण लेखा-परीक्षा मामले	महत्वपूर्ण लेखा-परीक्षा मामलों के संबंध में कार्रवाई करने के लिए पालन की जाने वाली लेखा-परीक्षा प्रक्रिया
	महत्वपूर्ण अंग है। इस प्रकार की रिपोर्टिंग कोर बैंकिंग सॉफ्टवेयर तथा अन्य सहायक सिस्टमों के प्रभावी रूप से कार्य करने पर निर्भर है। हमने इसे प्रमुख लेखा-परीक्षा का विषय माना है क्योंकि नियंत्रण में चूक, वैधता की विफलता, त्रुटिपूर्ण इनपुट डाटा तथा गलत डाटा निकालने के परिणामस्वरूप प्रबंधन तथा विनियामकों को डाटा की गलत रिपोर्टिंग हो सकती है।	ग) सिस्टम में उपलब्ध विभिन्न वैधीकरण को समझना तथा उनकी जांच करना। घ) बैंक के विनियमों/नीति में किसी भी प्रकार के परिवर्तनों के लिए उपयोगकर्ता की आवश्यकताओं की जांच। ङ) डाटा निकालने के लिए प्रयुक्त लॉजिक की जांच करना। च) जनरेट हुई रिपोर्टों की नमूना आधार पर समीक्षा करना छ) मूल बैंक के सिस्टम लेखापरीक्षा पर भरोसा जताया गया है।
4)	**आस्थगित कर आस्तियों का अभिनिर्धारण:** भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी आय पर करों हेतु लेखांकन एएस 22 के अनुरूप बनाई गई बैंक की महत्वपूर्ण लेखांकन नीति के अनुसार आस्थगित कर आस्तियों का निर्धारण एवं प्रसारण केवल उसी सीमा तक किया जाना चाहिए जहाँ यह उचित सुनिश्चित हो कि इस प्रकार की आस्थगित कर आस्तियों पर उपलब्ध भावी कर योग्य आय की उगाही की जा सकती है। हमने आस्थगित कर आस्तियों की पहचान महत्वपूर्ण लेखा-परीक्षा के मामले के रूप में की क्योंकि इसमें इन आस्थगित कर आस्तियों की उगाही की संभावना के संबंध में प्रबंधन द्वारा निर्णय शामिल होते हैं, जो ऐसे निर्धारण के समर्थन में, भविष्य में पर्याप्त कर योग्य लाभ होगा या नहीं इत्यादि अनेक कारकों पर आधारित होता है।	हमारी लेखा परीक्षा प्रक्रिया में आस्थगित कर आस्तियों के निर्धारण के समर्थन में भविष्य में कर योग्य लाभों की पर्याप्तता पर प्रबंधन के आकलन का मूल्यांकन शामिल है जैसे आस्थगित कर आस्ति के निर्धारण के लिए प्रयुक्त मान्यताएँ तथा अन्य मानदंड।

समेकित वित्तीय विवरणों तथा उन पर लेखा परीक्षक की रिपोर्ट के अलावा जानकारी

6. अन्य जानकारी के लिए मूल बैंक का निदेशक मण्डल उत्तरदायी है। अन्य जानकारी में प्रबंधन रिपोर्ट और अध्यक्ष के वक्तव्य में शामिल जानकारियाँ समाविष्ट है परंतु इसमें समेकित वित्तीय विवरण और इस पर हमारे लेखा परीक्षक की रिपोर्ट शामिल नहीं है।

Sl. No.	Key Audit Matters	Audit Procedure followed to address the Key Audit Matters
4)	**Recognition of Deferred Tax Assets:** As per Significant Accounting Policy of the Holding Bank, which is in accordance with AS 22 Accounting for Taxes on Income issued by The Institute of Chartered Accountants of India Deferred tax assets should be recognised and carried forward only to the extent that there is a reasonable certainty that sufficient future taxable income will be available against which such deferred tax assets can be realised. We identified the recognition of deferred tax assets as a key audit matter involves judgement by management as to the likelihood of the realization of these deferred tax assets, which is based on a number of factors including whether there will be sufficient taxable profits in future periods to support recognition.	Our audit procedure included evaluating management assessment on the sufficiency of the future taxable profits in support of the recognition of deferred tax assets such as assumptions and other parameters used for recognition of deferred tax asset.

Information Other than the Consolidated Financial Statements and Auditor's Report thereon

6. The Holding bank's Board of Directors are responsible for the other information. The other information comprises the information included in the Management report and Chairman's Statement, but does not include the Consolidated Financial Statements and our auditor's report thereon.

Our opinion on the financial statements does not cover the other information and Pillar 3 disclosures under Basel III Disclosure and we do not and will not express any form of assurance conclusion thereon.

In connection with our audit of the consolidated financial statements, our responsibility is to read the other information and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the consolidated financial statements or our knowledge obtained in the audit or otherwise appears to be materially misstated.

When we read the Director's Report of the Bank, including annexures in annual report, if any, thereon, if we conclude that there is a material misstatement therein, we are required to communicate the matter to those charged with governance.

वित्तीय विवरणों पर हमारी राय में अन्य जानकारियां और बासेल III प्रकटन के अंतर्गत पिलर 3 प्रकटन शामिल नहीं है तथा हम इस पर आश्वासन निष्कर्ष के किसी भी रूप को प्रस्तुत नहीं करते हैं और न करेंगे।

समेकित वित्तीय विवरण को हमारी लेखा परीक्षा के संबंध में, हमारी ज़िम्मेदारी अन्य जानकारियों का अध्ययन करना तथा ऐसा करते हुए यह ध्यान रखना कि अन्य जानकारी समेकित वित्तीय विवरण या लेखा परीक्षा में हमारे द्वारा प्राप्त जानकारी या अन्यथा महत्वपूर्ण गलत विवरण से वास्तव में असंगत है।

जब हम बैंक के निदेशकों की रिपोर्ट और इस संबंध में वार्षिक रिपोर्ट के अनुलग्नक यदि कोई हो, पढ़ते हैं, और यदि हम यह निष्कर्ष निकालते है कि कोई महत्वपूर्ण जानकारी गलत है तो हमें उक्त मामले के बारे में प्रशासन के प्रभारी से संपर्क करना होता है।

समेकित वित्तीय विवरणों के संबंध में प्रबंधन तथा जिन्हें प्रशासन का प्रभार दिया गया है, उनकी जिम्मेदारियां

7. बैंक का निदेशक मंडल, इन समेकित वित्तीय विवरणियों को तैयार करने के लिए जिम्मेदार है जो भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा बैंकों पर लागू निर्धारित लेखांकन मानकों, बैंकिंग विनियम अधिनियम, 1949 की धारा 29 के प्रावधानों तथा भारतीय रिज़र्व बैंक(आरबीआई) द्वारा समय-समय पर जारी परिपत्रों तथा दिशानिर्देशों के अनुरूप समूह, इसके सहयागियों तथा संयुक्त उद्यमों की समेकित वित्तीय स्थिति, समेकित वित्तीय कार्यनिष्पादन तथा समेकित नकदी प्रवाह की सही तथा उचित स्थिति प्रस्तुत करता है। समूह में बैंक का संबंधित निदेशक मंडल, इसके सहयोगी तथा संयुक्त उद्यम समूह, उसके सहयोगियों तथा संयुक्त उद्यमों की आस्तियों का रक्षा करने तथा धोखाधडियों तथा अन्य अनियमितताओं से बचने एवं उनके पता लगाने के लिए बनाए गए अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप पर्याप्त लेखांकन रिकॉर्ड रखने, तर्कसंगत तथा विवेकपूर्ण निर्णय एवं आकलन करने, तथा ऐसे पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की रूपरेखा बनाने, लागू करने तथा उसे बनाए रखने के लिए जिम्मेदार हैं, जिन्हें लेखांकन रिकॉर्डों की पूर्णता एवं सटीकता को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी रूप से परिचालित किया जा रहा था, जो वित्तीय विवरणियों को तैयार करने एवं प्रस्तुतीकरण से संबंधित थे और जो वास्तविक एवं उचित स्थिति प्रस्तुत करते है और धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण गम्भीर गलत विवरण से मुक्त हैं।

समेकित वित्तीय विवरण प्रस्तुत करने में, समूह इकाइयों के संबंधित निदेशक मंडल बैंक की संस्थागत क्रियाशीलता को निरंतरता की क्षमता, प्रकटन, संस्था की निरंतरता से संबंधित मामलों, जो भी लागू हो तथा जब तक प्रबंधन लेखांकन का संस्था की निरंतरता के आधार पर प्रयोग न करे, चाहे वह बैंक का परिसमापन या परिचालन बंद करना चाहते हो या ऐसे करने के अलावा और कोई विकल्प न हो, का मूल्यांकन करने हेतु उत्तरदायी है।

समूह में शामिल बैंकों, इसके सहयोगी और संयुक्त उद्यम के संबंधित निदेशक मंडल, समूह, उसके सहयोगियों और संयुक्त उद्यमों की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रियाओं की देखरेख के लिए जिम्मेदार हैं।

समेकित वित्तीय विवरण की लेखापरीक्षा के संबंध में लेखापरीक्षक का उत्तरदायित्व

8. हमारा उद्देश्य इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि समेकित वित्तीय विवरण समग्ररूप से धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण गंभीर गलत विवरणों से मुक्त है, और लेखापरीक्षक की रिपोर्ट जारी करना है जिसमें हमारी राय भी शामिल है। तर्कसंगत आश्वासन उच्च स्तर का आश्वासन है परंतु यह गारंटी नहीं है कि मानक लेखांकन (एसए) के अनुरूप की गई लेखा परीक्षा में गलत विवरण यदि कोई हो, का हमेशा पता लगा लिया जाएगा। गलत बयानी

Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Consolidated Financial Statements

7. The Bank's Board of Directors is responsible with respect to the preparation of these consolidated financial statements that give a true and fair view of the consolidated financial position, consolidated financial performance and consolidated cash flows of the Group, its associates and Joint venture in accordance with the accounting principles generally accepted in India including the Accounting Standards specified by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) as applicable to banks, provisions of Section 29 of the Banking Regulation Act, 1949 and circulars and guidelines issued by the Reserve Bank of India ('RBI') from time to time. The respective Board of Directors of the banks within the Group, its associates and Joint venture are responsible for maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Act for safeguarding of the assets of the Group, its associates and Joint venture and for preventing and detecting frauds and other irregularities; selection and application of appropriate accounting policies; making judgments and estimates that are reasonable and prudent; and design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls, that were operating effectively for ensuring the accuracy and completeness of the accounting records, relevant to the preparation and presentation of the consolidated financial statements that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the consolidated financial statements, the respective Board of Directors of the Group Entities are responsible for assessing the ability of the Group, its associates and Joint venture to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless the Board of Directors either intends to liquidate the Group, its associates and Joint venture or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

The respective Board of Directors of the banks included in the Group, its associates and Joint venture are responsible for overseeing the financial reporting process of the Group, its associates and Joint venture financial reporting processes.

Auditor's Responsibilities for the Audit of the Consolidated Financial Statements

8. Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the consolidated financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with SAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these consolidated financial statements.

धोखाधड़ी या त्रुटि से उत्पन्न हो सकती है और इसे महत्वपूर्ण माना जाता है, यदि एकल रूप से या कुल मिलाकर, वे इन समेकित वित्तीय विवरणों के आधार पर लिए गए उपयोगकर्ताओं के आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करने की उम्मीद कर सकते हैं।

मानक लेखांकन (एसए) के अनुसार लेखा परीक्षा के भाग के रूप में हम लेखा परीक्षा के दौरान पेशेवर निर्णय लेते हैं और पेशेवर संशय को बनाए रखते हैं। इस के साथ ही हम:

- समेकित वित्तीय विवरणों के महत्वपूर्ण गलत बयानी के जोखिम, चाहे वे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो, की पहचान एवं मूल्यांकन करते हैं, इन जोखिमों की प्रतिक्रिया स्वरूप लेखा परीक्षा प्रक्रिया को तैयार एवं निष्पादित करते हैं और हमारी राय को आधार प्रदान करने हेतु पर्याप्त और उपयुक्त लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करते हैं। धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप दिए गए गंभीर गलत विवरणों की पता न लगा पाने का जोखिम, त्रुटिवश दिए गए गलत विवरण की अपेक्षा उच्चतर होता है, क्योंकि धोखाधड़ी में षडयंत्र, जालसाजी, इरादतन की गई चूक, मिथ्या प्रस्तुति या आंतरिक नियंत्रण को अनदेखा करना शामिल हो सकता है।

- परिस्थितियों के अनुरूप उपयुक्त लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं की रूप रेखा तैयार करने के लिए मूल बैंक की लेखापरीक्षा के लिए उपयुक्त आंतरिक नियंत्रण की समझ प्राप्त करते हैं।

- उपयोग में लाई गई लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और लेखांकन के मूल्यांकन एवं प्रबंधन द्वारा किए गए संबंधित प्रकटन के औचित्य का मूल्यांकन करते हैं।

- प्रबंधन द्वारा प्रयुक्त लेखांकन के कार्यशील संस्था आधार और प्राप्त किए गए लेखा परीक्षा के साक्ष्यों के आधार पर निष्कर्ष निकालते हैं कि क्या ऐसे मामलों या स्थितियों से संबंधित कोई अनिश्चितता है जो समूह, उसकी सहयोगी कंपनियों एवं संयुक्त उद्यमों के, कार्यशील संस्था के रूप में जारी रहने में बड़ा संदेह उत्पन्न करती हो। यदि यह निष्कर्ष निकालते हैं कि कोई महत्वपूर्ण अनिश्चितता विद्यमान है या उक्त प्रकटन हमारी राय को संशोधित करने में अपर्याप्त है, तो वित्तीय विवरणों में संबंधित प्रकटन हेतु हमें अपनी लेखा परीक्षक रिपोर्ट में इस ओर ध्यान आकर्षित करना चाहिए। हमारे निष्कर्ष, हमारे लेखा परीक्षक की रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त किए गए लेखांकन साक्ष्यों पर आधारित हैं। तथापि, भविष्य की घटनाओं या परिस्थितियों के कारण ऐसा हो सकता है कि बैंक कार्यशील संस्था के रूप में जारी न रहे।

- प्रकटन सहित समेकित वित्तीय विवरण की समग्र प्रस्तुति, संरचना और विषय-वस्तु का मूल्यांकन और वित्तीय विवरण में अंतर्निहित संव्यवहारों और घटनाओं को उचित प्रकार प्रस्तुत करने के तरीके का मूल्यांकन करते हैं।

- समेकित वित्तीय विवरण पर राय व्यक्त करने के लिए समूह के अंतर्गत बैंक, उसकी सहयोगी कंपनियों और संयुक्त उद्यमों की वित्तीय जानकारी से संबंधित पर्याप्त उपयुक्त लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करते हैं। हम समेकित वित्तीय विवरण में शामिल बैंकों के वित्तीय विवरण को लेखा परीक्षा के अनुदेश, पर्यवेक्षण तथा निष्पादन के लिए उत्तरदायी हैं जिसके लिए हम स्वतंत्र लेखा परीक्षक हैं। समेकित वित्तीय विवरण में शामिल अन्य कंपनियों के लिए, जिनकी लेखा परीक्षा अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा की गई है, ऐसे लेखा परीक्षक उनके द्वारा की गई लेखा परीक्षा के लिए निर्देश, पर्यवेक्षण और कार्यनिष्पादन के लिए जिम्मेदार होगें। हम केवल अपनी लेखा परीक्षा संबंधी राय के लिए उत्तरदायी हैं।

As part of an audit in accordance with SAs, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- Identify and assess the risks of material misstatement of the consolidated financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.

- Obtain an understanding of internal control relevant to the audit of the Holding Bank in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances.

- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by the management.

- Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Group's, its associates and Joint venture ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the consolidated financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the bank to cease to continue as a going concern.

- Evaluate the overall presentation, structure and content of the consolidated financial statements, including the disclosures, and whether the consolidated financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.

- Obtain sufficient appropriate audit evidence regarding the financial information of the bank within the Group, its associates and Joint venture to express an opinion on the consolidated financial statements. We are responsible for the direction, supervision and performance of the audit of the financial statements of the bank included in the consolidated financial statements of which we are the independent auditors. For the other entities included in the consolidated financial statements, which have been audited by the other auditors, such other auditors remain responsible for the direction, supervision and performance of the audits carried out by them. We remain solely responsible for our audit opinion.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical

हम अन्य विषयों के साथ-साथ, लेखा परीक्षा के नियोजित दायरे और समय तथा महत्वपूर्ण लेखा परीक्षा निष्कर्षों एवं लेखा परीक्षा के दौरान हमारे द्वारा पहचान की गई आंतरिक नियंत्रण में कोई महत्वपूर्ण कमी के बारे में शासन के प्रभारियों को सूचित करते हैं।

हम शासन के प्रभारियों को यह विवरण भी प्रस्तुत करते हैं कि हमने निष्पक्षता संबंधी सभी प्रासंगिक नैतिक अपेक्षाओं का पालन किया है तथा उन्हें ऐसे सभी संबंधों एवं अन्य मामलों की सूचना देते हैं, जो हमारी निष्पक्षता को प्रभावित कर सकते हैं और संबंधित रक्षा उपायों, जहाँ भी लागू हैं, की भी सूचना देते हैं।

प्रशासन प्रभारियों को सूचित संबंधित मामलों से, हमने उन मामलों को निर्धारित किया है जो वर्तमान अवधि के समेकित वित्तीय विवरण की लेखापरीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण हैं और इसलिए प्रमुख लेखा संबंधी मामले हैं। इन मामलों को हम अपनी लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में वर्णित करते हैं, यदि कानून या विनियम इस मामले के सार्वजनिक प्रकटीकरण को प्रतिबंधित न करें या बहुत ही कम परिस्थितियों में जब हम यह तय करते हैं कि इन्हें हमारी रिपोर्ट में व्यक्त नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से जनहित लाभ पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।

अन्य मामले

9. संलग्न समेकित वित्तीय विवरणों में निम्नलिखित के संबंध में लेखा परीक्षित वित्तीय विवरण और अन्य वित्तीय जानकारी शामिल है :

   क. ऐसी 5 अनुषंगी संस्थाओं के वित्तीय विवरणों की अन्य लेखापरीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षा की गई जिनके वित्तीय विवरणों में 31 मार्च, 2023 को रु.903.76 करोड़ की कुल आस्तियां, उक्त तारीख को समाप्त वर्ष में रु. 81.11 करोड़ के कुल राजस्व तथा कर के बाद रु 0.44 करोड़ का निवल लाभ तथा रु.118.24 करोड़ का निवल नकदी बहिर्गमन दर्शाया गया है, जिन्हें समेकित वित्तीय विवरण में शामिल किया गया है।

   ख. ऐसे 5 सहयोगी कंपनियों के वित्तीय विवरणों की अन्य लेखापरीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षा की गई जिनके वित्तीय विवरणों में 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष हेतु समूह के रु. 47.97 करोड़ की कर पश्चात निवल हानि शामिल है जिसे समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल किया गया है।

   इन संस्थाओं के वित्तीय विवरणों पर स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट प्रबंधन द्वारा हमें प्रस्तुत की गई है और समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारी राय, जहां तक यह इन सहायक कंपनियों, संयुक्त उद्यमों और सहयोगी कंपनियों के विषय में शामिल राशि और प्रकटीकरण का संबंध है, पूरी तरह से अन्य लेखा परीक्षकों की रिपोर्टों पर आधारित है।

   एक विदेशी सहयोगी के संबंध में, वित्तीय सूचना उस देश में सामान्यत: स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार तैयार की गई है जिसमें वह स्थित है और अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा सामान्य रूप से स्वीकृत लेखा परीक्षा मानकों के तहत लेखा परीक्षा की गई है जैसा कि यह उस देश में लागू होता है जिसमें यह स्थित है। मूल बैंक प्रबंधन ने ऐसे सहयोगी की वित्तीय जानकारी को आम तौर पर उस देश में स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों से परिवर्तित कर उसे भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप कर दिया है। जहां तक भारत के बाहर स्थित ऐसी सहयोगी कंपनी की राशि और प्रकटीकरण का संबंध है, हमारी राय अन्य लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट और मूल बैंक के प्रबंधन द्वारा तैयार रूपांतरण समायोजनों पर आधारित है।

requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the audit of the consolidated financial statements of the current period and are therefore the key audit matters. We describe these matters in our auditor's report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

Other Matter

9. The accompanying consolidated financial statements include the audited financial statements and other financial information in respect of:

   a) The financial statements of 5 Subsidiaries whose financial statements reflect total assets of Rs. 903.76 crore as at March 31, 2023, total revenues of Rs. 81.11 crore and total net profit after tax of Rs. 0.44 crore for the year ended on that date, and net cash outflows of Rs 118.24 crore as considered in the consolidated financial statements, have been audited by other auditors.

   b) The financial statements of 5 Associates whose financial statements include Group's share of net loss after tax of Rs. 47.97 crore for the year ended March 31, 2023, as considered in the consolidated financial statements, have been audited by other auditors.

   The independent auditor's reports on the financial statements of these entities have been furnished to us by the Management and our opinion on the consolidated financial statements, in so far as it relates to the amounts and disclosures included in respect of these subsidiaries, joint venture and associates, is based solely on the reports of the other auditors.

   In respect of one foreign associate, the financial information has been prepared in accordance with accounting principles generally accepted in the country in which it is situated and has been audited by the other auditors under generally accepted auditing standards as applicable in the country in which it is situated. The Holding Bank management has converted the financial information of such associate from accounting principles generally accepted in the country in which it is situated to accounting principles generally accepted in India. Our opinion in so far as it relates to the amounts and disclosures of such associate located outside India is based on the report of other auditors and the conversion adjustments prepared by the management of the Holding Bank.

10. समेकित वित्तीय विवरणों में निम्नलिखित के संबंध में गैर-लेखा परीक्षित/समीक्षित वित्तीय विवरण और अन्य वित्तीय विवरण शामिल है :

क. ऐसी 3 अनुषंगी संस्थाओं के वित्तीय विवरणों की किसी भी लेखापरीक्षक द्वारा लेखापरीक्षा नहीं की गई जिनके वित्तीय विवरणों में 31 मार्च, 2023 को रु.4932.24 करोड़ की कुल आस्तियां, उक्त तारीख को समाप्त वर्ष हेतु रु. 91.46 करोड़ के कुल राजस्व तथा कर के बाद रु 194.81 करोड़ की निवल हानि तथा रु. 50.50 करोड़ का निवल नकदी अंतर्वाह दर्शाया गया है, जिन्हें समेकित वित्तीय विवरण में शामिल किया गया है।

ख. ऐसे 1 संयुक्त उद्यम के वित्तीय विवरणों की किसी भी लेखापरीक्षक द्वारा लेखापरीक्षा नहीं की गई जिनके वित्तीय विवरणों में 31 मार्च, 2023 को रु. 5602.32 करोड़ की कुल आस्तियां, उक्त तारीख को समाप्त वर्ष हेतु रु. 46.51 करोड़ के कुल राजस्व तथा रु 52.14 करोड़ का कर पश्चात निवल लाभ तथा रु. 171.63 करोड़ का निवल नकदी अंतर्वाह दर्शाया गया है, जिन्हें समेकित वित्तीय विवरण में शामिल किया गया है।

ग. ऐसी 1 सहयोगी कंपनी के वित्तीय विवरणों की किसी भी लेखापरीक्षक द्वारा लेखापरीक्षा नहीं की गई जिनके वित्तीय विवरणों में 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष हेतु समूह की, रु. 5.22 करोड़ के कर पश्चात निवल लाभ की हिस्सेदारी शामिल है जिसे समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल किया गया है।

ये वित्तीय विवरणों की समीक्षित/अलेखापरीक्षित हैं और प्रबंधन द्वारा हमें प्रस्तुत किए गए हैं और इन समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारी राय, जहाँ तक इन अनुषंगियों एवं सहायक कंपनियों के विषय में शामिल राशि और प्रकटीकरण का संबंध है, पूरी तरह से लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण पर आधारित है। हमारी राय में और प्रबंधन द्वारा हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, ये वित्तीय विवरण समूह के लिए महत्वपूर्ण नहीं है।

समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारी राय, और नीचे दी गई अन्य विधिक और नियामक आवश्यकताओं पर हमारी रिर्पोट तथा लेखापीक्षित वित्तीय विवरणों पर हमारी निर्भरता के संबंध में प्रबंधन द्वारा प्रमाणित वित्तीय जानकारी उपरोक्त मामलों में संशोधित नहीं है।

अन्य विधिक एवं विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट

11. समेकित तुलनपत्र और समेकित लाभ एवं हानि खाते को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 29 के अनुरूप तैयार किया गया है।

12. उपरोक्त पैरा 5, 8 एवं 9 में दी गई लेखा परीक्षा संबंधी सीमाओं के अधीन और बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970/1980 की अपेक्षाओं के अनुरूप और इसमें अपेक्षित प्रकटन की सीमाओं के अध्यधीन, हम रिपोर्ट करते हैं कि:

क. हमने समेकित वित्तीय विवरण को हमारी लेखा परीक्षा के प्रयोजन हेतु हमारी पूर्ण जानकारी और विश्वास के अनुसार, आवश्यक सभी जानकारियों और स्पष्टीकरणों को प्राप्त कर लिए है तथा वे संतोषजनक पाए गए हैं,

10. The accompanying consolidated financial statements includes the unaudited financial statements and other financial information in respect of:

a) The financial statements of 3 Subsidiaries, whose financial statements reflect total assets of Rs. 4932.24 crore as at March 31, 2023, total revenues of Rs. 91.46 crore and total net loss after tax of Rs. 194.81 crore for the year ended on that date, and net cash inflows of Rs 50.50 crore as considered in the consolidated financial statements, have not been audited by any auditors.

b) The financial statements of 1 Joint Venture whose financial statements reflect total assets of Rs. 5602.32 crore as at March 31, 2023, total revenues of Rs. 46.51 crore and total net profit after tax of Rs. 52.14 crore for the year ended on that date, and net cash inflows of Rs. 171.63 crore, as considered in the consolidated financial statements, have not been audited by any auditor.

c) The financial statements of 1 Associate whose financial statements reflect Group's share of net profit after tax of Rs. 5.22 crore for the year ended as on 31st March, 2023, as considered in the consolidated financial statements have not been audited by any auditor.

These financial statements are reviewed/unaudited and have been furnished to us by the Management and our opinion on the consolidated financial statements, in so far as it relates to the amounts and disclosures included in respect of these subsidiaries and associates, is based solely on such unaudited financial statements. In our opinion and according to the information and explanations given to us by the Management, these financial statements are not material to the Group.

Our opinion on the consolidated financial statements, and our report on the Other Legal and Regulatory Requirements below, is not modified in respect of above matters with respect to our reliance on the work done and the reports of the other auditors and the un-audited financial statements/financial information certified by the management.

Report on Other Legal and Regulatory Requirements

11. The Consolidated Balance Sheet, the Consolidated Profit & Loss account have been drawn up in accordance with Section 29 of the Banking Regulation Act, 1949;

12. Subject to the limitations of the audit indicated in paragraphs 5, 8 and 9 above and as required by the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980, and subject also to the limitations of disclosure required therein, we report that:

a) We have obtained all the information and explanations which, to the best of our knowledge and belief, were necessary for the purposes of our audit of the consolidated financial statements and have found them to be satisfactory;

ख. हमारी जानकारी में आए हुए समूह के बैंकों के लेन-देन समूह के संबंधित बैंक के अधिकार क्षेत्र में हैं, और

ग. समूह के बैंकों से प्राप्त विवरणियाँ समेकित वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा के प्रयोजन के लिए पर्याप्त पाई गई हैं।

13. हम यह भी रिपोर्ट करते हैं कि :

क. हमारी राय में, विधि द्वारा यथा अपेक्षित लेखे की बहियाँ मूल बैंक द्वारा उचित रूप से रखी गई हैं जैसा कि हमारे द्वारा इन बहियों की जांच से प्रतीत होता है और जिन शाखाओं का हमने दौरा नहीं किया है हमारी लेखा परीक्षा के प्रयोजन हेतु उनसे उचित विवरणियां प्राप्त की गई हैं;

ख. इस रिपोर्ट में प्रस्तुत समेकित तुलन-पत्र, समेकित लाभ एवं हानि खाता और नकदी प्रवाह के समेकित विवरण समेकित वित्तीय विरणियों को तैयार करने के लिए बनाई गई प्रासंगिक लेखा बहियों से मेल खाते हैं।

ग. बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 29 के तहत बैंक के अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षित/समीक्षा किए गए घरेलू तथा विदेशी अनुषंगियों, सहायक कंपनियों, संयुक्त उपक्रमों के लेखों पर रिपोर्ट तथा बैंक की शाखा के लेखा परीक्षकों द्वारा लेखापरीखित शाखा कार्यालयों की रिपोर्ट हमें उपलब्ध करवाई गई है और रिपोर्ट को तैयार करने में हमने उचित रूप से कार्रवाई की है; और

घ. हमारी राय में, समेकित तुलनपत्र, समेकित लाभ एवं हानि खाता और नकदी प्रवाह विवरण लागू लेखांकन मानकों का भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित लेखांकन नीतियों के अनुरूप होने की सीमा तक अनुपालन करते हैं।

14. ''सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में सांविधिक केन्द्रीय लेखा परीक्षकों (एससीए) की नियुक्ति - वित्त वर्ष 2019-20 से एससीए के लिए रिपोर्टिंग बाध्यताएं'' के संबंध में पत्र सं. डीओएस.एआरजी. सं. 6270/08.91.001/ 2019-20 दिनांक 17 मार्च, 2020 जिसे आरबीआई द्वारा जारी अनुवर्ती संप्रेषण दिनांक 19 मई, 2020 के साथ पढ़ा जाए, की अपेक्षानुसार, हम उपर्युक्त पत्र के अनुच्छेद 2 में विनिर्दिष्ट मामलों पर रिपोर्ट करते है, जो निम्नलिखित है:

क. हमारी राय में, उपर्युक्त समेकित वित्तीय विवरण, आईसीएआई द्वारा जारी लेखा मानकों का पालन करते हैं, वे आरबीआई द्वारा निर्धारित लेखा नीतियों से असंगत नहीं है।

ख. ऐसे वित्तीय संव्यवहारों/मामलों पर कोई अवलोकन या टिप्पणी नहीं हैं, जिससे मूल बैंक के कार्य निष्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े।

ग. यथा दिनांक 31 मार्च, 2023 को निदेशकों से प्राप्त लिखित अभिवेदन के आधार पर, बैंक के निदेशकों में से किसी को भी यथा दिनांक 31 मार्च, 2022 को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164 की उपधारा (2) के अनुसार एक निदेशक के रूप में नियुक्त होने से अयोग्य (डिस्क्वालीफाई) नहीं बताया गया है।

b) The transactions of the banks within the Group, which have come to our notice, have been within the powers of the respective banks within the Group, and

c) The returns received from the banks within the Group have been found adequate for the purposes of our audit of the consolidated financial statements.

13. We further report that:

a) In our opinion, proper books of account as required by law have been kept by the Holding Bank so far as it appears from our examination of those books and proper returns adequate for the purposes of our audit have been received from branches not visited by us;

b) The Consolidated Balance Sheet, the Consolidated Profit and Loss Account and the Consolidated Statement of Cash Flows dealt with by this report are in agreement with the relevant books of accounts maintained for the purpose of the preparation of the consolidated financial statements;

c) The reports on the accounts of the domestic and overseas subsidiaries, associates and joint venture reviewed/audited by other auditors and the reports of the branch offices audited by branch auditors of the Bank under section 29 of the Banking Regulation Act, 1949 have been provided to us and have been properly dealt with by us in preparing this report; and

d) In our opinion, The Consolidated Balance Sheet, the Consolidated Profit & Loss account and the Consolidated Statement of Cash Flows comply with the applicable accounting standards, to the extent they are not inconsistent with the accounting policies prescribed by RBI.

14. As required by letter No. DOS.ARG. No.6270/08.91.001/2019- 20 dated March 17, 2020 on "Appointment of Statutory Central Auditors (SCAs) in Public Sector Banks–Reporting obligations for SCAs from FY: 2019-20", read with subsequent communication dated May 19, 2020 issued by the RBI, we further report on the matters specified in paragraph 2 of the aforesaid letter as under:

a) In our opinion, the aforesaid Consolidated Financial Statements comply with the Accounting Standards issued by ICAI, to the extent they are not inconsistent with the accounting policies prescribed by the RBI.

b) There are no observations or comments on financial transactions or matters which have any adverse effect on the functioning of the Holding Bank.

घ. खातों के रखरखाव और उनसे संबंधित अन्य मामलों के संदर्भ में कोई शर्तें, संदेह या प्रतिकूल टिप्पणी नहीं है।

c) On the basis of the written representations received from the directors as on March 31, 2023, none of the directors of the bank is disqualified as on March 31, 2022 from being appointed as a director in terms of sub-section (2) of Section 164 of the Companies Act, 2013.

d) There are no qualifications, reservations or adverse remarks relating to the maintenance of accounts and other matters connected therewith. \

कृते वी शंकर अय्यर एंड कंपनी
For V Sankar Aiyar & Co.
सनदी लेखाकार Chartered Accountants
(एफआरएन 109208डब्ल्यू) (FRN 109208W)

कृते लक्ष्मी तृप्ति एंड एसोशिएट्स
For Laxmi Tripti & Associates
सनदी लेखाकार Chartered Accountants
(एफआरएन 009189सी) (FRN 009189C)

मुंकुद एम चितले एवं कंपनी
For Mukund M Chitale & Co.
सनदी लेखाकार Chartered Accountants
(एफआरएन: 106655डब्ल्यू) (FRN: 106655W)

आशा पटेल Asha Patel
भागीदार Partner
एम.सं.166048 M. No. 166048
यूडीआईएन: UDIN: 23166048BGUTEL5915

सुनिल अग्रवाल Sunil Agarwal
भागीदार Partner
एम.सं. 103066 M.No.103066
यूडीआईएन: UDIN: 23103066BGVYZA3251

नीलेश आरएस जोशी Nilesh RS Joshi
भागीदार Partner
एम.नं.114749 M. No. 114749
यूडीआईएन: UDIN: 23114749BGSUJS8981

स्थान : मुंबई / Place : Mumbai
दिनांक : 6 मई, 2023 / Date : 6th May 2023

बासेल III (स्तंभ 3) - प्रकटन(समेकित) मार्च, 2023

तालिका डीएफ - 1
अनुप्रयोग का कार्यक्षेत्र

समूह में शीर्ष बैंक का नाम जिस पर यह संरचना लागू होती है - बैंक ऑफ इंडिया

गुणात्मक प्रकटन

ए. ऐसे समूह संथाओं की सूची जो समेकन में शामिल हैं

संस्था का नाम/निगमन देश	क्या संस्था लेखा समेकन के दायरे में शामिल है (हाँ/नहीं)	समेकन की विधि समझाएँ	क्या संस्था समेकन के नियामक दायरे के तहत शामिल है (हाँ/नहीं)	समेकन की विधि समझाएँ	समेकन की विधि में अंतर के कारण बताएं	समेकन के केवल एक दायरे के अंतर्गत समेकित है तो कारण बताएं
बैंक ऑफ इंडिया न्यूज़ीलैंड लि	हाँ	अनुषंगी	हाँ	अनुषंगी	लागू नहीं	लागू नहीं
बैंक ऑफ इंडिया (युगांडा) लि	हाँ	अनुषंगी	हाँ	अनुषंगी	लागू नहीं	लागू नहीं
बैंक ऑफ इंडिया (तंज़ानिया)लि	हाँ	अनुषंगी	हाँ	अनुषंगी	लागू नहीं	लागू नहीं
पीटी बैंक ऑफ इंडिया इन्डोनेशिया, टीबीके	हाँ	अनुषंगी	हाँ	अनुषंगी	लागू नहीं	लागू नहीं
बीओआई शेयरहोल्डिंग लि	हाँ	अनुषंगी	हाँ	अनुषंगी	लागू नहीं	लागू नहीं
बीओआई स्टार इंवेस्टमेंट मैनेजर्स प्रा लि	हाँ	अनुषंगी	हाँ	अनुषंगी	लागू नहीं	लागू नहीं
बीओआई स्टार ट्रस्टी सर्विसेज प्रा लि	हाँ	अनुषंगी	हाँ	अनुषंगी	लागू नहीं	लागू नहीं
बीओआई मर्चंट बैंकर्स लि	हाँ	अनुषंगी	हाँ	अनुषंगी	लागू नहीं	लागू नहीं
स्टार यूनियन दाई-इची जीवन बीमा कंपनी लि	हाँ	संयुक्त उद्यम	नहीं	संयुक्त उद्यम	लागू नहीं	लागू नहीं
एसटीसीआई फाइनेंस लि	हाँ	सहायक कंपनी	हाँ	सहायक कंपनी	लागू नहीं	लागू नहीं
एएसआरईसी (इंडिया) लि	हाँ	सहायक कंपनी	हाँ	सहायक कंपनी	लागू नहीं	लागू नहीं
इंडो जाम्बिया बैंक लि	हाँ	सहायक कंपनी	हाँ	सहायक कंपनी	लागू नहीं	लागू नहीं
आरआरबी विदर्भ कोंकण ग्रामीण बैंक	हाँ	सहायक कंपनी	हाँ	सहायक कंपनी	लागू नहीं	लागू नहीं
आरआरबी आर्यावर्त बैंक	हाँ	सहायक कंपनी	हाँ	सहायक कंपनी	लागू नहीं	लागू नहीं
आरआरबी मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक	हाँ	सहायक कंपनी	हाँ	सहायक कंपनी	लागू नहीं	लागू नहीं

बी. समेकन के लेखांकन एवं विनियामकीय कार्यक्षेत्र में जो समूह निकाय शामिल नहीं हैं उनकी सूची

ऐसे कोई समूह निकाय नहीं हैं जिन्हें समेकन के दोनों, लेखांकन एवं विनियामकीय कार्यक्षेत्रों में शामिल न किया गया हो।

ii. मात्रात्मक प्रकटन :

सी. ऐसी समूह संस्थाओं की सूची जो समेकन में शामिल हैं

संस्था का नाम/निगमन देश	संस्था की प्रमुख गतिविधि	कुल तुलन पत्र इक्विटी एवं आरक्षितियाँ (विधिक निकाय के लेखांकन तुलन पत्र में उल्लिखितनुसार) (इक्विटी + आरक्षिति) (₹ मिलियन)	कुल तुलनपत्र आस्तियां (विधिक निकाय के लेखांकन तुलन पत्र में उल्लिखितनुसार) (₹ मिलियन)
बैंक ऑफ इंडिया (न्यूज़ीलैंड) लि	बैंकिंग	3,137.54	7,470.51
बैंक ऑफ इंडिया (युगांडा) लि	बैंकिंग	1,287.34	6,767.32
बैंक ऑफ इंडिया (तंज़ानिया) लि	बैंकिंग	1,535.21	5,044.21
पीटी बैंक ऑफ इंडिया इन्डोनेशिया टीबीके	बैंकिंग	11,211.57	33,803.77
बीओआई शेयरहोल्डिंग लि	स्टॉक एक्सचेंज का समाशोधन और निपटान	267.33	286.22
बीओआई स्टार इंवेस्टमेंट मैनेजर्स प्रा लि	आस्ति प्रबंधन	528.44	600.59
बीओआई स्टार ट्रस्टी सर्विसेज प्रा लि	ट्रस्टीशिप सेवाएँ	0.57	1.57
बीओआई मर्चंट बैंकर्स लि	मर्चंट बैंकिंग सेवाएँ	208.96	221.18
स्टार यूनियन दाई-इची जीवन बीमा कंपनी लि	जीवन बीमा	10,618.29	1,97,271.48
एसटीसीआई फाइनेंस लि	एनबीएफ़सी-एनडीएसएल	24,935.40	1,85,970.05
एएसआरईसी (इंडिया) लि	आस्ति वसूली कंपनी	1,930.29	2,688.40
इंडो जाम्बिया बैंक लि	बैंकिंग	8,143.45	56,231.22
आरआरबी विदर्भ कोंकण ग्रामीण बैंक	बैंकिंग	1,769.37	77,338.65
आरआरबी आर्यावर्त बैंक	बैंकिंग	25,483.22	3,98,014.40
आरआरबी मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक	बैंकिंग	12,683.61	2,41,876.31

डी. सभी अनुषंगियों में पूंजीगत कमियों की कुल राशि जो समेकन के विनियामकीय कार्यक्षेत्र में शामिल नहीं हैं अर्थात जिनकी कटौती की गई है: अनुषंगियों में पूंजी की कोई कमी नहीं है।

ई. बीमा संस्थाओं में बैंक के कुल निवेश की राशि (जैसे वर्तमान वही मूल्य) जो जोखिम-भारित हैं:

बीमा कंपनी का नाम/निगमन देश	कंपनी की मुख्य गतिविधि	कुल तुलन पत्र इक्विटी (विधिक निकाय के लेखांकन तुलन पत्र में उल्लिखितनुसार) (₹ मिलियन)	कुल इक्विटी में बैंक की शेयरधारिता का % / वोटिंग अधिकार का अनुपात	पूर्ण कटौती विधि का उपयोग करने बनाम जोखिम भार विधि का उपयोग करने की नियामक पूंजी पर मात्रात्मक प्रभाव (₹ मिलियन)
स्टार यूनियन दाई-इची जीवन बीमा कंपनी लिमिटेड	जीवन बीमा	3,389.64	28.96	2,454.00 (जोखिम भारिता 250%)

एफ. बैंकिंग समूह के भीतर निधियों या विनियामक पूंजी के हस्तांतरण पर कोई भी प्रतिबंध या बाधाएं भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा शासित होती हैं। पूंजी पर्याप्तता

तालिका डीएफ - 2
पूंजी पर्याप्तता

i. गुणात्मक प्रकटन

क. वर्तमान तथा भावी कार्य-कलापों के समर्थन में अपनी पूंजी पर्याप्तता मूल्यांकन के लिए बैंक के दृष्टिकोण की संक्षेप में विवेचना।

1. बैंक ऑफ़ इंडिया :

बैंक भविष्य में कारोबार वृद्धि, पूंजीगत आवश्यकताएं, नीति दिशा-निर्देश, मैक्रो आर्थिक परिदृश्य एवं जोखिम क्षमता, आदि का ध्यान रखने हेतु समय-समय पर अपनी पूंजीगत आवश्यकताओं का नियमित मूल्यांकन करता है। सभी जोखिमों से व्यापक रूप से निपटने हेतु बैंक ने आंतरिक पूंजी पर्याप्तता मूल्यांकन प्रक्रिया (आईसीएएपी) विकसित की है।

2. पीटी बैंक ऑफ़ इंडिया इंडोनेशिया टीबीके (अनुषंगी) :

बैंक इंडोनेशिया के विनियमन के अनुरूप विदेशी मुद्रा व्यापार चलाने के लिए, बैंक की टियर-1 पूंजी कम-से-कम आईडीआर 3 ट्रिलियन होनी चाहिए।

3. बैंक ऑफ़ इंडिया (तंजानिया) लि. (अनुषंगी) और बैंक ऑफ़ इंडिया (युगांडा) लि. (अनुषंगी) :

पर्यवेक्षण उद्देश्य हेतु बैंक ऑफ़ तंजानिया (बीओटी) और बैंक ऑफ़ युगांडा (बीओयू) द्वारा कार्यान्वित अनुसार, बासेल समिति द्वारा विकसित दिशानिर्देशों पर आधारित तकनीक का प्रयोग करते हुए, बैंक प्रबंधन द्वारा पूंजी पर्याप्तता तथा नियामक पूंजी के प्रयोग की नियमित निगरानी की जाती है। आवश्यक सूचना तिमाही आधार पर स्थानीय विनियामक, बीओटी और बीओयू के पास प्रस्तुत है। 1 जनवरी, 2018 से प्रभावी होकर आईएफआरएस-9 को कार्यान्वित किया गया है।

बैंक की नियामक पूंजी, जो इसके प्रबंधन द्वारा प्रबंधित है, वह दो टियर में विभाजित है:

टियर 1 पूंजी : टियर-1 पूंजी की गणना में शेयर पूंजी, प्रतिधारित आय तथा आस्थागित प्रभार सांविधिक आरक्षितियाँ, तथा सामान्य प्रावधान घटाये जाते हैं।

टियर 2 पूंजी : अर्हक गौण ऋण पूंजी, समेकित क्षतिभत्ता तथा बिक्री हेतु उपलब्ध इक्विटी लिखतों के उचित मूल्यांकन पर अप्राप्त उगाही।

जोखिम भारित आस्तियों को पाँच जोखिम भारों के अनुक्रम द्वारा सुनिश्चित किया जाता है। जोखिम-भार का वर्गीकरण, किसी पात्र संपार्श्विक या गारंटी की गणना करते हुए, आस्ति की प्रकृति, ऋण जोखिम, बाज़ार जोखिम और प्रत्येक आस्ति एवं प्रतिपक्ष से जुडे जोखिम के आधार पर किया जाता है। ऐसी ही प्रक्रिया, संभावित हानियों की अधिक आकस्मिक प्रकृति को परिलक्षित करते हुए कुछ आशोधनों के साथ, ऑफ़-बैलेन्स शीट एक्सपोज़र के लिए भी की जाती है।

4. बैंक ऑफ़ इंडिया (न्यूजीलैंड) लि. (अनुषंगी)

पर्यवेक्षण उद्देश्य हेतु रिज़र्व बैंक ऑफ़ न्यूजीलैंड (आरबीएनजेड) के दिशानिर्देशों पर आधारित नियोजित तकनीक पर पूंजी पर्याप्ताता तथा नियामक पूंजी के प्रयोग की निगरानी नियमित रूप से बैंक के प्रबंधन द्वारा की जाती है। आवश्यक सूचना का प्रकटन तिमाही आधार पर सामान्य प्रकटन विवरण द्वारा किया जाता है। बैंक के प्रबंधन द्वारा प्रबंधित नियामक पूंजी में केवल टियर 1 पूंजी शामिल है।

टियर 1 पूंजी : शेयर पूंजी, प्रतिधारित आय तथा प्रतिधारित आय के विनियोजन द्वारा निर्मित आरक्षितियाँ।

जोखिम भारित आस्तियों को पाँच जोखिम भारों के अनुक्रम द्वारा सुनिश्चित किया जाता है। जोखिम-भार का वर्गीकरण, किसी पात्र संपार्श्विक या गारंटी की गणना करते हुए, आस्ति की प्रकृति, ऋण जोखिम, बाज़ार जोखिम और प्रत्येक आस्ति एवं प्रतिपक्ष से जुडे जोखिम के आधार पर किया जाता है। ऐसी ही प्रक्रिया, ऑफ़-बैलेन्स शीट एक्सपोज़र के लिए भी की जाती है।

ii. मात्रात्मक प्रकटन

(राशि ₹ मिलियन में)

ऋण जोखिम हेतु पूंजी आवश्यकताएं :(#)	274369.22
मानकीकृत दृष्टिकोण अपनाने की शर्त पर पोर्टफोलियो	
प्रतिभूतिकरण एक्सपोज़र	शून्य
बाज़ार जोखिम हेतु पूंजी आवश्यकताएं : मानकीकृत अवधि दृष्टिकोण (#)	14,867.50
ब्याज दर जोखिम	8363.48
विदेशी मुद्रा जोखिम (सोना सहित)	2733.75
इक्विटि जोखिम	3770.28
परिचालन जोखिम हेतु पूंजी आवश्यकता (#): **बेसिक इंडिकेटर दृष्टिकोण** मानकीकृत दृष्टिकोण (यदि लागू हो)	33,442.43
कॉमन इक्विटी टियर 1, टियर 1 और कुल पूंजी अनुपात : (शीर्ष समेकित समूह हेतु)	0.00
आम इक्विटी टियर 1 पूंजी (CET 1)	14.25%
टियर 1 पूंजी (T 1)	15.05%
कुल पूंजी अनुपात	16.91%
# आवश्यक पूँजी को आरडब्ल्यूए की 9% की दर से न्यूनतम नियामक आवश्यकता पर गणना की जाती हैं।	

तालिका डीएफ 3 - ऋण जोखिम
सभी बैंकों के लिए सामान्य प्रकटन

i. गुणात्मक प्रकटन

क) ऋण जोखिम के संबंध में सामान्य गुणात्मक प्रकटन की आवश्यकता जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित हैं:

- **पिछले देय तथा अपसामान्य की परिभाषा (लेखांकन प्रयोजन हेतु)**

1.0 बैंक ऑफ़ इंडिया

बैंक, भारतीय रिज़र्व बैंक के विनियमों का अनुपालन करता है, जिसका सारांश निम्नलिखित है:

1.1 अनर्जक आस्तियाँ

ऐसी आस्ति जिसमें पट्टा आस्ति शामिल है, जब बैंक के लिए आय उत्पन्न नहीं करती है तब वह अनर्जक हो जाती है।

अनर्जक आस्ति (एनपीए) एक ऐसा ऋण या अग्रिम है जिसमें :

- मीयादी ऋण के संबंध 90 दिनों से अधिक अवधि के लिए मूलधन का ब्याज और/या किस्त अतिदेय रहता है।
- किसी ओवरड्राफ्ट/नकदी ऋण (ओडी/सीसी) के सम्बन्ध में, नीचे दर्शाए गए अनुसार ''अनियमित'' हुआ खाता।

- क्रय किए गए तथा बट्टाकृत बिल के मामले में 90 दिनों से अधिक अवधि के लिए अतिदेय रहने वाले बिल।
- अल्पावधि फसलों हेतु दो फसली मौसमों के लिए, अतिदेय रहने वाले मूलधन की किस्त अथवा ब्याज।
- दीर्घावधि फसलों हेतु एक फसली मौसम के लिए अतिदेय रहने वाले मूलधन की किस्त अथवा उसपर ब्याज।
- दिनांक 1 फरवरी, 2006 के प्रतिभूतिकरण पर दिशानिर्देशों के अनुसरण में किसी प्रतिभूतिकरण लेन देन चलनिधि सुविधा की राशि 90 दिनों से अधिक बकाया रहती है तो।
- बैंक किसी भी खाते को एनपीए के रूप में तभी ही वर्गीकृत करेगा जब ब्याज तिमाही के अंत से 90 दिनों के भीतर पूरी तरह चुकाया नहीं जाए।।
- बुनियादी/गैर बुनियादी संरचना परियोजना के लिए कोई ऋण, यदि उसे पुन:संरचित नहीं किया जाता और ''मानक आस्ति'' के रुप में वर्गीकरण के लिए पात्र नहीं हो जाता, वसूली के रिकार्ड के अनुसार (90 दिन का अतिदेय होने पर) वाणिज्यिक परिचालन शुरु होने से पहले किसी भी समय एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा।
- किसी बुनियादी संरचना परियोजना के लिए कोई ऋण यदि उसे पुन:संरचित नहीं किया जाता और ''मानक आस्ति'' के रुप में वर्गीकरण के लिए पात्र नहीं हो जाता, वसूली के रिकार्ड के अनुसार नियमित होने पर भी मूल डीसीसीओ से दो वर्ष के अन्दर वाणिज्यिक परिचालन शुरु करने में असफल रहता है तो उसे एनपीए के रुप में वर्गीकृत किया जाएगा।
- किसी गैर बुनियादी संरचना परियोजना के लिए कोई ऋण यदि उसे पुन:संरचित नहीं किया जाता और ''मानक आस्ति'' के रूप में वर्गीकरण के लिए पात्र नहीं हो जाता, वसूली के रिकार्ड के अनुसार नियमित होने पर भी मूल डीसीसीओ से बारह माह के अन्दर वाणिज्यिक परिचालन शुरु करने में असफल रहता हैं तो उसे एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा।

1.2 ''अनियमित'' स्थिति

कोई खाता तब ''अनियमित'' माना जाता है जब उसमें मंजूर सीमा/आहरण अधिकार से ज्यादा बकाया लगातार बना रहे। उन मामलों में जहाँ प्रधान परिचालन खाते में बकाया शेष मंजूर सीमा/आहरण अधिकार से कम है किन्तु तुलन पत्र की तिथि तक 90 दिनों तक लगातार कोई जमा नहीं है या उस अवधि के दौरान ब्याज की राशि की वसूली हेतु खाते में पर्याप्त जमा न हों तो, इन खातों को ''अनियमित'' खाता माना जाता है।

1.3 ''अतिदेय''

किसी ऋण सुविधा के अंतर्गत बैंक को देय कोई राशि तब ''अतिदेय'' होती है जब बैंक द्वारा निर्धारित तिथि को देय राशि का भुगतान नहीं किया जाता है।

1.4 अनर्जक निवेश

प्रतिभूतियों के मामले में, जहाँ ब्याज/मूलधन बकाया है तथा बैंक प्रतिभूतियों पर आय की गणना नहीं करता है तथा निवेश मूल्य में मूल्यहास हेतु यथोचित प्रावधान करता है।

एक अनर्जक निवेश (एनपीआई) एक अनर्जक अग्रिम (एनपीए) के समान है जहाँ :

- ब्याज/किस्त (परिपक्वता आगम सहित) देय है तथा 90 दिनों से अधिक तक अदत्त है।
- अधिमानी शेयरों के यथोचित परिवर्तनों सहित जहाँ निर्धारित लाभांश का भुगतान नहीं किया जाता है।
- इक्विटी शेयरों के मामले में, भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुदेशों के अनुरूप नवीनतम तुलन पत्र की अनुपलब्धता के कारण किसी कंपनी के शेयरों में निवेश का मूल्य रु. 1 प्रति कंपनी है तो ऐसे इक्विटी शेयर अनर्जक निवेश माने जाएंगे।
- निर्गमकर्ता द्वारा यदि कोई ऋण सुविधा प्राप्त की जाती है जो बैंक की बही में अनर्जक अग्रिम है तब इस निर्गमकर्ता द्वारा जारी प्रतिभूतियों में निवेश को एनपीआई माना जाएगा तथा विलोमत:।
- डिबेन्चर/बॉण्ड में निवेश, जिन्हें अग्रिम प्रकृति का माना गया है, निवेशों पर यथा लागू अनर्जक निवेश (एनपीआई) मानदण्डों के अध्यधीन हैं।

2.0 पीटी बैंक ऑफ़ इंडिया इंडोनेशिया टीबीके (अनुषंगी)

ऋण गुणवत्ता का अभिनिर्धारण, कारोबार की संभावना, ऋणी का कार्यनिष्पादन और चुकौती क्षमता जैसे तथ्यों के आधार पर किया जाता है। यह प्रत्येक अभिनिर्धारण, तथ्य और घटकों तथा संबंधित ऋणी की विशिष्टताओं से संबद्ध अभिनिर्धारण तथ्यों के आधार पर किया जाता है। तदनुसार आस्तियों को चालू, विशेष उल्लेख, अवमानक, संदिग्ध और हानि प्रवर्ग में वर्गीकृत किया जाता है।

''आस्तियाँ'', अर्जक आस्तियों और अनर्जक आस्तियों में वर्गीकृत की जाती हैं। अर्जक आस्तियाँ, राजस्व अर्जित करने के लिए किसी बैंक द्वारा निधियों का प्रावधान है। ''अनर्जक आस्तियों'' बैंक की अर्जक आस्तियों से भिन्न हैं जिसमें हानि की संभावना है।

कोई आस्ति अनर्जक तब होती है जब वह बैंक के लिए राजस्व उत्पन्न करना बंद कर देती है। अनर्जक आस्ति ऐसा ऋण या अग्रिम है जहाँ मूलधन और/या ब्याज 90 दिन से अधिक के लिए बकाया है।

विगत देय : किसी भी ऋण सुविधा के अन्तर्गत बैंक को देय राशि ''विगत देय'' होती है यदि उसका भुगतान बैंक द्वारा निर्धारित की गई तिथि को नहीं किया जाता है।

2010 में पीटी बैंक ऑफ़ इंडिया इंडोनेशिया टीबीके ने नई लेखांकन नीति पीएसएके 50 तथा 55 के कार्यान्वयन को आरम्भ किया जो अन्तर्राष्ट्रीय लेखांकन मानक आईएएस 32 तथा 39 के समान है जिसके अनुसार वित्तीय आस्तियों को उचित मूल्य पर प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है। पीएसएके 50 तथा 55 के कार्यान्वयन के दौरान बैंक इण्डोनेशिया ने दिशा-निर्देश जारी किया है कि यदि ट्रांजिशन अवधि के दौरान अर्थात् 2011 तक बैंक पूर्व कि हानि के डाटा रखरखाव नहीं करता है तो वह उपर्युक्त वर्णितानुसार ह्रासित वित्तीय आस्ति की गणना कर सकता है। पीएसएके 71 परिकलन को बैंक की कोर बैंकिंग में शामिल करने की प्रक्रिया में है जो प्रौद्योगिकी अपग्रडेशन के हमारे कारोबारी योजना के अनुरूप है।

मात्रात्मक दृष्टिकोण द्वारा समीक्षित बकाया ऋण और अग्रिम निम्नानुसार वर्गीकृत किया जाता है :

गत देय दिनों की संख्या	वर्गीकरण	प्रावधानीकरण
90-120	अवमानक	15%
120-180	संदिग्ध	50%
180 और ज्यादा	हानि	100%

3.0 बैंक ऑफ़ इंडिया (न्यूज़ीलैंड), बैंक ऑफ़ इंडिया (तंजानिया) लि. एवं बैंक ऑफ़ इंडिया युगांडा

ऋण जोखिम बैंक के लिए वित्तीय हानि का जोखिम हो जाता है जब कोई ग्राहक या किसी वित्तीय लिखत का प्रतिपक्षी अपने संविदागत दायित्वों की पूर्ति नहीं कर पाता है और वह प्रमुख रूप से ग्राहकों एवं अन्य बैंकों को बैंक द्वारा प्रदत्त ऋणों एवं अग्रिमों तथा नामे प्रतिभूतियों में निवेश के कारण होता है।

निदेशक मंडल ने, ऋण जोखिम की चूक की जिम्मेदारी अपनी ऋण समिति को प्रत्यायोजित की है। ऋण समिति को रिपोर्ट करने वाला ऋण विभाग बैंक के ऋण जोखिम के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है, इसमें निम्नलिखित शामिल हैं:-

- संपार्श्विक आवश्यकताओं, ऋण निर्धारण, जोखिम ग्रेडिंग तथा रिपोर्टिंग, प्रलेखी तथा विधिक प्रक्रियाओं को कवर करते हुए ऋण नीतियान तैयार करना और विनियामक तथा सांविधिक आवश्यकताओं का अनुपालन करना।
- ऋण सुविधाओं के अनुमोदन और नवीनीकरण को प्राधिकृत करने का ढ़ाँचा स्थापित करना। बोर्ड द्वारा यथा अनुमोदित ऋण नीति द्वारा ऋण सीमाएँ शासित होती हैं।
- ऋण जोखिम की समीक्षा एवं अभिनिर्धारण।
- प्रतिपक्षकारों भौगोलिक क्षेत्रों एवं उद्योगों (ऋणों एवं अग्रिमों के लिए) में ऋण जोखिम के संकेन्द्रण, को सीमित करना।

3.1 गत देय एवं अनर्जक की परिभाषा (लेखांकन के प्रयोजन के लिए)

बिना विशिष्ट नियत तारीखों के ओवरड्राफ्ट एवं अन्य ऋण सुविधा गत देय माने जाएंगे यदि:

- वह ग्राहक की उधार सीमा से अधिक हो जाए।
- ग्राहक की उधार सीमा समाप्त हो जाए।
- अवधि हेतु परिकालित एवं देय ब्याज की चुकौती के लिए जमाराशियों का अपर्याप्त होना।
- बिल अनादृत कर दिए गए हों।
- बिल या खाते का भुगतान नियत तारीख पर न किया गया हो।
- ऋण जिनकी चुकौती किस्तों में की जानी होती है, उन्हें पूर्ण रूप से गतदेय माना जाता है, यदि कोई भी किस्त जो देय हो चुकी है और तीस दिन या अधिक अवधि के लिए भुगतान नहीं की गई हो।

4.0 बैंक ऑफ़ इंडिया (न्यूजीलैंड) लि. :

बकाया ऋण और अग्रिमों की समीक्षा मात्रात्मक दृष्टिकोण द्वारा करके उन्हें निम्नानुसार वर्गीकृत किया जाता है

गत देय दिनों की संख्या	वर्गीकरण	प्रावधानीकरण
91-180	अवमानक	NZ IFRS 9 के अनुरूप
181-270	संदिग्ध	NZ IFRS 9 के अनुरूप
271 और अधिक	हानि	NZ IFRS 9 के अनुरूप

5.0 बैंक ऑफ़ इंडिया (तंजानिया) लि.

बकाया ऋण और अग्रिमों की समीक्षा मात्रात्मक दृष्टिकोण द्वारा कर उन्हें निम्नानुसार वर्गीकृत किया जाता है :

गत देय दिनों की संख्या	वर्गीकरण	प्रावधानीकरण
30-90	विशेष उल्लेखित	3%
91-180	अवमानक	20%
181-360	संदिग्ध	50%
361 और अधिक	हानि	100%

6.0 बैंक ऑफ़ इंडिया युगांडा -

बकाया ऋण और अग्रिमों की समीक्षा मात्रात्मक दृष्टिकोण द्वारा कर उन्हें निम्नानुसार वर्गीकृत किया जाता है :

गत देय दिनों की संख्या	वर्गीकरण	प्रावधानीकरण
91-179	अवमानक	20%
180-365	संदिग्ध	50%
365 और अधिक	हानि	100%

ख) बैंक की ऋण जोखिम प्रबंधन नीति पर चर्चा :

क. बैंक ऑफ़ इंडिया :

- किसी बैंक के पोर्टफोलियो में, किसी ग्राहक अथवा प्रतिपक्ष का उधार, व्यापार समझौता और अन्य वित्तीय लेन-देन की प्रतिबद्धता को पूर्ण करने की अक्षमता या अनिच्छा से अथवा ऋण नीति में वास्तविक या संभावित ह्रास से पोर्टफोलियो के बढ़ते मूल्य की एकमुश्त चूक से हानि उत्पन्न होती है।
- इस पृष्ठ भूमि में बैंक के दीर्घावधि वित्तीय स्वास्थ्य के लिए एक दृढ़ जोखिम प्रबंधन फ्रेमवर्क की आवश्यकता है। ऋण जोखिम प्रबंधन में ऋण जोखिम एक्स्पोज़र की में पहचान, मापन, निगरानी तथा नियंत्रण सम्मिलित है।
- ऋण जोखिम प्रबंधन नीति में सामान्य स्तर पर बैंक ने विभिन्न प्रकार के ऋण जोखिम की पहचान की है। उत्पाद/प्रक्रियाओं के स्तर पर अधिक सूक्ष्मता से पहचान होती है। नए उत्पादों/प्रक्रियाओं को आरम्भ करने से पहले विभिन्न जोखिमों का आकलन किया जाता है, जिसे जोखिम दृष्टिकोण से जोखिम रहित किया जाता है।
- नीति में रेखांकित ऋण जोखिम प्रबंधन फ्रेमवर्क, तीन विशिष्ट खण्डों पर आधारित है यथा- नीति एवं कार्यनीति, संस्थागत ढ़ांचा और परिचालन/प्रणाली।

i) नीति और कार्यनीति:

बैंक सतर्क जोखिम दर्शन को अपनाता रहा है, जिसने कठिन समय में बैंक का मार्ग प्रशस्त किया है। यद्यपि नए तथा अनछुए क्षेत्रों के संबंध में बैंक की एक खुली नीति रही है तथा नए अवसरों को बैंक ने हमेशा पहचाना है। इस दर्शन के महत्वपूर्ण पक्षों को परिपत्रों में दर्शाया गया है तथा समय-समय पर अनुदेश पुस्तिका रूप में संहिताबद्ध किया गया है।

लाभप्रदता, सामना किए जाने वाले विभिन्न जोखिमों के स्तर, पूँजी स्तर, बाजार परिदृश्य तथा प्रतियोगिता को दृष्टिगत रखते हुए बैंक के कारोबारी उद्देश्यों और कार्यनीतियों का निर्णय लिया जाता है। बैंक की सोच हमेशा आस्ति गुणवत्ता तथा आय अर्जन पर रहती है अतएव वह विवेकपूर्ण ढ़ंग से जोखिम नियंत्रण सहित लाभप्रदता को अधिक करने का प्रयास करता है।

ऋण जोखिम प्रबंधन नीति तथा महत्वपूर्ण ऋण जोखिम संबंधी नीति जैसे ऋण नीति तथा ऋण अनुप्रवर्तन नीति का अनुमोदन तथा आवधिक तौर पर समीक्षा, निदेशक मंडल द्वारा की जाती है। ऋण नीति विभिन्न क्षेत्रों का ध्यान रखती है जैसे ग्राहक, विपणन, उधार के क्षेत्रवार अभिगम, ऋण सुपुर्दगी, ऋण पर जोर, ऋण अवधि, ऋण अर्जन, जोखिम श्रेणी निर्धारण (जोखिम स्वीकार मानदंड सहित), कीमत निर्धारण, ऋण मूल्यांकन, सीमाओं का निर्धारण, ऋण जोखिम मानदंड, उद्योग मानदंड, संपार्श्विक और मार्जिन, रिश्तों की समीक्षा, प्रत्यायोजन की परिपाटी, सांविधिक तथा अन्य नियंत्रण तथा प्रलेखीकरण। अंतर्राष्ट्रीय परिचालनों हेतु ऋण नीति है और प्रत्येक केन्द्र की अपनी क्रेडिट नीति है जो मुख्य नीति से मेल खाती है। ऋण मामले में शक्तियों के प्रत्यायोजन के लिए एक अलग नीति है। इसके अतिरिक्त ऋण जोखिम की पहचान तथा निगरानी ऋण अनुप्रवर्तन नीति के अंतर्गत की जाती है। पुनर्गठन नीति, बट्टे खाते में डालने की नीति तथा वसूली नीति, आस्ति वर्गीकरण तथा प्रावधानीकरण नीति, बैंक एक्सपोजर नीति, देश जोखिम नीति तथा ऋण लेखापरीक्षा नीति भी है। निवेश समिति द्वारा अनुमोदन के बाद तथा निवेश नीति में दिए गए नीतिगत दिशानिर्देशों के अनुसार निवेश अनुबंधित होता है।

ii) संस्थागत ढांचा:

ऋण जोखिम प्रबंधन कार्य हेतु बैंक के संस्थागत ढांचे में शीर्ष स्तर पर निदेशक मंडल है जो जोखिम प्रबंधन पर व्यापक पर्यवेक्षण रखता है। बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति (आर. कॉम) जो कि बोर्ड की उप-समिति है तथा जिसके अध्यक्ष बैंक के एमडी एवं सीईओ होते हैं और इसके सदस्य के रूप में ऋण, मार्केटिंग और परिचालनात्मक जोखिम प्रबंधन समिति के प्रमुख हैं जो ऋण जोखिम सहित समेकित जोखिम प्रबंधन की नीति और कार्यनीति निर्धारित करते हैं। परिचालनात्मक स्तर पर ऋण जोखिम प्रबंधन समिति (सीआरएमसी) ऋण जोखिम का दायित्व संभालते हैं। इसके मुख्य कार्यों में बोर्ड द्वारा अनुमोदित ऋण जोखिम प्रबंधन नीति का कार्यान्वयन, बृहत आधार पर बैंक के ऋण जोखिम की निगरानी, ऋण प्रत्यायोजन, बृहत ऋण जोखिम पर विवेकपूर्ण सीमा, पोर्टफोलियो प्रबंधन आदि सहित ऋण मामलों से संबंधित सभी नीतियों का बोर्ड से अनुमोदन हेतु अनुशंसा करना है।

जोखिम प्रबंधन विभाग के महाप्रबंधक पद के मुख्य जोखिम अधिकारी के देखरेख में कार्यरत है जो जोखिम प्रबंधन पर बोर्ड द्वारा निर्धारत सीमाओं के अंदर व्यापक रूप से ऋण जोखिम का मापन, नियंत्रण तथा प्रबंधन करते हैं तथा बोर्ड/आर.कॉम/सीआरएमसी द्वारा तय जोखिम मानदंडों के साथ अनुपालन सुनिश्चित करते हैं। महाप्रबंधक के अंतर्गत कार्यरत ऋण निगरानी विभाग ऋण पोर्टफोलियो का अनुप्रवर्तन करते हैं, समस्याओं की पहचान करते हैं तथा कमियों को दूर करने के उपाय करते हैं। ऋण लेखापरीक्षा कार्यों में ऋण समीक्षा/ऋण लेखापरीक्षा का समावेश है।

iii) परिचालन/प्रणाली/प्रक्रियाएं

बैंक ऋण प्रदान करने के लिए निरंतर एक मानक, तुलन पत्र में शामिल न होनेवाली मदों सहित सभी ऋण जोखिमों का अनुरक्षण तथा प्रलेखीकरण, आवधिक व्यक्तिगत बाध्यताधारी समीक्षा, आवधिक निरीक्षण तथा संपार्श्विक प्रबंधन प्रणाली जैसी स्वत: पहल कर ऋण जोखिम प्रबंधन करता है।

ऋण जोखिम सीमा में उद्योग द्वारा बाध्यताधारी सीमा व संकेन्द्रण सीमा, ग्राहकों के वित्तीय कार्यनिष्पादन हेतु प्रणाली व प्रक्रिया हेतु निगरानी तथा सीमा में बकाया नियंत्रण सम्मिलित है। ऋण विस्तार हेतु जांच तथा अधिशेष है यथा ऋण स्वीकृति से ऋण जोखिम प्रबंधन को अलग करना, सीआरएमसी द्वारा जोखिम दृष्टिकोण से नए उत्पादों तथा प्रणाली का पुनरीक्षण, बहु ऋण अनुमोदक, जोखिम निर्धारण करने की प्रणाली, ग्राहक के जोखिम ग्रेडिंग पर आधारित कीमत सुविधाओं की प्रणाली, जोखिम दृष्टिकोण से ऋण प्रस्तावों के पुनरीक्षण हेतु ऋण जोखिम मूल्यांकन समिति, ऋण प्रक्रिया लेखापरीक्षा, स्वीकृति पूर्व संवितरण पूर्व समीक्षा तथा स्वीकृति पूर्व समीक्षा प्रणाली तथा स्वतंत्र लेखापरीक्षा व जोखिम समीक्षा कार्य निवेशों हेतु प्रस्ताव ऋण जोखिम विश्लेषण, विस्तृत मूल्यांकन तथा क्रम निर्धारण के अध्यधीन है। प्रवेश स्तर के मामले में, न्यूनतम क्रमनिर्धारण/गुणवत्ता मानक, उद्योग, परिपक्वता, अवधि, निर्गम अनुसार मामले निवेशों हेतु विनिर्धारित किए गए हैं जिससे कि तरलता के जोखिम तथा संकेन्द्रण के विपरीत प्रभाव को कम कर सकता है। किसी ग्राहक को एक्सपोजर की गणना करते समय निवेश एक्सपोजर पर ध्यान दिया जाता है। अन्य बैंकों पर सकल जोखिम पर केन्द्रीयकृत परिदृश्य प्रदान करने हेतु एक उचित फ्रेमवर्क तथा अर्धवार्षिक समीक्षा की गई है। देश के जोखिम का अनुप्रवर्तन अर्धवार्षिक आधार पर होता है।

जोखिम आस्तियों के विविधतापूर्ण पोर्टफोलियो का अनुरक्षण किया जाता है तथा पोर्टफोलियो के नियमित विश्लेषण करने की एक प्रणाली है जिससे कि जोखिम संकेन्द्रण के जोखिम नियंत्रण को सुनिश्चित किया जा सके। अनर्जक अग्रिमों के संबंध में एक संतुलित नीति प्रक्रियागत है। ऋण जोखिम प्रबंधन प्रणाली के आरम्भ सहित प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) को उन्नतिशील किया गया है जिससे कि बैंक की क्षमताएं बढ़ेगी तथा तुलन पत्र में न आने वाली या आने वाली सभी गतिविधियों के ऋण जोखिम का बैंक प्रबंधन करेगा।

iv) ऋण जोखिम प्रबंधन/न्यूनीकरण हेतु निम्नलिखित साधनों का उपयोग किया जाता है -

➢ **ऋण अनुमोदित करने संबंधी प्राधिकारी - अधिकारों का प्रत्यायोजन :**

बैंक में बहु स्तरीय जोखिम आधारित अनुमोदित प्रणाली वाली सुस्पष्ट प्रत्यायोजन अधिकार की योजना है जिसकी आवधिक समीक्षा की जाती है और कारोबार के वातावरण की अनिवार्यता को पूरा करने के लिए जब एवं जैसा आवश्यक होता है, उसे संशोधित किया जाता है।

अधिकारियों का प्रत्यायोजन उधारकर्ताओं की रेटिंग के साथ लिंक की हुई है जहां बेहतर रेटिंग वाले ग्राहकों को उच्चतर सीमा की मंजूरी देने का अधिकार है। वर्तमान में सभी ऋण प्रस्तावों पर जो एनबीजीएलसीसी और उससे उच्चतर प्राधिकारी के प्रत्यायोजित प्राधिकार में आते हैं, "ऋण जोखिम मूल्यांकन समिति (सीआरईसी)" के माध्यम से कार्रवाई की जाती है जिससे

ऋण प्रस्तावों में कथित जोखिमों को स्वतंत्र एवं ऑफ़साइट मूल्यांकन किया जा सके। जोखिम प्रबंधन विभाग के महाप्रबंधक जिसे कोई मात्रात्मक या लाभ का लक्ष्य नहीं है, सीआरईसी का अनिवार्य सदस्य होता है। वित्त मंत्रालय के दिशानिर्देशों के अनुसार विभिन्न प्रशासनिक स्तरों पर प्रत्यायोजित अधिकारों के प्रयोग हेतु मंजूरी हेतु अधिकारों सहित ऋण समितियां गठित की गई हैं।

वित्त मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के अनुसार, शक्तियों के प्रत्यायोजन के लिए विभिन्न प्रशासनिक स्तरों पर मंजूरी शक्तियों वाली ऋण समितियों का गठन किया गया है। प्रधान कार्यालय स्तर पर, तीन क्रेडिट समितियां (एसएमईएलसीसी 1 और 11/एसएमईयूसीसी/एचएलसीसी-1/एचएलसीसी-II/ईडीएलसीसी/सीएसी और एमसीओएम) फील्ड कार्यकर्ताओं की प्रत्यायोजित शक्तियों से परे आने वाले प्रस्तावों से निपटने के लिए कार्य कर रही हैं। आंचलिक कार्यालय/एनबीजी कार्यालय में ऐसी ऋण समितियां (एसजेडएलसीसी/जेडएलसीसी/एनबीजीएलसीसी) भी गठित की गई हैं ताकि उनकी शक्तियों के अंतर्गत आने वाले ऋण प्रस्तावों पर विचार किया जा सके।

➢ **विवेकपूर्ण सीमाएँ:**

विभिन्न प्रकार के उधारकर्ताओं के लिए ऋण/निवेश के विविध पहलुओं, जैसे एकल/समूह उधारकर्ता सीमाओं के संबंध में उपयुक्त विवेकपूर्ण सीमाएँ हैं।

➢ **जोखिम श्रेणी निर्धारण/मूल्य निर्धारण:**

काऊन्टर पार्टी के विभिन्न जोखिम घटकों के लिए एकल बिन्दु इन्डीकेटर तथा क्रेडिट तथा मूल्य निर्धारण में सहायता हेतु बैंक ने विभिन्न खण्डों में श्रेणी निर्धारण माडल आरंभ किया है।

➢ **ऋण लेखा परीक्षा/ ऋण समीक्षा तंत्र (एलआरएम):**

ऋण लेखा परीक्षा/एलआरएम, ऋण बही की गुणवत्ता के लगातार मूल्यांकन करने और ऋण प्रबंध में गुणात्मक सुधार लाने हेतु एक प्रभावी साधन है।

v) जोखिम मापांकन:

वर्तमान में ऋण जोखिम का निर्धारण व्यक्तिश: स्तर पर जोखिम रेटिंग निर्धारण करके और पोर्टफोलियो स्तर पर आस्तियों के भारांक एवं जोखिम भारांकों के आधार पर पूंजी रखी जाती है। 31 मार्च 2008 से प्रभावी नवीन पूंजी पर्याप्तता फ्रेमवर्क (बासेल II) के अन्तर्गत बैंक ने मानक दृष्टिकोण को अपना लिया है।

vi) जोखिम रिपोर्टिंग प्रणाली:

सभी ऋण संबंधी नीतियाँ अनुमोदन के लिए उचित प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करने से पहले सीआरएमसी (जो ऋण जोखिम के लिए परिचालन स्तर की समिति है) द्वारा अनुमत की जाती है। उचित निगरानी करने के लिए विभिन्न ऋण संबंधी सूचनाएँ सीआरएमसी को प्रस्तुत की जाती है।

vii) जोखिम समीक्षा:

लेखापरीक्षा-ऋण जोखिम प्रबंधन प्रणाली एवं साधन भी प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के लिए आंतरिक लेखा परीक्षा के अध्यधीन हैं।

viii) विशेष उल्लेख खाते (एसएमए) /एनपीए खातों के अनुवर्तन हेतु उपाय

एनपीए की निगरानी/निवारण हेतु सामान्यत: बैंक में उपलब्ध विभिन्न उपाय नीचे सूचीबद्ध किए गए है :-

I. एनपीए होने से पहले खाता [विशेष उल्लेख खाता (एसएमए)]:

क. आस्ति गुणवत्ता बनाए रखने के लिए मंजूरी की शर्तों के अनुपालन हेतु सघन निगरानी।

ख. जहाँ भी अनियमितताएँ पाई गई है वहां तत्परता से अनुस्मारकों का भेजा जाना।

ग. एनपीए प्रवर्ग में खाते का न जाना सुनिश्चित करने हेतु तुरंत अतिदेयों की वसूली करना।

घ. इकाई और प्रभारित आस्तियों का आवधिक निरीक्षण एवं वित्तीय डाटा का विश्लेषण।

ङ. खातों के एनपीए होने से पहले देय राशियों को पुनर्संरचित करना। सुधारात्मक कार्रवाई में अधिस्थगन अवधि बढ़ाना, ब्याज के लिए निधि प्रदान करना एवं किश्तों का आस्थगन शामिल हैं।

ii. खाता एनपीए होने के बाद:-

क. बकाया को कम करने हेतु अर्थ सुलभ प्रतिभूतियों (टीडीआर, शेयर, मार्जिन राशि आदि) एवं गिरवी वस्तुओं का विनियोजन

ख. उधारकर्ताओं के सहयोग से अन्य प्रतिभूतियों की बिक्री।

ग. समझौता वार्ता के माध्यम से प्राप्य राशियों का समझौता निपटान

घ. अग्रिम को रीकॉल करना

ङ. अदालत में वाद दायर करना - डिक्री का निष्पादन

च. अंत में, प्राप्य राशियों की वसूली हेतु सभी उपाय करने के पश्चात्, खाता के देय शेष को बट्टे खाते में डाला जाता है ।

ख. पीटी बैंक ऑफ़ इंडिया इंडोनेशिया टीबीके (अनुषंगी)

पीटी बैंक ऑफ़ इंडिया इंडोनेशिया टीबीके (अनुषंगी) ने संपूर्ण जोखिम प्रबंधन को स्वीकृत लक्षित, समन्वित और सतत बनाने की आशा से जोखिम जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसी) तथा जोखिम प्रबंधन इकाई (आरएमयू) स्थापित की है जो परिचालन इकाई और आंतरिक लेखा परीक्षा इकाई (''आंतरिक लेखा परीक्षा'') से स्वतंत्र है। इसके अतिरिक्त आरएमसी और आरएमयू के कार्यों के कार्यान्वयन के प्रभाव की निगरानी के लिए बैंक ने जोखिम निगरानी समिति बनाई है जो सीधे बोर्ड ऑफ कमीशनर्स को उत्तरदायी है।

बैंक ऑफ इंडोनेशिया के अनुसार बैंक ने 8 (आठ) प्रकार के जोखिमों को संभाला है। ऋण जोखिम, चलनिधि जोखिम, बाजार जोखिम, परिचालन जोखिम, अनुपालन जोखिम, विधि जोखिम, प्रतिष्ठा जोखिम एवं कार्यनीति जोखिम। इसके अलावा बैंक जोखिम प्रोफाइल सृजित करता है जो जोखिम के साथ संभाव्य जोखिम वाली गतिविधियाँ की पहचान करता है जो बैंक की कारोबार निरन्तरता को खंडित करती है । जोखिम प्रकार का आकलन किसी भी कार्यात्मक गतिविधि (निहित जोखिम) और जोखिम नियंत्रण प्रणाली में निहित जोखिमों का संयोजन है।

बैंक नए ऋणों का अनुमोदन करने में चयानात्मक है और नियामक की आवश्यता से अधिक, ऋण के लिए प्रावधान बनाए रखता है। संपार्श्विक आधारित उधार में, संपार्श्विक के मूल्य पर हेयरकट लगाई जाती है। बैंक का जोखिम अधिकारी, निदेशक अनुपालन को रिपोर्ट करता है। ज़ोखिम प्रबंधन इकाई (आरएमयू) ऋण अनुमोदन प्रक्रिया का पर्यवेक्षण/निगरानी करते हैं।

ग. बैंक ऑफ़ इंडिया (तंजानिया) लि., बैंक ऑफ़ इंडिया (न्यूज़ीलैंड) लि. तथा बैंक ऑफ़ इंडिया (युगांडा) लि.

मासिक आधार पर ब्याज लगाया जाना, मानक आस्तियों में संभाव्य ऋण चूक या व्यतिक्रम से निपटने का एक उपयोगी साधन बन गया है। आस्ति

की गुणवत्ता बनाए रखने हेतु बैंक ने निम्नलिखित नीति अपनाई है जिस पर शाखाओं को तुरंत अमल करना चाहिए और :-

- उधारकर्ता के साथ सक्रिय अनुवर्ती कार्रवाई के माध्यम से अतिदेय या कम से कम क्रिटिकल राशि की वसूली करना।
- अस्थायी बेमेल रोकड़ प्रवाह के मामलों में खाते को 'होल्डिंग ऑन ऑपरेशन्स" के तहत रखना ।
- अपेक्षित नकदी प्रवाह के अनुसार चुकौती शर्तों को पुनर्निर्धारित करना।
- पुनर्रचना नीति में दिए गए दिशानिर्देशों के अनुसार नकदी प्रवाह में यदि कोई अंतर हो तो अपेक्षित नकदी प्रवाह को दृष्टिगत रखते हुए देय राशि की पुनर्रचना की जाए।

खाता एनपीए होने से पहले बैंक द्वारा उपर्युक्त कार्रवाइयों में से कोई एक या अधिक कार्रवाई की जाती है।

ii. मात्रात्मक प्रकटन

ए. कुल सकल ऋण एक्स्पोज़र निम्नानुसार

वर्ग	(₹ मिलियन में)
निधि आधारित	56,24,016.25
गैर-निधि आधारित*	5,18,693.10
कुल	**61,42,709.35**

* डेरिवेटिव्स के क्रेडिट समतुल्य को छोडकर

बी. एक्सपोजर का भौगोलिक संवितरण:

(₹ मिलियन में)

	घरेलू	विदेशी	वैश्विक
निधि आधारित	47,05,239.10	8,90,239.56	55,95,478.66
गैर निधि आधारित	4,15,005.30	1,02,844.72	5,17,850.02

सी. उद्योगवार जोखिम का वितरण (निधि आधारित और गैर- निधि आधारित) निम्नलिखित है :

(₹ मिलियन में)

उद्योग का नाम	निधि आधारित (बकाया राशि)	गैर निधि आधारित (बकाया राशि)
कोयला	6,169.83	1,345.60
खदान	45,037.25	6,760.80
लौह एवं इस्पात	1,23,862.39	64,637.70
अन्य धातु एवं धातु उत्पाद	4,957.45	355.20
सभी इंजीनियरिंग	44,605.76	25,775.54
जिसमें से इलेक्ट्रॉनिक्स	2,894.72	252.30
सूती वस्त्र उद्योग	22,665.39	3,240.60
जूट वस्त्र उद्योग	1,206.99	225.50
अन्य वस्त्र उद्योग	35,058.43	3,966.87
खाद्य प्रसंस्करण	46,791.83	8,662.68
जिसमें वेजिटेबल ऑइल एवं वनस्पति	4,815.42	6,370.58
जिसमें चीनी	16,185.22	103.00
जिसमें अन्य खाद्य प्रसंस्करण	25,787.95	2,189.10
जिसमें चाय	3.23	0.00
तंबाकू एवं तंबाकू उत्पाद	187.67	0.00
पेपर एवं पेपर उत्पाद	12,015.69	426.70
रबर एवं रबर उत्पाद	30,872.49	6,807.50
केमिकल, डाई, पेंट्स आदि	65,048.06	17,014.44
जिसमें से फर्टिलाइजर्स	25,324.52	4,056.06
जिसमें से पेट्रोकेमिकल्स	6,425.95	3,357.08
जिसमें से ड्रग्ज और फार्मास्युटिकल्स	19,451.38	7,934.93
जिसमें अन्य	13,846.21	1,666.37
सीमेंट	10,421.09	1,476.60
चर्म एवं चर्म उत्पाद	6,094.03	79.42
रत्न एवं आभूषण	50,274.38	206.80
निर्माण	39,620.88	33,244.99
पेट्रोलियम	2,01,627.74	5,487.40
ऑटोमोबाइल्स, ट्रक सहित	15,098.79	4,316.42
आधारभूत संरचनाङ	5,21,772.29	66,107.72
जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी सहित पॉवर	3,80,962.87	42,581.16
जिसमें से दूरसंचार	2,719.99	581.96
जिसमें से सड़के और पत्तन	1,38,089.43	22,944.60
अन्य उद्योग	25,221.75	1,242.14
शेष अन्य अग्रिम(सकल अग्रिमों सहित शेष)	43,57,117.12	2,92,835.72
कुल	56,24,016.25	5,18,693.10
डबुनियादी संरचना क्षेत्र के 9.3% के दर से एक्सपोज़र कुल निधि आधारित अग्रिमों के 5% से अधिक है		
*बुनियादी संरचना क्षेत्र के 12.74% के दर से एक्सपोज़र कुल गैर-निधि आधारित बकाया के 5% से अधिक है		

डी. आस्तियों का शेष संविदात्मक परिपक्वता विश्लेषण निम्नलिखित है:

(₹ मिलियन में)

	अग्रिम	निवेश	विदेशी मुद्रा आस्तियाँ
पहला दिन	1,24,342.56	0.00	21,272.10
2 से 7 दिन	65,289.99	26,842.87	88,120.40
8 से 14 दिन	56,783.94	2,410.80	34,557.47

	अग्रिम	निवेश	विदेशी मुद्रा आस्तियाँ
15 से 30 दिन	63,842.31	10,608.39	1,39,635.65
31 दिन और 2 माह तक	1,19,440.95	35,467.63	1,13,380.41
2 माह और 3 माह तक	1,28,269.99	26,604.53	1,91,250.70
3 माह और 6 माह तक	2,23,673.54	58,767.44	1,68,431.77
6 माह से अधिक और 1 वर्ष तक	2,69,524.31	40,310.26	2,02,113.63
1 वर्ष से अधिक और 3 वर्ष तक	19,62,825.10	1,47,283.41	2,23,617.04
3 वर्ष से अधिक और 5 वर्ष तक	5,95,324.22	2,50,290.43	2,08,897.80
5 वर्ष से अधिक	12,77,488.39	1,91,910.27	68,512.20
कुल	**48,86,805.30**	**20,49,372.40**	**14,59,789.17**

ई. सकल एनपीए (समेकित) इस प्रकार हैं -

(₹ मिलियन में)

वर्ग	
अवमानक	50,506.69
संदिग्ध-1	30,612.54
संदिग्ध - 2	57,903.63
संदिग्ध - 3	62,808.18
हानि	1,76,628.60
कुल	**3,78,459.65**

एफ़. निवल एनपीए की राशि रु. 81,416.52 मिलियन है।

जी. एनपीए अनुपात निम्नानुसार है :

- सकल अग्रिमों की मुलना में सकल एनपीए : 6.16%
- निवल अग्रिमों की मुलना में निवल एनपीए : 1.67%

एच. सकल एनपीए का उतार चढ़ाव निम्नप्रकार है :

(₹ मिलियन में)

i) वर्ष के प्रारंभ में प्रारंभिक शेष	4,57,388.20
ii) वर्ष के दौरान किया गया परिवर्धन	82,111.91
iii) वर्ष के दौरान की गई कटौती	-1,61,040.46
iv) वर्षान्त मे अंतिम शेष (i+ii+iii)	3,78,459.65

आई. एनपीए हेतु प्रावधानों का उतार चढ़ाव निम्नानुसार है :

(₹ मिलियन में)

i) वर्ष के प्रारंभ में प्रारंभिक शेष (फ्लोटिंग प्रावधान को छोड़कर)	3,38,473.24
ii) वर्ष के दौरान किये गए प्रावधान	66,141.05
iii) अतिरिक्त प्रावधानों का पुनरांकन/बट्टे खाते में डालना	1,27,991.56
iv) वर्षान्त मे अंतिम शेष (i+ii-iii)	2,76,622.73

जे. अनर्जक आस्ति निवेश की राशि रु. 30,166.02 मिलियन है।

के. अनर्जक आस्ति निवेश हेतु किए गए प्रावधान की राशि ₹ 30,166.02 मिलियन है।

एल. निवेशों पर मूल्यह्रास हेतु प्रावधानों का उतार चढ़ाव निम्न प्रकार है :

(₹ मिलियन में)

i) वर्ष के प्रारंभ में प्रारंभिक शेष	50,816.09
ii) वर्ष के दौरान किये गए प्रावधान	18,956.13
iii) अतिरिक्त प्रावधानों का पुनरांकन/बट्टे खाते में डालना	28,163.34
iv) विनियम अंतरण	--
v) वर्षान्त में अंतिम शेष (i+ii-iii+iv)	41,608.88

एम. बैंक ऑफ़ इंडिया के लिए प्रमुख उद्योग या प्रतिपक्ष प्रकार द्वारा किया गया प्रावधान एवं एन.पी.ए :

(₹ मिलियन में)

उद्योग का नाम	एनपीए	प्रावधान
कोयला	0.00	0.00
खदान	467.60	151.20
लौह एवं इस्पात	9,303.20	6,644.50
अन्य धातु एवं धातु उत्पाद	2,104.20	1,631.00
सभी इंजीनियरिंग	5,999.50	3,684.30
जिसमें से इलेक्ट्रॉनिक्स	334.90	241.70
बिजली	0.00	0.00
सूती वस्त्र उद्योग	7,615.40	5,262.90
जूट वस्त्र उद्योग	127.40	81.00
अन्य वस्त्र उद्योग	6,946.20	3,973.60
खाद्य प्रसंस्करण	12,313.40	11,503.50
जिसमें वनस्पति तेल	2,854.60	2,290.30
जिसमें चीनी	1,759.60	1,602.50
जिसमें अन्य खाद्य प्रसंस्करण	7,699.20	7,610.70
जिसमें चाय	0.00	0.00
तंबाकू एवं तंबाकू उत्पाद	10.10	2.60
पेपर एवं पेपर उत्पाद	1,483.30	687.50
रबर एवं रबर उत्पाद	2,221.90	1,003.10
केमिकल, डाई, पेंट्स आदि	2,824.70	1,798.20
जिसमें से फर्टिलाइजर्स	170.40	40.20
जिसमें से पेट्रोकेमिकल्स	506.80	331.20
जिसमें से ड्रग्ज और फार्मास्युटिकल्स	573.70	241.60
जिसमें अन्य	1,573.80	1,185.20
सीमेंट	1,543.00	853.50
चर्म एवं चर्म उत्पाद	1,682.30	701.50
रत्न एवं आभूषण	12,572.40	11,317.20
निर्माण	4,472.10	3,672.50

उद्योग का नाम	एनपीए	प्रावधान
पेट्रोलियम	227.70	160.70
ऑटोमोबाइल्स, ट्रक सहित	4,446.90	1,726.20
कंप्यूटर सॉफ्टवेयर	0.00	0.00
आधारभूत संरचनाङ	29,760.00	24,861.10
जिसमें से पॉवर	9,374.30	9,195.90
जिसमें से दूरसंचार	609.00	602.30
जिसमें से सड़के और पत्तन	14,226.00	12,086.60
अन्य उद्योग	5,550.70	2,976.30
शेष अन्य अग्रिम (सकल अग्रिमों सहित तुलन के लिए)	2,73,347.77	1,96,913.53
कुल	**3,78,459.65**	**2,76,622.73**

एन . भूगोलवार एनपीए एवं प्रावधान (बैंक ऑफ़ इंडिया के लिए सोलो)

(राशि मिलियन रुपयों में)

	घरेलू	विदेशी	कुल
सकल एनपीए	3,42,503.07	34,352.52	3,76,855.59
एनपीए हेतु प्रावधान	2,42,157.3	33,741.90	2,75,899.20

तालिका डीएफ-4

ऋण जोखिम : मानकीकृत दृष्टिकोण के अधीन संविभागों हेतु प्रकटीकरण

i. गुणात्मक प्रकटीकरण

क) मानकीकृत दृष्टिकोण के अंतर्गत संविभागों के लिए:

- ➢ किसी भी परिवर्तन हेतु कारणों सहित, उपयोग की गई ऋण रेटिंग एजेन्सियों का नाम
- ➢ एक्स्पोजर के प्रकार जिसके लिए प्रत्येक एजेन्सी का उपयोग किया गया है; एवं
- ➢ बैंकिंग बही में लोक निर्गम रेटिंग का तुलनीय आस्तियों में अंतरण हेतु प्रयुक्त की गई प्रक्रिया का वर्णन।

1. बैंक ऑफ इंडिया:

ए. बैंक ने सीआरएआर गणनाओं हेतु मानकीकृत दृष्टिकोण के अंतर्गत जोखिम भार के लिए निम्नलिखित ऋण रेटिंग एजेंसियों की सामान्य श्रेणी निर्धारण के उपयोग किए जाने हेतु अनुमोदन किया है। स्वदेशी दावों के लिए एसीयूआईटीई, सीएआरई, सीआरआईएसआईएल, आईसीआरए, इंडिया रेटिंग्स, एवं इन्फोमेरिक्स तथा अनिवासी कार्पोरेट्स, विदेशी बैंको एवं विदेशी प्रभुसत्ता पर दावों के लिए एस एंड पी, फिच एवं मूडी।

बी. इन सभी एजन्सियों के रेटिंग का उपयोग, बासेल-III के अंतर्गत सीआरएआर गणनाओं हेतु मानकीकृत दृष्टिकोणान्तर्गत, श्रेणीकरण के अधीन समस्त ऋण जोखिमों के जोखिम भार प्रयोजनार्थ किया जा रहा है।

सी. बैंकिंग बही में तुलनीय आस्तियों पर सार्वजनिक निर्गम रेटिंग अंतरण हेतु प्रयुक्त प्रक्रिया आरबीआई की नियामक आवश्यकताओं के अनुसार है। रेटिंग एजेन्सियों द्वारा उनकी वेबसाइट पर प्रकाशित की गई लोक रेटिंग इस प्रयोजनार्थ उपयोग की गई है। रेटिंग जो केवल संबद्ध रेटिंग एजेन्सी के मासिक बुलेटिन के अनुसार प्रभावी है एवं पूर्व 15 महीनों के दौरान कम से कम एक बार पुनरीक्षित की गई है, का उपयोग किया जाता है।

डी. विशेष दूसरे पक्ष पर समस्त ऋण जोखिमों के लिए बैंक द्वारा रेटिंग के लिए केवल एक ही एजेन्सी का प्रयोग किया जाता है, यद्यपि इन एक्सपोज़रों की रेटिंग एक से अधिक एजेन्सी द्वारा इस अपवाद के साथ की जाती है कि प्रत्येक ऋण एक्सपोज़र की रेटिंग केवल एक अनुमोदित रेटिंग एजेन्सी द्वारा जाती है।

ई. जोखिम भार प्रयोजनार्थ पात्रता के लिए, यह सुनिश्चित किया जाता है कि, बाह्य रेटिंग पर विचार किया जाता है एवं बैंक द्वारा भुगतान की गई संपूर्ण ऋण राशि के संबंध में ऋण जोखिम को प्रतिबिंबित करें। एक ही पार्टी के दूसरे पक्ष को किसी अन्य ऋण जोखिम के लिए विशिष्ट रेटिंग एक निर्गमकर्ता या निर्गम को विस्तारित करते समय, यह ऋण जोखिम एक्सपोजर की संपूर्ण राशि के लिए विस्तारित की जाती है, अर्थात दोनों मूल राशि एवं ब्याज हेतु। एक कार्पोरेट समूह के अंतर्गत एक कंपनी के बाह्य रेटिंग का उपयोग जोखिम भार हेतु उसी समूह की अन्य कंपनियों के लिए नहीं होता है।

एफ़. उन आस्तियों के लिए जिनकी संविदागत परिपक्वता एक वर्ष से कम या एक वर्ष के बराबर होती है, अल्पावधि रेटिंग का उपयोग किया जाता है, जबकि अन्य आस्तियों के लिए दीर्घावधि रेटिंग प्रयोग की जाती है।

जी. जहाँ एक जारीकर्ता की बाह्य दीर्घावधि रेटिंग सहित दीर्घावधि एक्सपोज़र है जो 150% जोखिम भारिता का समर्थन करता है, तथा उसी काउन्टरपार्टी के सभी अमूल्यांकित दावे चाहे वह अल्पावधि की हो अथवा दीर्घावधि की हो, भी 150% जोखिम भारिता वहन करती है, सिवाय उसके जहां ऋण जोखिम घटाव तकनीक इन दावों के लिए प्रयोग किया जाता है। अल्पावधि रेटिंग के मामले भी एकसमान होंगे ।

एच. दीर्घावधि एक्सपोज़र हेतु मानकीकृत दृष्टिकोण के अंतर्गत जोखिम भारिता का सीधा आकलन अनुमोदित रेटिंग एजेन्सियों द्वारा दीर्घावधि रेटिंग समनुदेशित किया जाता है। इसके विपरीत, प्रतिपक्ष का अमूल्यांकित अल्पावधि दावा उसके प्रतिपक्ष के मूल्यांकित अल्पावधि दावों पर लागू जोखिम भारिता से कम से कम एक स्तर ज्यादा जोखिम भारिता वहन करता है। बैंकों तथा निगमों के विरुद्ध मूल्यांकित सुविधा से उत्पन्न दावों हेतु जोखिम भारिता निर्गम विशिष्ट अल्पावधि मूल्यांकन जनित है जो अमूल्यांकित दीर्घावधि दावों हेतु जोखिम भारिता का समर्थन नहीं करता है।

आई. यदि योग्य ऋण रेटिंग एजेन्सियों द्वारा दो रेटिंग दिए जाते हैं जो विभिन्न ऋण भारिता दर्शा रहा है तो वहाँ उच्च जोखिम भारिता लागू होगा। यदि योग्य ऋण रेटिंग एजेंसियों द्वारा तीन या उससे अधिक मूल्यांकन विभिन्न जोखिम भारिता दर्शा रहे हैं तब दो न्यूनतम जोखिम भारिता का परवर्ती मूल्यांकन संदर्भित किया जाता है तथा उन दोनों जोखिम भारिताओं में से उच्च जोखिम भारिता लागू होता है यथा द्वितीय न्यूनतम जोखिम भारिता ।

जे. निवेश दावे का आरडबल्यू किसी चुनी हुई रेटिंग एजेन्सि की विशिष्ट रेटिंग पर आधारित होता है, जहां दावा किसी विशिष्ट मूल्यांकित निर्गम में निवेश न हो :

i) विशिष्ट उधार (जहाँ जोखिम भार में रेटिंग का आकलन, जो अमूल्यांकित दावे पर लागू से कम हो) पर लागू रेटिंग बैंक के केवल अनिर्धारित दावे पर लागू होती है। यदि यह दावा समरूप श्रेणी अथवा

सभी दृष्टि से विशेष दर आधारित उधार से वरीय हो एवं जहाँ दर आधारित दावा लघु अवधि दायित्व होता है, को छोड़कर अनिर्धारित दावे की परिपक्वता, दर आधारित दावे की परिपक्वता के बाद न आती हो।

ii) यदि निर्गमकर्ता अथवा एकल निर्गम की रेटिंग निर्धारित की गई हो, जो गैर निर्धारित दावों पर लागू जोखिम भार के बराबर हो अथवा उच्चतर हो, उसी काउंटरपार्टी पर बिना रेटिंग को दावे पर वही जोखिम भार समनुदेशित किया जाता है, जैसा कि रेटिंग वाले एक्सपो. जर पर लागू होता है, यदि सभी दृष्टि से यह दावा रेटिंग वाले एक्सपो. जर से समरूप या कनिष्ठ श्रेणी का हो।

2.0 पीटी बैंक ऑफ़ इंडिया इंडोनेशिया टीबीके (अनुषंगी)

देश में मौजूदा मानदंडो के अनुसार किसी भी बाह्य क्रेडिट रेटिंग एजेंसी द्वारा क्रेडिट रेटिंग किया जाना अपेक्षित नहीं है।

3.0 बैंक ऑफ़ इंडिया (तंजानियां) लि. एवं बैंक ऑफ़ इंडिया (युगांडा) लि. :

देश में मौजूदा मानदंडो के अनुसार किसी भी बाह्य क्रेडिट रेटिंग एजेंसी द्वारा क्रेडिट रेटिंग किया जानाअपेक्षित नहीं है। देश में कोई भी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी परिचालन में कार्यरत नहीं है।

4.0 बैंक ऑफ़ इंडिया (न्यूजीलैंड) लि. (अनुषंगी)

आवश्यक्तानुसार तिमाही के आधार पर सामान्य प्रकटीकरण विवरणी द्वारा ऋण जोखिम काप्रकटीकरण किया जाता है ।

ii. मात्रात्मक प्रकटीकरण:

(रुपये मिलियन में)

मानकीकृत दृष्टिकोण के अधीन जोखिम के कम होने के पश्चात एक्सपोज़र की राशि के लिए बैंक की बकाया राशि (दर आधारित एवं गैर दर आधारित) निम्नलिखित तीन बृहत जोखिम बकेट एवं जिनकी कटौती की जाती है उन क्षेत्रों; का मात्रात्मक प्रकटीकरण किया जाता है।	
बीओआई का कुल ऋण एक्सपोज़र मानकीकृत दृष्टिकोण के अधीन निम्नलिखित प्रमुख जोखिम बकेट के अंतर्गत वर्गीकृत हैं:-	
100% जोखिम भार से कम	80,10,208.00
100% जोखिम भार	12,02,618.00
100% जोखिम भार से अधिक	2,44,750.00

तालिका डीएफ-5 ऋण जोखिम न्यूनीकरण
मानकीकृत दृष्टिकोण हेतु प्रकटन

र. गुणात्मक प्रकटन

(क) ऋण जोखिम न्यूनीकरण के संबंध में सामान्य गुणात्मक प्रकटन आवश्यकताओं में यह शामिल है:

- ➢ तुलन पत्र में एवं उसके बाहर नेटिंग हेतु नीतियाँ एवं प्रक्रियाएं तथा इस बात का संकेत कि बैंक किस हद तक इंका प्रयोग करता है;
- ➢ संपार्श्विक मूल्यांकन एवं प्रबंधन हेतु नीतियाँ एवं प्रक्रियाएं;
- ➢ बैंक द्वारा लिए गए संपार्श्विक के प्रमुख प्रकारों का विवरण;
- ➢ गारंटीकर्ता काउंटर पार्टी के प्रमुख प्रकार और उनकी ऋण पात्रता; एवं
- ➢ न्यूनीकरण हेतु किए गए उपायों के भीतर (बाजार अथवा ऋण) जोखिम संकेन्द्रण के बारे में सूचना

क: बैंक ऑफ़ इंडिया

1. ऋण जोखिम न्यूनीकरण प्रबंधन का एक अग्रसक्रिय साधन है, जो अच्छे एवं बुरे दोनों समय में राजस्व हानि से कंपनी का रक्षण करता है। बैंक उसके दैनिक परिचालनों में आने वाले ऋण जोखिम के प्रभावों को कम करने के लिए विभिन्न पद्धति और तकनीक अपनाता है। ऐसी प्रक्रिया को ऋण जोखिम न्यूनीकरण का नाम दिया गया है और ऋण जोखिम न्यूनीकरण के कुछ तकनीक को पर्यवेक्षकों द्वारा मूल्य, मुद्रा असंतुलन और परिपक्वता असंतुलन के लिए समायोजन के पश्चात पूंजी प्रभार कटौती करने हेतु उपयोग करने की अनुमति दी गई हैं। नयी पूंजी पर्याप्तता फ्रेमवर्क (बासेल III) के अंतर्गत पहचाने गए विभिन्न ऋण जोखिम प्रशामक (सीआरएम) निम्नानुसार है:

(1) संपार्श्विकृत संव्यवहार

(2) ऑन - बैलन्स शीट नेटिंग

(3) गारंटियाँ

2. पात्र वित्तीय संपार्श्विक

मानक अभिगम के अंतर्गत सभी संपार्श्विकों को ऋण जोखिम प्रशामक के रूप में स्वीकारा नहीं गया है। निम्नलिखित वित्तीय संपार्श्विक को स्वीकार किया गया है:

i. नकदी एवं जमाराशियाँ विदेशी मुद्रा की जमाराशियों सहित

ii. स्वर्ण : 99.99% शुद्धता वाले बेंचमार्क सहित

iii. केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा जारी प्रतिभूतियाँ

iv. किसान विकास पत्र और राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र

v. जीवन बीमा पॉलिसियाँ

vi. ऋण प्रतिभूतियाँ- श्रेणीकृत शर्तों के अध्यधीन

vii. ऋण प्रतिभूतियाँ-गैर श्रेणीकृत, बैंकों द्वारा जारी, शर्तों के अध्यधीन

viii. म्यूचुअल फंडों की यूनिट, शर्तों के अध्यधीन

ix. संपार्श्विक संव्यवहारों के लिए पूंजी सहायता उपलब्ध करने हेतु कतिपय अतिरिक्त मानदंड हैं, जिनका संपार्श्विक के प्रबंधन पर प्रत्यक्ष वहन है और संपार्श्विक प्रबंधन के दौरान इस पहलू का ध्यान रखा जाता है।

3. ऑन-बैलन्स शीट नेटिंग

ऑन बैलेंस शीट नेटिंग को ऋणों/अग्रिमों (एक्सपोजर के रूप में माने गए) और जमाराशियों (संपार्श्विक के रूप में) तक सीमित रखा जाए, जहाँ पर दस्तावेजो के सबूतों के साथ विशिष्ट ग्रहणाधिकार सहित बैंक का कानूनी प्रवर्तनीय नेटिंग व्यवस्था है और जिसका नेट आधार पर प्रबंधन किया जाता है।

4. गारंटियाँ

जहाँ प्रत्यक्ष, निर्धारित, अविकल्पी और बिना शर्त गारंटियाँ हो, बैंक पूंजी आवश्यकताओं की गणना करने हेतु ऐसे ऋण संरक्षण को मान सकता है. पात्र गारंटीदाताओं/काउंटर गारंटीदाताओं की श्रेणी में ये शामिल हैं:

i. शासक, शासकीय संस्था (बीआईएस, आइएमएफ, यूरोपियन सेन्ट्रल बैंक और यूरोपियन समुदाय के साथ-साथ कतिपय विनिर्दिष्ट एमडीबी, ईसीजीसी और सीजीटीएसएमई), बैंक और काउंटर पार्टी से अन्य निम्न जोखिम भार सहित प्राथमिक व्यापारी;

ii. एए अथवा उससे बेहतर श्रेणी की अन्य संस्थाएं

5. बैंक की सुपरिभाषित संपार्श्विक प्रबंधन नीति है जो संपार्श्विक के सर्वोत्तम उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए नियंत्रित फ्रेमवर्क प्रदान करती है। यह उधार में अंतर्निहित ऋण जोखिम के न्यूनीकरण का प्रमुख घटक है। बैंक मूर्त और अमूर्त दोनों प्रकार की प्रतिभूतियाँ स्वीकार करता है। मूर्त प्रतिभूतियाँ या तो भौतिक स्वरूप की होती है अथवा अन्य सामग्री प्रारूप में जैसे कि नकद मार्जिन, बैंक के पास जमाराशियाँ, स्वर्ण अथवा अन्य मूल्यवान धातु, शेयर्स, एनएससी/केवीपी/जीवन बीमा पॉलिसियाँ। अमूर्त प्रतिभूतियाँ हैं - बैंक गारंटियाँ/साख पत्र, बही ऋण, आश्वासन पत्र, नकारात्मक पुनर्ग्रहणाधिकार पत्र, अपंजीकृत प्रभार इत्यादि। उधार दिए गए धन हेतु प्रतिभूति प्राप्त करने के सामान्य तरीके हैं - बंधक, गिरवी, दृष्टिबंधक और पुनर्ग्रहणाधिकार पत्र। बैंक ऋण एक्सपोजर से सृजित की गई संपत्ति पर प्रथम प्रभार/अथवा समरूप आधार पर सामान्य नियम के अनुसार बैंक का प्रभार दर्ज किया जाए।

सामान्यत जब भी लागू हो/अनुमत होने पर गारंटी का आग्रह किया जाए गारंटीकर्त्ता के प्रमुख प्रकार हैं:-

i) केंद्र/राज्य सरकार और केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित एजेन्सियाँ जैसी डीआईसीजीसी, सीजीटीएमएसई और ईसीजीसी

ii) कारपोरेट्स के प्रोमोटर/प्रमुख स्वामी

iii) व्यक्तियों के मामले में रिश्तेदारों की व्यक्तिगत गारंटी

6. संपार्श्विक प्रबंधन के विभिन्न पहलू इस प्रकार हैं -

संपार्श्विक को स्वीकार करने हेतु न्यूनतम शर्तें: संपार्श्विक को वैध और प्रवर्तनीय बनाने के लिए बैंक यह सुनिश्चित करता है कि संपार्श्विक के रूप में स्वीकार की गई आस्तियाँ बिक्री योग्य, कानूनी प्रवर्तनीय और आवश्यकता पड़ने पर उसको नियंत्रण में लिये जा सकने योग्य है। यह भी सुनिश्चित किया जाए कि आस्ति का बाजार मूल्य सहज निर्धारण योग्य हो अथवा उसे उचित रूप से स्थापित और सत्यापित किया जा सके।

क) संपार्श्विक की वैधता

i) प्रवर्तनीयता:

बैंक सुनिश्चित करता है कि संपार्श्विक के समर्थन में ऋण दस्तावेजीकरण सभी संबंधित क्षेत्राधिकारों में कानूनी रूप से प्रवर्तनीय हो और उधारकर्ता की बाध्यताओं को विमुक्ति हेतु निर्बाध रूप से संपार्श्विक को लागू करने हेतु बैंक को अधिकार देता हो।

ii) हक और स्वामित्व:

बैंक हमेशा संपार्श्विक के रूप में आस्ति का स्वीकार करने से पूर्व उसके अस्तित्व तथा स्वामित्व का सत्यापन करता है और सुनिश्चित करता है कि किसी अन्य पक्ष का कथित संपार्श्विक पर कोई पूर्व दावा नहीं है। ऋण सुविधा के ड्रॉ डाउन से पूर्व ही बैंक संपार्श्विक के नियंत्रण को सुरक्षित करता है। ऋण जोखिम के प्रबंधन के सरलीकरण के लिए शीर्ष प्रबंधन को संपार्श्विक पर सूचना आवधिक रूप दी जाती है। जहां लागू हो वहां संपार्श्विक पर प्रभारों का पंजीकरण संबंधित प्राधिकरणों के पास तत्काल किया जाता है।

ख) मूल्यांकन :

संपत्ति मूल्यांकन के लिए बैंक के बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति है जो बैंक के एक्सपोजर हेतु स्वीकार्य है, जिसमें पूरे बैंक में अनुपालन हेतु मूल्यांकन का आधार, मूल्यांकक की अर्हता और पूनर्मूल्यांकन की बारंबारता निर्धारित की गई है।

ग) संपार्श्विक को सुरक्षित रखना तथा उसमें पहुँच का नियंत्रण :

संपार्श्विक के स्वीकारने, निगरानी अथवा सुरक्षित अभिरक्षा के अनुमोदन का प्राधिकार और उत्तरदायित्व संबंधित व्यक्तियों और विभागों को दिया गया है।

घ) अतिरिक्त संपार्श्विक/उसका प्रतिस्थापन

अतिरिक्त संपार्श्विक के लिए अनुरोध करने की कार्यविधि का स्पष्ट दस्तावेजीकरण किया गया है।

ङ) बीमा :

विशेष रूप से छूट प्रदत्त संपार्श्विक को छोड़कर, सभी पात्र संपार्श्विक संबंधित जोखिम हेतु बीमा द्वारा संरक्षित हैं और इसके लिए विस्तृत दिशानिर्देश तैयार किए गए हैं।

च) संपार्श्विक की बिक्री :

संपार्श्विक के समय पर परिसमापन के लिए बैंक की सुस्पष्ट और सुदृढ़ प्रक्रिया है।

ख: पीटी बैंक ऑफ़ इंडिया इंडोनेशिया टीबीके:

संपार्श्विक मूल्यांकन हेतु पीटी बैंक ऑफ़ इंडिया इंडोनेशिया टीबीके की नीति एवं कार्य विधि है जो बैंक ऑफ़ इंडोनेशिया विनियमन और बंधक ऋण हेतु राष्ट्रीय विवेक पर आधारित है। यदि संपार्श्विक का मूल्य आईएनआर 2.79 करोड़ से अधिक है तो संपार्शिक का स्वतंत्र मूल्यांकन किया जाता है। संपार्श्विक के स्वरूप पर आधारित परिसमापन मूल्य की गणना की जाती है। संपार्श्विक मूल्य की प्रत्येक वर्ष समीक्षा की जाती है। भूमि एवं भवन के रूप में प्रमुख रूप से संपार्श्विक स्वीकार किया जाता है। सामान्यता व्यक्तिगत एवं अन्य पक्ष गारंटी नहीं ली जाती। संकेन्द्रण से बचने हेतु ऋणों में क्षेत्रवार सीमा निर्धारित की गई है। बैंक को संपार्श्विकों या जोखिम शामकों के संकेन्द्रण का कोई बड़ा जोखिम नहीं है।

ग: बैंक ऑफ़ इंडिया (तंजानिया) लि. और बैंक ऑफ़ इंडिया (न्यूज़ीलैण्ड) लि.

बैंक के स्वयं की मीयादी जमाराशि रसीदें, अचल संपत्ति पर विधिक बंधक, कंपनी की चल संपत्ति पर दृष्टि प्रबंधक प्रभार, शेयर की गिरवी इत्यादि के रूप में संपार्श्विक प्राप्त किए जाते हैं।

नियामक की आवश्यकताओं के अनुसार एकल उधारकर्ता/समूह को प्रदान किए जाने वाले अधिकतम एक्सपोजर निम्नानुसार है।

संपार्श्विक स्थिति	सीमा (कोर पूँजी के % के रूप में)
1) संपार्श्विक द्वारा प्रतिभूति जिसका मूल्य कम से कम हो	
क) उसके द्वारा प्रतिभूत ऋण निभाव के 125% (पूर्णत: प्रतिभूत)	25
ख) संपार्श्विक द्वारा प्रतिभूत जिसका मूल्य उसके द्वारा प्रतिभूत ऋण निभाव के 125% से कम है (आंशिक रूप से प्रतिभूत)	10
ग) अप्रतिभूत	5

घ. बैंक ऑफ़ इंडिया (युगांडा) लि.

बैंक के स्वयं की मीयादी जमाराशि रसीदों, अचल संपत्ति पर विधिक बंधक, कंपनी की चल संपत्ति पर दृष्टि प्रबंधक प्रभार, शेयर की गिरवी इत्यादि के रूप में संपार्श्विक प्राप्त किए जाते हैं।

नियामक की आवश्यकताओं के अनुसार एकल उधारकर्ता/समूह को प्रदान किए जाने वाले अधिकतम एक्सपोजर निम्नानुसार है।

संपार्श्विक स्थिति	सीमा (कोर पूँजी के % के रूप में)
1) संपार्श्विक द्वारा प्रतिभूति जिसका मूल्य कम से कम हो	एकल उधारकर्ता एक्सपोजर सीमा पूंजी का 25% है और उसे कोर पूंजी के 50% तक बढ़ाया जा सकता है
क) उसके द्वारा प्रतिभूत ऋण निभाव के 125% (पूर्णत: प्रतिभूत)	
ख) संपार्श्विक द्वारा प्रतिभूत जिसका मूल्य उसके द्वारा प्रतिभूत ऋण निभाव के 125% से कम है (आंशिक रूप से प्रतिभूत)	
ग) अप्रतिभूत	

ii. मात्रात्मक प्रकटन :

(रु. मिलियन में)

(ए)	प्रथक रूप से प्रकटन किए गए प्रत्येक ऋण जोखिम संविभाग के लिए कुल एक्सपोजर (जहां लागू हो, ऑन-ऑफ बैलेन्स शीट नेटिंग के बाद) जो पात्र वित्तीय संपार्श्विक द्वारा संरक्षित है : हेयर कट लागू करने के बाद।	3,91,322.00
(बी)	प्रथक रूप से प्रकटन किए गए प्रत्येक ऋण जोखिम संविभाग के लिए कुल एक्सपोजर (जहां लागू हो, ऑन-ऑफ बैलेन्स शीट नेटिंग के बाद) जो गारंटी/क्रेडिट व्युत्पन्न द्वारा संरक्षित है (जब भी आरबीआई द्वारा विशेष रूप से अनुमति दी गई है।)	8,45,609.00

तालिका डीएफ-6

प्रतिभूतिकरण एक्स्पोजर : मानकीकृत दृष्टिकोण हेतु प्रकटन

i. गुणात्मक प्रकटन

क: बैंक ऑफ़ इंडिया यथा दिनांक 31.03.2022 बैंक का कोई प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर नहीं है।

ii. मात्रात्मक प्रकटन :-

लागू नहीं

तालिका डीएफ-7

लेन-देन बही में बाजार जोखिम

i. गुणात्मक प्रकटन:

(क) मानकीकृत दृष्टिकोण में शामिल पोर्टफोलियो को शामिल करते हुए बाजार जोखिम हेतु सामान्य गुणात्मक प्रकटन आवश्यकता

ए: बैंक ऑफ़ इंडिया

लेन-देन बही में बैंक निवेशों के "लेन-देन हेतु धारित" (एचएफटी) एवं "बिक्री हेतु उपलब्ध" (एएफएस) पोर्टफोलियों को धारित करता है। शेष आस्तियों-अर्थात परिपक्वता हेतु धारित पोर्टफोलियों और अग्रिमों के अंतर्गत निवेशों को बैंकिंग बही के रूप में माना जाता है। नीचे बाजार जोखिम प्रबंधन प्रयोजन एवं नीतियों का संक्षिप्त ब्योरा दिया गया है।

(i) कार्यनीतियाँ एवं प्रक्रियाएं:

बाजार जोखिम प्रबंधन के अंतर्गत तरलता जोखिम, ब्याज दर जोखिम, विदेशी विनिमय जोखिम एवं इक्विटी कीमत जोखिम की निगरानी की जाती है।

ए. तरलता जोखिम

तरलता जोखिम की निगरानी के लिए गैप विश्लेषण का पाक्षिक आधार पर अनुपालन किया जाता है। संयमी गैप से संचयी आउटफ्लो का प्रतिशत निकालने के लिए प्रूडेंसियल सीमा का उपयोग किया जाता है- 28 दिनों तक के अल्पावधि बकेट के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्देशों के अध्यधीन निगरानी की जाती है। इसके अतिरिक्त, प्रूडेंसियल सीमाएं बाजार उधार दैनिक एवं औसत कॉल उधार, आंतर बैंक देयताएं, खरीदी गयी नीधियां आदि के लिए काम करती।

ऊँचे मूल्य की एकमुश्त जमाराशियों की निगरानी साप्ताहिक आधार पर की जाती है। अल्पावधि डायनामिक तरलता विवरणी तरलता स्थिति का आकलन करने के लिए पाक्षिक आधार पर तैयार की जाती है जो व्यवसाय वृद्धि को ध्यान में रखकर चलती है।

एक आकस्मिक निधि योजना तात्कालिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तैयार की गयी है। योजना का तिमाही आधार पर परीक्षण किया जाता है। बैंक को संभावित नुकसान का आकलन करने के लिए तिमाही आधार पर स्ट्रेस परीक्षण भी किया जाता है। यह ऐसी स्थिति में जब कोई तरलता संबंधी तकलीफ हो और यदि आकस्मिकताओं को पूरा करने के लिए बाजार से निधियां जुटाई जानी हों।

बी. ब्याज दर जोखिम

पिछले 12 माह के दौरान एवं अगले वित्तीय वर्ष तक बैंक की निवल ब्याज आय पर प्रभाव का आकलन करने के लिए गेप विश्लेषण उपयोग में लिया जाता है। बैंक अवधि गेप विश्लेषण को भी उपयोग में लेता है। देयताओं की अवधि के लिए प्रूडेंसियल सीमाएं नियत की गयी हैं। बैंक के निवेश पोर्टफोलियों की अवधि आधार पर निगरानी की जाती है।

एसएलआर एवं गैर एसएलआर (देशीय) प्रूडेंसियल सीमाओं के अंतर्गत दिनांकित प्रतिभूति के लिए वीएआर पद्धति अपनायी जाती है। वीएआर के लिए यह नियत की गयी है एवं दैनिक आधार पर निगरानी की जा रही है एवं उच्च प्रबंधन को रिपोर्ट की जा रही है। दिनांकित प्रतिभूतियों में विदेशी निवेश सामान्यतया हैज किए जाते हैं एवं ब्याज दर जोखिम निम्नतम है। विदेशी मुद्रा विनिमय में भी वीएआर सीमा नियत की गई है।

निश्चित आय, इक्विटी, विदेशी मुद्रा इत्यादि सहित बाज़ार जोखिम पक्षों के आर्थिक मूल्य पर प्रभाव का आकलन करने के लिए स्ट्रैस टेस्टिंग किया जाता है।

सी. विदेशी विनिमय जोखिम

बैंक ने यूएसडी एवं अन्य मुद्राओं में कुल सीमा अंतर सहित विभिन्न मुद्राओं में विदेशी मुद्रा एक्सपोजर के लिए अधिकतम कुल डेलाइट और ओवरनाइट एक्सपोजर सीमा नियत की है। इसके अतिरिक्त हमने अवधि-वार वैयक्तिक मुद्रा-वार सीमा अंतर भी नियत किया है। स्टॉप लॉस सीमा, टेक प्रॉफिट सीमा और सिंगल डील सीमा व्यापारियों के विदेशी परिचालनों की निगरानी हेतु लागू किए गए है।

नेट ओपन पोजीशन हेतु प्रूडेंसियल सीमा नियत करके डेरिवेटिव संव्यवहार की निगरानी की जाती है और बकाया डेरिवेटिव पर पीवी01 का केप रखा जाता है।

डी. इक्विटी कीमत जोखिम

बैंक की स्वदेशी निवेश नीति के इक्विटी डीलरों के लिए नुकसान रोक सीमाएं नियत की हैं - ट्रेजरी के लिए दैनिक सीमा, अधिकतम निवेश सीमा, इक्विटी पोर्टफोलियो के लिए होल्डिंग अवधि (ट्रेडिंग)। उच्चतम प्रबंधन को दैनिक आधार पर संव्यवहारों एवं लाभ की रिपोर्टिंग की जाती है।

ई. बाजार जोखिम प्रबंधन कार्य का ढांचा एवं संगठन:

जोखिम प्रबंधन बोर्ड संचालित कार्य है जिसे तीन स्तरों पर सपोर्ट किया जाता है: देखभाल करने एवं निर्देश जारी करने के लिए बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति, जहाँ कहीं आवश्यक हो/जोखिम प्रबंधन नीतियां आदि के अनुमोदन करने के लिए । नीतियों, सीमाओं,विस्तार आदि पर चर्चा के लिए मार्केट जोखिम प्रबंधन समिति (एमआरएमसी) एक मूलभूत स्तरीय समिति है।

आस्ति देयता प्रबंधन समिति (एएलसीओ), तरलता जोखिम प्रबंधन के संबंध में नीतिगत मामलों पर विचार करती है। एएलएम कक्ष ग्राउंड लेवल पर समर्थन प्रदान करता है। आस्ति देयता प्रबंधन समिति विदेशी केन्द्रों पर भी परिचालन में हैं।

ii. जोखिम रिपोर्टिंग का स्कोप एवं प्रकृति और/अथवा मापांकन प्रणाली

स्वदेशी कारोबार के संबंध में बाजार जोखिम का प्रबंधन करने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों का पालन किया जाता है - जैसे कि मासिक आधार पर ब्याज दर संवेदनशीलता विवरण तैयार किया जाना-दैनिक आधार पर लेन-देन बही में निवेशों का अवधि विश्लेषण- ईक्विटी पोर्टफोलियों को छोड़कर दैनिक आधार पर वीएआर लेन-देन बही निवेश की वीएआर गणना करने- तिमाही आधार पर तरलता जोखिम/बाजार जोखिम के लिए स्ट्रेस परीक्षण करना, वैश्विक तुलन-पत्र का अवधिक विश्लेषण और मासिक आधार पर इक्विटी के आर्थिक मूल्य पर प्रभाव पर समीक्षा की जाती है। एएलसीओ द्वारा मासिक आधार पर ब्याज दर संवेदनशीलता की समीक्षा की जाती है।

बाजार उधार लेन-देन के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुरूप तरलता जोखिम की निगरानी के लिए विभिन्न विवेकपूर्ण उपाय किए गए हैं। मासिक आधार पर ढांचागत तरलता विवरणी तैयार की जाती है और पाक्षिक आधार पर अल्पावधि गतिशील तरलता विवरणी तैयार की जाती है और उच्च प्रबंधन/ एएलसीओ को रिपोर्ट की जाती है। अंतर्राष्ट्रीय परिचालनों की ढांचागत तरलता कार्पोरेट स्तर पर तिमाही आधार पर की जा रही है।

स्ट्रेस परीक्षण एवं इक्विटी के आर्थिक मूल्य पर प्रभाव का परिणाम एएलसीओ को रिपोर्ट किया जाता है। लेन-देन बही स्थिति - ड्यूरेशन एवं वीएआर दैनिक आधार पर उच्चतम प्रबंधन को रिपोर्ट किया जाता है।

(iii) हैजिंग और/अथवा जोखिम न्यूनीकरण के लिए नीतियां :

आस्ति देयता प्रबंधन एवं बाजार जोखिम प्रबंधन से संबंधित विस्तृत नीतियां कार्यरत हैं जो बाजार जोखिम की निगरानी के लिए विभिन्न रणनीतियों एवं प्रक्रियाओं पर विस्तार से प्रकाश डालती है।

(iv) पीटी बैंक ऑफ़ इंडिया इंडोनेशिया टीबीके (अनुषंगी):

वाणिज्यिक बैंक के लिए न्यूनतम पूंजी पर्याप्तता आवश्यकता से संबंधित बैंक इंडोनेशिया के विनियमन के अनुसार, पूंजी पर्याप्तता अनुपात (सीएआर) के परिकलन हेतु बाज़ार जोखिम के मापन के लिए अनिवार्य श्रेणी में बैंक शामिल नहीं है। यह इसलिए है कि बैंक विदेशी विनिमय बैंक है जिसके ट्रेडिंग बुक में प्रतिभूतियों और/अथवा डेरिविटिव संव्यवहार के रूप में वित्तीय लिखत आईडीआर 20 बिलियन (यूएसडी 1.7 मिलियन अनुमानित) से कम की रकम है।

बी. बैंक ऑफ़ इंडिया (तंजानिया) लि., (अनुषंगी) बैंक ऑफ़ इंडिया (न्यूजीलैंड)लि. (अनुषंगी) और बैंक ऑफ़ इंडिया (युगांडा) लि.

क. बाज़ार जोखिम के सामान्य गुणात्मक प्रकटन की आवश्यकता जिसमें मानकीकृत दृष्टिकोण के संविभाग भी शामिल है।

i. बाजार जोखिम: ब्याज दर, मुद्रा तथा इक्विटी उत्पाद में खुली स्थिति से बाजार जोखिम उत्पन्न होती है। बोर्ड सीमा निर्धारित करता है तथा स्वीकार किए जाने वाले, जोखिम पर नियमित अंतराल पर उसकी समीक्षा करता है। इसके अतिरिक्त दैनिक आधार पर एक्सपोजर की निगरानी की जाती है।

ii. तरलता जोखिम: ओवरनाइट जमा से नकदी संसाधन, चालू खाते, परिपक्व जमाराशियां, ऋण आहरण और गारंटियों से उपलब्ध नकद स्त्रोतों से दैनिक मांग के लिए तथा मार्जिन और अन्य नकद समझौतों पर मांग से बैंक को नकद आरक्षित रखना पडता है। ऐसे मांग की पूर्ति करने के लिए परिपक्व निधि के उपलब्ध अंश के आधार पर बोर्ड ने उनके अनुभव पर सीमा निर्धारित की है और अंतर बैंक तथा अन्य उधार सुविधा के न्यूनतम स्तर पर जो मांग की अपेक्षित आहरण को कवर कर सके।

iii. ब्याज दर जोखिम- बैंक को उसकी वित्तीय स्थिति तथा नकदी प्रवाह पर प्रचलित बाजार ब्याज दर में उतर चढाव के परिणाम के साथ जुड़ी विभिन्न जोखिमों को उठाना पड़ता है। बैंक को जमा राशि ऋण तथा बाजार प्रवृत्ति के परिवर्तन के अनुरूप दरों को परिवर्तित करने का विवेकाधिकार है। यह उपाय ब्याज दर जोखिम को बैंक एक्सपोजर न्यूनतम रखते है।

iv. **मुद्रा जोखिम** : बैंक को विदेशी मुद्रा दर में परिवर्तन के कारण वित्तीय लिखत के मूल्य में होने वाले उतार-चढ़ाव की जोखिम उठानी पड़ती है। बैंक विदेशी मुद्रा बाजार में केवल जितनी आवश्यक मुद्रा की खरीदी तथा बिक्री के आधार तक शामिल रहती है। बैंक विदेशी मुद्रा वायदा बाजार में शामिल नहीं होता है और इस प्रकार जोखिम सीमित हो जाती है।

ii. मात्रात्मक प्रकटन

(रु. मिलियन में)

निम्नलिखित के लिए पूंजी आवश्यकता	
ब्याजदर जोखिम	8,363.47
विदेशी विनिमय जोखिम (गोल्ड सहित)	2733.75
ईक्विटी जोखिम	3770.28
# पूंजी आवश्यकता का परिकलन आरडब्ल्यूए की 9% की दर पर न्यूनतम विनियामक आवश्यकता पर किया जाता है।	

तालिका डीएफ-8

परिचालनात्मक जोखिम

गुणात्मक प्रकटन

साधारण गुणात्मक प्रकटन आवश्यकता के अतिरिक्त जिसके लिए बैंक अर्हता प्राप्त है उस परिचालन जोखिम पूंजी मूल्यांकन हेतु बैंक का (के) दृष्टिकोण ।

ए: बैंक ऑफ़ इंडिया

बैंक जोखिम प्रबंधन की सर्वोत्कृष्ट प्रक्रिया अपनाता है। बैंक कारोबार की विभिन्न पद्धतियों के तहत समस्त आर्थिक उत्पादों, प्रक्रियाओं और प्रणालियों के परिचालन जोखिम का सतत निर्धारण और अभिनिर्धारण करता है। समस्त नये उत्पाद, गतिविधियाँ और प्रणालियाँ पहले नया उत्पाद समूह समिति और फिर परिचालन जोखिम प्रबंधन समिति (सीओआरएम) अथवा ऋण जोखिम प्रबंधन समिति (सीआरएमसी), जो लागू हो के माध्यम से कार्यान्वित होती है। सभी नीतियां बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति (आर.काम) द्वारा मंजूरी दिए जाने के बाद ही बोर्ड द्वारा अनुमोदित की जाती है। मुख्य जोखिम अधिकारी, आरकॉम और विदेशों में दिन-प्रतिदिन के परिचालन गत जोखिम प्रबंधन के निदेशों को कार्यान्वित करते है ।

जोखिम प्रबंधन कार्य, कारोबार परिचालन जोखिम प्रबंधकों (बीओआरएम) तथा परिचालनगत जोखिम प्रबंधन विशेषज्ञ (ओआरएमएस) के निकट सहयोग से कार्य करता है। बीओआरएम तथा ओआरएमएस की समिति परिचालनगत . जोखिम प्रबंधन प्रभाग को आवधिक आधार पर जोखिम और नियंत्रण निर्धारण करना, हानि की रिपोर्टिंग करना तथा मुख्य जोखिम संकेतक (केआरआरइ) पर नज़र रखने में सहायता करती है।

अर्धवार्षिक आधार पर लॉस डेटा विश्लेषण के रूप में जोखिम रिपोर्टिंग की जाती है जिससे उच्च जोखिम प्रवणता वाले उत्पाद और कारोबार लाइन का निर्धारण किया जा सके और न्यूनीकरण उपाय अपनाए जा सके। शाखा स्तर के केआरआई और बैंक स्तर के केआरआई को तिमाही आधार पर ट्रैक किया जाता है।सभी बैंक के उत्पादों और प्रक्रियाओं के लिए वार्षिक आधार आरसीएसए कार्रवाई की जाती है।

बैसिक इंडिकेटर दृष्टिकोण द्वारा ऑपरेशनल रिस्क कैपिटल चार्ज की गणना की जाती है। वर्तमान में, बैंक ऑपरेशनल रिस्क कैपिटल चार्ज की गणना के लिए उन्नत मापन दृष्टिकोण की ओर बढ़ने की प्रक्रिया में है। बैंक को परिचालन जोखिम पूंजी प्रभार की गणना के लिए द स्टैंडर्डाइज्ड अप्रोच (टीएसए) में माइग्रेट करने के लिए समानांतर रन अनुमोदन पहले ही मिल चुका है।

बी: पीटी बैंक ऑफ़ इंडिया इंडोनेशिया टीबीके (अनुषंगी)

कार्यों का पृथक्करण, प्रशिक्षण, स्पष्ट रूप से निर्धारित कार्यवाहियां, इत्यादि जैसे परिचालन जोखिम प्रबंधन के लिए बैंक ने श्रेष्ठ प्रक्रिया अपनाई है।

परिचालन जोखिम के प्रबंधन में, नीतियों और कार्यविधियों के नियंत्रण और रूटीन पर्यवेक्षण के संदर्भ में प्रत्येक इकाई जिम्मेदार है। अपरिहार्य परिस्थितियों से बचने प्रणाली के लिए उत्पाद का विकास, प्रणाली, मानव संसाधन और ''अपने ग्राहक को जानो'' से संबंधित क्षेत्र शामिल है।

परिचालन जोखिम को कम करने के लिए बैंक ने संव्यवहार प्रोसेसिंग में नियंत्रण कार्य को बढ़ा दिया है जिसमें संव्यवहार को समय के अंदर पूरा करना, लागू मानकों के लेखांकन पद्धति का समायोजन,ठीक ढंग से रिकार्ड का अनुरक्षण, आस्ति तथा डेटा तक सुरक्षित पहुंच के लिए अन्यों के बीच क्रियान्वित करने हेतु कार्य विधि सुनिश्चित करना है। आंतरिक लेखा परीक्षा इकाई का कार्य जो परिचालन गतिविधियों की नियमित जांच करती है, आवश्यक सुधार को बेहतर बना रही है। बैंक परिचालन जोखिम के परिकलन के लिए जोखिम भारित आस्तियों में बेसिक इंडिकेटर एप्रोच (एटीएमआर) का प्रयोग कर रही है।

बैंक में एक आंतरिक नियंत्रण इकाई भी है जो सुनिश्चित करता है कि सभी कारोबार इकाई बैंक की प्रक्रिया का और साथ ही स्थानीय सरकार के विनियमों का भी अनुपालन करते हैं।

सी: बैंक ऑफ़ इंडिया (तंजानिया) लि. (अनुषंगी), बैंक ऑफ़ इंडिया (न्यूज़ीलैण्ड) लि. (अनुषंगी) और बैंक ऑफ़ इंडिया (युगांडा) लि.

परिचालनात्मक जोखिम प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष हानि का जोखिम है जो विभिन्न कारणों से उत्पन्न होती है जो बैंक की प्रक्रिया, कार्मिक, प्रौद्योगिकी और आधार संरचना से संबद्ध है और क्रेडिट, बाजार, तरलता जोखिम छोड़कर बाह्य कारक जैसे विधिक और विनियामक जरूरतों और कॉरपोरेट व्यवहार के आम स्वीकृत मानकों से उत्पन्न होते है। परिचालनात्मक जोखिम बैंक की सभी गतिविधियों से उत्पन्न होती है।

वित्तीय हानि एवं कुल लागत प्रभावशीलता सहित बैंक की प्रतिष्ठा धूमिल होने से बचाव को संतुलित करने और नियंत्रण कार्रवाई जो पहल एवं रचनात्मकता को सीमित करती है, से बचाव के लिए परिचालनात्मक जोखिम का प्रबंध करना बैंक का उद्देश्य है।

परिचालनात्मक जोखिम का ध्यान रखने के लिए प्रबंधन विकास एवं कार्यान्वयन नियंत्रण हेतु प्राथमिक उत्तरदायित्व प्रत्येक शाखा स्तर पर वरिष्ठ प्रबंधन हेतु निर्धारत किया गया है। परिचालनात्मक जोखिम के प्रबंधन हेतु कुल मानकों के विकास उत्तरदायित्व में निम्नलिखित क्षेत्रों में सहायक है :-

- संव्यवहार के स्वतंत्र प्राधिकार सहित कार्य के उचित पृथक्करण की आवश्यकता;
- संव्यवहार के समाधान एवं निगरानी की आवश्यकता;
- नियामक एवं अन्य विधिक आवश्यकताओं सहित अनुपालन;
- नियंत्रण एवं प्रक्रिया का प्रलेखीकरण;
- महसूस किए गए परिचालनात्मक जोखिमों के निर्धारण की आवश्यकता तथा पहचान किए गए जोखिमों का ध्यान रखने के लिए नियंत्रण एवं प्रक्रिया की पर्याप्तता;
- परिचालनात्मक हानि की रिपोर्टिंग एवं प्रस्तावित निवारणात्मक कार्रवाई की आवश्यकता;
- आकस्मिकता योजना का विकास;
- प्रशिक्षण एवं व्यावसायिक विकास;
- नैतिक एवं कारोबार मानक;
- बीमा सहित जोखिम कमी, जहां यह प्रभावी है।

तालिका डीएफ - 9

बैंकिंग बही में ब्याज दर जोखिम (आईआरआरबीबी)

i. गुणात्मक प्रकटन

साधारण गुणात्मक प्रकटन अपेक्षा में आईआरआरबीबी और प्रमुख धारणाओं के ऋण भुगतान और अपरिपक्व जमा का परिचालन संबंधी धारणाओं का स्वरूप तथा आईआरआरबीबी मापने की बारंबारता शामिल है।

ए. बैंक ऑफ़ इंडिया

बैंकिंग बही में ब्याज दर जोखिम की आम तौर पर तिमाही आधार पर गणना की जाती है। बैंकिंग बही में परिपक्वता हेतु धारित (एचटीएम) संविभाग में धारण किए सभी अग्रिम और निवेश सम्मिलित है।

कार्यनीति और प्रणालियाँ/संरचना और संगठन/जोखिम रिपोर्टिंग संबंधी कार्यक्षेत्र और स्वरूप/नीतियों आदि वही हैं जो टेबल डीएफ-7 के तहत रिपोर्ट की गई है।

आईआरआरबीबी माप की कार्य-प्रणाली और प्रमुख धारणाएँ निम्नानुसार है;

- ➢ अग्रिमों तथा जमा राशियों, जो बैंक का 100% कारोबार कवर करती है, की शेष परिपक्वता पर नेटवर्क की शाखाओं से प्राप्त मासिक सूचना के आधार पर विभिन्न समय बकेट के साथ ब्याज दर संवेदनशील और विभिन्न आस्तियों व देयताओं की शेष परिपक्वता को ध्यान में लेते हुए संवेदनशीलता विवरण तैयार किया जाता है।
- ➢ प्रत्येक आस्ति एवं देयता की अवधि, प्रत्येक टाइम बकेट के मध्यबिंदु को परिपक्वता दिनांक के रूप में एवं औसत प्राप्ति को कूपन के रूप में तथा भुनाई प्रयोजन के लिए बाजार दर को लेकर परिचालित की जाती है। निवेशों के लिए, वास्तविक अवधि ली जाती है, जैसा कि डाटा संपूर्ण ब्योरों सहित उपलब्ध रहता है। निवेशों के संबंध में इस प्रयोग के लिए एएफएस एवं एचएफटी संविभागों को अलग रखा जाता है, जैसा कि बैंकिंग बही में आईआरआर पर ध्यान केन्द्रित किया जाता है।
- ➢ उक्त के उपयोग से, प्रत्येक बकेट के लिए देयताओं और आस्तियों की आशोधित अवधि परिकलित की जाती है और ब्याज दर में 1% से परिवर्तन के लिए उनके मूल्य पर प्रभाव माना जाता है। उसमें जोड़कर निवल स्थिति परिकलित की जाती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि मूल्य में सकारात्मक वृद्धि है या अन्यथा।

धारणाएँ :

i. समस्त टाइम बकेट और समस्त आस्तियों के लिए ब्याज दर सभी समान रूप से चालित होता है।

ii. मांग जमा राशियों-बचत तथा चालू के संदर्भ में इसे भारतीय रिज़र्व बैंक दिशानिर्देशों के अनुसरण में उनके व्यवहार निष्कर्ष पर विभाजित किया जाता है।

iii. आम तौर पर, बैंक आईआरआरबीबी की गणना करते समय कूपन दर/भुनाई दर का चयन/परिपक्वता तारीख के रूप में प्रत्येक टाइम बकेट के मध्यबिंदु , को लेना आदि सहित रिज़र्व बैंक के तनाव परीक्षा संबंधी दिशा-निर्देशों का पालन करता है।

iv. बीपीएलआर लिंकड अग्रिमों/बेस रेट के पुनर्मूल्य निर्धारण को 3 से 6 माह के बकेट में लिया गया है।

v. एमसीएलआर से संबद्ध अग्रिमों का पुनर्मूल्यन, उस एमसीएलआर परिपक्वता अवधि के आधार पर किया गया है जिससे ये एमसीएलआर संबद्ध है।

बी. पीटी बैंक ऑफ़ इंडिया इंडोनेशिया टीबीके, बैंक ऑफ़ इंडिया (तंजानिया) लि., बैंक ऑफ इंडिया (न्यूजीलैंड) लि. (अनुषंगियां) तथा बैंक ऑफ इंडिया युगांडा लि. (अनुषंगियाँ)

बैंक अपनी वित्तीय स्थिति एवं नकदी प्रवाह पर बाजार ब्याज दरों के वर्तमान स्तरों में अस्थिरता के प्रभाव सहित शामिल विभिन्न जोखिमों से युक्त है। बाजार प्रवृत्ति में परिवर्तन के साथ-साथ बैंक को जमा राशियों, ऋण एवं अग्रिमों पर ब्याज दर में संशोधन करने का विवेकाधिकार है। इन उपायों के कारण बैंक के ब्याज दर जोखिम का क्षेत्र कम होता है।

II. मात्रात्मक प्रकटन

आईआरआरबीवी मापने के लिए प्रबंधन की प्रणाली के अनुसार उर्ध्वमुखी और अधोमुखी रेट शॉक के लिए उपार्जन और आर्थिक मूल्य (अथवा प्रबंधन द्वारा प्रयुक्त संबद्ध उपाय) में वृद्धि (ह्रास), मुद्रा द्वारा खंडित (जहां कुल पण्यावर्त के 5% से अधिक पण्यावर्त होता है)

बैंकिंग बही में ब्याज दर जोखिम (बीओआई सोलो)

(रु. मिलियन में)

	कुल	जिसमें से, यूएसडी में (जहाँ कारोबार कुल कारोबार के 5% से अधिक है)
1. जोखिम पर अर्जन (एनआईआई)		
1 वर्ष के लिए 0.50% परिवर्तन	2.51%	- 0.51%
2. जोखिम पर ईक्विटी का आर्थिक मूल्य		
200 बेसिक पॉईंट शॉक		
% ता के रूप में इक्विटी मूल्य में कमी	-3.42%	-6.38%

तलिका - डीएफ 10

प्रतिपक्षी ऋण जोखिम से संबंधित एक्सपोज़र के लिए सामान्य प्रकटन

i. गुणात्मक प्रकटन

बैंक तुलन पत्र की मदों के साथ प्रतिपक्षी कारोबार के उद्देश्य से हैजिंग के लिए व्युत्पन्न उत्पादों का प्रयोग करता है। व्युत्पन्न परिचालन के जोखिम प्रबंधन के शीर्ष में वरिष्ठ कार्यपालक रहते हैं जो उच्च प्रबंधन को रिपोर्ट करते है, यह लाइन कार्यों से स्वतंत्र है। ट्रेडिंग की स्थिति दैनंदिन आधार पर बाज़ार मूल्य को बही में अंकित किया जाता है।

जोखिम प्रबंधन विभाग द्वारा व्युत्पन्न नीति बनाई जाती है जिसमें ऋण जोखिम और बाजार जोखिम को आंकना शामिल है।

तुलन पत्र प्रबंधन के लिए हैज़ संव्यवहार किया जाता है जोखिमों के सही रिपोर्टिंग और निगरानी के लिए उचित प्रणाली है। हैजिग की नीति और उसकी निगरानी की प्रक्रिया भी उसी प्रकार से है।

हैज तथा गैर-हैज़ संव्यवहारों को रिकार्ड करने के लिए लेखांकन नीति है जिसमें आय की पहचान, प्रीमियम और छूट का निर्धारण शामिल है। बकाया संविदा, प्रावधानीकरण, संमार्श्विक और जोखिम न्यूनीकरण का मूल्यांकन किया जा रहा है।

करंट एक्सपोज़र मेथोडोलज़ी (सीईएम) के अनुरूप क्रेडिट समतुल्य अथवा ईएडी परिकलित की गई है। संभाव्य एक्सपोज़र का परिकलन क्रेडिट कनवर्जन फैक्टर के साथ कल्पित मूलधन को गुणा करके किया जाता है। प्रतिस्थापन लागत सकारात्मक बाजार मूल्य है। चालू एक्सपोज़र प्रतिस्थापन लागत के समान है। क्रेडिट समतुल्य अथवा ईएडी संभाव्य एक्सपोज़र और चालू एक्सपोज़र का जोड़ है।

ii. मात्रात्मक प्रकटन

क) संविदाओं का सकल सकारात्मक उचित मूल्य,लाभ की निवल राशि, चालू ऋण एक्सपोज़र की निवल राशि, धारित संपार्श्विक (यथा नकदी,सरकारी प्रतिभूतियां आदि प्रकार सहित) और निवल व्युत्पन्न ऋण एक्सपोज़र। इसमें चूक वाले एक्सपोज़र के लिए उपाय की रिपोर्ट अथवा सीईएम के तहत एक्सपोज़र राशि भी है। ऋण व्युत्पन्न हेज़ की कल्पित मूल्य और ऋण एक्सपोज़र के प्रकारों द्वारा चालू ऋण एक्सपोजर का वितरण।

ख) ऋण व्युत्पन्न संव्यवहार जो सीसीआर (कल्पित मूल्य) में एक्सपोज़र सृजित करती है, संस्था के अपने क्रेडिट पोर्टफोलियो के साथ प्रयोग किए गए क्रेडिट व्युत्पन्न उत्पादों के वितरण सहित उसकी मध्यवर्ती गतिविधियों के बीच पृथक किया जाता है, जिसे आगे प्रत्येक उत्पाद समूह के मध्य खरीदे और बेचे गए संरक्षण में विखंडित किया जाता है।

(रु मिलियन में)

काउंटर पार्टी ऋण जोखिम (सीसीआर)	
कल्पित मूलधन रकम	4,05,907.52
संभाव्य एक्सपोज़र	8,014.04
प्रतिस्थापन लागत	1,574.58
चालू एक्सपोज़र	9,588.62
क्रेडिट समतुल्य अथवा ईएडी	9,588.62
आरडब्ल्यूए	2,587.79
पूँजी प्रभार	207.02

(रु मिलियन में)

मदें	कल्पित रकम	चालू ऋण एक्सपोज़र	क्रेडिट समतुल्य
मुद्रा विकल्प	10,232.56	204.65	204.65
क्रॉस सीसीवाई ब्याज दर स्वैप	3391.54	67.83	67.83
वायदा दर करार	3,83,872.14	7,677.44	9,240.64
ब्याज दर भविष्य	0	0	0
ऋण चूक स्वैप	0	0	0
एकल सीसीवाई ब्याज दर स्वैप	8,411.27	64.11	75.50
कुल	4,05,907.52	8,014.04	9,588.62

तालिका डीएफ -11

पूंजी का विन्यास

31.03.2022

(रु मिलियन में)

क्रं. सं.	31 मार्च 2017 से पहले प्रयुक्त बासेल III आम प्रकटन टेम्पलेट	पात्र राशि	बासेल III लागू होने से पहले की राशि	संदर्भ संख्या
	सामान्य इक्विटी टियर 1 पूंजी : लिखत तथा आरक्षित			
1	प्रत्यक्ष जारी विशेषक सामान्य शेयर पूंजी के साथ संबंधित अतिरिक्त स्टॉक (शेयर प्रीमियम)	2,13,764.59		
2	प्रतिधारित उपार्जन	33,134.11		
3	संचित अन्य व्यापक आय (और अन्य आरक्षितियां)	2,96,812.02		
4	सीईटी 1 से फेस आउट के अधीन प्रत्यक्ष जारी पूंजी (केवल गैर- संयुक्त स्टॉक कंपनियों के लिए लागू)			
	सार्वजनिक क्षेत्र में पूंजी लगाना जिसकी देखरेख 1 जनवरी 2018 तक की जाएगी			
5	अनुषंगियों द्वारा जारी और थर्ड पार्टियों द्वारा धारित सामान्य शेयर पूंजी (ग्रुप सीईटी 1 में अनुमत रकम)			
6	**विनियामक समायोजन के पहले सामान्य इक्विटी टियर 1 पूंजी**	**5,43,710.73**		
	सामान्य इक्विटी टियर 1 पूंजी : विनियामक समायोजन			
7	विवेकपूर्ण मूल्यांकन समायोजन			
8	गुडविल (संबंधित कर देयता का निवल)	-		
9	बंधक सर्विसिंग अधिकारों को छोड़कर अमूर्तें (संबंधित कर देयता का निवल)	-		
10	आस्थगित कर आस्तियां	31794.22		
11	नकदी प्रवाह हैज आरक्षित			
12	अपेक्षित हानि के प्रावधान में कमी			
13	बिक्री पर प्रतिभूतिकरण लाभ			
14	उचित मूल्य देयताओं पर अपने ऋण जोखिम में परिवर्तन के कारण लाभ और हानियां			
15	परिनिश्चित- लाभ पेंशन फंड निवल आस्तियां			
16	अपने शेयरों में निवेश (रिपोर्ट की गई तुलन-पत्र में यदि पहले ही प्रदत्त पूंजी समायोजित न किया गया हो)			
17	सामान्य इक्विटी में पारस्परिक क्रास-धारिता	908.58		
18	विनियामक समेकन की परिधि से बाहर बैंकिंग, वित्तीय और बीमा संस्थाओं के पूंजी में पात्र अधिविक्रय की स्थिति का समायोजन जहाँ संस्था द्वारा जारी शेयर पूंजी के अधिकतम 10% का स्वामित्व बैंक का है (10% थ्रेसहोल्ड से अधिक राशि)			

				31.03.2022
				(रु मिलियन में)
क्रं. सं.	31 मार्च 2017 से पहले प्रयुक्त बासेल III आम प्रकटन टेम्पलेट	पात्र राशि	बासेल III लागू होने से पहले की राशि	संदर्भ संख्या
19	विनियामक समेकन की परिधि के बाहर बैंकिंग, वित्तीय और बीमा संस्थाओं के कॉमन स्टाक में महत्वपूर्ण निवेश, पात्र अधिविक्रय की स्थिति का समायोजन (10% थ्रेसहोल्ड से अधिक राशि)			
20	बंधक सर्विसिंग अधिकार (10% थ्रेसहोल्ड से अधिक राशि)			
21	अस्थायी अंतरों से उभरे आस्थगित कर आस्तियां (10% थ्रेसहोल्ड से अधिक राशि, संबंधित कर देयता को छोड़कर)			
22	15% थ्रेसहोल्ड से अधिक राशि			
23	*जिसमें से:* वित्तीय संस्थाओं के कॉमन स्टॉक में महत्वपूर्ण निवेश			
24	*जिसमें से:* बंधक सर्विसिंग अधिकारी			
25	*जिसमें से: अस्थायी अंतरो से उभरे आस्थगित कर आस्तियां*			
26	राष्ट्रीय निर्दिष्ट विनियामक समायोजन (26ए + 26बी + 26सी + 26डी)			
26ए	*जिसमें से:* असमेकित बीमा अनुषंगियों के इक्विटी पूंजी में निवेश	0.00		
26बी	*जिसमें से:* असमेकित गैर-वित्तीय अनुषंगियों के इक्विटी पूंजी में निवेश	0		
26सी	*जिसमें से:* बहुलांश स्वामित्व वित्तीय संस्थाएं जिन्हें बैंक के साथ समेकित नहीं किया गया है के इक्विटी पूंजी में कमी	0		
26डी	*जिसमें से:* अपरिशोधित पेंशन निधि व्यय पूर्व बासेल III व्यवहार के अधीन रकम के संबंध में सामान्य इक्विटी टियर 1 पर लगाएं गए विनियामक समायोजन।			
	जिसमें से: इसमायोजन के प्रकार की प्रविष्टि करें.			
	उदाहरण के लिए: एएफएस ऋण प्रतिभूतियों पर अप्राप्त हानियों को फिल्टर किया जाना (भारतीय परिप्रेक्ष्य में कोई संबंध नही)			
	जिसमें से: (समायोजन के प्रकार की प्रविष्टि करें)			
	जिसमें से : (समायोजन के प्रकार की प्रविष्टि करें)			
27	कटौतियों को पूरा करने के लिए अपर्याप्त अतिरिक्त टियर 1 और टियर 2 के कारण सामान्य इक्विटी टियर 1 पर लगाए गए विनियामक समायोजन			
28	**सामान्य इक्विटी टियर 1 में कुल विनियामक समायोजन**	**32702.80**	**0.00**	
29	**सामान्य इक्विटी टियर 1 पूंजी (सीईटी1)**	**5,11,007.93**		
	अतिरिक्त इक्विटी टियर 1 पूंजी: लिखतें			
30	प्रत्यक्ष जारी सापेक्ष अतिरिक्त टियर 1 लिखतें के साथ संबंधित स्टॉक अधिशेष (31 + 32)	28520.00		

				31.03.2022
				(रु मिलियन में)
क्रं. सं.	31 मार्च 2017 से पहले प्रयुक्त बासेल III आम प्रकटन टेम्पलेट	पात्र राशि	बासेल III लागू होने से पहले की राशि	संदर्भ संख्या
31	*जिसमें से:* लागू लेखांकन मानको के तहत इक्विटी के रूप में वर्गीकृत (बेमीयादी असंचयी अधिमानी शेयर)	00.00		
32	*जिसमें से:* लागू लेखांकन मानक के तहत देयताओं के रूप में वर्गीकृत (बेमीयादी ऋण लिखत)	28520.00		
33	अतिरिक्त टियर 1 से फेज़ आउट के अधीन प्रत्यक्ष जारी पूंजी लिखतें	0.00	0.00	
34	अनुषंगियों द्वारा जारी और तृतीय पक्ष द्वारा धारित अतिरिक्त टियर 1 लिखतें (और सीईटी 1 लिखत जो रो 5 में शामिल नही) (ग्रुप एटी 1 में अनुमत रकम)			
35	*जिसमें से:* अनुषंगियों द्वारा जारी लिखतें जो फेज़ आउट के अधीन है।			
36	**विनियामक समायोजन के पूर्व अतिरिक्त टियर 1 पूंजी**	**28520.00**	**0.00**	
	अतिरिक्त टियर 1 पूंजी : विनियामक समायोजन			
37	स्वयं के अतिरिक्त टियर 1 लिखतों में निवेश			
38	अतिरिक्त टियर 1 लिखतों में पारस्परिक क्रॉस धारिता	0.00		
39	विनियामक समेकन की परिधि से बाहर बैंकिंग, वित्तीय और बीमा संस्थाओं के पूंजी में निवेश, पात्र अधिविक्रय की स्थिति का समायोजन जहाँ संस्था द्वारा जारी सामान्य शेयर पूंजी के अधिकतम 10% का स्वामित्व बैंक का है (10% थ्रेसहोल्ड से अधिक राशि)	0.00		
40	विनियामक समेकन की परिधि के बाहर बैंकिंग, वित्तीय और बीमा संस्थाओं की पूंजी में महत्वपूर्ण निवेश (पात्र अधिविक्रय स्थिति को घटाकर) 10			
41	राष्ट्रीय निर्दिष्ट विनियामक समायोजन (41ए + 41बी)			
41ए	असमेकित बीमा अनुषंगियो के अतिरिक्त टियर 1 पूंजी में निवेश			
41बी	बैंक में समेकित न किए गए बहुलांश स्वामित्व वाले वित्तीय संस्थाओं के अतिरिक्त टियर 1 पूंजी में कमी।			
42	कटौतियों को पूरा करने के लिए अपर्याप्त टियर 2 के कारण अतिरिक्त टियर 1 में लगाए गए विनियामक समायोजन			
43	**अतिरिक्त टियर 1 पूंजी पर कुल विनियामक समायोजन**	**0.00**		
44	**अतिरिक्त टियर 1 पूंजी (एटी1)**	**28520.00**		
44ए	**पूंजी पर्याप्तता के लिए माना गया अतिरिक्त टियर 1 पूंजी**	**28520.00**		

				31.03.2022
				(रु मिलियन में)
क्रं. सं.	31 मार्च 2017 से पहले प्रयुक्त बासेल III आम प्रकटन टेम्पलेट	पात्र राशि	बासेल III लागू होने से पहले की राशि	संदर्भ संख्या
45	**टियर 1 पूंजी (टी1 = सीईटी1 + एटी1) (29 + 44ए)**	5,39,527.93		
	टियर 2 पूंजी: लिखते एवं प्रावधान			
46	प्रत्यक्ष जारी पात्र टियर 2 लिखतों के साथ संबंधित स्टॉक अधिशेष	3000.00	63000.00	
47	टियर 2 से फेज़ आउट के अधीन प्रत्यक्ष जारी पूंजी लिखत	0.00		
48	अनुषंगियों द्वारा जारी और तृतीय पक्ष द्वारा धारित (ग्रुप टियर 2 में अनुमत राशि) टियर 2 लिखते (और रो 5 अथवा 34 में शामिल न किए गए सीईटी 1 ओर एटी 1 लिखतें)			
49	*जिसमें से:* फेज़ आउट के अधीन अनुषंगियों द्वारा जारी लिखतें			
50	प्रावधान	36834.00		
51	**विनियामक समायोजन के पहले टियर 2 पूंजी**	66834.00		
	टियर 2 पूंजी: विनियामक समायोजन			
52	अपने टियर 2 लिखतों में निवेश			
53	टियर 2 लिखतों में पारस्परिक क्रॉस-धारिता	0.00	0.00	
54	विनियामक समेकन की परिधि से बाहर बैंकिंग, वित्तीय और बीमा संस्थाओं के पूंजी में निवेश, पात्र अधिविक्रय की स्थिति का समायोजन जहाँ संस्था द्वारा जारी सामान्य शेयर पूंजी के अधिकतम 10% का स्वामित्व बैंक का है(10% थ्रेसहोल्ड से अधिक राशि)			
55	विनियामक समेकन की परिधि के बाहर बैंकिंग, वित्तीय और बीमा संस्थाओं की पूंजी में महत्वपूर्ण निवेश (पात्र अधिविक्रय की स्थिति को घटाकर)	0.00		
56	राष्ट्रीय निर्दिष्ट विनियामक समायोजन (56ए + 56बी)			
56ए	*जिसमें से:* असमेकित अनुषंगियों के टियर 2 पूंजी में निवेश			
56बी	*जिसमें से:* बैंक में समेकित न किए गए बहुलांश स्वामित्व वाले वित्तीय संस्थाओं के अतिरिक्त टियर 2 पूंजी में कमी।			
	पूर्व बासेल III व्यवहार के अधीन रकम के संबंध में टियर 2 पर लगाए गए विनियामक समायोजन			
	जिसमें से: (समायोजन के प्रकार की प्रविष्टि करें यथा वर्तमान समायोजन जो 50% पर टियर 2 से कटौती की जा रही है.			
	जिसमें से: (समायोजन के प्रकार की प्रविष्टि करें.			
57	टियर 2 पूंजी में कुल विनियामक समायोजन	0.00		
58	**टियर 2 पूंजी (टी 2)**	66834.00		

				31.03.2022
				(रु मिलियन में)
क्रं. सं.	31 मार्च 2017 से पहले प्रयुक्त बासेल III आम प्रकटन टेम्पलेट	पात्र राशि	बासेल III लागू होने से पहले की राशि	संदर्भ संख्या
58ए	**पूंजी पर्याप्तता के लिए माना गया टियर 2 पूंजी**	66834.00		
58बी	**एक्सेस अतिरिक्त टियर 1 पूंजी जिसे टियर 2 पूंजी माना जाता है।**	0		
58सी	**पूंजी पर्याप्तता के लिए स्वीकार्य कुल टियर 2 पूंजी (58ए + 58बी)**	66834.00		
59	कुल पूंजी (टीसी = टी1 + टी2) (45 + 58सी)	6,06,361.93		
	पूर्व बासेल III व्यवहार के अधीन रकम के संबंध में जोखिम भारित आस्तियां			
	जिसमें से: (समायोजन के प्रकार की प्रविष्टि करें.			
	जिसमें से: %			
60	**कुल जोखिम भारित संपत्ति (60a + 60 + 60c)**	35,85,324		
60ए	**जिनमें से: कुल क्रेडिट जोखिम भारित संपत्ति**	30,48,547		
60बी	**जिनमें से: कुल बाजार जोखिम भारित संपत्ति**	1,65,194		
60सी	**जिनमें से: कुल परिचालन जोखिम भारित संपत्ति**	3,71,583		
	पूंजी अनुपात			
61	कॉमन इक्विटी टियर 1 (जोखिम भारित परिसंपत्तियों के प्रतिशत के रूप में)	14.25%		
62	टियर 1 (जोखिम भारित परिसंपत्तियों के प्रतिशत के रूप में)	15.05%		
63	कुल पूंजी (जोखिम भारित परिसंपत्तियों के प्रतिशत के रूप में)	16.91%		
64	संस्थान विशिष्ट बफर आवश्यकता (न्यूनतम सीईटी 1 आवश्यकता प्लस पूंजी संरक्षण और प्रतिचक्रीय बफर आवश्यकताएं, जोखिम भारित परिसंपत्तियों के प्रतिशत के रूप में व्यक्त)			
65	जिनमें से: पूंजी संरक्षण बफर आवश्यकता			
66	जिनमें से: बैंक विशिष्ट प्रतिचक्रीय बफर आवश्यकता			
67	जिनमें से: जी-एसआईबी बफर आवश्यकता			
68	बफर को पूरा करने के लिए कॉमन इक्विटी टियर 1 उपलब्ध है (जोखिम भारित परिसंपत्तियों के प्रतिशत के रूप में)			
	राष्ट्रीय न्यूनतम (यदि बेसल III से अलग है)			
69	नेशनल कॉमन इक्विटी टियर 1 न्यूनतम अनुपात (यदि बेसल III न्यूनतम से अलग है)	8.00%		
70	राष्ट्रीय टियर 1 न्यूनतम अनुपात (यदि बेसल III न्यूनतम से अलग है)	9.50%		

				31.03.2022
				(रु मिलियन में)
क्रं. सं.	31 मार्च 2017 से पहले प्रयुक्त बासेल III आम प्रकटन टेम्पलेट	पात्र राशि	बासेल III लागू होने से पहले की राशि	संदर्भ संख्या
71	राष्ट्रीय कुल पूंजी न्यूनतम अनुपात (यदि बेसल III न्यूनतम से अलग है)	11.50%		
	कटौती के लिए सीमा से नीचे की राशि (जोखिम भार से पहले)			
72	अन्य वित्तीय संस्थाओं की पूंजी में गैर-महत्वपूर्ण निवेश			
73	वित्तीय संस्थाओं के सामान्य स्टॉक में महत्वपूर्ण निवेश			
74	बंधक सेवा अधिकार (संबंधित कर देयता का शुद्ध)			
75	अस्थायी अंतर (संबंधित कर देयता का शुद्ध) से उत्पन्न स्थगित कर संपत्ति			
	टियर 2 में प्रावधानों को शामिल करने पर लागू सीमा			
76	मानकीकृत दृष्टिकोण (कैप के आवेदन से पहले) के अधीन एक्सपोजर के संबंध में टियर 2 में शामिल करने के लिए पात्र प्रावधान	36934.00		
77	मानकीकृत दृष्टिकोण के तहत टियर 2 में प्रावधानों को शामिल करने की सीमा			
78	आंतरिक रेटिंग-आधारित दृष्टिकोण (कैप के आवेदन से पहले) के अधीन एक्सपोजर के संबंध में टियर 2 में शामिल करने के लिए पात्र प्रावधान			
79	आंतरिक रेटिंग-आधारित दृष्टिकोण के तहत टियर 2 में प्रावधानों को शामिल करने की सीमा			
	चरणबद्ध व्यवस्था के अधीन पूंजीगत उपकरण (केवल बीच में लागू) 31 मार्च, 2017 और 31 मार्च, 2022)			
80	सीईटी 1 उपकरणों पर वर्तमान सीमा चरणबद्ध व्यवस्था के अधीन है			
81	कैप के कारण सीईटी 1 से बाहर की गई राशि (रिडेम्पशन और परिपक्वता के बाद कैप से अधिक)			
82	एटी1 उपकरणों पर वर्तमान सीमा चरणबद्ध व्यवस्था के अधीन	28520.00		
83	कैप के कारण एटी 1 से बाहर की गई राशि (रिडेम्पशन और परिपक्वता के बाद कैप पर अधिक)	0.00		
84	टी2 उपकरणों पर मौजूदा सीमा चरणबद्ध व्यवस्था के अधीन	0.00		
85	सीमा के कारण टी 2 से बाहर की गई राशि (रिडेम्पशन और परिपक्वता के बाद कैप से अधिक)	0.00		

तालिका डीएफ-12 :
पूंजी की संरचना- समाधान संबंधी आवश्यकताएं यथा 31.03.2022

चरण 1

चरण 1 के तहत, बैंकों को अपने वित्तीय विवरणों में अपनी बैलेंस शीट लेने की आवश्यकता होती है (नीचे मध्य कॉलम में रिपोर्ट की गई संख्याएं) और समेकन के नियामक दायरे को लागू होने पर संख्याओं की रिपोर्ट करें (नीचे दाएं हाथ के कॉलम में रिपोर्ट की गई संख्याएं)। यदि नियामक समेकन बैलेंस शीट में ऐसी पंक्तियां हैं जो प्रकाशित वित्तीय विवरणों में मौजूद नहीं हैं, तो बैंकों को मध्य कॉलम में शून्य का मूल्य देना होगा और समेकन के नियामक दायरे के लिए कॉलम में संबंधित राशि प्रस्तुत करनी होगी। हालांकि, बैंक इंगित कर सकते हैं कि बैलेंस शीट में ऐसी राशि के लिए सही व्यवहार क्या है.

		वित्तीय विवरणियों के अनुरूप तुलन पत्र	विनियामक द्वारा समेकन की गुंजाइश के अंतर्गत तुलनपत्र
		यथा रिपोर्टिंग तिथि (₹ मिलियन में)	यथा रिपोर्टिंग तिथि (₹ मिलियन में)
ए	**पूंजी एवं देयताएं**		
i	प्रदत्त पूंजी	41,043.05	41,043.05
	आरक्षितियां एवं अधिशेष	5,63,286.36	5,61,541.37
	अल्प संख्यक हित	1,565.14	1,565.14
	कुल पूंजी	**6,05,894.55**	**6,04,149.56**
ii	जमाराशियां	**67,21,941.22**	**67,22,173.49**
	जिसमें से : बैंकों से जमाराशियां	5,18,058.38	5,18,058.38
	जिसमें से : ग्राहकों से जमाराशियां	62,03,882.85	62,04,115.12
	जिसमें से : अन्य जमाराशियां (कृ. उल्लेख करें)	-	-
iii	उधार	**6,50,152.25**	**6,49,790.23**
	जिसमें से : आरबीआई से	26,920.00	26,920.00
	जिसमें से : बैंकों से	451.58	89.57
	जिसमें से : अन्य संस्थाओं एवं एजेन्सियों से	5,03,773.83	5,03,773.83
	जिसमें से : अन्य (कृपया उल्लेख करें)	27,486.84	27,486.84
	जिसमें से : पूंजी लिखत	91,520.00	91,520.00
iv	अन्य देयताएं एवं प्रावधान	**2,82,369.47**	**2,28,668.72**
	कुल	**82,60,357.50**	**82,04,782.00**
बी	आस्तियां		
i	भारतीय रिज़र्व बैंक में नकदी और शेष	47,43,815.49	4,42,906.94
	बैंकों में शेष और मांग तथा अल्प सूचना पर प्राप्य धन	4,03,017.30	4,03,250.35
ii	निवेश:	21,13,235.52	20,60,379.87
	जिसमें से : सरकारी प्रतिभूतियां	19,14,246.22	18,91,102.37
	जिसमें से : अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां	10,513.11	
	जिसमें से : शेयर	13,732.85	10,334.04
	जिसमें से : डिबेंचर एवं बॉण्ड	1,05,048.14	99,787.05

		वित्तीय विवरणियों के अनुरूप तुलन पत्र	विनियामक द्वारा समेकन की गुंजाइश के अंतर्गत तुलनपत्र
		यथा रिपोर्टिंग तिथि (₹ मिलियन में)	यथा रिपोर्टिंग तिथि (₹ मिलियन में)
	जिसमें से : अनुषंगियां/संयुक्त उद्यम/सहयोगी कंपनियां	21,824.33	23,153.53
	जिसमें से : अन्य (वाणिज्यिक कागज़ात, म्यूचुअल फण्ड इत्यादि)	47,870.86	36,002.88
iii	**ऋण एवं अग्रिम**	**48,86,876.99**	**48,86,805.33**
	जिसमें से : बैंकों को ऋण एवं अग्रिम	3,69,275.14	3,69,275.14
	जिसमें से : ग्राहकों को ऋण एवं अग्रिम	45,17,601.85	45,17,530.19
iv	**अचल आस्तियां**	**1,00,605.57**	**1,00,436.76**
v	**अन्य आस्तियां**	**3,12,806.63**	**3,11,002.74**
	जिसमें से : सद्भाव एवं अमूर्त आस्तियां	4,590.68	
	जिसमें से : आस्थगित कर आस्तियां	66,587.11	66,587.11
vi	**समेकन पर सद्भाव**	-	-
vii	**लाभ एवं हानि खाते में नामे शेष**	-	-
	कुल आस्तियां	**82,60,357.50**	**82,04,782.00**

चरण -2

चरण 2 के अंतर्गत, बैंको को तालिका डीएफ - 11 (भाग I/II, जो भी लागू हो) में वर्णित पूँजीगत प्रकटन टैम्पलेट की परिभाषा में उपयोग किए गए सभी घटकों की पहचान के लिए तुलन पत्र में विनायमक सीमा का विस्तार किए जाने की आवश्यकता है। नीचे कुछ घटकों के उदाहरण दिए गए है जिन्हें बैंकिंग समूह विशेष के लिए विस्तृत करने की आवश्यकता है। बैंक का तुलनपत्र जितना जटिल होगा उसे उतनी ही ज्यादा मदों को प्रकटित करने की आवश्यकता होगी। प्रत्येक घटक को एक संदर्भ संख्या/वर्ण दिया जाए जिसे चरण 3 में उपयोग किया जा सके ।

		वित्तीय विवरणियों के अनुरूप तुलन पत्र	विनियामक द्वारा समेकन की गुंजाइश के अंतर्गत तुलन पत्र
		यथा रिपोर्टिंग तिथि	यथा रिपोर्टिंग तिथि
ए	**पूंजी एवं देयताएं**		
i	**प्रदत्त पूंजी**	**41,043.05**	**41,043.05**
	जिसमें से : सीईटी 1 हेतु पात्र राशि	41,043.05	41,043.05
	जिसमें से : एटी 1 हेतु पात्र राशि	-	-
	आरक्षितियां एवं अधिशेष	**5,63,286.36**	**5,61,541.37**
	अल्प संख्यक हित	**1,565.14**	**1,565.14**
	कुल पूंजी	6,05,894.55	6,04,149.56
ii	**जमाराशियां**	**67,21,941.22**	**67,22,173.49**
	जिसमें से : बैंकों से जमाराशियां	5,18,058.38	5,18,058.38
	जिसमें से : ग्राहकों से जमाराशियां	62,03,882.85	62,04,115.12
	जिसमें से : अन्य जमाराशियां (कृपया उल्लेख करें)	-	-

		वित्तीय विवरणियों के अनुरूप तुलन पत्र	विनियामक द्वारा समेकन की गुंजाइश के अंतर्गत तुलन पत्र
		यथा रिपोर्टिंग तिथि	यथा रिपोर्टिंग तिथि
iii	**उधार**	**6,50,152.25**	**6,49,790.23**
	जिसमें से : आरबीआई से	26,920.00	26,920.00
	जिसमें से : बैंकों से	451.58	89.57
	जिसमें से : अन्य संस्थाओं एवं एजेन्सियों से	5,03,773.83	5,03,773.83
	जिसमें से : अन्य (कृपया उल्लेख करें)	27,486.84	27,486.84
	जिसमें से : पूंजी लिखत	91,520.00	91,520.00
iv	**अन्य देयताएं एवं प्रावधान**	2,82,369.47	2,28,668.72
	जिसमें से : सद्भाव से संबंधित डीटीएल	0.00	0.00
	जिसमें से : अमूर्त आस्तियों से संबंधित डीटीएल	0.00	0.00
	कुल	**82,60,357.50**	**82,04,782.00**
बी	आस्तियां		
i	**भारतीय रिज़र्व बैंक में नकदी एवं शेष**	**4,43,815.49**	**4,42,906.94**
	बैंकों में शेष तथा मांग एवं अल्प सूचना पर प्राप्य धन	**4,03,017.30**	**4,03,250.35**
ii	**निवेश:**	**21,13,235.52**	**20,60,379.87**
	जिसमें से : सरकारी प्रतिभूतियां	19,14,246.22	18,91,102.37
	जिसमें से : अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां	10,513.11	-
	जिसमें से : शेयर	13,732.85	10,334.04
	जिसमें से : डिबेंचर एवं बॉण्ड	1,05,048.14	99,787.05
	जिसमें से : अनुषंगियां/संयुक्त उद्यम/सहयोगी कंपनियां	21,824.33	23,153.53
	जिसमें से : अन्य (वाणिज्यिक कागज़ात, म्यूचुअल फण्ड इत्यादि)	47,870.86	36,002.88
iii	**ऋण एवं अग्रिम**	**48,86,876.99**	**48,86,805.33**
	जिसमें से : बैंकों को ऋण एवं अग्रिम	3,69,275.14	3,69,275.14
	जिसमें से : ग्राहकों को ऋण एवं अग्रिम	45,17,601.85	45,17,530.19
iv	**अचल आस्तियां**	**1,00,605.57**	**1,00,436.76**
v	**अन्य आस्तियां**	**3,12,806.63**	**3,11,002.74**
	जिसमें से : सद्भाव एवं अमूर्त आस्तियां		
	जिसमें से :		
	सद्भाव		
	(अन्य अमूर्त (एमएसआर को छोड़कर)		
	आस्थिगित कर आस्तियां	66,587.11	66,587.11
vi	**समेकन पर सद्भाव**		
vii	**लाभ एवं हानि खाते में नामे शेष**		
	कुल आस्तियां	**82,60,357.50**	**82,04,782.00**

चरण -3

चरण 3 के अंतर्गत, बैंकों को प्रत्येक इनपुट का स्त्रोत दिखाने के लिए तालिका डीएफ- 11 (भाग I / II, जो भी लागू हो) में जोडे गए कॉलम को पूर्ण करने की आवश्यकता है।

(I) उदाहरणार्थ, पूँजीगत प्रकटन टैम्पलेट में 'संबंधित आस्थगित कर आस्तियों के सद्भाव'' की पंक्ति शामिल है। तालिका डीएफ -11(भाग I / II, जो भी लागू हो) के अंतर्गत प्रकटन टैम्पलेट में इस मद के प्रकटन के बाद, बैंक को समेकन की विनियामकीय सीमा के अंतर्गत तुलन पत्र के घटक 'ए'', उदाहरण चरण 2 में, तथा घटक 'सी'' में अंतर को टैम्पलेट की पंक्ति 8 की गणना दिखाने के लिए 'ए-सी' दर्शाना होगा।

आम प्रकटन टैम्पलेट बासेल III का सार (जोड़े गए कॉलम सहित) - तालिका डीएफ़ - 11 (भाग आई/भाग II, जो भी लागू हो)			
आम इक्विटी टियर 1 पूंजी : लिखत एवं आरक्षितियां			
		बैंक द्वारा रिपोर्ट किया गया विनियामक पूंजी का अंश	चरण 2 से विनियामक के समेकन की गुंजाइश के अंतर्गत तुलन पत्र के संदर्भ संख्या/पत्रों पर आधारित स्रोत
1	प्रत्यक्ष रूप से जारी किए गए पात्र आम शेयर (और गैर-संयुक्त स्टॉक कंपनियों के लिए समतुल्य) पूंजी तथा साथ में संबंधित स्टॉक अधिशेष	0.00	e
2	प्रतिधारित अर्जन	0.00	
3	संचित अन्य समेकित आय (एवं अन्य आरक्षितियां)	0.00	
4	सीईटी 1 से फेज आउट की शर्त के अध्यधीन प्रत्यक्ष रूप से जारी पूंजी (केवल संयुक्त स्टॉक कंपनियों पर लागू)	0	
5	अनुषंगियों द्वारा जारी एवं थर्ड पार्टियों द्वारा धारित आम शेयर पूंजी (समूह सीईटी 1 में अनुमत राशि)	0.00	
6	विनियामक समायोजनों से पूर्व आम इक्विटी टियर 1 पूंजी	0.00	
7	विवेकपूर्ण मूल्यांकन समायोजन		
8	सद्भाव (संबंधित कर आस्तियां कम कर)		

तालिका डीएफ-13 :

विनियामक पूंजी लिखतों की मुख्य विशेषताएं

1	जारीकर्ता	बैंक ऑफ इंडिया	बैंक ऑफ इंडिया	बैंक ऑफ इंडिया	बैंक ऑफ इंडिया
2	यूनीक आईडेन्टिफायर(जैसे- निजी प्लेस्मेंट के हेतु सीयूएसआईपी, आईएसआईएन या ब्लूमबर्ग आईडेन्टिफायर)	INE084A01016	INE084A08136	INE084A08144	INE084A08169
3	लिखत के शासी नियम	भारतीय विधि	भारतीय विधि	भारतीय विधि	भारतीय विधि
	विनियामक व्यवहार				
4	संक्रामणकालीन बासेल III नियम	कॉमन इक्विटी टियर 1	अतिरिक्त टियर 1	अतिरिक्त टियर 1	अतिरिक्त टियर 1
5	संक्रामणकाल- उपरांत बासेल III नियम	कॉमन इक्विटी टियर 1	अतिरिक्त टियर 1	अतिरिक्त टियर 1	अतिरिक्त टियर 1
6	सोलो/ग्रुप/ग्रुप एवं सोलो में पात्र	एकल एवं समूह	एकल एवं समूह	एकल एवं समूह	एकल एवं समूह
7	लिखत प्रकार	सामान्य शेयर	स्थायी ऋण लिखत	स्थायी ऋण लिखत	स्थायी ऋण लिखत
8	विनियामक पूंजी में मान्य की गई राशि (रु. मिलियन में , यथा नवीनतम रिपोर्टिंग तारीख)	41,043.05	7,500	6,020	15000
9	लिखत का सममूल्य (रु.मिलियन)	लागू नहीं	7,500	6,020	15000
10	लेखांकन वर्गीकरण	इक्विटी शेयर पूंजी	उधार	उधार	उधार
11	जारी किए जाने की मूल तारीख	विविध	28/01/2021	30/03/2021	02/12/2022
12	दिनांकित या सर्वकालिक	स्थायी	स्थायी	स्थायी	स्थायी
13	मूल परिपक्वता तारीख	लागू नहीं	स्थायी	स्थायी	स्थायी

14	पहले इश्यूअर कॉल पर्यवेक्षीय अनुमोदन के अध्यधीन से	नहीं	हाँ	हाँ	हाँ
15	ऑप्शनल कॉल तारीख, आकस्मिक कॉल तारीख	लागू नहीं	क्रय विकल्प तिथि	क्रय विकल्प तिथि	क्रय विकल्प तिथि
16	तदुपरांत की कॉल तारीखें, यदि लागू हों	लागू नहीं	28/01/2026 के बाद	30/03/2026 के बाद	02/12/2027 के बाद
	कूपन/लाभांश	लाभांश	कूपन	कूपन	कूपन
17	स्थिर या फ्लोटिंग लाभांश/कूपन	लागू नहीं	स्थिर	स्थिर	स्थिर
18	कूपन दर और कोई संबंधित इन्डेक्स	लागू नहीं	9.04%	9.30%	8.57%
19	डिविडेन्ड स्टॉपर की उपलब्धता	लागू नहीं	हाँ	हाँ	हाँ
20	पूर्णत: विवेकपूर्ण, आंशिकरूप से विवेकपूर्ण या अनिवार्य	लागू नहीं	पूर्णत: विवेकपूर्ण	पूर्णत: विवेकपूर्ण	पूर्णत: विवेकपूर्ण
21	मोचन हेतु स्टेप अप या अन्य किसी प्रोत्साहन की उपलब्धता	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
22	गैर-संचयी या संचयी	गैर-संचयी	गैर-संचयी	गैर-संचयी	गैर-संचयी
23	परिवर्तनीय या गैर परिवर्तनीय	लागू नहीं	गैर-परिवर्तनीय	गैर-परिवर्तनीय	गैर-परिवर्तनीय
24	यदि परिवर्तनीय हो तो, कन्वर्ज़न ट्रिगर्स	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
25	यदि परिवर्तनीय हो तो, पूर्णत: या आंशिक	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
26	यदि परिवर्तनीय हो तो, परिवर्तन दर	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
27	यदि परिवर्तनीय हो तो, परिवर्तन अनिवार्य है या वैकल्पिक	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
28	यदि परिवर्तनीय हो तो, किस प्रकार के लिखत में परिवर्तन होगा उल्लेख करें।	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
29	यदि परिवर्तनीय हो तो, जिस लिखत में परिवर्तित होगा उसका जारीकर्ता जारीकर्ता जारीकर्ता का उल्लेख करें।	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
30	राइट डाउन विशेषता	नहीं	हाँ	हाँ	हाँ
31	यदि राइट डाउन हो तो, राइट डाउन ट्रिगर्स।	लागू नहीं	1. पूर्ण विनिर्दिष्ट ट्रिगर स्तर 2. गैर-अर्थक्षम बिन्दु (पीओएनवी)	3. पूर्ण विनिर्दिष्ट ट्रिगर स्तर 4. गैर-अर्थक्षम बिन्दु (पीओएनवी)	5. पूर्ण विनिर्दिष्ट ट्रिगर स्तर 6. गैर-अर्थक्षम बिन्दु (पीओएनवी)
32	यदि राइट डाउन हो तो, पूर्णत: है या आंशिक	लागू नहीं	पूर्णत:	पूर्णत:	पूर्णत:
33	यदि राइट डाउन हो तो, वह स्थायी है या अस्थायी	लागू नहीं	स्थायी	स्थायी	स्थायी
34	यदि राइट डाउन हो तो, राइट अप तंत्र का विवरण	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
35	परिसमापन में सबऑर्डिनेशन व्यवस्था में स्थिति (लिखत से अधिमानी लिखत के प्रकार का तत्काल उल्लेख करें)	बैंक के अन्य सभी जमाकर्ता और उधारकर्ता	स्थायी ऋण लिखत	स्थायी ऋण लिखत	स्थायी ऋण लिखत
36	गैर-अनुपालित पारगमन विशेषता	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
37	यदि हाँ, तो कृपया गैर-अनुपालित विशेषताओं का उल्लेख करें	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

तालिका डीएफ-13 :

विनियामक पूंजी लिखतों की मुख्य विशेषताएं

1	जारीकर्ता	बैंक ऑफ इंडिया	बैंक ऑफ इंडिया	बैंक ऑफ इंडिया	बैंक ऑफ इंडिया
2	यूनीक आईडेन्टिफायर (जैसे- निजी प्लेस्मेंट के हेतु सीयूएसआईपी, आईएसआईएन या ब्लूमबर्ग आईडेन्टिफायर)	INE084A08037	INE084A08045	INE084A08060	INE084A08151
3	लिखत के शासी नियम	भारतीय विधि	भारतीय विधि	भारतीय विधि	भारतीय विधि
	विनियामक व्यवहार				
4	संक्रामणकालीन बासेल घ्घ्घ नियम	टियर 2	टियर 2	टियर 2	टियर 2
5	संक्रामणकाल- उपरांत बासेल घ्घ्घ नियम	पात्र	पात्र	पात्र	पात्र
6	सोलो/ग्रुप/ग्रुप एवं सोलो में पात्र	एकल एवं समूह	एकल एवं समूह	एकल एवं समूह	एकल एवं समूह
7	लिखत प्रकार	टियर 2 ऋण लिखत	टियर 2 ऋण लिखत	टियर 2 ऋण लिखत	टियर 2 ऋण लिखत
8	विनियामक पूंजी में मान्य की गई राशि (रु. मिलियन में , यथा नवीनतम रिपोर्टिंग तारीख)	0.00	0.00	12,000	18,000
9	लिखत का सममूल्य (रु.मिलियन)	10,000	5,000	30,000	18,000
10	लेखांकन वर्गीकरण	उधार	उधार	उधार	उधार
11	जारी किए जाने की मूल तारीख	25/09/2013	30/09/2013	31/12/2015	30/09/2021
12	दिनांकित या सर्वकालिक	दिनांकत	दिनांकत	दिनांकत	दिनांकत
13	मूल परिपक्वता तारीख	25/09/2023	30/09/2023	31/12/2025	30/09/2031
14	पहले इश्यूअर कॉल पर्यवेक्षीय अनुमोदन के अध्यधीन से	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
15	ऑप्शनल कॉल तारीख, आकस्मिक कॉल तारीख	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	30/09/2026
16	तदुपरांत की कॉल तारीखें, यदि लागू हों	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	प्रत्येक वार्षिकी तिथि पर (यानि 30 सितंबर) मोचन होने तक
	कूपन/लाभांश	कूपन	कूपन	कूपन	कूपन
17	स्थिर या फ्लोटिंग लाभांश/कूपन	स्थिर	स्थिर	स्थिर	स्थिर
18	कूपन दर और कोई संबंधित इन्डेक्स	9.80%	9.80%	8.52%	7.14%
19	डिविडेन्ड स्टॉपर की उपलब्धता	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
20	पूर्णत: विवेकपूर्ण, आंशिकरूप से विवेकपूर्ण या अनिवार्य	पूर्णत: विवेकपूर्ण	पूर्णत: विवेकपूर्ण	पूर्णत: विवेकपूर्ण	पूर्णत: विवेकपूर्ण
21	मोचन हेतु स्टेप अप या अन्य किसी प्रोत्साहन की उपलब्धता	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं

22	गैर-संचयी या संचयी	गैर-संचयी	गैर-संचयी	गैर-संचयी	गैर-संचयी
23	परिवर्तनीय या गैर परिवर्तनीय	गैर-परिवर्तनीय	गैर-परिवर्तनीय	गैर-परिवर्तनीय	गैर-परिवर्तनीय
24	यदि परिवर्तनीय हो तो, कन्वर्ज़न ट्रिगर्स	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
25	यदि परिवर्तनीय हो तो, पूर्णत: या आंशिक	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
26	यदि परिवर्तनीय हो तो, परिवर्तन दर	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
27	यदि परिवर्तनीय हो तो, परिवर्तन अनिवार्य है या वैकल्पिक	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
28	यदि परिवर्तनीय हो तो, किस प्रकार के लिखत में परिवर्तन होगा उल्लेख करें।	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
29	यदि परिवर्तनीय हो तो, जिस लिखत में परिवर्तित होगा उसका जारीकर्ता जारीकर्ता जारीकर्ता का उल्लेख करें।	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
30	राइट डाउन विशेषता	हाँ	हाँ	हाँ	नहीं
31	यदि राइट डाउन हो तो, राइट डाउन ट्रिगर्स।	भा.रि.बैंक द्वारा निर्णित	भा.रि.बैंक द्वारा निर्णित	भा.रि.बैंक द्वारा निर्णित	भा.रि.बैंक द्वारा निर्णित
32	यदि राइट डाउन हो तो, पूर्णत: है या आंशिक	भा.रि.बैंक द्वारा निर्णित	भा.रि.बैंक द्वारा निर्णित	भा.रि.बैंक द्वारा निर्णित	भा.रि.बैंक द्वारा निर्णित
33	यदि राइट डाउन हो तो, वह स्थायी है या अस्थायी	भा.रि.बैंक द्वारा निर्णित	भा.रि.बैंक द्वारा निर्णित	भा.रि.बैंक द्वारा निर्णित	भा.रि.बैंक द्वारा निर्णित
34	यदि राइट डाउन हो तो, राइट अप तंत्र का विवरण	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
35	परिसमापन में सबऑर्डिनेशन व्यवस्था में स्थिति (लिखत से अधिमानी लिखत के प्रकार का तत्काल उल्लेख करें)	बैंक के अन्य सभी जमाकर्ता और उधारकर्ता	बैंक के अन्य सभी जमाकर्ता और उधारकर्ता	बैंक के अन्य सभी जमाकर्ता और उधारकर्ता	बैंक के अन्य सभी जमाकर्ता और उधारकर्ता
36	गैर-अनुपालित पारगमन विशेषता	अनुपालित	अनुपालित	अनुपालित	अनुपालित
37	यदि हाँ, तो कृपया गैर-अनुपालित विशेषताओं का उल्लेख करें	--	--	--	--

तालिका डीएफ -14 :

विनियामक पूंजी लिखतों के सम्पूर्ण निबंधन एवं शर्तें

➢ हमारे वेबसाइट पर विनियामक प्रकटन खंड के अंतर्गत पृथक प्रकटन ।

तालिका डीएफ : -15 :

पारिश्रमिक के लिए प्रकटन की आवश्यकता

निदेशक मण्डल और उच्चतम कार्यपालको के पारिश्रमिक का निर्णय भारत सरकार द्वारा लिया जाता है। इसके अतिरिक्त, पूर्णकालिक निदेशकों के लिए कार्यनिष्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना है। यह योजना स्टेटमेन्ट ऑफ इन्टेन्ट (एसओआई) के आधार पर बनाई गई है जो भारत सरकार द्वारा हस्ताक्षरित है।

तालिका डीएफ: -16 :

बैंकिंग बहियों के लिए इक्विटी का प्रकटन

(राशि ₹ मिलियन में)

	गुणात्मक प्रकटन	
1.	इक्विटी जोखिम से संबंधित सामान्य गुणात्मक प्रकटन आवश्यकता (इस अनुलग्नक का पैरा 2.1 जिसमें शामिल है :)	
	धारित जिस पर पूँजीगत लाभ अपेक्षित है और वे जो अन्य उद्देश्यों के लिए,धारित किए गए है के बीच अंतर जिसमें संपर्क और कार्यनीतिक कारण शामिल हैं; और	ट्रेजरी द्वारा इक्विटी में निवेश अलग-अलग उद्देश्यों से परिचालित होता है। एसोसिएट, सहायक,संयुक्त उद्यम और आरआरबी में किए गए सभी इक्विटी निवेश एचटीएम श्रेणी में वर्गीकृत हैं। इस प्रकार के निवेश परिपक्वता तक रखने के लिए प्राथमिक इरादे से किए जाते हैं। इसके अलावा, ट्रेजरी विभिन्न कंपनियों की इक्विटी में कार्यनीतिक निवेश भी करता है, जो एएफएस श्रेणी में बुक हैं। ऐसे निवेश शीघ्र निर्मित नहीं होते। ऐसे भी मामले हैं जहां ऋण आस्तियों को उधारकर्ता के इक्विटी में बदला जाता है, ऐसी कंपनियां एएफएस श्रेणी में वर्गीकृत है। आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार, ऐसे निवेश सभी विवेकपूर्ण सीमाओं की परिधि से बाहर रखे गए हैं। पूंजीगत लाभ के उद्देश्य से इक्विटी में निवेश को एचएफटी श्रेणी के अंतर्गत बुक किया है एवं बोर्ड द्वारा अनुमोदित निवेश नीति में निर्धारित हानि रोध सीमा के अध्यधीन है। एएफएस एवं एचएफटी में सभी इक्विटी निवेश मार्क टू मार्केट (एम.टी.एम.) के अध्यधीन है।
	बैंकिंग बही में इक्विटी धारिता के मूल्यांकन और लेखांकन की महत्वपूर्ण नीतियों पर विचार विमर्श। इसमें प्रयोग लेखांकन तकनीक और मूल्यांकन पद्धति शामिल है साथ ही मुख्य धारणाएं और मूल्यांकन प्रभावित करने वाली पद्धति के साथ इन पद्धतियों में परिवर्तन भी शामिल है।	इक्विटी धारिता के लेखांकन एवं मूल्यांकन के लिए, ट्रेजरी को मास्टर परिपत्र - 'बैंक द्वारा निवेश पोर्टफोलियो के वर्गीकरण, मूल्यांकन एवं परिचालन के लिए विवेकपूर्ण मानदण्ड' में दिये गए आरबीआई के दिशानिर्देश के साथ बोर्ड द्वारा अनुमोदित निवेश नीति द्वारा मार्गदर्शित किया जाता है। इन दिशानिर्देशों के अनुसार, बैंक बही में इक्विटी होल्डिंग में निवेश को मार्क टू मार्कट होना आवश्यक नहीं है तथा अधिग्रहण लागत पर कैरी किया गया है। इक्विटी निवेश के मूल्य में क्षणिक को छोडकर यदि कोई ह्रास होता है। एच.टी.एम. श्रेणी में निवेश की बिक्री से कोई हानि,लाभ एवं हानि खाते में दर्ज की जाती है तथा बाद में कर को हटाकर आरक्षित पूंजी तथा वैधानिक पूंजी में विनियोजित की जाती है। लागत में शामिल ब्रोकरेज, कमीशन, प्रतिभूत संव्यवहार कर, आदि इक्विटी निवेश के अधिग्रहण पर भुगतान किया गया । इक्विटी निवेश को स्वीकार करने के लिए ट्रेजरी, ट्रेड डेट लेखांकन नीति बनाए रखता है।
	मात्रात्मक प्रकटन	
1.	निवेश के तुलन पत्र में प्रकट किए गए मूल्य के साथ-साथ उन निवेशों का उचित मूल्य, उद्धत शेयर मूल्य से तुलना जहां शेयर मूल्य भौतिक रूप से उचित मूल्य से भिन्न है।	
	निवेश का बही मूल्य	18401.44
	तुलन पत्र के अनुसार बही मूल्य	18149.18
2.	निवेश के प्रकार और प्रकृति, जिसमें निम्नानुसार श्रेणीकृत की जाने वाली राशि शामिल है :	
	- सार्वजनिक रूप से व्यापार ;	
	- निजी रूप से धारित	18149.18

3.	रिपोर्टिंग अवधि में बिक्री और परिसमापन से उत्पन्न संचयी प्राप्त लाभ (हानि).	
4.	कुल अप्राप्य लाभ (हानि) 13	
5.	कुल प्रकट पुनर्मूल्यांकन लाभ (हानि)14	
6.	उपरोक्त में से कोई राशि टियर 1 और/या टियर 2 पूंजी में शामिल	
7.	उचित इक्विटी समूहन द्वारा विघटित पूंजी आवश्यकताएं, बैंक की पद्धति के साथ समनुरूप के साथ-साथ संकलित राशि और इक्विटी निवेशों का प्रकार बशर्ते कि पर्यवेक्षी ट्रैन्जिशन या विनियामक पूंजी आवश्यकताओं से संबंधित प्रावधान की देखभाल।	लागू नहीं

तालिका डीएफ 17

लेखांकन आस्तियां बनाम लीवरेज अनुपात एक्सपोज़र उपाय का सारांश यथा 31.03.2023 (समेकित स्थिति)

	मद	(राशि ₹ मिलियन में)
1	प्रकाशित वित्तीय विवरण के अनुसार कुल समेकित आस्तियाँ	82,60,357.50
2	बैंकिंग, वित्तीय, बीमा और वाणिज्यिक संस्थाओं में निवेश के लिए समायोजन जिसका लेखांकन उद्देश्य के लिए समेकन किया जाता है लेकिन विनियामक समेकन की सीमा के बाहर है।	(981.70)
3	परिचालन लेखा संरचना के अनुसरण में तुलन पत्र में मान्यता प्राप्त प्रत्ययी आस्तियों के लिए समायोजन लेकिन लीवरेज अनुपात एक्सपोज़र उपाय में शामिल नहीं	-
4	व्युत्पन्न वित्तीय लिखतों के लिए समायोजन	9,588.62
5	प्रतिभूतियों के वित्तपोषण संव्यवहार के लिए समायोजन (अर्थात रेपो और समान प्रतिभूत उधार)	301.67
6	तुलन पत्र बाहय मदों के लिए समायोजन (अर्थात् तुलन-पत्र बाह्य एक्सपोजर के क्रेडिट समतुल्य राशि में परिवर्तन)	3,48,421,78
7	अन्य समायोजन	(-) 32,022.77
8	लीवरेज अनुपात एक्सपोज़र	85,85,665.10

तालिका डीएफ -18:

लीवरेज अनुपात सामान्य प्रकटन टैंपलेट

	मद	लीवरेज अनुपात संरचना (₹ मिलियन में)
	तुलन पत्र के एक्पोज़र	
1	तुलन पत्र के अंदर के मद (डेरिवेटिव और एसएफटी छोड़कर, लेकिन संपार्श्विक शामिल)	82,60,055.83
2	(बासेल III टियर 1 पूंजी निर्धारण में आस्ति राशि घटाई गई)	(-)32,702.80
3	तुलन-पत्र पर कुल एक्सपोज़र (डेरिवेटिव और एसएफटी छोड़कर) (पंक्ति 1 और 2 का जोड़)	82,27,353.03
डेरिवेटिव एक्सपोज़र		
4	सभी डेरिवेटिव संव्यवहारों के साथ सम्बद्ध प्रतिस्थापन लागत (अर्थात योग्य नकद अंतर मार्जिन का निवल)	1,574.58
5	सभी डेरिवेटिव संव्यवहारों के साथ सम्बद्ध पीएफई के लिए एड ऑन राशि	8,014.04
6	परिचालन लेखा संरचना के अनुसरण में तुलन-पत्र आस्ति से घटाये जाने पर दिए गए डेरिवेटिव संपार्श्विक के लिए ग्रॉस अप	

	मद	लीवरेज अनुपात संरचना (₹ मिलियन में)
7	(डेरिवेटिव संव्यवहार में दिए गए नकद अंतर मार्जिन के लिए प्राप्य आस्तियों में कमी)	
8	(ग्राहक का छूट प्राप्त सीसीपी लेग - स्पष्ट व्यापार एक्सपोज़र)	
9	लिखित क्रेडिट डेरिवेटिव से समायोजित प्रभावी अनुमानित राशि	
10	(लिखत क्रेडिट डेरिवेटिव के लिए समायोजित प्रभावी अनुमानित ऑफ सेट और एड ऑन घटाना)	
11	**कुल डेरिवेटिव एक्सपोज़र (लाइन 4 से 10 का जोड़)**	**9,588.62**
संव्यवहार एक्सपोज़र वित्तपोषित प्रतिभूतियां		
12	सकल एसएफटी आस्ति (नेटिंग को मान्यता दिए बिना), बिक्री लेखा संव्यवहारों के लिए समायोजन के बाद	301.67
13	(सकल एसएफटी आस्तियों के नकद देय और नकद प्राप्य का निवल राशि)	-
14	एसएफटी आस्तियों के लिए सीसीआर एक्सपोज़र	-
15	एजेंट संव्यवहार एक्सपोज़र	-
16	कुल प्रतिभूति वित्तपोषित संव्यवहार (पंक्ति 12 से 15 का जोड़)	301.67
अन्य तुलन-पत्र बाह्य एक्सपोज़र		
17	सकल अनुमानित राशि पर तुलन पत्र बाह्य एक्सपोज़र	9,95,946.63
18	(क्रेडिट समतुल्य राशि के परिवर्तन के लिए समायोजन)	(-)6,47,524.85
19	तुलन पत्र से बाह्य मदें (पंक्ति 17 और 18 का जोड़)	3,48,421.78
पूंजी और कुल एक्सपोज़र		
20	टियर 1 पूंजी	5,39,527.93
21	कुल एक्सपोज़र (पंक्ति 3, 11, 16 और 19 का जोड़)	85,85,665.10
लीवरेज अनुपात		
22	बासेल III लीवरेज अनुपात	6.28%

Basel III (Pillar 3) - Disclosures (Consolidated) March,2023

Table DF 1
Scope of Application

Name of the top bank in the group to which the Framework applies- BANK OF INDIA

Qualitative Disclosures

a. List of group entities considered for consolidation

Name of the entity/Country of incorporation	Whether the entity is included under accounting scope of consolidation (yes / no)	Explain the Method of consolidation	Whether the Entity is included under regulatory scope of consolidation yes / no)	Explain the Method of consolidation	Explain the reasons for difference in the method of consolidation	Explain the reasons if consolidated under only one of the scopes of consolidation
Bank of India New Zealand Ltd	Yes	Subsidiary	Yes	Subsidiary	NA	NA
Bank of India(Uganda) Ltd	Yes	Subsidiary	Yes	Subsidiary	NA	NA
Bank of India (Tanzania) Ltd	Yes	Subsidiary	Yes	Subsidiary	NA	NA
PT Bank of India Indonesia, TBK	Yes	Subsidiary	Yes	Subsidiary	NA	NA
BOI Shareholding Ltd	Yes	Subsidiary	Yes	Subsidiary	NA	NA
BOI Star Investment Managers Pvt Ltd	Yes	Subsidiary	Yes	Subsidiary	NA	NA
BOI Star Trustee Services Pvt Ltd	Yes	Subsidiary	Yes	Subsidiary	NA	NA
BOI Merchant Bankers Ltd	Yes	Subsidiary	Yes	Subsidiary	NA	NA
Star Union Dai-Ichi Life Insurance Company Ltd	Yes	Joint Venture	No	Joint Venture	NA	NA
STCI Finance Ltd	Yes	Associate	Yes	Associate	NA	NA
ASREC (India) Ltd	Yes	Associate	Yes	Associate	NA	NA
Indo Zambia Bank Ltd	Yes	Associate	Yes	Associate	NA	NA
RRB Vidharbha Konkan Gramin Bank	Yes	Associate	Yes	Associate	NA	NA
RRB Aryavart Bank	Yes	Associate	Yes	Associate	NA	NA
RRB Madhya Pradesh Gramin Bank	Yes	Associate	Yes	Associate	NA	NA

b. List of group entities not considered for consolidation both under the accounting and regulatory scope of consolidation

There are no group entities that are not considered for consolidation under both the accounting scope of consolidation and regulatory scope of consolidation.

III. Quantitative Disclosures:

c. List of group entities considered for consolidation

Name of the entity / country of incorporation	Principle activity of the entity	Total balance sheet equity & reserves (as stated in the accounting balance sheet of the legal entity) (Equity + Reserve) (Rs Mn)	Total balance sheet assets (as stated in the accounting balance sheet of the legal entity) (Rs Mn)
Bank of India (New Zealand) Ltd	Banking	3,137.54	7,470.51
Bank of India (Uganda) Ltd	Banking	1,287.34	6,767.32
Bank of India (Tanzania) Ltd	Banking	1,535.21	5,044.21
PT Bank of India Indonesia, TBK	Banking	11,211.57	33,803.77
BOI Shareholding Ltd	Clearing & Settlement of Stock Exchange	267.33	286.22
BOI Star Investment Managers Pvt Ltd	Assets Management	528.44	600.59
BOI Star Trustee Services Pvt Ltd	Trusteeship Services	0.57	1.57
BOI Merchant Bankers Ltd	Merchant Banking services	208.96	221.18
Star Union Dai-Ichi Life Insurance Company Ltd	Life Insurance	10,618.29	1,97,271.48
STCI Finance Ltd	NBFC- NDSI	24,935.40	1,85,970.05
ASREC (India) Ltd	Assets Recovery Company	1,930.29	2,688.40
Indo Zambia Bank Ltd	Banking	8,143.45	56,231.22
RRB Vidharbha Konkan Gramin Bank	Banking	1,769.37	77,338.65
RRB Aryavart Bank	Banking	25,483.22	3,98,014.40
RRB Madhya Pradesh Gramin Bank	Banking	12,683.61	2,41,876.31

d. The aggregate amount of capital deficiencies in all subsidiaries which are not included in the regulatory scope of consolidation i.e. that are deducted:

There is no deficiency of capital in the subsidiaries.

e. The aggregate amounts (e.g. current book value) of the bank's total interests in insurance entities, which are risk-weighted:

Name of the insurance entities / country of incorporation	Principle activity of the entity	Total Balance Sheet equity (as stated in the accounting balance sheet of the legal entity) ₹ Mn	% of bank's holding in the total equity / proportion of voting power	Quantitative impact on regulatory capital of using risk weighting method versus using the full deduction method (₹ Mn)
Star Union Dai-Ichi Life Insurance Company LTD	Life Insurance	3,389.64	28.96	2,454.00 (Risk weight 250%)

f. Any restrictions or impediments on transfer of funds or regulatory capital within the banking group are as governed by RBI.

Table DF - 2
Capital Adequacy

i. Qualitative disclosures:

a. A summary discussion of the bank's approach to assessing the adequacy of its capital to support current and future activities.

1. Bank of India:

The Bank carries out regular assessment of its Capital requirements from time to time reviewed on an annual basis to take care of the future growth in business, capital requirements, policy guidelines, macro-economic scenarios, risk appetite etc. The Bank has also developed Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP) to comprehensively address all risks and maintain necessary additional capital.

2. PT Bank of India Indonesia Tbk (Subsidiary):

In accordance with Regulation of Bank in Indonesia, Bank's Tier-1 Capital should be minimum IDR 3 trillion in order to run foreign exchange business.

3. Bank of India (Tanzania) Ltd and Bank of India (Uganda) Ltd - Subsidiary:

Capital adequacy and the use of regulatory capital are monitored regularly by the Bank's Management, employing techniques based on the guidelines developed by the Basel Committee, as implemented by the Bank of Tanzania (BOT) and Bank of Uganda (BOU), for supervision purposes. The required information is filed with the BOT and BOU, the local regulators on a quarterly basis. IFRS- 9 has been implemented with effect from 1st January, 2018.

The bank's regulatory capital as managed by its management is divided into two tiers:

Tier 1 Capital: - Share capital and Retained Earnings, Deferred Charges, Statutory Reserves, and General Provisions are deducted in arriving at Tier 1 Capital.

Tier 2 Capital: - Qualifying subordinate loan capital, collective impairment allowances and unrealized gains arising on the fair valuation of equity instruments held as available for sale.

The risk-weighted assets are ensured by means of a hierarchy of five risk weights classified according to the nature and reflecting an estimate of credit, market and other risks associated with each asset and counterparty, taking into account any eligible collaterals or guarantees. A similar treatment is adopted for off- balance sheet exposure, with some adjustments to reflect the more contingent nature of the potential losses.

4. Bank of India (New Zealand) Ltd (Subsidiary):

Capital adequacy and the use of regulatory capital are monitored regularly by the Bank's Management, employing techniques based on the guidelines of the Reserve Bank of New Zealand (RBNZ), for supervision purposes. The required information is disclosed in General Disclosure Statement on quarterly basis. The bank's regulatory capital as managed by its management solely consists of Tier 1 Capital

Tier 1 capital: - Share capital, retained earnings and reserves created by appropriation of retained earnings

The risk-weighted assets are ensured by means of a hierarchy of five risk weights classified according to the nature and reflecting an estimate of credit, market and other risks associated with each asset and counterparty, taking into account any eligible collaterals or guarantees. A similar treatment is adopted for off-balance sheet exposure.

ii. Quantitative disclosures:-

Amount in ₹ Mn

Capital requirements for Credit Risk (#):	274369.22
Portfolios subject to standardized approach	
Securitisation exposures	Nil
Capital requirements for Market Risk: Standardized duration approach: (#)	14,867.50
Interest rate risk	8363.48
Foreign exchange risk (including gold)	2733.75
Equity risk	3770.28
Capital requirements for Operational Risk (#): Basic Indicator Approach The Standardized Approach (if applicable)	33,442.43
Common Equity Tier 1, Tier 1 and Total Capital ratios: (For the top consolidated group)	0.00
Common Equity Tier 1 Capital (CET 1)	14.25%
Tier 1 Capital (T 1)	15.05%
Total Capital Ratio	16.91%
# Capital requirement is calculated at Minimum Regulatory Requirement @ 9% of RWA.	

Table DF 3 - Credit risk
General disclosures for all banks

i. Qualitative Disclosures

a. The general qualitative disclosure requirement with respect to credit risk, including:

- **Definition of past due and impaired (for accounting purposes)**

1. BANK OF INDIA

The Bank follows Reserve Bank of India regulations, which are summed up below:

1.1 Non-performing Assets

An asset, including a leased asset, becomes non-performing when it ceases to generate income for the bank.

A non-performing asset (NPA) is a loan or an advance where;

➢ Interest and/ or installment of principal remain overdue for a period of more than 90 days in respect of a term loan,

➢ the account remains 'out of order' as indicated below, in respect of an Overdraft/Cash Credit (OD/CC),

- The bill remains overdue for a period of more than 90 days in the case of bills purchased and discounted,
- The installment of principal or interest thereon remains overdue for two crop seasons for short duration crops,
- The installment of principal or interest thereon remains overdue for one crop season for long duration crops.
- The amount of liquidity facility remains outstanding for more than 90 days, in respect of a securitization transaction undertaken in terms of guidelines on securitization dated February 1, 2006.
- Bank should classify an account as NPA only if the interest charged during any quarter is not serviced fully within 90 days from the end of the quarter.
- A loan for infrastructure/non-infrastructure project will be classified as NPA during any time before commencement of commercial operations as per record of recovery (90 days overdue) unless it is restructured and becomes eligible for classification as "Standard Asset"
- A loan for an infrastructure project will be classified as NPA if it fails to commence commercial operations within two years from original DCCO, even if it is regular as per record of recovery, unless it is restructured and becomes eligible for classification as "Standard Asset"
- A loan for a non-infrastructure project will be classified as NPA if it fails to commence commercial operations within twelve months from original DCCO, even if it is regular as per record of recovery, unless it is restructured and becomes eligible for classification as "Standard Asset"

1.2 'Out of Order' status:

An account is treated as 'out of order' if the outstanding balance remains continuously in excess of the sanctioned limit/drawing power. In cases, where the outstanding balance in the principal operating account is less than the sanctioned limit/drawing power, but there are no credits continuously for 90 days as on the date of Balance Sheet or credits are not enough to cover the interest debited during the same period, these accounts are treated as 'out of order'.

1.3 Overdue:

Any amount due to the bank under any credit facility is 'overdue' if it is not paid on the due date fixed by the bank.

1.4 Non Performing Investments:

In respect of securities, where interest/ principal is in arrears, the Bank does not consider depreciation in the value of the investment.

A non-performing investment (NPI), similar to a non-performing advance (NPA), is one where:

- Interest/ installment (including maturity proceeds) is due and remains unpaid for more than 90 days.
- This applies mutatis-mutandis to preference shares where the fixed dividend is not paid.
- In the case of equity shares, in the event the investment in the shares of any company is valued at Re.1 per company on account of the non-availability of the latest balance sheet in accordance with the Reserve Bank of India instructions, those equity shares are also reckoned as NPI.
- Any credit facility availed by the issuer is NPA in the books of the bank, investment in any of the securities issued by the same issuer is treated as NPI and vice versa.
- The investments in debentures / bonds, which are deemed to be in the nature of advance, are subjected to NPI norms as applicable to investments.

2.0 PT Bank of India Indonesia Tbk (Subsidiary):

The Credit Quality is assessed based on the factors such as business prospects, performance of the debtor and repayment capacity. It is undertaken depending upon the materiality and significance of each assessment factor and components and the relevance of the assessment factors and components to the characteristics of the debtor concerned. Accordingly, the assets are classified into current, special mention, sub-standard, doubtful and loss category.

"Assets" are classified into Earning Assets and Non-earning Assets. Earning Assets are provision of funds by a bank to earn revenues. "Non-Earning Assets" are assets of the Bank other than Earning Assets with potential for Loss.

An asset becomes non-performing when it ceases to generate revenue for the bank. A non-performing asset is a loan or an advance where the arrears in principal and / or interest exceed 90 days.

Past due: Any amount due to the bank under any credit facility is "past due" if it is not paid on the due date fixed by the bank.

In 2010, PT Bank of India Indonesia Tbk started implementation of the New Accounting Policy i.e. PSAK 50 & 55 which is similar to the International Accounting Standards IAS 32 & 39 according to which the financial asset must be presented at the fair value. During the implementation of PSAK 50 & 55, Bank Indonesia issued the guidelines that if the bank does not maintain historical loss data, during the transition period i.e. until the year 2011, it can compute the financial asset impaired as described above. We are now in progress to integrate PSAK 71 calculation into bank's core banking, which is in line with our business plan that is up-gradation technology.

Outstanding Loans and advances reviewed by quantitative approach are classified as follows:

No of Days Past Due	Classification	Provisioning
90-120	Substandard	15%
120-180	Doubtful	50%
180 and More	Loss	100%

3. Bank of India (New Zealand) Ltd, Bank of India (Tanzania) Ltd, and Bank of India Uganda

Credit risk is a risk of financial loss to the bank, if a customer or counterparty to a financial instrument fails to meet its contractual

obligations and arises principally from the bank's loans and advances to customers and other banks, and investment debt securities.

The Board of Directors has delegated responsibility for the oversight of credit risk to its Credit committee. The credit department of the bank, reporting to the Credit committee is responsible for management of the bank's credit risk, including:-

- Formulating credit policies covering collateral requirements, credit assessment, risk grading and reporting, documentary and legal procedures, and compliance with regulatory and statutory requirements.
- Establishing the authorization structure for approval and renewal of credit facilities. The credit limits are governed by the Credit policy, as approved by the board.
- Reviewing and assessing credit risks.
- Limiting concentrations of exposure to counterparties, geographies and industries (for loans and advances).

3.1 Definitions of Past Due and Impaired (for accounting purposes):

Overdrafts and other credit facilities without specific due dates shall be considered past due if:

- Exceeds the customer's borrowing limit.
- Customers borrowing limit is expired.
- Deposits are insufficient to cover the interest calculated and due for the period
- Bill has been dishonoured
- Bill or account is not paid on due date
- Loans which are payable in instalments are considered as past due in their entirety if any of the instalments have become due and unpaid for thirty days or more.

4.0 Bank of India (New Zealand) Ltd:

Outstanding Loans and advances reviewed by quantitative approach are classified as follows

No of Days Past Due	Classification	Provisioning
91-180	Substandard	As per NZ IFRS 9
181-270	Doubtful	As per NZ IFRS 9
271 and More	Loss	As per NZ IFRS 9

5.0 Bank of India (Tanzania) Ltd:

Outstanding Loans and advances reviewed by quantitative approach are classified as follows:

No of Days Past Due	Classification	Provisioning
30-90	Especially Mentioned	3%
91-180	Substandard	20%
181-360	Doubtful	50%
361 and More	Loss	100%

6.0 Bank of India Uganda

Outstanding Loans and advances reviewed by quantitative approach are classified as follows:

No of Days Past Due	Classification	Provisioning
91-179	Substandard	20%
180-365	Doubtful	50%
365 and more	Loss	100%

b. Discussion of the Bank's Credit Risk Management Policy:

A. Bank of India:

- In a bank's portfolio, losses stem from outright default due to inability or unwillingness of a customer or counterparty to meet commitments in relation to lending, trading, settlement and other financial transactions or from reduction in portfolio value arising from actual or perceived deterioration in credit quality.
- Against this backdrop a robust risk management framework is necessary for the long-term financial health of a bank. Credit Risk Management encompasses identification, measurement, monitoring and control of the credit risk exposures.
- The Bank has identified various types of credit risk at a generic level in the Credit Risk Management policy. More granular identification is done at the product /process level. Various risks are looked into before introducing new products/processes, which are cleared from the risk angle.
- The Credit Risk Management framework outlined in the policy is built on three distinct building blocks namely Policy & Strategy, Organizational Set up and Operations/ Systems.

i) Policy and Strategy:

The Bank has been following a conservative risk philosophy, which has steered the bank through difficult times. However the Bank has an open policy regarding new and unexplored areas and new opportunities are not lost sight of. The important aspects of this philosophy are embodied in the circulars and are periodically codified in the form of Manual of Instructions.

The business objectives and the strategy of the Bank is decided taking into account the profit considerations, the level of various risks faced, level of capital, market scenario and competition. The Bank is always conscious of its asset quality and earnings and hence judiciously matches profit maximization with risk control.

The Credit Risk Management policy and significant credit risk related policies like Credit Policy, and Credit Monitoring Policy are approved and periodically reviewed by the Board of Directors. The Credit Policy covers various areas of credit like Clientele, Marketing, Segmented Approach to Lending, Credit Delivery, Credit Thrust, Tenure of Credit, Credit Acquisition, Risk Rating (including risk acceptance criteria), Pricing, Credit appraisal, Assessment of Limits, Exposure Norms, Industry Norms, Collateral and Margins, Review of Relationship, Scheme of Delegation, Statutory and other Restrictions and

Documentation. Credit Policy for International Operations is in place and each center has its own credit policy dovetailed to the main policy. The delegation of powers for credit matters is covered by a separate policy. In addition Credit Risk is tracked and monitored as per the Credit Monitoring Policy. Restructuring Policy, Write Off and Recovery Policy, Asset Classification and Provisioning Policy, Bank Exposure Policy, Country Risk policy and Credit Audit Policy are also in place. Investments are contracted as per the policy guidelines laid down in the Investment Policy and after clearance by the Investment Committee.

ii) **Organizational Set up:**

The organizational structure of the Bank for Credit Risk Management function has the Board of Directors at the Apex levels that have the overall oversight of management of risks. The Risk Management Committee of the Board (R. Com) which is the sub-committee of the Board headed by the MD & CEO and whose members also include heads of Credit, Market & Operational Risk Management Committees, devises the policy and strategy for integrated risk management including credit risk. At the operational level the Credit Risk Management Committee (CRMC) manages the credit risk. The main functions includes implementation of credit risk management policy approved by the Board, monitoring credit risk on a bank wide basis, recommending to the board for its approval all policies relating to credit matters including delegation of credit, prudential limits on large credit exposures, portfolio management, etc.

The Risk Management Department headed by the Chief Risk Officer of Chief General Manager rank, measures, controls and manages credit risk on bank wide basis within the limits set by the Board and enforces compliance with risk parameters set by Board/R. Com/M.Com. The Credit Monitoring Department headed by a General Manager, monitors the quality of loan portfolio, identifies problems and takes steps to correct deficiencies. Loan review / credit audit is undertaken by the Credit Audit function.

iii) **Operations/Systems/Processes**

The Bank has proactive Credit Risk Management practices like consistent standards for the credit origination, maintenance and documentation for all credit exposures including off balance sheet items, periodic individual obligor reviews, periodic inspections and collateral management systems.

Credit risk limits including obligor limits and concentration limits by industry, systems and procedures for monitoring financial performance of customers and for controlling outstanding within limits are followed. Checks and balances are in place for extension of credit viz. separation of credit risk management from credit sanction, vetting of new products and systems from risk angle by the CRMC, multiple credit approvers, system of assigning risk rating, vetting of ratings, mechanism to price facilities depending on the risk grading of the customer, Credit Risk Evaluation committee for vetting credit proposals from risk angle, credit process audit, post sanction pre disbursement review and post sanction review systems and an independent audit and risk review function.

Proposals for investments are subjected to credit risk analysis, detailed appraisal and rating. As a matter of entry level, minimum ratings/quality standards, industry, maturity, duration, issue-wise limits are stipulated for investments to mitigate the adverse impact of concentration and risk of liquidity. Investment exposure is taken into consideration while computing exposure to a customer/group. A suitable framework is in place to provide a centralized overview on the aggregate exposure on other banks and half-yearly reviews are undertaken at a single point. The country exposures are monitored on half yearly basis.

A diversified portfolio of risk assets is maintained and a system to conduct regular analysis of the portfolio so as to ensure on going control of risk concentrations is in place. A conservative policy for provisioning in respect of non-performing advances is followed. Management Information System (MIS) is being upgraded with introduction of Credit Risk Management System, which would enhance the capabilities of the bank to manage and measure the credit risk inherent in all on- and off-balance sheet activities.

iv) **The following tools are used for credit risk management/ mitigation –**

➢ **Credit Approving Authority – Delegation of Powers:**

The Bank has a well-defined scheme of risk based delegation of powers with a multi-tier risk based approving system, which is reviewed periodically and revised as and when necessary to meet the compulsions of business environment.

The delegation of powers is linked to the rating of the borrower with powers for sanction of higher limits to better-rated customers. At present, all credit proposals falling within the delegated authority of the NBGLCC and above are being routed through the “Credit Risk Evaluation Committee (CREC)” to bring in an element of independence and off-site evaluation of risks perceived in credit proposals. The CRO, who has no volume or profit targets, is mandatory member of the CREC.

As per Ministry of Finance Guidelines, Credit Committees with sanctioning powers have been formed at various administrative levels to exercise delegation of powers. At Head Office level, three credit committees (SMELCC I&II/ SMEUCC/HLCC-I/HLCC-II/EDLCC/CAC, and M.Com) are functioning to deal with proposals falling beyond the delegated powers of the field functionaries. Such Credit Committees (SZLCC/ZLCC/NBGLCC) have also been set-up at Zonal Office/NBG office for considering the credit proposals falling within their powers.

➢ **Prudential Limits:**

Prudential limits on various aspects of credit/investment like Single/Group borrower limits for various types of borrowers are in place.

➢ **Risk Rating/Pricing:**

The bank has introduced rating models for various segments, which serve as a single point indicator of diverse risk factors of a counter party and support credit and pricing decisions.

➢ **Credit Audit/Loan Review Mechanism (LRM):**

Credit Audit/LRM is an effective tool for constantly evaluating the quality of loan book and to bring about qualitative improvements in credit administration

v) **Risk Measurement:**

At present Credit Risk is assessed through Risk rating at the individual level and through Risk Weighting of the assets at the portfolio level and capital is maintained based on Risk Weights. The Bank has migrated to the Standardized approach under the New Capital Adequacy Framework (Basel II), effective 31st March 2008.

vi) **Risk Reporting System:**

All credit related policies are cleared by the CRMC (which is the operational level committee for credit risk) before submission to the appropriate authorities for approval. Various Credit Related reporting's submitted to CRMC to enable proper monitoring.

vii) **Risk Review:**

Audit –Credit Risk Management Systems procedures and Tools are also subjected to internal audit for ensuring effectiveness.

viii) **Measures for follow up of Special Mention Accounts (SMA) / NPA Accounts**

The various means of monitoring / resolving NPAs undertaken by the Banks are listed below:

I. Before the account becoming NPA [Special Mention A/c (SMA)]:

a. Close monitoring for compliance of sanction terms to maintain asset quality.

b. Reminders are sent promptly whenever irregularities are observed.

c. To recover overdues quickly to ensure that account does not slip to NPA category.

d. Periodic inspection of the unit and charged assets along with analysis of financial data.

e. To restructure the dues before accounts become NPAs. Remedial action includes enhancement of moratorium period, funding of interest, and deferment of installments.

II. After the account becoming NPA:

a. Appropriation of liquid securities (TDR, shares, margin money etc.) and pledged goods, to reduce outstanding.

b. Disposal of other securities, with the co-operation of borrowers.

c. Compromise and settlement of dues through negotiation.

d. Re-calling the advance.

e. Filing suit in Court– Execution of decree.

f. After all the chances of recovery of dues are exhausted, account is written off of the balance dues.

B. **PT Bank of India Indonesia Tbk (Subsidiary):**

PT Bank of India Indonesia Tbk has established a Risk Management Committee (RMC) and the Risk Management Unit (RMU) which is independent of the Operational Unit and the Internal Audit Unit ("Internal Audit") in the hope of overall risk management can be integrated, targeted, coordinated and sustainable. Furthermore, to monitor the effectiveness of implementation of tasks RMC and RMU, the Bank established a Risk Monitoring Committee which is directly responsible to the Board of Commissioners.

The Bank has managed 8 (eight) types of risk according to Bank of Indonesia which are credit risk, liquidity risk, market risk, operational risk, compliance risk, legal risk, reputation risk and strategic risk. Banks also create risk profiles which can broadly map the activity that has risks as well as potential risks that disrupt the Bank business continuity. Assessment of risk type is a combination of the risks inherent in any functional activity (inherent risk) and risk control systems.

The Bank is selective in approving new credits and maintains higher loan provisions than that required by the Regulator. In collateral based lending, hair cut is applied to the value of collateral. The Risk Manager of the bank reports to the Director Compliance. Risk Management Unit (RMU) supervises/ has oversight of the credit approval process.

C. **Bank of India (Tanzania) Ltd, Bank of India (New Zealand) Ltd, and Bank of India (Uganda) Ltd:**

Monthly interest application has become a useful tool to tackle potential delinquencies or defaults in standard accounts. To retain the asset quality, the Bank has adopted the following policy, Branches should promptly act and:

➢ Recover the overdue through active follow up with borrowers;

➢ Put the accounts under holding on operations in case of temporary cash flow mismatches;

➢ Reschedule the repayment terms as per expected cash flows;

➢ Restructure the dues in keeping with the expected cash flows and gaps in cash flows, if any as per guidelines given in the restructuring policy.

Any one or more of the above actions are taken by the Bank before the account becomes NPA.

ii. Quantitative Disclosures:

a. The total gross credit exposures is:

(₹ In Mn)

Category	Amount
Fund Based	56,24,016.25
Non Fund Based*	5,18,693.10
TOTAL	**61,42,709.35**

**Excluding Credit Equivalent of Derivatives*

b. The geographic distribution of exposure is:

(₹ In Mn)

	Domestic	Overseas	Global
Fund Based	47,05,239.10	8,90,239.56	55,95,478.66
Non Fund Based	4,15,005.30	1,02,844.72	5,17,850.02

c. Industry type distribution of exposure (Fund Based & Non Fund Based) is as under:

(₹ in Mn.)

Industry Name	O/S Fund Based	O/S NFB
Coal	6,169.83	1,345.60
Mining	45,037.25	6,760.80
Iron & Steel	1,23,862.39	64,637.70
Other Metal & Metal Products	4,957.45	355.20
All Engineering	44,605.76	25,775.54
Of which Electronics	2,894.72	252.30
Cotton Textiles	22,665.39	3,240.60
Jute Textiles	1,206.99	225.50
Other Textiles	35,058.43	3,966.87
Food Processing	46,791.83	8,662.68
Of which Vegetable Oil & Vanaspati	4,815.42	6,370.58
Of Which Sugar	16,185.22	103.00
Of Which Other Food Processing	25,787.95	2,189.10
Of Which Tea	3.23	0.00
Tobacco & Tobacco Products	187.67	0.00
Paper & Paper Products	12,015.69	426.70
Rubber & Rubber Products	30,872.49	6,807.50
Chemical, Dyes, Paints etc.	65,048.06	17,014.44
Of which Fertilisers	25,324.52	4,056.06
Of which Petro-chemicals	6,425.95	3,357.08
Of which Drugs & Pharmaceuticals	19,451.38	7,934.93
Of which others	13,846.21	1,666.37
Cement	10,421.09	1,476.60
Leather & Leather Products	6,094.03	79.42
Gems & Jewellery	50,274.38	206.80
Construction	39,620.88	33,244.99
Petroleum	2,01,627.74	5,487.40
Automobiles including Trucks	15,098.79	4,316.42
Infrastructure	5,21,772.29	66,107.72
Of which Power (including Electricity)	3,80,962.87	42,581.16
Of which Telecommunications	2,719.99	581.96
Of which Roads & Ports	1,38,089.43	22,944.60
Other Industries	25,221.75	1,242.14
Residuary Other Advances		
(to balance with Gross Adv.)	43,57,117.12	2,92,835.72
Total	**56,24,016.25**	**5,18,693.10**
Exposure to Infra Sector at 9.3% which doesn't exceeds 5% of total fund based advances		
Exposure to Infra Sector at 12.74% exceeds 5% of total non-fund based outstanding.		

d. The residual contractual maturity break down of assets is:

(₹ in Mn.)

	Advances	Investments	F. C. Assets
Day 1	1,24,342.56	0.00	21,272.10
2 to 7 days	65,289.99	26,842.87	88,120.40
8 to 14 days	56,783.94	2,410.80	34,557.47
15 to 30 days	63,842.31	10,608.39	1,39,635.65
31 Days & upto 2 months	1,19,440.95	35,467.63	1,13,380.41
> 2 months & upto 3 months	1,28,269.99	26,604.53	1,91,250.70
>3 months & upto 6 months	2,23,673.54	58,767.44	1,68,431.77
Over 6 months & upto 1 year	2,69,524.31	40,310.26	2,02,113.63
Over 1 year & upto 3 years	19,62,825.10	1,47,283.41	2,23,617.04
Over 3 years & upto 5 years	5,95,324.22	2,50,290.43	2,08,897.80
Over 5 years	12,77,488.39	1,91,910.27	68,512.20
Total	**48,86,805.30**	**20,49,372.40**	**14,59,789.17**

e. The Gross NPAs (Conso) are:

(₹ in Mn.)

Category	
Sub Standard	50,506.69
Doubtful – 1	30,612.54
Doubtful – 2	57,903.63
Doubtful – 3	62,808.18
Loss	1,76,628.60
Total	**3,78,459.65**

f. The amount of Net NPAs is ₹ 81,416.52 Mn.

g. The NPA ratios are as under:

- Gross NPAs to Gross Advances: 6.16%.
- Net NPAs to Net Advances:1.67%.

h. The movement of Gross NPA is as under:

(₹ in Mn.)

i) Opening balance at the beginning of the year	4,57,388.20
ii) Additions during the year	82,111.91
iii) Reductions during the year	-1,61,040.46
iv) Closing balance at the end of the year (i+ii-iii)	3,78,459.65

i. The movement of provision for NPAs is as under:

(₹ in Mn.)

i) Opening balance at the beginning of the year	3,38,473.24
ii) Provisions made during the year	66,141.05
iii) Write-off/write-back of excess provisions	1,27,991.56
iv) Closing balance at the end of the year (i+ii-iii)	2,76,622.73

j. The amount of Non-Performing Investment is ₹ 30,166.02 Mn.

k. The amount of provision held for Non-Performing Investment is ₹ 30,166.02 Mn.

l. The movement of provisions for depreciation on investments is as under:

(₹ in Mn.)

i) Opening balance at the beginning of the year	50,816.09
ii) Provisions made during the year	18,956.13
iii) Write-off/write-back of excess provisions	28,163.34
iv) Exchange Difference	--
v) Closing balance at the end of the year (i+ii-iii+iv)	41,608.88

m. NPA and Provisions maintained by Major Industry or Counterparty type for Bank of India:

(₹ in Mn.)

Industry Name	NPA	Provision
Coal	0.00	0.00
Mining	467.60	151.20
Iron & Steel	9,303.20	6,644.50
Other Metal & Metal Products	2,104.20	1,631.00
All Engineering	5,999.50	3,684.30
Of which Electronics	334.90	241.70
Electricity	0.00	0.00
Cotton Textiles	7,615.40	5,262.90
Jute Textiles	127.40	81.00
Other Textiles	6,946.20	3,973.60
Food Processing	12,313.40	11,503.50
Of which Vegetable Oil & Vanaspati	2,854.60	2,290.30
Of Which Sugar	1,759.60	1,602.50
Of Which Other Food Processing	7,699.20	7,610.70
Of Which Tea	0.00	0.00
Tobacco & Tobacco Products	10.10	2.60
Paper & Paper Products	1,483.30	687.50
Rubber & Rubber Products	2,221.90	1,003.10
Chemical, Dyes, Paints etc.	2,824.70	1,798.20
Of which Fertilisers	170.40	40.20
Of which Petro-chemicals	506.80	331.20
Of which Drugs & Pharmaceuticals	573.70	241.60
Of which Others	1,573.80	1,185.20
Cement	1,543.00	853.50
Leather & Leather Products	1,682.30	701.50
Gems & Jewellery	12,572.40	11,317.20
Construction	4,472.10	3,672.50
Petroleum	227.70	160.70
Automobiles including Trucks	4,446.90	1,726.20
Computer Software	0.00	0.00
Infrastructure*	29,760.00	24,861.10
Of which Power	9,374.30	9,195.90
Of which Telecommunications	609.00	602.30
Of which Roads & Ports	14,226.00	12,086.60
Other Industries	5,550.70	2,976.30
Residuary Other Advances (to balance with Gross Adv.)	2,73,347.77	1,96,913.53
Total	**3,78,459.65**	**2,76,622.73**

n. Geography wise NPA and Provision [for Bank of India Solo]:

(₹ in Mn.)

	Domestic	Overseas	Total
Gross NPA	3,42,503.07	34,352.52	3,76,855.59
Provision for NPA	2,42,157.3	33,741.90	2,75,899.20

Table DF-4

Credit Risk: Disclosures For Portfolios Subject To The Standardised Approach

i. Qualitative Disclosure:

a) For portfolios under the standardized approach:

- Names of Credit Rating agencies used, plus reasons for any changes
- Types of exposure for which each agency is used; and
- A description of the process used to transfer public issue ratings on to comparable assets in the banking book;

1.0 BANK OF INDIA:

a. The Bank has approved using the general rating of the following credit rating agencies for risk weighting under the standardized approach for CRAR calculations Acuite, CARE, CRISIL, ICRA, India Ratings, and INFOMERICSfor domestic claims and S&P FITCH and Moody's for claims on non-resident corporates, foreign banks and foreign sovereigns.

b. The ratings of all these agencies are being used for all exposures subjected to rating for risk weighting purposes under the standardized approach for CRAR calculations under Basel-III.

c. The process used to transfer public issue ratings on to comparable assets in the banking book is as per regulatory requirements of RBI. The public ratings published by the rating agencies on their website are used for this purpose. Only, ratings which are in force as per monthly bulletin of the concerned rating agency and which have been reviewed at least once during the previous 15 months are used.

d. For all the exposures on a particular counterparty, bank uses the rating of only one agency, even though these exposures are rated by more than one with exception being where each of the exposures is rated by only one of the approved rating agencies.

e. To be eligible for risk-weighting purposes, it is ensured that the external credit assessment takes into account and reflects the entire amount of credit risk exposure the bank has with regard to all payments owed to it. Even while extending an issuer or an issue specific rating to any other exposure on the same counterparty it is extended to the entire amount of credit risk exposure i.e., both principal and interest. External assessments for one entity within a corporate group is not used to risk weight other entities within the same group.

f. For assets that have contractual maturity less than or equal to one year, short term ratings are used while for other assets, long term ratings are used.

g. Where an issuer has a long-term exposure with an external long term rating that warrants a risk weight of 150%, all unrated claims on the same counterparty whether short-term or long-term, also receive a 150% risk weight, except in cases where credit risk mitigation techniques are used for such claims. Similar is the case with short-term rating.

h. The long-term ratings assigned by the approved rating agencies are directly mapped to the risk weights under the Standardized Approach for long-term exposures. On the contrary, the unrated short-term claim on counter-party attracts a risk weight of at least one level higher than the risk weight applicable to the rated short-term claim on that counter-party. Issue-specific short-term ratings are used to derive risk weights for claims arising from the rated facility against banks and a corporate's short-term rating is not used to support a risk weight for an unrated long-term claim.

i. If there are two ratings accorded by eligible credit rating agencies, which map into different risk weights, the higher risk weight is applied. If there are three or more ratings accorded by eligible credit rating agencies with different risk weights, the ratings corresponding to the two lowest risk weights are referred to and the higher of those two risk weights are applied, i.e., the second lowest risk weight.

j. The RW of the investment claim is based on specific rating by a chosen credit rating agency, where the claim is not an investment in a specific assessed issue:

   i. The rating applicable to the specific debt (where the rating maps into a risk weight lower than that which applies to an unrated claim) is applied to the bank's un- assessed claim only if this claim ranks pari passu or senior to the specific rated debt in all respects and the maturity of the un-assessed claim is not later than the maturity of the rated claim, except where the rated claim is a short term obligation.

   ii. If either the issuer or single issue has been assigned a rating which maps into a risk weight equal to or higher than that which applies to unrated claims, an unrated claim on the same counterparty, is assigned the same risk weight as is applicable to the rated exposure, if this claim ranks pari passu or junior to the rated exposure in all respects.

2.0 PT Bank of India Indonesia Tbk (Subsidiary):

As per prevailing norms in the Country, credit rating is not required to be done by any external credit rating agency.

3.0 Bank of India (Tanzania) Ltd, and Bank of India (Uganda) Ltd) :

As per prevailing norms in the Country, credit rating is not required to be done by any external credit rating agency. There is no credit rating agency operating/working in the Country.

4.0 Bank of India (New Zealand) Ltd. (Subsidiary):

Credit risk is disclosed through General Disclosure Statement on quarterly basis as per the requirements.

ii. Quantitative Disclosures

(₹ in Mn.)

For exposure amounts after risk mitigation subject to the standardized approach, amount of a bank's outstanding (rated and unrated) in the following three major risk buckets as well as those that are deducted;	
The total credit exposure of BOI (subject to standardized approach), are classified under major risk buckets are as under: -	
Below 100 % risk weight:	80,10,208.00
100 % risk weight:	12,02,618.00
More than 100 % risk weight:	2,44,750.00

Table DF-5 Credit Risk Mitigation

Disclosures For Standardised Approaches

i. Qualitative Disclosures

(a) The general qualitative disclosure requirement with respect to credit risk mitigation including:

- ➢ Policies and processes for, and an indication of the extent to which the bank makes use of, on- and off-balance sheet netting;
- ➢ Policies and processes for collateral valuation and management;
- ➢ A description of the main types of collateral taken by the bank;
- ➢ The main types of guarantor counterparty and their credit worthiness; and
- ➢ Information about (market or credit) risk concentrations within the mitigation taken

A. Bank of India:

1. Credit Risk Mitigation is a proactive management tool designed to protect entity's earnings from loss both in good and bad times. Banks employ various methods and techniques to reduce the impact of the credit risks they are exposed to in their daily operations. Such a process

is termed as credit risk mitigation and some of the credit risk mitigation techniques are permitted to be used by the supervisor for reducing the capital charge after adjustment for value, currency mismatch and maturity mismatch. The Credit Risk Mitigants (CRM) recognized under the New Capital Adequacy Framework (Basel III) are as follows:

- Collateralized transactions
- On-balance-sheet-netting
- Guarantees

2. Eligible Financial Collateral:

All collaterals are not recognized as credit risk mitigants under the Standardized Approach. The following are the financial collaterals recognized.

i. Cash and Deposits including deposits in foreign currency.

ii. Gold: benchmarked to 99.99% purity.

iii. Securities issued by Central and State Governments

iv. Kisan Vikas Patra and National Savings Certificates

v. Life insurance policies

vi. Debt securities -Rated subject to conditions.

vii. Debt securities not rated issued by banks subject to conditions

viii. Units of mutual funds subject to conditions

ix. There are certain additional standards for availing capital relief for collateralized transactions, which have direct bearing on the management of collaterals, and these aspects are taken into account during Collateral Management.

3. On-balance-sheet-netting:

On-balance sheet netting is confined to loans/advances (treated as exposure) and deposits (treated as collateral), where Bank has legally enforceable netting arrangements, involving specific lien with proof of documentation and which are managed on a net basis.

4. Guarantees:

Where guarantees are direct, explicit, irrevocable and unconditional, bank takes account of such credit protection in calculating capital requirements. The range of eligible guarantors/ counter guarantors includes:

i. Sovereigns, sovereign entities (including BIS, IMF, European Central Bank and European Community as well as certain specified MDBs, ECGC, CGFMU, CGFSEL and CGTSME), banks and primary dealers with a lower risk weight than the counterparty;

ii. Other entities rated AA or better.

5. The Bank has a well-defined Collateral Management policy, which provides the controlling framework to ensure collateral is used optimally. This is a key component in mitigating the credit risks inherent in lending. The Bank accepts both tangible and intangible securities. Tangible Securities are either in physical form or such other material form like cash margin, Deposits with Banks, Gold or such other precious metals, Shares NSC/KVP/ Life Insurance Policies. The intangible securities are – Bank Guarantees / Letters of Credit, book debts, Letter of Comfort, Letter of Negative Lien, Unregistered Charge etc. The common ways for obtaining security for moneys lent are Mortgage, and Hypothecation. The assets created out of the bank's credit exposure are as a general rule charged to the bank by way of first charge on pari-passu basis.

Guarantees are normally insisted upon whenever available/permissible. The main type guarantors are:

i. Central/State Government and Central Government sponsored agencies like DICGC, CGTMSE, and ECGC.

ii. Promoters/Major owners of corporates.

iii. Individual Guarantees of relatives in case of individuals

6. The various aspects of Collateral Management are:

Minimum conditions for the acceptance of collateral: For collateral to be valid and enforceable the bank ensures that the assets accepted as collateral are marketable, legally enforceable and can be taken control of if necessary .It is also ensured that the market value of the asset is readily determinable or can be reasonably established and verified.

a) Validity of collateral:

i) Enforceability:

Bank ensures that credit documentation supporting the collateral, is legally enforceable in all relevant jurisdictions and empowers the Bank to apply the collateral freely to discharge the borrower's obligations.

ii) Title and ownership:

Bank always verifies the existence and ownership of the assets being received as collateral before acceptance and ensures that there is no prior claim by any other party on the said collateral. Bank secures its control of the collateral prior to the drawdown of credit facilities. Information on collaterals is provided to Top Management periodically to facilitate management of credit risk. Charges on collaterals are promptly registered with the relevant authorities wherever applicable.

b) Valuation:

Bank has a Board approved policy in place for valuation of properties accepted for bank's exposures, where Basis of valuation, Qualification of Valuer and Frequency of revaluation are laid down for compliance across the bank.

c) Safe Keeping Of Collateral And Control To Their Access:

Authority and responsibility has been delegated to relevant individuals and departments for approving the acceptance, monitoring or safe custody of collaterals.

d) **Additional / Replacement of Collateral:**

Procedures for requesting additional collateral are clearly documented

e) **Insurance:**

All eligible collaterals except those specially exempted are covered by insurance for relevant risks and detailed guidelines for the same are in place.

f) **Sale of Collateral:**

The Bank has clear and robust procedure for the timely liquidation of collateral.

B. **PT Bank of India Indonesia Tbk:**

PT Bank of India Indonesia Tbk has policy and processes for collateral valuation, based on Bank of Indonesia Regulation and national discretions for mortgage loan. Independent appraisal of the collateral is made if the sanction limit of the loan is above ₹ 2.79 Crores. Liquidation value is calculated based on type of collateral. Collateral value is reviewed every year. The main type of collateral taken is Land & Buildings. Generally personal or third party guarantee is not taken. Sectoral caps in lending are in place to take care of concentrations. The Bank has no major risk concentrations of collaterals or credit risk mitigants.

C. **Bank of India (Tanzania) Ltd and Bank of India (New Zealand) Ltd:**

The collaterals are obtained in the form of Bank's own Term Deposit receipts, Legal Mortgage over Immovable properties, Hypothecation charge over movable assets of the company, Pledge of shares etc.

As per regulatory requirements maximum exposure limits on single borrower/group are as detailed under

Collateral position	limit (as % of core capital)
1) Secured by collateral the value of which is at least	
a) 125% of the credit accommodation secured by it (fully secured)	25
b) Secured by collateral the value of which is less than 125% Of the credit accommodation secured by it (partly secured)	10
c) Unsecured	5

D. **Bank of India (Uganda) Ltd.:**

The collaterals are obtained in the form of Bank's own term deposit receipts, Legal mortgage over immovable properties, Hypothecation charge over movable assets of the company, pledge of shares etc.

As per regulatory requirements maximum exposure limits on single borrower/ group as per detailed under:

Collateral position	limit (as % of core capital)
1) Secured by collateral the value of which is at least	Single borrower exposure limit is 25% of the Capital and can be extended to 50% of core Capital.
a) 125% of the credit accommodation secured by it (fully secured)	
b) Secured by collateral the value of which is less than 125% Of the credit accommodation secured by it (partly secured)	
c) Unsecured	

ii. **Quantitative Disclosures:-**

(₹ in Mn.)

(a)	For each separately disclosed credit risk portfolio the total exposure (after, where applicable, on – or off balance sheet netting) that is covered by eligible financial collateral: after the application of haircuts.	3,91,322.00
(b)	For each separately disclosed portfolio the total exposure (after, where applicable, on – or off balance sheet netting) that is covered by guarantees/credit derivatives (whenever specifically permitted by RBI).	8,45,609.00

Table DF - 6

Securitisation Exposures :- Disclosure for Standarised Approach

i. **Qualitative Disclosures:-**

On consolidated level the Bank has no Securitization Exposure as on 31.03.2022

ii. **Quantitative Disclosures :-**

Not Applicable.

Table DF - 7

Market Risk in Trading Book

i. **Qualitative Disclosures**

a. The general qualitative disclosure requirement for market risk including the portfolios covered by the standardized approach.

A. **Bank of India:**

In Trading book the Bank holds" Held for Trading"(HFT) and "Available for Sale" (AFS) portfolios of investments. The rest of the assets–i.e. Investments under Held to Maturity (HTM) portfolio and advances; are treated as Banking Book. Given below is brief description of the Market Risk Management objectives and policies.

i. **Strategies and Processes:**

Under Market Risk Management; Liquidity Risk, Interest Rate Risk, Foreign Exchange Risk, and Equity Price risk are monitored.

a. Liquidity Risk:

Gap analysis is followed for monitoring Liquidity risk on a fortnightly basis. Prudential limit-for percentage of cumulative gap to cumulative outflow-based on Reserve Bank of India guidelines for the short-term buckets up-to 28 days is monitored. Besides, prudential limits are in place for market borrowing– Daily and average call borrowing–Inter Bank Liabilities, Purchased funds etc.

High value bulk deposits are monitored on a weekly basis. Short-term dynamic liquidity statement is prepared on a fortnightly basis to assess the liquidity position, which takes in to account the business growth.

A contingency funding plan is in place to meet the emergencies. The plan is tested on a quarterly basis. Stress Testing is also done on a quarterly basis to assess possible loss to Bank if there is any liquidity crisis and if funds are to be raised from the market to meet the contingencies.

b. Interest Rate Risk:

Gap analysis is used to assess the impact on the Net Interest Income of the bank for the next 12 months and till the next financial year. The Bank also uses duration gap analysis. Prudential limits have been fixed for duration of liabilities. Bank's investments portfolio is monitored on basis of duration analysis.

VaR methodology is followed for dated securities under SLR and Non-SLR(Domestic). Prudential limits for VaR have been fixed and daily monitoring is being done and reported to Top Management. Foreign investments in dated securities are normally hedged and the interest rate risk is minimal. VaR limits are also fixed for Foreign Exchange position.

Stress Testing is done to assess the impact on Economic Value of Market Risk positions including Fixed Income, Equity, Forex etc.

c. Foreign Exchange Risk:

The Bank has fixed Aggregate Gap Limit in USD as well as in other currencies, Maximum Aggregate daylight and overnight exposure limits for foreign exchange exposure in various currencies. We have also fixed period-wise Individual Currency-wise Gap Limits. Stop loss limits, take profit limit and single deal limits are in place for monitoring the forex operations of the dealers.

Derivative transactions are monitored by fixing prudential limit for net open position and a cap for PV01on the outstanding derivatives.

d. Equity Price Risk:

The Bank's domestic investment policy has fixed stop loss limits for equity dealers. Daily Limits to Treasury, Maximum Investment Limit, Holding Period for Equity Portfolio (Trading). Daily reporting is done to Top Management on the transactions.

e. Structure and Organization of Market Risk Management function:

Risk Management is a Board driven function supported by three levels-.Risk Management Committee of the Board for overseeing and issuing directions, wherever necessary approving Risk Management Policies etc. Market Risk Management Committee (MRMC) is a basic level committee for discussion on policies, limits, exceeding etc.

Asset Liability Management Committee(ALCO) consider policy issues for Liquidity Risk Management. ALM Cell provides support at the ground level. Asset Liability Management Committees are operational at foreign centers also.

ii. Scope and nature of risk reporting and/ or measurement systems:

In respect of domestic business the guide lines stipulated by RBI for managing Market Risk is followed such as–Preparation of Interest Rate Sensitivity statement on a monthly basis–Duration analysis of investments in the Trading book on a daily basis–VaR calculation of trading book investments on a daily basis excepting the equity portfolio–conducting stress test for liquidity risk/market risk on a quarterly basis.–Duration analysis of global balance sheet and impact on the Economic Value of Equity on a monthly basis. Interest Rate sensitivity is reviewed on a monthly basis by ALCO.

Various prudential measures have been put in respect to market borrowing and lending in conformity with RBI guidelines for monitoring liquidity risk. Structural Liquidity statement is prepared on daily basis and Short Term Dynamic Liquidity statement on a fortnightly basis and reported to Top Management / ALCO. Structural liquidity of international operations is being done on a quarterly basis at the corporate level.

The results of the Quarterly study on Stress-Testing and Impact on Economic Value of Equity is reported to ALCO. Trading book position–Duration and VaR is reported daily to Top Management.

iii. Policies for Hedging and / or Mitigating Risk:

Detailed policies are operational for Asset Liability Management and Market Risk Management, which deal in detail the various strategies and processes for monitoring Market Risk.

iv. PT Bank of India IndonesiaTbk (Subsidiary):

In accordance with Regulation of Bank Indonesia regarding Minimum Capital Adequacy Requirement for Commercial Bank, Bank is not included in the mandatory category for measuring the market risk in the calculation of the value of capital adequacy ratio (CAR). This is due to Bank is a foreign exchange Bank with financial instrument position in the form of securities and/or derivative transaction in the form of a Trading Book with amount below IDR 20 billion (USD 1.7 Million approximately).

B. Bank of India (Tanzania) Ltd. (Subsidiary), Bank of India (New Zealand) Ltd. (Subsidiary), & Bank of India (Uganda) Ltd.

a. The general qualitative disclosure requirement for market risk including the portfolios covered by the standardized approach.

i. Market risk: Market risk arises from open positions in interest rate, currency and equity products. The board sets limits and reviews it at regular interval on the risk that may be accepted. Further the exposure is monitored on daily basis.

ii. Liquidity risk: The bank is exposed to daily calls on its available cash resources from overnight deposits, current accounts, maturing deposits, loans drawn and guarantees, from margin and other calls on cash settlement. The board has set limit based on their experience of the minimum proportion of maturing funds available to meet such calls and on the minimum level of inter-bank and other borrowing facility that should be in place to cover withdrawals at unexpected levels of demand.

iii. Interest rate risk: The bank is exposed to various risks associated with the effect of fluctuation in the prevailing levels of market interest rates on its financial position and cash flow. The bank has the discretion to change the rates on deposits, loans and advances in line with changes in market trend. These measures minimize the bank's exposure to interest rate risk.

iv. Currency risk: The bank is exposed to the risk that the value of a financial instrument will fluctuate due to changes in foreign exchange rate. The bank is involved in foreign currency market only to the extent of buying and selling to the extent of required currency. The bank is not involved in foreign currency forward contracts and thus the risk is limited.

ii. Quantitative Disclosure :-

(In INR Million)

The capital requirements for	
Interest rate risk	8,363.47
Foreign exchange risk (including gold)	2733.75
Equity risk	3770.28
# Capital requirement is calculated at Minimum Regulatory Requirement @ 9% of RWA.	

Table DF – 8

Operational Risk

Qualitative Disclosures

In addition to the general qualitative disclosure requirement, the approach(es) for operational risk capital assessment for which the bank qualifies.

A. BANK OF INDIA

The Bank adopts best practices in Risk Management. The Bank assesses and identifies operational risks inherent in all the material products, processes and systems under different Business Lines on an ongoing basis. All new products, activities and systems are being first routed through the New Product Group Committee and then through Committee on Operational Risk Management (CORM) or Credit Risk Management Committee (CRMC), as applicable. All policies related to Risk Management are approved by the Board only after clearance by the Risk Management Committee of the Board (R Com). The Chief Risk Officer implements the directives of R.Com and overseas day-to-day Operational Risk Management functions.

Risk Management function works in close coordination with the committee of Business Operational Risk Managers (BORM) and Operational Risk Management Specialists (ORMS). The committee of BORM and ORMS assists the Operational Risk Management Division in undertaking the Risk and Control Self-Assessments (RCSA), reporting Operational Risk Losses and tracking Key Risk Indicators (KRIs) on a periodical basis.

Risk reporting in the form of Loss Data Analysis is done on half yearly basis to assess the high-risk prone product and business lines and mitigation measures are adopted. Branch levels KRIs and Bank Level KRIs are tracked on a quarterly basis. RCSA exercise is undertaken for all the Bank's products and processes on an annual basis.

Operational Risk Capital Charge is calculated through Basic Indicator Approach. At present, the Bank is in the process of moving towards Standardised Measurement Approaches for computation of Operational Risk Capital Charge. The Bank has already got parallel run approval for migration to The Standardised Approach (TSA) for calculation of Operational Risk Capital Charge.

B. PT Bank of India Indonesia Tbk (Subsidiary)

Bank adopts best practices in operational risk management, like segregation of duties, trainings, clear laid down procedures etc.

In managing operational risk, each unit is responsible for the risks in its daily operations by referring to policies and procedures, control and routine supervision. Managing operational risks also include areas related to product development, system, human resources and "know your customer" principles to prevent unavoidable circumstances.

To minimize the operational risk, the bank has increased the control function in the transaction processing which conducted among others by implementing the procedures to ensure timely completion of the transaction, adjustment the accounting method to the applied standards, maintain records in orderly, secure access to the asset and data. Function of the Internal Audit Unit who conducts regular checks to the operational activities is also adding value to the improvement needed. Bank use Basic Indicator Approach in Risk Weighted Assets (ATMR) calculation for Operational Risk.

Bank also has Internal Control unit which has job to ensure all business unit comply to bank procedure and local government regulation as well.

C. Bank of India (Tanzania) Ltd. (Subsidiary), Bank of India (New Zealand) Ltd. (Subsidiary), & Bank of India (Uganda) Ltd.

Operational risk is the risk of direct or indirect loss arising from a variety of causes associated with the bank's processes, personnel, technology and infrastructure, and from external factors other than credit, market, liquidity risks such as those arising from legal and regulatory requirements and generally accepted standards of corporate behavior. Operational risk arises from all the bank's activities.

The bank's objective is to manage the operational risk so as to balance the avoidance of financial losses and damage to the bank's reputation with overall cost effectiveness and to avoid control procedures that restrict initiate and creativity.

The primary responsibility for the development and implementation of controls to address operational risk is assigned to the senior management at each branch level. The responsibility is supported by the development of overall standards for management of operational risks in the following areas:

- Requirements for appropriate segregation of duties, including the independent authorization of transactions;
- Requirements for the reconciliation and monitoring of transactions;
- Compliance with regulatory and other legal requirements;
- Documentation of controls and procedures;
- Requirements for the periodic assessment of operational risks faced, and the adequacy of controls and procedures to address the risks identified;
- Requirements for the reporting of operational losses and proposed remedial action;
- Development of contingency plans;
- Training and professional development;
- Ethical and business standards;
- Risk mitigation, including insurance where this is effective

Table DF-9

Interest Rate Risk In The Banking Book (IRRBB)

i. Qualitative Disclosures

The general qualitative disclosure requirement, including the nature of IRRBB and key assumptions, including assumptions regarding loan prepayments and behavior of non-maturity deposits, and frequency of IRRBB measurement.

A. Bank Of India

Interest Rate Risk in banking book is calculated generally on a quarterly basis. Banking book includes all advances and investments held in Held to Maturity (HTM) portfolio.

The strategies & processes /structure & organization / scope and nature of risk reporting/ policies etc. are the same as reported under Table DF –7.

The methodology and key assumptions made in the IRRBB measurement are as follows:

- Based on monthly information from data centre on the residual maturity of the advances and the deposits covering around 100% of bank's business, Interest Rate Sensitivity statement is prepared with various time buckets, having regard to the rate sensitivity as well as residual maturity of different assets and liabilities.
- The duration for each asset and liability is arrived at taking the midpoint of each time bucket as the maturity date and the average yield as coupon and taking the market rate for discounting purpose. For investments, the actual duration is taken, as data is available with full particulars. In respect of investments, the AFS and HFT portfolios are excluded for this exercise as the focus is on IRR in the Banking Book.
- Using the above, Modified duration of liabilities and assets for each bucket is calculated and the impact on their value for a change in interest rate by 1% is reckoned By adding up, the net position is arrived at to determine as to whether there will be a positive increase in the value or otherwise.

Assumptions:

i. The interest rate moves uniformly across all time buckets and for all assets.

ii. In respect of demand deposits – savings and current – the same are distributed as per their behavioral analysis as suggested by RBI.

iii. Generally the bank follows RBI guidelines on stress testing while calculating the IRRBB including selection of coupon rate / discount rate / taking midpoint of each time bucket as the maturity date etc.

iv. Re-pricing of Base Rate/BPLR linked advances has been taken in the 3 to 6 months bucket.

v. Re-pricing of MCLR linked advances has been taken as per the MCLR tenor they are linked to.

B. PT Bank of India Indonesia Tbk, Bank of India (Tanzania) Ltd, Bank of India (New Zealand) Ltd and Bank of India Uganda Ltd (Subsidiaries)

The bank is exposed to various risks associated with the effect of fluctuation in the prevailing levels of market interest rates on its financial position and cash flow. The bank has the discretion to change the rates on deposits, loans and advances in line with changes in market trend. These measures minimize the bank's exposure to interest rate risk.

ii. Quantitative Disclosures

The increase (decline) in earnings and economic value (or relevant measure used by management) for upward and downward rate shocks according to management's method for measuring IRRBB, broken down by currency (where the turnover is more than 5 per cent of the total turnover.

Interest Rate Risk In Banking Book (BOI Solo)

(₹ in Mn.)

	Total	Of which in USD (where turnover is more than 5% of total turnover)
1. Earnings At Risk (NII)		
At 0.50% change for 1 year	2.51%	-0.51%
2. Economic Value of Equity at Risk		
200 basis point shock		
Drop in equity value in %age terms	-3.42%	-6.38%

Table –DF 10

General Disclosure For Exposures Related To Counterparty Credit Risk

i. Qualitative Disclosure

The bank uses derivatives products for hedging its own balance sheet items as well as for trading purposes. The risk management of derivative operation is headed by a senior executive, who reports to top management, independent of the line functions. Trading positions are marked to market on daily basis.

The derivative policy is framed by the Risk Management Department, which includes measurement of credit risk and market risk.

The hedge transactions are undertaken for balance sheet management. Proper system for reporting and monitoring of risks is in place. Policy for hedging and processes for monitoring the same is in place.

Accounting policy for recording hedge and non-hedge transactions are in place, which includes recognition of income, premiums and discounts. Valuation of outstanding contracts, provisioning, collateral and risk mitigation are being done.

Credit equivalent or EAD has been computed in accordance with the Current exposure methodology (CEM). Potential exposure is computed by multiplying Credit conversion factor with Notional principal. Replacement cost is the positive market value. Current exposure is the same as the replacement cost. Credit equivalent or EAD is the sum of potential exposure and current exposure.

ii. Quantitative Disclosure

a. Gross positive fair value of contracts, netting benefits, netted current credit exposure, collateral held (including type, e.g. cash, government securities, etc.), and net derivatives credit exposure. Also report measures for exposure at default, or exposure amount, under CEM. The notional value of credit derivative hedges, and the distribution of current credit exposure by types of credit exposure.

b. Credit derivative transactions that create exposures to CCR (notional value), segregated between use for the institution's own credit portfolio, as well as in its intermediation activities, including the distribution of the credit derivatives products used, broken down further by protection bought and sold within each product group.

(In INR Million)

Counter Party Credit Risk (CCR)	
Notional Principal Amount	4,05,907.52
Potential Exposure	8,014.04
Replacement Cost	1,574.58
Current Exposure	9,588.62
Credit Equivalent or EAD	9,588.62
RWA	2,587.79
Capital Charge	207.02

Item	Notional Amount	Current Credit Exposure	Credit equivalent
Currency Option	10,232.56	204.65	204.65
Cross CCY Interest Rate Swaps	3391.54	67.83	67.83
Forward rate agreements	3,83,872.14	7,677.44	9,240.64
Interest rate future	0	0	0
Credit default swaps	0	0	0
Single CCY interest Rate Swaps	8,411.27	64.11	75.50
Total	**4,05,907.52**	**8,014.04**	**9,588.62**

Table DF-11: Composition of Capital

31.03.2022				
				(₹ in million)
Sr. No	**Basel III common disclosure template used from 31ST March 2017**	**Eligible Amount**	**Amount subject to pre-Basel III treatment**	**Ref No.**
	Common Equity Tier 1 Capital Instruments and Reserves)			
1	Directly issued qualifying common share capital plus related stock surplus (share premium)	2,13,764.59		
2	Retained earnings	33,134.11		
3	Accumulated other comprehensive income (and other reserves)	2,96,812.02		
4	Directly issued capital subject to phase out from CET1 (only applicable to non-joint stock companies)			
	Public sector capital injections grandfathered until January 1, 2018			
5	Common share capital issued by subsidiaries and held by third parties (amount allowed in group CET1)			
6	**Common Equity Tier1 capital before regulatory adjustments**	**5,43,710.73**		
7	Prudential valuation adjustments			
8	Goodwill (net of related tax liability)			
9	Intangibles other than mortgage-servicing rights (net of related tax liability)	-		

31.03.2022				
				(₹ in million)
Sr. No	**Basel III common disclosure template used from 31ST March 2017**	**Eligible Amount**	**Amount subject to pre-Basel III treatment**	**Ref No.**
10	Deferred tax assets	31794.22		
11	Cash-flow hedge reserve			
12	Shortfall of provisions to expected losses			
13	Securitisation gain on sale			
14	Gains and losses due to changes in own credit risk on fair valued liabilities			
15	Defined-benefit pension fund net assets			
16	Investments in own shares (if not already netted off paid-in capital on reported balance sheet)			
17	Reciprocal cross-holdings in common equity	908.58		
18	Investments in the capital of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation, net of eligible short positions, where the bank does not own more than 10% of the issued share capital (amount above 10% threshold)			
19	Significant investments in the common stock of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation, net of eligible short positions (amount above 10% threshold)			
20	Mortgage servicing rights (amount above 10% threshold)			
21	Deferred tax assets arising from temporary differences (amount above 10% threshold, net of related tax liability)			
22	Amount exceeding the 15% threshold			
23	of which: significant investments in the common stock of financial entities			
24	of which: mortgage servicing rights			
25	of which: deferred tax assets arising from temporary differences			

31.03.2022				
				(₹ in million)
Sr. No	**Basel III common disclosure template used from 31ST March 2017**	**Eligible Amount**	**Amount subject to pre-Basel III treatment**	**Ref No.**
26	National specific regulatory adjustments (26a+26b+26c+26d)			
26a	*of which:Investments in the equity capital of the unconsolidated insurance subsidiaries*	0.00		
26b	of which: Investments in the equity capital of unconsolidated non-financial subsidiaries	0		
26c	*of which:* Shortfall in the equity capital of majority owned financial entities which have not been consolidated with the bank	0		
26d	*of which:* Unamortised pension funds expenditures Regulatory Adjustments Applied to Common Equity Tier 1 in respect of Amounts Subject to Pre-Basel III Treatment			
	of which: [INSERT TYPE OF ADJUSTMENT]			
	For example: filtering out of unrealised losses on AFS debt securities (not relevant in Indian context)			
	of which: [INSERT TYPE OF ADJUSTMENT]			
	of which: [INSERT TYPE OF ADJUSTMENT]			
27	Regulatory adjustments applied to Common Equity Tier 1 due to insufficient Additional Tier 1 and Tier 2 to cover deductions			
28	**Total regulatory adjustments to Common equity Tier 1**	**32,702.80**	0.00	
29	**Common Equity Tier 1 capital (CET1)**	**5,11,007.93**		
	Additional Tier 1 capital: instruments			
30	Directly issued qualifying Additional Tier 1 instruments plus related stock surplus (31+32)	28520.00		
31	of which: classified as equity under applicable accounting standards (Perpetual Non-Cumulative Preference Shares)	0.00		

31.03.2022				
				(₹ in million)
Sr. No	**Basel III common disclosure template used from 31ST March 2017**	**Eligible Amount**	**Amount subject to pre-Basel III treatment**	**Ref No.**
32	of which: classified as liabilities under applicable accounting standards (Perpetual debt Instruments)	28520.00		
33	Directly issued capital instruments subject to phase out from Additional Tier 1	0.00	0.00	
34	Additional Tier 1 instruments (and CET1 instruments not included in row 5) issued by subsidiaries and held by third parties (amount allowed in group AT1)			
35	of which: instruments issued by subsidiaries subject to phase out			
36	**Additional Tier 1 capital before regulatory adjustments**	28520.00	0.00	
	Additional Tier 1 capital: regulatory adjustments			
37	Investments in own Additional Tier 1 instruments			
38	Reciprocal cross-holdings in Additional Tier 1 instruments	0.00		
39	Investments in the capital of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation, net of eligible short positions, where the bank does not own more than 10% of the issued common share capital of the entity (amount above 10% threshold)	0.00		
40	Significant investments in the capital of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation (net of eligible short positions)10			
41	National specific regulatory adjustments (41a+41b)			
41a	Investments in the Additional Tier 1 capital of unconsolidated insurance subsidiaries			
41b	Shortfall in the Additional Tier 1 capital of majority owned financial entities which have not been consolidated with the bank			

31.03.2022				
				(₹ in million)
Sr. No	**Basel III common disclosure template used from 31ST March 2017**	**Eligible Amount**	**Amount subject to pre-Basel III treatment**	**Ref No.**
42	Regulatory adjustments applied to Additional Tier 1 due to insufficient Tier 2 to cover deductions			
43	**Total regulatory adjustments to Additional Tier 1 capital**	**0.00**		
44	**Additional Tier 1 capital (AT1)**	**28520.00**		
44a	**Additional Tier 1 capital reckoned for capital adequacy**	**28520.00**		
45	**Tier 1 capital (T1 = CET1 + AT1) (29 + 44a)**	**5,39,527.93**		
	Tier 2 capital: instruments and provisions			
46	Directly issued qualifying Tier 2 instruments plus related stock surplus	30000.00	63000.00	
47	Directly issued capital instruments subject to phase out from Tier 2	0.00		
48	Tier 2 instruments (and CET1 and AT1 instruments not included in rows 5 or 34) issued by subsidiaries and held by third parties (amount allowed in group Tier 2)			
49	of which: instruments issued by subsidiaries subject to phase out			
50	Provisions	36,834.00		
51	**Tier 2 capital before regulatory adjustments**	**66,834.00**		
	Tier 2 capital: regulatory adjustments			
52	Investments in own Tier 2 instruments			
53	Reciprocal cross-holdings in Tier 2 instruments	0.00	0.00	
54	Investments in the capital of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation, net of eligible short positions, where the bank does not own more than 10% of the issued common share capital of the entity (amount above the 10% threshold)			

31.03.2022				
				(₹ in million)
Sr. No	**Basel III common disclosure template used from 31ST March 2017**	**Eligible Amount**	**Amount subject to pre-Basel III treatment**	**Ref No.**
55	Significant investments in the capital banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation (net of eligible short positions)	0.00		
56	National specific regulatory adjustments (56a+56b)			
56a	of which: Investments in the Tier 2 capital of unconsolidated subsidiaries			
56b	of which: Shortfall in the Tier 2 capital of majority owned financial entities which have not been consolidated with the bank			
	Regulatory Adjustments Applied To Tier 2 in respect of Amounts Subject to Pre-Basel III Treatment			
	of which: [INSERT TYPE OF ADJUSTMENT e.g. existing adjustments which are deducted from Tier 2 at 50%]			
	of which: [INSERT TYPE OF ADJUSTMENT			
57	**Total regulatory adjustments to Tier 2 capital**	0.00		
58	**Tier 2 capital (T2)**	**66,834.00**		
58a	Tier 2 capital reckoned for capital adequacy14	66,834.00		
58b	**Excess Additional Tier 1 capital reckoned as Tier 2 capital**	**0**		
58c	**Total Tier 2 capital admissible for capital adequacy (58a+58b)**	66,834.00		
59	**Total capital (TC = T1 + T2) (45 + 58c)**	**6,06,361.93**		
	Risk Weighted Assets in respect of Amounts Subject to Pre Basel **III Treatment**			
	of which: [INSERT TYPE OF ADJUSTMENT]			
	of which: …			
60	**Total risk weighted assets (60a + 60b + 60c)**	35,85,324		
60a	of which: total credit risk weighted assets	30,48,547		
60b	of which: total market risk weighted assets	1,65,194		

31.03.2022				
				(₹ in million)
Sr. No	**Basel III common disclosure template used from 31ST March 2017**	**Eligible Amount**	**Amount subject to pre-Basel III treatment**	**Ref No.**
60c	of which: total operational risk weighted assets	3,71,583		
	Capital ratios			
61	Common Equity Tier 1 (as a percentage of risk weighted assets)	14.25%		
62	Tier 1 (as a percentage of risk weighted assets)	15.05%		
63	Total capital (as a percentage of risk weighted assets)	16.91%		
64	Institution specific buffer requirement (minimum CET1 requirement plus capital conservation and countercyclical buffer requirements, expressed as a percentage of risk weighted assets)			
65	of which: capital conservation buffer requirement			
66	of which: bank specific countercyclical buffer requirement			
67	of which: G-SIB buffer requirement			
68	Common Equity Tier 1 available to meet buffers (as a percentage of risk weighted assets)			
	National minimum (if different from Basel III)			
69	National Common Equity Tier 1 minimum ratio (if different from Basel III minimum)	8.00%		
70	National Tier 1 minimum ratio (if different from Basel III minimum)	9.50%		
71	National total capital minimum ratio (if different from Basel III minimum)	11.50%		
	Amounts below the thresholds for deduction (before risk weighting)			
72	Non-significant investments in the capital of other financial entities			
73	Significant investments in the common stock of financial entities			
74	Mortgage servicing rights (net of related tax liability)			

31.03.2022				
				(₹ in million)
Sr. No	**Basel III common disclosure template used from 31ST March 2017**	**Eligible Amount**	**Amount subject to pre-Basel III treatment**	**Ref No.**
75	Deferred tax assets arising from temporary differences (net of related tax liability)			
	Applicable caps on the inclusion of provisions in Tier 2			
76	Provisions eligible for inclusion in Tier 2 in respect of exposures subject to standardised approach (prior to application of cap)	36934.00		
77	Cap on inclusion of provisions in Tier 2 under standardised approach			
78	Provisions eligible for inclusion in Tier 2 in respect of exposures subject to internal ratings-based approach (prior to application of cap)			
79	Cap for inclusion of provisions in Tier 2 under internal ratings-based approach			
	Capital instruments subject to phase-out arrangements (only applicable between March 31, 2017 and March 31, 2022)			
80	*Current cap on CET1 instruments subject to phase out arrangements*			
81	*Amount excluded from CET1 due to cap (excess over cap after redemptions and maturities)*			
82	*Current cap on AT1 instruments subject to phase out arrangements*	28520.00		
83	*Amount excluded from AT1 due to cap (excess over cap after redemptions and maturities)*	0.00		
84	*Current cap on T2 instruments subject to phase out arrangements*	0.00		
85	*Amount excluded from T2 due to cap (excess over cap after redemptions and maturities)*	0.00		

Table DF-12: Composition of Capital-Reconciliation Requirements as on 31.03.2022

Step 1

Under Step 1, banks are required to take their balance sheet in their financial statements (numbers reported the middle column below) and report the numbers when the regulatory scope of consolidation is applied (numbers reported in the right hand column below). If there are rows in the regulatory consolidation balance sheet that are not present in the published financial statements, banks are required to give a value of zero in the middle column and furnish the corresponding amount in the column meant for regulatory scope of consolidation. Banks may however, indicate what the exact treatment is for such amount in the balance sheet.

		Balance sheet as in financial statements	**Balance sheet under regulatory scope of consolidation**
		As on reporting date (Rs. in million)	**As on reporting date (Rs. in million)**
A	**Capital and Liabilities**		
i	Paid-up Capital	41,043.05	41,043.05
	Reserves & Surplus	5,63,286.36	5,61,541.37
	Minority Interest	1,565.14	1,565.14
	Total Capital	**6,05,894.55**	**6,04,149.56**
ii	**Deposits**	**67,21,941.22**	**67,22,173.49**
	of which: Deposits from banks	5,18,058.38	5,18,058.38
	of which: Customer deposits	62,03,882.85	62,04,115.12
	of which: Other deposits (pl. specify)	-	-
iii	**Borrowings**	**6,50,152.25**	**6,49,790.23**
	of which: From RBI	26,920.00	26,920.00
	of which: From banks	451.58	89.57
	of which: From other institutions & agencies	5,03,773.83	5,03,773.83
	of which: Others (pl. specify)	27,486.84	27,486.84
	of which: Capital instruments	91,520.00	91,520.00
iv	Other liabilities & provisions	**2,82,369.47**	**2,28,668.72**
	Total	**82,60,357.50**	**82,04,782.00**
B	**Assets**		
i	Cash and balances with Reserve Bank of India	47,43,815.49	4,42,906.94
	Balance with banks and money at call and short notice	4,03,017.30	4,03,250.35
ii	Investments:	21,13,235.52	20,60,379.87
	of which: Government securities	19,14,246.22	18,91,102.37
	of which: Other approved securities	10,513.11	
	of which: Shares	13,732.85	10,334.04
	of which: Debentures & Bonds	1,05,048.14	99,787.05

		Balance sheet as in financial statements	Balance sheet under regulatory scope of consolidation
		As on reporting date (Rs. in million)	As on reporting date (Rs. in million)
	of which: Subsidiaries / Joint Ventures / Associates	21,824.33	23,153.53
	of which: Others (Commercial Papers, Mutual Funds etc.)	47,870.86	36,002.88
iii	**Loans and advances**	**48,86,876.99**	**48,86,805.33**
	of which: Loans and advances to banks	3,69,275.14	3,69,275.14
	of which: Loans and advances to customers	45,17,601.85	45,17,530.19
iv	**Fixed assets**	**1,00,605.57**	**1,00,436.76**
v	**Other assets**	**3,12,806.63**	**3,11,002.74**
	of which: Goodwill and intangible assets	4,590.68	
	of which: Deferred tax assets	66,587.11	66,587.11
vi	**Goodwill on consolidation**	**-**	**-**
vii	**Debit balance in Profit & Loss account**	**-**	**-**
	Total Assets	**82,60,357.50**	**82,04,782.00**

Step 2

Under Step 2 banks are required to expand the regulatory-scope balance sheet (revealed in Step 1) to identify all the elements that are used in the definition of capital disclosure template set out in Table DF-11 (Part I / Part II whichever, applicable). Set out below are some examples of elements that may need to be expanded for a particular banking group. The more complex the balance sheet of the bank, the more items would need to be disclosed. Each element must be given a reference number/letter that can be used in Step 3.

		Balance sheet as in financial statements	Balance sheet under regulatory scope of consolidation
		As on reporting date	As on reporting date
A	**Capital & Liabilities**		
i	Paid-up Capital	**41,043.05**	**41,043.05**
	of which: Amount eligible for CET1	41,043.05	41,043.05
	of which: Amount eligible for AT1	-	-
	Reserves & Surplus	**5,63,286.36**	**5,61,541.37**
	Minority Interest	**1,565.14**	**1,565.14**
	Total Capital	6,05,894.55	6,04,149.56
ii	Deposits	**67,21,941.22**	**67,22,173.49**
	of which: Deposits from banks	5,18,058.38	5,18,058.38
	of which: Customer deposits	62,03,882.85	62,04,115.12
	of which: Other deposits (pl. specify)	-	-
iii	Borrowings	**6,50,152.25**	**6,49,790.23**
	of which: From RBI	26,920.00	26,920.00
	of which: From banks	451.58	89.57
	of which: From other institutions & agencies	5,03,773.83	5,03,773.83
	of which: Others (pl. specify)	27,486.84	27,486.84
	of which: Capital instruments	91,520.00	91,520.00
iv	Other liabilities & provisions	2,82,369.47	2,28,668.72
	of which: DTLs related to goodwill	0.00	0.00
	of which: DTLs related to intangible assets	0.00	0.00
	Total	**82,60,357.50**	**82,04,782.00**
B	**Assets**		
i	Cash and balances with Reserve Bank of India	**4,43,815.49**	**4,42,906.94**
	Balance with banks and money at call and short notice	**4,03,017.30**	**4,03,250.35**
ii	Investments	**21,13,235.52**	**20,60,379.87**
	of which: Government securities	19,14,246.22	18,91,102.37
	of which: Other approved securities	10,513.11	-
	of which: Shares	13,732.85	10,334.04
	of which: Debentures & Bonds	1,05,048.14	99,787.05
	of which: Subsidiaries / Joint Ventures / Associates	21,824.33	23,153.53
	of which: Others (Commercial Papers, Mutual Funds etc.)	47,870.86	36,002.88
iii	Loans and advances	**48,86,876.99**	**48,86,805.33**
	of which: Loans and advances to banks	3,69,275.14	3,69,275.14
	of which: Loans and advances to customers	45,17,601.85	45,17,530.19
iv	Fixed assets	**1,00,605.57**	**1,00,436.76**
v	Other assets	**3,12,806.63**	**3,11,002.74**
	of which: Goodwill and intangible assets		
	Out of which:		
	Goodwill		
	(Other intangibles (excluding MSRs)		
	Deferred tax assets	66,587.11	66,587.11
vi	Goodwill on consolidation		
vii	Debit balance in Profit & Loss account		
	Total Assets	**82,60,357.50**	**82,04,782.00**

Step 3:

Under Step 3 banks are required to complete a column added to the Table DF-11 (Part I / Part II whichever, applicable) disclosure template to show the source of every input.

(i) For example, the definition of capital disclosure template includes the line "goodwill net of related deferred tax liability". Next to the disclosure of this item in the disclosure template under Table DF-11 (Part I / Part II whichever, applicable), the bank would be required to put 'a – c' to show that row 8 of the template has been calculated as the difference between component 'a' of the balance sheet under the regulatory scope of consolidation, illustrated in step 2, and component 'c'.

Extract of Basel III common disclosure template (with added column) – Table DF-11 (Part I / Part II whichever, applicable)			
Common Equity Tier 1 capital: instruments and reserves			
		Component of regulatory capital reported by bank	**Source based on reference numbers/ letters of the balance sheet under the regulatory scope of consolidation from step 2**
1	Directly issued qualifying common share (and equivalent for non-joint stock companies) capital plus related stock surplus	0.00	e
2	Retained earnings	0.00	
3	Accumulated other comprehensive income (and other reserves)	0.00	
4	Directly issued capital subject to phase out from CET1 (only applicable to non- joint stock companies)	0	
5	Common share capital issued by subsidiaries and held by third parties (amount allowed in group CET1)	0.00	
6	Common Equity Tier 1 capital before regulatory adjustments	0.00	
7	Prudential valuation adjustments		
8	Goodwill (net of related tax liability)		a-c

Table DF-13:

Main Features of Regulatory Capital Instruments

1	Issuer	Bank of India	Bank of India	Bank of India	Bank of India
2	Unique identifier (e.g. CUSIP, ISIN or Bloomberg identifier for private placement)	INE084A01016	INE084A08136	INE084A08144	INE084A08169
3	Governing law(s) of the instrument	Indian Laws	Indian Laws	Indian Laws	Indian Laws
	Regulatory treatment				
4	Transitional Basel III rules	Common Equity Tier 1	Additional Tier 1	Additional Tier 1	Additional Tier 1
5	Post-transitional Basel III rules	Common Equity Tier 1	Additional Tier 1	Additional Tier 1	Additional Tier 1
6	Eligible at solo/group/ group & solo	Solo and Group	Solo and Group	Solo and Group	Solo and Group
7	Instrument type	Common Shares	Perpetual Debt Instrument	Perpetual Debt Instrument	Perpetual Debt Instrument
8	Amount recognised in regulatory capital (Rs. in million, as of most recent reporting date)	41,043.05	7,500	6,020	15,000
9	Par value of instrument (Rs. Mn)	NA	7,500	6,020	15,000
10	Accounting classification	Equity Share Capital	Borrowings	Borrowings	Borrowings
11	Original date of issuance	Various	28/01/2021	30/03/2021	02/12/2022
12	Perpetual or dated	Perpetual	Perpetual	Perpetual	Perpetual
13	Original maturity date	NA	Perpetual	Perpetual	Perpetual
14	Issuer call subject to prior supervisory approval	No	Yes	Yes	Yes

15	Optional call date, contingent call dates	NA	Call option Date	Call option Date	Call option Date
16	Subsequent call dates, if applicable	NA	After 28/01/2026	After 30/03/2026	After 02/12/2027
	Coupons / dividends	Dividend	Coupon	Coupon	Coupon
17	Fixed or floating dividend/coupon	NA	Fixed	Fixed	Fixed
18	Coupon rate and any related index	NA	9.04 %	9.30 %	8.57 %
19	Existence of a dividend stopper	NA	Yes	Yes	Yes
20	Fully discretionary, partially discretionary	NA	Full Discretion	Full Discretion	Full Discretion
21	Existence of step up or other incentive to redeem	No	No	No	No
22	Noncumulative or cumulative	Non-Cumulative	Non-Cumulative	Non-Cumulative	Non-Cumulative
23	Convertible or non-convertible	NA	Non-Convertible	Non Convertible	Non Convertible
24	If convertible, conversion trigger(s)	NA	NA	NA	NA
25	If convertible, fully or partially	NA	NA	NA	NA
26	If convertible, conversion rate	NA	NA	NA	NA
27	If convertible, mandatory or optional conversion	NA	NA	NA	NA
28	If convertible, specify instrument type convertible into	NA	NA	NA	NA
29	If convertible, specify issuer of instrument it converts into	NA	NA	NA	NA
30	Write-down feature	NO	Yes	Yes	Yes
31	If write-down, write-down trigger(s)	NA	1.Pre specified Trigger level2.Point of Non Viability (PONV)	1.Pre specified Trigger level2.Point of Non Viability (PONV)	3.Pre specified Trigger level4.Point of Non Viability (PONV)
32	If write-down, full or partial	NA	Full	Full	Full
33	If write-down, permanent or temporary	NA	Permanent	Permanent	Permanent
34	If temporary write-down, description of write-up mechanism	NA	NA	NA	NA
35	Position in subordination hierarchy in liquidation (specify instrument type immediately senior to instrument)	All other depositors and creditors of the Bank	Perpetual Debt instruments	Perpetual Debt instruments	Perpetual Debt instruments
36	Non-compliant transitioned features	No	NA	NA	NA
37	If yes, specify non-compliant features	NA	NA	NA	NA

Table DF-13:

Main Features of Regulatory Capital Instruments

1	Issuer	Bank of India	Bank of India	Bank of India	Bank of India
2	Unique identifier (e.g. CUSIP, ISIN or Bloomberg identifier for private placement)	INE084A08037	INE084A08045	INE084A08060	INE 084A08151
3	Governing law(s) of the instrument	Indian Laws	Indian Laws	Indian Laws	Indian Laws
	Regulatory treatment				
4	Transitional Basel III rules	Tier 2	Tier 2	Tier 2	Tier 2
5	Post-transitional Basel III rules	Eligible	Eligible	Eligible	Eligible
6	Eligible at solo/group/ group & solo	Solo and Group	Solo and Group	Solo and Group	Solo and Group
7	Instrument type	Tier 2 Debt Instruments	Tier 2 Debt Instruments	Tier 2 Debt Instruments	Tier 2 Debt Instruments
8	Amount recognised in regulatory capital (Rs. in million, as of most recent reporting date)	0.00	0.00	12,000	18,000
9	Par value of instrument (Rs. Mn)	10,000	5,000	30,000	18,000

10	Accounting classification	Borrowings	Borrowings	Borrowings	Borrowings
11	Original date of issuance	25/09/2013	30/09/2013	31/12/2015	30/09/2021
12	Perpetual or dated	Dated	Dated	Dated	Dated
13	Original maturity date	25/09/2023	30/09/2023	31/12/2025	30/09/2031
14	Issuer call subject to prior supervisory approval	No	No	No	Yes
15	Optional call date, contingent call dates and redemption amount	NA	NA	NA	30/09/2026
16	Subsequent call dates, if applicable	NA	NA	NA	On every anniversary date (i.e. 30th Sept) till redemption
	Coupons / dividends	Coupon	Coupon	Coupon	Coupon
17	Fixed or floating dividend/coupon	Fixed	Fixed	Fixed	Fixed
18	Coupon rate and any related index	9.80%	9.80%	8.52%	7.14%
19	Existence of a dividend stopper	Yes	Yes	Yes	Yes
20	Fully discretionary, partially discretionary or mandatory	Fully Discretionary	Fully Discretionary	Fully Discretionary	Fully Discretionary
21	Existence of step up or other incentive to redeem	No	No	No	No
22	Noncumulative or cumulative	Non-Cumulative	Non-Cumulative	Non-Convertible	Non-cumulative
23	Convertible or non-convertible	Nonconvertible	Nonconvertible	Non-Convertible	Non-convertible
24	If convertible, conversion trigger(s)	NA	NA	NA	NA
25	If convertible, fully or partially	NA	NA	NA	NA
26	If convertible, conversion rate	NA	NA	NA	NA
27	If convertible, mandatory or optional conversion	NA	NA	NA	NA
28	If convertible, specify instrument type convertible into	NA	NA	NA	NA
29	If convertible, specify issuer of instrument it converts into	NA	NA	NA	NA
30	Write-down feature	Yes	Yes	Yes	No
31	If write-down, write-down trigger(s)	Decided by RBI	Decided by RBI	Decided by RBI	Decided by RBI
32	If write-down, full or partial	Decided by RBI	Decided by RBI	Decided by RBI	Decided by RBI
33	If write-down, permanent or temporary	Decided by RBI	Decided by RBI	Decided by RBI	Decided by RBI
34	If temporary write-down, description of write-up mechanism	NA	NA	NA	NA
35	Position in subordination hierarchy in liquidation (specify instrument type immediately senior to instrument)	All other depositors and creditors of the Bank	All other depositors and creditors of the Bank	All other depositors and creditors of the Bank	All other depositors and creditors of the Bank
36	Non-compliant transitioned features	Compiled	Compiled	Compiled	Compiled
37	If yes, specify non-compliant features	--	--	--	--

Table DF - 14

Full terms and Condition of Regulatory Capital Instrument

➢ Disclosed separately under Regulatory Disclosure Section on our website.

Table DF - 15

Disclosure Requirement for Remuneration

The remuneration of Board of Directors and Top executives are decided by the Government of India. In addition to that there is one performance linked Incentive Scheme for whole time directors. The scheme is formulated on the basis of Statement of Intent (SOI) which is signed by the Government of India.

Table DF -16

Equities Disclosure for Banking Books

(Amount in ₹ Mn)

	Qualitative Disclosure	
1.	The general qualitative disclosure requirement (Para 2.1 of this annex) with respect to equity risk, including:	
	Differentiation between holdings on which capital gains are expected and those taken under other objectives including for relationship and strategic reasons; and	Investments in Equity by Treasury are driven by different motives. All equity investments made in Associates, Subsidiaries, Joint Venture and RRBs are classified in HTM category as such investments are made with a primary intention to hold them till maturity. Apart from these, Treasury also make strategic investments in equities of various companies which are booked in AFS category as such investments are not churned frequently. There are also cases of loan assets converted into equities of the borrower companies which are classified in AFS category. As per RBI guidelines, such investments are kept outside the purview of all prudential limits. Investments in equity made with an objective of capital gains are booked under HFT category and are subject to stop loss limit as prescribed in the Board approved Investment Policy. All equity investments in AFS and HFT are subject to Marking to Market (MTM).
	Discussion of important policies covering the valuation and accounting of equity holdings in the banking book. This includes the accounting techniques and valuation methodologies used, including key assumptions and practices affecting valuation as well as significant changes in these practices.	For valuation and accounting of equity holdings, Treasury is guided by Board approved Investment Policy along with the RBI guidelines as laid down in Master circular- 'Prudential Norms for classification, valuation and operation of investments portfolio by Banks'. In accordance with these guidelines, investments in equity holding in the banking book need not be marked to market and are carried at acquisition cost. Any diminution, other than temporary, in the value of equity investments is provided for. Any loss on sale of investments in HTM category is recognized in the profit and loss account. Any profit on sale of investments under HTM category is recognized first in the profit and loss account and is then appropriated to capital reserve, net of taxes and statutory reserve. Brokerage, commission, securities transaction tax, etc. paid on acquisition of equity investments are included in cost. Treasury maintains trade date accounting policy for recognising equity investments.

	Quantitative Disclosures	
1.	Value disclosed in the balance sheet of investments, as well as the fair value of those investments; for quoted securities, a comparison to publicly quoted share values where the share price is materially different from fair value	
	Book value of investment	18401.44
	Value as per Balance sheet	18149.18
2.	The types and nature of investments, including the amount that can be classified as:	
	• Publicly traded;	
	• Privately held	18149.18
3.	The cumulative realized gains (losses) arising from sales and liquidations in the reporting period.	
4.	Total unrealized gains (losses)13	
5.	Total latent revaluation gains (losses)14	
6.	Any amounts of the above included in Tier 1 and/or Tier 2 capital.	
7.	Capital requirements broken down by appropriate equity groupings, consistent with the bank's methodology, as well as the aggregate amounts and the type of equity investments subject to any supervisory transition or grandfathering provisions regarding regulatory capital requirements	N.A.

Table DF 17

Summary Comparison of Accounting Assets vs. Leverage Ratio Exposure Measure: 31.03.2022 (Consolidated Position)

	Item	(₹ in Million)
1	Total consolidated assets as per published financial statements	82,60,357.50
2	Adjustment for investments in banking, financial, insurance or commercial entities that are consolidated for accounting purposes but outside the scope of regulatory consolidation	(981.70)
3	Adjustment for fiduciary assets recognized on the balance sheet pursuant to the operative accounting framework but excluded from the leverage ratio exposure measure	-
4	Adjustments for derivative financial instruments	9,588.62
5	Adjustment for securities financing transactions (i.e. repos and similar secured lending)	301.67
6	Adjustment for off-balance sheet items (i.e. conversion to credit equivalent amounts of off-balance sheet exposures)	3,48,421,78
7	Other adjustments	(-) 32,022.77
8	Leverage ratio exposure	85,85,665.10

Table DF-18

Leverage Ratio Common Disclosure Template Finance

	Item	Leverage ratio framework (₹ in million)
	On-balance sheet exposures	
1	On-balance sheet items (excluding derivatives and SFTs, but including collateral)	82,60,055.83
2	(Asset amounts deducted in determining Basel III Tier 1 capital)	(-)32,702.80
3	Total on-balance sheet exposures (excluding derivatives and SFTs) (sum of lines 1 and 2)	82,27,353.03
Derivative exposures		
4	Replacement cost associated with all derivatives transactions (i.e. net of eligible cash variation margin)	1,574.58
5	Add-on amounts for PFE associated with all derivatives transactions	8,014.04

	Item	Leverage ratio framework (₹ in million)
6	Gross-up for derivatives collateral provided where deducted from the balance sheet assets pursuant to the operative accounting framework	
7	(Deductions of receivables assets for cash variation margin provided in derivatives transactions)	
8	(Exempted CCP leg of client-cleared trade exposures)	
9	Adjusted effective notional amount of written credit derivatives	
10	(Adjusted effective notional offsets and add-on deductions for written credit derivatives)	
11	**Total derivative exposures (sum of lines 4 to 10)**	**9,588.62**
Securities financing transaction exposures		
12	Gross SFT assets (with no recognition of netting), after adjusting for sale accounting transactions	301.67
13	(Netted amounts of cash payables and cash receivables of gross SFT assets)	-
14	CCR exposure for SFT assets	-
15	Agent transaction exposures	-
16	Total securities financing transaction exposures (sum of lines 12 to 15)	301.67
Other off-balance sheet exposures		
17	Off-balance sheet exposure at gross notional amount	9,95,946.63
18	(Adjustments for conversion to credit equivalent amounts)	(-)6,47,524.85
19	Off-balance sheet items (sum of lines 17 and 18)	3,48,421.78
Capital and total exposures		
20	Tier 1 capital	5,39,527.93
21	Total exposures (sum of lines 3, 11, 16 and 19)	85,85,665.10
Leverage ratio		
22	Basel III leverage ratio	6.28%

बैंक ऑफ़ इंडिया
Bank of India BOI

प्रधान कार्यालय: निवेशक संबंध अनुभाग
स्टार हाउस, सी-5, जी ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400 051
फोन: 022 66684490 ई-मेल: Headoffice.Share@bankofindia.co.in

Head Office: Investor Relations Cell
Star House, C-5, G Block, Bandra Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai - 400 051
Phone: 022 66684490 E-mail:Headoffice.Share@bankofindia.co.in

सूचना

एतद्-द्वारा सूचना दी जाती है कि बैंक ऑफ इंडिया (बैंक) के शेयरधारकों की **27वीं (सत्ताईसवीं) वार्षिक आम बैठक (एजीएम), मंगलवार, 27 जून, 2023 को प्रात: 11.00 बजे** से प्रधान कार्यालय, बैंक ऑफ इंडिया, मुंबई (बैठक का मानित स्थान) में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (''वीसी'') / अन्य ऑडियो विज़ुअल माध्यमों (''ओएवीएम'') के द्वारा निम्नलिखित कारोबार संपादित करने हेतु आयोजित की जाएगी।

साधारण कारोबार:

मद संख्या 1:

यथा 31 मार्च 2023 के लेखा-परीक्षित तुलन पत्र, 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए बैंक का लाभ और हानि खाता, तुलन पत्र और उपरोक्त अवधि के लिए कवर किये गए बैंक के कामकाज और गतिविधियों पर निदेशक मंडल की रिपोर्ट जिसमें तुलन पत्र और खातों के संबंध में खातों और लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट कवर की गई है, पर चर्चा करना, अनुमोदित करना और स्वीकार करना।

मद संख्या 2:

वर्ष 2022-23 के लिए प्रति इक्विटी शेयर 2.00 रुपये (20%) की दर से लाभांश घोषित करना।

विशेष कारोबार :

मद संख्या 3:

बैंक के गैर-कार्यपालक नामिती निदेशक के रूप में श्री भूषण कुमार सिन्हा की नियुक्ति।

निम्नलिखित पर विचार करना और यदि उचित समझा जाए तो इसे एक साधारण संकल्प के रूप में पारित करना:

''**संकल्प पारित किया जाता है कि** सेबी (सूचीकरण बाध्यताएं और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 17 (1सी) और अन्य लागू विनियमों के अनुसार, अधिसूचना संदर्भ [वित्तीय सेवा विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी ईएफ.संख्या.6/2/2022-बीओ.आई दिनांक 11.04.2022] के द्वारा 11 अप्रैल 2022 से प्रभावी होकर अगले आदेश तक बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 (3) (बी) के अंतर्गत श्री भूषण कुमार सिन्हा को बैंक के गैर-कार्यपालक नामिती निदेशक के रूप में नियुक्ति को एतद्-द्वारा अनुमोदित किया जाता है।''

मद संख्या 4:

बैंक के कार्यपालक निदेशक के रूप में श्री सुब्रत कुमार की नियुक्ति।

NOTICE

Notice is hereby given that the **27th (Twenty Seventh) Annual General Meeting (AGM)** of the Shareholders of Bank of India (Bank) will be held on **Tuesday, June 27, 2023 at 11.00 AM** at Head Office, Bank of India, Mumbai (the deemed venue of the Meeting) through Video Conferencing ("VC") / Other Audio Visual Means ("OAVM") facility to transact the following business:

ORDINARY BUSINESS:

Item No. 1:

To discuss, approve and adopt the Audited Balance Sheet as at 31st March 2023, Profit and Loss Account of the Bank for the year ended 31st March 2023, Report of the Board of Directors on the working and activities of the Bank for the above period covered by the Accounts and the Auditors' Report on the Balance Sheet and Accounts.

Item No. 2:

To declare dividend for the year 2022-23 @ Rs.2.00 (20%) per equity share.

SPECIAL BUSINESS:

Item No. 3:

Appointment of Shri Bhushan Kumar Sinha as Non-Executive Nominee Director of the Bank.

To consider and if thought fit, to pass the following as an Ordinary Resolution:

"**RESOLVED THAT** pursuant to Regulation 17 (1C) and other applicable regulations of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the appointment of Shri Bhushan Kumar Sinha as Non-Executive Nominee Director of the Bank under Section 9 (3) (b) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 vide Notification Ref. [eF.No.6/2/2022-BO.I dated 11.04.2022 issued by Department of Financial Services, Ministry of Finance, Government of India] w.e.f., 11th April 2022 until further orders be and is hereby approved".

Item No. 4:

Appointment of Shri Subrat Kumar as Executive Director of the Bank.

निम्नलिखित पर विचार करना और यदि उचित समझा जाए तो इसे एक साधारण संकल्प के रूप में पारित करना:

''**संकल्प पारित किया जाता है कि** सेबी (सूचीकरण बाध्यताएं और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 17 (1सी) और अन्य लागू विनियमों के अनुसार, अधिसूचना संदर्भ [वित्तीय सेवा विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी ईएफ.संख्या.4/6/2021-बीओ.आई दिनांक 21.11.2022] के द्वारा 21 नवंबर 2022 से 20 नवंबर 2025 तक या अगले आदेश तक बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 (3) (ए) के अंतर्गत श्री सुब्रत कुमार को बैंक के कार्यपालक निदेशक के रूप में नियुक्ति को एतद्-द्वारा अनुमोदित किया जाता है।''

मद संख्या 5:

बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी के रूप में श्री रजनीश कर्नाटक की नियुक्ति।

निम्नलिखित पर विचार करना और यदि उचित समझा जाए तो इसे एक साधारण संकल्प के रूप में पारित करना:

''**संकल्प पारित किया जाता है कि** सेबी (सूचीकरण बाध्यताएं और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 17 (1सी) और अन्य लागू विनियमों के अनुसार, अधिसूचना संदर्भ (वित्तीय सेवा विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी ईएफ.संख्या.4/2/2022-बीओ.आई दिनांक 29.04.2023) के द्वारा 29 अप्रैल 2023 से 28 अप्रैल 2026 तक या अगले आदेश तक बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 (3) (ए) के अंतर्गत श्री रजनीश कर्नाटक को बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी के रूप में नियुक्ति को एतद्-द्वारा अनुमोदित किया जाता है।''

मद संख्या 6:

बैंक के अंशकालिक गैर-शासकीय निदेशक के रूप में श्री मुनीश कुमार रल्हन की नियुक्ति।

विशेष प्रस्ताव के रूप में निम्नलिखित पर विचार करना और उचित समझे जाने पर इसे पारित करना:

''**संकल्प पारित किया जाता है कि** सेबी (सूचीकरण दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 17 (1सी) और अन्य लागू विनियमों के अनुसार, अधिसूचना संदर्भ [(वित्तीय सेवा विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी एफ.संख्या.6/6/2021-बीओ.आई दिनांक 21.03.2023)] के द्वारा 21 मार्च 2022 से 20 मार्च 2025 तक या अगले आदेश तक बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 (3) (एच) के अंतर्गत श्री मुनीश कुमार रल्हन को बैंक के अंशकालिक गैर-शासकीय निदेशक के रूप में नियुक्ति को एतद्-द्वारा अनुमोदित किया जाता है।

मद संख्या 7:

नए इक्विटी शेयर जारी करके और/या बेसल III दिशानिर्देशों के अनुसार अतिरिक्त टियर-1/टियर-2 पूंजी जारी करके बैंक हेतु पूंजी जुटाना।

निम्नलिखित संकल्प (संकल्पों) पर विचार करना और यदि उचित समझा गया तो विशेष संकल्प के रूप में, संशोधन के साथ या संशोधन(नों) के बिना पारित करना:

''**संकल्प पारित किया जाता है कि** बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 (अधिनियम) धारा 3(2बी), राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना 1970 (योजना) के खण्ड 20 एवं बैंक ऑफ़ इंडिया (शेयर एवं बैठकें) विनियमन, 2007 तथा अन्य लागू प्रावधानों, यदि कुछ हों, और भारतीय रिज़र्व बैंक (''आरबीआई''), भारत सरकार (''जीओआई''), भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (''सेबी'') और/अथवा इस बारे में यथा अपेक्षित किसी अन्य प्राधिकरण

To consider and if thought fit, to pass the following as an Ordinary Resolution:

"**RESOLVED THAT** pursuant to Regulation 17 (1C) and other applicable regulations of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the appointment of Shri Subrat Kumar as Executive Director of the Bank under Section 9 (3) (a) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 vide Notification Ref. [eF. No.4/6/2021-BO.I dated 21.11.2022 issued by Department of Financial Services, Ministry of Finance, Government of India] w.e.f., 21st November 2022 to 20th November 2025 or until further orders be and is hereby approved".

Item No.5 :

Appointment of Shri Rajneesh Karnatak as the Managing Director & Chief Executive Officer of the Bank.

To consider and if thought fit, to pass the following as an Ordinary Resolution:

"**RESOLVED THAT** pursuant to Regulation 17 (1C) and other applicable regulations of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the appointment of Shri Rajneesh Karnatak as Managing Director & Chief Executive Officer of the Bank under Section 9 (3) (a) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 vide Notification Ref. [eF.No.4/2/2022-BO.I dated 29.04.2023 issued by Department of Financial Services, Ministry of Finance, Government of India] w.e.f., 29th April 2023 to 28th April 2026 or until further orders be and is hereby approved".

Item No.6 :

Appointment of Shri Munish Kumar Ralhan as part-time Non-Official Director of the Bank.

To consider and if thought fit, to pass the following as a **Special Resolution**:

"**RESOLVED THAT** pursuant to Regulation 17 (1C) and other applicable regulations of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the appointment of Shri Munish Kumar Ralhan as part-time Non Official Director of the Bank under Section 9 (3) (h) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 vide Notification Ref. [F.No.6/6/2021-BO.I dated 21.03.2022 issued by Department of Financial Services, Ministry of Finance, Government of India] w.e.f., 21st March 2022 to 20th March 2025 or until further orders be and is hereby approved".

Item No.7:

Raising of Capital of the Bank by way of issuance of fresh Equity Shares and / or by issuance of Additional Tier-1 / Tier-2 Capital as per BASEL III Guidelines.

To consider and if thought fit, to pass with or without modification(s), the following resolution(s) as a **Special Resolution:**

"**RESOLVED THAT** pursuant to the provisions of Section 3 (2B) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (Act), Clause 20 of the the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 (Scheme) and the Bank of India (Shares and Meetings) Regulations, 2007 and other applicable provisions, if any, and subject to the approvals, consents, sanctions, if any, of

के अनुमोदनों, सम्मतियों, स्वीकृतियों, यदि कोई हों, के अध्यधीन एवं ऐसी शर्तों, निबंधनों और आशोधनों के अध्यधीन जो ऐसे अनुमोदन की स्वीकृति में उनके द्वारा यथा विहित किए जाएं और जिसके लिए बैंक के निदेशक बोर्ड द्वारा सहमति प्रदान की जाए तथा इन विनियमनों यथा सेबी (पूंजी निर्गम तथा प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियमन, 2018, यथा संशोधित (आईसीडीआर विनियम), सेबी (सूचीकरण बाध्यता एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमन, 2015 यथा संशोधित (जिसे इसके बाद अलग-अलग या संयुक्त रूप से ''सेबी विनियमन'' कहा जायेगा), सेबी (डेट प्रतिभूतियों का निर्गम और सूचीबद्धीकरण) विनियम, 2008, सेबी (गैर-परिवर्तनीय प्रतिभूतियों का निर्गम और सूचीबद्धीकरण) विनियम, 2021, विदेशी विनिमय प्रबंधन (भारत के बाहर निवासी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण या निर्गम) विनियम, 2017, विदेशी विनिमय प्रबंधन (गैर ऋण-लिखित) नियम, 2019 तथा आरबीआई, सेबी द्वारा लागू नियमों, विनियमों, निर्धारित दिशानिर्देश, परिपत्र तथा स्पष्टीकरण, यदि कुछ हो तो, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के तहत अधिसूचनाओं/परिपत्रों और स्पष्टीकरणों, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 एवं अन्य सभी लागू विधियों और सभी अन्य संगत प्राधिकरणों से समय- समय पर विहित विनियमनों और ऐसे स्टॉक एक्सचेंज के साथ किए गए सूचीबद्धता करारों के अनुसरण में जहां बैंक के इक्विटी शेयर सूचीबद्ध हैं, **बैंक के शेयरधारकों की सहमति है एवं इसके द्वारा बैंक के ''निदेशक बोर्ड''** (इसके पश्चात इसे **''बोर्ड''** कहा जाएगा जिसमें ऐसी कोई समिति भी शामिल समझी जाएगी जो इस संकल्प द्वारा प्रदत्त अधिकारों सहित इसके अधिकारों का प्रयोग करने के लिए गठित हो अथवा इसके पश्चात गठित की गयी हो) को एतद्-द्वारा सहमति दी जाती है कि वे भारत में या भारत के बाहर ऑफर दस्तोवज /प्लेसमेंट दस्तावेजों/प्रोस्पोक्टस या ऐसे अन्य दस्तावेज(जों) के माध्यम से एक या अधिक श्रृंखलाओं में (उस समय लागू विधि द्वारा अनुमत ऐसे निर्गम या ऐसे वर्ग के व्यक्तियों को फर्म आबंटन और/या प्रतिस्पर्धात्मक आधार पर आबंटन हेतु प्रावधान सहित) **रु 6,500 करोड़ (केवल छह हजार पांच सौ करोड़ रुपये) की कुल राशि हेतु** निम्न के अधीन इक्विटी शेयर निम्नलिखित को सृजित, प्रस्तावित, जारी तथा आबंटित करें :

(ए) नकद पर प्रत्येक 10/- के अंकित मूल्य के रु. 4500 करोड़ (केवल चार हजार पांच सौ करोड़ रुपये) तक की राशि तक के नये इक्विटी शेयर, जहां नए चुकता इक्विटी शेयर पूंजी के साथ वर्तमान चुकता इक्विटी शेयर पूंजी, बैंक के रु. 6000 करोड़ की कुल प्राधिकृत पूंजी या इसमें किसी राशि की बढ़ोतरी के अंतर्गत हो, जो कि बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 3(2ए) के अनुरूप बैंक की प्राधिकृत पूंजी की उच्चतम सीमा है, या अन्य कोई राशि जो भारत सरकार तथा/या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा यथा निर्धारित, परन्तु इस संबंध में यह ध्यान रखा जाए कि केन्द्र सरकार की शेयरधारिता हमेशा बैंक की चुकता इक्विटी पूंजी के 51% से कम न हो, चाहे वह डिस्काउंट पर हो या बाजार भाव के प्रति प्रीमियम पर;

(बी) आरबीआई द्वारा बनाए गए दिशानिर्देशों के अनुसार स्थायी डेट उपकरणों, गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर सहित, लेकिन अधीनस्थ डिबेंचर, बांड और / या अन्य डेट प्रतिभूतियों / अधिमानी शेयर इत्यादि तक सीमित नहीं है, को निजी प्लेसमेंट/ सार्वजनिक निर्गम के आधार पर, एक या एक से अधिक भागों में जो बेसल III के अनुरूप टीआईआर 1 पूंजी (घरेलू और विदेशी मुद्रा दोनों) के लिए वर्गीकृत हो सकते हैं, जैसा कि आरबीआई या ऐसे अन्य प्राधिकरण द्वारा पहचाना और वर्गीकृत किया गया है जिसकी कुल राशि **उपरोक्त पैरा (ए) के तहत उल्लिखित राशि सहित रु. 4,500 करोड़ (केवल चार हजार पांच सौ करोड़ रुपये)** तक है, को सब्सक्राइब करने के लिए प्रस्ताव(ओं) या आमंत्रण(णों) हेतु;

(सी) आरबीआई द्वारा बनाए गए दिशानिर्देशों के अनुसार डेट पूंजी लिखतों, गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर सहित, लेकिन अधीनस्थ डिबेंचर, बांड, स्थाई गैर-संचयी

the Reserve Bank of India (**"RBI"**), the Government of India (**"GOI"**), the Securities and Exchange Board of India (**"SEBI"**), and / or any other authority as may be required in this regard and subject to such terms, conditions and modifications thereto as may be prescribed by them in granting such approvals and which may be agreed to by the Board of Directors of the Bank and subject to the regulations viz., SEBI (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018, as amended (ICDR Regulations), SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 as amended (hereinafter separately and collectively called as "SEBI Regulations"), SEBI (Issue and Listing of Debt Securities) Regulations, 2008, SEBI (Issue And Listing Of Non-Convertible Securities) Regulations, 2021, Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by a Person Resident Outside India) Regulations, 2017, the Foreign Exchange Management (Non-debt Instruments) Rules, 2019 and in accordance with the applicable rules, regulations, guidelines, circulars and clarifications, if any, prescribed by the RBI, SEBI, Notifications / Circulars and clarifications under the Banking Regulation Act, 1949, Securities and Exchange Board of India Act, 1992 and all other applicable laws and all other competent authorities from time to time and subject to the Listing Agreements entered into with the Stock Exchanges where the equity shares of the Bank are listed, consent **of the shareholders of the Bank be and is hereby accorded to the Board of Directors of the Bank** (hereinafter called "**the Board**" which shall be deemed to include any Committee which the Board may have constituted or hereafter constitute to exercise its powers including the powers conferred by this Resolution) to create, offer, issue and allot in one or more tranches (including with provision for reservation on firm allotment and/or competitive basis of such part of issue and for such categories of persons as may be permitted by the law then applicable) by way of offer document (s) / placement document / prospectus or such other document (s), in India or abroad **for an aggregate amount not exceeding Rs.6,500 crore (Rupees Six Thousand Five Hundred Crore only) subject to:**

(a) Fresh equity shares of the face value of Rs.10 each for cash at such premium **upto an amount of Rs. 4,500 Crore (Rs. Four Thousand Five Hundred Crore only)**, where the fresh Paid up Equity Share capital together with the existing Paid-up Equity share capital will be within the total authorized capital of Rs.6,000 crore (Rupees Six Thousand Crore only) of the bank, being the ceiling in the Authorised Capital of the Bank as per Section 3(2A) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, or any amount prescribed by the Government of India and / or the Reserve Bank of India in such a way that the Central Govt. shall at all times hold not less than 51% of the paid-up Equity capital of the Bank, whether at a discount or premium to the market price;

(b) For making offer(s) or invitation(s) to subscribe to perpetual debt instruments in accordance with the guidelines framed by RBI, Non-Convertible Debentures including but not limited to Subordinated Debentures, bonds and /or other debt securities/ Preference Shares etc., on a private placement / public issue basis, in one or more tranches which may classify for Basel III compliant TIER 1 Capital (both domestic and foreign currency) as identified and classified by RBI or such other authority for an amount upto **Rs.4,500 Crore (Rupees Four Thousand Five Hundred Crore only), including amount mentioned under para (a) above**,

(c) For making offer(s) or invitation(s) to subscribe to debt capital instruments in accordance with the guidelines framed by

अधिमानी शेयरों और / या अन्य डेट प्रतिभूतियां / अधिमानी शेयर आदि तक सीमित नहीं है, को निजी प्लेसमेंट / सार्वजनिक निर्गम के आधार पर, एक या एक से अधिक भागों में, जो बासल III के अनुरूप टीआईआर 2 पूंजी के लिए वर्गीकृत हो सकते हैं, जैसा कि आरबीआई या ऐसे अन्य प्राधिकरण द्वारा पहचाना और वर्गीकृत किया गया है, जिसकी **कुल राशि रु. 2,000 करोड़ (दो हजार करोड़ रुपये मात्र)** अधिक नहीं है, को सब्सक्राइब करने के लिए प्रस्ताव(ओं) या आमंत्रण(णों) हेतु। उक्त कार्रवाई इस विशेष संकल्प के पारित होने की तारीख से एक वर्ष की अवधि के दौरान एक या अधिक भागों में करना है। उक्त को बैंक के एक या अधिक कर्मचारी, भारतीय नागरिक, अनिवासी भारतीय (''एनआरआई''), कंपनियां, निजी या सार्वजनिक, निवेश संस्थान, सोसायटी, ट्रस्ट, अनुसंधान संगठन, योग्य संस्थागत खरीदार (''क्यूआईबी'') जैसे विदेशी संस्थागत निवेशक (''एफआईआई''), बैंक, वित्तीय संस्थानों, भारतीय म्युचुअल फंड, वेंचर कैपिटल फंड, विदेशी उद्यम पूंजी निवेशकों, राज्य औद्योगिक विकास निगम, बीमा कंपनियों, भविष्य निधि, पेंशन निधि, विकास वित्तीय संस्थान या अन्य संस्थाओं, प्राधिकरणों या निवेशकों की कोई अन्य श्रेणी को जो मौजूदा विनियमों/ दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक की इक्विटी/अधिमानी शेयरों/प्रतिभूतियों में निवेश करने के लिए अधिकृत हैं या किसी उपरोक्त के संयोजन को जैसा कि बैंक द्वारा उचित समझा जाए, को दिया जा सकता है''।

''**आगे यह संकल्प पारित किया जाता है कि,** प्रतिभूतियों का ऐसा निर्गम, प्रस्ताव या आबंटन योग्य संस्थान प्लेसमेंट (क्यूआईपी), पब्लिक इश्यू, राइट्स इश्यू, निजी प्लेसमेंट या जारी करने के ऐसे अन्य तरीके के माध्यम से होगा, जैसा कि लागू विधियों द्वारा प्रतिपादित किया गया है। यह बिना अतिरिक्त-आबंटन के विकल्प या इसके साथ हो सकता है। यह भी कि इस तरह की पेशकश, निर्गम, प्लेसमेंट और प्रतिभूतियों का आबंटन बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम, 1970, सेबी (पूंजी का जारीकरण और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2018 के प्रावधानों (''आईसीडीआर विनियम'') और आरबीआई, सेबी और किसी भी अन्य प्राधिकरण द्वारा जारी किए गए अन्य सभी दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाना चाहिए और यह ऐसे समय या समयों पर ऐसे तरीके से और ऐसे नियमों और शर्तों पर किया जाएगा जो बोर्ड अपने पूर्ण विवेक से, उचित समझे।''

''**आगे यह भी संकल्प पारित किया जाता है कि** जारी किए जाने वाले इक्विटी शेयर उन स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध होंगे जहां बैंक के मौजूदा इक्विटी शेयर सूचीबद्ध हैं।''

''**आगे यह भी संकल्प पारित किया जाता है कि,** पूर्वोक्त मुद्दे / मुद्दों के संबंध में, बोर्ड के पास निर्णय लेने का पूर्ण अधिकार होगा कि वह ऐसी कीमत या कीमतें तय करे जो आईसीडीआर विनियमों के प्रासंगिक प्रावधानों के अनुसार निर्धारित मूल्य से कम नहीं हैं तथा यह इस तरह से और जहां भी आवश्यक हो, लीड प्रबंधकों और/या अंडरराइटरों और/या अन्य सलाहकारों और/या ऐसे नियमों और शर्तों के परामर्श से, जो बोर्ड अपने पूर्ण विवेक से, आईसीडीआर विनियमों, अन्य विनियमों और किसी भी और सभी अन्य लागू विधियों, नियम, विनियम और दिशानिर्देश के संदर्भ में तय कर सकता है, और/या यह इस बात के निरपेक्ष होगा कि प्रस्तावित निवेशक बैंक के मौजूदा शेयरधारक हैं या नहीं।''

''**आगे यह भी संकल्प किया जाता है कि** आईसीडीआर विनियम के अध्याय VI के अनुसार अर्हित संस्थागत नियोजन के मामले में:

क) आईसीडीआर विनियम के अध्याय VI में दिए गए आशय के अनुसार, प्रतिभूतियों का आबंटन केवल अर्हित संस्थागत क्रेताओं को ही किया जाएगा, ऐसी प्रतिभूतियों को पूरी तरह से चुकता किया जाएगा और ऐसी प्रतिभूतियों का आबंटन इस संकल्प की तिथि से 365 दिन अथवा ऐसा अन्य कोई समय जिसकी समय-समय पर जारी आईसीडीआर विनियमों के अंतर्गत अनुमति प्रदान की गई हो, के भीतर पूर्ण किया जाएगा।'

ख) आईसीडीआर विनियमों के विनियमन 176(1) के अनुसार बैंक, शेयरों पर न्यूनतम मूल्य (फ्लोर प्राइस) के पाँच प्रतिशत तक का बट्टा प्रदान करने के लिए प्राधिकृत हैं।

ग) प्रतिभूतियों के न्यूनतम मूल्य (फ्लोर प्राइस) के निर्धारण की उपयुक्त तिथि आईसीडीआर विनियमों के अनुसार होगी।''

RBI, Non-Convertible Debentures including but not limited to Subordinated Debentures, bonds, Perpetual Non-Cumulative Preference Shares and /or other debt securities/ Preference Shares etc., on a private placement / public issue basis, in one or more tranches which may classify for Basel III compliant TIER 2 Capital as identified and classified by RBI or such other authority for an amount not exceeding **Rs.2,000 Crore (Rupees Two Thousand Crore only),**during the period of one year from the date of passing of this Special Resolution in one or more tranches, including to one or more of the , employees of the Bank, Indian nationals, Non-Resident Indians ("**NRIs**"), Companies, private or public, Investment Institutions, Societies, Trusts, Research Organizations, Qualified Institutional Buyers ("**QIBs**") like Foreign Institutional Investors ("**FIIs**"), Banks, Financial Institutions, Indian Mutual Funds, Venture Capital Funds, Foreign Venture Capital Investors, State Industrial Development Corporations, Insurance Companies, Provident Funds, Pension Funds, Development Financial Institutions or other entities, authorities or any other category of investors which are authorized to invest in equity/preference shares/ securities of the Bank as per extant regulations/guidelines or any combination of the above as may be deemed appropriate by the Bank".

"**RESOLVED FURTHER THAT**, such issue, offer or allotment of Securities shall be by way of qualified institutions placement (QIP), public issue, rights issue, private placement or such other mode of issue as may be provided by applicable laws, with or without over-allotment option and that such offer, issue, placement and allotment of securities be made as per the provisions of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, the SEBI (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018 (**"ICDR Regulations")** and all other guidelines issued by the RBI, SEBI and any other authority as applicable, and at such time or times in such manner and on such terms and conditions as the Board may, in its absolute discretion, think fit."

"**RESOLVED FURTHER THAT,** the Equity Shares to be issued shall be listed with the stock exchanges where the existing equity shares of the Bank are listed**."**

"**RESOLVED FURTHER THAT**, in respect of the aforesaid issue/s, the Board shall have the absolute authority to decide, such price or prices not below the price as determined in accordance with relevant provisions of ICDR Regulations, in such manner and wherever necessary, in consultation with the lead managers and /or underwriters and /or other advisors, and/or such terms and conditions as the Board may, in its absolute discretion, decide in terms of ICDR Regulations, other regulations and any and all other applicable laws, rules, regulations and guidelines, and/or whether or not the proposed investor(s) are existing shareholders of the Bank."

"**RESOLVED FURTHER THAT** in case of a Qualified Institutions Placement pursuant to Chapter VI of the ICDR Regulations:

a) the allotment of Securities shall only be to Qualified Institutional Buyers within the meaning of Chapter VI of the ICDR Regulations, such Securities shall be fully paid-up and the allotment of such Securities shall be completed within 365 days from the date of this resolution, or such other time as may be permitted under the ICDR Regulations from time to time."

b) the Bank is pursuant to Regulation 176 (1) of ICDR Regulations authorized to offer shares at a discount of not more than five percent on the floor price.

c) the relevant date for the determination of the floor price of the securities shall be in accordance with the ICDR Regulations."

''**आगे यह भी संकल्प किया जाता है कि** बोर्ड को यह प्राधिकार और शक्ति होगी कि वह प्रस्ताव में किसी ऐसे आशोधन को स्वीकार करे जो भारत सरकार/भारतीय रिज़र्व बैंक/भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड/ऐसे स्टॉक एक्सचेंज जहां बैंक के शेयर्स सूचीबद्ध हैं, अथवा जहां जारी की जाने वाली कर्ज प्रतिभूतियों को सूचीबद्ध किया जाना प्रस्तावित है या ऐसे अन्य उपयुक्त प्राधिकरणों द्वारा निर्गम (इश्यू), आबंटन और उनकी सूचीबद्धता के लिए उनके अनुमोदन, सम्मतियां, अनुमतियां और स्वीकृतियां प्रदान करते/देते समय पर अपेक्षित अथवा अधिरोपित हों और जैसी बोर्ड द्वारा सहमति दी जाए।''

''**आगे यह भी संकल्प किया जाता है कि** एनआरआई, एफपीआई और/या अन्य पात्र विदेशी निवेशों को उपर्युक्त प्रतिभूतियों का निर्गम (इश्यू) एवं आबंटन, यदि कोई हो, लागू विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 के अंतर्गत आरबीआई के अनुमोदन के अध्यधीन होगा, जैसा लागू हो, किन्तु अधिनियम के अंतर्गत एवं अन्य विनियामकों द्वारा यथा निर्धारित संपूर्ण सीमाओं के भीतर ही होगा।''

''**आगे यह भी संकल्प किया जाता है कि** जारी किए जाने वाले उक्त नए इक्विटी शेयर्स, बैंक ऑफ़ इंडिया (शेयर एवं बैठकें) विनियम, 2007 यथा संशोधित के अध्यधीन होंगे और ऐसी घोषणा के समय लागू सांविधिक दिशा-निर्देशों के अनुसार, बैंक के मौजूदा इक्विटी शेयर्स के साथ, लाभांश सहित, यदि कोई हो, के साथ-साथ सभी मामलों में समरूप होंगे।''

''**आगे यह भी संकल्प किया जाता है कि** बोर्ड इस बात के लिए प्राधिकृत हो और उसे एतद्द्वारा प्राधिकृत किया जाता है कि वह किसी भी अग्रणी प्रबंधक(प्रबंधकों), बैंकर(बैंकरों), हामीदार(हामीदारों), निक्षेपागार(निक्षेपागारों) के साथ सभी ऐसी व्यवस्थाएं निष्पादित करे तथा उसमें शामिल हो। उसे इस बात के लिए भी प्राधिकृत किया जाता है कि वह ऐसी सभी एजेंसियां जो उक्त प्रतिभूतियों की ऑफरिंग में शामिल या संबद्ध हैं, उन सभी ऐसी संस्थाओं तथा एजेंसियों को कमीशन, ब्रोकरेज, शुल्क या इनके जैसे माध्यम से पारिश्रमिक दे तथा ऐसी एजेंसियों के साथ ऐसी सभी व्यवस्थाओं, समझौतों, ज्ञापनों, दस्तावेजों इत्यादि में शामिल हो एवं निष्पादित करे।''

''**आगे यह भी संकल्प किया जाता है कि** उपर्युक्त को लागू करने के लिए बोर्ड प्राधिकृत हो और उसे इसके लिए प्राधिकृत किया जाता है कि वह अग्रणी प्रबंधकों, हामीदारों, सलाहकारों तथा/या बैंक द्वारा नियुक्त किए गए अन्य व्यक्तियों के परामर्श से निर्गम(इश्यू) के प्रारूप एवं शर्तों को निर्धारित करे जिसमें निवेशकों की श्रेणी भी शामिल है जिनके लिए उपर्युक्त प्रतिभूतियों को आबंटित किया जाना है, प्रत्येक भाग में आबंटित करने की उनकी संख्या, निर्गम मूल्य (प्रीमियम सहित, यदि कोई हो), अंकित मूल्य, इश्यू संबंधी प्रीमियम राशि/प्रतिभूतियों का रूपान्तरण/एक्ससर्साइज ऑफ वारंटस/ प्रतिभूतियों का मोचन, ब्याज दर, मोचन अवधि, इक्विटी/प्रिफरेंश शेयरों की संख्या या रूपान्तरित अन्य प्रतिभूतियों या प्रतिभूतियों का मोचन या निस्तारीकरण, प्रतिभूतियों के इश्यू/रूपांतरण पर मूल्य, प्रीमियम या छूट, ब्याज दर, रूपान्तरण अवधि, अभिलेख तिथि या बही बंदी का निर्धारण और उससे संबंधित या आकस्मिक मामले, भारत और/या विदेश में एक या एक से अधिक स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध और/या जैसा बोर्ड अपने पूर्ण विवेक से सही पाता है, शामिल हैं।''

''**आगे यह भी संकल्प किया जाता है कि** उपर्युक्त ऐसी सभी प्रतिभूतियां जिन पर सहमति नहीं दी गयी है, उन्हें बोर्ड द्वारा अपने पूर्ण विवेकाधिकार से इस प्रकार से बेचा जा सकता है जैसे बोर्ड उसे सही समझता है और जिसकी अनुमति कानून देता है।''

''**आगे यह भी संकल्प किया जाता है कि** इस संकल्प को लागू करने के लिए बोर्ड प्राधिकृत हो और उसे इसके लिए प्राधिकृत किया जाता है कि वह ऐसे सभी कृत्य, कार्य, मामले और चीजें करे जो उसके पूर्ण विवेकाधिकार में आवश्यक, उचित एवं वांछनीय हों और वह ऐसे किसी प्रश्न, कठिनाई अथवा संदेह का निपटान करे जो शेयरों/प्रतिभूतियों को जारी करने के बारे में उत्पन्न हो सकते हैं और वह सभी दस्तावेजों और तहरीरों को अंतिम रूप देने और निष्पादित करने के लिए ऐसे सभी कृत्य, कार्य, मामले और चीजें करें जो आवश्यक, वांछनीय अथवा समीचीन हों जो उसके पूर्ण विवेकाधिकार में उपयुक्त, उचित और वांछनीय समझे जाएं और यह भी कि इसके लिए शेयरधारकों की कोई और सम्मति अथवा अनुमोदन लेना अपेक्षित नहीं है और यह अभिप्राय है कि शेयरधारकों की ओर से यह माना जाएगा कि उन्होंने इस संकल्प के प्राधिकार द्वारा, अभिव्यक्त रूप से उसको अपना अनुमोदन दिया हुआ है।''

"**RESOLVED FURTHER THAT**, the Board shall have the authority and power to accept any modification in the proposal as may be required or imposed by the GOI / RBI / SEBI/Stock Exchanges where the shares of the Bank are listed or where the Debt Securities to be issued are proposed to be listed or such other appropriate authorities at the time of according / granting their approvals, consents, permissions and sanctions to issue, allotment and listing thereof and as agreed to by the Board."

"**RESOLVED FURTHER THAT** the issue and allotment of aforesaid Securities, if any, to NRIs, FPIs and/or other eligible foreign investments be subject to the approval of the RBI under the Foreign Exchange Management Act, 1999 as may be applicable but within the overall limits set forth under the Act and by other regulators, as applicable"

"**RESOLVED FURTHER THAT** the said new equity shares to be issued shall be subject to the Bank of India (Shares and Meetings) Regulations, 2007 as amended and shall rank in all respects *pari-passu* with the existing equity shares of the Bank including dividend, if any, in accordance with the statutory guidelines that are in force at the time of such declaration."

"**RESOLVED FURTHER THAT**, the Board be and is hereby authorized to enter into and execute all such arrangements with any Lead Manager(s), Banker(s), Underwriter(s), Depository (ies) and all such agencies as may be involved or concerned in such offering of aforesaid Securities and to remunerate all such institutions and agencies by way of commission, brokerage, fees or the like and also to enter into and execute all such arrangements, agreements, memoranda, documents, etc., with such agencies."

"**RESOLVED FURTHER THAT**, for the purpose of giving effect to the above, the Board, in consultation with the Lead Managers, Underwriters, Advisors and / or other persons as appointed by the Bank, be and is hereby authorized to determine the form and terms of the issue(s), including the class of investors to whom the aforesaid Securities are to be allotted, their number to be allotted in each tranche, issue price (including premium, if any), face value, premium amount on issue/conversion of Securities/ exercise of warrants/redemption of Securities, rate of interest, redemption period, number of equity shares /preference shares or other securities upon conversion or redemption or cancellation of the Securities, the price, premium or discount on issue/ conversion of Securities, rate of interest, period of conversion, fixing of record date or book closure and related or incidental matters, listings on one or more stock exchanges in India and / or abroad, as the Board in its absolute discretion deems fit."

"**RESOLVED FURTHER THAT**, such of the aforesaid Securities as are not subscribed may be disposed off by the Board in its absolute discretion in such manner, as the Board may deem fit and as permissible by law."

"**RESOLVED FURTHER THAT**, for the purpose of giving effect to this Resolution, the Board, be and is hereby authorized to do all such acts, deeds, matters and things as it may in its absolute discretion deem necessary, proper and desirable and to settle any question, difficulty or doubt that may arise in regard to the issue, of the shares/ securities and further to do all such acts, deeds, matters and things, finalize and execute all documents and writings as may be necessary, desirable or expedient as it may in its absolute discretion deem fit, proper or desirable without being required to seek any further consent or approval of the shareholders or authorize to the end and intent, that the

''आगे यह भी संकल्प किया जाता है कि बोर्ड इस बात के लिए प्राधिकृत हो और उसे एतद्द्वारा प्राधिकार दिया जाता है कि वह उपर्युक्त संकल्प को लागू करने के लिए प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी (एमडी एंड सीईओ) अथवा कार्यपालक निदेशक (कार्यपालक निदेशकों) को, इसमें प्रदत्त सभी अधिकारों अथवा किन्हीं अधिकारों को प्रत्यायोजित कर दे।''

निदेशक मण्डल के आदेश द्वारा,

ह/-

स्थान: मुंबई
दिनांक: 25.05.2023

रजनीश कर्नाटक
प्रबंध निदेशक एवं सीईओ

नोट्स:-

1. बैठक की मद संख्या 3 से 7 के कारोबार के संबंध में महत्वपूर्ण तथ्यों की जानकारी देने वाली व्याख्यात्मक विवरणी इसमें संलग्न है।

2. कॉरपोरेट मामले मंत्रालय (''एमसीए'') द्वारा जारी परिपत्र संख्या10/2022 दिनांक 28.12.2022 के अनुसार तथा सामान्य परिपत्र संख्या 20/2020 दिनांक 05/05/2020 के पैराग्राफ 3 और 4 में दी गई अपेक्षाओं के अनुसरण में और भारतीय प्रतिभूति एवं विनियमन बोर्ड (सेबी) द्वारा जारी अन्य लागू परिपत्रों के अनुसार कंपनियों को शेयरधारकों की किसी स्थान पर भौतिक उपस्थिती के बगैर वीडियो कॉन्फ्रेंस (वीसी)/ अन्य श्रव्य दृश्य माध्यमों (ओएवीएम) से वार्षिक आम बैठक का आयोजन करने की अनुमति है। कम्पनी अधिनियम 2013, सेबी (सूचिकरण बाध्यताएँ और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम 2015 और एमसीए परिपत्रों के प्रावधानों के अनुपालन में, बैंक वीसी/ओएवीएम के माध्यम से अपनी 27वीं एजीएम आयोजित कर रहा है। बैंक का प्रधान कार्यालय एजीएम का मानद स्थान होगा। बैंक ने वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम आयोजित करने के लिए एजीएम और अटेंडेंट एनेबलर्स के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा प्रदान करने के लिए एनएसडीएल को नियुक्त किया है। रिमोट ई-वोटिंग, वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने तथा एजीएम में वोट देने के संबंध में विस्तृत निर्देश अलग से यहाँ दिए गए हैं।

3. **परोक्षी की नियुक्ति:**

   लागू प्रावधानों के अनुसरण में, वार्षिक आम बैठक में उपस्थित होने और मत देने के लिए हकदार सदस्य स्वयं के बदले किसी परोक्षी को बैठक में उपस्थित होने और मतदान करने के लिए पात्र हैं। परोक्षी को बैंक का सदस्य होना आवश्यक नहीं है। कॉरपोरेट मामले मंत्रालय के परिपत्रकों के अनुसार चूंकि यह वार्षिक आम बैठक वीसी/ओएवीएम के माध्यम से आयोजित की जा रही है अत: सदस्यों की भौतिक उपस्थिति को रद्द कर दिया गया है। तदनुसार, सदस्यों द्वारा परोक्षी को नियुक्त करने की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी और इसलिए, परोक्षी फॉर्म और उपस्थिति पर्ची को इस नोटिसर्कि साथ संलग्न नहीं किया गया है।

4. **प्राधिकृत प्रतिनिधि की नियुक्ति:**

   संस्थागत/कॉरपोरेट शेयरधारकों के लिए (अर्थात् वैयक्तिक/एचयूएफ, एनआरआई आदि के अलावा) के लिए यह आवश्यक होगा कि वे अपने बोर्ड या शासकीय निकाय का संकल्प/उसके द्वारा प्राधिकृत करने संबंधी स्कैन की गई प्रति (पीडीएफ/जेपीजी फॉर्मेट) प्रेषित करें, जिसमें उसकी ओर से उसके प्रतिनिधि को वीसी/ओएवीएम के माध्यम से वार्षिक आम बैठक में भाग लेने और रिमोट ई-वोटिंग के के माध्यम से वोट देने के लिए प्राधिकृत किया गया हो। उक्त प्राधिकार देने/संकल्प को ई-मेल द्वारा headoffice.share@bankofindia.co.in पर बैंक के कम्पनी सचिव को भेजा जाएगा और उसकी एक प्रति स्क्रूटिनाइजर को ई-मेल द्वारा scrutinizer@snaco.net पर तथा एक प्रति evoting@nsdl.co.in पर भी भेजी जाएगी।

5. वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने वाले सदस्यों की उपस्थिति को बैंक (शेयर एवं बैठकें) विनियमन, 2007 के अंतर्गत कोरम सुनिश्चित करने के उद्देश्य से गिना जाएगा।

shareholders shall be deemed to have given their approval thereto expressly by the authority of the Resolution."

"**RESOLVED FURTHER THAT**, the Board be and is hereby authorized to delegate all or any of the powers herein conferred to the Managing Director & Chief Executive Officer (MD & CEO) or to the Executive Director/(s) to give effect to the aforesaid Resolutions."

By order of Board of Directors,

Sd/-

Place: Mumbai
Date: May 25, 2023

Rajneesh Karnatak
Managing Director & CEO

NOTES:

1. The Explanatory Statement setting out the material facts in respect of the business at item No.3 to 7 of the meeting is annexed hereto.

2. In view of the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") Circular No. 10/2022 dated 28.12.2022 and in accordance with the requirements provided in paragraphs 3 and 4 of the General Circular No. 20/2020 dated 05/05/2020 and other applicable circulars issued by the Securities and Exchange Board of India (SEBI), Companies are permitted to hold the AGM through Video Conference (VC) / Other Audio Video Means (OAVM), without the physical presence of the Shareholders at a common venue. In compliance with the provisions of the Companies Act, 2013, SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and MCA Circulars, the 27th AGM of the Bank is being held through VC / OAVM. Hence, Shareholders can attend and participate in the ensuing AGM through VC/OAVM only. The Head Office of the Bank shall be deemed to be the venue of the AGM. The Bank has appointed NSDL to provide Video Conferencing facility for the AGM and the attendant enablers for conducting the AGM through VC/OAVM. The detailed instructions pertaining to remote e-voting, joining the AGM through VC / OAVM and Voting at the AGM are given separately hereunder.

3. **APPOINTMENT OF PROXY:**

   Pursuant to the applicable provisions, a Member entitled to attend and vote at the AGM is entitled to appoint a proxy to attend and vote on his/her behalf and the proxy need not be a Member of the Bank. Since this AGM is being held pursuant to the MCA Circulars, through VC / OAVM, physical attendance of Shareholders has been dispensed with. Accordingly, the facility for appointment of proxies by the Shareholders will not be available for the AGM and hence the Proxy Form and Attendance Slip are not annexed to this Notice.

4. **APPOINTMENT OF AUTHORISED REPRESENTATIVE:**

   Institutional / Corporate Shareholders (i.e. other than individuals / HUF, NRI, etc.) are required to send a scanned copy (PDF/JPG Format) of its Board or governing body Resolution/Authorization etc., authorizing its representative to attend the AGM through VC / OAVM on its behalf and to vote through remote e-voting. The said Resolution/Authorization shall be sent to the Company Secretary of the Bank by email to headoffice.share@bankofindia.co.in with a copy marked to the Scrutinizer by email to scrutinizer@snaco.net with a copy also marked to evoting@nsdl.co.in.

5. The attendance of the Shareholders attending the AGM through VC/OAVM will be counted for the purpose of ascertaining the quorum under the Bank of India (Shares and Meetings) Regulations, 2007.

6. उपर्युक्त एमसीए परिपत्रों तथा सेबी परिपत्र दिनांक 5 जनवरी, 2023 के अनुपालन में, वार्षिक रिपोर्ट 2022-23 के साथ वार्षिक आम बैठक का नोटिस उन शेयरधारकों को केवल इलैक्ट्रॉनिक माध्यम द्वारा ही भेजा जा रहा है जिनके ई-मेल पते बैंक/डिपॉजिटरीज़ में पंजीकृत हैं। शेयरधारक नोट करें कि नोटिस तथा वार्षिक रिपोर्ट 2022-23 बैंक की वेबसाइट www.bankofindia.co.in, स्टॉक एक्सचेंज अर्थात् बीएसई लिमिटेड एवं नैशनल स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट क्रमशः www.bseindia.com और www.nseindia.com पर और एनएसडीएल की वेबसाइट www.evoting.nsdlindia.com पर भी उपलब्ध रहेगी।

7. **वार्षिक रिपोर्ट और बैंक की वार्षिक आम बैठक का नोटिस प्राप्त करने हेतु ईमेल आईडी पंजीकृत करने तथा लाभांश के भुगतान हेतु बैंक खाता विवरणों को अद्यतन करने हेतु प्रक्रिया:**

भौतिकरूप से शेयर धारण करनेवाले शेयरधारकों हेतु: भौतिकरूप से शेयर धारण करनेवाले शेयरधारक (जिनकी ईमेल आईडी पंजीकृत नहीं है), वे बैंक के आरटीए के पास आईएसआर-1 फॉर्म की विधिवत भरी हुई भौतिक प्रति बिगशेयर सेर्विसेज़ प्रा. लि., नंबर एस6-2, 6वां तल, पिन्नेकल बिज़नस पार्क, आहुरा सेंटर के नजदीक, महाकाली केव्स रोड, अंधेरी पूर्व मुंबई - 400093 को प्रेषित करके या info@bigshareonline.com को ईमेल प्रेषित करके अपनी ईमेल आईडी का पंजीकरण और बैंक खाता विवरणों को अद्यतन करवा सकते हैं।

डीमैट रूप में शेयर धारण करनेवाले शेयरधारकों हेतु: अभौतिक रूप में शेयर धारण करने वाले वे शेयरधारक जिनकी ईमेल आईडी/ बैंक खाता पंजीकृत नहीं है, उनसे अनुरोध है कि कृपया डिपॉजिटरी भागीदारों (डीपी) के माध्यम से संबंधित डिपॉजिटरी में अपना ई-मेल पता, मोबाईल नंबर और बैंक खाता विवरण पंजीकृत / अद्यतन करवाएँ।

8. बैंक ऑफ़ इंडिया (शेयर एवं मीटिंग), विनियमन के विनियम 12 तथा सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएँ एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमन, 2015 के लागू विनियम के अनुसार, शेयरधारकों के रजिस्टर को बुधवार, 21 जून, 2023 से मंगलवार, 27 जून, 2023 तक (दोनों दिन शामिल) एजीएम हेतु बंद किया जाएगा।

9. **लाभांश हेतु रिकॉर्ड तिथि:**

31 मार्च 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष हेतु शेयर धारकों के लिए लाभांश की पात्रता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से मंगलवार, 20 जून, 2023 को रिकॉर्ड तिथि के रूप में निर्धारित किया गया है।

10. **लाभांश का भुगतान:**

बैंक के निदेशक मंडल ने 6 मई, 2023 को आयोजित अपनी बैठक में 31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष हेतु पूर्ण रूप से प्रदत्त रु. 10/- के प्रत्येक इक्विटी शेयर के लिए रु. 2.00 लाभांश की अनुशंसा की है। निदेशक मंडल द्वारा यथा अनुशंसित लाभांश यदि बैंक की 27वीं एजीएम में अनुमोदित होता है तो स्रोत पर कर की कटौती की शर्त के अधीन उन शेयरधारकों को भुगतान किया जाएगा जिनके नाम निम्नानुसार प्रदर्शित होते हैं:

क. 20 जून, 2023 को कारोबार समय की समाप्ति पर डिपॉजिटरी (अर्थात् एनएसडीएल और सीडीएसएल) द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली सूची के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखे गए शेयरों के मामले में लाभार्थी स्वामी के रूप में और;

ख. रजिस्ट्रार और बैंक के शेयर अंतरण एजेंट के पास दर्ज सभी अनुरोधों का वैध प्रेषण तथा प्रतिस्थापन प्रभावी होने के बाद 20 जून, 2023 को या उससे पहले बैंक के शेयरधारकों के रजिस्टर में शेयरधारक के रूप में दर्ज

ग. 27वीं एजीएम में लाभांश की घोषणा की तारीख से 30 दिनों के भीतर लाभांश पात्र शेयरधारकों को वितरित किया जाएगा।

6. In compliance with the aforesaid MCA Circulars and SEBI Circular dated 5th January 2023, Notice of the AGM along with the Annual Report 2022-23 is being sent only through electronic mode to those Shareholders whose email addresses are registered with the Bank / Depositories. Shareholders may note that the AGM Notice and Annual Report 2022-23 of the Bank will also be available on the Bank's website www.bankofindia.co.in, websites of the Stock Exchanges i.e BSE Limited and National Stock Exchange of India Ltd., at www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively and on the website of NSDL www.evoting.nsdlindia.com.

7. **Process to register the email id for receiving Bank's AGM Notice and Annual Report and updation of Bank account details for payment of dividend:**

For Physical Shareholders: Shareholders holding shares in physical form, (whose email ids are not registered) can register their email id and update their Bank account details with Bank's RTA by sending either physical copy of duly filled in ISR-1 Form to Bigshare Services Pvt. Ltd., No.S6-2, 6th Floor, Pinnacle Business Park, Next to Ahura Centre, Mahakali Caves Road, Andheri East, Mumbai 400093 or by sending email at info@bigshareonline.com.

For Shareholders holding shares in Demat form: Shareholders holding shares in dematerialised mode and whose email ids / Bank account details are not registered are requested to register / update their email addresses, mobile numbers and Bank account details with their relevant depositories through their Depositary Participants.

8. Pursuant to Regulation 12 of the Bank of India (Shares and Meetings) Regulations and applicable Regulation of SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Register of Shareholders will be closed from Wednesday, June 21, 2023 till Tuesday, June 27, 2023 (both days inclusive) for AGM.

9. **Record Date for Dividend:**

Tuesday, 20th June, 2023 has been fixed as Record Date for the purpose of ascertaining the entitlement of Shareholders for dividend for the financial year ended 31st March, 2023.

10. **Payment of Dividend:**

The Board of Directors of the Bank in their meeting held on 6th May, 2023 has recommended dividend @ Rs.2.00 per equity share of Rs.10/- each fully paid up, for the financial year ended 31st March, 2023. Dividend as recommended by the Board of Directors and if approved at the 27th AGM of the Bank will be paid to those shareholders, subject to deduction of tax at source, whose names appear:

a) As Beneficial Owners at the end of the business hours on 20th June, 2023 as per the list to be furnished by the Depositories (i.e NSDL and CDSL) in respect of shares held in electronic form and;

b) As Shareholders in the Register of Shareholders of the Bank after giving effect to all valid transmission and transposition requests lodged with the Registrar and Share Transfer Agent of the Bank on or before 20th June, 2023.

c) The dividend will be distributed to the eligible shareholders within 30 days from the date of declaration of Dividend at the 27th AGM.

11. **लाभांश पर टीडीएस:**

क) आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार शेयरधारकों को प्राप्त होने पर लाभांश आय कर योग्य है जो 1 अप्रैल, 2020 से प्रभावी है, और बैंक द्वारा शेयरधारकों को भुगतान किए गए लाभांश से निर्धारित दरों पर स्रोत पर कर कटौती किया जाना अपेक्षित है। विभिन्न श्रेणियों के लिए निर्धारित दरों के संबंध में शेयरधारकों से अनुरोध किया जाता है कि आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों और उसमें हुए संशोधनों का संदर्भ लें। शेयरधारकों से अनुरोध है बैंक / आरटीए (भौतिक रूप में रखे गए शेयरों के मामले में) और डिपॉजिटरी (डीमैट रूप में रखे गए शेयरों के मामले में) के साथ अपने पैन को अपडेट करें।

ख) एक निवासी शेयरधारक जिसके पास पैन है और जो कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं है वे स्रोत पर कर में कटौती न करने का लाभ उठाने के लिए फॉर्म सं. 15 जी/15 एच में आरटीए को ईमेल द्वारा वार्षिक घोषणा प्रस्तुत कर सकते हैं। शेयरधारकों से यह नोट करने हेतु अनुरोध है कि यदि उनका पैन पंजीकृत नहीं है तो आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार कर उच्च दरों पर काटा जाएगा। अनिवासी शेयरधारक भारत और उनके निवास के देश के बीच कर संधि के अंतर्गत लाभकारी दरों का लाभ उठा सकते हैं बशर्ते कि अपेक्षित दस्तावेज info@bigshareonline.com पर आरटीए को एक ईमेल भेजकर उपलब्ध करवाएँ अर्थात् गैर-स्थायी प्रतिष्ठान और लाभकारी स्वामित्व की घोषणा, टैक्स रेजिडेंसी सर्टिफिकेट, फॉर्म 10एफ, कोई भी अन्य दस्तावेज जो कर संधि के लाभ उठाने के लिए आवश्यक हों।

ग) उपरोक्त घोषणाएं और दस्तावेज tds@bigshareonline.com पर ईमेल के माध्यम से शेयरधारकों द्वारा प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है।

12. सेबी सूचीकरण विनियम यथा संशोधित विनियम 40 के अनुसार, यदि प्रतिभूतियों के प्रेषण या प्रतिस्थापना हेतु अनुरोध प्राप्त होता है तो सूचीबद्ध कम्पनियों की प्रतिभूतियाँ 1 अप्रैल, 2019 से केवल डीमैट रूप में ही अंतरित की जा सकती हैं। इसे ध्यान में रखते हुए तथा भौतिक शेयर से जुड़े सभी जोखिमों का उन्मूलन करते हुए तथा पोर्टफोलियों प्रबंधन को सरल बनाने के लिए भौतिक रूप से शेयर रखने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने शेयरों को डीमैट रूप में बदलने पर विचार करें। सदस्य इस संबंध में किसी भी सहायता हेतु बैंक या बैंक के रजिस्ट्रारों, अंतरण एजेंटों एवं बिगशेयर सर्विसिज प्राइवेट लिमिटेड से संपर्क कर सकते हैं। सदस्य बैंक की वेबसाइट www.bankofindia.co.in पर प्राय: पूछे जाने वाले प्रश्नों का भी संदर्भ ले सकते हैं।

13. चूंकि एजीएम वीसी/ओएवीएम के माध्यम से आयोजित की जाएगी, अत: इस नोटिस में मार्ग का मानचित्र संलग्न नहीं है।

14. संयुक्त शेयरधारक होने पर, जिनका नाम, बैंक के शेयरधारकों के रजिस्टर के अनुसार नामों के क्रम में प्रथम शेयरधारक के रूप में दर्ज़ है, वे वार्षिक आम बैठक में मतदान करने के हकदार होंगे।

15. जो शेयरधारक खाते या वार्षिक आम बैठक में रखे जाने वाले किसी भी मामले के संबंध में कोई जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, उनसे अनुरोध है कि वे 20 जून, 2023 को या उससे पहले बैंक को headoffice.share@bankofindia.co.in पर तत्संबंधी ई-मेल भेजें। एजीएम में बैंक द्वारा उसका यथोचित उत्तर दिया जाएगा।

16. शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे नोट करें कि ऐसे लाभांश जिनका बैंक के अदत्त लाभांश खाते में ट्रांसफर की तारीख से लगातार 7 वर्ष की अवधि तक नकदीकरण नहीं कराया गया है, वे इन्वेस्टर एजुकेशन एवं प्रोटेक्शन फंड (''आईईपीएफ'') में अंतरित किए जा सकते हैं। ऐसे लाभांश जिनका दावा नहीं किया गया है, से संबंधित शेयरों को भी आईईपीएफ प्राधिकारी के डीमैट खाते में अंतरित किया जा सकता है। इसे ध्यान में रखते हुए, सदस्यों से अनुरोध है कि वे निर्धारित समयावधि के भीतर कम्पनी से अपने लाभांश का दावा करें। ऐसे सदस्य, जिनके दावा न किए गए लाभांश/शेयर आईईपीएफ

11. **TDS on Dividend:**

a) Pursuant to provisions of Income Tax Act, 1961, dividend income is taxable in the hands of shareholders w.e.f 1st April, 2020 and the Bank is required to deduct tax at source from dividend paid to shareholders at the prescribed rates. For the prescribed rates for various categories, the shareholders are requested to refer to the provisions of Income Tax Act, 1961 and amendments thereof. The shareholders are requested to update their PAN with the Bank / RTA (in case of shares held in physical form) and Depositories (in case of shares held in demat form).

b) A residential shareholder with PAN and who is not liable to pay tax can submit a yearly declaration in Form No. 15 G/ 15 H, to avail the benefit of non-deduction of tax at source by email to RTA. Shareholders are requested to note that in case their PAN is not registered, the tax will be deducted at a higher rate as per the provisions of Income Tax Act, 1961. Non-resident shareholders can avail beneficial rates under tax treaty between India and their country of residence, subject to providing the necessary documents i.e. No Permanent Establishment and Beneficial Ownership Declaration, Tax Residency Certificate, Form 10F, any other document which may be required to avail the tax treaty benefits by sending an email to RTA at info@bigshareonline.com.

c) The aforesaid declarations and documents are required to be submitted by the shareholders through mail to tds@bigshareonline.com.

12. As per Regulation 40 of SEBI Listing Regulations, as amended, securities of listed companies can be transferred only in dematerialized form with effect from April 1, 2019 in case of request received for transmission or transposition of securities. In view of this and to eliminate all risks associated with physical shares and for ease of portfolio management, Shareholders holding shares in physical form are requested to consider converting their holdings to dematerialized form. Shareholders can contact the Bank or Bank's Registrars and Transfer Agents, Bigshare Services Pvt. Ltd., for assistance in this regard. Shareholders may also refer to Frequently Asked Questions ("FAQs") on Bank's website www.bankofindia.co.in.

13. Since the AGM will be held through VC / OAVM, the Route Map is not annexed in this Notice.

14. In case of joint holders, the shareholders whose name appears as their first holder in order of names as per the Register of shareholders of the Bank will be entitled to vote at the AGM.

15. Shareholders seeking any information with regard to the accounts or any matter to be placed at the AGM, are requested to write to the Bank on or before **June 20, 2023** through email on headoffice.share@bankofindia.co.in. The same will be replied by the Bank suitably at the AGM.

16. Shareholders are requested to note that, dividends if not encashed for a consecutive period of 7 years from the date of transfer to Unpaid Dividend Account of the Bank, are liable to be transferred to the Investor Education and Protection Fund ("IEPF"). The shares in respect to such unclaimed dividends are also liable to be transferred to the demat account of the IEPF Authority. In view of this, Shareholders are requested to claim their dividends from the Company, within the stipulated timeline. The Shareholders, whose unclaimed dividends/

को अंतरित कर दिये गए हैं, वे इसके दावे के लिए www.iepf.gov.in पर उपलब्ध वेब फॉर्म सं. आईईपीएफ-5 में आईईपीएलएफ प्राधिकारी को ऑनलाइन आवेदन करें। अधिक जानकारी के लिए, कृपया इस वार्षिक रिपोर्ट का अंश, कॉर्पोरेट प्रशासन रिपोर्ट तथा बैंक की वेबसाइट www.bankofindia.co.in पर निवेशक पृष्ठ के प्राय: पूछे जाने वाले प्रश्नों का संदर्भ लें।

17. **ई-वोटिंग**

बैंक को प्रसन्नता है कि वह नोटिस में उल्लिखित मदों पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से वोट डालने के लिए बैंक के शेयरधारकों के लिए रिमोट ई-वोटिंग सुविधा उपलब्ध करवा रहा है। बैंक उन शेयरधारकों के लिए एजीएम के दौरान ई-वोटिंग की सुविधा उपलब्ध कराएगा जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग की प्रक्रिया के दौरान मतदान नहीं किया था। बैंक ने मेसर्स एस.एन.अनंतसुब्रमणियन एवं कंपनी, प्रैक्टिस करने वाले कंपनी सचिवों को ई-वोटिंग प्रक्रिया को न्यायोचित और पारदर्शी ढंग से पूरा करने के लिए स्क्रूटिनाइज़र के रूप में नियुक्त किया है। शेयरधारकों/स्वामित्व हितधारकों का ई-वोटिंग अधिकार उनके द्वारा यथा मंगलवार, 20 जून, 2023 को धारित इक्विटी शेयरों पर माना जाएगा जो इस हेतु कट-ऑफ तारीख है। कट-ऑफ तारीख पर भौतिक अथवा डीमैट रूप में बैंक का शेयर रखने वाले शेयरधारक अपना वोट इलेक्ट्रानिक रूप से डाल सकते हैं।

18. **ई-वोटिंग अनुदेश**

शेयरधारकों के लिए ई-वोटिंग एवं वर्चुअल बैठकों से जुडने हेतु अनुदेश निम्नलिखित हैं :

रिमोट ई-वोटिंग की अवधि 22 जून, 2023, प्रात: 09.00 बजे से आरम्भ होगी तथा 26 जून, 2023 सायं 5.00 बजे समाप्त होगी। इसके बाद एनएसडीएल द्वारा मतदान हेतु रिमोट ई-वोटिंग मॉड्यूल को बंद कर दिया जाएगा। शेयरधारक जिनके नाम निर्दिष्ट दिनांक (कट-ऑफ दिनांक) अर्थात 20 जून, 2023 तक शेयरधारकों/हिताधिकारी स्वामियों के रजिस्टर में दिखायी देते हैं, वे इलैक्ट्रॉनिक रूप से अपना मतदान कर सकते हैं। शेयरधारकों को मतदान अधिकार यथा 20 जून, 2023 कट-ऑफ दिनांक को प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी में उनके शेयर के अनुपात में होगा।

मैं एनएसडीएल ई-वोटिंग सिस्टम का प्रयोग करके इलेक्ट्रानिक रूप से कैसे मतदान करूँ?

एनएसडीएल ई-वोटिंग सिस्टम पर इलेक्ट्रानिक रूप से मतदान करने में ''दो चरण'' शामिल हैं, जिनका उल्लेख नीचे किया गया है:

चरण 1: एनएसडीएल ई-वोटिंग सिस्टम को एक्सेस करना

ए) **डीमैट रूप में प्रतिभूतियाँ रखने वाले वैयक्तिक शेयरधारकों हेतु ई-वोटिंग एवं वर्चुअल बैठक से जुडने की लॉगइन प्रक्रिया**

सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा प्रदान की जाने वाली ई-वोटिंग सुविधा पर सेबी के परिपत्र दिनांक 9 दिसंबर, 2020 के संबंध में,एकल शेयरधारकों जिनके पास डीमैट रूप में प्रतिभूतियाँ हैं उन्हें अपने डीमैट खाता जो डिपॉजटरीज एंड डिपॉजटरी पार्टीसिपेंट्स में है,के माध्यम से मतदान करने की अनुमति है।

शेयरधारकों का प्रकार	लॉग-इन प्रकिया
एनएसडीएल में डीमैट स्वरूप में प्रतिभूति धारण करने वाले एकल शेयरधारक	1) मौजूदा आईडीईएएस यूजर निजी कम्प्यूटर या मोबाइल से एनएसडीएल की ई-सर्विस वेबसाइट https://eservices.nsdl.com पर विजिट कर सकते हैं। ई-सर्विस होमपेज पर ''हिताधिकारी स्वामी'' आइकन के अंतर्गत ''लॉगइन'' पर क्लिक करें, जो आईडीईएएस खंड के अंतर्गत उपलब्ध है, और अपना मौजूदा यूजर आईडी एवं पासवर्ड डालने के लिए सूचित करेगा। सफलतापूर्वक अधिप्रमाणन के बाद, आप वैल्यू एडेड सर्विसेस के अंतर्गत ई-वोटिंग सर्विसेज देख सकेंगे। ई-वोटिंग सर्विसेज के अंतर्गत 'एक्सेस टू ई-वोटिंग' पर क्लिक कर आप ई-वोटिंग पेज देख सकेंगे। कम्पनी के नाम या ई-वोटिंग सेवा प्रदाता अर्थात एनएसडीएल के नाम पर

shares have been transferred to IEPF, may claim the same by making an online application to the IEPF Authority in web Form No. IEPF-5 available on www.iepf.gov.in. For details, please refer to Corporate Governance Report which is a part of this Annual Report and FAQ of investor page on Bank's website http:www.bankofindia.co.in.

17. **E-VOTING**

The Bank is pleased to provide remote e-voting facility to the shareholders of the Bank to enable them to cast their votes electronically on the items mentioned in the notice. The Bank will also provide e-voting facility during the AGM for those shareholders who have not casted their votes during the remote e-voting process. The Bank has appointed M/s. S N ANANTHASUBRAMANIAN & Co., Practising Company Secretaries as the Scrutinizer for conducting the e-voting process in a fair and transparent manner. The E-voting rights of the shareholders/beneficiary owners shall be reckoned on the equity shares held by them as on **Tuesday, June 20, 2023** being the cut-off date for the purpose. Shareholders of the Bank holding share either in physical or in dematerialized form, as on the Cut-off date, may cast their vote electronically.

18. **E-VOTING INSTRUCTIONS**

THE INTRUCTIONS TO SHAREHOLDERS FOR E-VOTING AND JOINING VIRTUAL MEETINGS ARE AS UNDER:

The remote e-voting period begins on June 22, 2023 at 09:00 A.M. and ends on June, 26, 2023 at 05:00 P.M. The remote e-voting module shall be disabled by NSDL for voting thereafter. The Shareholders, whose names appear in the Register of Shareholders / Beneficial Owners as on the Specified date (cut-off date) i.e. June 20, 2023 may cast their vote electronically. The voting right of shareholders shall be in proportion to their share in the paid-up equity share capital of the Company as on the cut-off date, being June 20, 2023.

How do I vote electronically using NSDL e-Voting system?

The way to vote electronically on NSDL e-Voting system consists of "Two Steps" which are mentioned below:

Step 1: Access to NSDL e-Voting system

A) **Login method for e-Voting and joining virtual meeting for Individual shareholders holding securities in demat mode**

In terms of SEBI circular dated December 9, 2020 on e-Voting facility provided by Listed Companies, Individual shareholders holding securities in demat mode are allowed to vote through their demat account maintained with Depositories and Depository Participants.

Type of shareholders	Login Method
Individual Shareholders holding securities in demat mode with NSDL.	1. Existing **IDeAS** user can visit the e-Services website of NSDL Viz. https://eservices.nsdl.com either on a Personal Computer or on a mobile. On the e-Services home page click on the "**Beneficial Owner"** icon under **"Login"** which is available under **'IDeAS'** section , this will prompt you to enter your existing User ID and Password. After successful authentication, you will be able to see e-Voting services under Value added services. Click on **"Access to e-Voting"** under e-Voting services and you will be able to see e-Voting page. Click on company name

	क्लिक करें तथा आप रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान या वर्चुअल मीटिंग में भाग लेने या मीटिंग के दौरान वोट देने के लिए दुबारा ई-वोटिंग सेवा प्रदाता की वेबसाइट पर पहुँच जाएंगे। 2) यदि यूज़र IDeAS ई-सर्विसेज हेतु पंजीकृत नहीं है, तो पंजीकरण हेतु विकल्प https://eservices.nsdl.com पर उपलब्ध है। "Register Online for IDeAS Portal" का चयन करें या https://eservices.nsdl.com/SecureWeb/IdeasDirectReg.isp पर क्लिक करें। 3) एनएसडीएल की ई-वोटिंग वेबसाइट पर जाएँ। किसी निजी कम्प्यूटर या मोबाइल पर यूआरएल https://www.evoting.nsdl.com टाइप कर वेबब्राउजर खोलें। ई-वोटिंग सिस्टम का होम पेज लॉन्च हो जाने के बाद, 'शेयराहोल्डर्स/मेम्बर्स' खंड में उपलब्ध 'लॉगइन' आइकन पर क्लिक करें। एक नई स्क्रीन खुलेगी। अपनी यूज़र आईडी (एनएसडीएल में आपकी 16 अंकों की डीमैट खाता संख्या), पासवर्ड/ओटीपी तथा स्क्रीन पर दिखाई दे रहा सत्यापन कोड डालें। सफलतापूर्वक अधिप्रमाणन के बाद, आप एनएसडीएल डिपॉजिटरी साइट पर पहुँचेंगे, जहाँ आपको ई-वोटिंग पेज दिखाई देगा। कम्पनी के नाम या ई-वोटिंग सेवा प्रदाता अर्थात एनएसडीएल के नाम पर क्लिक करें तथा आप रिमोट ई-वोटिंग की अवधि के दौरान मतदान करने या वर्चुअल मीटिंग में भाग लेने तथा मीटिंग के दौरान वोट देने के लिए दोबारा ई-वोटिंग सेवा प्रदाता वेबसाइट पर पंहुच जाएंगे। 4) शेयरधारक/सदस्य निर्बाध मतदान अनुभव के लिए नीचे उल्लिखित क्यूआर कोड को स्कैन करके एनएसडीएल मोबाइल ऐप ''NSDL Speede'' सुविधा भी डाउनलोड कर सकते हैं। **NSDL Mobile App is available on** App Store Google Play
सीडीएसएल में डीमैट रूप में प्रतिभूतियाँ रखने वाले एकल शेयरधारक	1) प्रयोगकर्ता, जिन्होंने सीडीएसएल Easi / Easiest facility का चयन किया है, अपनी मौजूदा यूजर आईडी एवं पासवर्ड से लॉग-इन कर सकते हैं। बिना किसी अधिप्रमाणन के ई-वोटिंग पेज तक पहुँचने का विकल्प उपलब्ध कराया जाएगा। Easi / Easiest पर लॉग-इन करने वाले प्रयोगकर्ता www.cdslindia.com वेबसाइट पर जाएं और लॉग-इन आइकॉन पर क्लिक करें तथा New System Myeasi टैब पर क्लिक करें और उसके बाद अपना मौजूदा my easi यूजर नाम एवं पासवर्ड का चयन करें।

	or **e-Voting service provider i.e. NSDL** and you will be re-directed to e-Voting website of NSDL for casting your vote during the remote e-Voting period or joining virtual meeting & voting during the meeting. 2. If you are not registered for IDeAS e-Services, option to register is available at https://eservices.nsdl.com. Select **"Register Online for IDeAS Portal"** or click at https://eservices.nsdl.com/SecureWeb/IdeasDirectReg.jsp 3. Visit the e-Voting website of NSDL. Open web browser by typing the following URL: https://www.evoting.nsdl.com/ either on a Personal Computer or on a mobile. Once the home page of e-Voting system is launched, click on the icon "Login" which is available under 'Shareholder/Member' section. A new screen will open. You will have to enter your User ID (i.e. your sixteen digit demat account number hold with NSDL), Password/OTP and a Verification Code as shown on the screen. After successful authentication, you will be redirected to NSDL Depository site wherein you can see e-Voting page. Click on company name or **e-Voting service provider i.e. NSDL** and you will be redirected to e-Voting website of NSDL for casting your vote during the remote e-Voting period or joining virtual meeting & voting during the meeting. 4. Shareholders/Members can also download NSDL Mobile App "**NSDL Speede**" facility by scanning the QR code mentioned below for seamless voting experience. **NSDL Mobile App is available on** App Store Google Play
Individual Shareholders holding securities in demat mode with CDSL	1. Users who have opted for CDSL Easi / Easiest facility, can login through their existing user id and password. Option will be made available to reach e-Voting page without any further authentication. The users to login Easi /Easiest are requested to visit CDSL website www.cdslindia.com and click on login icon & New System Myeasi Tab and then user your existing my easi username & password.

	2) सफलतापूर्वक लॉग-इन करने के बाद Easi / Easiest प्रयोगकर्ता कंपनी द्वारा प्रदान की गई जानकारी के अनुसार, पात्र कम्पनियों जहाँ ई-वोटिंग चल रही है, हेतु ई-वोटिंग का विकल्प देख पाएंगें। ई-वोटिंग विकल्प पर क्लिक करने पर, प्रयोगकर्ता बैठक के दौरान वर्चुअल बैठक से जुडने एवं मतदान करने या रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान अपना वोट डालने हेतु ई-वोटिंग सेवा प्रदाता के ई-वोटिंग पेज को देख पाने में सक्षम होंगे। इसके अतिरिक्त, सभी ई-वोटिंग सेवा प्रदाताओं के सिस्टम के एक्सेस के लिए भी लिंक उपलब्ध कराए गए हैं, जिससे कि प्रयोगकर्ता ई-वोटिंग सेवा प्रदाता वेबसाइट पर सीधे जा सके। 3) यदि प्रयोगकर्ता का Easi/Easiest हेतु पंजीकरण नहीं है, तो सीडीएसएल वेबसाइट www.cdslindia.com पर पंजीकरण का विकल्प उपलब्ध है तथा लॉगइन पर क्लिक करें एवं New System Myeasi टैब पर क्लिक करें और उसके बाद पंजीकरण विकल्प पर क्लिक करें । 4) इसके अलावा, यूज़र www.cdslindia.com होम पेज पर उपलब्ध एक ई-वोटिंग लिंक से डीमैट खाता संख्या तथा पैन नम्बर उपलब्ध करा कर भी ई-वोटिंग पेज पर सीधे एक्सेस कर सकते हैं। सिस्टम डीमैट खाते में रिकॉर्ड किए गए पंजीकृत मोबाइल नंबर तथा ई-मेल पर ओटीपी भेजकर यूज़र को अधिप्रमाणित करेगा। सफल अधिप्रमाणन के बाद, यूज़र ई-वोटिंग विकल्प देख सकेगा, जहां ई-वोटिंग की प्रक्रिया चल रही होगी तथा साथ ही सभी ई-वोटिंग सेवा प्रदाताओं के सिस्टम में सीधे एक्सेस भी कर सकेगा।
एकल शेयरधारक (डीमैट स्वरूप में प्रतिभूति धारण करने वाले) अपने निक्षेपागार सहभागी के माध्यम से	आप ई-वोटिंग सुविधा के लिए एनएसडीएल/सीडीएसएल में पंजीकृत निक्षेपागार के माध्यम से अपने डीमैट खाते के लॉगइन क्रेडेंशल का प्रयोग कर भी लॉगइन कर सकते हैं। लॉगइन करने के बाद, आप ई-वोटिंग विकल्प देख सकेंगे। ई-वोटिंग विकल्प पर क्लिक करने के बाद, सफलतापूर्वक अधिप्रमाणन के बाद दुबारा एनएसडीएल/सीडीएसएल डिपॉजिटरी साइट पर पहुंचेंगे, जहाँ आप ई-वोटिंग फीचर देख सकेंगे। कम्पनी के नाम या ई-वोटिंग सेवा प्रदाता अर्थात एनएसडीएल के नाम पर क्लिक कर आप रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान वोट देने या वर्चुअल मीटिंग में भाग लेने या मीटिंग के दौरान वोट देने के लिए दुबारा एनएसडीएल की ई-वोटिंग सेवा प्रदाता की वेबसाइट पर पहुंचेंगे।

शेयरधारकों को सूचित किया जाता है कि ई-वोटिंग सुविधा का एक्सेस करने के लिए अपने डीमैट खाता में अपना मोबाइल नंबर एवं ईमेल आईडी अद्यतित करें।

डीमैट रूप में प्रतिभूतियाँ रखने वाले एकल शेयरधारकों के लिए लॉगइन प्रक्रिया निम्नलिखित दी गयी है:

महत्वपूर्ण नोट: जो सदस्य यूज़र आईडी/पासवर्ड प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं उन्हें सूचित किया जाता है कि ऊपर उल्लिखित वेबसाइट पर उपलब्ध विकल्प फॉरगॉट यूज़र आईडी तथा फॉरगॉट पासवर्ड का प्रयोग करें।

	2. After successful login the Easi / Easiest user will be able to see the e-Voting option for eligible companies where the evoting is in progress as per the information provided by company. On clicking the evoting option, the user will be able to see e-Voting page of the e-Voting service provider for casting your vote during the remote e-Voting period or joining virtual meeting & voting during the meeting. Additionally, there is also links provided to access the system of all e-Voting Service Providers, so that the user can visit the e-Voting service providers' website directly. 3. If the user is not registered for Easi/ Easiest, option to register is available at CDSL website www.cdslindia.com and click on login & New System Myeasi Tab and then click on registration option. 4. Alternatively, the user can directly access e-Voting page by providing Demat Account Number and PAN No. from a e-Voting link available on www.cdslindia.com home page. The system will authenticate the user by sending OTP on registered Mobile & Email as recorded in the Demat Account. After successful authentication, user will be able to see the e-Voting option where the evoting is in progress and also able to directly access the system of all e-Voting Service Providers.
Individual Shareholders (holding securities in demat mode) login through their depository participants	You can also login using the login credentials of your demat account through your Depository Participant registered with NSDL/ CDSL for e-Voting facility. upon logging in, you will be able to see e-Voting option. Click on e-Voting option, you will be redirected to NSDL/CDSL Depository site after successful authentication, wherein you can see e-Voting feature. Click on company name or e-Voting service provider i.e. NSDL and you will be redirected to e-Voting website of NSDL for casting your vote during the remote e-Voting period or joining virtual meeting & voting during the meeting.

Shareholders are advised to update their mobile number and email Id in their demat accounts in order to access e-Voting facility.

Login method for Individual shareholders holding securities in demat mode is given below:

Important note: Shareholders who are unable to retrieve User ID/ Password are advised to use Forget User ID and Forget Password option available at abovementioned website.

डीमैट स्वरूप में प्रतिभूति धारण करने वाले शेयरधारकों हेतु डिपॉजिटरी अर्थात् सीडीएसएल तथा एनएसडीएल के माध्यम से लॉगइन करने संबंधी किसी भी तकनीकी मामले के लिए हेल्पडेस्क

लॉगइन का प्रकार	हेल्पडेक्स का विवरण
एनएसडीएल में डीमैट स्वरूप में प्रतिभूति धारण करने वाले एकल शेयरधारक	जिन सदस्यों को लॉगइन करने में किसी तकनीकी समस्या का सामना करना पड़ रहा है वे evoting@nsdl.co.in पर अनुरोध प्रेषित कर या टोल फ्री सं 022-4886 7000 तथा 022-2499 7000 पर कॉल करके एनएसडीएल हेल्पडेस्क पर सम्पर्क कर सकते हैं ।
सीडीएसएल में डीमैट स्वरूप में प्रतिभूति धारण करने वाले एकल शेयरधारक	जिन सदस्यों को लॉगइन करने में किसी तकनीकी समस्या का सामना करना पड़ रहा है वे helpdesk.evoting@cdslindia.com पर अनुरोध प्रेषित कर या टोल फ्री सं 1800 22 55 33 पर कॉल करके सीडीएसएल हेल्पडेस्क पर सम्पर्क कर सकते हैं ।

(बी) डीमैट स्वरूप में शेयरधारण करने वाले शेयरधारकों तथा भौतिक स्वरूप में शेयरधारण करने वाले शेयरधारकों से भिन्न शेयरधारकों के लिए वर्चुअल मीटिंग में भाग लेने या ई-वोटिंग हेतु लॉगइन की विधि।

एनएसडीएल ई-वोटिंग वेबसाइट पर लॉग-इन कैसे करें?

1) एनएसडीएल (NSDL) की ई-वोटिंग वेबसाइट पर जाएँ। निम्नलिखित यूआरएल के माध्यम से वेब ब्राउज़र को खोलें; URL: https://www.evoting.nsdl.com/, इसे आप अपने कंप्यूटर या मोबाइल के माध्यम से खोल सकते हैं।

2) ई-वोटिंग सिस्टम के होम पेज पर जाकर 'शेयरहोल्डर/मेम्बर' खंड में जाएँ एवं ''Login'' आइकॉन पर क्लिक करें।

3) एक नई स्क्रीन खुलेगी जिसमें आपको अपना यूज़र आईडी, पासवर्ड तथा स्क्रीन पर प्रदर्शित सत्यापन कोड दर्ज करना होगा।

वैकल्पिक रूप से, यदि आप एनएसडीएल (NSDL) सर्विसेज़ अर्थात आईडीईएस (IDEAS) पर पंजीकृत हैं तो आप अपने मौजूदा आईडीईएस (IDEAS) लॉगिन के माध्यम से https://eservices.nsdl.com/, पर लॉग-इन कर सकते हैं। अपनी लॉग-इन जानकारी के माध्यम से एनएसडीएल (NSDL) सर्विसेज़ पर लॉग-इन करने के पश्चात आप ई-वोटिंग पर क्लिक करके दूसरे चरण में ईलेक्ट्रानिक रूप से अपना वोट दे सकते हैं।

4) आपके यूजर आईडी विवरण नीचे दिये गए हैं:

शेयर धारण प्रणाली अर्थात डीमैट (एनएसडीएल या सीडीएसएल) अथवा भौतिक रूप से	आपकी यूजर आईडी
क. एनएसडीएल में डीमैट स्वरूप में प्रतिभूति धारण करने वाले शेयरधारकों हेतु	8 अक्षरों की डीपी आईडी तद्पश्चात 8 अंकों की ग्राहक आईडी उदाहरण के तौर पर यदि आपकी डीपी आईडी IN300*** तथा ग्राहक आईडी 12****** है तो आपकी यूजर आईडी IN300***12****** है।
ख. सीडीएसएल में डीमैट रूप में प्रतिभूतियाँ धारण करने वाले शेयरधारकों हेतु	16 अंकों की बेनीफिशियरी आईडी उदाहरणतया यदि आपकी बेनीफिशियरी आईडी 12************** है तो आपकी यूजर आईडी 12************** है।

Helpdesk for Individual Shareholders holding securities in demat mode for any technical issues related to login through Depository i.e. NSDL and CDSL.

Login type	Helpdesk details
Individual Shareholders holding securities in demat mode with NSDL	Shareholders facing any technical issue in login can contact NSDL helpdesk by sending a request at evoting@nsdl.co.in or call at 022-4886 7000 and 022-2499 7000
Individual Shareholders holding securities in demat mode with CDSL	Shareholders facing any technical issue in login can contact CDSL helpdesk by sending a request at helpdesk.evoting@cdslindia.com or contact at toll free no. 1800 22 55 33

B) Login Method for e-Voting and joining virtual meeting for shareholders other than Individual shareholders holding securities in demat mode and shareholders holding securities in physical mode.

How to Log-in to NSDL e-Voting website?

1. Visit the e-Voting website of NSDL. Open web browser by typing the following URL: https://www.evoting.nsdl.com/ either on a Personal Computer or on a mobile.

2. Once the home page of e-Voting system is launched, click on the icon "Login" which is available under 'Shareholder/ Member' section.

3. A new screen will open. You will have to enter your User ID, your Password/OTP and a Verification Code as shown on the screen.

   Alternatively, if you are registered for NSDL eservices i.e. IDEAS, you can log-in at https://eservices.nsdl.com/ with your existing IDEAS login. Once you log-in to NSDL eservices after using your log-in credentials, click on e-Voting and you can proceed to Step 2 i.e. Cast your vote electronically.

4. Your User ID details are given below :

Manner of holding shares i.e. Demat (NSDL or CDSL) or Physical	Your User ID is:
a) For Shareholders who hold shares in demat account with NSDL.	8 Character DP ID followed by 8 Digit Client ID For example if your DP ID is IN300*** and Client ID is 12****** then your user ID is IN300***12******.
b) For Shareholders who hold shares in demat account with CDSL.	16 Digit Beneficiary ID For example if your Beneficiary ID is 12************** then your user ID is 12**************

शेयर धारण प्रणाली अर्थात डीमैट (एनएसडीएल या सीडीएसएल) अथवा भौतिक रूप से	आपकी यूजर आईडी
ग. भौतिक रूप में प्रतिभूति धारण करने वाले शेयरधारकों हेतु	EVEN संख्या तद्पश्चात कंपनी की रजिस्टर्ड फोलियो संख्या उदाहरब के तौर पर यदि फोलियो संख्या 001*** एवं EVEN संख्या 101456 है तो यूजर आईडी 101456001*** है।

5. एकल शेयरधारकों के अतिरिक्त अन्य शेयर धारकों हेतु पासवर्ड विवरण नुम्नानुसार है:

क) यदि आप पहले से ही ई-वोटिंग हेतु पंजीकृत है तो आप लॉगिन करने और वोट देने के लिए अपने मौजूदा पासवर्ड का प्रयोग कर सकते हैं।

ख) यदि आप एनएसडीएल ई-वोटिंग प्रणाली का प्रयोग पहली बार कर रहे हैं तो आपको पूर्व में प्राप्त 'इनिशियल पासवर्ड' को पुन: प्राप्त करना होगा। अपने 'इनिशियल पासवर्ड' को पुन: प्राप्त करने के पश्चात 'इनिशियल पासवर्ड' प्रविष्ट करने पर सिस्टम आपको पासवर्ड बदलने का विकल्प देगा।

ग) 'इनिशियल पासवर्ड' को पुन:प्राप्त कैसे करें?

(i) यदि आपकी ईमेल आईडी डीमैट खाते या कंपनी के साथ पंजीकृत है तो आपका 'इनिशियल पासवर्ड' आपकी ईमेल आईडी पर भेजा जाता है। अपनी ईमेल आईडी में एनएसडीएल द्वारा प्राप्त मेल को खोजें। ईमेल एवं उसमें प्राप्त संलग्नक को खोलें जो कि एक पीडीएफ़ फ़ाइल है। पीडीएफ़ फ़ाइल को खोलें। पीडीएफ़ फ़ाइल को खोलने हेतु पासवर्ड आपके एनएसडीएल (NSDL) खाते के लिए आपकी 8 अंकों की क्लाइंट आईडी, सीडीएसएल खाते के लिए क्लाइंट आईडी के अंतिम 8 अंक या भौतिक रूप में रखे गए शेयरों के लिए फोलियो नंबर है। पीडीएफ़ फ़ाइल में आपकी 'उपयोगकर्ता ID' और आपका 'प्रारंभिक पासवर्ड' होता है।

(ii) यदि आपकी ईमेल आईडी पंजीकृत नहीं है, तो कृपया उन शेयरधारकों हेतु प्रक्रिया में नीचे दिए गए चरणों का पालन करें जिनकी ईमेल आईडी पंजीकृत नहीं हैं।

6. यदि आप 'प्रारंभिक पासवर्ड' को पुन: प्राप्त करने में असमर्थ है या अभी तक 'प्रारंभिक पासवर्ड' प्राप्त नहीं किया है या पासवर्ड भूल गए हैं:

क. www.evoting.nsdl.com. पर उपलन्ध विकल्प "**<u>फॉर्गोट यूजर डिटेल/पासवर्ड?</u>**" पर क्लिक करें(यदि आप एनएसडीएल अथवा सीडीएसएल के डीमैट खाते में शेयर धारण करते है)।

ख. www.evoting.nsdl.com. पर उपलन्ध विकल्प "**<u>फिजिकल यूजर रीसेट पासवर्ड?</u>**" (यदि आप भौतिक रूप में शेयर धारण करते हैं)

ग. यदि आप उपरोक्त दो विकल्पों द्वारा भी पासवर्ड प्राप्त करने में असमर्थ हैं, तो आप अपने डीमैट खाता संख्या / फोलियो नंबर, अपने पैन, अपने नाम और अपने पंजीकृत पते आदि का उल्लेख करते हुए evoting@nsdl.co.in पर अनुरोध भेज सकते हैं।

घ. शेयरधारक एनएसडीएल की ई-वोटिंग प्रणाली पर वोट डालने के लिए ओटीपी (वन टाइम पासवर्ड) आधारित लॉगिन का भी उपयोग कर सकते हैं।

7. अपना पासवर्ड दर्ज करने के बाद, चेक बॉक्स पर चयन करके "नियम और शर्तों" पर टिक करें।

Manner of holding shares i.e. Demat (NSDL or CDSL) or Physical	Your User ID is:
c) For Shareholders holding shares in Physical Form.	EVEN Number followed by Folio Number registered with the company For example if folio number is 001*** and EVEN is 101456 then user ID is 101456001***

5. Password details for shareholders other than Individual shareholders are given below:

a) If you are already registered for e-Voting, then you can use your existing password to login and cast your vote.

b) If you are using NSDL e-Voting system for the first time, you will need to retrieve the 'initial password' which was communicated to you. Once you retrieve your 'initial password', you need to enter the 'initial password' and the system will force you to change your password.

c) How to retrieve your 'initial password'?

(i) If your email ID is registered in your demat account or with the company, your 'initial password' is communicated to you on your email ID. Trace the email sent to you from NSDL from your mailbox. Open the email and open the attachment i.e. a .pdf file. Open the .pdf file. The password to open the .pdf file is your 8 digit client ID for NSDL account, last 8 digits of client ID for CDSL account or folio number for shares held in physical form. The .pdf file contains your 'User ID' and your 'initial password'.

(ii) If your email ID is not registered, please follow steps mentioned below in **process for those shareholders whose email ids are not registered.**

6. If you are unable to retrieve or have not received the " Initial password" or have forgotten your password:

a) Click on "**<u>Forgot User Details/Password</u>**?"(If you are holding shares in your demat account with NSDL or CDSL) option available on www.evoting.nsdl.com.

b) **<u>Physical User Reset Password</u>**?" (If you are holding shares in physical mode) option available on <u>www.evoting.nsdl.com</u>.

c) If you are still unable to get the password by aforesaid two options, you can send a request at <u>evoting@nsdl.co.in</u> mentioning your demat account number/folio number, your PAN, your name and your registered address etc.

d) Shareholders can also use the OTP (One Time Password) based login for casting the votes on the e-Voting system of NSDL.

7. After entering your password, tick on Agree to "Terms and Conditions" by selecting on the check box.

8. अब, आपको 'लॉगिन' बटन पर क्लिक करना होगा।

9. 'लॉगिन' बटन पर क्लिक करने के बाद, ई-वोटिंग का होम पेज खुल जाएगा।

चरण 2: इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट डालें और एनएसडीएल ई-वोटिंग सिस्टम पर आम बैठक में शामिल हों।

इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट कैसे डालें और एनएसडीएल ई-वोटिंग प्रणाली पर आम बैठक में किस प्रकार शामिल हों?

1. चरण 1 पर सफल लॉगिन के बाद, आप उन सभी कंपनियों ''EVEN'' को देख पाएंगे जिनमें आप शेयर रख रहे हैं और जिनका मतदान चक्र और आम बैठक सक्रिय स्थिति में है।
2. उस कंपनी के ''EVEN'' का चयन करें जिसके लिए आप दूरस्थ ई-वोटिंग अवधि के दौरान अपना वोट डालना चाहते हैं और आम बैठक के दौरान अपना वोट डालना चाहते हैं। वर्चुअल मीटिंग में शामिल होने के लिए, आपको ''जॉइन मीटिंग'' के तहत उपलब्ध विकल्प ''वीसी / ओएवीएम''लिंक पर क्लिक करना होगा।
3. अब आप वोटिंग पेज खुलते ही ई-वोटिंग के लिए तैयार हैं।
4. उपयुक्त विकल्पों अर्थात सहमति या असहमति का चयन करके अपना वोट डालें, उन शेयरों की संख्या को सत्यापित / संशोधित करें जिनके लिए आप अपना वोट डालना चाहते हैं और ''सबमिट'' पर क्लिक करें, संकेत दिए जाने पर ''पुष्टि'' करें।
5. पुष्टि होने पर, संदेश ''Vote Cast Successfully'' प्रदर्शित किया जाएगा।
6. आप कन्फर्मेशन पेज पर प्रिंट ऑप्शन पर क्लिक करके अपने द्वारा डाले गए वोटों का प्रिंटआउट भी ले सकते हैं।
7. एक बार प्रस्ताव पर अपने वोट की पुष्टि करने के पश्चात आपको अपने वोट को संशोधित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

शेयरधारकों हेतु सामान्य दिशानिर्देश

1. संस्थागत शेयरधारकों (अर्थात व्यक्तियों, एचयूएफ, एनआरआई आदि के अलावा) द्वारा संबंधित बोर्ड संकल्प / प्राधिकरण पत्र आदि की एक स्कैन प्रति (पीडीएफ / जेपीजी प्रारूप) स्क्रूटिनाइज़र पर ईमेल scrutinizer@snaco.net के माध्यम से तथा evoting@nsdl.co.in. को कॉपी में रखकर मतदान करने के लिए अधिकृत विधिवत अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता (ओं) के प्रमाणित नमूना हस्ताक्षर के साथ भेजना आवश्यक है।
2. दृढ़ता से अनुशंसा की जाती है कि अपना पासवर्ड किसी अन्य व्यक्ति के साथ साझा न करें और अपने पासवर्ड को गोपनीय रखने के लिए अत्यधिक सावधानी बरतें। सही पासवर्ड दर्ज करने के पांच असफल प्रयासों पर ई-वोटिंग वेबसाइट पर लॉगिन अक्षम कर दिया जाएगा। ऐसी स्थिति में, पासवर्ड रीसेट करने के लिए आपको www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध ''Forgot User Details/Password?'' या ''Physical User Reset Password?'' विकल्प का प्रयोग करना होगा।
3. कोई भी शंका होने पर, आप शेयरधारकों के लिए www.evoting.nsdl.com के डाउनलोड अनुभाग में उपलब्ध अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) और ई-वोटिंग उपयोगकर्ता मैनुअल देख सकते हैं या टोल फ्री नंबर: 022-4886 7000 और 022-2499 7000 पर कॉल कर सकते हैं या evoting@nsdl.co.in पर अनुरोध कर सकते हैं।

8. Now, you will have to click on "Login" button.

9. After you click on the "Login" button, Home page of e-Voting will open.

Step 2: Cast your vote electronically and join General Meeting on NSDL e-Voting system.

How to cast your vote electronically and join General Meeting on NSDL e-Voting system?

1. After successful login at Step 1, you will be able to see all the companies "EVEN" in which you are holding shares and whose voting cycle and General Meeting is in active status.
2. Select "EVEN" of company for which you wish to cast your vote during the remote e-Voting period and casting your vote during the General Meeting. For joining virtual meeting, you need to click on "VC/OAVM" link placed under "Join Meeting".
3. Now you are ready for e-Voting as the Voting page opens.
4. Cast your vote by selecting appropriate options i.e. assent or dissent, verify/modify the number of shares for which you wish to cast your vote and click on "Submit" and also "Confirm" when prompted.
5. Upon confirmation, the message "Vote cast successfully" will be displayed.
6. You can also take the printout of the votes cast by you by clicking on the print option on the confirmation page.
7. Once you confirm your vote on the resolution, you will not be allowed to modify your vote.

General Guidelines for shareholders

1. Institutional shareholders (i.e. other than individuals, HUF, NRI etc.) are required to send scanned copy (PDF/JPG Format) of the relevant Board Resolution/ Authority letter etc. with attested specimen signature of the duly authorized signatory(ies) who are authorized to vote, to the Scrutinizer by e-mail to **scrutinizer@snaco.net** with a copy marked to evoting@nsdl.co.in. Institutional shareholders (i.e. other than individuals, HUF, NRI etc.) can also upload their Board Resolution / Power of Attorney / Authority Letter etc. by clicking on "Upload Board Resolution / Authority Letter" displayed under "e-Voting" tab in their login.
2. It is strongly recommended not to share your password with any other person and take utmost care to keep your password confidential. Login to the e-voting website will be disabled upon five unsuccessful attempts to key in the correct password. In such an event, you will need to go through the "Forgot User Details/Password?" or "Physical User Reset Password?" option available on www.evoting.nsdl.com to reset the password.
3. In case of any queries, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders and e-voting user manual for Shareholders available at the download section of www.evoting.nsdl.com or call on 022-4886 7000 and 022-2499 7000 or send a request to at evoting@nsdl.co.in

उन शेयरधारकों के लिए प्रक्रिया जिनकी ईमेल आईडी उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड प्राप्त करने और इस नोटिस में निर्धारित संकल्पों के लिए ई-वोटिंग हेतु ई-मेल आईडी के पंजीकरण के लिए डिपॉजिटरी के साथ पंजीकृत नहीं हैं,:

1. भौतिकरूप से शेयर धारण करनेवाले शेयरधारकों हेतु - कृपया आवश्यक ब्यौरे, जैसे फोलियो सं., शेयरधारक का नाम, शेयर प्रमाणपत्र (आगे एवं पीछे) की स्कैन की गई प्रति, पैन (पैन कार्ड की स्कैन की गई स्वत:सत्यापित प्रति), आधार (आधार कार्ड की स्कैन की गई स्वत:सत्यापित प्रति) को Headoffice.share@bankofindia.co.in पर ई-मेल या http://www.bigshareonline.com/InvestorRegistrantion.aspx. लिंक पर क्लिक कर के आरटीए को प्रेषित करें।
2. यदि शेयर डीमैट मोड में रखे गए हैं, तो कृपया Headoffice.share@bankofindia.co.in पर अथवा https://www.bigshareonline.com/InvestorRegistration.aspx लिंक पर क्लिक करके आरटीए को डीपीआईडी-सीएलआईडी (16 अंकों की डीपीआईडी + सीएलआईडी या 16 अंकों की लाभार्थी आईडी), नाम, ग्राहक मास्टर या समेकित खाता विवरण की प्रति, पैन (पैन कार्ड की स्व-सत्यापित स्कैन की गई प्रति), आधार (आधार कार्ड की स्व-सत्यापित स्कैन की गई प्रति) प्रदान करें। यदि आप डिमैट स्वरूप में प्रतिभूति धारण करने वाले एकल शेयरधारक हैं, तो आपसे अनुरोध है कि **चरण 1(ए)** में दिए गए लॉगइन तरीके का संदर्भ लें अर्थात **डीमैट रूप में प्रतिभूतियां रखने वाले एकल शेयरधारकों हेतु ई-वोटिंग एवं वर्चुअल बैठक से जुड़ने की लॉगइन प्रक्रिया।**
3. वैकल्पिक रूप से शेयरधारक/evoting@nsdl.co.in को उपर्युक्त दस्तावेज प्रदान करके ई-वोटिंग के लिए उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड प्राप्त करने के लिए अनुरोध भेज सकते है।
4. सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा प्रदान की गई ई-वोटिंग सुविधा पर सेबी के 9 दिसंबर, 2020 के परिपत्र के अनुसार, डीमैट मोड में प्रतिभूतियां रखने वाले एकल शेयरधारकों को डिपॉजिटरी और डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के साथ बनाए गए अपने डीमैट खाते के माध्यम से मतदान करने की अनुमति है। शेयरधारकों को ई-वोटिंग सुविधा का उपयोग करने के लिए अपने डीमैट खाते में अपने मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को सही ढंग से अपडेट करना आवश्यक है।

ईजीएम/एजीएम के दिन ई-वोटिंग हेतु निर्देश निम्नानुसार हैं:

1) एजीएम के दिन ई-वोटिंग की प्रक्रिया रिमोट ई-वोटिंग के लिए ऊपर उल्लिखित निर्देशों के समान है।
2) केवल वे सदस्य/शेयरधारक, जो वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से ईजीएम/एजीएम में उपस्थित होंगे और जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से प्रस्तावों पर अपना वोट नहीं डाला है और अन्यथा किसी कारणवश ऐसा करने से नहीं रोका गया है, वे ईजीएम/एजीएम में ई-वोटिंग प्रणाली के माध्यम से मतदान करने के लिए पात्र होंगे।
3) जिन लोगों ने रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से मतदान किया है, वे ईजीएम / एजीएम में भाग लेने के लिए पात्र होंगे। हालांकि, वे ईजीएम/एजीएम में मतदान करने के योग्य नहीं होंगे।
4) ईजीएम/एजीएम के दिन ई-वोटिंग की सुविधा से जुड़ी किसी भी शिकायत के लिए रिमोट ई-वोटिंग के लिए उल्लिखित व्यक्ति से संपर्क किया जा सकता है।

वीसी/ओएवीएम के माध्यम से ईजीएम/एजीएम में भाग लेने के निर्देश निम्नानुसार हैं:

1. शेयरधारक को एनएसडीएल ई-वोटिंग प्रणाली के माध्यम से वीसी/ओएवीएम द्वारा ईजीएम/एजीएम में भाग लेने की सुविधा प्रदान की जाएगी। शेयरधारक **एनएसडीएल ई-वोटिंग सिस्टम तक पहुंचने** के लिए ऊपर उल्लिखित चरणों का पालन करके एक्सेस कर सकते हैं। सफल लॉगिन के बाद, आप कंपनी

Process for those shareholders whose email ids are not registered with the depositories for procuring user id and password and registration of e mail ids for e-voting for the resolutions set out in this notice:

1. In case shares are held in physical mode please provide Folio No., Name of shareholder, scanned copy of the share certificate (front and back), PAN (self attested scanned copy of PAN card), AADHAR (self attested scanned copy of Aadhar Card) by email to Headoffice.share@bankofindia.co.in or to the RTA by by clicking the link at https://www.bigshareonline.com/InvestorRegistration.aspx.
2. In case shares are held in demat mode, please provide DPID-CLID (16 digit DPID + CLID or 16 digit beneficiary ID), Name, client master or copy of Consolidated Account statement, PAN (self attested scanned copy of PAN card), AADHAR (self attested scanned copy of Aadhar Card) to Headoffice.share@bankofindia.co.in or to the RTA by by clicking the link at https://www.bigshareonline.com/InvestorRegistration.aspx. If you are an Individual shareholders holding securities in demat mode, you are requested to refer to the login method explained at **step 1 (A)** i.e. **Login method for e-Voting and joining virtual meeting for Individual shareholders holding securities in demat mode**.
3. Alternatively shareholder/ may send a request to evoting@nsdl.co.in for procuring user id and password for e-voting by providing above mentioned documents.
4. In terms of SEBI circular dated December 9, 2020 on e-Voting facility provided by Listed Companies, Individual shareholders holding securities in demat mode are allowed to vote through their demat account maintained with Depositories and Depository Participants. Shareholders are required to update their mobile number and email ID correctly in their demat account in order to access e-Voting facility.

THE INSTRUCTIONS FOR e-VOTING ON THE DAY OF THE EGM/AGM ARE AS UNDER:-

1. The procedure for e-Voting on the day of the EGM/AGM is same as the instructions mentioned above for remote e-voting.
2. Only those Members/ shareholders, who will be present in the EGM/AGM through VC/OAVM facility and have not casted their vote on the Resolutions through remote e-Voting and are otherwise not barred from doing so, shall be eligible to vote through e-Voting system in the EGM/AGM.
3. who have voted through Remote e-Voting will be eligible to attend the EGM/AGM. However, they will not be eligible to vote at the EGM/AGM.
4. The details of the person who may be contacted for any grievances connected with the facility for e-Voting on the day of the EGM/AGM shall be the same person mentioned for Remote e-voting.

INSTRUCTIONS FOR ATTENDING THE EGM/AGM THROUGH VC/OAVM ARE AS UNDER:

1. Shareholder will be provided with a facility to attend the EGM/AGM through VC/OAVM through the NSDL e-Voting system. Shareholders may access by following the steps mentioned above for **Access to NSDL e-Voting system**. After successful

के नाम के विपरीत ''Join Meeting'' मेनू के तहत रखे गए ''वीसी / ओएवीएम'' का लिंक देख सकते हैं। आपसे अनुरोध है कि आप सामान्य बैठक में शामिल होने वाले मेनू के तहत रखे गए वीसी/ओएवीएम लिंक पर क्लिक करें। वीसी / ओएवीएम के लिए लिंक शेयरधारक / सदस्य लॉगिन में उपलब्ध होगा जहां कंपनी का EVEN प्रदर्शित किया गया है। कृपया ध्यान दें कि जिन शेयरधारकों के पास ई-वोटिंग के लिए उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड नहीं है या उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड भूल गए हैं, वे अंतिम समय परेशानी से बचने के लिए नोटिस में उल्लिखित दूरस्थ ई-वोटिंग निर्देशों का पालन करके इसे पुन: प्राप्त कर सकते हैं।

2. शेयरधारकों को बेहतर अनुभव के लिए लैपटॉप के माध्यम से बैठक में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

3. इसके अलावा शेयरधारकों को बैठक के दौरान किसी भी गड़बड़ी से बचने के लिए अच्छी गति के साथ कैमरा और इंटरनेट का उपयोग करने की अनुमति देने की आवश्यकता होगी।

4. कृपया ध्यान दें कि मोबाइल उपकरणों या टैबलेट से कनेक्ट करने वाले प्रतिभागियों या मोबाइल हॉटस्पॉट के माध्यम से कनेक्ट होने वाले लैपटॉप के माध्यम से उनके संबंधित नेटवर्क में उतार-चढ़ाव के कारण ऑडियो / वीडियो हानि का अनुभव हो सकता है। इसलिए किसी भी प्रकार की उपरोक्त गड़बड़ियों को कम करने के लिए स्थिर वाई-फाई या लैन कनेक्शन का उपयोग करने की सिफारिश की जाती है.

शेयरधारकों द्वारा पैन, केवाईसी, बैंक विवरण और नामांकन प्रस्तुत करना

सेबी ने परिपत्र सं. सेबी/एचओ/एमआईआरएसडी/एमआईआरएसडी_पीओडी-1/पी/सीआईआर/20231/37 दिनांक 16 मार्च 2023 के माध्यम से भौतिक प्रतिभूतियों के धारकों द्वारा अनिवार्य रूप से पैन, केवाईसी विवरण एवं नामांकन प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। दूसरे शब्दों में, सूचीबद्ध कंपनियों में भौतिक प्रतिभूतियों के सभी धारकों के लिए अपने संबंधित फोलियो के लिए पैन, केवाईसी, बैंक विवरण, संपर्क विवरण, नमूना हस्ताक्षर और नामांकन प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

बैंक ने बैंक की भौतिक प्रतिभूतियों वाले सभी शेयरधारकों को एक व्यक्तिगत पत्र भेजा है जिसमें उनसे अपने फोलियो को फ्रीज होने से बचने के लिए पैन, केवाईसी, बैंक विवरण, नमूना हस्ताक्षर और नामांकन प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया है। केवाईसी और नामांकन के लिए पत्र और निर्धारित प्रारूपों की नमूना प्रति बैंक की वेबसाइट https://www.bankofindia.co.in/format_for_Boi_shareholders पर उपलब्ध है।

पैन, केवाईसी विवरण और नामांकन के बिना फोलियो को फ्रीज करना

फोलियो जिसमें उपर्युक्त दस्तावेजों/विवरणों में से कोई एक 1 अक्टूबर 2023 को या उसके बाद उपलब्ध नहीं है, को उक्त सेबी परिपत्रों के अनुसार बैंक के आरटीए बिगशेयर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड/ बैंक ऑफ़ इंडिया द्वारा फ्रीज कर दिया जाएगा। यदि ये फोलियो 31 दिसंबर, 2025 तक फ्रीज रहते हैं, तो उन्हें बेनामी लेनदेन (प्रतिषेध) अधिनियम, 1988 और /या धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के तहत प्रशासी प्राधिकारी को भेजा जाएगा।

व्याख्यात्मक विवरण

मद सं. 3

बैंक के गैर-कार्यपालक नामिती निदेशक के रूप में श्री भूषण कुमार सिन्हा को नियुक्त किया गया।

सेबी (एलओडीआर) विनियमन, 2015 के विनियम 17 (1सी) के अनुसरण में, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी यह सुनिश्चित करेगी कि निदेशक मंडल में किसी व्यक्ति की नियुक्ति या पुन: नियुक्ति के लिए शेयरधारकों का अनुमोदन अगली आम बैठक में लिया जाए। तदनुसार, श्री भूषण कुमार सिन्हा की नियुक्ति के लिए एजीएम में शेयरधारकों की मंजूरी की आवश्यकता होती है।

login, you can see link of "VC/OAVM" placed under **"Join meeting"** menu against company name. You are requested to click on VC/OAVM link placed under Join General Meeting menu. The link for VC/OAVM will be available in Shareholder/Member login where the EVEN of Company will be displayed. Please note that the shareholders who do not have the User ID and Password for e-Voting or have forgotten the User ID and Password may retrieve the same by following the remote e-Voting instructions mentioned in the notice to avoid last minute rush.

2. Shareholders are encouraged to join the Meeting through Laptops for better experience.

3. Further Shareholders will be required to allow Camera and use Internet with a good speed to avoid any disturbance during the meeting.

4. Please note that Participants Connecting from Mobile Devices or Tablets or through Laptop connecting via Mobile Hotspot may experience Audio/Video loss due to Fluctuation in their respective network. It is therefore recommended to use Stable Wi-Fi or LAN Connection to mitigate any kind of aforesaid glitches.

FURNISHING OF PAN, KYC, BANK DETAILS AND NOMINATION BY SHAREHOLDERS

SEBI vide Circular No. SEBI/HO/MIRSD/MIRSD_PoD-1/P/CIR/20231/37 dated 16th March 2023 has instructed to mandatorily furnish PAN, KYC details and Nomination by holders of physical securities. In other words, it shall be mandatory for all holders of physical securities in listed companies to furnish PAN, KYC, Bank details, contact details, Specimen Signature and Nomination for their corresponding folios.

Bank has sent an individual letter to all shareholders holding physical securities of the Bank requesting them to furnish PAN, KYC, Bank details, Specimen signature and Nomination to avoid freezing of their folios. Specimen copy of letter and prescribed formats for KYC and Nomination is available on Bank's website at https://www.bankofindia.co.in/format_for_Boi_shareholders.

Freezing of folios without PAN, KYC details and Nomination

Folios wherein any one of the above mentioned documents / details are not available on or after 1st October 2023, shall be frozen by Bank's RTA Bigshare Services Pvt. Ltd., / Bank of India in terms of the said SEBI Circulars. The frozen folios will be referred to the administering authority under the Benami Transactions (Pohibitions) Act, 1988 and / or Prevention of Money Laundering Act, 2002, if they continue to remain frozen as on 31st December 2025.

EXPLANATORY STATEMENT

Item No. 3

Appointment of Shri Bhushan Kumar Sinha as Non-Executive Nominee Director of the Bank.

Pursuant to Regulation 17(1C) of SEBI (LODR) Regulations, 2015, public sector company shall ensure that the approval of shareholders for appointment or re-appointment of a person on the Board of Directors is taken at the next general meeting. Accordingly, approval of shareholders is required in the AGM for appointment of Shri Bhushan Kumar Sinha.

बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 की उप-धारा (3) के खंड (बी) के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार ने श्री भूषण कुमार सिन्हा को 11 अप्रैल, 2022 से अगले आदेश तक बैंक के बोर्ड में भारत सरकार के गैर-कार्यपालक नामिती निदेशक के रूप में नियुक्त किया है।

श्री भूषण कुमार सिन्हा का संक्षिप्त विवरण:

डीआईएन : 08135512

आयु: 58 वर्ष

शैक्षिक योग्यता: एमबीए, पीएचडी

श्री भूषण कुमार सिन्हा भारतीय आर्थिक सेवा के 1993 बैच के हैं। उन्होंने नेशनल ग्रेजुएट स्कूल ऑफ मैनेजमेंट (एनजीएसएम), ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी, कैनबरा, ऑस्ट्रेलिया से बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन (एमबीए) में मास्टर डिग्री और वित्तीय अध्ययन विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय, भारत से पीएचडी की उपाधि प्राप्त की है।

वर्तमान में वह वित्तीय सेवाएं विभाग (डीएफएस), वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली में अतिरिक्त सचिव के रूप में तैनात हैं। 2018 में डीएफएस में शामिल होने से पहले, उन्होंने निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग (दीपम) में आर्थिक सलाहकार के रूप में तीन साल कार्य किया था।

वह 14.05.2018 से 11.04.2022 तक भारत सरकार के नामिती निदेशक के रूप में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के बोर्ड में थे.

31.03.2023 की स्थिति के अनुसार पारिश्रमिक, वर्ष 2022-23 के दौरान भाग लेने वाली बोर्ड बैठकों की संख्या, निदेशकों का विवरण, सूचीबद्ध संस्थाओं के बोर्डों की समितियों की सदस्यता/अध्यक्षता का विवरण वार्षिक रिपोर्ट 2022-23 में कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट में उपलब्ध है।

श्री भूषण कुमार सिन्हा या उनके रिश्तेदारों के अलावा, बैंक के निदेशकों, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक और उनके रिश्तेदारों में से किसी को भी उपरोक्त समाधान में रुचि या इससे संबंधित नहीं माना जा सकता है, सिवाय इसके कि बैंक में उनकी शेयरधारिता, यदि कोई हो, की सीमा तक।.

मद सं 4:

बैंक के कार्यपालक निदेशक के रूप में श्री सुब्रत कुमार की नियुक्ति।

सेबी (एलओडीआर) विनियमन, 2015 के विनियम 17 (1सी) के अनुसरण में, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी यह सुनिश्चित करेगी कि निदेशक मंडल में किसी व्यक्ति की नियुक्ति या पुन: नियुक्ति के लिए शेयरधारकों का अनुमोदन अगली आम बैठक में लिया जाए। तदनुसार, श्री सुब्रत कुमार की नियुक्ति के लिए एजीएम में शेयरधारकों की मंजूरी की आवश्यकता होती है।

बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 की उप-धारा (3) के खंड (ए) के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार ने श्री सुब्रत कुमार को 21 नवंबर, 2022 से 20 नवंबर, 2025 तक या अगले आदेश तक जो भी पहले हो बैंक के बोर्ड में कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया है।

श्री सुब्रत कुमार का संक्षिप्त परिचय

डीआईएन: 08102232

आयु: 52 वर्ष

शैक्षिक योग्यता: बीएससी, एमबीए, सीएआईआईबी

In exercise of powers conferred by the proviso to clause (b) of sub-section (3) of section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, the Central Government has appointed Shri Bhushan Kumar Sinha as Non-Executive Nominee Director of Government of India on the Board of the Bank, w.e.f April 11, 2022 to until further orders.

Brief profile of Shri Bhushan Kumar Sinha:

DIN : 08135512

Age: 58 years

Educational Qualification: MBA, Ph.D

Shri Bhushan Kumar Sinha belongs to the 1993 batch of Indian Economic Service. He holds a Master's degree in Business Administration (MBA) from the National Graduate School of Management (NGSM), Australian National University, Canberra, Australia and a Ph. D from the Department of Financial Studies, University of Delhi, India.

Presently he is posted as Additional Secretary in the Department of Financial Services (DFS), Ministry of Finance, Government of India, New Delhi. Before joining DFS in 2018, he had a three year stint as Economic Adviser in the Department of Investment and Public Asset Management (DIPAM).

He was on the Board of Central Bank of India as GOI's Nominee Director w.e.f 14.05.2018 till 11.04.2022.

Details of remuneration, number of Board Meetings attended during the year 2022-23, details of Directorships, Memberships / Chairmanships of Committees of Listed Entities Boards as on 31.03.2023 are available in Corporate Governance Report in the Annual Report 2022-23.

Other than **Shri Bhushan Kumar Sinha** or his relatives, none of the Directors of the Bank, Key Managerial Personnel and their relatives may be deemed to be interested or concerned in the aforementioned resolution, except to the extent of their shareholding, if any, in the Bank.

Item No. 4:

Appointment of Shri Subrat Kumar as Executive Director of the Bank.

Pursuant to Regulation 17(1C) of SEBI (LODR) Regulations, 2015, public sector company shall ensure that the approval of shareholders for appointment or re-appointment of a person on the Board of Directors is taken at the next general meeting. Accordingly, approval of shareholders is required in the AGM for appointment of Shri Subrat Kumar.

In exercise of powers conferred by the proviso to clause (a) of sub-section (3) of section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, the Central Government has appointed Shri Subrat Kumar as Executive Director on the Board of the Bank, w.e.f from November 21, 2022 to November 20, 2025, or until further orders, whichever is earlier.

Brief profile of Shri Subrat Kumar

DIN: 08102232

Age: 52 years

Education Qualification: B.Sc, MBA, CAIIB

श्री सुब्रत कुमार को वाणिज्यिक बैंकों/परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनी में 27 वर्षों से अधिक का अनुभव है।

बैंकिंग उद्योग में अपने लंबे कार्यकाल के दौरान, उन्होंने ट्रेजरी और निवेश बैंकिंग, जोखिम प्रबंधन, ऋण निगरानी और कॉर्पोरेट बैंकिंग में विशेष विशेषज्ञता के साथ परिचालन और रणनीतिक बैंकिंग के सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों में विभिन्न एक्सपोजर प्राप्त किए हैं। उन्होंने क्षेत्रीय प्रमुख, पटना, ट्रेजरी प्रबंधन, लेखा परीक्षा और निरीक्षण, ऋण निगरानी और कॉर्पोरेट क्रेडिट के प्रमुख जैसी जिम्मेदारियों को सफलतापूर्वक संभाला। उन्होंने बैंक ऑफ बड़ौदा के मुख्य जोखिम अधिकारी (ई विजया बैंक) और मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ) का पद भी संभाला।

वह एफआईएमएमडीए और बीओबी कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड के निदेशक मंडल में भी थे।

31.03.2023 की स्थिति के अनुसार पारिश्रमिक, वर्ष 2022-23 के दौरान भाग लेने वाली बोर्ड बैठकों की संख्या, निदेशकों का विवरण, सूचीबद्ध संस्थाओं के बोर्डों की समितियों की सदस्यता/अध्यक्षता का विवरण वार्षिक रिपोर्ट 2022-23 में कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट में उपलब्ध हैं।

श्री सुब्रत कुमार या उनके रिश्तेदारों के अलावा, बैंक के निदेशकों, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक और उनके रिश्तेदारों में से किसी को भी उपरोक्त संकल्प में रुचि या इससे संबंधित नहीं माना जा सकता है, सिवाय इसके कि बैंक में उनकी शेयरधारिता, यदि कोई हो, की सीमा को छोड़कर।

मद सं. 5:

श्री रजनीश कर्नाटक को बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है।

सेबी (एलओडीआर) विनियमन, 2015 के विनियम 17 (1सी) के अनुसरण में, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी यह सुनिश्चित करेगी कि निदेशक मंडल में किसी व्यक्ति की नियुक्ति या पुन: नियुक्ति के लिए शेयरधारकों का अनुमोदन अगली आम बैठक में लिया जाए। तदनुसार, श्री रजनीश कर्नाटक की नियुक्ति के लिए एजीएम में शेयरधारकों की मंजूरी की आवश्यकता होती है।

बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 की उप-धारा (3) के खंड (ए) के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार ने श्री रजनीश कर्नाटक को 29 अप्रैल, 2023 से 28 अप्रैल, 2026 तक या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, बैंक के बोर्ड में प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है।

श्री रजनीश कर्नाटक का संक्षिप्त परिचय

डीआईएन: 08912491

आयु: 52 वर्ष

शैक्षिक योग्यता: एम.कॉम, सीएआईआईबी

श्री रजनीश कर्नाटक 21 अक्टूबर, 2021 से यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में कार्यपालक निदेशक के रूप में अपनी नियुक्ति तक पंजाब नेशनल बैंक के मुख्य महाप्रबंधक थे। उनके पास 29 से अधिक वर्षों का समृद्ध बैंकिंग अनुभव है और उनके पास विभिन्न शाखा और प्रशासनिक कार्यालयों का अनुभव है। पूर्ववर्ती ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स में महाप्रबंधक के रूप में, उन्होंने बड़ी कॉर्पोरेट क्रेडिट शाखाओं और ऋण निगरानी, डिजिटल बैंकिंग और मिड कॉर्पोरेट क्रेडिट जैसे वर्टिकल का नेतृत्व किया है। ओरिएंटल बैंक ऑफ़ कॉमर्स के पंजाब नेशनल बैंक में विलय के बाद, उन्होंने पंजाब नेशनल बैंक में क्रेडिट रिव्यू एंड मॉनिटरिंग डिवीजन और कॉर्पोरेट क्रेडिट डिवीजन का भी नेतृत्व किया है।

Shri Subrat Kumar has over 27 years of experience in Commercial Banks / Asset Management Co.

During his long stint in the Banking Industry, he has gained varied exposures in all important spheres of operational and strategic Banking with special expertise in Treasury & Investment Banking, Risk Management, Credit Monitoring & Corporate Banking. He successfully handled the responsibilities such as Regional Head, Patna, Head of Treasury Management, Audit & Inspection, Credit Monitoring & Corporate Credit. He held the position of Chief Risk Officer (eVijaya Bank) and Chief Financial Officer (CFO) of Bank of Baroda, as well.

He was also on the Boards of FIMMDA and BoB Capital Markets Ltd.

Details of remuneration, number of Board Meetings attended during the year 2022-23, details of Directorships, Memberships / Chairmanships of Committees of Listed Entities Boards as on 31.03.2023 are available in Corporate Governance Report in the Annual Report 2022-23.

Other than **Shri Subrat Kumar** or his relatives, none of the Directors of the Bank, Key Managerial Personnel and their relatives may be deemed to be interested or concerned in the aforementioned resolution, except to the extent of their shareholding, if any, in the Bank.

Item No.5 :

Appointment of Shri Rajneesh Karnatak as Managing Director & Chief Executive Officer of the Bank.

Pursuant to Regulation 17(1C) of SEBI (LODR) Regulations, 2015, public sector company shall ensure that the approval of shareholders for appointment or re-appointment of a person on the Board of Directors is taken at the next general meeting. Accordingly, approval of shareholders is required in the AGM for appointment of Shri Rajneesh Karnatak.

In exercise of powers conferred by the proviso to clause (a) of sub-section (3) of section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, the Central Government has appointed Shri Rajneesh Karnatak as Managing Director & Chief Executive Officer on the Board of the Bank, w.e.f from April 29, 2023 to April 28, 2026, or until further orders, whichever is earlier.

Brief profile of Shri Rajneesh Karnatak

DIN: 08912491

Age: 52 years

Educational Qualification: M.Com, CAIIB

Shri Rajneesh Karnatak was Chief General Manager of Punjab National Bank until his appointment as Executive Director in Union Bank of India from October 21, 2021. He has a rich banking experience of over 29 years and carries varied branch and Administrative office experience. As General Manager in erstwhile Oriental Bank of Commerce, he has headed Large Corporate Credit Branches and verticals such as Credit Monitoring, Digital Banking and Mid Corporate Credit. Post the amalgamation of Oriental Bank of Commerce into Punjab National Bank, he has also headed Credit Review & Monitoring Division and Corporate Credit Division in Punjab National Bank.

वह क्रेडिट जोखिम पर विशेष संदर्भ/विशेष जोर देने के साथ जोखिम प्रबंधन के साथ परियोजना वित्त पोषण और कार्यशील पूंजी वित्तपोषण सहित क्रेडिट मूल्यांकन कौशल रखते हैं।

श्री कर्नाटक ने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की ओर से यूबीआई सर्विसेज लिमिटेड के गैर-कार्यपालक अध्यक्ष के रूप में कार्य किया है। उन्होंने यूबीआई (यूके) लिमिटेड के बोर्ड में गैर-स्वतंत्र गैर- कार्यपालक निदेशक के रूप में भी कार्य किया है। वह भारतीय बैंक प्रबंधन संस्थान (आईआईबीएम) गुवाहाटी के गवर्निंग बोर्ड के सदस्य थे। उन्होंने पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड और इंडिया एसएमई एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड के बोर्ड में पंजाब नेशनल बैंक की ओर से नामिती निदेशक के रूप में कार्य किया है। उन्होंने आईएएमसीएल (आईआईएफसीएल एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड) में बोर्ड ट्रस्टी के रूप में भी काम किया।

31.03.2023 की स्थिति के अनुसार पारिश्रमिक, वर्ष 2022-23 के दौरान भाग लेने वाली बोर्ड बैठकों की संख्या, निदेशकों का विवरण, सूचीबद्ध संस्थाओं के बोर्डों की समितियों की सदस्यता/अध्यक्षता का विवरण वार्षिक रिपोर्ट 2022-23 में कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट में उपलब्ध हैं।

श्री रजनीश कर्नाटक या उनके रिश्तेदारों के अलावा, बैंक के निदेशकों, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों और उनके रिश्तेदारों में से किसी को भी उपरोक्त संकल्प में रुचि या इससे संबंधित नहीं माना जा सकता है, सिवाय इसके कि बैंक में उनकी शेयरधारिता, यदि कोई हो, की सीमा तक है।

मद सं.6 :

श्री मुनीश कुमार रल्हन को बैंक के अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया।

सेबी (एलओडीआर) विनियमन, 2015 के विनियम 17 (1सी) के अनुसरण में, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी यह सुनिश्चित करेगी कि निदेशक मंडल में किसी व्यक्ति की नियुक्ति या पुन: नियुक्ति के लिए शेयरधारकों का अनुमोदन अगली आम बैठक में लिया जाए। तदनुसार, श्री मुनीश कुमार रल्हन की नियुक्ति के लिए एजीएम में शेयरधारकों की मंजूरी की आवश्यकता होती है।

बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 की उप-धारा (3) के खंड (एच) के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार ने श्री मुनीश कुमार रल्हन को 21 मार्च, 2022 से 20 मार्च, 2025 या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, बैंक के बोर्ड में अंशकालिक गैर-शासकीय निदेशक के रूप में नियुक्त किया है।

श्री मुनीश कुमार रल्हन का संक्षिप्त परिचय:

डीआईएन: लागू नहीं

आयु: 49 वर्ष

शैक्षिक योग्यता: बीएससी, एलएलबी

श्री मुनीश कुमार रल्हन पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालयों में एक प्रैक्टिसिंग वकील हैं। उन्हें सिविल, आपराधिक, राजस्व, वैवाहिक, बैंकिंग, बीमा कंपनियों, उपभोक्ता, संपत्ति, दुर्घटना मामलों, सेवा मामलों आदि से संबंधित मामलों से निपटने का 26 वर्षों का समृद्ध अनुभव है।

वह होशियारपुर, पंजाब में भारत संघ के स्थायी वकील हैं।

31.03.2023 की स्थिति के अनुसार पारिश्रमिक, वर्ष 2022-23 के दौरान भाग लेने वाली बोर्ड बैठकों की संख्या, निदेशकों का विवरण, सूचीबद्ध संस्थाओं के बोर्डों की समितियों की सदस्यता/अध्यक्षता का विवरण वार्षिक रिपोर्ट 2022-23 में कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट में उपलब्ध है।

आपके निदेशक नोटिस के मद संख्या 6 में निर्धारित विशेष संकल्प पारित करने की सूचना देते हैं।

He carries with him credit appraisal skills including project funding & working capital funding along with Risk Management with specific reference/ special emphasis on Credit Risk.

Shri Karnatak has served as Non-Executive Chairman of UBI Services Ltd., on behalf of Union Bank of India. He has also served as Non Independent Non-Executive Director on the Board of UBI (UK) Limited. He was a member of the Governing Board of Indian Institute of Bank Management (IIBM) Guwahati. He has served as Nominee Director on behalf of Punjab National Bank on the Board of PNB Housing Finance Ltd., and India SME Asset Reconstruction Company Limited. He also served as Board Trustee on IAMCL (IIFCL Asset Management Co. Ltd).

Details of remuneration, number of Board Meetings attended during the year 2022-23, details of Directorships, Memberships / Chairmanships of Committees of Listed Entities Boards as on 31.03.2023 are available in Corporate Governance Report in the Annual Report 2022-23.

Other than **Shri Rajneesh Karnatak** or his relatives, none of the Directors of the Bank, Key Managerial Personnel and their relatives may be deemed to be interested or concerned in the aforementioned resolution, except to the extent of their shareholding, if any, in the Bank.

Item No.6 :

Appointment of Shri Munish Kumar Ralhan as part-time Non-Official Director of the Bank.

Pursuant to Regulation 17(1C) of SEBI (LODR) Regulations, 2015, public sector company shall ensure that the approval of shareholders for appointment or re-appointment of a person on the Board of Directors is taken at the next general meeting. Accordingly, approval of shareholders is required in the AGM for appointment of Shri Munish Kumar Ralhan.

In exercise of powers conferred by the proviso to clause (h) of sub-section (3) of section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, the Central Government has appointed Shri Munish Kumar Ralhan as part-time Non-Official Director on the Board of the Bank, w.e.f from March 21, 2022 to March 20, 2025, or until further orders, whichever is earlier.

Brief profile of Shri Munish Kumar Ralhan:

DIN: Not Applicable

Age: 49 years

Educational Qualification: B.Sc, L.L.B

Shri Munish Kumar Ralhan, is a Practicing advocate in Punjab and Haryana High Court and Subordinate Courts. He is having rich experience of 26 years dealing with cases relating to Civil, Criminal, Revenue, Matrimonial, Banking, Insurance Companies, Consumer, Property, Accident cases, Service matters, etc.

He is the Standing Counsel for Union of India at Hoshiarpur, Punjab.

Details of remuneration, number of Board Meetings attended during the year 2022-23, details of Directorships, Memberships / Chairmanships of Committees of Listed Entities Boards as on 31.03.2023 are available in Corporate Governance Report in the Annual Report 2022-23.

Your Directors recommend passing of the Special Resolution as set out in Item no.6 of the Notice.

श्री मुनीश कुमार रल्हन या उनके रिश्तेदारों के अतिरिक्त, बैंक का कोई भी निदेशक, मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक तथा उनके संबंधी पूर्वोक्त संकल्प के संबंध में बैंक में उनकी शेयरधारिता की सीमा, यदि कुछ हो तो, उसे छोड़कर और कोई हितबद्धता या संबंध नहीं रखते है।

मद संख्या 7:

पूंजी जुटाना

बैंक बैंकिंग और संबंधित सेवाओं की गतिविधियों के कारोबार में है। वर्तमान में बैंक की प्राधिकृत पूंजी रु. 6,000 करोड़ है। 31 मार्च 2023 तक बैंक की चुकता इक्विटी शेयर पूंजी रु. 4,103.57 करोड़ है। बैंक में भारत सरकार की शेयरधारिता बैंक की कुल चुकता पूंजी का 81.41% है।

वर्तमान में बैंक में सार्वजनिक शेयरधारिता 18.59% है जिसे बैंक को प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1957 और सेबी (एलओडीआर) विनियमन, 2015 के अनुसार न्यूनतम सार्वजनिक शेयरधारिता आवश्यकताओं का अनुपालन करने के लिए बढ़ाकर 25% या उससे अधिक करना होगा। इसलिए, बैंक सार्वजनिक शेयरधारिता को 25% या उससे अधिक तक बढ़ाने के लिए नई इक्विटी पूंजी जारी करने का प्रस्ताव करता है।

31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार जोखिम भारित आस्तियों के लिए पूंजी निधि निम्नानुसार थी।

पूंजी पर्याप्तता अनुपात - बेसल III

रु. करोड़ में

मापदण्ड	अपेक्षित विनियामक पूंजी 31 मार्च, 2023	31 मार्च, 2023 वास्तविक	31 मार्च, 2022 वास्तविक
कुल जोखिम भारित आस्तियां	लागू नहीं	3,54,534	3,16,395
कुल पूंजीगत निधि		57,727	52,253
सीईटी 1 पूंजी		48,232	42,695
टियर 1 पूंजी		51,084	44,047
सीईटी 1 (%)	8.00	13.60	13.49
टियर 1 (%)	9.50	14.41	13.92
टियर 2 (%)	2.00	1.87	2.59
सीआरएआर (%)	11.50	16.28	16.51

नोट: आरबीआई के न्यूनतम बेंचमार्क में सीआरएआर, सीईटी 1 और टियर 1 अनुपात, 2.50% के पूंजी संरक्षण बफर (सीसीबी) सहित हैं।

कारोबारी आस्तियों के विस्तार के लिए बेसल III दिशानिर्देशों के तहत पूंजी और लीवरेज अनुपात आवश्यकताओं को बनाए रखने के लिए और अनुमानित वृद्धि के आधार पर, आपके निदेशकों ने पूंजी को रु. 6,500 करोड़ रुपये (छह हजार पांच सौ करोड़ रुपये) तक जुटाने का निर्णय लिया है।

विनियामक अनुपालन सुनिश्चित करने और लक्षित कारोबारी विकास के विस्तार को प्राप्त करने तथा सामान्य ऋण उद्देश्यों के लिए अतिरिक्त पूंजीगत निधियों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए, बैंक सार्वजनिक निर्गम (यानी फॉलो-ऑन पब्लिक इश्यू) और/या निजी नियोजन के माध्यम से इक्विटी शेयर पूंजी जुटा सकता है, जिसमें

Other than **Shri Munish Kumar Ralhan** or his relatives, none of the Directors of the Bank, Key Managerial Personnel and their relatives may be deemed to be interested or concerned in the aforementioned resolution, except to the extent of their shareholding, if any, in the Bank.

Item No. 7:

Raising of Capital

The Bank is in the business of the Banking and related services activities. Presently the Authorised Capital of the Bank is Rs.6,000 Crore. The paid-up equity share capital of the Bank as on 31st March 2023 is Rs.4,103.57 Crore. The shareholding of Government of India in the Bank is 81.41% of the total paid-up capital of the Bank.

Present public shareholding in the Bank is 18.59% and the Bank has to increase this to 25% or above in order to comply with the minimum public shareholding requirements as per the Security Contracts (Regulation) Rules, 1957 and SEBI (LODR) Regulations, 2015. Hence, Bank proposes to issue fresh equity capital to increase the public shareholding to 25% or above.

The capital fund to Risk Weighted Assets as on March 31, 2023 was as under:

Capital Adequacy Ratios – Basel III

Rs. in Crore

Parameters	Required Regulatory Capital March 31, 2023	March 31, 2023 Actual	March 31, 2022 Actual
Total Risk Weighted Assets	N.A	3,54,534	3,16,395
Total Capital Funds		57,727	52,253
CET 1 Capital		48,232	42,695
Tier 1 Capital		51,084	44,047
CET 1 (%)	8.00	13.60	13.49
Tier 1 (%)	9.50	14.41	13.92
Tier 2 (%)	2.00	1.87	2.59
CRAR (%)	11.50	16.28	16.51

Note: RBI minimum benchmarks are including Capital Conservation Buffer (CCB) of 2.50% in CRAR, CET 1 and Tier 1 ratios.

In order to maintain the Capital and Leverage ratio requirements under the Basel III guidelines for expansion of business assets and based on the estimated growth, your Directors have decided to raise the Capital upto **Rs.6,500 crore (Rupees Six Thousand Five Hundred Crore).**

In order to ensure regulatory compliances and to meet the requirement of additional capital funds for expanding and achieving the targeted business growth and for general lending purposes, the Bank may raise Equity Share Capital through Public Issue (i.e Follow-on Public Issue) and / or Private Placement, including Qualified Institutions Placement and / or Preferential Allotment and / or Rights Issue and / or any other

योग्य संस्थान प्लेसमेंट और/या अधिमान्य आवंटन और/या राइट्स इश्यू और/या भारत सरकार और अन्य नियामक द्वारा अनुमोदन के अधीन कोई अन्य मोड शामिल हैं। प्राधिकरण और सेबी (आईसीडीआर) विनियमों के अनुसार बढ़ी हुई पूंजी का उपयोग बैंक के सामान्य कारोबारी उद्देश्यों के लिए किया जाएगा।

यदि प्रतिभूतियों को क्यूआईपी के माध्यम से जारी किया जाता है, तो यह सेबी (पूंजी और प्रकटीकरण आवश्यकताओं का निर्गम) विनियम, 2018 के अध्याय VI के अनुसार होगा।

बैंक एक या एक से अधिक किस्तों में निजी स्थानन/सार्वजनिक निर्गम आधार पर अधीनस्थ डिबेंचर, बांड और/या अन्य ऋण प्रतिभूतियों सहित अपरिवर्तनीय ऋण लिखतों, अपरिवर्तनीय डिबेंचरों की संख्या भी जुटा सकता है, जो आरबीआई द्वारा निर्धारित और वर्गीकृत टियर-1 या टियर-2 पूंजी के लिए वर्गीकृत कर सकते हैं तथा सेबी (अपरिवर्तनीय प्रतिभूतियों का निर्गम और सूचीबद्धता) विनियम 2021 के अनुपालन में हो।

सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियमन 41(4) में यह प्रावधान है कि जब भी बैंक द्वारा कोई और निर्गम या पेशकश की जा रही हो, मौजूदा शेयरधारकों को प्रो-रेटा आधार पर इसकी पेशकश की जानी चाहिए, जब तक कि शेयरधारक इक्विटी शेयरों के संबंध में आम बैठक में अन्यथा निर्णय न लें। यदि यह प्रस्ताव पारित हो जाता है, तो इसका प्रभाव बैंक की ओर से निदेशक मंडल को मौजूदा शेयरधारकों को आनुपातिक आधार के बजाय प्रतिभूतियों को जारी करने और आवंटित करने की अनुमति देने का होगा।

इसलिए उपर्युक्त कारणों से, इस विषय की शर्तों को अंतिम रूप देने के लिए बोर्ड को पर्याप्त लचीलापन और विवेकाधिकार देने के लिए एक समर्थकारी संकल्प पारित करने का प्रस्ताव है।

वर्तमान संकल्प भी प्रस्तावित है ताकि बैंक का निदेशक मंडल इक्विटी शेयर को उचित समय, मोड, प्रीमियम और अन्य नियमों पर जारी कर सकें। यह प्रस्तावित प्रस्ताव पारित होने के बाद, यह 15 जुलाई, 2022 को आयोजित अपनी वार्षिक आम बैठक में बैंक के शेयरधारकों द्वारा पहले से ही पारित प्रस्ताव की जगह लेगा।

विशेष संकल्प के अनुरुप इक्विटि शेयर और/या बॉण्ड का प्रस्तावित इश्यू सभी लागू कानूनों के प्रावधानों के अनुसार होगा।

आपके निदेशक इस सूचना की मद संख्या 7 में उल्लिखित विशेष संकल्प की सिफारिश करते है।

बैंक का कोई भी निदेशक, मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक तथा उनके संबंधी पूर्वोक्त संकल्प के संबंध में बैंक में उनकी शेयरधारिता की सीमा, यदि कुछ हो तो, उसे छोड़कर और कोई हितबद्धता या संबंध नहीं रखते है।

निदेशक मंडल के आदेश से,

रजनीश कर्नाटक
प्रबंध निदेशक और सीईओ

स्थान: मुंबई
तिथि: 25 मई, 2023

mode(s) subject to approval by the Government of India and other regulatory authorities and in accordance with SEBI (ICDR) Regulations. The enhanced capital will be utilised for the general business purposes of the Bank.

In the event of such issuance of securities is undertaken by way of QIP, the same will be in accordance with Chapter VI of SEBI (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018.

The Bank may also raise such number of perpetual debt instruments, Non-convertible debentures including but not limited to subordinated debentures, Bonds and / or other debt securities on private placement / public issue basis in one or more tranches which may classify for Tier-1 or Tier-2 Capital as identified and classified by RBI and in compliance with the SEBI (Issue and Listing of Non-Convertible Securities) Regulations, 2021.

The Regulation 41(4) of SEBI (LODR) Regulations, 2015 provides that whenever any further issue or offer is being made by the Bank, the existing shareholders should be offered the same on pro-rata basis unless the shareholders in the general meeting decide otherwise as far as equity shares are concerned. The said resolution, if passed, shall have the effect of allowing the Board of Directors on behalf of the Bank to issue and allot the securities otherwise than on pro-rata basis to the existing shareholders.

For reasons aforesaid, an enabling resolution is therefore proposed to be passed to give adequate flexibility and discretion to the Board to finalise the terms of the issue.

The present resolution is proposed in order to enable the Board of Directors of the Bank to issue equity shares / Bonds at an appropriate time, mode and other terms. This proposed resolution once passed, it will supersede the resolution already passed in similar line, by the shareholders of the Bank in its Annual General Meeting held on 15th July, 2022.

The proposed issuance of Equity Shares and / or Bonds in terms of the Special Resolution will be in conformity with the provisions of all applicable laws.

Your Directors recommend passing of the Special Resolution as set out in Item no. 7 of the Notice.

None of the Directors of the Bank, Key Managerial Personnel and their relatives may be deemed to be interested or concerned in the aforementioned resolution, except to the extent of their shareholding, if any, in the Bank.

By order of Board of Directors,

Rajneesh Karnatak
Managing Director & CEO

Place: Mumbai
Date: May 25, 2023

हरित पहल- शेयरधारकों से अपील

ई-मेल के माध्यम से नोटिस / वार्षिक रिपोर्ट एवं अन्य संसूचनाएं प्राप्त करने के लिए

डीमैट खातों में शेयर रखने वाले शेयरधारकों से अनुरोध किया जाता है कि वे : अपने डीमैट खाते के लिए एक ईमेल आईडी पंजीकृत करें।

भौतिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों से अनुरोध किया जाता है कि वे : इस संसूचना के छिद्रित भाग को भरकर और हस्ताक्षर करके अपनी सहमति हमारे रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रांसफर एजेंट को उनके निम्न पते पर भेजें:

बिगशेयर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड.

यूनिट : बैंक ऑफ इंडिया,

ऑफिस नं. एस6-2, 6वी मंजिल, पिनैकल बिजनस पार्क,
अहूरा सेन्टर के पास, महाकाली केव्स रोड,
अधेरी पूर्व, मुंबई 400093
ईमेल आईडी : investor@bigshareonline.com
फोन नंबर : 022-6263 8200

GREEN INITIATIVE - APPEAL TO SHAREHOLDERS

TO GET NOTICES / ANNUAL REPORTS & OTHER COMMUNICATION THROUGH E-MAIL

Shareholders holding Shares in Demat Accounts are requested to: Register an email ID to their Demat A/c.

Shareholders holding Shares in Physical form are requested to:

Send their consent by filling up and signing the perforated portion of this communication to our Registrar & Share Transfer Agent at their address given hereunder:

Bigshare Services Pvt. Ltd.

Unit : Bank of India,

Office No.S6-2, 6" Floor, Pinnacle Businesss Park,
Next to Ahura Centre, Mahakali Caves Road,
Andheri East, Mumbai 400093.
E-mail ID: investor@bigshareonline.com
Tel. No.: 022-6263 8200

बैंक ऑफ इंडिया की हरित पहल

दिनांक :

बिगशेयर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
यूनिट : बैंक ऑफ़ इंडिया,
ऑफिस नं. एस6-2, 6वीं मंजिल, पिनैकल बिज़नस पार्क, अधूरा सेन्टर के पास,
महाकाली केव्स रोड, अंधेरी पूर्व, मुंबई 400093
ईमेल आईडी: investor@bigshareonline.com

महोदय,

मैं/हम ______________ भौतिक रूप में बैंक ऑफ इंडिया के ______________ शेयर रखते हैं और बैंक ऑफ इंडिया के कॉर्पोरेट शासन के तहत हरित पहल के एक भाग के रूप में, यहां नीचे दी गई हमारी ईमेल आईडी के माध्यम से बैंक ऑफ इंडिया से सभी संसूचनाएं प्राप्त करने के इच्छुक हैं।

फोलियो नंबर: ______________

ईमेल आईडी ______________@

मोबाइल नं. ______________

मैं/हम यह भी वचन देते हैं कि मेरे ईमेल आईडी के माध्यम से प्राप्त सूचना को बैंक ऑफ इंडिया द्वारा हमें भेजे गए दस्तावेजों को उचित कानूनी और पर्याप्त डिलीवरी के रूप में माना जाएगा। मैं/हम यह भी वचन देते हैं कि हम बैंक ऑफ इंडिया, उसके किसी भी कर्मचारी, रजिस्ट्रार या उसके कर्मचारियों को जिम्मेदार नहीं ठहराएंगे, यदि किसी तकनीकी/अन्य विफलताओं के कारण मेरे/हमारे ईमेल आईडी पर सूचना ठीक से प्राप्त नहीं होती है।

प्रथम / एकल शेयरधारक के हस्ताक्षर

____

GREEN INITIATIVE OF BANK OF INDIA

Date :

Bigshare Services Pvt. Ltd.
Unit : Bank of India,
Office No.S6-2, 6" Floor, Pinnacle Businesss Park,
Next to Ahura Centre, Mahakali Caves Road, Andheri East, Mumbai 400093.
E-mail ID: investor@bigshareonline.com

Dear Sir,

I/We ______________ holding ______________ shares of Bank of India in physical form, intend to receive all communication from Bank of India through our email ID given hereunder, as a part of Green Initiative under Corporate Governance of Bank of India.

Folio Number:______________

Email ID ______________ @

Mobile No. ______________

I/We also undertake that the communication received through my/ our email id will be treated as proper, legal and sufficient delivery of documents sent to us by Bank of India. I/We further undertake that we would not hold Bank of India, any of its employees, Registrar or its employees, responsible in case of communication is not properly received at my/our email ID due to any technical/other failures.

Signature of the First/Sole Shareholder

____

कुशल और शीघ्र सेवाओं के लिए शेयरधारकों से अपील

1. कृपया अपने भौतिक शेयरों को डीमैट करें।
2. कृपया अपने बैंक खाते में लाभांश राशि के इलेक्ट्रॉनिक/प्रत्यक्ष क्रेडिट के लिए अपना मैंडेट रजिस्टर करें।
3. ई-मेल के माध्यम से सूचना प्राप्त करने के लिए कृपया अपनी ई-मेल आईडी पंजीकृत करें।

डीमैटरियलाइजेशन के लाभ

1. शेयर सर्टिफिकेट के खो जाने का कोई खतरा नहीं
2. कोई शेयर अंतरण शुल्क या स्टाम्प शुल्क व्यय नहीं
3. आसान / झंझट मुक्त ट्रांसफर / ट्रांसमिशन
4. नामांकन संभव
5. लाभांश सीधे आपके बैंक खाते में जमा किया जाता है
6. एएसबीए/आईपीओ आवेदन संभव

इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से लाभांश के भुगतान के लिए मैंडेट दर्ज करने के लाभ

1. लाभांश भुगतान तिथि पर ही लाभांश का प्रत्यक्ष क्रेडिट
2. लाभांश वारंट के देर से प्राप्त होने / प्राप्त न होने / पुनर्वैधीकरण की कोई समस्या नहीं

ई-मेल आईडी पंजीकृत करने के लाभ

1. भारत सरकार (जीओआई) की हरित पहल का हिस्सा बनें
2. एजीएम और ईजीएम / वार्षिक रिपोर्ट / अन्य पत्रादि की सूचना सहित कॉर्पोरेट सूचना की तत्काल प्राप्ति।

Appeal to Shareholders for Efficient & Prompt Services

1. Please Demat your Physical Shares.
2. Please register your Mandate for Electronic / direct credit of Dividend amount in your Bank A/c.
3. Please register your E-mail ID for receiving communications through E-mail.

Benefits of Dematerialisation

1. No threat of loss of Share Certificate
2. NO Share Transfer Fees or Stamp Duty Expenses
3. Easy / hassle-free Transfer / Transmission
4. Nomination possible
5. Dividend directly credited to your Bank A/c
6. ASBA / IPO Application possible

Benefits of Registering Mandate for payment of Dividend through Electronic Mode

1. Direct credit of dividend on Dividend payment date itself
2. No problem of late / non-receipt / revalidation of Dividend Warrants

Benefits of Registering E-mail ID

1. Be a part of Green Initiative of Government of India (GOI)
2. Immediate receipt of Corporate communication including Notice of AGM & EGM / Annual Reports / Other communications.

बैंक ऑफ इंडिया

इक्विटी शेयरों पर लाभांश के भुगतान के लिए अधिदेश
(इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से)

क्र. सं.	विवरण	शेयरधारक द्वारा जानकारी
1	पहले शेयरधारक का नाम	
2	पता	
3	शेयरधारक का फोलियो नंबर (भौतिक रूप में शेयरधारण के लिए) डीपी आईडी/ क्लायंट आईडी नंबर (इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयरधारण के लिए)	
4	बैंक खाते का विवरण क. बैंक का नाम ख. शाखा का नाम एवं शहर का पिन कोड ग. खाता संख्या (जैसा चेक बुक में उल्लिखित है) घ. खाता प्रकार (कृपया टिक करें) (बचत खाता/ चालू खाता या नकद ऋण खाता) ङ. आईएफ़एससी कोड च. बैंक द्वारा जारी एमआईसीआर चेक पर प्रदर्शित बैंक शाखा की 9 अंकों की कोड सं.	बचत ☐ चालू ☐ नकद ऋण ☐

कोड संख्याओं की सटीकता को सत्यापित करने के लिए अपने उपरोक्त खाते से संबन्धित अपने बैंक द्वारा जारी किए गए चेक लीफ/ रिक्त रद्द चेक की एक फोटोकॉपी और पहचान-प्रमाण के रूप में अपने पैन कार्ड की एक स्व-सत्यापित फोटोकॉपी संलग्न करें।

घोषणा

मैं, एतदद्वारा यह घोषणा करता हूँ कि उपर्युक्त ब्योरे सही और पूर्ण हैं। यदि अधूरी जानकारी के कारणों से संव्यवहार में देरी होती है या संव्यवहार नहीं होती है, तो मैं बैंक ऑफ इंडिया को जिम्मेदार नहीं ठहराऊंगा।

स्थान: प्रथम धारक के हस्ताक्षर

दिनांक:

नोट:

1. यदि शेयर इलेक्ट्रॉनिक मोड में रखे गए हैं : कृपया फॉर्म को पूरा करें, हस्ताक्षर करें और आवश्यक अपडेशन के लिए अपने डिपोजिटरी प्रतिभागी को आवश्यक दस्तावेजों के साथ जमा करें।
2. यदि शेयर भौतिक मोड में रखे गए हैं : कृपया फॉर्म भरें, हस्ताक्षर करें और रजिस्ट्रार एवं अंतरण एजेंट (आरटीए) के पते पर आवश्यक दस्तावेज़ों के साथ मेल करें, अर्थात् बिगशेयर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, यूनिट : बैंक ऑफ इंडिया, ऑफिस नं. एस6-2, 6ठी मंजिल, पिनैकल बिजनस पार्क, अहूरा सेन्टर के पास, महाकाली केव्स रोड, अंधेरी पूर्व, मुंबई 400093. या बैंक ऑफ इंडिया, निवेशक संबंध विभाग, 8वीं मंजिल, प्रधान कार्यालय, सी-5, जी-ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई- 4000051.

BANK OF INDIA

Mandate for payment of Dividend on Equity Shares
(Through Electronic Mode)

Sl No	Particulars	Information by Shareholder
1	First Shareholder's Name (in Block letters)	
2	Address	
3	Shareholder's Folio number (for holding in physical form) DP ID / Client ID number (for holding in electronic form)	
4	Particulars of Bank Account a. Bank Name b. Branch Name & City Pin Code c. Account No. (as appearing on the Cheque book) d. Account Type (Please tick) (SB Account / Current A/c or Cash Credit A/c) e. IFSC Code f. 9 digit Code No. of the Bank Branch appearing on the MICR Cheque issued by the Bank	SB ☐ CD ☐ Cash Credit ☐

Please attach a self-attested photocopy of your PANCARD as Proof of Identity alongwith a photocopy of a Cheque leaf / blank cancelled cheque issued by your Bank relating to your above account for verifying the accuracy of the Code numbers

DECLARATION

I, hereby declare that the particulars given above are correct and complete. If the transaction is delayed or not affected at all for reasons of incomplete information, I would not hold Bank of India responsible.

Place: Signature of the First Holder

Date:

Note:

1. If the shares are held in electronic mode: Please complete the form, sign and submit alongwith the required documents to your Depository Participant for necessary updation.
2. If the shares are held in physical mode: Please complete the form, sign and mail alongwith the required documents at the address of Registrar and TransferAgent (RTA), i.e Bigshare Services Pvt. Ltd., Office No.S6-2, 6" Floor, Pinnacle Businesss Park, Next to Ahura Centre, Mahakali Caves Road, Andheri East, Mumbai 400093.OR at Bank of India, Investor Relations Department. 8th Floor, Bank of India, Head Office, C-5, G-Block, Bandra Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai – 400 051.

बैंक ऑफ़ इंड़िया
Bank of India BOI

हमारा दृष्टिकोण

"कंपनियों, मध्यम श्रेणी व्यापारियों और दूरदराज के छोटे आम ग्राहकों का मनपसंद बैंक बनना, छोटे व्यापारियों, ग्रामीण बाजारों और सामान्य बाजार को लागत प्रभावी विकासमान बैंकिंग प्रदान करना"।

Our Vision

"To become the bank of choice for corporates, medium businesses and upmarket retail customers and to provide cost effective developmental banking for small business, mass market and rural markets".

हमारा लक्ष्य

"सर्वश्रेष्ठ और व्यावहारिक बैंकिंग भूमंडलीय बाजारों में प्रदान करने के लिए एक विकास बैंक की भूमिका निभाते हुए लागत प्रभावी और दायित्वपूर्ण सेवाएं प्रदान करना और ऐसा करते हुए हमारे पूंजी निवेशकों की अपेक्षाओं को पूरा करना"।

Our Mission

"To provide superior, proactive banking services to niche markets globally, while providing cost-effective, responsive services to others in our role as a development bank, and in so doing, meet the requirements of our stakeholders".

हमारी गुणवत्ता नीति

हम, बैंक ऑफ़ इंडिया को पसंदीदा बैंक बनाने हेतु अपने ग्राहकों और संरक्षकों को, **उत्कृष्ट, व्यवहार्य, नवोन्मेषी, अत्याधुनिक** बैंकिंग सेवाएं तत्परता और शालीनता से प्रदान करने के लिए वचनबद्ध हैं।

Our Quality Policy

We, at Bank of India, are committed to become the Bank of Choice by providing SUPERIOR, PROACTIVE, INNOVATIVE STATE OF THE ART Banking Services with an attitude of Care and Concern for the Customers and Patrons.

महत्वपूर्ण सूचना

शेयरधारकों से अनुरोध है कि वार्षिक रिपोर्ट 2022-23 के सॉफ्ट कॉपी को प्राप्त करने हेतु बैंक ऑफ इंडिया की वेबसाइट **www.bankofindia.co.in** का अवलोकन करें।

बैंक की वार्षिक रिपोर्ट की प्रति प्राप्त करने की इच्छा रखने वाले शेयरधारक **Headoffice.Share@bankofindia.co.in.** पर ई-मेल कर ऑर्डर कर सकते हैं।

शेयरधारकों से यह भी अनुरोध है कि ई मेल के जरिए जल्द नोटिस, सूचना आदि प्राप्त करने के लिए अपना ई मेल आई डी **headoffice.share@bankofindia.co.in,** पर सूचित करें

IMPORTANT NOTICE

Shareholders are requested to visit Bank of India website www.bankofindia.co.in to get the soft copy of Annual Report 2022-23.

Shareholders desirous of having a copy of Bank's Annual Report may order for it by sending email to **Headoffice.Share@bankofindia.co.in.**

Shareholders are requested to register their E-mail ID with the Bank at Headoffice.Share@bankofindia.co.in for quick / early receipt of Notice, information, communication through E-mail.

BOI

G20 भारत 2023 INDIA

Azadi Ka Amrit Mahotsav

Maximize Returns

7.65%

for Super Senior Citizens

SPECIAL One Year Term Deposit

7.50% p.a. for Senior Citizens

7.00 % p.a. for General Customers

T&C Apply

Head Office: Star House, C-5 G Block, Bandra Kurla Complex
Bandra (East), Mumbai-400 051.
Toll free No. 1800 220 229/ 1800 103 1906
Visit: www.bankofindia.co.in | Follow us on: